लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF

4th
LOK SABHA DEBATES

[दसवां सत्र
Tenth Session]

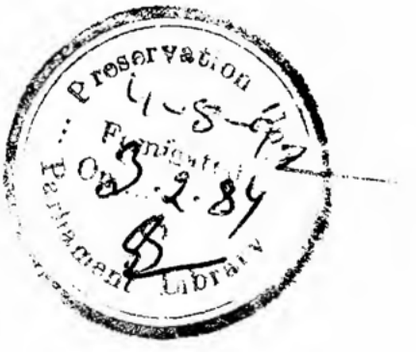

[खण्ड 37 में अंक 11 से 20 तक हैं
Vol. XXXVII contains Nos. 11 to 20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अवदित संस्करण

9 मार्च , 1970 । 18 फाल्गुन, 1891 (शक)

का शुद्धि-पत्र

पृष्ठ संख्या	शुद्धि
28	ऊपर से पंक्ति 8 में निम्नलिखित पढ़िये : `(ग्रान्थालय में रखा गया, देखिये संख्या एल.टी.2756।70 ) `
31	नीचे से पंक्ति 2 में `रुपये 312.40 पैसे `पढ़िये ।
45	नीचे से पंक्ति 16 में `वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र.चं. सेठी)` के स्थान पर `प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री , अणु शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी ) `पढ़िये ।
56	नीचे से पंक्ति 1 में `संयुक्त राज्य संघ के स्थान पर `राज्य क्षेत्र ` पढ़िये ।
57	नीचे से पंक्ति 8 में `900` के स्थान पर `950 ` पढ़िये ।
68	नीचे से पंक्ति 2 में `2,700 वर्ग फुट ` के स्थान पर `2,600 `पढ़िये ।
95	ऊपर से पंक्ति 12 में 255 रुपये के स्थान पर `225 रुपये ` पढ़िये ।
	ऊपर से पंक्ति 15 में `240 `के स्थान पर `280 `पढ़िये ।
97	नीचे से पंक्ति 2 में `2761 `के स्थान पर `1761 `पढ़िये ।
101	नीचे से पंक्ति 1 में `766.271 `के स्थान पर `766.27 ` पढ़िये ।

पृष्ठ संख्या	शुद्धि
139	ऊपर से पंक्ति 13 में `6 `के स्थान पर `5 `पढ़िये ।
281	ऊपर से पंक्ति 14 से पंक्ति 25 तक अंकित संख्याओं के स्थान पर निम्नलिखित संख्याएं पढ़िये :

(लाख डालरों में)

1.58
3.00
62.89
67.43
23.35
.60
19.56
91.20
28.73
55.50
82.50
436.34

281-282	नीचे से पंक्ति 1 से पृष्ठ 282 के ऊपर से पंक्ति 2 से पंक्ति 6तक अंकित संख्याओं के स्थान पर निम्नलिखित संख्याएं पढ़िये :

राशि (दस लाख डालरों में)

11.20
18.00
35.00
21.60
~~25.44~~
111.24

288	ऊपर से पंक्ति 2 में `श्री ए.श्रीधरन `के बाद `श्री गाडिलिंगन गौड और रघुवीर सिंह शास्त्री ` के नाम भी पढ़िये ।

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 13, सोमवार, 9 मार्च, 1970/18 फाल्गुन, 1891 (शक)
No.—13, Monday, March 9, 1970/Phalguna 18, 1891 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या	विषय	Subject	
301.	पैट्रोल, डीजल तथा मिट्टी के तेल को पाइप लाइनों द्वारा ले जाने पर तुलनात्मक व्यय	Comparative Expenditure on Transportation of Petrol, Diesel and Kerosene through Pipelines	1—5
302.	आवास योजनाओं पर किया गया व्यय	Expenditure incurred on Housing Schemes	5—11
303.	नैशनल बैंक आफ लाहौर को अदायगी की अवधि में मोहलत देने का जूता उद्योग पर प्रभाव	Effect on Footear Industry of Putting National Bank of Lahore under Moratorium	11—12
310.	नैशनल बैंक आफ लाहौर को विलम्बकाल का दिया जाना	Grant of Moratorium to National Bank of Lahore	12—14
304.	भारत के रिजर्व बैंक द्वारा राष्ट्रीयकरण समाप्त किये गये बैंकों को दिये गये निदेश	Direotive issued to Denationalised Banks by Reserve bank of India	14—18
305.	हल्दिया तेल शोधक कारखाने के निकट उर्वरक उद्योग समूह की स्थापना	Setting up of Fertilizer Complex near Haldia Refinery	18—20

---

*किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

*The Sign + marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos	विषय Subject	पृष्ठ Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
271. फिल्म निर्माता रितविक घटक को पद्मश्री की उपाधि	Award of Padmashri of Film Producer Ritwik Ghatak	20—21
272. विद्यार्थियों में अनुशासन-हीनता	Indiscipline Among Students	21—22
273. राष्ट्रीय पुस्तक न्यास द्वारा पुस्तकों का तैयार करना	Production of Books by National Book Trust	22 - 23
274. बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में नियुक्तियों के मामले में अनियमितताएं	Irregularities in Appointments in Banaras Hindu University	23
275. मंगलौर पत्तन परियोजना के दूसरे चरण का निर्माण	Construction of Second Stage of Mangalore Port Project	23—24
276. तेलंगाना के नेताओं के साथ दिल्ली में हुई वार्ता	Talks held in Delhi which Telengana Leaders	24
277. पौलिटैकनीक शिक्षा पर विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति	Setting up of Expert Committee on Polytechnic Education	24
278. संस्कृत की शिक्षा देने की योजना	Scheme for Imparting Education in Culture	25
279. साम्प्रदायिक दंगों को रोकने के उपाय	Measures for Preventing Communal Riots	25 - 26
280. संसदीय समितियों की बैठक दक्षिण भारत में करने के लिये केन्द्रीय सरकार के होस्टलों का निर्माण	Construction of Central Government Hostels for holding of Meetings of Parliamentary Committees in the South	26
281. राज्यों की सीमाओं के पुन: निर्धारण हेतु आयोग	Commission for Readjustment of Boundaries of States	2 —27
282. दिल्ली परिवहन उपक्रम के लिए धन का नियतन	Release of Funds to Delhi Transport Undertaking	27

ता० प्र० संख्या	विषय	पृष्ठ
S. Q. Nos.	Subject	Page
283. समय-समय पर नियत अवधि के बाद पाठ्य पुस्तकों का पुनरीक्षण करने हेतु स्कूल पाठ्य पुस्तकों संबंधी राष्ट्रीय बोर्ड की स्थापना	Setting up of National Board of School Text Books for Periodical Review of Text Books	7—28
284. महात्मा गाँधी के हत्याकांड की जाँच सम्बन्धी कपूर आयोग का प्रतिवेदन	Report of Kapur Commission on Probe into Mahatma Gandhiji's Murder	29
285. कलकत्ता - अगरत्तला-सिलचर और इम्फाल मार्ग पर इंडियन एयरलाइन्स की सेवाएं	Indian Airlines Service on Calcutta—Agaratla Silchar and Imphal Route	29—30
286. कच्छ क्षेत्र को केन्द्र द्वारा अपने अधिकार में लेने की मांग	Demand for Central take Over of Kutch Area	30
287. बम्बई में एक अनधिकृत हवाई पट्टी का पाया जाना	Unauthorised Airstrip Found in Bombay	30
288. पालम हवाई अड्डे के विश्राम कक्षों में कला चित्र और सजावटी चित्र	Paintings and Decorative Panels in Lounges at Palam Airport	31—32
289. विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये किया गया व्यय	Expenditure Incurred for Attracting Foreign Tourists	32
290. विमान निगमों के लिये विमानों का क्रय	Purchase of Aircrafts for Air Corporations	33
291. गैर-सरकारी उड्डयन समवायों के अधीन काम कर रहे कर्मचारियों पर लागू होने वाले सेवा की शर्तों के सम्बन्ध में नियम	Rules Regarding Service Conditions Applicable to Employees under Private Aviation Companies	33—34
292. पर्यटन विकास योजना के अन्तर्गत होटलों का निर्माण	Construction of Hotels under Tourist Development Scheme	34
293. गैर-सरकारी क्षेत्र के होटलों को वित्तीय सहायता	Financial Help to Hotels in Private Sector	34—35

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
294. वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् के कार्य-करण के बारे में सरकार समिति का प्रतिवेदन	Sarkar Committee Report on Working of Council of Scientific and Industrial Research	34
295. जम्बो जैट बोइंग-747 खरीदने के लिये ऋण के बारे में एयर इंडिया और यू० एस० एक्सपोर्ट एण्ड इम्पोर्ट बैंक के बीच करार	Agreement for Loan between Air India and US Expert and Import Bank for purchasing Jumbo Jet Boeing 747	35—36
296. दिल्ली में सरकारी क्षेत्र के होटलों के कर्मचारियों द्वारा एक दिन की हड़ताल	One Day's Strike by Employees of Public Sector Hotels in Delhi	36—37
297. पंजाब और हरियाणा के बीच पंजाब विश्वविद्यालय की अस्तियों का विभाजन	Division of Assets of Punjab University between Punjab and Haryana	37
298. बेरोजगारी की समस्या हल करने के लिये यूनेस्को द्वारा सहायता की पेशकश	Offer of Aid by UNESCO to Solve Unemployment Problem	37
299. राज्यों में कानून और व्यवस्था की स्थिति का बिगड़ जाना	Deterioration in Law and Order Situation in States	37—38
300. हिमाचल प्रदेश के लिये विश्वविद्यालय	University for Himachal Pradesh	38
306. गुजरात में टाटा केमिकल्स के सोडाराख कारखाने का विस्तार	Expansion of Tata Chemicals Soda Ash Plant in Gujarat	39—40
307. कैंसर का उन्मूलन	Eradication of Cancer	40
308. गांवों में चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार	Expansion of Medical Facilities in Villages	40—41
309. श्रीमती अरुणा आसफ अली को प्राप्त हुआ विदेशी धन	Foreign Money Received by Smt. Aruna Asaf Ali	41
311. मंत्रियों तथा संसद् सदस्यों द्वारा विदेशों का दौरा	Visits Abroad by Ministers and Members of Parliament	41—42

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
312. पी० एल० 480 निधियां	PL 480 Funds	42
313. मैसर्स हिन्द गाल्वेनाइजिंग एंड इंजीनियरिंग कम्पनी के साथ सौदे में भारतीय तेल निगम को हानि	Loss to IOC in Dealing with Hind Galvanising and Engineering Co.	42—43
314. रुद्रसागर और लाकवा तेल क्षेत्रों से कच्चे तेल की अतिरिक्त सप्लाई	Additional Supply of Crude Oil from Rudrasagar and Lakwa Oil Fields	43—44
315. मूल्य में वृद्धि	Upward Trend in Prices	44
316. उड़ीसा में तेल के निक्षेपों के लिये सर्वेक्षण	Survey for Oil Deposits in Orissa	44—45
317. अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत का प्रतिनिधित्व	India's Representation on International Monetary Fund	45—46
318. राज्यों को दिये ऋणों की अदायगी की अवधि का पुनर्निधारण	Re-Scheduling of Loans given to State	46
319. चर्चगेट, बम्बई, स्थित नारंग ब्रदर्स द्वारा अम्बेसडर होटल का खरीदा जाना	Purchase of Ambassador Hotel Churchgate, Bombay by Narang Brothers	46
320. नसबन्दी आपरेशन	Vasectomy Operations	47
321. अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के लिये आरक्षित कोटे में से क्वार्टरों के आवंटन के लिये आवेदन पत्र	Applications for Allotment of Quarters in Reserved Quota for Scheduled Castes and Scheduled Tribes	47
322. राज्यों द्वारा गृह निर्माण योजनाओं का भेजा जाना	Submission of Housing Schemes by States	48—49
323. जीवन बीमा निगम द्वारा अपने कलकत्ता कार्यालय में स्वचालित मशीनों का प्रयोग	Introducing Automation by LIC in its Calcutta Office	49
324. जनसंख्या के आधार पर अस्पतालों में बिस्तरों का अनुपात	Proportion of Hospital Beds to Population	49—50

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Page
325. तिलहनों, कपास तथा खाद्यान्नों पर बैंकों द्वारा दी जाने वाली अग्रिम धनराशियों पर नियन्त्रण	Control on Bank Advances against Oil-seeds, Cotton and Foodgrains	50—51
326. मंगलौर उर्वरक संयंत्र परियोजना	Mangalore Fertilizer Plan Project	51—52
327. विक्रय कर अधिनियम	Sales Tax Act	5
328. बैंकिंग कम्पनी अधिनियम के अधीन भारत के रिजर्व बैंक द्वारा जारी किये गये निदेश	Directions Issued by the Reserve Bank of India Under Banking Companies Act	52—54
329. संसत्सदस्यों द्वारा आयकर के विवरण पेश करना	Filing of Income Tax returns by Members of Parliament	54
330. तेल के जहाजों द्वारा भाड़े की दरों वृद्धि	Upward Revision of Freight Charges by Oil Tankers	54—55

अतारांकित प्रश्न संख्या

U. S. Q. No.

1801. सैनिकों द्वारा ग्रामीण नागाओं पर कथित ज्यादतियां	Alleged Excesses by Army Personnel against Naga Villagers	55
1802. भारतीय पुलिस सेवा के प्रतिनियुक्ति पर अधिकारी	I. P. S. Officers on Deputation	55—56
1803. भारतीय प्रशासनिक सेवा/ भारतीय विदेश सेवा/ भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के वेतनमान	Pay Scales of IAS/IFS/IPS Officers	56—57
1804. भारत में पाकिस्तानियों का अधिक समय तक ठहरना	Pakistanis Overstaying in India	58
1805. भारत-पाक संघर्ष में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस द्वारा भाग लिया जाना	Central Reserve Police Engaged in Indo-Pak War	59
1806. दिल्ली परिवहन की बसों की कुल संख्या	Buses under DTU Operation	59—60

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Page:
1807. पर्यटकों के लिये वन्य जन्तु केन्द्रों का विकास	Development of Wild Life Centres for Tourists	60
1808. स्थायी केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के अन्य विभागों में स्थानान्तरण पर उनके स्थाई पदों पर उनका पूर्वाधिकार बनाये रखना	Retention of Lien of Permanent Central Government Employees Transferred to other Departments	60—61
1809. सरकारी कर्मचारियों द्वारा ऐच्छिक सेवा निवृत्ति का विकल्प देना	Voluntary Retirement Opted by Government Employees	61
1810. ईसाई मिशनों द्वारा संचालित स्कूल और कालेज	Schools and Colleges Run by Christian Missions	61—62
1811. दिल्ली नगर निगम द्वारा कर की बकाया राशि को बट्टे खाते में डालना	Write-off of Tax Arrears by Delhi Municipal Corporation	62
1812. लाल किले के निकट नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की प्रतिमा	Statue of Netaji Subhas Chandra Bose near Red Fort	62—63
1813. विभिन्न करों में दिल्ली का अंश	Delhi's Share in Various Taxes	63
1814. आगरा के निकट एक मन्दिर में एक लड़के की बलि दी जाना	Boy Sacrificed at a Temple near Agra	63—64
1815. कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन करने वाले पुलिस कर्मचारियों तथा अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही	Action against Police and Officials for Violating Calcutta High Court Orders	64—65
1816. अन्दमान जल प्रांगन में चीनी नौका	Chinese Boat in Andaman Waters	65
1817. उत्तर प्रदेश में बाढ़ के परिणाम स्वरूप केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को अग्रिम वेतन का भुगतान	Advance Payment of Salary to Central Government Employees Consequent of Floods in U. P.	65

तारांकित प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
1818. राज्य के आन्तरिक मामलों में दखल देने के बारे में पश्चिम बंगाल के उप-मुख्य मंत्री का आरोप	Allegations made by West Bengal Deputy Chief Minister re. Interference in Internal Affairs of State Government	66
1819. पूर्वी पाकिस्तान द्वारा बामनगोला पर गोलाबारी	Firing by East Pakistan Side at Bamangola	66
1820. गांधी दर्शन सम्बन्धी स्मारिका	Souvenir on Gandhi Darshan	67
1821. हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी, नई दिल्ली के कर्मचारियों के विरुद्ध मामले	Cases against Employees of Hindustan Housing Factory, New Delhi	67—68
1822. विश्वविद्यालयों के प्रांगणों में युवक संगठन	Youth Organizations in University Campuses	68
1823. सरोजिनी नगर, नई दिल्ली में रिजर्व बैंक आफ इंडिया का माध्यमिक विद्यालय	R. B. I. Middle School Sarojni Nagar, near Delhi	68—69
1824. वाई० एम० सी० ए० तथा ईसाई समाज कार्य अभिकरण की गतिविधियां	Activities of YMCA and Christian Agency for Social Action	69
1825. पश्चिम बंगाल के उप-मुख्य मंत्री द्वारा मुकदमा दायर किया जाना	Suit by Deputy Chief Minister of West Bengal	69—70
1826. गुजरात में गोधरा के निकट एक बालक का बलि बढ़ाया जाना	Sacrifice of a Boy near Godhra in Gujarat	70
1827. बंगला भाषा में गांधी वचनावली का प्रकाशन	Publication of Gandhi Bachanabali in Bengali	70
1828. भारत की शासन पद्धति के स्वरूप के बारे में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैग्डे के विचार	Opinion of Justice Hegde of Supreme Court Regarding form of Government in India	70—71
1829. संघ राज्य क्षेत्रों के उप-राज्यपालों के वेतन में वृद्धि	Increase in the Salary of Lt. Governors of Union Territories	71

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
1830. मनीपुर में सरकारी कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते में वृद्धि	D. A. Rise to Government Employees in Manipur	71
1831. मंत्रियों द्वारा भारत विदेशों की यात्राओं पर चर्च में कटौती	Cut in Expenditure by Ministries on Travels in India and Abroad	72
1832. जयपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय की न्यायपीठ	Bench of Rajasthan High Court at Jaipur	72
1833. जिला अर्काट (तमिलनाडु) में अन्तर्जातीय दंगों में मारे गये हरिजन	Harijans Killed in Inter-Caste Clash in Arcot District (Tamil Nadu)	72
1834. कार्मिक संघों को अनिवार्य मान्यता देने के बारे में पश्चिम बगाल तथा केरल सरकार के विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति	President's Assent to West Bengal and Kerala Governments' Bills on Compulsory Recognition of Trade Unions	73
1835. उच्च न्यायालयों में प्रादेशिक भाषाओं तथा हिन्दी का प्रयोग	Use of Regional Languages and Hindi in High Courts	73—74
1836. केन्द्र-राज्य विवादों को हल करने के बारे में अन्तर राज्य परिषद् को अधिकार के लिये संविधान में संशोधन	Amendment of Constitution Empowering Inter-State Council to Deal with Centre-State Disputes	74
1837. गैर-सरकारी कम्पनियों में काम करने वाले सेवानिवृत सरकारी अधिकारी	Retired Government Officers in Private Companies	74
1838. भगवान महावीर के निर्वाण का 2500वां दिवस समारोह	Celebration of 2500th Anniversary of Bhagwan Mahavir's Nirvan	75
1839. प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों पर कार्यवाही	Action on Recommendations of Administrative Reforms Commission	75
1840. राज्यपालों द्वारा केन्द्रीय नीति की आलोचना	Criticism of Centre's Policy by State Governors	75—76

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
1841. पूर्वी पाकिस्तान में मणिपुरी युवकों को प्रशिक्षण	Training of Manipur Youths in East Pakistan	76
1842. कलकत्ता में जर्मनी के कौनूसल जनरल की पत्नी का तंग किया जाना	Harassment of German Consul-General's Wife in Calcutta	76—77
1843. प्रधान मंत्री के दौरे के समय इम्फाल में पुलिस द्वारा गोली चलाना	Police Firing in Imphal during Prime Minister's Visit	77
1844. पश्चिम बंगाल में नि:शुल्क शिक्षा के लिये केन्द्रीय राज सहायता	Central Subsidy for Free Education in West Bengal	77
1845. केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिये पी० टी० ओ०	Privilege Ticket Orders for Central Government Employees	77—78
1846. नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की मृत्यु की जाँच करने के लिये एक दूसरी जाँच समिति की नियुक्ति की मांग	Demand for Appointment of Another Enquiry Committee for going into the Causes of Death of Netaji Subhash Chandra Bose	78
1847. भारत के विभिन्न राज्यों में साम्यावादी दल द्वारा भूमि हथिया लेना	Grabbing of Land by Communist Party of India in Various States	78—79
1848. हड़तालों पर प्रतिबन्ध लगाने के बारे में संयुक्त परामर्श व्यवस्था के बारे में विधान	Legislation on Joint Consultative Machinery Regarding Banning of Strikes	79
1850. वैज्ञानिकों में बेरोजगारी	Unemployment Amongst Scientists	79
1851. माल्पे पत्तन के विकास के लिये यूगोस्लाविया से पेशकश	Offer from Yugoslavia for Development if Malpe Harbour	80
1852. विशिष्ट व्यक्तियों की सूची में सम्मिलित लोगों की श्रेणियां	Categories of Persons Included in VIP List	80
1853. अन्दमान तथा निकोबार द्वीपों में विशेष वेतन	Special Pay in Andaman and Nicobar Islands	81

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
1854. अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह में सरकारी कर्मचारियों को विशेष वेतन	Special Pay to Government Employees in Andaman and Nicobar Islands	81–82
1855. राज्य सरकारों द्वारा पोषक सड़कों के लिये की गई व्यवस्था	Provision made by State Governments for Feeder Roads	82—83
1856. मंगलौर स्थित सूरतकल क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज में सैप्टिक टैंकों के नि:स्त्राव के कारण गन्दगी	Insanitation Caused by Outflow of Septic Tanks at Surathkal Regional Engineering College, Mangalore	82
1857. दक्षिण कमारा जिले में पुलों के लिये व्यवस्था	Provision for Bridges in South Kanara District	83—84
1858. पश्चिम बंगाल में विधि तथा व्यवस्था की स्थिति	Law and Order Situation in West Bengal	84
1859. भारत और श्रीलंका का अन्तविश्वविद्यालय बोर्ड	Inter-University Board of India and Ceylon	84
1860. अंदमान तथा निकोबार द्वीप समूह में सरकारी कर्मचारियों का विशेष प्रतिकर भत्ता	Special Compensatory Allowance Government Employees in Andaman and Nicobar Islands	85
1861. अखिल भारतीय आधार पर पाठ्य पुस्तकों के बारे में सुझाव	Suggestion Regarding Production of School Text Books on All India Basis	85—86
1862. नये विश्वविद्यालयों की स्थापना	Setting up of New Universities	86—87
1863. भारत में खगोलीय टेलेस्कोप का लगाया जाना	Installation of Astronomical Telescope in India	87
1864. केन्द्रीय सचिवालय लिपिकीय सेवा (अपर डिवीजन ग्रेड) परीक्षा का विरोध	Protest against Holding of Central Secretariat Clerical Service (U. D. Grade) Examination	87—88

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
1865. इंडियन एसोसियेशन फार दी कल्टीवेशन आफ साइंस, कलकत्ता के कर्मचारियों द्वारा वेतनक्रमों के पुनरीक्षण हेतु आन्दोलन	Agitation by Employees of Indian Association for the Cultivation of Science, Calcutta for Revision of Pay Scales	89
1866. केन्द्रीय सड़क परिवहन प्रशिक्षण तथा अनुसंधान संस्थान की स्थापना	Setting up of Central Road Transport Training and Research Institute	90
1867. मंत्रालयों में वरिष्ठ हिन्दी अनुवादकों की नियुक्ति	Appointment of Senior Hindi Translators in Ministries	90—91
1868. पत्राचार पाठ्यक्रम कालिजों को दिल्ली विश्वविद्यालय से असम्बद्ध किये जाने के विरुद्ध विद्यार्थियों तथा अध्यापकों की मांग	Demand by Students and Teachers against Severance of Correspondence Courses Schools from University of Delhi	91—92
1869. कलकत्ता पत्तन से लाभ उठाने वाले लोगों पर अधिभार का लगाया जाना	Levy of Surcharge on Users of Calcutta Port	92
1870. दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा दिल्ली में दिल्ली परिवहन सेवा सम्बन्धी कालेज विद्यार्थियों की आवश्यकताओं संबंधी प्रतिवेदन का प्रकाशित किया जाना	Report of Delhi University on College Students' Requirements of DTU Transport Service in Delhi	92—93
1871. एयर इंडिया द्वारा भव्य होटलों का निर्माण	Luxuary Hotels by AIR India	93—94
1872. भारतीय सर्वेक्षण विभाग में ड्राफ्टस्मैनों के वेतनमानों में असमानता	Anomalies in Pay Scales of Draftsmen Working in Survey of India	94
1873. भारतीय सर्वेक्षण विभाग में काम करने वाले ड्राफ्टसमैनों की पदोन्नति संबंधी नियम	Rules Regarding Promotion of Draftsmen Working in Survey of India	94—96
1874. कलकत्ता में नाविकों के लिये सेवा की सुरक्षा	Job Security for Seamen in Calcutta	96

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
1875. इंजीनियरिंग कालेजों तथा पोलीटेक्नीक संस्थाओं में मिले जुले पाठ्यक्रम की अग्रिम परियोजना	Pilot Project of Sandwich Course in Engineering Colleges and Polytechnics	97
1876. रायल नेपाल एयरलाइन्स के विमान की दुर्घटना के बारे में जाँच	Inquiry into Accident to Royal Nepal Airlines Aircraft	97
1877. इलेक्ट्रानिक्स के क्षेत्र में विदेशों में काम कर रहे भारतीय वैज्ञनिक तथा इंजीनियर	Indian Scientists and Engineers Working Abroad in the Field of Electronics	98—100
1878. राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में निम्न प्राथमिकता प्राप्त सड़कों का निर्माण	Construction of Low Priority Roads in Border Areas of Rajasthan	100—101
1879. हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के विकास का एकीकृत कार्यक्रम	Integrated Development Programme of Hindustan Shipyard Ltd.	101—102
1880. एयर इंडिया रीजन के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल	Strike by Employees of Air India Region	102
1881. एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कालेज हैदराबाद की परामर्श सेवा का उपयोग	Use of Consultancy Services of Administrative Staff College, Hyderabad	102—103
1882. अखिल भारतीय स्कूल पाठ्य पुस्तक सम्मेलन	All India Conference of School Text Books	103—104
1883. हरिजनों का पीटा जाना तथा जलाया जाना	Beating and Burning of Harijans	105
1884. गुजरात में बन्दरगाहों का विकास	Development of Ports in Gujrat	105—106
1885. युनेस्को द्वारा मन्दिरों का नवीकरण	Renovation of Temples by UNESCO	106
1886. युवकों का सांस्कृतिक एवं नैतिक विकास	Cultural and Moral Development of Youth	106—107

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
1887. विश्वविद्यालयों में व्याप्त असंतोष	Discontentment Prevailing in Universities	107—10
1888. सरकारी कार्यालयों में हिन्दी का उत्तरोत्तर प्रयोग	Progressive Use of Hindi in Government Offices	108
1889. अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में हिन्दी का प्रयोग	Use of Hindi in Non-Hindi Speaking Areas	108—109
1890. चौथी पंचवर्षीय योजना में सरकारी तथा गैर-सरकारी बसों की यात्रा	Mileage to be Covered by Government and Private Buses during Fourth Plan Period	109
1891. आसाम में हवाई अड्डों का विस्तार	Expansion of Airports in Assam	109
1893. विदेशों से लौटे वैज्ञानिकों को रोजगार दिलाने में विलम्ब	Delay in Employment of Scientists Returned from Abroad	110
1894. हिन्दी सहायकों की पदोन्नति	Promotion of Hindi Assistants	110—11
1895. हिन्दी सहायकों तथा हिन्दी अनुवादकों की पदोन्नति	Promotion of Hindi Assistants and Hindi Translators	111
1896. मंत्रालयों में हिन्दी अनुवादकों के पद	Posts of Hindi Translators in Ministries	111—12
1897. वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक	Senior Hindi Translators	112
1898. आंग्ल भारतीय शिक्षण के अन्तरराज्य बोर्ड द्वारा चलाये जा रहे स्कूलों के बारे में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करना	Enforcement of National Education Policy in regard to Schools by Inter-States Board of Anglo-Indian Education	112—13
1899. हिन्दी टाइपराइटर का कूंजी फलक (की बोर्ड)	Key Board of Hindi Typewriter	113—16
1900. अंदमान तथा निकोबार द्वीप समूह के अध्यापकों को स्थायी करना	Confirmation of Teachers of Andaman and Nicobar Islands	116
1901. मैथिली भाषी जनता की जनगणना	Census of Maithili Speaking People	116-1

अता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
1902. सियालकोट के पास पाकिस्तानी विद्यार्थियों की गिरफ्तारी	Arrest of Pakistani Students Hailing from Sialkot	117
1903. निजी थैली के मामले को लेकर भूतपूर्व नरेशों द्वारा चुनाव लड़ना	Contesting of General Elections by Ex-rulers on Privy Purses Issue	117
1904. केन्द्रीय सरकार के पदों पर भर्ती के लिये नियमों में ढील	Relaxation of Rules for Recruitment to Central Posts	117—18
1905. हरियाणा से दिल्ली में चोरी छिपे शराब का आना	Smuggling of Liquor from Haryana into Delhi	118
1906. राष्ट्रीय एकता समितियों के लिये समन्वय समिति	Co-ordination Committee for National Integration Samities	118
1907. नेपाल के शिक्षा मंत्री की भारत यात्रा	Visit of Nepalese Education Minister to India	118—19
1908. राज्यों में केन्द्रीय सरकार की सम्पत्ति को क्षति	Damage to Central Property in States	119
1909. संसद् सदस्यों की विदेश यात्राएं	Visit by Members of Parliament Abroad	120
1910. गणतंत्र दिवस, 1968 के अवसर पर गौहाटी में दंगे	Distribution in Gauhati on Republic Day, 1968	120
1911. केन्द्रीय प्रशासित क्षेत्र के लिये और अधिक प्रशासनिक तथा वित्तीय शक्तियों की मांग	Demand for more Administrative and Financial Powers for Centrally Administered areas	120—21
1912. क्षेत्रीय इन्जीनियरिंग कालेज, श्रीनगर, के छात्रों द्वारा राष्ट्र ध्वज का अपमान	Insult to National Flag by Students of Regional Engineering College, Srinagar	121—22
1913. दिल्ली में पत्राचार पाठ्यक्रम के लिये दूसरा प्रांगण तथा पृथक विश्वविद्यालय	Second Campus and a Separate University for Correspondence Courses in Delhi	122
1914. दिल्ली में गुरु तेग बहादुर स्मारक	Guru Teg Bahadur Memorial in Delhi	122—23

अता० प्र० संख्या	विषय	पृष्ठ
U. S. Q. Nos.	Subject	Pages
1915. राजस्थान और काश्मीर में पाकिस्तानी जासूसों की गिरफ्तारी	Arrest of Pakistan Spies in Rajasthan and Kashmir	123
1916. विभिन्न भारतीय भाषाओं में पाठ्य पुस्तकों का अनुवाद कराने के लिये राज्य सरकारों को अनुदान	Grants to States for Translation of Text Books in different Indian Languages	123
1917. उर्दू के दर्जे के बारे में प्रधान मंत्री को ज्ञापन	Memorandum to Prime Minister on Status of Urdu	124
1918. दिल्ली आने वाले पर्यटकों के लिये निवास शिविर	Comping Site for Tourists Visiting Delhi	124
1919. निवारक निरोध अधिनियम की समाप्ति पर नजर बन्द व्यक्तियों की रिहाई	Release of Detenues on Expiry of Preventive Detention Act	124—25
1920. गुप्तचर विभाग को सुदृढ़ करना	Strengthening of Intelligence Department	125
1921. भारत में हिप्पियों की संख्या में वृद्धि	Increase in Number of Hippies in India	125—26
1922. भारतीय पर्यटन विकास निगम द्वारा होटलों की स्थापना	Setting up of Hotels by India Tourism Development Corporation	126
1923. कार निकोबार अराजपत्रित अधिकारी संस्था	Car Nicobar Non Gazetted Officers' Association	126—27
1924. सचेतकों के मद्रास में आयोजित 7वें सम्मेलन की सिफारिशें	Recommendations made in Seventh Whip's Conference held in Madras	127
1925. धोखादेही तथा अपराध विश्वास भंग के मामले	Cases of Cheating and Criminal Breach of Trust	127
1926. ईरान के विश्वविद्यालयों में हिन्दी तथा उर्दू का अध्ययन	Study of Hindi and Urdu in Iranian Universities	128
1928. असैनिक सेवायें (आचरण) नियम, 1964	Civil Services (Conduct) Rules, 1964	128

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
1929. धार्मिक पुस्तकों से पाठ पढ़ाये जाने का प्रभाव	Influence of Teaching by Lessons from Religious Books	128—29
1930. आरक्षित पदों का सामान्य पदों में बदलना	Conversion of Reserved Posts into General Posts	129—30
1931. दिल्ली प्रशासन, दिल्ली के शिक्षा विभाग में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के रक्षित कोटे में पदोन्नति	Promotion in Education Department of Delhi Administration, Delhi in the Reserved Quota for Scheduled Castes and Scheduled Tribes	130
1932. दिल्ली में सरकारी क्षेत्र के होटलों के एकीकरण के बाद कर्मचारियों की सेवा शर्तों में सुधार	Improvement in Workers Service Conditions after Amalgamation of Public Sector Hotels in Delhi	130—31
1933. खोसला आयोग की सिफारिशों की क्रियान्विति	Implementation of Recommendations of Khosla Commission	131—33
1934. अशोक होटल, नई दिल्ली में रिवालविंग टावर पारियोजना की आलोचना	Criticism regarding Revolving Tower Project of Ashoka Hotel New Delhi	133
1935. बुनियादी शिक्षा पद्धति तथा अनिवार्य सैनिक प्रशिक्षण लागू करना	Introduction of Basic Education System and Compulsory Military Training	134
1936. उत्तर प्रदेश में सड़कों और पुलों का निर्माण	Construction of Roads and Bridges in Uttar Pradesh	134—35
1937. उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजपथों की कुल मील दूरी	Total Mileage of National Highways in Uttar Pradesh	135—36
1938. केन्द्री सड़क निधि में से उत्तर प्रदेश को सड़क विकास योजनाओं के लिये दिया गया अनुदान	Grants for Road Development Schemes given to Uttar Pradesh from Central Road Fund	136—37
1939. केन्द्रीय तथा राज्य के क्षेत्रों को निधियों का आवंटन	Allocation of Funds to Central and State Sectors	137

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
1940. कालिज तथा स्कूल के विद्यार्थियों के लिये दिल्ली परिवहन की बसों को चलाया जाना	Running of DTU Buses for College and School Students	138
1941. ईसाई बनाना	Conversions to Christianity	138—39
1942. विद्यार्थियों में सामाजिक बुराइयां दूर करना	Abolition of Social Evils among Students	140
1943. लाइफ इन लिबरेटेड विलेजिज नामक लेख	Life in Liberated Villages	140
1944. मध्य प्रदेश में बच्चों को मध्याह्न भोजन	Mid day Meals to Children in Madhya Pradesh	140—41
1945. रामगढ़ (मध्य प्रदेश) में प्राप्त पूर्वेतिहासिक उपकरण	Pre Historic Implements Found at Ramgarh (Madhya Pradesh)	141
1946. मध्य प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिये सड़कों का निर्माण	Construction of Roads for Development of Rural Areas in Madhya Pradesh	141
1947. हवाई अड्डों पर प्रशुल्क मुक्त दुकानें	Duty Free Shops at Airports	141—42
1948. गैर-सरकारी असैनिक विमान कम्पनियों के विमान सेवा मार्गों को सरकार द्वारा अपने हाथ में लिया जाना	Taking Over by Government of Routes Operated by Private Civil Aviation Companies	142
1949. रिहायशी पब्लिक स्कूलों में दाखिले के लिये योग्यता छात्रवृत्ति परीक्षा	Merit Scholarship Examination for Admission to Residential Public Schools	142—43
1950. पब्लिक स्कूलों में प्रवेश के लिये योग्यता छात्रवृत्तियों की संख्या में वृद्धि	Increase in Number of Merit Scholarships for Admission to Public Schools	143—44
1951. मनीपुर, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली तथा त्रिपुरा को राज्य का दर्जा देने की मांग	Demands for Statehood to Manipur Himachal Pradesh in Delhi and Tripura	144—45

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
1952. मनीपुर के एक गांव में अग्निकांड	Fire in a Manipur Village	145
1953. मनीपुर में गांव के चौकीदार के वेतन में वृद्धि	Revision of Pay of Village Chowkidars in Manipur	145
1954. मनीपुर के लिये खेलकूद स्टेडियम का निर्माण	Construction of Sports Stadium at Manipur	146
1955. सरकारी उपक्रमों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों की भर्ती से सम्बन्धित उच्च शक्ति प्राप्त समिति का प्रतिवेदन	Report of High Power Committee on Recruitment of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Public Under Takings	146
1956. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों के लिये विदेशों में शिक्षा ग्रहण करने हेतु छात्रवृत्तियां	Overseas Scholarships to SC and ST Students	146
1957. राज्यों में निवारक निरोध अधिनियम के व्यपगत होने का प्रभाव	Effect of Laps of Preventive Detention Act in States	147
1958. हैदराबाद में ट्रांसमिटरों का पकड़ा जाना	Detection of Transmitters in Hyderabad	147
1959. हिन्दी का प्रचार तथा विकास	Propagation and Development of Hindi	147
1960. वज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् में अनियमितताओं की जाँच	Enquiry in Irregularities in CSIR	148
1961. संसद् में अधिनियमों तथा विधेयकों के मूल पाठ हिन्दी में प्रस्तुत करना	Presentation of Original Texts of Bills and Acts in Hindi in Parliament	148—49
1962. प्रादेशिक इंजीनियरी कालेज दुर्गापुर के छात्रों को सुविधायें देने के लिये नियत की गई धन राशि का दुर्विनियोग	Misappropiration of Funds Allocated for Amenities to Students of Regional Engineering College, Durgapur	149—50

अता० प्र० संख्या	विषय	पृष्ठ
U. S. Q. Nos.	Subject	Pages
1963. प्रादेशिक इंजीनियरी कालेज, दुर्गापुर के मैस कर्मचारियों द्वारा हड़ताल	Strike by Mess Employees of Regional Engineering College, Durgapur	150
1964. चौथी कक्षा के बाद शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की प्रतिशतता में कमी	Decrease in Percentage of Studednts getting Education after Fourth Standard	151
1965. तेलंगाना क्षेत्र को अधिक स्वायत्तता	Greater Autonomy to Telengana Region	151—52
1966. एक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या को सीमित किया जाना	Limit on Number of Students in one Class	152
1967. सीमा सुरक्षा दल द्वारा चीनी राष्ट्रिकों की गिरफ्तारी	Arrest of Chinese Nationals by BSF	152
1968. सेना के एक जनरल को मिजो पहाड़ी जिले में आयुक्त के पद पर नियुक्त करना	Appointment of in Army General as Commissioner of Mizo Hills District	152—53
1969. समुद्र पार व्यापार में भारतीय नौवहन का हिस्सा	Indian Shippings Share in Overseas Trade	153—54
1970. प्रकाशनों को एयर इंडिया द्वारा परिवहन/सेवा ठेके दिया जाना	Air India's Transportation/Service Contracts to Publications	154—55
1971. कार निकोबार के सार्वजनिक कार्य यूनियन से प्राप्त अभ्यावेदन	Representation from Public Works Union Car Nicobar	155
1972. उपाधि प्राप्तकर्ताओं के विरुद्ध जांच	Investigation against Recipients of Awards	155
1973. मरम्मत की गई बैटरियों का केरेवेल विमानों में प्रयोग	Use of Relclaimed Batteries on Caravelle Aircraft	155—56
1974. भारत में विदेशी एयर-लाइनों द्वारा जम्बो जैट विमान सेवा का लागू किया जाना	Introduction of Jumbo Services in India by Foreign Airlines	156

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय Subjects	पृष्ठ Pages
1975. प्रधान मंत्री के किसी राज्य के दौरे से पूर्व उसके मुख्य मंत्री से परामर्श	Consultation with State Chief Minister before Prime Minister's Tour to that State	157
1976. संसद् के सत्र का सप्ताह के आरम्भ के बजाय सप्ताह के अन्त में प्रारम्भ होना	Commencement of Current Parliament Session at Week end Instead of at the Beginning of a Week	157—58
1977. भारतीय असैनिक अधिकारियों को सरकार की विचारधारा के अनुकूल करना	Attuning Indian Civil Servants to Ideologies of Government	158—59
1978. दिल्ली परिवहन उपक्रम के मामलों का प्रबन्ध करने के लिये सांविधिक निकाय	Statutory Body to Manage Delhi Transport Undertaking Affairs	159
1979. शान्ति सेना का बनाया जाना	Organisation of Shanti Sena	159
1980. नागपुर बन्द	Nagpur Bandh	159—60
1982. नई दिल्ली में सरकारी कालोनियों में समाज सदनों का दुरुपयोग	Misuse of Community Halls in Government Colonies in New Delhi	160
1983. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कल्याण संघ	Class IV Employees Welfare Association	161
1984. दिल्ली के कालेजों में राष्ट्रीय छात्र सेना दल के स्थान पर राष्ट्रीय सेवा योजना का आरम्भ किया जाना	Introduction of National Services Scheme in Lieu of NCC in Delhi Colleges	161—62
1985. पंजाब विश्वविद्यालय तथा अलीगढ़ विश्वविद्यालय की टीमों के मैच के समय दर्शकों तथा गैर मुस्लिम विद्यार्थियों पर आक्रमण	Attack on Audience and Non-Muslims by Students of Muslims University during a Match between Team of Punjab University and Aligarh University	162
1986. सरकारी कामकाज के लिये हिन्दी का प्रयोग	Use of Hindi in Government Work	162—63
1987. मुख्य मंत्रियों के अधिकार	Powers of Chief Ministers	163

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subjects	पृष्ठ Pages
1988. सेनाओं का गठन	Formation of Senas	163
1989. भारतीय राजपथों के बारे में संयुक्तराष्ट्र की एशिया तथा सुदूरपूर्व एशियाई राजपथ समन्वय समिति की टिप्पणी	Observations of Asian Highway Coordinating Committee of ECAFE regarding Indian Highways	163—64
1990. संगीत तथा अन्य क्षेत्रों में प्रतिभाशाली युवक कलाकारों को छात्रवृत्तियां	Scholarships for Talented Young in Music and other Fields	164
1991. गैर सरकारी क्षेत्र के उड्डयन संचालकों को गैर प्रथमिकता वाले मार्गों पर पूरक सेवाएं सोंपने का प्रस्ताव	Proposal to give Feeder Services and Non-Priority Routes to Private Sector Aviation Operators	164—65
1992. एक भारतीय फर्म द्वारा लंका में एक पंच तारक (फाइन स्टार) होटल का निर्माण	Construction of a 5 Star Hotel in Ceylon by an Indian Firm	165
1993. भारत में वरिष्ठ पदों पर फ्रांसीसी व्यक्तियों को लगाने की एयर फ्रांस की नीति	Policy of Air France Regarding Staffing of Senior Posts in India	165—66
1994. मैसूर महाराष्ट्र सीमा विवाद	Mysore Maharashtra Border Dispute	166
1995. सैक्शन आफिसरों के लिये संघ लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षा	UPSC Examination for Section Officers	166—67
1996. राज्यों में साम्प्रदागिक दंगों की राकथाम	Preventation of Communal Trouble in States	167
1997. राजस्थान विश्वविद्यालय तथा उससे सम्बद्ध कालेजों के अस्थायी अध्यापक	Temporary Teachers of Rajasthan University and its affilated Colleges	168
1998. इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के सेवानिवृत्त विमान चालक के बारे में पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री का वक्तव्य	Statement by Minister of Tourism and Civil Aviation regarding Retired Pilot of IAC	168—69

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subjects	पृष्ठ Pages
1999. पर्यटकों के लिये अधिक सुविधाओं की व्यवस्था	Provision of more Comforts for Tourists	169
2000. पंजाब के पुनर्गठन के फल-स्वरूप कर्मचारियों का पुन: बंटवारा	Reallocation of Staff on Recognisation of Punjab	170
2001. मछलियों को डिब्बों में बन्द करने में अस्वच्छता	Unhygienic Canning of Fish	170
2002. रिफार्मर हाइड्रोजन कम्प्रेशर खराब होने से कोचीन शोधनशाला बन्द होना	Closure of Cochin Refinery due to Breakdown of Reformer Hydrogen Compressor	170—71
2004. गर्भ निरोधक गोली के प्रयोग पर रोक	Restriction on Use of Pill	171—72
2005. मध्य प्रदेश में नगरीय तथा ग्रामीण जल प्रदाय	Urban and Rural Water Supply Scheme in Madhya Pradesh	172
2006. छोटे उद्यमियों को ऋण की सुविधायें देने के संबंध में रिजर्व बैंक आफ इण्डिया का परिपत्र	Circular Issued by Reserve Bank of India regarding Credit Facilities to Small Enterpreneours	172—73
2007. मध्य प्रदेश में आयकर के अनिर्णीत मामले	Pending Income Tax Cases in Madhya Pradesh	173
2008. मध्य प्रदेश में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा हथकरघा तथा बिजली चालित करघा बुनकरों को ऋण की सुविधायें	Loan Facilities to Handloom and Power-loom Weavers by Nationalised Banks in Madhya Pradesh	173
2009. मध्य प्रदेश के बरहामपुर नगर में राष्ट्रीयकृत बैंक	Nationalised Banks in Burhampur City of Madhya Pradesh	174
2010. परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिये राज्यों को अनुदान	Grants to States for Family Planning Programme	174—75
2011. लक्ष्मीबाई नगर फ्लैट निवासी कल्याण संघ, नई दिल्ली की शिकायतें	Complaints by Laxmibai Nagar Flats' Residents' Welfare Association, New Delhi	175—76

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subjects	पृष्ठ Pages
2012. नई दिल्ली में मैस भवनों तथा उनके क्वार्टरों का रखरखाव	Maintenance of Mess Building and their Quarters in New Delhi	176—77
2013. राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिये गये ऋणों की वसूली	Recovery of Loans Advanced by Nationalised Banks	177
2014. इलैक्ट्रो माइकोस्कोप परीक्षणों द्वारा रक्त कैंसर पृथक्करण का अध्ययन	Study of Isolation or Blood Cancer by Electro Microscope Experiments	177
2016. गुजरांवाला गृह-निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड, दिल्ली द्वारा अपने सदस्यों को प्लाटों का नियतन	Allotment of Plots by the Gujranwala House Building Co-operative Society Ltd , Delhi to its Members	178
2017. गुजरांवाला गृह-निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड, दिल्ली	The Gujranwala House Building Co-operative Society, Delhi	179
2018. गुजरांवाला गृह-निर्माण सहकारी समिति, दिल्ली	Gujranwala House Building Co-operative Society, Delhi	180—81
2019. सरकारी तेल शोधशालाओं में स्नेहक तेल का उत्पादन	Production of Lubricating Oils at Public Sector Refineries	181
2020. हीराकुण्ड (उड़ीसा) में महानदी के समीप हीरों की चट्टानें पाई जाना	Diamond Rocks Found Near Mahanadi River at Hirakud (Orissa)	182
2021. सहकारी समितियों को 'सामूहिक आवास' के लिये भूमि	Land for 'Group Housing' to Cooperative Societies	182—83
2022. राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के तकनीकी विभाग के कार्य	Functions of Technical Cell of NMDC	183
2023. खनन समस्याओं के बारे में भारतीय खान विभाग द्वारा किया गया अनुसंधान	Research done by Indian Bureau of Mines in Mining Problems	183—84
2024. खनन की तकनीक और तरीकों सम्बन्धी प्रकाशनों की कमी	Shortage of Publications on Mining Techniques and Methods	185

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subjects	पृष्ठ Pages
2025. खान तथा धातु परियोजनाओं के लिये विदेशी तकनीकी जानकारी	Foreign Technical Know how for Mines and Metals Projects	185—86
2026. दिल्ली नगर निगम द्वारा श्यामा प्रसाद मुखर्जी कालोनी का लिया जाना	Taking over of Shyama Prasad Mukerjee Colony by Delhi Municipal Corporation	186—87
2027. मैसर्स राधाकृष्ण विमल कुमार के नाम में मिट्टी के तेल का कारोबार करने वाली फर्म	Firms dealing in Kerosene Oil in the Name of M/s Radhakrishan Vimal Kumar	187—88
2028. मारीशस के उर्वरक निगम के साथ भारत का सहयाग	India's Collaboration with Mauritius Fertilizers Corporation	188
2029. चोरी छिपे लाये गये हीरों को जब्त किये जाने के बारे में जाँच	Enquiry into Seizure of Smuggled Diamonds	188
2030. दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की सप्लाई और जल निकासी व्यवस्था में सुधार करने के लिये अनुदान	Grants to Improve Supply of Water and Drainage in Rural Areas of Delhi	189—90
2031. राजस्थान तथा तमिलनाडु में अकालग्रस्त क्षेत्रों के लिये केन्द्रीय सहायता	Central Assistance for Famine Hit Areas in Rajasthan Tamilnadu	190—91
2032. मोहन सिंह प्लेस, नई दिल्ली के व्यापारियों से स्थायी पुनर्वास के अधिकारों के लिये अभ्यावेदन	Representation from Traders of Mohan Singh Place, New Delhi for Permanent Rehabilitation Rights	191
2033. डेनमार्क के शिष्टमंडल की भारत यात्रा	Visit by Danish Delegation	191—92
2034. पृथ्वी की आयु पर खोज	Research on Age of Earth	192
2035. दिल्ली के एक मजिस्ट्रेट द्वारा ब्रिटेन से लाये गये रिवाल्वर	Revolvers Brought by a Delhi Magistrate from U. K.	192—93

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subjects	पृष्ठ Pages
2036. केप्रोलेक्टम परियोजना सहित गुजरात के पेट्रोरसायन उद्योग समूह के चालू करने में विलम्ब	Delay in Commissioning of Gujarat Petro-Chemical Complex Including Caprolactum Project	93—94
2037. विदेशी कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण	Nationalisation of Foreign Companies	194
2038. कम्पनियों को दिये गये ऋणों का साम्य पूंजी अंशों में परिवर्तन	Conversion of Loans given to Companies into Equity Capital	194
2039. कर अपवंचन के अनुमान	Estimates of Evasion of Taxes	194—95
2040. अलौह धातुओं के मूल्यों का उद्योगों पर प्रभाव	High Prices of Non-Ferrous Affecting Industries	195
2041. केन्द्रीय सरकार और पंजाब नैशनल बैंक द्वारा मैसर्स आसाम सिलिमेनाइट्स को दिये गये ऋण	Loans Advanced by Central Government and Punjab National Bank to M/s Assam Silimanitis Ltd.	195—96
2042. कोचीन उर्वरक परियोजना में काम देने के लिये एस० एस० एल० सी० परीक्षा पास बेदखल व्यक्तियों के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम	Training Programme for SSLC Examination Passed Evictees for Jobs in Cochin Fertilizer Project	196
2043. पिछड़े वर्गों का सहायता देने के लिये राज्यों में वित्त निगम स्थापित करना	Setting up of Finance Corporation in States to Assist Backward Classes	196—97
2044. विश्व बाजार के लिये अभ्रक अयस्क का संरक्षण तथा विकास	Preservation and Development of Mica Ore for World Market	197
2045. मध्य प्रदेश में नाइलोन धागे के कारखाने की स्थापना	Setting up of Nylon Yarn Plant in M. P.	197—98
2046. भारत की उर्वरकों की आवश्यकताओं का अध्ययन करने के लिये पश्चिम जर्मन रिकन्स्ट्रक्शन लोन कारपोरेशन के प्रतिनिधि मंडल का भारत आना	Visit by West Germany's Reconstruction Loan Corporation Delegation to Study India's Fertilizer Needs	198

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subjects	पृष्ठ Pages
2047. डेरा इस्माइलखां कोआपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी लिमिटेड, दिल्ली को आवंटित भूमि का विकास	Development of Land Allotted to the Dera Ismail Khan Cooperative House Building Society Ltd., Delhi	198—99
2048. चौथी योजना के लिये विदेशी सहायता	Foreign Aid for Fourth Plan	199
2049. दक्षिण अफ्रीका को चलचित्रों का अवैध निर्यात	Illegal Export of Motion Pictures to South Africa	199—200
2050. केन्द्रीय मंत्री द्वारा दिल्ली के हड़ताली भंगियों के नेता को कथित आश्रय	Alleged Shelter to the Striking Delhi Sweepers Leader by a Central Minister	200—201
2051. डेनमार्क से सहायता	Aid from Denmark	201
2052. ग्रीन फील्ड कालोनी के कालोनाइजरों के विरुद्ध शिकायतें	Complaints against the Colonisers of the Green Fields Colony, New Delhi	201—202
2053. केरल में प्रतिरक्षा लेखा कार्यालय	Office of Defence Accounts in Kerala	202
2054. अविभाजित भारत द्वारा किये गये सार्वजनिक ऋणों में से पाकिस्तान द्वारा अपने भाग का भुगतान न किया जाना	Non-Payment of Pakistan Contribution toward Public Debts of Undivided India	202—203
2055. केन्द्रीय सरकार की दमकल सेवा में पदोन्नति	Promotion in the Fire Service of Central Government	203
2056. मंहगाई भत्ते का जीवन निर्वाह सूचकांक के साथ जोड़ा जाना	Linking up of Dearness Allowance with Cost of Living Index	203
2057. गुजरात राज्य को सहायता	Assistance to Gujarat State	204
2058. विषाक्त आजीमोन अपमिश्रित खाद्य तेलों से बीमारियों का होना	Cooking Oil Adulterated with Toxic Aggemone Causing Diseases	204—205
2059. काश्मीर में चरस की खेती	Cultivation of Charas in Kashmir	205

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subjects	पृष्ठ Pages
2060. सोना तथा अन्य माल की तस्करी	Smuggling of Gold and other Goods	205—206
2061. पंजाब नैशनल बैंक लिमिटेड में सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद	Purchase of Government Securities in the Punjab National Bank Ltd.	206
2062. विभिन्न बैंकों के निदेशकों के विरुद्ध जाँच	Probe against the Directors of Different Banks	206—207
2063. सेवा निवृत्त होने वाले एक सिविल इन्जीनियर को भारत अल्यूमीनियम कम्पनी लिमिटेड के अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक के पद पर नियुक्त करना	Appointment of a Retiring Civil Engineer on the Post of Chairman-cum-Managing Director of Bharat Aluminium Co. Ltd.	207—208
2064. सिन्दरी उर्वरक कारखाने के योजना तथा विकास डिवीजन द्वारा लाभ कमाया जाना	Profits Earned by Planning and Development Division of Sindri Fertilizers	208
2065. विद्युत की अपर्याप्त सप्लाई के कारण नांगल उर्वरक कारखाने में उत्पादन में कमी	Loss in Production of Nangal Fertillzer Factory due to inadequate Supply of Electricity	208
2066. गत वर्ष सिन्दरी उर्वरक कारखाने की हुई हानि	Loss Incurred by Sindri Fertilizer Factory during Last Year	209
2067. मनीपुर लोक निर्माण विभाग में कार्य भारित कर्मचारियों की संख्या	Strength of the Work-Charged Staff in the Manipur P. W. D.	209—10
2068. मनीपुर के अस्पतालों तथा औषधालयों के लिये डाक्टरों तथा चिकित्सा कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि	Increase in the Strength of Doctors and Medical Staff for Hospitals and Dispensaries of Manipur	210—11
2069. मनीपुर के लिये चौथी पंचवर्षीय योजना में नया मैडिकल कालिज स्थापित करना	Setting up of New Medical College during the Fourth Plan for Manipur	212
2070. मनीपुर में मानसिक रोग अस्पताल खोलना	Setting up of Mental Hospital in Manipur	212

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय Subjects	पृष्ठ Pages
2071. नीदरलैंड से ऋण	Loan from Notherlands	213
2072. निर्माण तथा आवास मंत्रालय सहकारी आवास निर्माण समिति, दिल्ली	The Ministry of Works and Housing Cooperative House Building Society, Delhi	213—14
2073. सीमावर्ती क्षेत्र में मलेरिया के उन्मूलन हेतु एक समान तरीके का अपनाया जाना	Uniform Pattern of Malaria Eradication Work for the Border Areas	214—15
2074. कुष्ठ रोग सम्बन्धी विचार गोष्ठी	Seminar on Leprosy	215—16
2075. पश्चिम जर्मनी से ऋण	Loans from West Germany	216
2077. चेरुप्पा (केरल) में लौह अयस्क के निक्षेपों के लिये सर्वेक्षण	Survey for Iron Ore Deposits at Cheruppa (Kerala)	216
2078. विभिन्न गृह-निर्माण योजनाओं के लिये राज्यों को ऋण	Loans to States for Various Housing Schemes	217—18
2079. सिक्योरिटी प्रैस की स्थापना	Setting up of Security Press	218
2080. बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद जमा राशि में वृद्धि	Increase in Deposits after Bank Nationalisation	218—19
2081. प्रतिजीवाणु परियोजना, ऋषिकेश, का उत्पादन	Production at Anti Biotics Project, Rishikesh	219
2082. बिहार शरीफ जिला पटना, बिहार में स्थापित बैंक शाखाएं तथा ऋण प्राप्ति के लिये प्रार्थना करने वाले व्यक्ति	Branches of Banks Set up in Bihar Sharif, District Patna, Bihar and Applicants for Loans	220
2083. अशोधित तेल का आयात	Import of Crude Oil	220
2084. हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी सम्बन्धी तकनीकी समिति का प्रतिवेदन	Report of Technical Committee on Hindustan Housing Factory	221—2
2085. राज्य व्यापार निगम द्वारा सरकारी उद्यम ब्यूरो को दिया गया ज्ञापन	Memorandum from the State Trading Corporation to the Bureau of Public Enterprises	222

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय Subjects	पृष्ठ Pages
2086. पूंजी निवेश की प्रणाली में परिवर्तन	Change in Investment Pattern	222—23
2087. मलेरिया महामारी	Malaria Epidemic	223—24
2088. दिल्ली में अनधिकृत बस्तियों का भविष्य	Fate of Unauthorised Colonies in Delhi	224
2089. हीरा खनन के लिये गैर सरकारी उद्यमियों के साथ राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का सहयोग	Collaboration of NMDC with Private Enterprise for Diamond Mining	224—25
2090. भारत में विदेशी बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बारे में अमरीका को प्रधान मंत्री द्वारा दिया गया आश्वासन	Assurance given by the Prime Minister to USA Regarding Nationalisation of Foreign Banks in India	225
2091. आयकर निर्धारण	Income Tax Assessments	225—28
2092. कोयला मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को राष्ट्रीय कोयला विकास निगम द्वारा लागू न किया जाना	Non-Implementation of Coal Wage Board Recommendations by NCDC	228—29
2093. भारत की विदेशी अस्तियां	India's Foreign Assets	229
2094. भारत को अमरीकी सहायता में कमी	Reduction on US Aid to India	229
2095. चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिये दो कमरों वाले मकानों के निर्माण हेतु धन-राशि	Funds for the Construction of Two Roomed Quarters for Class IV Employees	230
2096. सरकार की वित्तीय नीति पर मिस्टर जान हिक्स के विचार	Remarks by Mr. John Hicks on the Monetary Policies of Government	230
2097. औद्योगिक आवास याजना	Industrial Housing Scheme	230—31
2098. मंत्रालय में केन्द्रीय संचिवालय क्लर्क सेवा के कर्मचारी	Central Secretariat Clerical Service Staff in the Ministry	231

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subjects	पृष्ठ Pages
2099. भारतीय तेल निगम को हिन्द गैलवेनाइजिंग एण्ड इन्जीनियरिंग कम्पनी द्वारा आयात की गई इस्पात की 18 गेज की चादरों की सप्लाई	Supply of Barrels to IOC by Hindi Galvanising and Engineering Co. against Supply of Imported 18 Gauge Steel Sheets	232
2100. जम्मू तथा काश्मीर राज्य में गंधक और सुहागे के भण्डारों का पता लगना	Location of Sulphur and Borax Deposit in Jammu and Kashmir State	233
2101. अखिल भारतीय कांग्रेस समिति को अंशदान पर आयकर	Income Tax on Contribution to AICC	233
2102. आयकर अधिकारियों की आस्तियों की जांच	Inquiry into the Assets of Incom Tax Officers	233—234
2103. ब्रिगेडियर होशियार सिंह रोड, सरोजिनी नगर, नई दिल्ली के पास खाली प्लाट से मलवा हटाने की कार्यवाही	Measure to Remove Fifth from the Vacant Plots near Brigadier Hoshiar Singh Road, Sarojini Nagar, New Delhi	234
2104. नई दिल्ली नगर पालिका के औषधालयों के लिये घटिया दवाइयां खरीदना	Purchase of Sub Standard Medicines for NDMC Dispensaries	234—35
2105. भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों तथा अन्य अधिकारियों को प्रशिक्षण के लिये आर्थिक विषय विभाग में भेजना	Sending of IFS and other Officers for Training in the Department of Economic Affairs	235
2106. सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में प्रतिनियुक्त व्यक्ति	Deputationist in Public Sector under Takings	235—36
2107. लूबे इंडिया लिमिटेड के एक प्रैस सम्मेलन में गैर-सरकारी क्षेत्र के विदेशी सहयोग कर्त्ताओं द्वारा सरकार की कथित आलोचना	Alleged Criticism of Government by Foreign Private Sector Collaborator at a Press Conference of Lube India	236—37

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subjects	पृष्ठ Pages
2108. मंडी हाउस और सिकन्दरा रोड हटमैंट्स, नई दिल्ली के अलाटियों को बारी से पूर्व आवंटन सम्बन्धी पुनर्विलोकन समिति	Review Committee on out of Turn Allotment to Allottees of Mandi House and Sikandra Road Hutments, New Delhi	237—38
2109. भारत के निर्यात के वित्त पोषण के लिये अमरीकी कम्पनी	US Company for Financing India's Exports	239
2110. अमरीका में मंदी का भारत की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव	Impact of Recession in USA on India's Economy	239—40
2111. बिना नाम वाली पोलिसियों के चुने हुए रेजों के लिये प्रीमियम दरें	Premium Rates for Selected Range of Non Profit Policies	240—41
2112. लूप के कारण गर्भपात तथा कैंसर	Loop Causing Abortion and Cancer	241
2113. शेयर तथा ऋण पत्रधारियों को राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा अग्रिम धनराशि	Advances to Holders of Shares and Debentures by Nationalised Banks	241—42
2114. गुजरात में कास्टिक सोडा क्लोरीन संयंत्र स्थापित करने में विलम्ब	Delay in Setting up Caustic Soda Chlorine Plant in Gujarat	242—43
2115. राज्यों को अकाल, सूखा तथा बाढ़ सहायता	Aid to States for Famine, Drought and Flood Reliefs	243
2116. विभिन्न नामों की आक्सीटेट्रासाइक्लीन के चिकित्सीय गुणों की जांच	Enquiry into Medical value of Different Brands of Oxytetracycline	243—45
2117. सब डिविजनों में नियुक्त ड्राफ्टसमेनों के कार्य	Duties of Draftsman Posted in CPWD Sub-Division	245—46
2118. केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में सैक्शनल अफसरों को स्कूटर भत्ता	Scooter Allowances to Sectional Officer in CPWD	246
2119. विषाक्त भोजन के कारण मौतें	Deaths due to Food Poisioning	246—247

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय Subjects	पृष्ठ Pages
2120. केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में कार्यभारित कर्मचारियों पर निमंत्रण	Control on Worked Charged Staff in CPWD	247—48
2121. बिहार में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं खोलना	Opening of Branches of Nationalised Banks in Bihar	218
2122. क्लोरां टेट्रासाइक्लीन का पशुओं के आहार के रूप में प्रयोग	Use of Chloro Tetracycline as Animal Feed	248
2123. पैट्रोलियम तथा रसायन मंत्रालय द्वारा कौल गैसिफिकेशन प्लांट अपने नियंत्रण में लिया जाना	Taking over of Coal Gasification Plant by Ministry of Petroleum and Chemicals	248—49
2124. पैट्रोलियम उत्पादों की मांग तथा उत्पादन	Demand and Production of Petroleum Products	249
2125. भारतीय रुपये का अवमूल्यन	Devaluation of Indian Rupee	249—50
2126. जीवन बीमा निगम के ग्रामीण क्षेत्रों में बीमा सम्बन्धी व्यापार में वृद्धि	Increase in Rural Business of LIC	250
2127. बम्बई के नारंग ब्रदर्स की आयकर की बकाया धनराशि	Income Tax due from Narang Brothers of Bombay	251
2128. मैसर्स कनारा इंजीनियरिंग कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड, बम्बई द्वारा आयकर की चोरी	Income Tax Evasion by M/s Canara Engineering Co. (P) Bombay	251
2129. दिल्ली में टी० बी० एसोसियेशन द्वारा सर्वेक्षण	Survey by the T. B. Association in Delhi	252
2130. गृह-निर्माण योजनाओं की परीक्षा	Examination of Housing Schemes	252
2131. नगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में खोली गई राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं	Branches of Nationalised Banks Opened in Urban and Rural Areas	252
2132. राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा लोगों को रोजगार दिया जाना	Employment Provided to People by Nationalised Banks	253

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subjects	पृष्ठ Pages
2133. सुनौली पोखरा राजपथ निर्माण परियोजना के लोअर डिवीजन क्लर्कों की अपर डिवीजन क्लर्कों के पद पर पदोन्नति	Promotion of Power Division Clerks to Upper Division in Sunouli Pokhra Highways Construction Project	253
2134. संसद् सदस्यों तथा मंत्रियों के विदेशों के दौरे	Members of Parliament and Ministers Visiting Foreign Countries	254
2135. व्यवहारिक अनुसंधान की राष्ट्रीय परिषद् द्वारा औद्योगिक समस्याओं का अध्ययन	Study of Industrial Problems by the National Council of Applied Research	254
2136. खीमजी पूंजा चण्ड कम्पनी, बम्बई की ओर आयकर की बकाया धनराशि	Income Tax due from Khimji Punja and Co. Bombay	254—55
2137. हैदराबाद करनूल बस में एक यात्री के पास से सोने का पकड़ा जाना	Seizure of Gold from a Passenger in Hyderabad Kurnool Bus	255
2138. अन्दमान और निकोबार प्रशासन द्वारा सैक्शन अफसरों की सहायक कार्यकारी इंजीनियरों के पदों पर पदोन्नति	Promotion of Sectional Officers to the Grade of Assistant Executive Engineers by Andaman and Nicobar Islands Administration	255—56
2139. डाक्टरों का दिल्ली से अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह में स्थानान्तरण	Transfer of Doctors from Delhi to Andaman and Nicobar Islands	256
2140. ग्लोब फाइनेंस कम्पनी के विरुद्ध कार्यवाही	Action against Globe Finance Company	256—257
2141. फर्टिलाइजर एण्ड कैमिकल्स (त्रावनकोर) लिमिटेड में प्रचार सहायकों की नियुक्ति	Appointment of Publicity Assistants in FACT	257
2142. त्रावनकोर कोचीन कैमिकल्स, अलवाये के कार्य में कथित हस्तक्षेप	Alleged Interference in the Working of Travancore Cochin Chemicals, Alwaye	257

तारांकित प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subjects	पृष्ठ Pages
2143. वर्ष 1969 के दौरान जीवन बीमा निगम द्वारा किया गया कारोबार	Life Insurance Corporation Business during 1969	258
2144. निम्न आय वर्ग के व्यक्तियों को किराया खरीद के आधार पर बने बनाये मकानों की बिक्री	Sale of Built Houses on Hire Purchase Basic Persons Belonging to Low Income Group	259
2145. विदेशी मुद्रा बोर्ड	Foreign Exchange Board	259
2146. आन्ध्र प्रदेश में पाई गई हीरे की नई खानें	New Diamond Mines Spotted in Andhra Pradesh	259--60
2147. मीठा नीम के पत्तों में कैंसर निरोधक तत्व	Anti Cancer Activity of Curry Leaves	260—61
2148. ग्रामीण जनता के लिये पीने के पानी की व्यवस्था	Drinking Water Facilities for the Rural Folk	261--262
2149. बड़े अनुसूचित बैंकों की शाखायें	Branches of Major Scheduled Banks	262 63
2150. दिल्ली में भूमि और आवास सम्बन्धी समस्याओं के बारे में डा० आशीश बोल द्वारा दिये गये सुझावों पर कार्य-वाही	Action taken on the Suggestions of Dr. Ashish Bose for Land and Housing Problems in Delhi	263--64
2151. ऋण को अदायगी की अवधि में छूट	Moratorium on Debt Repayment	264—65
2152. बैंकों द्वारा 2500 रुपये से अधिक धनराशि के प्रयोग किये गये चैकों का वापिस किया जाना	Returning of Used Cheques by Banks above Rs. 2,500	265
2153. जनहित निधि, लखनऊ को आयकर देने में छूट देना	Grant of Exemption from Payment of Income Tax to Janhit Nithi Lucknow	265
2154. राज्यों के आवास मंत्रियों का सम्मेलन	State Housing Ministers' Conference	265—66
2155. आयकर विभाग में हिन्दी का प्रयोग	Use of Hindi in Income Tax Department	266

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subjects	पृष्ठ Pages
2156. दिल्ली के राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा टांगेवालों, रिक्शा चालकों और किसानों को दिये गये ऋण	Loans given to Tangawalas, Rickshaw Pullers and Farmers by Nationalised Banks in Delhi	266—67
2157. आयकर बकाया को बट्टे खाते में डालना	Writing off of Arrears of Income Tax	267—68
2158. संसद् भवन में नियुक्त अग्नि शमन सेवा के कर्मचारियों के काम करने के घंटे	Duty Hours of Fire Service Personnel Posted at Parliament House	268
2159. संसद् भवन में अग्नि शमन सेवा हर व्यय का विवरण	Break up of Expenditure on Fire Services in Parliament House	268
2160. औद्योगिक वित्त निगम द्वारा विभिन्न औद्योगिक संस्थाओं को दिया गया ऋण	Loans Advanced by IFC to Various Industrial Concerns	268—70
2161. दिल्ली, खरियान बस्ती क्षेत्र, नांगल में केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य सेवा का औषधालय	Central Government Health Scheme Dispensary in Nangal, Kharyan Basti Area Delhi	270—71
2162. रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली के क्वार्टरों में सुविधाओं की व्यवस्था	Provision of Amenities in Quarters of R. K. Puram, New Delhi	271—72
2163. बैंकों में अनियमिततायें	Irregularities in Banks	272
2164. कार्बनिक रसायनिक पदार्थों के उत्पादन के लिये जर्मनी के सहयोग से कारखाने की स्थापना	Setting up of Organic Chemicals Production Plant with German Collaboration	273
2165. दिल्ली में अस्पताल और नर्सिंग होमों में काम कर रहे कर्मचारियों के लिये नियम विनियम और आचरण संहिता	Rules and Regulations and Code of Conduct for Staff Working in Hospitals and Nursing Homes in Delhi	273 - 74
2166. दिल्ली में अस्पताल के कर्मचारियों को क्वार्टरों का आवंटन	Allotment of Quarters to the Staff of the Hospitals in Delhi	274—75

तारांकित प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subjects	पृष्ठ Pages
2167. दिल्ली के अस्पतालों और नर्सिंग होमों के कर्मचारियों के वेतनमानों का पुनरीक्षण	Revision of Pay Scales of the Staff of Hospitals and Nursing Homes in Delhi	275—76
2168. दिल्ली विकास प्राधिकरण के विशेषज्ञों की कलकत्ता यात्रा	DDA Experts' Visit to Calcutta	276
2169. चौथी योजना के दौरान पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के उत्पादन का कार्यक्रम	Production Programme of Petroleum and Natural Gas during Fourth Plan	276—77
2170. करों की बकाया राशि	Arrears of Taxes	277
2171. हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश की काली तथा हरी चाय का स्तर	Standards for Himachal Pradesh and Uttar Pradesh Black and Green Tea	277—78
2172. कोचीन उर्वरक परियोजना का विस्तार कार्यक्रम	Expansion Programme of Cochin Fertilizer Project	278
2173. विदेशी मुद्रा अपीलीय न्यायाधिकरण	Foreign Exchange Appellate Tribunal	278
2174. गैर सरकारी क्षेत्र में एक उर्वरक कारखाना स्थापित करने के बारे में कोटा (राजस्थान) में प्रधान मंत्री का वक्तव्य	Prime Minister's Statement at Kota (Rajasthan) Regarding Setting up a Fertilizer Factory in Private Sector	279
2175. सरकारी कर्मचारियों को पारी से बाहर क्वाटर का नियतन	Out of Turn Allotment of Accommodation to Government Servants	279
2176. परिवार नियोजन अभियान के कारण जन्म दर में कमी	Decrease in Birth Rate as a Result of Family Planning Compaign	279—80
2177. विदेशी सहायता	Foreign Aid	280—82
2178. आयकर विभाग में कार्य भार	Work Load in Income Tax Department	282—84
2179. बुन्देलखण्ड (मध्य प्रदेश) में चिकित्सा कालेज	Medical College in Bundelkhand (Madhya Pradesh)	284

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subjects	पृष्ठ Pages
2180. उर्वरक संयंत्रों के बदले में ईरानी अशोधित तेल के अपने हिस्से को इटली को बेचने का भारत का प्रस्ताव	India's Offer to Sell I. T's Share of Iran Off Shore Crude to Italy in Exchange of Fertilizer Plants	284
2181. खनन उद्योग में संयुक्त क्षेत्र उपक्रम स्थापित करना	Introduction of Joint Sector Venture in Minning Industry	284 85
2182. राजस्थान अध्यापक फेडरेशन द्वारा केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिये एक ही वेतन आयोग नियुक्त करने के लिये ज्ञापन	Memorandum Submitted by Rajasthan Teachers Federation for Single Pay Commission for Central and State Government Employees	285
2185. उर्वरक कारखानों में गैर सरकारी पूंजी नियोजन	Private Capital Investment in Fertilizer Plants	285—86
2186. दिल्ली के पालम हवाई अड्डे पर तस्करी के सामान का पकड़ा जाना	Seizure of Smuggled Goods at Palam Airport, Delhi	286
2187. राजस्थान के सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिये संयुक्त राष्ट्र बाल आपात् निधि द्वारा विटामिन के कैपसूलों की सप्लाई	Supply of Vetamin Capsules by UNICEF for Drought Affected Areas of Rajasthan	286—87
2188. साबुन बनाने के लिये तेल का अभाव	Shortage of Oil for Manufacturing Soap	287
2190. दिल्ली के सिनेमाओं के किराधार्य मूल्य के सम्बन्ध में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच	CBI Proble into Ratable Value of Cinemas in Delhi	288
2191. राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा प्रगतिशील ढंग से कार्य किये जाने के लिये मार्ग दर्शी सिद्धान्त	Guidelines for Progressive Working of Nationalised Banks	288—89
2192. विदेशों में काम कर रहे राष्ट्रीयकृत बैंको को हिदायतें	Instructions to Nationalised Banks Operating in Foreign Countries	289

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subjects	पृष्ठ Pages
2193. राष्ट्रीयकृत बैंकों के अधिकारियों द्वारा आस्तियों की घोषणा	Declaring of Assets by Officers of Nationalised Banks	289—90
2194. कर्मचारियों को दिये गये उपदान पर आयकर	Income Tax on gratuity Paid to Workers	290—91
2195. तामिलनाडु के काबेरी केसिन में तेल की खोज	Oil Exploration in Cauvery Basin in Tamil Nadu	291
2196. बैंक की प्रत्येक शाखा से संलग्न गोदाम	Godowns Attached to Each Branch of Bank	291—92
2197. मुंगेर में गंगा नदी के जल का दूषित होना	Pollution of Ganga Water at Monghyr	292
2198. आयातित भेषजों का देशी औषधियों में परिवर्तन	Imported Drugs Converted into Indigenous Medicines	292
2199. नामरूप उर्वरक कारखाने का विस्तार तथा उसमें उत्पादन	Namrum Fertilizer Factory Expansion and Production	293
2200. सरकारी उपक्रमों में भर्ती सम्बन्धी नीति	Recruitment Policy in public Undertakings	293—94
सदस्य को धमकी के बारे में	Re. Threat to Member	294
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	295
पाकिस्तान में हिन्दू मन्दिरों तथा सिख गुरुद्वारों के अपवित्र किये जाने के समाचार	Reported Desecration of Hindu and Sikh Shrines in Pakistan	295—300
श्री बी० के दासचौधरी	Shri B. K. Daschoudhury	295
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह	Shri Surinderpal Singh	295
समा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	300—301
राष्ट्रपति से संदेश	Message from the President	301
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (मणिपुर) 1969-70 के बारे में विवरण प्रस्तुत किया गया	Demands for Supplementary Grants (Manipur), 1969-70 Statement Presented	302
समिति के लिये निर्वाचन	Election to Committee	302
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति	Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes	302
कार्य मंत्रणा समिति	Business Advisory Committee	302

विषय	Subjects	पृष्ठ Pages
45वां प्रतिवेदन	Forty-Fifth Report	302
हरियाणा और पंजाब कृषि विश्व-विद्यालय विधेयक पुरस्थापित	Haryana and Punjab Agricultural Universities Bill—Introduced	303
हरियाणा और पंजाब कृषि विश्व-विद्यालय अध्यादेश के बारे में विवरण	Statement Re. Haryana and Punjab Agricultural Universities Ordinance	303
श्री अन्ना साहिब शिन्दे	Shri Annasahib Shinde	303
रेलवे बजट, 1970-71—सामान्य चर्चा	Railway Budget, 1970-71 General Discussion	303—335
श्री बसवन्त	Shri Baswant	304
श्री लखन लाल कपूर	Shri Lakahn Lal Kapoor	305—306
श्री अ० कु० किस्कू	Shri A. K. Kisku	307
श्री इन्द्रजीत गुप्ता	Shri Indrajit Gupta	308
श्री रामशेखर प्रसाद सिंह	Shri Ramashekhar Prashad Singh	313
श्री गुणानन्द ठाकुर	Shri Gunanand Thakur	314
श्री गा० शं० मिश्र	Shri G. S. Mishra	315
श्री बे० कृ० दासचौधरी	Shri B. K. Daschowdhury	16
श्री जी० भा० कृपलानी	Shri J. B. Kripalani	319
श्री नाथूराम अहिरवार	Shri Nathu Ram Ahirwar	320
श्री शिकरे	Shri Shinkre	320
श्री धुलेश्वर मीना	Shri Dhuleshwar Meena	21
श्री दत्तात्रेय कुन्टे	Shri Dattatraya Kunte	321
श्री मु० अ० खां	Shri M. A. Khan	322
श्री रा० कृ० बिड़ला	Shri R. K. Birla	323
डा० प० मण्डल	Dr. P. Mandal	325
श्री जार्ज फरनैंडीज	Shri George Fernandes	326
श्री चि० गौतम	Shri C. D. Gautam	327
श्री नंजा गौडर	Shri Nanja Gowder	327
श्री ना० रा० पाटिल	Shri N. R. Patil	329
श्री रोहनलाल चतुर्वेदी	Shri R. L. Chaturvedi	329
श्री शिव नारायण	Shri Sheo Narain	
विशेषाधिकार के बारे में प्रश्न	Re. Question of Privilege	305
आधे घंटे की चर्चा	Half-an-Hour Discussion	304—305
नगरीय क्षेत्रों में मकानों की कमी	Shortage of Houses in Urban Areas	332
श्री रामावतार शास्त्री	Shri Ramavatar Shastri	332
श्री के० के० शाह	Shri K. K. Shah	333—335

लोक-सभा

LOK-SABHA

सोमवार, 9 मार्च, 1970/18 फाल्गुन, 1891 (शक)

Monday, March 9, 1970/Phalguna 18, 1891 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

The Lok-Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Comparative Expenditure on Transporation of Petrol, Diesel and Kerosene Through Pipelines

*301. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state :

(a) the progress made so for in transporting petrol, diesel and kerosene through pipelines all over India ;

(b) whether it is a fact that expenditure on transporting oil through pipelines is less than that incurred through Railways and that it will reduce the extra burden on railways also ; and

(c) if so, the reasons for not undertaking a long term pipeline project for the whole country ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri D. R. Chavan) : (a) to (c). A statement is laid on the Table of the Sabha.

STATEMENT

(a) There has been a progressive increase in the movement of products through pipelines as will be seen from the following figures :

Year		('000 tonnes)
1966-67		744
1967-68		1,373
1968-69		1,982
1969-70	(i) First 10 months :	2,007
	(ii) Anticipated for the year :	2,500

(b) The economics of operating the pipelines are directly related to the actual throughout of products in relation to the design capacity and the nature of products transported. For instance, if more petrol is transported, the earnings accuring to the pipelines are higher as the rail freight on petrol is the highest amongst petroleum products. Keeping these factors in view, generally, if pipelines are utilised upto or above 55% of their design capacity, the pipeline transport costs are lower than the corresponding rail freight rates.

(c) To ensure and integrated growth and optimum utilisation of the various modes of transport, additions to evisting pipeline system will be considered as and when necessary after taking into account the available transport capacity by rail.

Shri Maharaj Singh Bharati : Planning means that we should know in advance the increase which a likely to be there in future in the consumption of oil. Statistics in this regard remain with the Government and the necessary production capacity was created in Rourkela and other plants for manufacturing pipes on the basis of the indications given by Government in this regard. As the programme of laying pipelines has been made dependent on the indications given by Government, the production capacity of pipes in these Plants has been thus rendered idle. We are not producing pipes accordieg to our capacity inspite of its export, that is why the economy, not only of a particular region, but as a whole is shattered. I have asked in part 'C' of my question whether there is any long term plan ? When we know the future production as well as consumption of the oil have we prepared any longterm plan ? It has been said in reply that when demand necessary, planning in this regard would be done. I want to know whether you are, so far not considering it necessary. You reply first to part 'C' of my question whether you contemplate to prepare any long term plan.

श्री दा० रा० चव्हाण : प्रश्न के भाग (ग) का उत्तर विवरण में दिया गया है :

"विभिन्न प्रकार के परिवहन की समेकित वृद्धि और अधिकतम उपयोगिता को सुनिश्चित करते हुए, रेल परिवहन की उपलब्ध क्षमता को ध्यान में रखते हुए, जब कभी आवश्यकता होगी, वर्तमान पाइप लाइन की बढ़ोतरी पर विचार किया जायगा ।"

हमारे पास 13,500 बड़ी लाइन के माल डिब्बे हैं, जिनमें प्रत्येक की कीमत 25,000 रु० से 30,000 रुपये तक हैं तथा 4,000 से अधिक मीटर गेज लाइन के माल डिब्बे हैं । इस प्रकार हमारे पास मीटर गेज और बड़ी दोनों ही लाइनों की क्षमता है । हम बता चुके हैं कि कोयाली—अहमदावाद पाइपलाइन के विस्तार का एक कार्यक्रम आरम्भ किया गया है । मैं माननीय सदस्य की सूचनार्थ उल्लेख कर दूं कि कोयालो को अहमदाबाद से जोड़ने वाली पाइप लाइन की वार्षिक क्षमता 7 लाख मीटरी टन से बढ़ कर 12 लाख मीटरी टन हो जायेगी । इसी प्रकार बरौनी और हल्दिया के बीच लाइन क्षमता में वृद्धि करने के लिए प्रारम्भिक योजनायें हैं । पेट्रोलियम उत्पादों की 180 लाख मीटरी टन की वर्तमान मांग के 1974-75 में बढ़कर 300 लाख मीटरी टन हो जाने की सम्भावना है । इसीलिए प्रश्न के तीसरे भाग के उत्तर में कहा गया है कि जब कभी आवश्यक होगा पैट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिये पाइप लाइनें बिछाने पर विचार किया जायेगा ।

Shri Maharaj Singh Bharati : Mr. Speaker, Sir, Kindly read part 'C' of the question and the reply given thereto.

Mr. Speaker : Have you not been convinced ? You may put another question.

Shri Maharaj Singh Bharati : When we are aware and the Hon. Minister is also telling us about the quantity of oil which is likely to be consumed in 1980, and he has also stated, that if fifty five percent of oil is transported through pipelines, it would be economical, I want know to whether he has prepared any long term plan for that ? The reply is that the capacity would be increased and when necessary the plan would he fomulated. This is not a matter of planning.

श्री दा० रा० चव्हाण : मैंने प्रश्न का उत्तर दे दिया है और जो कुछ मैंने कहा है उससे और अधिक मैं कुछ नहीं कहना चाहता ?

Shri Maharaj Singh Bharati : Mr. Speaker, Sir, kindly protect our rights. What is the secret in this matter. He is not telling us whether long-term plan is being formulated. What danger is there in it to the defence of the nation, to the economy or to the hon. Minister. What secret is there in it ?

Shri Rabi Ray : What has been asked it Part 'C' that relates to long term planning Kindly state whether they have got any longterm plan. Does it involve any question of the safety of the nation ?

श्री दा० रा० चव्हाण : अध्यक्ष महोदय, मैंने वस्तुस्थिति की व्याख्या करते हुए बताया है कि जब पाइप लाईन की क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता होगी तो यथासमय ऐसा किया जायेगा । इस समय देश में पैट्रोलियम उत्पादों की मांग 170 से 180 लाख मीटरी टन की है । चार या पांच वर्ष पश्चात् इसके 300 से 320 लाख मीटरी टन न हो जाने की सम्भावना है । इसलिये मैंने यह कहा कि जब किसी पाइप लाईन को बिछाने की आवश्यकता होगी, ऐसा किया जायगा । आदरणीय सदस्य उत्तर में इससे अधिक और क्या चाहते हैं ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री (डा० त्रिगुण सेन) : पाइप लाइनों से दो वस्तुओं का लाया जाना आवश्यक है : एक है कच्चा तेल और दूसरे, पैट्रोलियम उत्पाद । जहाँ कहीं हम कुएं खुदवा रहे हैं वहां से शोधशाला तक पाइप लाइन की योजना हम बना रहे हैं । योजना हम सदा पहले से ही बनाते हैं ।

जहाँ तक पैट्रोलियम उत्पादों को विभिन्न स्थानों पर ले जाने का प्रश्न है, हम ऐसा भी करते हैं । हाल ही में पैट्रोलियम उत्पादों को बम्बई से पूना तक और उससे आगे ले जाने की मांग हुई है और इसलिए हम देखते हैं कि 1972 में ऐसी व्यवस्था करना आवश्यक होगा हमने योजना बनाई है । अब हम रेलवे से विचार विमर्श कर रहे हैं कि क्या वे रेलवे सुविधाओं का विकास कर सकते हैं अन्यथा हम पाइप लाइनें बिछायें ।

Shri Maharaj Singh Bharati : He has said that if 55 per cent) oil was transported. that it would be economical. Has the Government made as assessment as to which pipeline would be economically beneficial on the basis in transporting 55 percent of oil in the Fifth Five year plan ? If so, what steps are being taken for that purpose in Fourth Five Year Plan ?

श्री दा० रा० चव्हाण : जैसा कि अभी मन्त्री महोदय ने बताया है, दो पाइप लाइनें भारतीय तेल निगम के विचाराधीन हैं ।

श्री महाराज सिंह भारती : मैं योजना के लक्ष्य की बात कर रहा हूँ ।

श्री दा० रा० चव्हाण : मैं इसी विषय पर आ रहा हूँ। दो परियोजनायें जो भारतीय तेल निगम के विचाराधीन हैं, एक बम्बई और पूना को मिलाती है और दूसरी बम्बई मानमाड़ को। होता यह है, आप उस स्थान पर पाइप लाइन के विषय में विचार कर सकते हैं जहाँ मांग पर अधिक जोर दिया जाता है। अधिक मांग की गणना केन्द्र से 2 0 मील का अर्धव्यास खींचकर की जाती है और तब हमें पता करना होता है कि क्या 10 लाख मीटरी टन की मांग होने जा रही है। तभी एक पाइप लाइन के विषय में विचार कर सकते हैं। जैसा कि मैंने सदन की सूचनार्थ बताया दो परियोजनायें, बम्बई-मनमाड़ और बम्बई-पूना को मिलाने वाली, विचाराधीन हैं।

श्री मनुभाई पटेल : मन्त्री महोदय ने कहा कि जैसे ही उत्पाद उपलब्ध होंगे तभी उन्हें मांग के अनुसार वितरित किया जाएगा। परन्तु जहाँ पर उत्पाद पहले से ही उपलब्ध हैं और पाइप लाइन पहले से ही निर्मित हैं वहां भी उत्पादों का वितरण नहीं हो रहा है। मार्ग में क्या बाधायें हैं ? उदाहरणार्थ अंकलेश्वर से बड़ौदा तक यद्यपि पाइप लाइन बनी है तो भी ईंधन के रूप में प्रयोग किये जाने वाला तेल और गैस का उपयुक्त समय में वितरण नहीं होता है। कैम्बे से अहमदाबाद और उत्तरी गुजराज से अहमदाबाद तक ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाने वाला तेल तथा गैस, उद्योगों को वितरित नहीं किया जाता है यद्यपि उन्होंने सभी आवश्यक शर्तें पहले ही से पूरी कर दी हैं। क्या कारण है कि पाइप लाइनों के बिछाये जाने पर भी उत्पादों का अभी तक वितरण नहीं किया जा रहा रहा है ?

श्री दा० रा० चव्हाण : माननीय सदस्य ने कैम्बे गैस क्षेत्र से उत्पादित गैस तथा अंकलेश्वर की गैस बड़ौदा को सप्लाई किये जाने की बात कही है। यदि आप मुख्य प्रश्न को देखें तो ज्ञात होगा कि उससे ऐसा प्रश्न नहीं बनता, तब भी मैं प्रश्न का उत्तर दूंगा। वास्तव में माननीय सदस्य यह पूछते हैं कि पाइप लाइनों के बारे में क्या किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप प्रश्न से असंगत बातों का उत्तर देते हैं तो अनुपूरक प्रश्न भी मुख्य प्रश्न से असंगत होंगे।

श्री दा० रा० चव्हाण : हाल ही में मैंने अंकलेश्वर से कच्चा तेल ले जाने वाली पाइप लाइनों को जाकर के देखा है। यह पूर्ण क्षमता से कार्य कर रही हैं। नावगांव से कोयाली तक की पाइप लाइन निर्माणाधीन है। अंकलेश्वर को कोयाली से जोड़ने वाली एक पाइप लाइन डाल दी गई है।

माननीय सदस्य ने गैस का जिक्र किया है। प्रतिदिन कुल 10 लाख क्यूबिक मीटर गैस पैदा की जाती है जिसमें से इस समय 8 लाख क्यूबिक मीटर गैस की सप्लाई होती है। मफतलाल को केवल 1.2 लाख क्यूबिक मीटर देने का प्रस्ताव है।

श्री हेम बरुआ : क्या मैं यह जान सकता हूँ कि सरकार का विचार पाइप लाइन बनाने के लिये निगम स्थापित करने का है क्योंकि तेल के नये क्षेत्रों की खोज हो रही है तथा कच्चा तेल शोध शालायों को लाया जा रहा है।

श्री दा० रा० चव्हाण : मोरन को गोहाटी से जोड़ने वाली पहले से ही एक पाइप लाइन पड़ी हुई है। इसकी क्षमता 27.5 करोड़ मीटरी टन की है और जब गौहाटी से बरौनी तक लाइन बना दी जायेगी तो इसकी 20 लाख मीटरी टन की क्षमता रह जायेगी।

Expenditure Incurred on Housing Schemes

+

*302. **Shri Ramavatar Shastri :**

Shri Onkar Lal Bohra :

Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) the total expenditure incurred by Government on the Housing schemes ;

(b) the amount out of it spent on the Rural Housing Schemes ;

(c) the reasons for not paying special attention to the implementation of Rural Housing Schemes ; and

(d) whether Government will ensure special attention in this regard during the Fourth Five-Year Plan period ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) मार्च, 1969 तक राज्यों और संघ क्षेत्रों द्वारा 214.04 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता ली गई है। इसके अतिरिक्त, जीवन बीमा निगम द्वारा 113.14 करोड़ रुपये की राशि ऋण के रूप में दी गई है।

(ख) 9.79 करोड़ रुपये। इसके अतिरिक्त, जीवन बीमा निगम ऋणों से 1.92 करोड़ रुपए की राशि व्यय की गई।

(ग) राज्य प्लानों में सामान्यता आवास को निम्न प्राथमिकता देना एक मुख्य कारण है। ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में कार्यक्रमों के संगठन तथा प्रशासन सम्बन्धी कठिनाइयों से ऐसे क्षेत्रों में यह और भी कम हो जाती है।

(घ) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की अवधि में राज्य क्षेत्रों की सभी योजनाओं, जिसमें ग्रामीण आवास सम्मिलित है, के लिए ब्लाक लोन्स (खण्ड ऋण) तथा ब्लाक ग्राँट्स (खण्ड अनुदान) के रूप में केन्द्रीय सहायता की व्यवस्था है। ऐसी ब्लाक सहायता में से राज्य क्षेत्रों में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत उपयोग में लाई जाने वाली राशि का निनिश्चय करने में राज्य सरकारें स्वतन्त्र हैं। किन्तु ग्रामीण आवास कार्यक्रमों को उचित महत्व देने, विशेषकर भूमिहीन मजदूरों को आवास स्थान देने की आवश्यकता पर राज्य सरकारों से हुए विचार-विनिमय में केन्द्रीय सरकार द्वारा बारम्बार बल दिया गया है और यह आशा है कि इस मामले पर पर्याप्त ध्यान दिया जायेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में किस सीमा तक आवर्तन निधि का उपयोग किया जा सकता है, इसे देखने के भी प्रयत्न किये जायेंगे।

Shri Ramavatar Shastri : In part (b) of my question, I enquired about the amount spent on the Rural Housing schemes as lakhs and crores of agricultural labourers l ine in villages. The hon. Minister has not replied to this question. He has mentioned agricultural labour in his reply but he has not indicated as to like much amount has been spent on

the Rural Housing Schemes. I would like to know whether the Central Government will advise the State Government as to how much money they should spend on the Rural Housing Schemes ? I would also like to know the amount of assistance being provided by the Central Government to states during Fourth Five Year Plan ?

The Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri K. K. Shah) : It has been stated in the reply that 9.79 crores of rupes have been spent in the villages and in addition 1.29 crores of rupees have been spent out of the law provided by Life Insurance Corporation.

Shri Ramavatar Shastri : How much money has been spent on the Agriculture labourers and landless labourers ?

Shri K. K. Shah : Loan to the tune of three thousand rupees is granted in villages.

Shri Ramavtar Shastri : May I know whether landless labourers can take loan.

Shri K. K Shah : Developed plots of land have been given to them either free of cost or on nominal price. Loans have also been granted to them.

Shri Ramavatar Shastri : It was decided in the Housing and Urban Development Minister Conference that Central Government will find out the details of the Housing Schemes from the States. The hon. Minister has stated that some States have sent their Schemes. I would like to know whether the schemes in regard to agricultural labourers are there do not in the schemes which have been sent by the States to the Centre ? There was President's rule in Bihar till recently. I would like to know why no scheme has been received from the State ? What the advisers were doing who are appointed by the Central Government ? Were they sleeping ?

Shri K. K. Shah : The Bihar Government has acquired 9.92 acres of land for providing Housing sites to agriculturists free of cost. (*Interruption*).

Shri Rabi Ray : In this a socialism that only nine acres of land has been acquired for agricultural labourers ?

Shri K. K. Shah : This has happened not only in Bihar. All the states have actual likewise. The States have not made the necessary provision for agriculturists and landless labourers which they should have done. I called a separate meetings during Housing Minister's Conference and it was decided there at that all the States should send their assessments land for providing housing sites to agricultural labourers and landless labourers. It was also decided.

"राज्य सरकारों को भूमिहीनों को भूमि अलाट करने के लिए इस समय उपलब्ध सरकारी भूमि में से आवास स्थलों का अध्ययन करना चाहिए। राज्य सरकारों को, उपयुक्त कानून बनाकर उन भूमिहीन श्रमिकों को वास-भूमि अधिकारों को प्रदान करने के सवाल पर भी विचार करना चाहिए, जिनका आवास-भूमि पर अस्थायी कब्जा है।"

They have been asked to make an assessment regarding the following :

भूमिहीन श्रमिकों को मकान बनाने के लिए साज-सामान अथवा नकद सहायता देने का प्रश्न ।

ग्रामीण आवास को राज्य क्षेत्र से केन्द्रीय क्षेत्र को हस्तांतरित करने का प्रश्न ।

If I speak the fact, Hon'ble members should not shout. (*Interruptions* . We sanction Block grant, but each State fixes its own order of priorities in which provision of housing

sites to agriculturists gets a very low place. We have told that money sanctioned should be utilised for the prescribed purpose, if it is not used so, it is not good and the money provided for housing and housing-sites should be refunded A decision in this connection would be taken in the next meeting.

Shri Ramavatar Shastri : How much money would be provided from the revolving fund ?

Shri K. K. Shah : Decision would be taken about all these things.

डा० सुशीला नैयर : ग्रामीण आवास की सफलता के लिए कुछ हद तक ग्रामीण आयोजना की भी जरूरत है । मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह जानना चाहूंगी कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कुछ आदर्श योजनायें और ग्रामीण आयोजना बनाने के प्रस्ताव का क्या हुआ, जिससे कि अच्छे और साफ मकान बनें और वे बाढ़ से भी प्रभावित न हों। इस बारे में मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगी कि क्या आवास मन्त्रालय और सिंचाई कर्मचारियों के मध्य कोई समन्वय है या नहीं । क्योंकि सिंचाई कर्मचारी बाढ़ से प्रभावित होने वाले कुछ गांवों के स्तर को ऊँचा करने का प्रयास कर रहे हैं । अगर उस धन और ग्रामीण क्षेत्रों में आवास के लिए निर्धारित धन का एक समन्वित और योजना बद्ध रूप से उपयोग किया जाय, तो अधिक अच्छे परिणाम प्राप्त हों सकेंगे । अतः, मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह जानना चाहूंगी कि ग्रामीण क्षेत्रों में आवास के लिए आयोजना के बारे में क्या किया जा रहा है, जिससे मकानों का निर्माण अधिक अच्छे योजना-बद्ध रूप से हो और भूमि-स्तर को ऊँचा करने में सिंचाई कर्मचारियों के साथ सहयोग का भी ध्यान रखा जाय ।

श्री के० के० शाह : माननीय सदस्य महोदया को ज्ञात ही है कि सरकारी ग्रामीण आवास प्रकोष्ठों द्वारा नक्शा योजनाओं, डिजाइनों, विशिष्ट विवरणों के माध्यम से, ग्रामीणों और स्थानीय प्राधिकारियों को तकनीकी मार्गदर्शन देने की व्यवस्था है और लागत तथा भत्ते के 50 फीसदी व्यय को केन्द्रीय सरकार वहन करती है । उसके बाद, ब्लाक अनुदानों की मंजूरी से पूर्व, जैसा कि मैंने संकेत दिया है, निर्माण और सुधार के लिए ऋणों की भी व्यवस्था है । दुर्भाग्यवश उतना ऋण नहीं लिया गया, जितना कि लिया जाना चाहिए था । प्रत्येक राज्य को कितना धन नियत किया गया और कितने का उपयोग किया गया, इससे संबंधित आंकड़े मेरे पास हैं । द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान जितने धन की व्यवस्था की गई थी, उसमें से पूरे धन का उपयोग नहीं किया गया । तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान हमने इसे राज्यों की इच्छा पर छोड़ दिया, परन्तु 12.79 करोड़ रुपये में से केवल 4.22 करोड़ रुपये का उपयोग किया गया ।

डा० सुशीला नैयर : भू-स्तर ऊँचा करने के लिए सिंचाई कर्मचारियों के साथ तालमेल के बारे में क्या स्थिति है ?

श्री के० के० शाह : अभी तक कोई तालमेल नहीं है, परन्तु यह एक अच्छा सुझाव है ।

Shri Shiv Charan Lal : Mr. Speaker, I would like to know from the Hon'ble Minister about the money spent on solving the problem of agricultural and landless labourer belonging to Harijan Community, residing in U. P. only and not those residing in whole

India. How many houses have they constructed ? Have they prepared any plans for providing residential accommodation to Balmiki, Dhobi and other members of Harijan-Community ?

श्री के० के० शाह : उत्तर प्रदेश में जो गांव चुने गए थे उनमें से मंजूर किए गए गांवों की संख्या 850 थी और 248 गांवों में कार्यान्वियन हो चुका है। दूसरी योजना में मंजूर किए गए मकानों की संख्या 3,698 थी, परन्तु दुर्भाग्यवश जो पूरे बन सके, उनकी संख्या 585 थी। तीसरी योजना में 1905 मंजूर किए गए और 1907 पूरे बने। मुझे कहते हुए अफसोस है कि 1966-67 और 1967-68 के दौरान आशानुकूल कार्यान्वियन नहीं हुआ है, लेकिन यह स्थिति सभी राज्यों के बारे में है। इसलिए अब यह नई व्यवयथा की गई है और हम यह देख रहे हैं कि आवर्त्तक निधि में से भी कितना धन व्यय किया जाता है और वह भी किस प्रकार।

Shri Shiv Charan Lal : Mr. Speaker my question has not been replied. I have to submit that I have asked about landless and especially Harijans and he is speaking in general.

श्री उमा नाथ : माननीय मंत्री महोदय के उत्तर से यह स्पष्ट है कि नियत धन के अधिकांश भाग का उपयोग नहीं किया गया है और नियत धन का राज्य सरकारों द्वारा उपयोग न किया जाना एक मुख्य कारण बताया गया है। वर्तमान योजना से पता चलता है कि राज्य सरकारों को अपने स्वयं के साधनों से भी इस योजना में हाथ बंटाना है। आपको राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति ज्ञात है, वे आजकल घाटे के बजट बना रही हैं। क्या सरकार ने प्रश्न के इस पहलू पर विचार किया है और, यदि हां, तो क्या वह राज्य सरकारों के भार को कम करने के लिये अनुदान की रकम में वृद्धि करने के प्रश्न पर विचार करेगी जिससे कि राज्य सरकारों द्वारा निधियों के उपयोग न हो सकने की स्थिति समाप्त हो सके।

श्री के० के० शाह : मैं राज्य सरकारों की कठिनाई समझता हूँ। लेकिन, उदाहरण के तौर पर, जब मैंने 12 करोड़ रुपये से अधिक धन का नियतन किया, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये जाते थे, उन्होंने केवल 4.92 करोड़ रुपये ही निकाले...

श्री उमानाथ : उन्हें भी समान राशि का अनुदान देना है।

श्री के० के० शाह : उदाहरण के लिए, महाराष्ट्र और दिल्ली के मामले में यह अच्छा है, जहां यह अच्छा है, मैं उसे स्वीकार करता हूं। लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं, जहां दुर्भाग्यवश धन का उपयोग नहीं किया गया है। मैं क्या कर सकता हूं ?

श्री उमानाथ : राज्य सरकारों को अपना हिस्सा अदा करना है और वे ऐसा करने में असमर्थ हैं।...(**व्यवधान**)...

Shri Rabi Ray : Furnish a list of all the States.

Shri K. K. Shah : I will furnish.

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : प्रश्न यह है कि राज्य सरकारों को समान मात्रा में अनुदान देना है अथवा नहीं।

श्री के० के० शाह : उदाहरण के लिए, चौथी पंचवर्षीय योजना को ले लीजिए। आवास के लिए ब्लाक अनुदान दिये जाते हैं। अगर वे धन राशि का उपयोग करते हैं, तो मुझे कोई भी शिकायत नहीं होगी। लेकिन प्राथमिकता का निर्धारण राज्य सरकारों को करना है। समान मात्रा में अनुदान देने का कोई प्रश्न नहीं है। अभी सम्पूर्ण राशि दे दी जाती है। वे समान राशि का अनुदान प्राप्त करते हैं अथवा नहीं, इससे भारत सरकार का कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री रवि राय : यह सशर्त नहीं है।

श्री के० के० शाह : नहीं। अब, मेरा प्रयास यह देखने का है कि इस उद्देश्य के लिए जितनी धनराशि का नियतन किया जाता है, कम से कम उतनी धनराशि का उपयोग तो वे करें ही, चाहे उन्हें समान मात्रा में अनुदान मिले या न मिले।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : मैं जान सकता हूं कि क्या यह सच है कि ग्रामीण आवास के मामले में 1961 में 468 लाख मकानों की कमी थी और चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक वह कमी बढ़कर 718 लाख मकानों की हो गई है और क्या यह भी सच है कि प्रत्येक वर्ष बढ़ती हुई जनसंख्या को दृष्टिगत रखते हुए, अब हमें हर साल कम से कम 20 लाख मकानों का निर्माण करना है और यदि हां, तो क्या मैं जान सकता हूं कि 1970-71 के अन्तर्गत मकानों का निर्माण करने के लिए राज्य सरकारों के साथ-साथ भारत सरकार का क्या कार्यक्रम है और चौथी योजना के अन्त तक कितनी कमी होने की सम्भावना है ?

श्री के० के० शाह : पहले आंकड़े सही हैं और इस बारे में कोई विवाद नहीं है। वे प्रकाशित आंकड़े हैं। जहां तक लागत का सम्बन्ध है...

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : मेरा प्रश्न लागत के बारे में नहीं है।

श्री के० के० शाह : प्रश्न है : आप 20 लाख मकानों का निर्माण किस प्रकार करेंगे ? इसलिए, यह लागत का भी प्रश्न है। आप व्यापारी हैं और आप इसे समझते हैं। आप मुझसे प्रश्न के एक पहलू के बारे में पूछ रहे हैं। लेकिन, जब तक मैं प्रश्न के दूसरे पहलू का हवाला न दूँ, मैं आपके प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता।

श्री बलराज मधोक : आप निर्धन वर्ग के लिए कार्य कर रहे हैं। आप व्यापारियों को बीच में क्यों लाते हो ? आप पैसे और व्यापार की बात क्यों करते हो ?

श्री के० के० शाह : मैं कह रहा हूं कि वह एक व्यापारी हैं। चौथी योजना में कुल प्रावधान लगभग 490 करोड़ रुपये का किया गया है। इस धनराशि में से, अब जितना भी व्यय किया जाना है, वह राज्य सरकारों पर छोड़ दिया गया है। ये राज्य सरकारों को दी गई ब्लाक अनुदानें हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद् ने अपनी बैठक में यह निर्णय किया है कि अब से आगे भारत सरकार धन का नियतन नहीं करेंगी, बल्कि राज्य सरकारों द्वारा किये गये व्यय की प्रतिशतें करेगी। उनका कहना है, "आप प्रत्येक राज्य के लिए धन का नियतन करो और उसे दे दो। हम उसका उपयोग करेंगे।" उसके बाद, वे प्राथमिकता को बदलने की अनुमति देने की मांग करते हैं। मैं क्या कर सकता हूं ?

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : मेरे प्रश्न की पूरी तरह उपेक्षा की गई है। मेरा प्रश्न यह था कि मान लीजिए, वे केन्द्रीय सरकार द्वारा नियत की गई सारी धनराशि का उपयोग कर लेते हैं, तो चौथी योजना के अन्तर्गत कितना अनुमानित निर्माण होगा और चौथी योजना के अन्त तक कितनी अनुमानित कमी होगी। यह एक सीधा सा प्रश्न है। आप इसका जबाव क्यों नहीं देते ?

श्री के० के० शाह : अगर वे पूरी धनराशि का उपयोग भी करें, तो भी माँग पूरी नहीं होगी।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : कितनी कमी होगी ?

श्री के० के० शाह : एक करोड़ रुपये से, 5000 से ज्यादा मकान नहीं बन सकते।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : कमी बढ़ जायगी ?

श्री के० के० शाह : इसका हिसाब लगाना होगा। 4 करोड़ रुपये की लागत से 20 लाख से ज्यादा मकान नहीं बनाये जा सकते। इसलिए, यह तो ऊँट के मुँह में जीरा है। इसलिए, मेरा कहना है कि कुल 33,000 करोड़ रुपये की जरूरत होगी।

Shri George Fernandes : When will all the people get houses ? How many years would it take ?

Shri K. K. Shah : We are prepared to do what is possible according to your advice.

Shri Rabi Ray : Do you have any scheme.

Shri K. K. Shah : That is why we have decided to create a revolving fund ?

Shri George Fernandes : You yourself have told the amount needed as Rs. 33,000 crores.

Shri K. K. Shah : We have started a revolving fund with a sum of Rs. 5 crores on an experimental basis. They ask for Rs. 90 crores, but Rs. 69 crores is the real figure. That means about 12 times more it can be revolved. So, it can be multiplied by 12 times over a period of six years.

श्री बसुमतारी : क्या मैं जान सकता हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिमजाति जैसे अत्याधिक जरूरतमंद लोगों के लिए मकानों को उपलब्ध करने के लिए क्या कसौटी है ? क्या उनके लिए कोई मापदण्ड है ?

श्री के० के० शाह : अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिमजाति के व्यक्तियों तथा भूमिहीन श्रमिकों को हमने एक साथ रखा है। उनको मकान उपलब्ध कराने के लिए हमने यह किया है कि लागत का 80 प्रतिशत अर्थात् 3,000 रु० का ऋण दिया जाना चाहिए, और उसकी अदायगी 20 वर्षों में हो।

Shri Kanwar Lal Gupta : The problem of housing has been treated very shabbily by Central Government as well as State Governments. No other part of the world has such an acute and bigger housing problem as India has. Even one person out of four families, does

not own a house. I would like to ask the Hon'ble Minister that he has created a revolving fund with the sum of Rs. 10 crores and even if he doubles the amount, the gap would increase and he can't maintain *status quo*. Would the Government take any steps to maintain at least *status quo* by making a legistation for Industries to construct houses. In the same way, landlords should be focred to construct a certain percentage of houses for the landless. Would he prepare any such plan to maintain *status quo* ?

Shri K K. Shah : We have prepared a scheme for industries to provide loans and for subsidising the construction. Even then some have constructed and others have not. The only alternative is to make it, compulsory. This is a suggestion which I will consider.

श्री कँवरलाल गुप्त : क्या सुझाव है ?

श्री के० के० शाह : इसे अनिवार्य बनाने का ।

श्री कँवरलाल गुप्त : बड़े मकान मालिकों के बारे में क्या करने का विचार है ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

श्री उमानाथ : प्रश्न संख्या 303 के साथ प्रश्न संख्या 311 भी ले लिया जाय ।

अध्यक्ष महोदय : जी, हां ।

नेशनल बैंक आफ लाहौर को अदायगी की अवधि में मोहलत देने का जूता उद्योग पर प्रभाव

\+

*303. **श्री गणेश घोष** :
श्री सत्यनारायण सिंह :
श्री नम्बियार :
श्री पी० राममूर्ति :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेशनल बैंक आफ लाहौर को अदायगी की अवधि में मोहलत दिए जाने के सम्बन्ध में भारत के रिजर्व बैंक की कार्यवाही तथा बैंक द्वार अदायगियां बन्द कर देने के कारण आगरा में समूचे जूता उद्योग पर कुप्रभाव पड़ रहा है;

(ख) क्या यह सच है कि इस कार्यवाही से जूता उद्योग के 2 लाख से अधिक व्यक्ति प्रभावित हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार रिजर्व बैंक के माध्यम से जूता उद्योग को ऋण देने की विशेष व्यवस्था करने का है ?

वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्र. चं. सेठी) : (क) से (ग) : सरकार द्वारा रिजर्व बैंक की सिफारिश पर, नेशनल बैंक आफ लाहौर के नाम, उसका भारतीय स्टेट बैंक में विलय किये जाने की अवधि तक, भुगतान स्थगन आदेश जारी किए जाने के तुरन्त बाद, आगरा जूता उत्पादक संघ सहित विभिन्न व्यापार संस्थाओं की ओर से कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे जिनमें

भुगतान स्थगन आदेश से उनको पेश होने वाली कठिनाइयां का उल्लेख किया गया था । इन संस्थाओं की कठिनाइयों को दूर करने के उद्देश्य से भारतीय स्टेट बैंक ने अपनी सम्बद्ध शाखाओं के नाम अनुदेश जारी कर दिये थे कि वे, नेशनल बैंक आफ लाहौर के भूतपूर्व खातेदारों को उपयुक्त वित्तीय सहायता मुहैया करें। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा इन अनुदेशों के जारी किये जाने के बाद से सरकार को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है । नेशनल बैंक आफ लाहौर का विलय भारतीय स्टेट बैंक में कर दिया गया है और इसकी सभी शाखाओं में 23 फरवरी, 1970 से काम शुरू हो गया है ।

नेशनल बैंक आफ लाहौर को विलम्बकाल का दिया जाना

*310. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** **श्री ओंकार लाल बैरवा :**
श्री उमानाथ : **श्री रामगोपाल शालवाले :**
श्री गाडिलिंगन गौंड :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के रिजर्व बैंक द्वारा नेशनल बैंक आफ लाहौर विलम्बकाल (मोरेटोरियम) के अन्तर्गत रखा गया था;

(ख) यदि हां, तो इस बैंक के विरुद्ध यह कार्यवाही करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि नेशनल बैंक आफ लाहौर का दर्जा बढ़ाकर इसे 'बी' श्रेणी में रखने के केवल दस दिन बाद ही इस बैंक के साथ यह कार्यवाही की गई थी; यदि हां, तो एकदम यह कार्यवाही किये जाने के क्या कारण थे;

(घ) बैंक द्वारा किये गये कथित पूंजी दुर्निवेश को ठीक करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं; और

(ङ) जमाकर्ताओं तथा अंशधारियों के हितों की रक्षा के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्र. चं. सेठी) : (क) : जी, हां । बैंक कारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 45 (1) के अन्तर्गत रिजर्व बैंक द्वारा एक प्रार्थनापत्र दिए जाने के बाद नेशनल बैंक आफ लाहौर को 10 जनवरी, 1970 को कारबार बन्द करने के बाद से 3 महीनों की अवधि के लिए भुगतान आस्थगन का आदेश दे दिया गया था ।

(ख) रिजर्व बैंक ने यह सिफारिश उसके द्वारा उक्त बैंक का निरीक्षण किये जाने के बाद यह मालूम होने पर की थी कि उस बैंक की न केवल पूंजी और प्रारक्षित निधि पूर्णतः समाप्त हो चुकी है बल्कि बैंक के पास जमा रकमों के धीरे-धीरे समाप्त हो जाने का भी भय है । बैंक की ऐसी हालत इसलिए हो गयी थी कि यह ऐसे ऋण देता था जिनके देने में कुछ जोखिम उठानी पड़ती थी और बैंक द्वारा दिये गये ऋणों की 31 प्रतिशत रकम फंस गयी थी ।

(ग) और (घ). देसाई पंचाट द्वारा निर्धारित फार्मूले के अनुसार यदि किसी बैंक की कार्य-चालन पूंजी, लगातार दो वर्ष तक 7.5 करोड़ रु० से अधिक रहे तो बैंक के कर्मचारियों के

पारिश्रमिक प्रयोजन के लिए वह बैंक 'ख' श्रेणी का बैंक माना जायगा, नेशनल बैंक आफ लाहौर लिमिटेड 'ख' श्रेणी का बैंक हो गया था। सरकार द्वारा बैंक को भुगतान आस्थगन का आदेश दिए जाने की कार्रवाई और बैंक के वर्गीकरण में परिवर्तन किए जाने की कार्रवाई दोनों अलग-अलग बातें हैं। उपलब्ध सूचना के आधार पर ऐसा लगता है कि बैंक ने जान-बूझकर गलत ढंग से निवेश नहीं किया है लेकिन उसके द्वारा दिये गये अग्रिमों में से कुछ रकमें अभी वसूल नहीं हो सकतीं। भारतीय स्टेट बैंक, जिसके साथ नेशनल बैंक आफ लाहौर का 23 फरवरी, 1970 से विलय कर दिया गया है, अग्रिमों को वसूल करने के सम्बन्ध में उपयुक्त कार्रवाई कर रहा है।

(ङ) नेशनल बैंक आफ लाहौर की उन सभी शाखाओं के खातेदारों के खाते में जो अब भारतीय स्टेट बैंक की शाखाओं के रूप में काम कर रही हैं, उतनी रकमें जमा मान ली गयी हैं जितनी उनके खातों में जमा थीं।

श्री गणेश घोष : बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद यह आशा की गई थी कि छोटे उद्योगों की दीर्घकालीन कार्यकारी पूंजी तथा निर्यात वित्त के लिए ऋण देने को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। परन्तु अनुभव से पता चलता है कि ऋण सुविधा के अभाव के कारण छोटे उद्योगों को बड़ी कठिनाई हो रही है। लाहौर बैंक की अदायगी की अवधि में दी गई मोहलत के बाद स्थिति और अधिक उग्र हो गई है। आगरा जूता निर्माता संघ के अध्यक्ष ने कहा है कि जूता उद्योग का लगभग 70 प्रतिशत लेन देन लाहौर बैंक के माध्यम से होता है। लाहौर बैंक द्वारा भुगतान स्थगित किये जाने से व्यापारी और अधिक कठिनाई में पड़ गये हैं।

इससे दो लाख व्यक्तियों पर प्रभाव पड़ा है। वहां पर प्रति मास लगभग 2 करोड़ रुपये के मूल्य के जूते बनाए जाते हैं। सरकार ने विशेषकर छोटे उद्योगों को कार्यकारी पूंजी तथा निर्यात वित्त हेतु ऋण देने के लिए क्या विशेष व्यवस्था की है ?

श्री प्र० चं० सेठी : मैंने उत्तर के मुख्य भाग में बताया है कि नेशनल बैंक आफ लाहौर के भूतपूर्व खातेदार अब भारतीय स्टेट बैंक के खातेदार बन गये हैं। स्टेट बैंक के अनुदेशों के अनुसार वे अपने खातों के 75 प्रतिशत तक ऋण प्राप्त कर सकते हैं।

श्री गणेश घोष : क्या यह सच नहीं है कि निर्यातकर्ता उद्योगों विशेषकर लघु उद्योगों को ऋण उपलब्ध न होने के परिणामस्वरूप बड़े निर्माता जैसे बाटा, फ्लैक्स आदि फायदे की स्थिति में हो गये हैं ? इसलिए लघु उद्योगों के लिए ऋणों की व्यवस्था करने के लिए क्या व्यवस्था की जा रही है ताकि निर्यात में वे भी हिस्सा बटा सके ?

श्री प्र० चं० सेठी : यह इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता। फिर भी, जहाँ तक निर्यात की प्रगति का सम्बन्ध है, प्रत्येक सावधानी बरती गई है। बैंकों को निर्यात प्रयोजन के लिए विशेष ध्यान देना होता है।

Shri Satya Narain Sinha : Small scale industries helps us in easing the foreign exchange position. Keeping this in view, do Government propose to give special attention to this industry and whether Government are formulating any scheme in order to give special assistance to this industry ?

श्री० प्र० चं० सेठी : जहां तक जूतों के निर्यात का सम्बन्ध है, प्रत्येक सावधानी बरती जा रही है और बैंकों की सहायता तथा विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं के कारण ही वे बड़े निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा करने की स्थिति में हैं।

श्री उमानाथ : मैं यह जानना चाहता हूं कि गत इतने सारे वर्षों में रिजर्व बैंक ने क्या कार्यवाही की जबकि स्थिति यहां तक बिगड़ गई थी कि पूंजी तथा प्रारक्षित निधि पूर्णतः समाप्त हो गई ? यदि बैंक ने सरकार या रिजर्व बैंक द्वारा दिये गए आदेशों का पालन नहीं किया है तो उनके संविधान के अन्तर्गत या अन्य तरीके से उसके विरुद्ध क्या अन्य कार्यवाही की गई ? सरकार ने यह कार्यवाही पहले क्यों नहीं की ताकि जमाकर्ताओं को इस स्थिति से बचाया जा सकता ?

श्री प्र० चं० सेठी : जहां तक रिजर्व बैंक का सम्बन्ध है, 6 दिसम्बर 1962 से ही रिजर्व बैंक ने उसे इस स्थिति में लिया और समय-समय पर निदेश दिए और 24 मई 1966 से उस पर कड़ी निगरानी रखी गई। तथ्य यह है कि इन निदेशों का पूरी तरह पालन नहीं किया गया और अन्त में रिजर्व बैंक को यह कार्यवाही करनी पड़ी। जैसाकि मैंने निवेदन किया, रिजर्व बैंक को कार्यवाही करने में कुछ तत्परता से काम लेना चाहिए था और भविष्य में हम अधिक सतर्क रहेंगे।

भारत के रिजर्व बैंक द्वारा राष्ट्रीयकरण समाप्त किये गये बैंकों को दिये गये निदेश

*304. **श्री न० कु० सांधी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के रिजर्व बैंक ने, उन बैंकों को जिनका राष्ट्रीयकरण समाप्त घोषित किया गया था, यह निदेश दिया था कि वे उसकी पूर्वानुमति के बिना 1969 के अपने लाभ में से अशोध्य तथा संदिग्ध ऋणों तथा मूल्य ह्रास और अधिवर्ष निधि के लिए, जिनके लिए बैंकिंग कम्पनियों द्वारा सामान्यतया व्यवस्था की जाती है कोई धन-राशि नियत नहीं कर सकते हैं; और

(ख) यदि हां, तो ऐसा निदेश जारी किए जाने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, हां। रिजर्व बैंक द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम की धारा 35-क के अनुसार, 16 फरवरी, 1970 को एक निर्देश जारी किया गया जिसके अधीन अभिरक्षकों के लिए, विभिन्न प्रकार के काम करने से पहले, रिजर्व बैंक की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा। यह निर्देश 22 जनवरी, 1970 को जारी किये गये लगभग इसी प्रकार के निर्देश की तरह का है। अन्य बातों के साथ-साथ, इन कार्यों में, विभिन्न प्रकार के अग्रिमों का दिया जाना, कुछ सीमाओं से अधिक निवेश करना, वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्तियां आदि, भूमि इमारतों पर निर्दिष्ट राशियों से अधिक व्यय करना और 1969 के लाभ में से व्यवस्थाएँ और विनियोजन करना शामिल हैं।

(ख) 14 बैंकों का फिर से राष्ट्रीयकरण करने से सम्बद्ध अध्यादेश (1970 का तीसरा) जारी किये जाने के बाद से लेकर अध्यादेश की धारा 7(3) के अधीन सरकार द्वारा पहले निदेशक-मण्डलों की नियुक्ति किये जाने तक, अभिरक्षकों को निर्बाध अधिकार दिये गये हैं। उक्त निर्देश का उद्देश्य, अभिरक्षकों को अपने कार्यों के निष्पादन में मार्गदर्शन प्रदान करना है।

श्री न० कु० सांघी : बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद सर्वप्रथम कस्टोडियन नियुक्त किये गए थे। बाद में राष्ट्रीयकृत बैंकों के सुचारु रूप से काम करने हेतु आन्तरिक प्रबन्ध समितियां नियुक्त की गई थीं। क्या रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गये अनेक परिपत्रों द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंकों के कस्टोडियनों को बड़े निर्णय लेने से वंचित कर दिया गया है? क्या ऐसे परिपत्र जारी किए गए थे और क्या यह राष्ट्रीयकरण के समय सरकार द्वारा दिये गये आश्वासनों का उल्लंघन नहीं है कि उनके दिन प्रतिदिन के काम में हस्तक्षेप नहीं किया जायेगा?

श्री प्र० चं० सेठी : उन्हें सलाह दी गई थी कि प्रबन्ध समितियों के अध्यक्ष कस्टोडियन हो और 2 या 3 प्रतिनिधि अधिकारियों के हों और ये समितियां काम कर रही हैं। जहां तक दिन प्रतिदिन के काम का सम्बन्ध है उन्हें कोई निदेश नहीं दिये गये हैं परन्तु धारा 35-क के अन्तर्गत रिजर्व बैंक द्वारा कुछ मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किये गये हैं और वे सिद्धान्त राष्ट्रीयकृत बैंकों पर ही नहीं अपितु सभी बैंकों पर लागू हैं।

श्री न० कु० सांघी : क्या मंत्री महोदय ने इस तथ्य का कोई मूल्यांकन किया है कि कस्टोडियनों द्वारा रिजर्व बैंक के पास स्वीकृति अथवा अस्वीकृति के लिए पेश किये गये प्रस्तावों के रिजर्व बैंक ने समय पर उत्तर नहीं भेजे हैं? रिजर्व बैंक ने अपनी स्वीकृति अथवा अस्वीकृति भेजने में इतना समय क्यों लिया?

श्री प्र० चं० सेठी : यह एक भिन्न मामला है। परन्तु इस बात की कि रिजर्व बैंक ने अधिक समय लिया है अवश्य ही जांच की जाएगी। मैं सर्वप्रथम यह बताना चाहता हूं कि रिजर्व बैंक द्वारा किन कारणों से निदेश जारी किये गए हैं। भवनों के अर्जन तथा किराये के लिए। लाख रुपये से अधिक व्यय करना.....

श्री न० कु० सांघी : परिपत्र जारी किये जाने के बाद बैंकों को रिजर्व बैंक की स्वीकृति लेनी होती है। रिजर्व बैंक को ऐसी स्वीकृति या अस्वीकृति देनी चाहिए परन्तु अनेक मामलों में उन्होंने कई महीनों तक ऐसी स्वीकृति अथवा अस्वीकृति नहीं भेजी है। उन्हें ऐसी सलाह समय पर भेजनी चाहिए थी।

श्री प्र० चं० सेठी : मैंने पहले ही कहा है कि यदि कोई देरी हुई है तो उसकी जांच की जायेगी।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं पूछना चाहता हूं कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय और अध्यादेश जारी करने की तिथि के बीच की अवधि में कुछ परिरक्षकों (कस्टोडियनों) ने रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय जारी किये गये आदेशों का उल्लंघन किया था और यदि हां, तो क्या उन परिरक्षकों को सेवा से हटा दिया गया है या हटा दिया जायेगा?

श्री प्र० चं० सेठी : मुझे इस सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं मिली कि परिरक्षकों ने किसी आदेश का उल्लंघन किया है। पहली बात तो यह है कि कोई निदेश जारी नहीं किये

थे बल्कि 12 जनवरी, 1970 को धारा 35-क के अधीन कुछ मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किये गये थे ।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की तारीख और अध्यादेश जारी करने की तारीख के बीच की अवधि में परिरक्षकों ने पहले से जारी किये गये निदेशों का उल्लंघन करके कोई लेन-देन किया था और यदि हां, तो जारी किये गए नए आदेशों का ब्यौरा क्या है ?

श्री प्र० चं० सेठी : जैसा कि मैंने बताया है मुझे ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है ।

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी : क्या मैं पूछ सकता हूं कि राष्ट्रीयकृत बैंकों की प्रबन्ध संबंधी योजना संसद अथवा देश के सामने कब तक रखी जायेगी ?

श्री प्र० चं० सेठी : जहां तक नये अधिनियम का सम्बन्ध है, हमारा विचार आरम्भ में एक छोटा सा बोर्ड नियुक्त करने का है ।

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी : क्या मैं पूछ सकता हूँ कि समस्त बैंक उद्योग के बारे में योजना संसद के सामने कब प्रस्तुत की जाएगी ?

श्री प्र० चं० सेठी : जहां तक पूरी योजना का सम्बन्ध है, पहले सभा द्वारा विधेयक पास कर दिया जाए और उसके बाद योजना प्रस्तुत की जाएगी ।

श्री क० लकप्पा : अब तक पूर्ण राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया है । राष्ट्रीयकृत बैंकों पर अब भी बड़े-बड़े व्यापार-गृहों का नियंत्रण है । क्या सरकार उन पर श्री मोरारजी देसाई वाला सामाजिक नियंत्रण रखना चाहती है अथवा क्या सरकार देश में सभी बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने पर विचार कर रही है जिससे छोटे उद्योगपतियों को लाभ पहुँचे ?

श्री प्र० चं० सेठी : सरकार का इरादा सभा के समक्ष स्पष्ट कर दिया गया है कि इस समय केवल उन्हीं 14 बैंकों के राष्ट्रीयकरण का ही मामला है ।

श्री क० लकप्पा : मैं यह पूछना चाहता था कि क्या अन्तराष्ट्रीयकृत बैंकों पर अब भी श्री मोरारजी देसाई वाला सामाजिक नियंत्रण लागू है अथवा क्या उन बैंकों पर कोई नियंत्रण है जिससे छोटे व्यापारियों तथा उद्योगपतियों को लाभ पहुँच सके ?

श्री प्र० चं० सेठी : मैंने पहले ही बता दिया है कि जहां तक निदेश जारी करने का सम्बन्ध है, रिजर्व बैंक ने धारा 35-क के अधीन कुछ मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए हैं और उनके साथ हमारी जो बातचीत हुई है उसमें हमने उनसे उन मार्गदर्शी सिद्धान्तों का अनुसरण करने के लिए कहा था और इन बैंकों द्वारा दी गई अग्रिम राशियों के आंकड़ों सम्बन्धी विवरण से पता चलता है कि सामान्यतः वे उनका पालन कर रहे हैं ।

श्री क० नारायण राव : बैंक राष्ट्रीयकरण अधिनियम के अधीन हमने उस व्यवस्था को छोड़ दिया है जिस के अधीन रिजर्व बैंक अन्य बैंकों को सीधे निदेश जारी करता था परन्तु

राष्ट्रीयकरण की व्यवस्था में रिजर्व बैंक आफ इंडिया के साथ परामर्श करके सरकार को अनुदेश जारी करते हैं। क्या मैं पूछता हूँ कि पहले वाली प्रक्रिया को छोड़ने का क्या कारण है जिसके अनुसार रिजर्व बैंक अन्य बैंकों को सीधे निदेश जारी कर देता था ?

श्री प्र० चं० सेठी : जहां तक विधेयक का सम्बन्ध है, उसमें यह व्यवस्था है। बैंककारी कम्पनी (विनियमन) अधिनियम की धारा 35-क के अधीन रिजर्व बैंक ने इन बैंकों के कार्यकरण के लिए कुछ मार्गदर्शी सिद्धान्त बनाने के लिए अनुदेश देने का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लिया है।

श्री प० गोपालन : यह सर्वविदित है कि इन बैंकों के पास गुप्त निधि के रूप में काफी बड़ी राशि थी और सर्वोच्च न्यायालय ने भी अपने पहले के एक निर्णय में स्वीकार किया था कि इन बैंकों के पास गुप्त आरक्षित निधियां हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इन बैंकों के पहले मालिकों ने इन बैंकों के वर्तमान परिरक्षकों (कस्टोडियन) के साथ गठबन्धन करके सारी की सारी गुप्त आरक्षित निधि निकलवा ली है ? क्या इन बैंकों के परिरक्षकों को कोई विशिष्ट निदेश दिए गए थे कि कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की राशि न निकाले ?

श्री प्र० चं० सेठी : गुप्त निधि निकलवाने सम्बन्धी किसी मामले की मुझे अब तक कोई जानकारी नहीं है।

श्री प० गोपालन : क्या सरकार ने इस आशय के कोई निदेश जारी किए हैं कि इस प्रकार का धन बैंकों से न निकलवाया जाए ?

श्री प्र० चं० सेठी : रिजर्व बैंक ने एक अधिसूचना जारी की थी और यदि आपकी अनुमती हो तो मैं इसे पढ़ देता हूँ।

श्री प० गोपालन : मेरा प्रश्न बिल्कुल साफ है कि क्या ऐसा कोई निदेश रिजर्व बैंक द्वारा इन बैंकों के अभिरक्षकों को दिया गया है।

श्री प्र० चं० सेठी : जैसा कि मैंने बताया रिजर्व बैंक द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई है...

श्री प० गोपालन : मुझे अपने प्रश्न का उत्तर 'हां' या 'नहीं' में चाहिए।

श्री प्र० चं० सेठी : मेरे पास ब्यौरा नहीं है। अतः मुझे इसकी पूर्व सूचना चाहिए।

श्री प० गोपालन : क्या सरकार का विचार ऐसा निदेश जारी करने का है ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा कि उनके पास इसका ब्यौरा नहीं है अतः उन्हें इसका पता नहीं है।

Shri Randhir Singh : Despite the Reserve Banks directive to the nationalised banks requiring them to advance loans against good surety liberally, there have been numerous complaints that the banks are not adhering to this directive. In view of this do Government propose to issue a fresh directive ?

Mr. Speaker : I am sorry this question does not arise out of the main question.

श्री नरेन्द्र कुमार सोल्वे : मूल्यह्रास और संदिग्ध ऋणों के सम्बन्ध में रिजर्व बैंक द्वारा निदेश दिए जाने का क्या औचित्य है जब कि इन सब बातों का सम्बन्ध लेखापालन विषयों से है ? लाहौर नेशनल बैंक के सम्बन्ध में माननीय मंत्री ने स्वयं स्वीकार किया कि रिजर्व बैंक अपेक्षित कार्यवाही नहीं कर सका ।

श्री प्र० चं सेठी : जहां तक इस विशिष्ट उपबन्ध का सम्बन्ध है रिजर्व बैंक की पूर्व स्वीकृति के बिना वे 1969 के लाभ में से अशोध्य संदिग्ध ऋणों आदि के लिए उपबन्ध नहीं कर सकते जिनके लिए किसी कानून के अंतर्गत उपबन्ध आवश्यक है अथवा जिनके लिए सामान्यत: बैंककारी कम्पनियों द्वारा उपबन्ध किया जाना आवश्यक है । स्वभावत: रिजर्व बैंक ने इस बात का ध्यान रखा है कि बैंक इस दृष्टिकोण से काम करें और कुप्रबन्ध न हो ।

हल्दिया तेल शोधक कारखाने के निकट उर्वरक उद्योग समूह की स्थापना

+

*305. **श्री क० निरुद्धन :**
श्री वि० कु० मौडक :
श्री अ० कु० गोपालन :
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :

क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार हल्दिया तेल शोधक कारखाने के निकट एक बड़ा उर्वरक उद्योग समूह स्थापित करने के बारे में विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में कब तक निर्णय किया जायेगा ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) और (ख). जी हां । हल्दिया में एक उर्वरक कारखाने की स्थापना के लिए भारतीय उर्वरक निगम द्वारा पेश की गई एक तकनीक-आर्थिक सम्भाव्य रिपोर्ट सरकार के परीक्षाधीन है । कारखाने की अनुमानित वार्षिक क्षमता 1,50,000 मीटरी टन नाइट्रोजन के रूप में और 75,000 मीटरी टन पी 2 ओ 5 के रूप में होगी । 20.08 करोड़ रुपये विदेशी मुद्रा सहित अनुमानित लागत 76.25 करोड़ रुपये है ।

(ग) निर्णय लेने में कुछ समय लगेगा ।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : परियोजना के कब तक पूरा हो जाने की आशा है और क्या परियोजना के पूरा होने के बाद एक वर्ष में उत्पादन आरम्भ हो जायेगा अथवा एक निश्चित कार्यक्रम के अनुसार होगा ?

श्री दा० रा० चव्हाण : जैसा कि मैंने बताया भारतीय उर्वरक निगम द्वारा तैयार किया गया तकनीकी-आर्थिक संभाव्यता प्रतिवेदन मंत्रालय को मिल गया है । मंत्रालय में इसकी जांच

करके इसे वित्त तथा अन्य सम्बन्धित मंत्रालयों को भी भेज दिया गया है। अन्तर्मंत्रालय बैठक में इस पर फिर विचार किया जाएगा और उसके पश्चात् इसपर निर्णय किया जाएगा। मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि निर्णय कब किया जाएगा।

उत्पादन कब आरम्भ होगा, इस बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। अन्तिम निर्णय करने में कुछ समय लगेगा। उसके पश्चात् इस उर्वरक समूह के पूरा होने में 3 या 4 वर्ष लगेंगे और फिर वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादन आरम्भ होगा।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : क्या इस कारखाने में मट्टी के तेल का उद्योग किया जाएगा और यदि हां, तो लागत को ध्यान रखते हुए इससे क्या लाभ प्राप्त होने की संभावना है ?

श्री दा० रा० चव्हाण : जी हां, मिट्टी के तेल का उद्योग किया जाएगा। कुल आवश्यकता 1,03,000 मीटरी टन होगी और लागत 224 रुपए प्रति मीटरी टन होगी। हाल्दिया में लाभ यह होगा कि तेल शोधक कारखाने में ईंधन तेल का उत्पादन होगा और इस अमोनिया के उत्पादन के लिए उपयोग में लाया जाएगा।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या सरकार का विचार इस उर्वरक उद्योग समूह को पूर्ण रूप से सरकारी क्षेत्र में रखने का है ? यदि हां, तो क्या सरकार अन्य किसी देश के साथ सहयोग करने के बारे में विचार कर रही है और क्या यह सारा ब्यौरा तैयार कर लिया गया है। इस तेल शोधक कारखाने के पूरा होने के पश्चात् "फीडस्टॉक" केवल अमोनिया होगा अथवा अन्य कोई चीज़ ?

श्री दा० रा० चव्हाण : यह सरकारी क्षेत्र में होगा। इस परियोजना के लिए एन्सा आफ फ्रांस और पोलीमेम्स आफ पोलैंड की संस्थाओं के समूह से तकनीकी और वित्तीय सहायता की जाएगी।

जहां तक 'फीडस्टॉक' का सम्बन्ध है अमोनिया ईंधन तेल से तैयार किया जाता है जिसके हाल्दिया तेल शोधक कारखाने में पैदा किए जाने की संभावना है।

श्री श्रीचन्द गोयल : हाल्दिया में कारखाना स्थापित करने के कुछ लाभ हो सकते हैं जिस कारण सरकार ने यह निर्णय किया है। क्या पंजाब ने भी उर्वरक कारखाना स्थापित करने की मांग नहीं की थी और क्या पंजाब में कारखाना स्थापित करने के लिए अनुकूल परिस्थितियां नहीं हैं और क्या कारखाने के बारे में अंतिम निर्णय नहीं कर लिया गया था ? पंजाब में कारखाना स्थापित करने के निर्णय को सरकार ने क्यों बदला है जहां पर खपत अन्य किसी भी राज्य की अपेक्षा अधिक है ?

श्री दा० रा० चव्हाण : यह कहना सही नहीं है। पंजाब में दूसरा उर्वरक कारखाना है जिसकी क्षमता 80,000 मीटरी टन नाइट्रोजन उर्वरक की है—नंगल कारखाना। फिर क्षमता बढ़ाने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है।

इसके विस्तार के लिए सहायता प्राप्त करने हेतु विश्व बैंक के समक्ष समस्या रखी गई

है। फिर दो अन्य परियोजनाएं विचाराधीन हैं। पहल पंजाब सरकार को करनी होगी। विशेष रूप से पंजाब औद्योगिक विकास निगम ने पंजाब में उर्वरक कारखाना स्थापित करने हेतु प्रार्थना-पत्र दिया है।

श्री हेम बरुआ : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सरकार ने हाल्दिया तेलशोधक कारखाने के पास उर्वरक कारखाना स्थापित करने का निर्णय किया जिसका हम स्वागत करते हैं, क्या कारण है कि सरकार ने गोहाटी तेलशोधक कारखाने के निकट औद्योगिक समूह स्थापित नहीं किया है जो कि कई सालों से है ?

श्री दा० रा० चव्हाण : वास्तव में यह प्रश्न मुख्य प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता। किन्तु मैं बता दूं कि सरकार ने निर्णय किया है कि 10 लाख मीटरी टन और अशोधित तेल, नया तेल शोधक कारखाना स्थापित करके अथवा वर्तमान कारखाने की क्षमता बढ़ा कर साफ किया जाएगा। उसके बाद पेट्रो रसायन उद्योग समूह स्थापित किया जाएगा।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

फिल्म निर्माता रिटविक घटक को पद्मश्री की उपाधि

*271. **श्री समर गुह** : **श्री यशपाल सिंह** :
श्री हरदयाल देवगुण : **श्री झारखण्डे राय** :
श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्री रिटविक घटक को, जिसने महात्मा जी को "आरम्भ से अंत तक सूअर की औलाद" बताकर उनका घोर अपमान किया था तथा अन्य राष्ट्रीय नेताओं को भी अपशब्द कहे थे, गणतंत्र दिवस, 1970 के अवसर पर पद्मश्री उपाधि से विभूषित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो गांधी शताब्दी वर्ष में इस उपाधि के देने के क्या कारण हैं ;

(ग) उनके नाम की सिफारिश किसने की थी ;

(घ) क्या श्री घटक को दी गई यह उपाधि वापस ली जायेगी ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ङ). सरकार ने अन्य विशिष्ट कलाकारों के साथ साथ श्री रिटविक घटक पर विचार किया था और उन्हें एक फिल्म डायरेक्टर के रूप में उनकी उच्च योग्यता को मान्यता देते हुए पद्मश्री की उपाधि से विभूषित करने का निश्चय किया था। उन्होंने अब उपाधि को समाप्त करने के प्रश्न पर सावधानी से विचार किया है। जहां तक अपमानजनक और अशिष्ट शब्द कहे जाने का प्रश्न है, श्री घटक ने अपने हस्ता-

क्षरित वक्तव्य में कहा है कि उनके द्वारा यह असंगत शब्द मानसिक रोग की अवस्था में कहे गए थे। इस वक्तव्य का तथा उसकी सत्यता का और विशेषकर इस तथ्य का विचार करने के पश्चात् कि उनकी फिल्म "स्वर्णरेखा" में महात्मा गांधी के प्रति बड़े सम्माननीय उल्लेख किए गए हैं सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि उपाधि को समाप्त करने की आवश्यकता नहीं है।

विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता

*272. **श्री हेम बरुआ** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में देश में विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता **काफी बढ़** गई है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने अनुशासनहीनता के कारणों की जांच की है और स्थिति में सुधार करने के लिए कोई सुझाव भी दिए हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख). ऐसी कोई ठीक-ठीक सूचना उपलब्ध नहीं है जिससे किसी अवधि में छात्रों के असंतोष की तुलनात्मक घटनाओं को मात्रा अथवा संख्या में आंका जा सके। इस विषय पर, उपलब्ध आंकड़े भी पूर्ण अथवा व्यापक नहीं हैं। इसलिए स्पष्ट रूप से यह कहना कठिन है कि छात्रों में असंतोष बढ़ रहा है अथवा घट रहा है। किन्तु, छात्र असंतोष से सरकार गम्भीर रूप से चिन्तित रहती है क्योंकि यह न केवल उच्च शिक्षा के सामान्य विकास के मार्ग में मुख्य बाधा है, बल्कि देश के सामने प्रमुख सामाजिक और विकासीय समस्या भी है।

छात्र असंतोष एक मिश्रित व्याधि का लक्षण है, जो सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और शैक्षिक कारणों से उत्पन्न होती है। इसके कुछ मुख्य कारण ऐसे हैं जो इसे बढ़ाने में सहायक होते हैं ; वे हैं :—

(i) डिग्री और संतोषजनक रोजगार के बीच बढ़ता हुआ अन्तर ;

(ii) ग्रामीण तथा अन्य पिछड़े क्षेत्रों और सीखने वाली पहली पीढ़ी के छात्रों का अधिक संख्या में आना ;

(iii) सामाजिक और नैतिक मूल्यों का लगातार ह्रास और समाज में हिंसात्मक तत्वों की लगातार बढ़ोतरी जो अनिवार्य रूप से संवेदनशील नवयुवकों को प्रभावित करती है ;

(iv) राजनीतिक हस्तक्षेप और हानिकारक प्रभाव ;

(v) अनेक कारणों से छात्रों के लक्ष्य का कमजोर होना ;

(vi) आवश्यक नेतृत्व का अभाव और राष्ट्रीय विकास के कार्यक्रमों को चुनौती देने में ऐसे नवयुवकों को लगाना, जो आदर्शवाद की ओर उन्मुख हैं।

(vii) शिक्षा के गिरते हुए स्तर ;

इस प्रकार की गम्भीर व्याधि के लिए सर्वोच्च राष्ट्रीय प्रयास की आवश्यकता है जिसमें जीवन के सभी पहलुओं का समावेश हो। यदि केवल शैक्षिक कारणों को ही लिया जाये, तो यह कहा जा सकता है कि शिक्षा के स्तर को ऊंचा करने, राष्ट्रीय सेवा कार्यक्रम के विकासार्थ, अध्यापक-छात्र सम्पर्क में सुधार, छात्रों द्वारा भाग लेने की व्यवस्था करने और छात्रों के लिए आवश्यक सुविधाओं और कल्याण सेवाओं की व्यवस्था करने के लिए व्यापक प्रयत्न करने जरूरी हैं। किन्तु इन्हें प्रभावशाली बनाने के लिए, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में उपयुक्त उपायों द्वारा इन प्रयत्नों को सुदृढ़ करना होगा।

राष्ट्रीय पुस्तक न्यास द्वारा पुस्तकों का तैयार करना

273. **श्री लोबो प्रभु** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पुस्तक न्यास की महा सलाहकार समिति द्वारा चुनी गई 100 पुस्तकों में से जब केवल 5 पुस्तकों की ही बिक्री 1000 से अधिक है, तो इसके क्या कारण हैं कि सरकार ने मूल प्रतियों की बिक्री को पुस्तकों के चयन के मानदंडों में कम से कम एक मापदंड के रूप में शामिल क्यों नहीं किया है ;

(ख) चुनी गई 100 पुस्तकों के नाम क्या हैं ;

(ग) यदि नेहरू बाल पुस्तकालय के लिए केवल मूल कृतियों को ही चुना जायेगा, तो सरकार इस सम्बन्ध में प्रतियोगिता करने का ज्ञापन प्रकाशित क्यों नहीं करती, ताकि चयन में समस्त, प्रतिभावान व्यक्तियों को अवसर मिल सके ;

(घ) गत वर्ष तैयार की गई 100 पुस्तकों में से कितने प्रतिशत इस समय बिना बिकी पड़ी हैं ; और

(ङ) राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के प्रशासन पर कुल कितना धन खर्च किया जाता है और इसके अध्यक्ष को कितना वेतन दिया जाता है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) सम्भवत: माननीय सदस्य का संकेत उस सुझाव की ओर है कि अनुवाद के लिए पुस्तकें चुनने में एक मापदंड यह भी होना चाहिये कि मूल पुस्तकों की अधिक बिक्री होती हो। नवीनतम आंकड़ों से पता चलता है कि न केवल पांच पुस्तकों की, बल्कि 18 पुस्तकों की, 1000 प्रतियों से अधिक बिक्री हो गई है। अनुवाद के लिए पुस्तकें चुनते समय राष्ट्रीय पुस्तक न्यास माननीय सदस्य के सुझाव को ध्यान में रखता है।

(ख) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या** एल० टी०-2753/70]

(ग) नेहरू बाल पुस्तकालय के लिए चयन केवल मूल कृतियों तक ही सीमित नहीं रहता है। बच्चों के लिए पहले ही प्रकाशित पुस्तकों पर भी विभिन्न भारतीय भाषाओं में अनुवाद के

लिये विचार किया जाता है। माननीय सदस्य के सुझाव को भी राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के पास विचारार्थ भेज दिया जायेगा।

(घ) 30-9-1969 को अनबिकी पुस्तकों का प्रतिशत 80.3 था। इस तारीख से बाद में, 31 मार्च 1970 तक के बिक्री के आंकड़े मई 1970 में ही उपलब्ध होंगे।

(ङ) 1968-69 में राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के प्रशासन पर हुआ कुल खर्च 2.82 लाख रुपए था। अध्यक्ष का वेतन 2,500 रुपए प्रतिमास है।

Irregularities in Appointments in Banaras Hindu University

274. **Shri Arjun Singh Bhadoria : Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Banaras Hindu University has committed some irregularities in regard to the appointment of three persons in the Department of Political Science ;

(b) whether he has received any representation in this regard ; and

(c) if so, the action taken or proposed to be taken in the matter ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) and (b). Certain representations were received alleging irregular and unfair selection of Readers in the Department of Political Science of the Banaras Hindu University.

(c) The Executive Council of the University has considered these representations and has resolved that the recommendations of the Selection Committee be not accepted and the posts be re-advertised. In accordance with the provisions of the Statutes of the University, the cases has been submitted to the Visit for orders.

मंगलौर पत्तन परियोजना के दूसरे चरण का निर्माण

275. **श्री एन० शिवप्पा** : **श्री पीलु मोडी** :
श्री रा० रा० सिंह देव : **श्री अजमल खां** :

क्या **नौवहन तथा परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अयस्क के रखने तथा उसके निर्यात के प्रयाजन के लिए पोत प्रांगण की मांग को ध्यान में रखते हुए मंगलौर पत्तन परियोजना के दूसरे चरण के निर्माण कार्य को आरम्भ करने की बड़ी आवश्यकता की जानकारी सरकार को है ; और

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना का निर्माण-कार्य कब आरम्भ हो जाएगा और कितने समय में पूरा हो जाएगा ?

संसद-कार्य और नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) और (ख). मंगलौर हारबर परियोजना के प्रथम क्रम के विकास में 3 संपार्श्व घाटों जिनमें एक खनिज लौह घाट भी शामिल है जो लगभग 5 लाख टन खनिज लौह के यातायात की धरा उठाई के लिए है के निर्माण का विचार है। इनका निर्माण कार्य जारी है। पत्तन की मास्टर योजना इस प्रकार बनाई गई है कि सुविधाओं का इतना विस्तार हो सके कि कि शुरू में यहां पर 60,000 डी०

डब्लू० टी० के जहाज और बाद में 100000 डी० डब्लू० टी० के जहाज आ सकें। कुदरेमुख लोहे की खान का तकनीकी आर्थिक शक्यता अध्ययन हो रहा है और रिपोर्ट के शीघ्र मिलने की संभावना है। पत्तन सुविधाओं के दूसरे विकास क्रम पर कुदरेमुख लोहे की खान में पूँजी लगाने के बारे में सरकार द्वारा निर्णय लिए जाने के बाद विचार किया जाएगा।

Talks Held in Delhi with Telengana Leaders

*276. **Shri Raghuvir Singh Shastri :** **Shri V. Narasimha Rao ;**
Shri Rabi Ray :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Prime Minister recently held talks with the leaders of Telengana in Delhi ; and

(b) if so, the decision taken by Government in regard to the popular demand for the creation of a separate Telengana State ?

The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan) : (a) The Chief Minister, Andhra Pradesh, Shri J. Chokka Rao and Shri V. B. Raju separately met the Prime Minister in February, 1970. A deputation of six Telengana Members of Parliament also met Prime Minister on 3rd March, 1970.

(b) Government's view has always been that accelerated development of the Telengana region, and not the creation of a separate State, is the real answer to the needs of the people of these areas. The decisions taken regarding utilisation of the unspent surpluses, accelerated development of the region during the current Plan period, enlargement of powers of the Regional Committee, etc., were announced in a press communique issued on 18th February, 1970. A copy of the communique is laid on the table of the House. [*Placed on Library. See* No. LT—2754/70].

पोलिटेकनिक शिक्षा पर विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति

277. *श्री प० गोपालन : श्री पी० पी० एस्थोस :
श्री वि० कु० मोडक :

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार समूचे रूप से पोलिटेकनिक शिक्षा प्रणाली की समीक्षा करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित समिति के समक्ष विचारार्थ विषय क्या होंगे और उसका गठन किस प्रकार होगा ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी हां। पालिटेक्निक शिक्षा की पूरी पद्धति की जांच करने और आगामी दस वर्षों में उसके विकास और पुनर्गठन के लिए एक रूप रेखा तैयार करने के वास्ते एक विशेष समिति नियुक्त की गई है।

(ख) समिति का गठन और उसे सौंपे गए विषय सभा पटल पर रखे गए विवरण में दिए गए हैं। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये** संख्या एल० टी०-2755/70]

संस्कृति की शिक्षा देने की योजना

*278. **श्री एस० एस० कृष्णा :**
श्री चन्द्रशेखर सिंह :

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विद्यार्थियों को संस्कृति की शिक्षा देने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे स्कूलों/कालेजों की संख्या कितनी है और उनके नाम क्या हैं जहां आगामी तीन वर्षों में ऐसी शिक्षा दी जायेगी ;

(ग) इसका ब्यौरा क्या है ; और

(घ) इस योजना के लिए कितनी राशि नियत की गई है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) से (घ). इस सम्बन्ध में कुछ सुझाव प्राप्त हुए हैं और उनकी जांच की जा रही है। ब्यौरे अभी तैयार करने रहते हैं।

चौथी पंचवर्षीय योजना में 42.5 लाख रुपये की योजनागत व्यवस्था की गई है।

साम्प्रदायिक दंगों को रोकने के उपाय

*279. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में साम्प्रदायिक दंगों की रोक-थाम के लिए क्या ठोस कार्यवाही की जा रही है ;

(ख) क्या कुछ राजनीतिक दल निरन्तर साम्प्रदायिक घृणा फैला रहे हैं ;

(ग) यदि हां, तो क्या उन दलों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की जायेगी ; और

(घ) क्या सरकार का विचार साम्प्रदायिक घृणा फैलाने की कार्यवाही को प्रज्ञेय अपराध घोषित करने का है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) राष्ट्रीय एकता परिषद् तथा 4 नवम्बर 1969 को नई दिल्ली में सर्वदलीय सम्मेलन द्वारा की गई सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई की जा रही है। 26 सितम्बर, 1969 को प्रधान मंत्री और गृह मंत्री ने कुछ राज्यों के मुख्य मंत्रियों से साम्प्रदायिक गतिविधियों से निपटने के लिए प्रशासनिक तथा अन्य प्रबन्धों और उपायों के बारे में विचार-विमर्श किया था। प्रधान मंत्री ने 28 सितम्बर, 1969 को विचार-विमर्श की निष्कर्षों की जानकारी सभी मुख्य मंत्रियों को कराते हुए तथा किसी अन्य साम्प्रदायिक दंगों के फैलाव को रोकने के लिए शीघ्र कार्रवाई के जरिये उनका सहयोग प्राप्त करने के लिए लिखा था। केन्द्रीय सरकार इन मान्य निर्णयों के कार्यान्वयन के बारे में राज्य सरकारों से संपर्क बनाए हुए है।

(ख) और (ग). कुछ दलों और संगठनों द्वारा प्रचार किए गए कुछ मत धर्मनिरपेक्षता के अनुकूल नहीं हैं और हमारे देश के हितों के लिए हानिकारक भी हैं वर्तमान कानूनी उपबंधों के अन्तर्गत भी भारतीय दंड संहिता की धारा के 153-क तथा 505 को व्यक्तियों पर तथा किसी संस्था पर अथवा व्यक्तियों के निकाय, चाहे निगमित हों अथवा नहीं, लागू किया जा सकता है । जबकि किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई कानूनी कार्यवाही की जा सकती है जो धर्म, जाति, इत्यादि के आधार पर विभिन्न वर्गों के बीच घृणा, दुर्भावना इत्यादि फैलाता है, साम्प्रदायिक सौहार्द और मैत्री के पक्ष में सार्वजनिक शिक्षा की प्रक्रिया ऐसे विचारों से निपटने के लिए आवश्यक होगी ।

(घ) आपराधिक तथा निर्वाचन विधि (संशोधन) अधिनियम, 1969 के अधिनियमन से भारतीय दंड संहिता की धारा 153-क तथा 505 के अन्तर्गत अपराध अब प्रज्ञेय हैं ।

संसदीय समितियों की बैठकें दक्षिण भारत में करने के लिये केन्द्रीय सरकार के होस्टलों का निर्माण

*280. **श्री पी० विश्वम्भरन** : क्या **संसद्-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण भारत में संसद् के सत्र करने के प्रश्न पर विचार करने हेतु नियुक्त की गई संसद् सदस्यों की समिति ने सिफारिश की थी कि संसदीय समितियों की बैठकें दक्षिण भारत में की जानी चाहिएं और इस उद्देश्य के लिए बंगलौर और त्रिवेन्द्रम में केन्द्रीय सरकार के होस्टल बनाये जाने चाहिए ; और

(ख) यदि हां, तो इन सिफारिशों पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

संसद्-कार्य और नौवहन तथा परिवहन मन्त्री (श्री रघु रामैया) : (क) जी हां, यह सिफारिश संसदीय समितियों तक ही सीमित नहीं है बल्कि इसे अनौपचारिक सलाहकार समितियों के लिए भी किया गया है ;

(ख) जहां तक मन्त्रालयों की सलाहकार समितियों का संबंध है, यह निर्णय किया गया है कि अंतः सत्रकाल में सलाहकार समितियों की बैठकें, परीक्षणात्मक तौर पर, इन समितियों के चेयरमैनों के विवेकानुसार, राज्यों में पहले से ही उपलब्ध सुविधाओं को उपयोग में लाकर, दिल्ली से बाहर की जा सकती हैं । तथापि किसी भी सलाहकार समिति की बैठक साल में एक बार से अधिक दिल्ली से बाहर नहीं की जाएगी ।

संसदीय समितियां संसद् की दोनों समाओं के अधिष्ठाताओं के निदेशों के अधीन कार्य करती हैं । इन समितियों की बैठकें संबंधित अधिष्ठाता की अनुमति से दिल्ली से बाहर की जा सकती हैं ।

राज्यों की सीमाओं के पुनः निर्धारण हेतु आयोग

*281. **डा० सुशीला नैयर** : **श्रीमती सावित्री श्याम** :
श्री यमुना प्रसाद मंडल :

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कुछ राज्यों की सीमा के पुनर्निर्धारण के लिए आयोग नियुक्त करने का

कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो आयोग के सदस्य कौन-कौन होंगे ; और

(ग) उक्त आयोग कब से काम करना शुरू करेगा ?

गृह-कार्य मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क), (ख) और (ग). सरकार ने पहले ही पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की वर्तमान अन्तर्राज्यीय सीमाओं के पुनः निर्धारण के लिए दावों और प्रतिदावों की जांच करने हेतु उपयुक्त विचारार्थ विषय के साथ एक आयोग की नियुक्ति के इरादे की घोषणा की है। विचारार्थ विषय संबंधित राज्यों के परामर्श से तय किए जाने हैं। इस अवस्था में आयोग के गठन के बारे में अथवा उस तिथि को जब से वह अपना कार्य आरंभ करेगा, बताना संभव नहीं है।

दिल्ली परिवहन उपक्रम के लिये धन का नियतन

282. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :**
श्री भोगेन्द्र झा :
श्री रामावतार शास्त्री :
श्री जि० मो० विस्वास :
श्री इसहाक सम्भली :

क्या **नौवहन तथा परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1970 में दिल्ली परिवहन उपक्रम के कार्य संचालन की स्थिति के अधिक बिगड़ जाने की सम्भावना है क्योंकि बेकार बसों की संख्या और भी बढ़ जायेगी ;

(ख) क्या दिल्ली परिवहन उपक्रम के प्राधिकारियों ने कहा है कि जब तक धन उपलब्ध नहीं किया जाता तब तक उपक्रम की स्थिति में सुधार होने की कोई सम्भावना नहीं है ; और

(ग) क्या यह भी सच है कि चौथी योजनावधि में दिल्ली परिवहन उपक्रम के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा नियत किया गया धन उपक्रम को अभी तक नहीं दिया गया है जिससे स्थिति और भी अधिक खराब हो गई है और यदि हां, तो मामले में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संसद्-कार्य और नौवहन तथा परिवहन मन्त्री (श्री रघु रामैया) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) जी हाँ। परन्तु 30 लाख रुपये का अर्थोपाय ऋण दिल्ली परिवहन उपक्रम के लिये दिल्ली नगर निगम को दिया जा रहा है। और ऋण के लिये निगम की दूसरी प्रार्थना इस समय विचाराधीन है।

समय-समय पर नियत अवधि के बाद पाठ्य पुस्तकों का पुनरीक्षण करने हेतु स्कूल पाठ्य पुस्तकों सम्बन्धी राष्ट्रीय बोर्ड की स्थापना

*283. **श्री न० कु० सांधी** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार समय-समय पर नियत अवधि के बाद पाठ्य

पुस्तकों का पुनरीक्षण करने हेतु स्कूल पाठ्य पुस्तकों सम्बन्धी एक राष्ट्रीय बोर्ड स्थापित करने का है और यदि हां, तो उसके सही-सही कृत्य क्या होंगे तथा ऐसे पुनरीक्षण के क्या-क्या उद्देश्य हैं,

(ख) उस बोर्ड में कौन-कौन से सदस्य होंगे ; और

(ग) क्या बोर्ड को पाठ्य पुस्तकों के मानकी करण का कार्य सौंपा जायेगा ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) स्कूल पाठ्यपुस्तकों सम्बन्धी राष्ट्रीय बोर्ड की स्थापना भारत सरकार के संकल्प संख्या एफ० 18-22/68-बी० एस० ई०2 दिनांक 31-12-1968 के द्वारा की गई थी। संकल्प की एक प्रति सभा पटल पर रख दी गई है।

(ख) बोर्ड का गठन इस प्रकार है :-

(क) केन्द्रीय शिक्षा मन्त्री		अध्यक्ष
(ख) सभी राज्यों और ऐसे सभी संघीय क्षेत्रों के शिक्षा मन्त्री,जिनमें विधान सभाए हैं तथा दिल्ली के मुख्य कार्यकारी पार्षद्		
(ग) शिक्षाविद तथा पाठ्य पुस्तक निर्माण क्षेत्र के विभिन्न हितों तथा संबंधित क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले विशेषज्ञ	—	सोलह
(घ) शिक्षा मन्त्रालय का एक	—	सदस्य
अधिकारी	—	सचिव

(ङ) यद्यपि बोर्ड को पाठ्य पुस्तकों के मानकी करण, का कार्य विशिष्ठ रूप से नहीं सौंपा गया है फिर भी, इसके कार्यों में निम्नलिखित शामिल है।

1. स्कूल पाठ्य पुस्तकों के निर्माण तथा निर्धारण से सम्बन्धित सभी मामलों पर भारत सरकार तथा राज्य सरकारों को परामर्श देना।

2. राज्य और राष्ट्रीय स्तरों पर निर्माण की गई पाठ्य पुस्तकों की जांच पड़ताल करना तथा यह सुनिश्चित करना कि वे राष्ट्रीय एकता के उद्देश्यों के अनुरुप हैं।

3. यह सुनिश्चित करना कि पाठ्य पुस्तकों की सामग्री और विषय वस्तु को सुधारने, सामग्री के प्रस्तुतीकरण और निर्माण में राष्ट्रीय तथा राज्य स्तरों पर लगातार प्रयत्न किए जाते हैं और इस प्रयोजन के लिए, पाठ्य पुस्तकों विशेषकर इतिहास, भाषा और समाज अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों के निर्माण के लिए कोई उपयुक्त मापदंड तैयार करना।

महात्मा गांधी के हत्या-काण्ड की जांच सम्बन्धी कपूर आयोग का प्रतिवेदन

*284. **श्री योगेन्द्र शर्मा :** **श्री विश्व नाथ पाण्डय :**
श्री देवेन सेन :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री महात्मा गांधी के हत्या-कांड की जांच के बारे में 21 नवम्बर, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 841 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महात्मा गांधी की हत्या के षडयंत्र की जांच करने के लिए नियुक्त किए गए कपूर आयोग के प्रतिवेदन पर अब सरकार ने विचार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो प्रतिवेदन में क्या मुख्य सिफारिशें की गई हैं ; और

(ग) उन पर क्या कार्यवाही की गई हैं ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क), (ख) और (ग) . उक्त प्रतिवेदन अभी तक विचाराधीन है ।

कलकत्ता-अगरतला-सिलचर और इम्फाल मार्ग पर इंडियन एयरलाइन्स की सेवाएं

*285. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडियन एयरलाइन्स ने कलकत्ता-अगरतला-सिचलर-इम्फाल मार्ग पर अक्टूबर, 1968 तक फोकर फ्रैंडशिप अथवा एच० एस० 748 विमान चलाने का वचन दिया था ;

(ख) यदि हां, तो इस वचन को पूरा न करने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि कलकत्ता और सिलचर के 'बीच फोकर फ्रैंडशिप' की सीधी सेवा चालू करने से मार्ग में अगरतला और सिलचर के यात्रियों को उचित स्थान नहीं मिल पाता है ;

(घ) यदि हां, तो यदि इस संबंध में कोई कार्यवाही की जा रही है तो क्या ; और

(ङ) क्या सरकार का विचार इंडियन एयरलाइन्स की दैनिक सेवा एजल तक बढ़ाने, सिलचर और कलकत्ता के बीच एक दैनिक जनता सेवा चालू करने जो कि असैनिक उड्डयन विभाग के अन्तर्गत होगा, एजल के समीप तुरियल हवाई अड्डे पर अग्नि शमन के केन्द्र तथा एम्बुलेंस यूनिट स्थापित करने है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) . इंडियन एयरलाइन्स ने कलकत्ता-अगरतला-सिलचर-इम्फाल मार्ग पर नवम्बर,1969 से फोकर फ्रैंडशिप विमान चलाने की योजना बनाई थी । परन्तु इस योजना को कार्यरूप नहीं दिया गया क्योंकि एच० एस०-748 विमान के वितरण में अप्रत्याशित देरी होने के कारण इस सेवा के लिये फोकर विमान उपलब्ध नहीं कराये जा सके ।

(ग) और (घ) . सीधी कलकत्ता-सिलचर सेवा के अलावा, कलकत्ता-अगरतला-सिलचर-इम्फाल मार्ग पर एक दैनिक डकोटा सेवा भी चल रही है जिस पर अगरतला और सिलचर के बीच दोनों तरफ दो-दो सीटों का नियतन है। इंडियन एयरलाइन्स को आशा है कि कलकत्ता-अगरतला-सिलचर-इम्फाल मार्ग पर डकोटा सेवा को शीघ्र ही एफ-27 विमान से बदल दिया जायेगा। ऐसा होने पर अगरतला और सिलचर के बीच अधिक धारिता उपलब्ध हो जायेगी।

(ङ) ऐसे कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

कच्छ क्षेत्र को केन्द्र द्वारा अपने अधिकार में लेने की मांग

*286. **श्री मयावन :** **श्री नारायणन :**
श्री दण्डपाणि : **श्री सामिनाथन :**
श्री नि० र० लास्कर :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कच्छ को अन्य विकसित क्षेत्रों के बराबर लाने के लिए उनके केन्द्र द्वारा अपने अधिकार में लिये जाने की बड़ी मांग की जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस बारे में एक ज्ञापन प्रधान मंत्री को भी पेश किया गया था ; और

(घ) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (घ). सरकार को कच्छ को केन्द्र के अधिकार में लाने की किसी मांग की जानकारी नहीं है। राज्य सरकार ने सूचित किया है कि वे इस क्षेत्र के विकास के लिए पर्याप्त उपाय कर रहे हैं। कच्छ क्षेत्र के आर्थिक विकास की आवश्यकता पर एक ज्ञापन भी प्रधान मंत्री को उनकी हाल की गुजरात की यात्रा के समय प्रस्तुत किया गया था। उसे योजना आयोग को उचित कार्यवाही के लिए भेज दिया गया है।

बम्बई में एक अनधिकृत हवाई पट्टी का पाया जाना

*287. **श्री सु० कु० तापड़िया** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई में एक अनधिकृत हवाई पट्टी का पता लगा है जिसका तस्कर व्यापारियों द्वारा बड़े पैमाने पर बहुधा प्रयोग किया गया है ; और

(ख) क्या कोई जांच कार्यवाही की गयी है और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). जाँचों के परिणामस्वरूप बम्बई में ऐसी किसी हवाई पट्टी का पता नहीं चला है।

पालम हवाई अड्डे के विश्राम-कक्षों में कला-चित्र और सजावटी-चित्र

*288. **श्री मीठा लाल मीना :** **श्री दे० अमात :**
श्री ए० दापा : **श्री सी० मुत्तुस्वामी :**
श्री रा० की० अमीन :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पालम हवाई अड्डे के विभिन्न विश्राम कक्षों के भीतर लगाए गए बड़े आकार के कला-चित्रों और इसी प्रकार के अन्य सजावटी-चित्रों पर हुए खर्च का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) उन कलाकारों के नाम क्या हैं जिन्हें यह काम सौंपा गया था ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). आंतरिक सजावट पर खर्च किए गए लगभग चार लाख रुपयों में से तिरानवें हजार रुपए की राशि पेटियों और अन्य सजावटी पेनलों पर व्यय की गई, जिनका ब्यौरा सभापटल पर रखे गए विवरण में दिया गया है ।

विवरण

क्रम संख्या	विवरण	लागत
		रुपए
1.	चीनी मिट्टी के 6 पात्र तथा चीनी मिट्टी की 6 राखदानी (श्रीमती किरण गुजराल)	3,100.00
2.	भित्ति चित्र (नायिका)	15,000.00
3.	कलात्मक कार्य (1) (श्री विशम्बर नाथ खन्ना)	3,000.00
4.	कलात्मक कार्य (4) (श्री सतीश गुजराल)	6,000.00
5.	लेखा चित्रीय कार्य (12) (श्री रूप किशोर वर्मा)	2,400.00
6.	'फ्लोर' राखदानी (6) (मैसर्स एसक्राफ्ट्स)	1,950.00
7.	नमदा (1) (श्री रितेन्द्र मजूमदार)	500.00
8.	पूर्वकालीन वस्तुएं (एच०एच०ई०सी०) गरूड़ तथा लकड़ी की नक्काशी वाली वस्तुएं (1+2)	16,250.00
9.	फोटो (15) (मैसर्स महट्टा एण्ड कम्पनी पुरातत्वीय सर्वेक्षण)	4,312.00
10.	नीले कलात्मक चीनी मिट्टी के बर्तन आदि(चमकदार तथा गैर-चमकदार टाइल)	20,171.60

1	2	3
11.	चित्र (1) (श्री परितोष सेन)	2,500.00
12.	दीवारों पर लटकाई गई कलाकृतियां (4) (एच०एच०ई०सी०)	3,102.00
13.	कपड़े	2,674.23
14.	मार्बल का काम	7,651.00
15.	फोटो—2,400 रुपए की दर से (एच०एच०ई०सी०)	800.00
	जोड़ :—	93,410.00

इसमें भारत के हस्तशिल्प तथा हथकरघा निर्यात निगम लिमिटेड द्वारा लिया गया 15 प्रतिशत डिजाइन शुल्क तथा 3 प्रतिशत ढुलाई शुल्क शामिल नहीं है ।

Expenditure Incurred for Attracting Foreign Tourists

*289. **Shri Onkar Lal Bohra** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) the total amount of expenditure incurred, along with the various items under which it was incurred and also the various places in the country where it was incurred, during the last three years with a view to attracting foreign tourists ;

(b) the details of future plan for providing tourist facilities in Rajasthan and the amount of funds provided therefor ; and

(c) the details of facilities so far provided for the Indian tourists in the country particularly for common people, and also the details of the plans for providing such facilities in future ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) A statement is laid on the Table of the House. [*Placed in Library. See* No. LT—2757/70].

(b) In the Fourth Five Year Plan of the Department of Tourism, Jaipur, Udaipur and Jaipur-Bharatpur-Deeg complex in Rajasthan have been included amongst the places where tourist facilities are to be provided and improved. Further, it is proposed to construct a Youth Hostel at Jaipur, and to provide accommodation and transport facilities at the Bharatpur Bird Sanctuary and transport at the Sariska Game Sanctuary. Funds to be provided for these schemes will be determined after detailed examination.

(c) A statement giving a list of tourist facilities provided so far at different tourist centres is laid on the Table of the House. With the discontinuance of Part II schemes, the Central Fourth Five Year Plan primarily aims at providing facilities for destination traffic to India from abroad. All these facilities are available for Indian tourist also. In addition, it is proposed to construct a chain of Youth Hostels in the Central sector during the Plan.

विमान निगमों के लिए विमानों का क्रय

*290. **श्री अ० कु० गोपालन :** **श्री उमानाथ :**
श्री ई० के० नायनार : **श्री सी० के० चक्रपाणि :**

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विमान निगमों के लिए अतिरिक्त विमान प्राप्त करने हेतु अपनी मंजूरी देने में सरकार ने दो वर्ष की देर की थी ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार द्वारा किये गये इस विलम्ब के संबंध में एयर इण्डिया के अध्यक्ष द्वारा की गई आलोचना की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा कर्ण सिंह) : (क) और (ख). इण्डियन एयर-लाइन्स ने अतिरिक्त विमानों की खरीद के सम्बन्ध में अपने प्रस्ताव जुलाई 1968 में सरकार को भेजे । जबकि इन पर विचार किया जा रहा था, एक निर्माता फर्म के, जिनके विमान के बारे में भी विचार किया जा रहा था, एक प्रतिनिधि के विरुद्ध गंभीर आरोप लगाये गये । इस कारणवश इस मामले की केन्द्रीय जांच कार्यालय द्वारा विस्तृत जांच करना आवश्यक हो गया । इन हालातों की पृष्ठभूमि में, विभिन्न प्रकार के विमानों का मूल्यांकन करके इण्डियन एयरलाइन्स की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उनमें से सर्वोपयुक्त विमान का निर्धारण करने के लिए एक उच्च स्तरीय दल का गठन किया गया । इस दल ने अपनी रिपोर्ट 29 दिसम्बर, 1969 को प्रस्तुत की और सरकार ने अन्तिम निर्णय 9 जनवरी, 1970 को किया ।

(ग) मैंने इस संबंध में एक समाचार पत्र की रिपोर्ट देखी है ।

(घ) नये विमानों के प्राप्त हो जाने पर इण्डियन एयरलाइन्स की धारिता में काफी सुधार होगा ।

गैर-सरकारी उड्डयन समवायों के अधीन काम कर रहे कर्मचारियों पर लागू होने वाली सेवा की शर्तों के सम्बन्ध में नियम

*291. **श्री विश्वनाथ मेनन :** **श्री मुहम्मद इस्माइल :**
श्री गणेष घोष : **श्री नम्बियार :**

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर-सरकारी असैनिक उड्डयन समवायों में काम कर रहे कर्मचारियों पर सेवा की शर्तों संबंधी नियम लागू होते हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या इण्डियन एयर-लाइन्स कारपोरेशन के कर्मचारियों की सेवा शर्तों से संबंधित नियमों को कार्यान्वित करना इन नियोजकों के लिए अनिवार्य किये बिना, ऐसे समवायों को लाइसेंस दिये गये हैं ; और

(ग) क्या सरकार इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन की सेवा की शर्तों को गैर-सरकारी समवायों में असैनिक उड्डयन कर्मचारियों पर भी लागू करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) दोनों एयर कारपोरेशनों के कर्मचारियों पर लागू होने वाली सेवा की शर्तें प्राइवेट सिविल विमानन कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों पर स्वतः लागू नहीं होतीं। यह तो मालिक और कर्मचारियों के बीच हुए करार का प्रश्न है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नही।

पर्यटन विकास योजना के अन्तर्गत होटलों का निर्माण

*292. **श्री विश्वनारायण शास्त्री** : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पर्यटन विकास योजना के अन्तर्गत होटलों के निर्माण के लिए अब तक ऋण के रूप में राज्यवार कितनी राशि दी गई है ;

(ख) होटलों में पर्यटकों के रहने के लिए वर्तमान उपलब्ध स्थान में इस योजना के आधार पर अब तक कितनी वृद्धि की गई है ; और

(ग) उपरोक्त योजना के अंतर्गत क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) हैदराबाद, बम्बई और कलकत्ता में होटल प्रायोजनाओं के लिए होटल विकास ऋण योजना के अन्तर्गत कुल मिलाकर 248.59 लाख रुपये के ऋणों का अनुमोदन किया जा चुका है। इस राशि में से 20 लाख रुपयों का मार्च, 1969 में वितरण कर दिया गया, और बाकी की रकम तब दी जायेगी जबकि प्रार्थी औपचारिक आवश्यकताओं को पूरा कर लेंगे। इस योजना के अन्तर्गत धन-विनियतन राज्य-वार आधार पर नहीं, अपितु प्रत्येक प्रार्थना-पत्र के गुण-दोष और प्रात्रता के आधार पर किया जाता है।

(ख) अब तक जिन होटल प्रायोजनाओं के लिए ऋणों का अनुमोदन कर दिया गया है, उनके तैयार हो जाने पर वर्तमान उपलब्धता में 860 होटल-कमरों की वृद्धि हो जायेगी।

(ग) आशा है कि होटल विकास ऋण योजना के अन्तर्गत की गई 5 करोड़ रुपये की व्यवस्था की शेष रकम के बांटे जाने पर लगभग 800 और कमरे उपलब्ध होंगे।

गैर सरकारी क्षेत्र के होटलों को वित्तीय सहायता

*293. **श्री शिव चन्द्र झा** : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार चतुर्थ योजनावधि में देश में सरकारी क्षेत्र के होटलों

की अपेक्षा गैर-सरकारी क्षेत्र के होटलों को अधिक वित्तीय सहायता देने की योजना बना रही है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो तृतीय योजना के अन्त से लेकर अब तक गैर-सरकारी होटलों को सरकारी क्षेत्र के होटलों की तुलना में कुल कितनी वित्तीय सहायता दी गई तथा उसी अवधि में दोनों क्षेत्रों के होटलों में अलग-अलग कुल कितने विदेशी पर्यटक ठहरे ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) गैर-सरकारी (निजी) क्षेत्र के लिए ऋण के रूप में 5.00 करोड़ रुपये निर्धारित किये गये हैं । कुल 248.59 लाख रुपये के ऋणों का अनुमोदन किया गया है जिसमें से अब तक 20 लाख रुपये वितरित किये जा चुके हैं । जहां तक सरकारी क्षेत्र के होटलों का सम्बन्ध है, तीसरी पंच वर्षीय योजना के समाप्त होने से लेकर, ऐसे होटलों के निर्माण के लिए 10.25 करोड़ रुपये निर्धारित किये गये हैं, और 2.6 करोड़ रुपये वर्तमान होटलों को इक्विटी शेयर पूंजी तथा ऋणों के रूप में दिये जा चुके हैं । ऐसे विदेशी पर्यटकों की संख्या के बारे में पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं है जो सभी होटलों में ठहरे ।

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् के कार्यकरण के बारे में सरकार समिति का प्रतिवेदन

*294. **श्री ए० श्रीधरन :** **श्री श्रद्धाकर सुपकार :**
श्री क० अनिरुद्धन :

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के कार्यकरण के बारे में सरकार समिति का प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत कर दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ;

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) रिपोर्ट का भाग I, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के अध्यक्ष को 27.2.70 को पेश कर दिया गया है ।

(ख) यह भाग, बहुत करके प्रथम विचारार्थ विषय तथा संगठन में की गई विभिन्न नियुक्तियों के सम्बन्ध में कुछ आरोपों से सम्बन्धित है । इसमें कार्मिक नीति के सम्बन्ध में अनेक सिफारिशें भी शामिल हैं । रिपोर्ट सभा पटल पर शीघ्र रख दी जायेगी ।

Agreement for Loan between Air India and U. S. Export and Import Bank for purchasing Jumbo Jet Boeing—747

*295. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that an agreement has been concluded between the Air India

and U. S. Export and Import Bank according to which the U S.A. is advancing loans to the Air India for purchasing Jumbo Jet Boeing-747 ;

(b) if so, the total amount of loans being advanced as per the agreement for the purchase of the said planes ; and

(c) the time by which the said planes would be purchased ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) and (b). Air India have entered into two loan agreements with the EXIM Bank, U. S. Commercial Banks, Boeing Co. and Deutsche Bank as detailed below for the purchase of three Boeing-747 (Jumbo Jet) aircraft :—

Details of Loan for the First Two aircraft

Source	Amount (in Millions)
Exim Bank US commercial	US $25.00
Banks	,, $32.223
Boeing Co.	,, $ 2.777

Details of Loan for the Third aircraft

Exim Bank	US $18.00
Boeing Co,	,, $ 2.00
U.S. commercial Banks	,, $ 3.00
Deutsche Bank	D.M. 40.00

(c) The first two aircraft are expected to be received in April, 1971 and the third in March, 1972.

दिल्ली में सरकारी क्षेत्र के होटलों के कर्मचारियों द्वारा एक दिन की हड़ताल

296. **श्री जे०के० चौधरी** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजधानी में सरकारी होटलों, जिसमें अशोक होटल तथा जनपथ होटल शामिल हैं, के कर्मचारियों ने प्रशासन के भ्रष्टाचार कदाचारों के बारे में एक उच्च-शक्ति प्राप्त समिति द्वारा जांच को अपनी मांग मनवाने के लिए फरवरी, 1970 में एक दिन की हड़ताल करने का निश्चय किया था और 8 लाख रुपये खर्च करने के बाद रिवाल्विंग टावर परियोजना का परित्याग करने के क्या कारण हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उनकी मांगें मंजूर करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). अशोक होटल कर्मचारी संघ, जनपथ होटल कार्यकर्ता संघ और होटल जनपथ कर्मचारी संघ ने 22-1-70 को

क्रमश: अशोक होटल्स लिमिटेड और जनपथ होटल्स लिमिटेड को नोटिस दिया कि प्रबन्धक वर्ग द्वारा नोटिस प्राप्त किए जाने के चौदह दिन के बाद वे किसी भी दिन हड़ताल कर सकते हैं। संघों द्वारा प्रस्तुत किये गये मांग पत्र (चार्टर-आफ डिमाँड्स) का सम्बन्ध 'वेजबोर्ड अवार्ड' के क्रियान्वयन से है और उसमें न तो प्रबन्धकवर्ग के तथाकथित भ्रष्टाचारपूर्ण कदाचारों और न ही रिवॉल्विंग टावर प्रायोजना को छोड़ देने के कारणों में उच्चाधिकार सम्पन्न समिति द्वारा जांच की कोई मांग की गयी है। समझौते की कार्यवाही चल रही है।

पंजाब तथा हरियाणा के बीच पंजाब विश्वविद्यालय की आस्तियों का विभाजन

*297. **श्री राम किशन गुप्त** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने पंजाब विश्वविद्यालय की आस्तियों को पंजाब तथा हरियाणा में विभाजित करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो यह विभाजन कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

गृह-कार्य मन्त्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बेरोजगारी की समस्या हल करने के लिए 'यूनेस्को' द्वारा सहायता की पेशकश

298. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में शिक्षित लोगों में बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए 'यूनेस्को' ने सहायता देने का प्रस्ताव किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या सरकार ने 'यूनेस्को' द्वारा प्रस्तावित सहायता स्वीकार कर ली है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

राज्यों में कानून और व्यवस्था की स्थिति का बिगड़ जाना

*299. **श्री रा० कृ० बिड़ला** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को विदित है कि कुछ राज्यों में कानून और व्यवस्था की स्थिति सामान्य रूप से बिगड़ गई है ;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां कानून और व्यवस्था की स्थिति गत छः महीनों में बहुत अधिक खराब हो गई है ;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्यों से इस मामले में पूरी रिपोर्ट माँगी है ; और

(घ) जिन राज्यों में कानून और व्यवस्था की स्थिति राज्य सरकारों के लिए समस्या बन जाती है उनको केन्द्रीय सरकार कहां तक सहायता करता है ?

गृह-कार्य मन्त्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) और (ख). सरकार देश के विभिन्न भागों में हाल के आन्दोलनों तथा दंगों में कानून के अनेक उल्लंघनों को गम्भीर चिन्ता की दृष्टि से देखती है। पश्चिम बंगाल में विधि तथा व्यवस्था की बिगड़ती हुई स्थिति चिन्ता का कारण है।

(ग) राज्य सरकारें अपने-अपने राज्यों की विधि तथा व्यवस्था की स्थिति से सामान्यतः केन्द्रीय सरकार को अवगत कराती रहती है। सार्वजनिक व्यवस्था के गम्भीर उल्लंघनों के संबंध में विशेष रिपोर्ट भी प्राप्त की जाती है।

(घ) राज्य सरकारों द्वारा मांगी गई उचित सहायता जैसे केन्द्रीय रिजर्व पुलिस या सीमा सुरक्षा दल की तैनाती, वायरलैस सैटों की व्यवस्था, इत्यादि, केन्द्रीय सरकार द्वारा दी जाती है।

हिमाचल प्रदेश के लिये विश्वविद्यालय

300. **श्री प्रेम चन्द वर्मा** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश के विश्वविद्यालय की स्थापना कब तक किए जाने की सम्भावना है ;

(ख) हिमाचल प्रदेश के विद्यार्थी उस विश्वविद्यालय से किस वर्ष परीक्षा देंगें ;

(ग) केन्द्रीय सरकार ने उस विश्वविद्यालय के लिए कितनी निधि तथा किन शीर्षों के अंतर्गत, मंजूर की है तथा हिमाचल प्रदेश सरकार को इस कार्य के लिए कितनी धनराशि प्राप्त तथा खर्च करनी होगी ; और

(घ) प्रस्तावित विश्वविद्यालय में कौन-कौन से विषय पढ़ाए जायेंगे ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख). आशा है कि विश्वविद्यालय 1970-71 के शिक्षा वर्ष से अपना कार्य आरम्भ कर देगा। विश्वविद्यालय की परीक्षाओं की अनुसूची के बारे में विश्वविद्यालय स्थापित हो जाने के बाद ही निश्चय किया जाएगा।

(ग) हिमाचल प्रदेश प्रशासन को, चौथी योजना के लिए 7 करोड़ रुपये के बढ़े हुए अपने परिव्यय में से ही आवश्यक धन उपलब्ध करना होगा। प्रशासन द्वारा वित्तीय जिम्मेदारियों के ब्यौरे तैयार किए जा रहे हैं। सभी विश्वविद्यालयों पर लागू पद्धति के अनुसार विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से सहायता का पात्र होगा।

(घ) प्रारम्भ में, कला, विज्ञान, कृषि, मेडिसिन, शिक्षा और वाणिज्य संकाय स्थापित किए जायेंगे।

गुजरात में टाटा केमिकल्स के सोडा राख कारखाने का विस्तार

*306. **श्रीमती इलापालचौधरी :** **श्री जी० बाई० कृष्णन :**
श्री देवेन सेन :

क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसर्स टाटा-केमिकल्स लिमिटेड ने गुजरात में अपने सोडाराख कारखाने का विस्तार करने के लिए आवेदव-पत्र भेजा था ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित विस्तार का ब्यौरा क्या है और उस पर कितना व्यय होगा ;

(ग) क्या यह भी सच है कि केन्द्रीय सरकार ने उल्लिखित विस्तार के लिए अपनी अनुमति दे दी है ;

(घ) यदि हां, तो यदि विस्तार की अनुमति देने में कुछ शर्तें रखी गई हैं तो वे क्या हैं ; और

(ङ) विस्तार कार्य कब आरम्भ किया जायेगा और कब तक पूरा हो जायेगा ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी हां ।

(ख) (1) सोडा राख की क्षमता में 600 टन प्रति दिन से 1000 टन प्रतिदिन की वृद्धि हो जायगी ।

(2) विस्तार में 300 लाख रुपये की लागत आएगी जिसमें 60 लाख रुपये की लागत विदेशी मुद्रा के रूप में होगी ।

(3) कम्पनी यह सुनिश्चित कर लेगी कि उनका सोडा राख के निर्यात में उसके हिस्से के सोडा राख उत्पादन से कम नहीं है ।

या

उनके वार्षिक निर्यात का जहाज तक निःशुल्क मूल्य, सोडा राख के 1000 टन प्रतिदिन के विस्तार के लिए, विदेशी मुद्रा की लागत का 50 प्रतिशत से कम नहीं है । इन दोनों में से जो भी अधिक हो ।

(4) उनकी संशोधित उर्वरक परियोजना, जिसमें अमोनियम क्लोराइड का उत्पादन भी शामिल है सोडा राख की क्षमता के विस्तार पर आधारित है । संशोधित उर्वरक प्रोग्राम के अनुमोदित होने पर उनकी इच्छा, सह उत्पाद के रूप में अमोनिया क्लोराइड के उत्पादन के लिए, विसपित सोलवे प्रक्रिया को अपनाने का है ।

(ग) जी हां ।

(घ) (1) संयत्रों तथा उपकरणों के आयात की व्यवस्था, सरकार की सन्तुष्टि के अनुसार निबटाई जाएगी। पूंजी उपकरणों के आयात का आवेदन-पत्र आशय पत्र के जारी करने की तारीख के 6 महीने के अन्दर अर्थात् 15-8-70 तक, पेश किया जाना चाहिए।

(2) कम्पनी विस्तार लाइसेंस के कार्यान्वित होने के बाद, 5 साल की अवधि के लिए 60 लाख रुपये की लागत की सोडा राख निर्यात करने की गारन्टी देगी।

(ङ) सब लाइसेंसों तथा आयात किए जाने वाले सामान के लिए आवश्यक विदेशी मुद्रा दिए जाने के 24/30 महीनों के अन्दर ही काम पूरा हो जाएगा।

कैंसर का उन्मूलन

*307. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में कैंसर रोग के मामले वृद्धि पर हैं ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने कैंसर रोग का उन्मूलन करने अथवा इसे रोकने के लिए कोई कार्यवाही की है ; और

(ग) भारत में किए जा रहे विभिन्न अनुसंधानों से क्या परिणाम निकले हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) और (ख). कैंसर के प्रकोप के बारे में ठीक ठीक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं वैसे, सरकार कैंसर के कारणों तथा उपचार के संबंध में अनुसंधान कार्य को प्रोत्साहन दे रही है। चूंकि इस रोग के शुरू में ही पता लग जाने से इसकी रोकथाम करने में मदद मिल जाती है इसलिए भारतीय कैंसर सोसायटी कैंसर के प्रारम्भिक लक्षणों तथा सूचक संकेतों के बारे में समय-समय पर साहित्य प्रकाशित करती रहती है।

(ग) बम्बई, मद्रास तथा कलकत्ता के केन्द्रों में अनुसंधान कार्य किया जा रहा है। कोशिश यह की जा रही है कि इस रोग की व्यापकता, हिस्टोपैथौलाजी, निरापदता तथा प्रारंभिक निदान के संबंध में अच्छा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। आशा है कि इन अध्ययनों से इस रोग के उपचार तथा उसकी रोकथाम सम्बन्धी तकनीकों के विकास के लिए उपयोगी संकेत मिलेंगे। अभी निश्चित एवं ठोस परिणाम नहीं निकले हैं।

Expansions of Medical Facilities in Villages

*308. **Shri Jageshwar Yadav :** **Shri Saminathan :**
Shri Raghuvir Singh Shastri : **Shri Anbazhagan :**
Shri Sezhiyan :

Will the Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the study of Draft Fourth Five-Year Plan reveals that the

expansion of medical facilities in villages has been ignored ; and

(b) the essential medical facilities likely to be provided for villages under the scheme of the expansion of medical facilities in the Fourth Five Year Plan ?

The Minister for Health and Family Planning and Works Housing and Urban Development (Shri K. K Shah) : (a) No, Sir.

(b) In the rural areas medical attention and treatment is provided by a net-work of 4930 Primary Health Centres and 22,776 Sub-centres in addition to dispensaries. The Primary Health Centres serve as a focal point for integrated health care of the rural population. It is proposed that during the Fourth Plan period all the Blocks which have not so far been covered that is 497 should be provided with Primary Health Centres. A provision of Rs. 76.49 crores (Rs. 43.98 crores in the Centrally Sponsored Sector with 100% assistance for strengthening of Basic Health Services and Rs. 32.51 crores in the State Sector for for establishment of Primary Health Centres) has been provided for these programmes in the Fourth Five Year Plan.

Foreign Money Received by Smt. Aruna Asaf Ali

309. **Shri Ram Swarup Vidyarthi :** **Shri Kanwar Lal Gupta :**
Shri Ram Singh Ayarwal :

Will the Minister of Finance be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 9 on the 23rd February, 1970 regarding the prosecution proceedings against Shrimati Aruna Asaf Ali for having received foreign money from the Chinese Bank and state :

(a) whether Government have since enquired of the source from which the said amount was received and whether they also enquired of the fact that Shrimati Aruna Asaf Ali had received her own amount in the name of some-body else under the scheme ;

(b) whether Government have recovered any Income-tax on the amount earned by Shrimati Aruna Asaf Ali by selling the import licence under the scheme ; and

(c) if so, the amount thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) In the National Defence Remittance Scheme which was announced by the then Prime Minister, a specific provision was made that the Income-tax Department would not question the source of such remittances. Hon'ble Members will appreciate that Government cannot circumvent that provision.

(b) and (c). The capital gains accuring from the sale of import entitlement arose in the previous year relevant to the assessment year 1967-68. The assessee in question has paid a tax of Rs. 1,24,970/- for the said assessment year on the basis of self-assessment.

मंत्रियों तथा संसद् सदस्यों द्वारा विदेशों का दौरा

*311. **श्री एन० शिवप्पा :** **श्री न० रा० देवघरे :**
श्री अब्दुल गनी दार : **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिसम्बर, 1969 से 15 फरवरी 1970 तक की अवधि में कितने मंत्री, राज्य मंत्री उपमंत्री तथा संसद् सदस्य विदेश गये थे ;

(ख) उनकी यात्रा का उद्देश्य क्या था, उनपर कितना धन व्यय हुआ और प्रत्येक मामले में कितनी विदेशी मुद्रा खर्च हुई है ; और

(ग) वे किन-किन देशों में गये थे ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) इस अवधि में, मंत्री मंडल स्तर के दो मंत्री, चार राज्य मंत्री, तीन उपमंत्री तथा उनसठ संसद् सदस्य विदेश गये ।

(ख) और (ग). एक विवरण-पत्र सदन की मेज पर रख दिया गया है, जिसमें आवश्यक सूचना दी गई है । [**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये** संख्या LT 2758/70]

पी० एल० 480 निधियां

*312. **श्री मधु लिमये** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कुल धन सप्लाई में अमरीकियों की पी० एल० 480 करारों के अंतर्गत रुपया राशियों का अंश कितना है ;

(ख) क्या इतनी बड़ी राशियां देश के आंतरिक मामलों में विदेशियों के जोरदार हस्तक्षेप का साधन नहीं है ; और

(ग) यदि हां, तो अमरीकी की रुपयों में राशियों को शीघ्रता से समाप्त करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अनुशक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) से (ग). अमरीकी रुपया निधियों की उन थोड़ी सी रकमों को छोड़ कर, जो तीन अमरीकी वाणिज्यिक बैंकों के सावधिक खातों में जमा है, इस प्रकार की सभी रुपया रकमें, भारत सरकार की विशेष प्रतिभूतियों में लगाई गई हैं । चूंकि ये रकमें अपरिवर्तनीय है और उन्हें सरकारी प्रतिभूतियों में लगाया जाता है इसलिए इन रकमों के कारण बजट सम्बन्धी स्थिति, मुद्रा संबंधी स्थिति या साधन शेष पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने का भय नहीं है । फिर भी, सरकार ऐसे परस्पर सहमत तरीके ढूंढने के लिए इच्छुक है जिनसे इन रुपया निधियों पर से अमेरीका का स्वामित्व समाप्त किया जा सके । अमरीकी प्राधिकारी भी इस सम्बन्ध में ऐसा ही करने के लिए समान रूप से उत्सुक रहते हैं और उन्होंने अपनी इच्छा प्रकट की है कि इन रकमों को भारत के आर्थिक विकास की उन प्रायोजनाओं में इस्तेमाल किया जाय जो दोनों देशों द्वारा, आपस में बातचीत करके तथा परस्पर सहमति द्वारा तैयार की गयी हो । कुछ समय बाद ऐसा करना ही होगा ।

मैसर्स हिन्द गाल्वेनाइजिंग एडं इंजीनियरिंग कम्पनी के साथ सौदे में भारतीय तेल निगम को हानि

*313. **श्री समर गुह** : **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्राक्कलन समिति के 86 वें प्रतिवेदन चतुर्थ लोक-सभा में दिए गए सुझावों को

ध्यान में रखते हुए सरकार ने मैसर्स हिन्द गाल्वेनाइजिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी (प्रा०) लिमिटेड द्वारा भारतीय तेल निगम को ढोलों की सप्लाई रोक लिए जाने के कारण जिससे निगम को भारी हानि हुई है, उस फर्म से अपेक्षित मुआवजा लेने के लिए अपने कानूनी सलाहकारों से परामर्श किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा है ;

(ग) क्या सरकार ने भारतीय तेल निगम लिमिटेड द्वारा मैसर्स हिन्द गाल्वेनाइजिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड को इस्पात के मूल्यों में वृद्धि होने के कारण मार्च, 1968 के बाद । ढोलों का अधिक दिया गया मूल्य वापस लेने के लिए अपने कानूनी सलाहकारों से भी परामर्श दिया है, क्यों उन को समय पर ढोल सप्लाई करने में देरी संभरणकर्ताओं की गलती के कारण हुई थी ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) से (घ). भारतीय तेल निगम मामले में अपने कानूनी सलाहकारों से परामर्श कर रहा है ।

रुद्र सागर और लकवा तेल क्षेत्रों से कच्चे तेल की अतिरिक्त सप्लाई

*314. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने उनके मंत्रालय को यकीन दिलाया है कि वर्ष 1972 तक रुद्रसागर और लकवा तेल क्षेत्रों से 10 लाख टन कच्चे तेल की अतिरिक्त सप्लाई हो जायेगी ।

(ख) क्या यह भी सच है कि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के विशेषज्ञों ने सरकार द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ समिति से अप्रैल, 1969 में कहा था कि वे रुद्रसागर तथा लकवा स्थित वर्तमान तेल क्षेत्रों संभावित भावी उत्पादन के बारे तब में तक कुछ नहीं कह सकते जब तक कि उनका लगभग दो वर्ष तक पूरा उत्पादन न देखा जाये ।

(ग) यदि भाग (क) और (ख) के उत्तर स्वीकारात्मक हों, तो क्या सरकार ने तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग से प्राक्कलनों का ऐसे नाटकीय ढंग से बदलाव के लिए स्पष्टीकरण मांगा है ; और

(घ) यदि उपरोक्त भाग (ग) का उत्तर नकारात्मक हो, तो क्या वह आवश्यक स्पष्टीकरण मागेंगे और उसे सभा पटल पर रखेंगे ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) तेल प्राकृतिक गैस आयोग आसाम स्थित अपने तेल क्षेत्रों से 1972-73 से प्रतिवर्ष लगभग एक मिलियन मीटरी टन कच्चे तेल के उत्पादन का विचार रखता है ।

(ख) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के विशेषज्ञों ने विशेषज्ञ समिति के समक्ष यह कहा था कि भण्डारों के निष्पादन के बारे में पर्याप्त अतिरिक्त आंकड़ों के प्राप्त करने के बाद ही, वर्तमान अनुमानित प्रति वर्ष 1 मिलियन मीटरी टन की गति उपरि दिशा में पुनरीक्षत की जा सकती है। तेल क्षेत्रों के लगभग दो वर्षों के पूरे उत्पादन के बाद ये आंकड़े उपलब्ध होंगे।

(ग) और (घ). प्रश्न नहीं उठता।

मूल्य में वृद्धि

*315. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल के थोक मूल्य सूचकांक से पता चलता है कि मूल्यों में उससे कहीं अधिक वृद्धि हुई है जिसका कि योजना आयोग ने चौथी पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में अनुमान लगाया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं सेठी) : (क) और (ख). 1969-70 की वार्षिक आयोजना का उद्देश्य मूल्यों को लगभग उसी स्तर तक बनाये रखना था, जिस स्तर तक वे 1968-69 में पहुँच गये थे। इसके मुकाबले, अप्रैल 1969 से जनवरी, 1970 तक की अवधि में थोक मूल्यों का औसत स्तर' पिछले वर्ष की तुलना में 3.1 प्रतिशत ऊंचा हो गया। वर्ष के शुरू के हिस्से में मूल्यों पर पड़ने वाले दबाव का कारण कृषि उत्पादन विशेषकर मोटे अनाजों, चने, कच्चे जूट, कपास और तेलहनों के उत्पादन में कमी होना था। अभी हाल में मूल्यों पर दबाव पड़ने का कारण, कपास और तेलहनों के सम्बन्ध में 1969-70 की फसल का अनुमान, पहले लगाये गये अनुमान से कम हो जाना और शरदकालीन वर्षा के होने में विलम्ब होना है। अधिक कामकाज के चालू मौसम में बैंक ऋण में जो वृद्धि हुई है, वह भी पिछले वर्ष की इस अवधि में हुई वृद्धि से अधिक है लेकिन रिजर्व बैंक ने उन वस्तुओं के एवज में, जिनकी मांग और मूल्यों पर दबाव पड़ा है, बैंकों द्वारा दिये जाने वाले ऋणों पर लगे नियंत्रण को कड़ा करने के लिए कई कदम उठाए हैं। 14 फरवरी 1970 का समाप्त होने वाले सप्ताह के अर्थात् वह सब से हाल का सप्ताह जिसके बारे में सूचना उपलब्ध है, मूल्यों के आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले एक महीने में थोक मूल्यों के सूचक अंकों में थोड़ी सी कमी हुई है।

उड़ीसा में तेल के निक्षेपों के लिए सर्वेक्षण

*316. **श्री रवि राव** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा में पूरी जिले में गोप काकलपुर और नीमपाड़ा तथा अन्य क्षेत्रों में तेल के निक्षेपों की मात्रा का पता लगाने के लिए तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने उन क्षेत्रों का प्रारम्भिक सर्वेक्षण किया है ;

(ख) यदि हां, तो उस सर्वेक्षण का क्या परिणाम निकला है ; और

(ग) विस्तृत सर्वेक्षण कब आरम्भ किया जायेगा तथा कब पूर्ण हागा ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी हां।

(ख) इस क्षेत्र में किये गये गुरुत्व और चुम्बकीय सर्वेक्षण से कुछ असंगतियां पाई गई हैं। ये असंगतियां संरचनात्मक महत्व की हैं अथवा नहीं ; यह असंगतियों वाले क्षेत्र में भूकम्पीय सर्वेक्षण करने के बाद मालूम होगा।

(ग) यदि प्रारम्भिक भूकम्पीय सर्वेक्षण, जो कि इस समय जारी हैं, अनुकूल फलदायक सिद्ध होते हैं, तब विस्तृत भूकम्पीय सर्वेक्षण किया जायेगा। इस स्थिति में यह बताना सम्भव नहीं है कि विस्तृत भूकम्पीय सर्वेक्षण कब शुरू अथवा पूरा किया जायेगा।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत का प्रतिनिधित्व

*317. **श्रीमती शारदा मुकर्जी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा की गई घोषणा के अनुसार सदस्य राष्ट्रों का बढ़ा हुआ कोटा कितना है तथा 1 जनवरी, 1970 से लागू होने वाली धन निकालने के विशिष्ट अधिकारों की (स्पेशल ड्राईन्ग राइट) योजना क्या है।

(ख) इन परिवर्तनों से भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा ; और

(ग) क्या नए पुनरीक्षण के अंतर्गत भारत का अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में एक कार्यकारी निदेशक नियुक्त करने का अधिकार बना रहेगा ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) माननीय सदस्य महोदय ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि से सम्बन्धित दो भिन्न भिन्न प्रश्न उठाये हैं। एक का सम्बन्ध अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि के कोटे में वृद्धि से है और दूसरे का विशेष निकासी अधिकारियों (स्पेशल ड्रांइग राइट्स) के निर्धारण से। जहां तक कोटे में वृद्धि का सम्बन्ध है, निधि के गवर्नरों के बोर्ड ने 9 फरवरी, 1970 को यह फैसला किया था कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि के कुल कोटे को 21.3 अरब डालर से बढ़ाकर 28.9 अरब डालर कर दिया जाय। विशेष निकासी अधिकारों के सम्बन्ध में, गवर्नरों के बोर्ड ने अक्तूबर, 1969 में यह फैसला किया था कि 1 जनवरी, 1970 से शुरू होने वाली 3 वर्ष की अवधि के लिए 9.5 अरब डालर के कुल विशेष निकासी अधिकार बनाए जायें। 1970 के कैलेंडर वर्ष के लिए 3.4 अरब डालर के विशेष निकासी अधिकारों का निर्धारण किया गया।

(ख) भारत को उसके मौजूद कोटे के आधार पर, 1970 के लिए 12.6 करोड़ डालर के बराबर की रकम के विशेष निकासी अधिकार प्रदान किए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि के कोटे में संशोधन होने के परिणामस्वरूप भारत का कोटा 75 करोड़ डालर से बढ़कर 94 करोड़ डालर का हो जायगा।

(ग) कोटे में हुआ परिवर्तन, 30 अक्तूबर 1970 से लागू होगा। चूंकि कार्यकारी निदेशकों का अलग चुनाव 1 नवम्बर, 1970 से 31 अक्तूबर, 1972 तक की अवधि के लिए

मौजूदा कोटों के आधार पर किया जायगा, इसलिए भारत एक निदेशक की नियुक्ति कर सकता है। उसके बाद भारत को चुनाव में हिस्सा लेना पड़ेगा।

राज्यों को दिए ऋणों की अदायगी की अवधि का पुनर्निर्धारण

*318. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्य सरकारें उनको दिए गए ऋणों की अदायगी की अवधि के पुनर्निर्धारण के लिए केन्द्रीय सरकार पर दबाव डाल रही है ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य के बारे में इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इन ऋणों की अदायगी की अवधि के पुनर्निर्धारण के लिए सरकार कहां तक सहमत हुई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (ग). कई राज्यों ने अनुरोध किया है कि उन ऋणों के परिशोधन का कार्यक्रम फिर से निर्धारित किया जाय। योजना-आयोग ने राज्यों के साधनों का जो पुनर्मूल्यांकन किया है उसे ध्यान में रखकर इस मामले पर फिर से विचार किया गया है। अब यह निश्चय किया गया है कि जिन राज्यों में आयोजना-भिन्न कार्यक्रमों के लिए साधनों की कमी होगी उन्हें विशेष सहयता दी जायगी, क्योंकि अन्यथा उन्हें आयोजना-कार्यक्रमों अनुमोदित सीमा तक क्रियान्वित करने में कठिनाई होगी। ऐसे राज्यों को कितनी सहायता की आवश्यकता होगी, यह तय नहीं किया गया है।

चर्चगेट, बम्बई, स्थित नारंग ब्रदर्स द्वारा अम्बेसेडर होटल का खरीदा जाना

*319. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान चर्चगेट बम्बई स्थित 'अम्बेसेडर होटल' को श्री मनु नारंग तथा श्री रामु नारंग द्वारा 55 लाख रुपये की कीमत पर खरीदे जाने की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या उन परिस्थितियों की कोई जांच की गई है जिनमें नारंग बन्धुओं ने इस होटल को खरीदा है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). कर निर्धारण की कार्यवाही के मामले में इसकी जांच की जा रही है।

Vasectomy Operations

*320. **Shri Nathu Ram Ahirwar :** Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that people have become dis-interested in undergoing Vasectomy operation on account of non-availability of medical facilities; and

(b) the steps proposed to be taken by Government to popularies the said scheme ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Dr. S. Chandrasekhar) : (a) No Sir, this is not a fact. Medical facilities are already available for vasectomy operations at various levels in the urban and rural areas and they are being expanded further.

(b) Following steps are being taken to popularise vasectomy :

1. Attending promptly to rumours/complaints about vasectomy.
2. Providing effective post-operative follow-up.
3. Providing recanalisation facilities wherever necessary.

Applications for Allotment of Quarters in Reserved Quota for Scheduled Castes and Scheduled Tribes

*321. **Shri Molahu Prashad :** Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the applications for the allotment of quarters in the reserved quota for Scheduled Castes and Scheduled Tribes have been invited from the various Ministries in accordance with his Ministry's Office Memorandum No. 12935(5)/69 Pol (2) dated the 6th November, 1969 ;

(b) if so, the total number of applications received so far from each Ministry and the names, designations and addresses of the applicants ; and

(c) the number of such persons to whom Government quarters have been allotted and the time by which Government accommodation would be alloted to the remaining applicants ?

The Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri K. K. Shah) : (a) Yes, Sir.

(b) The last date for receipt of the applications was 31st January, 1970 and 4003 applications for allottment of accommodation in Types I & II were received till then, The applications received from various Ministers/Departments are arranged in the order of dates of priority of the individuals and not Ministry-wise. The time and labour involved in compiling the information in regard to the names, designations and addresses of the applicants will not be commensurate with the results achieved.

(c) Only 20 such employees have been allotted accommodation so far. No definite time limit can be indicated as it depends on vacancies and new constructions.

राज्यों द्वारा गृह कार्य निर्माण योजनाओं का भेजा जाना

* 322. **श्री चन्द गोयल :**
श्री राम किशन गुप्त :

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्य सरकारों को 15 फरवरी, 1970 से पहले अपनी गृह-निर्माण योजनाएं भेजने के लिए कहा है और यदि हां, तो किन राज्यों ने अब तक अपनी योजनायें भेजी हैं और उनका ब्यौरा क्या है ;

(ख) निम्न आय वर्ग के लोगों को मकान अलाट करने के लिए क्या सिद्धान्त निर्धारित किया गया है ; और

(ग) आवर्तन निधि (रिवाल्विंग फण्ड) सम्बन्धी योजना का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) जनवरी, 1970 में नई दिल्ली में हुए आवास और नगर-विकास मन्त्रियों के सम्मेलन की सिफारिशों के अनुसरण में राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया था कि वे 15 फरवरी, 1970 तक आवास और नगर-विकास की उन परियोजनाओं का ब्यौरा भेजें, जिनमें आवर्तन निधि से पूंजी लगाई जा सकती है । परियोजनायें ऐसी होनी चाहिए जिनसे शीघ्र लाभ हो और जो मिश्रित ले-आऊट पर आधारित हों, जिसमें रिहायशी, वाणिज्यिक और औद्योगिक भाग पर्याप्त अनुपात में हों, विशेषकर रिहायशी आवश्यकताओं को तरजीह देते हुए । आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मैसूर, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और हिमाचल प्रदेश सरकारों ने कई प्रस्ताव भेजे हैं । इनमें से तो कुछ केवल भूमि अर्जन, विकास और निपटान के कार्यक्रमों के बारे में हैं, जब कि दूसरों में बेचने के लिए वाणिज्यिक केन्द्रों और आवासों का निर्माण सम्मिलित है ।

(ख) जब आवर्तन निधि के अन्तर्गत उनकी परियोजनाएं पूरी हो जाएं और आवंटन के लिए मकान बनकर तैयार हो जाएं, तो निम्न आय वर्ग के व्यक्तियों को उन मकानों के लिए मानदण्ड का निर्णय करना राज्य सरकारों का कार्य है ।

(ग) आवास और नगरीय विकास के लिए इस उद्देश्य से, स्थापित किये जाने वाले एक नये निगम द्वारा संचालित होने के लिए एक आवर्तन निधि की स्थापना का प्रस्ताव है । निर्माण, आवास तथा नगर-विकास विभाग के 1970-71 वर्ष के बजट अनुमान में 2.00 करोड़ रुपये की व्यवस्था शामिल है जो इस निगम की प्रारंभिक प्रदत्त पूंजी है । ऐसी प्रत्याशा है कि निगम को 200.00 करोड़ रुपये तक की निधि उपलब्ध की जा सकती है जिसका उपयोग, राज्यों और संघ क्षेत्रों द्वारा आरम्भ की गई अनुमोदित आवास योजनाओं, भूमि अर्जन तथा नगरीय विकास में, इस प्रकार किया जायेगा कि निधियों के शीघ्र प्रत्यावर्तन में सहायता मिलेगी । आरम्भ की जाने वाली योजनाओं तथा जिन शर्तों पर निधियां नियत की जा सकेंगी,

उनका ब्यौरा तैयार किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में किस सीमा तक आवर्तन निधि का उपयोग किया जा सकेगा, इसे देखने में भी प्रयत्न किये जाएंगे।

जीवन बीमा निगम द्वारा अपने कलकत्ता कार्यालय में स्वचलित मशीनों का प्रयोग

* 323. **श्री वि० नरसिम्हा राव** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जीवन बीमा निगम ने अपने कलकत्ता कार्यालय में स्वचालित मशीनों का प्रयोग करने का विचार छोड़ दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) बम्बई कार्यालय में स्वचलित मशीनों के सफल प्रयोग को देखते हुए क्या सरकार का विचार कलकत्ता कार्यालय के कर्मचारियों को इससे होने वाले लाभों के बारे में विश्वास दिलाने का है ?

वित्त मन्त्री और वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री र० के० खाडिलकर) : (क) और (ख). निगम ने अपने कलकत्ता कार्यालय में स्वचलित मशीनों का प्रयोग चालू करने का विचार स्थगित कर दिया है ।

(ग) यह ऐसा मामला है जिसको जीवन बीमा निगम और उसके कर्मचारियों पर ही छोड़ना अच्छा है।

जनसंख्या के आधार पर अस्पतालों में बिस्तरों का अनुपात

* 324. **श्री शिवचन्द्र झा** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास एवं नगर विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पहली योजना के बाद अस्पतालों में जनसंख्या के आधार पर बिस्तरों के अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) यदि नहीं, तो अमरीका, रूस, ब्रिटेन, जापान और श्रीलंका की तुलना में अस्पतालों में इस समय जनसंख्या के आधार पर बिस्तरों का अनुपात क्या है ; और

(घ) चौथी योजनावधि में अस्पतालों के विकास के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की जायेगी और चौथी योजना के अन्त में जनसंख्या के आधार पर अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई होगी ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन, और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) से (ग). प्रथम पंचवर्षीय योजना के आरम्भ में देश में अस्पताली पलंगों की संख्या 1,13,000 थी और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के आरम्भ में 2,55,700 थी। इस अवधि में पलंगों और जनसंख्या का अनुपात प्रति हजार व्यक्तियों के पीछे 0.31 से बढ़कर

0.49 हो गया । उपलब्ध सूचना के अनुसार अन्य देशों में 1965 में प्रतिहजार व्यक्तियों के पीछे पलंगों की संख्या इस प्रकार थी :—

देश	प्रतिहजार व्यक्तियों के लिए उपलब्ध पलंग.
अमरीका	8.75
रूस	9.65
जापान	8.92
ब्रिटेन	9.83 (केवल जनस्वास्थ्य संस्थापनों में)
लंका	3.13
भारत	0.49

(घ) चौथी योजना में स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए निर्धारित कुल 437.50 करोड़ रुपये के परिव्यय में से चिकित्सा सहायता सुविधाओं के लिए जिनमें प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भी सम्मिलित हैं। 166.26 करोड़ रुपये का नियतन किया गया है। चौथी योजना में 25,900 अतिरिक्त पलंगों की स्थापना के लक्ष्य की पूर्ति से सम्भवतः प्रति हजार की जनसंख्या के पीछे 0.49 पलंगों का वर्तमान अनुपात बना रहेगा ।

तिलहनों, कपास तथा खाद्यान्नों पर बैंकों द्वारा दी जाने वाली अग्रिम धनराशियों पर नियन्त्रण

* 325. **श्री रा० कृ० बिड़ला :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रिजर्व बैंक आफ इण्डिया ने तिलहनों, तेलों, कपास तथा खाद्यान्नों पर बैंकों द्वारा दी जाने वाली अग्रिम धनराशियों पर नियन्त्रण को और कड़ा करने के लिए जनवरी, 1970 के महीने में अनुसूचित बैंकों को निर्देश जारी किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन निर्देशों के परिणामस्वरूप उक्त मदों के व्यापार को किस सीमा तक हानि हुई है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, हां ।

(ख) एक विवरण सभा की मेज पर रख दिया गया है ।

(ग) व्यापार पर इसका प्रभाव यह होगा कि बैंकों से सीमित वित्तीय सहायता उपलब्ध होने पर, अतिरिक्त स्टाक कम हो जाएगा । पर चूंकि मांग प्रलेखी हुण्डियों (डिमाण्ड डाक्युमेण्ट्री बिल) के बदले दिये जाने वाले अग्रिम, ऋण नियन्त्रणों के क्षेत्र से बाहर रखे गए हैं, इसलिए जिन्सों के व्यापार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

विवरण

रिजर्व बैंक के 21 जनवरी, 1970 के निर्देश में निम्नलिखित जिन्सों के बदले किसी बैंक द्वारा दिये जाने वाले अग्रिमों के सम्बन्ध में मार्जिन, ब्याज-दर और ऋण की सीमा के बारे में निम्नलिखित प्रतिबन्ध लगाये गये हैं :—

	मार्जिन	ब्याज-दर	अधिकतम सीमा
(i) **तिलहन और बनस्पति तेल (जिसमें बनस्पती शामिल है)**	सापेक्ष भण्डारों के मूल्य के 60 प्रतिशत से कम नहीं	न्यूनतम 10 प्रतिशत	मूंगफली और अन्य तिलहनों की, जिनमें बिनौले भी शामिल हैं और वनस्पती सहित बनस्पती तेलों की गारंटी पर, प्रत्येक दो महीने की अवधि में, दिये जाने वाले ऋणों का औसत कुल स्तर 1967 के इन्हीं दो महीनों में दिये गये ऋणों के औसत कुल स्तर के 70 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए ।
(ii) **अनाज**	सापेक्ष भण्डारों के मूल्य के 50 प्रतिशत से कम नहीं	न्यूनतम 10 प्रतिशत	किन्हीं दो महीनों की अवधि में, ऋणों का औसत कुल स्तर 1968 के उन्हीं दो महीनों में दिये गए ऋणों के औसत कुल स्तर के 80 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए ।
(iii) **रूई और कपास**	60 प्रतिशत से कम नहीं बशर्ते कि रूई की मिलों के मामले में मार्जिन, सापेक्ष भण्डारों के मूल्य के 40 प्रतिशत से कम न हो ।	न्यूनतम 10 प्रतिशत	प्रत्येक छः महीने की अवधि में ऋणों का कुल स्तर 1967-68 के उन्हीं छः महीनों की अवधि में दिए गए ऋणों के उच्चतम स्तर 85 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए ।

मंगलौर उर्वरक संयंत्र परियोजना

* 326. **श्री लोबो प्रभु** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंगलौर उर्वरक संयंत्र परियोजना इस समय किस स्थिति में है ;

(ख) इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इसके समूचे उत्पादन की खपत पड़ोस में ही विशेषकर बागान में ही जाएगी इस परियोजना को अन्य कारखानों की तुलना में प्राथमिक न दिये जाने के क्या कारण हैं ; और

(ग) यदि इसमें विलम्ब इस कारण हुआ है कि मंगलौर पत्तन परियोजना के चालू होने के बारे में अनिश्चितता है तो इसको सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है कि वह परियोजना निर्धारित तिथि तक पूरी हो जाए ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) और (ख). 3,40,000 मीटरी टन प्रतिवर्ष यूरिया के उत्पादन के लिए दिसम्बर,1966 में मैसर्स मालावार केमीकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि० को एक औद्योगिक लाइसेंस दिया गया था । लेकिन कम्पनी ने परियोजना की आर्थिक योजना तथा अन्य ब्यौरे को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया है। ज्योंहि इन ब्यौरों को सरकार की तुष्टि के अनुसार अन्तिम रूप दिया जाएगा ; परियोजना के कार्यान्वन को हाथ में लिया जाएगा ।

(ग) उर्वरक संयंत्र के चालू होने के समय तक, मंगलौर पत्तन परियोजना के चालू होने में कोई अनिश्चितता नहीं है ।

Sales Tax Act

*327. **Shri Prakash Vir Shastri** : Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Sales Tax Act was initially enacted with a view to compensating the loss in revenue enticipated as a result of stoppage of the sale of liquor ;

(b) whether it is also a fact that the said tax is now deemed to be a regular tax and the sale of liquor continues as before ; and

(c) if so, whether Government propose to review their policy in this regard and to revert to original policy ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a and (b). Sales Tax is a regular tax provided for under appropriate entries of the Government of India Act 1935 and the Constitution. It is also a State subject and State Governments have enacted various laws on the subject.

Parliament has also been given legislative powers in respect af matters covered by Entries 92 and 92A of List I of the Seventh Schedule but the only law that Parliament has so far enacted under these entries is the Central Sales Tax Act.

(c) Does not arise.

बैंकिंग कम्पनी अधिनियम के अधीन भारत के रिजर्व बैंक द्वारा जारी किये गये निर्देश

*328. **श्री वंश नारायण सिंह :**
श्री शारदा नन्द :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के रिजर्व बैंक द्वारा गत डेढ़ वर्ष के दौरान बैंकिंग कम्पनी अधिनियम की

धारा 35 (क) के अधीन अन्य बैंकों को जारी किए गए निर्देशों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) उन बैंकों के क्या नाम हैं जिन्होंने इस अवधि में जारी किए गए निर्देशों का पालन नहीं किया गया है तथा इसके क्या कारण हैं ;

(ग) उन व्यक्तियों तथा कम्पिनियों के नाम तथा पते क्या हैं जिनके लिए बैंकों ने 25 लाख रुपये से अधिक की अग्रिम धनराशि देने के लिए भारत ने रिजर्व बैंक से अनुमति मांगी थी ; और

(घ) भारत के रिजर्व बैंक ने ऐसे कितने मामलों में यह अनुमति नहीं दी ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) एक विवरण **सभा की मेज** पर रख दिया गया है ।

(ख) बैंक सामान्यत : हिदायतों पर अमल करते हैं ।

(ग) और (घ). बैंकिंग प्रथा के अनुसार, बैंकों के किसी खातेदार के बारे में इस प्रकार की सूचना नहीं दी जाती ।

विवरण

उल्लिखित अवधि में, रिजर्व बैंक ने 33 बैंकों के नाम हिदायतें जारी की थीं । सामान्यत: ये हिदायतें बैंकिंग कम्पनियों के प्रबन्ध के सम्बन्ध में दी गई थीं और उनमें बैंकों के निदेशक-मण्डलों से यह आग्रह किया गया था कि निरीक्षण रिपोर्ट में जिन त्रुटियों की ओर संकेत किया गया था कि निरीक्षण रिपोर्ट में जिन त्रुटियों की ओर संकेत किया गया है उन्हें दूर करने के सम्बन्ध में जो प्रगति की गयी हो, उसका पुनरीक्षण वे अपनी बैठकों में करें तथा बैंकों के काम का पर्याप्त पर्यवेक्षण तथा नियन्त्रण करने की भी सुनिश्चित व्यवस्था करें ।

अन्य हिदायतों का सम्बन्ध निरीक्षण के दौरान, बैंक के कामों में पाई गई त्रुटियों अर्थात् बैंकों की शाखाओं पर मुख्यालय का अपर्याप्त पर्यवेक्षण और नियन्त्रण, प्रारक्षित निधि में कमी, बैंकों की आय में कमी, विभिन्न किस्मों की प्रतिभूतियों के आधार पर दिये जाने वाले ऋणों की सुरक्षा के सम्बन्ध में सामान्य और आवश्यक बातों पर अमल न करना लेखा-पुस्तिका को असन्तोषजनक रूप से रखना, ऋण-कर्ताओं के सम्बन्ध में ऋण सम्बन्धी रिपोर्टों का गलत ढंग से संकलन करना, अग्रिमों की फंसी हुई रकमों की वसूली उन्हें नियमित करार देना जैसे विषयों तथा इस प्रकार की त्रुटियों को दूर करने के सम्बन्ध में बैंकों द्वारा आवश्यक कदम उठाये जाने के सम्बन्ध में दिये गए सुझावों से था । बैंकों को ये भी हिदायतें हैं दी गई कि यदि किसी बैंक के लिए वित्तीय स्थिति सुधारने के उद्देश्य से, लाभ की रकम को अपने पास रखना आवश्यक हो, तो लाभांश घोषित करने से पहले उसे रिजर्व बैंक की अनुमति प्राप्त करनी होगी ।

जहां तक राष्ट्रीयकृत बैंकों का सम्बन्ध है, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ये बैंक इस समय निदेशक-मण्डलों के बिना काम कर रहे हैं, 22 जनवरी, 1970 और 16 फरवरी,

1970 को उनके नाम इस आशय की हिदायतें जारी की गयीं थीं कि उन्हें कुछ किस्मों के लेनदेनों के सम्बन्ध में रिजर्व बैंक की पूर्वानुमति प्राप्त करनी होगी ।

संसत्सदस्यों द्वारा आयकर के विवरण पेश करना

* 329. **श्री प्रेमचन्द वर्मा** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) उन संसद् सदस्यों तथा मन्त्रियों के नाम क्या हैं जिन्होंने आयकर के विवरण कभी पेश नहीं किये हैं तथा उनके नाम क्या हैं जिन्होंने 31 मार्च 1969 तक विवरण देरी से पेश किये हैं ; और

(ख) उन संसद् सदस्यों के नाम क्या हैं जिनकी संयुक्त हिन्दू परिवार के रूप में वार्षिक आय 30,000 रुपये से अधिक है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जिन संसद् सदस्यों ने कर निर्धारण वर्ष 1966-67 से 1968-69 तक के वर्षों के सम्बन्ध में अपनी आयकर विवरणियां दाखिल नहीं की थीं अथवा विलम्ब से दाखिल की थीं, उनके नामों की अलग अलग सूचियां, लोक सभा में 23-2-1970 को पूछे गये अतरांकित प्रश्न संख्या 89 के उत्तर में सदन के माननीय अध्यक्ष को पेश कर दी गई हैं।

केन्द्रीय मन्त्रियों के सम्बन्ध में इसी प्रकार की सूचना, लोक सभा में 24-3-1969 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 4065 के उत्तर में दिये गये आश्वासन की पूर्ति में सदन की मेज पर रख दी गई थी ।

(ख) यह सूचना सारे भारत में फैले आयकर कार्यालयों से इकट्ठी करनी होगी और उससे प्राप्त होने वाले परिणाम, उसमें लगने वाले समय तथा श्रम के अनुरूप नहीं होंगे ।

तेल के जहाजों द्वारा भाड़े की दरों में वृद्धि

*330. **श्री बलराज मधोक** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तेल के जहाजों ने अपने भाड़े की दरों में वृद्धि कर दी है ; और

(ख) यदि हां, तो भारत के तेल शोधन कारखानों में शोधन करने के लिए भारत में आयात किये जाने वाले अशोधित तेल के मूल्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) और (ख). बर्मा-शेल, ऐस्सो और कालटेक्स नामक तीन प्राइवेट कम्पनियों द्वारा भारत में कच्चे तेल के आयात पर दिये जाने वाले भाड़े का निर्धारण इन्टरनेशनल टैंकर नौमीनल फ्रेट्स एकेल एसोसिएशन लि० लन्दन तथा एसोसिएशन आफ शिप ब्रोकरस एण्ड ऐजन्ट्स इंक, न्यूयार्क द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित भाड़े की दर की एक अन्तर्राष्ट्रीय सारिणी

के आधार पर किया जाता है । इस दर पर पिछले महीने की भाड़ों की दरों के वास्तविक अनुभव के आधार पर लन्दन टैंकर ब्रोकर पैनल द्वारा घोषित मासिक कटौती (ए० एफ० आर० ए०) मिलती है । जबकि मूल भाड़े की दरें स्थिर रहती हैं, ए० एफ० आर० ए० कटौती सामयिक उतार-चढ़ाव पर निर्धारित है । यह देखा गया है कि हाल ही में अगस्त/सितम्बर, 1969 में भाड़े की दरें सब से कम थी । तब से दरों में लगातार वृद्धि हुई हैं । इससे आयात कच्चे तेल की लागत-बीमा-भाड़ा कीमतों में, बम्बई तेल शोधकों के लिए 1 रुपया 8 पैसे तथा विशाखापटनम तेल शोधक के लिए 5 रुपये एक पैसे प्रति मीटरी टन की वृद्धि हुई है ।

कोचीन और मद्रास तेल शोधकों द्वारा आयात किये जाने वाले कच्चे तेल का भाड़ा, इन तेल शोधकों द्वारा की गई ठेके व्यवस्था के अनुसार वास्तविक भाड़े के हिसाब से दिया जाता है । कोचीन तेल शोधक के आयात इसके दीर्घकालीन ठेके के कारण, इन ओमनव साधारण भाड़ा वृद्धि से काफी प्रभावित नहीं हुए है किन्तु मद्रास तेल शोधक, मद्रास में बन्दरगाह की सुविधाओं के सुधार की पूर्ति में देर होने से लघुकालीन व्यवस्था की आवश्यकता के कारण, काफी प्रभावित हुई है ।

सैनिकों द्वारा ग्रामीण नागाओं पर कथित ज्यादतियां

1801. **श्री बाबू राव पटेल : क्या गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिसम्बर, 1969 में ग्रामीण नागा सैनिकों द्वारा की गई कुछ कथित ज्यादतियों की जांच करने के लिए मनीपुर सरकार के अधिकारियों के एक दल को भेजा गया था ; और यदि हां, तो उस जांच रिपोर्ट की मुख्य बात क्या हैं ;

(ख) ग्रामीणों के पास से पकड़े गये बिना लाइसेंस वाले आग्नेयास्त्रों आदि की मात्रा कितनी थी ; और

(ग) ज्यादतियां करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध यदि कोई कार्यवाही की गई है तो क्या और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ग). सैनिक तथा असैनिक अधिकारियों द्वारा इन आरोपों की सावधानी-पूर्वक जांच की गई है और मालूम हुआ कि ये आरोप बढ़ा-चढ़ा कर लगाये गये थे । फिर भी ऐसी परिस्थितियों को, जिनसे शिकायत उत्पन्न हो सकती हैं, रोकने के लिए सुरक्षा दलों के परामर्श से यथोचित प्रबन्ध किये गये हैं ।

(ख) बरामद किए गए बिना लाइसेंसों वाले आग्नेयास्त्रों में कुछ गोला बारूद के अतिरिक्त दो राइफलें तथा 8 संगीनें शामिल थीं ।

भारतीय पुलिस सेवा के प्रतिनियुक्ति पर अधिकारी

1802. **श्री बाबू राव पटेल : क्या गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय जांच विभाग, विशेष पुलिस संस्थापना गुप्तचर विभाग, केन्द्रीय प्रवर्तन निदेशालय, सीमा सुरक्षा बल, केन्द्रीय रक्षित पुलिस, अनुसंधान तथा विश्लेषण प्रभाग, औद्योगिक सुरक्षा बल आदि में कार्य करने हेतु राज्यवार प्रतिनियुक्ति पर भेजे गये भारतीय पुलिस सेवा के पुलिस अधिकारियों की कुल कितनी संख्या है ;

(ख) क्या यह सच है कि संयुक्त बम्बई राज्य के द्वारा अपने अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति पर आने की अनुमति न दिये जाने के कारण अन्य राज्यों से इन संगठनों में आए अधिकारियों की बहुत अधिक संख्या हो गई है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि इसके फलस्वरूप महाराष्ट्र में पदोन्नतियों में अत्यधिक रुकावट पैदा हो गई है ; और

(घ) यदि हां, तो इस स्थिति में सुधार करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) अपेक्षित सूचना का एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

(ख) जबकि भूतपूर्व बम्बई राज्य से भारत सरकार में तब प्रतिनियुक्ति पर भेजे गए अधिकारियों की संख्या अधिकृत केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति कोटे से कम थी, किन्तु अब महाराष्ट्र से भारत सरकार में भारतीय पुलिस सेवा के प्रतिनियुक्ति पर भेजे गए अधिकारियों की संख्या केन्द्रीय प्रतिनियुक्त कोटे में निर्धारित संख्या से अधिक है।

(ग) और (घ). उपर्युक्त (ख) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

भारत सरकार में प्रतिनियुक्ति पर भारतीय पुलिस/ भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों की संख्या

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	प्रतिनियुक्ति पर अधिकारियों की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	23
2.	असम	18
3.	बिहार	18
4.	गुजरात	21
5.	हरियाणा	17
6.	जम्मू और कश्मीर	1
7.	केरल	11
8.	मध्य प्रदेश	42
9.	महाराष्ट्र	33
10.	मैसूर	19
11.	उड़ीसा	19
12.	पंजाब	13
13.	राजस्थान	29
14.	तमिल नाडु	25
15.	उत्तर प्रदेश	53
16.	पश्चिमी बंगाल	47
17.	संयुक्त राज्य संघ	10

भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय विदेश सेवा/भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के वेतनमान

1803. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों के वेतनमानों के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं और क्या यह सच है कि भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के वेतनमान भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों के वेतनमानों की तुलना में कम हैं ;

(ख) क्या राज्यों के भारतीय पुलिस सेवा संघों की ओर से भारतीय पुलिस सेवा के वेतनमानों को भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय विदेश सेवा के वेतनमानों के बराबर लाने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो कब और कितने ; और

(ग) जीवन-निर्वाह के बढ़े हुए खर्च को देखते हुए मंत्रालय द्वारा उनके अभ्यावेदनों पर विचार क्यों नहीं किया जा रहा है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) भारतीय पुलिस सेवा भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय वन सेवा के अधिकारियों के वेतनमानों का एक विवरण संलग्न है। क्योंकि इन तीनों सेवाओं के कर्त्तव्य और उत्तरदायित्व भिन्न-भिन्न हैं और जिन परीक्षाओं के आधार पर उनकी भर्ती की जाती है उनके स्तर भी भिन्न भिन्न हैं। अतः वेतनमान भी भिन्न भिन्न हैं।

(ख) और (ग). भारतीय पुलिस सेवा (केन्द्रीय) संघ से प्राप्त अभ्यावेदन के परिणाम-स्वरूप सरकार ने अभी हाल में पुलिस के उप-महानिरीक्षक के वेतनमान को 1600-1800 रु० से बढ़ाकर 1600-2000 रु० करने का निश्चय किया है। प्रवरण श्रेणी पदों की संख्या को भी राज्य सरकारों के अधीन वरिष्ठ पदों के न्यूनतम 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया गया है।

विवरण

भा० पु० से०, भा० प्र० से० और भा० वन से० के वेतनमानों का विवरण

भारतीय पुलिस सेवा

कनिष्ठ वेतन-मान—रु० 400-400-450-30-600-35-670-द०रा०-35-900 (18 वर्ष)

वरिष्ठ वेतन-मान—रु० 740 (6 वर्ष अथवा कम)—40-1100-5012-1250-50-1300 (22 वर्ष)

प्रवरण श्रेणी—रु० 1400

पुलिस के उपमहानिरीक्षक—रु० 1600-100-2000

पुलिस के आयुक्त (बम्बई और कलकत्ता)—रु० 1800-100-2000

पुलिस के अतिरिक्त महानिरीक्षक—रु०2000-125-2250

पुलिस के महानिरीक्षक—रु० 2500-125/2-2750

भारतीय प्रशासन सेवा तथा भारतीय विदेश सेवा

कनिष्ठ वेतन-मान—रु० 400-400-500-40-700-द०रो०-30-1000 (18 वर्ष)

वरिष्ठ वेतन-मान—रु० 900 (6 वर्ष अथवा कम)-50-1000-60-1600-50-1800 (22 वर्ष)

प्रवरण श्रेणी—रु० 1800-100-2000

भारत सरकार के संयुक्त सचिव—)
आयुक्त—) रु० 2500-125/2-2750
राज्य सरकारों के मुख्य सचिव—)
भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव) रु० 3000
भारत सरकार के सचिव—रु० 3500

भारतीय वन सेवा

कनिष्ठ वेतन-मान—रु० 400-400-450-30-600-35-670-द०रो०-35-950 (18 वर्ष)

वरिष्ठ वेतन-मान—रु० 700 (6 वर्ष अथवा कम)-40-1100-1100-1150-1150-1200-1200-1250 (22 वर्ष)

वन-संरक्षक—रु० 1300-60-1600-100-1800

उप मुख्य वन-संरक्षक—रु० 1800-100-2000

मुख्य वन संरक्षक—रु० 2000-125-2200

वन महा निरीक्षक—रु० 3000

भारत में पाकिस्तानियों का अधिक समय तक ठहरना

1804. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1968 और 1969 में कितने पाकिस्तानियों ने भारत में अवैध रूप से प्रवेश किया अथवा तीन महीने का वीजा लेकर आये और उसके बाद भी यहां ठहरे रहे ;

(ख) ऐसे पाकिस्तानियों की संख्या कितनी है, जो न्यायालय से निषेधाज्ञा लेकर भारत में अधिक समय तक टिके रहे ;

(ग) क्या यह सच है कि पूर्वी पाकिस्तान से कई पाकिस्तानी सीमा कर्मचारियों को 400 रु० प्रति व्यक्ति देकर पश्चिमी बंगाल में प्रवेश करते हैं ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सीमा कर्मचारियों में से किन्हीं व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) से (घ). सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

भारत पाक संघर्ष में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस द्वारा भाग लिया जाना

1805. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय रिजर्व पुलिस की कई बटालियनों से भारत-पाक संघर्ष में सेना का कार्य लिया गया था, और यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी थी ;

(ख) क्या यह भी सच है कि भारत-पाक संघर्ष में भाग लेने वाले सैनिकों को उनकी वीरता के लिए समर सेवा-पदक और रक्षा-पदक आदि दिए गए हैं ; यदि हां, तो कितने ऐसे पदक दिये गए ;

(ग) भारत-पाक संघर्ष में वीरता से लड़ने वाले केन्द्रीय सुरक्षा पुलिस के सदस्यों के साथ भारत सरकार द्वारा भेदभाव किये जाने के क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या सरकार इन पुलिस कर्मचारियों को शीघ्र ही सम्मानित करेगी और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान्। संख्या को प्रकट करना सार्वजनिक हित में नहीं होगा।

(ख) जी हां, श्रीमान्। सशस्त्र सेनाओं के कर्मचारियों की उस वास्तविक संख्या को प्रकट करना सार्वजनिक हित में नहीं होगा जिन्हें यह पदक दिये गये थे।

(ग) और (घ). केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस के सदस्य जो समर सेवा-पदक की शर्तों को पूरा करते हैं, इस पदक के पात्र हैं। केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस के उन सदस्यों को रक्षा-पदक देने का प्रश्न भारत सरकार के विचाराधीन है जो निर्दिष्ट क्षेत्रों में सामरिक कार्य पर थे और जिन्होंने 180 दिन या अधिक की सेवा की थी।

दिल्ली परिवहन की बसों की कुल संख्या

1806. **श्री न० रा० देवघरे** : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली परिवहन के पास कुल कितनी बसें हैं और उनमें से कितनी बसें खराब हैं और कितनी बसें चलने की स्थिति में हैं ; और

(ख) ठेके के आधार पर चलाई जा रही बसों की संख्या कितनी है और दिल्ली परिवहन को इसके लिए प्रतिमास कितनी धनराशि देनी पड़ती है ?

संसद् कार्य और नौवहन तथा परिवहन मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) 28-2-1970 को दिल्ली परिवहन उपक्रम के पास 1194 बसों का बेड़ा था जिसमें से 925 बसें चालू हालात में थी। 157 बसें मरम्मत के लिए केन्द्रीय कर्मशाला में रुकी हुई थीं और 112 बसें छोटे मोटे मरम्मतों और आवधिक जांच के लिए डिपुओं में थीं।

(ख) 28-2-1970 को उपक्रम के पास 320 निजी बसें अपने परिचालन के अन्तर्गत

थीं। उपक्रम 80 पैसे प्रति चालित किलोमीटर के आधार पर निजी बस मालिकों को औसतन 15.50 लाख रुपये की रकम प्रति मास देता है।

पर्यटकों के लिये वन्य जन्तु केन्द्रों का विकास

1807. **श्री न० रा० देवघरे** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पर्यटकों के लिए वन्य जन्तुओं के संरक्षण और वन्य जन्तु केन्द्र बनाने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है अथवा की गई है ;

(ख) क्या वन्य जन्तु बोर्ड और पर्यटन विभाग के बीच कोई समन्वय है ; और

(ग) क्या राज्य सरकारें वन्य जन्तु केन्द्रों के विकास के लिए प्रयत्न कर रही हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) भारतीय वन्य जीव परिषद् तथा राज्य सरकारों के वन विभागों द्वारा वन्य जन्तुओं के संरक्षण के लिए अनेक उपाय किये जा रहे हैं। इनमें से कुछ ये हैं :

(1) राष्ट्रीय उद्यानों (नेशनल पार्कों) तथा वन्य पशु शरण-स्थानों की स्थापना।

(2) वन्य पशुओं तथा पक्षियों, चाहे वे मृत हों अथवा जीवित, और उनसे उत्पन्न उपज के निर्यात पर प्रतिबन्ध।

(3) वन्य जीवों की दुर्लभ एवम् विनाशोन्मुख जातियों की रक्षा।

(4) उचित वन्य जीव विषयक कानूनों का विधान।

(5) प्रकृति प्रेम का संचार करने के लिए जन-साधारण का शिक्षण।

पर्यटन विभाग राज्य वन विभागों के सहयोग से वन्य जीव पर्यटन के प्रोत्साहन का कार्य संचालित करता है। चौथी पंच वर्षीय योजना की अवधि में वन्य जीव पर्यटन के विकास के लिए 50 लाख रुपये की राशि की व्यवस्था की गई है।

(ख) जी, हां। अपने व्यक्तिगत रूप से मैं भारतीय वन्य जीव परिषद् का भी अध्यक्ष हूं। पर्यटन महा निदेशक इस परिषद् के तथा इसकी कार्य कारिणी समिति के सदस्य हैं।

(ग) जी, हां। वन एवं वन्य जीव "स्टेट सब्जेक्ट" (राज्यों के विषय) हैं, तथा वन्य जीव केन्द्रों के लिए धन की व्यवस्था राज्यों के बजटों में की जाती है।

स्थायी केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के अन्य विभागों में स्थानान्तरण पर उनके स्थायी पदों पर उनका पूर्वाधिकार बनाये रखना

1808. **श्री राम चन्द्र ज० अमीन** : **श्री हेमराज** :
श्री आत्म दास :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गृह मंत्रालय के 14 जुलाई, 1967 के कार्यालय ज्ञापन संख्या

एफ० 60/37/63-(एस्टेब्लिशमेंट ए) में दिये गये अनुदेश एफ० आर० 14-ए के संविहित उपबंधों का अतिक्रमण नहीं करते हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उक्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन में दिये गये वे अनुदेश पूर्वज्ञा पर आधारित हैं ;

(ग) क्या एक स्थायी कर्मचारी जो ऊँचे पद के लिए चुने जाने पर दूसरे विभाग में चला गया है, के मूल कार्यालय के लिए यह आवश्यक है, कि उस कर्मचारी के दूसरे विभाग में स्थायी रूप से लिए जाने से पहले ही उसके पूर्वाधिकार को समाप्त कर दें ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) स्थायी सरकारी कर्मचारियों के आवेदनपत्र अन्य केन्द्रीय सरकार के विभागों कार्यालयों में अग्रप्रेषित करने के लिए निर्धारित कार्यविधि के अनुसार संबंधित मंत्रालय/विभाग/कार्यालय को स्थायी सरकारी कर्मचारी से यह लिखित वचन लेने के पश्चात् ही आवेदन अग्रप्रेषित करने होते हैं कि वह दो वर्ष की अवधि में या तो अपने मूल विभाग/कार्यालय को लौट आयेगा अवथा उस अवधि के समाप्त होने पर मूल विभाग/कार्यालय से त्याग पत्र दे देगा । इस प्रकार जब उसके द्वारा दिये गए वचन के अनुकरण में, जो पद के लिए अग्रप्रेषित किए जा रहे उसके आवेदन के लिए शर्त थी, एक सरकारी कर्मचारी अपना औपचारिक त्यागपत्र देता है और यदि ऐसा त्यागपत्र सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है तो एफ० आर० 14 ए के अनुसार कार्यवाही नहीं की जाएगी क्योंकि पूर्वाधिकार को समाप्त करने के लिए सहमति देना एक पद से त्यागपत्र देने के इरादे को व्यक्त करने से भिन्न है । ऐसी स्थिति होने के कारण उल्लिखित 14 जुलाई 1967 के अनुदेश एफ० आर० 14-ए के संविहित उपबन्धों कें अतिक्रमण में जारी नहीं किए गए थे ।

(ख) 14 जुलाई 1967 के अनुदेश जारी होने की तारीख से लागू होते हैं ।

(ग) और (घ). उत्तर के भाग (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता ।

सरकारी कर्मचारियों द्वारा ऐच्छिक सेवा निवृत्ति का विकल्प देना

1809. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले एक वर्ष में कितने तकनीकी और गैर तकनीकी कर्मचारियों ने पचास अथवा पचपन वर्ष की आयु में पृथक्-पृथक्, मंत्रालय वार, सेवा निवृत्ति के लिए विकल्प दिया ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर यथाशीघ्र रख दी जाएगी ।

ईसाई मिशनों द्वारा संचालित स्कूल और कालेज

1810. **श्री कार्तिक उरांव** : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में भारत में विभिन्न ईसाई मिशनों द्वारा संचालित स्कूलों और

कालेजों के अध्यापकों के वेतन पर कुल कितना धन व्यय हुआ ;

(ख) पिछले तीन वर्षों में भारत में ईसाई मिशनों द्वारा संचालित विभिन्न स्कूलों और कालेजों में पढ़ने वाले आदिम जातियों के छात्रों को छात्रवृत्ति पर कुल कितना धन व्यय हुआ ; और

(ग) पिछले तीन वर्षों में विभिन्न ईसाई मिशनों द्वारा संचालित स्कूलों के आदिम जातियों के छात्रों की फीस की प्रतिपूर्ति पर कुल कितना धन व्यय हुआ ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) क्योंकि ये प्राइवेट संस्थाएं हैं, इसलिए, उनका हिसाब किताब सरकार के पास नहीं है ।

(ख) और (ग). शायद माननीय सदस्य का आशय भारत सरकार द्वारा वहन किए जा रहे छात्रवृत्तियों और फीसों की प्रतिपूर्ति के फलस्वरूप खर्च से है ।

सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

दिल्ली नगर निगम द्वारा कर की बकाया राशि को बट्टे खाते में डालना

1811. **श्री वि० नरसिम्हा राव** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली नगर निगम ने कर की भारी बकाया धनराशि को बट्टे खाते में डाल दिया है ;

(ख) यदि हां, तो कुल कितनी धन राशि बट्टे खाते में डाली गई है तथा इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार का विचार इस कार्य के लिए उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का है ; और

(घ) इस प्रशासन को सुचारू ढंग से चलाने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि वे विभाग को सुचारू ढंग से चलाने के लिए एक प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं जिससे कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि करने की आवश्यकता पड़ सकती है ।

लाल किले के निकट नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की प्रतिमा

1812. **श्री वे० कु० दास चौधरी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपाकरेंगे कि :

(क) क्या सरकार लाल किले के पास नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की प्रतिमा लगाने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) इसे कब तक लगा दिया जायेगा तथा प्रतिमा की लागत कितनी होगी; और

(घ) समिति के सदस्यों के क्या नाम हैं जिन्होंने प्रतिमा लगाने का निर्णय किया ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) और (घ). प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) यह संकेत नहीं दिया जा सकता है कि किस तारीख तक प्रतिमा को लगा दिया जायेगा और प्रतिमा की लागत क्या होगी क्योंकि वह उपयुक्त स्थान के अन्तिम चयन और उस संगठन पर निर्भर होगी जो प्रतिमा को लगाने का प्रस्ताव करेगा ।

Delhi's Share in Various Taxes

1813. **Shri Om Prakash Tyagi** : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Chairman of the Standing Committee of the Delhi Municipal Corporation has given a warning in respect of the attitude adopted by Government towards the Corporation that "if this attitude of Government continued then the entire Delhi would become a slum area in few days" ;

(b) whether it is also a fact that he had also stated that all the construction work in the capital would came to a standstill in case Government did not give a share, in the Terminal Tax, Electricity Tax, Entertainment Tax and Motor Vehical Tax ; and

(c) if so, the reaction of Government taken ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (c). According to the Delhi Municipal Corporation. Shri Kidar Nath Sahni, Chairman Standing Commi tee, Delhi Municipal Corporation while replying to the budget debate pointed out that the funds for Plan Scheme were not being released in time, which was affecting the development works including the slum clearance schemes.

The Government of India have been paying the admissible grants for plan schemes relating to Education, Roads and Health. Funds for slum clearance schemes are also being released by the Government of India after the assurance given about the repayment of instalments of slum loans. The Government of India have also been paying the Delhi Municipal Corporation's share of Terminal Tax, Entertainment Tax, Motor Vehicle Tax.

आगरा के निकट एक मन्दिर में एक लड़के की बलि दी जाना

1814. **श्री लखन लाख कपूर** :
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :
श्री मंगलाथुमाडोम :
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :
श्री स० कुन्दू :
श्री ए० श्रीधरन :
श्री मोहन स्वरूप :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आगरा के निकट कुकारसन गांव में एक मन्दिर में हाल में एक चौदह वर्षीय लड़के की बलि चढ़ाई गई थी;

(ख) यदि हां, तो इस घटना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) लोगों को इस विषय में शिक्षित करने तथा कड़ी निगरानी रखने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) और (ख). उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार 20 दिसम्बर, 1969 को जिला आगरा के जगनेर थाने में गढ़ी ग्राम के श्री चन्दन सिंह द्वारा एक रपट दर्ज कराई गई कि उसका लड़का जिसकी उम्र 13 साल की है 5/6 दिन से गुम है। 26 दिसम्बर को थाने के एक सबइंस्पेक्टर को सूचना मिली कि ग्राम भाड़ा के एक व्यक्ति भरतसिंह ने तीन व्यक्तियों के सामने यह स्वीकार किया कि उसने और बाबू सुन्दर दास ने ततपुर ग्राम के ठाकुर राम सिंह के उकसाने पर 12 और 13 दिसम्बर, 1969 के बीच की रात को कुकरसन ग्राम के चामर देवी मन्दिर में 2 करोड़ रुपये के छुपे खजाने को प्राप्त करने की आशा से सूरज भान की हत्या की थी। तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और भरत सिंह को सूचना पर सूरज भान का शव बरामद किया गया। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302-201-120-ख के अन्तर्गत थाने में दर्ज किए गए मामले की जांच-पड़ताल की जा रही है।

(ग) राज्य सरकारों को वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के अधीन ऐसे मामलों की तुरन्त जांच करने के लिए सलाह दी गई है ताकि ऐसे जघन्य अपराधों के करने वाले व्यक्तियों पर शीघ्र मुकदमा चलाया जा सके।

कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन करने वाले पुलिस कर्मचारियों तथा अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही

1815. **श्री समर गुह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता उच्च न्यायालय ने उन पुलिस कर्मचारियों और अन्य सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध पश्चिम-बंगाल में वर्तमान संयुक्त मोर्चा सरकार की स्थापना के बाद कानूनी कार्यवाही की है, जिन्होंने न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन किया था; और

(ख) यदि हां, तो इन मामलों का ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). ऐसे एक मामले के बारे में तथ्य, जो पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा भेजे गये हैं, संलग्न विवरण में दिये गये हैं। राज्य सरकार से यह मालूम किया जा रहा है कि क्या उच्च न्यायालय के सम्मुख कोई अन्य इसी प्रकार के मामले हैं।

विवरण

पश्चिम बंगाल सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार 7 मई, 1969 को इण्डियन स्टैण्डर्ड बैंगन कं० लि०, बर्नपुर (जिला वर्दवान) के महा प्रबन्धक, कार्य प्रबन्धक तथा प्रशासनिक प्रबन्धक के सामने लगभग एक हजार कामगारों ने प्रदर्शन किया। पुलिस वहां उपस्थित थी। उन्होंने उन अधिकारियों को दुर्गापुर तथा अन्य स्थानों से कुमुक पहुंचने पर 8 मई, 1969 को लगभग 02.30

बजे बचाया। मजिस्ट्रेट द्वारा एक तलाशी वारन्ट भी जारी किया गया था, जिस पर उस समय अमल किया गया था। श्री जस्टिस सी० एन० लायक ने एक आदेश (देखिये संख्या 1540 (डब्ल्यू), दिनांक 15 मई, 1969 पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिरीक्षक, वर्दवान के पुलिस अधीक्षक, आसनसोल के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, हीरापुर थाना के अफसर इंचार्ज को कारण बताने के लिए जारी किया कि आदेश संख्या 2002 (डब्ल्यू) दिनांक 2 अक्तूबर, 1967 में निहित उनके कानूनी कर्त्तव्य पालन करने के लिए आदेश के उल्लंघन के हेतु न्यायालय को मान-हानि के लिए क्यों न उन्हें दंड दिया जाए। न्यायालय आदेश के अनुपालन में पुलिस के महा-निरीक्षक और अन्य अधिकारी 3 जुलाई, 1969 को व्यक्तिगत रूप में न्यायालय में उपस्थित हुए। दिसम्बर, 1969 में राज्य सरकार द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार मामला उच्च-न्यायालय में लम्बित पड़ा था। मामले की प्राप्ति के बारे में सूचना राज्य सरकार से अभी आनी है।

अन्दमान जल प्रांगण में चीनी नौका

1816. **श्री एस० एम० कृष्ण :**
श्री मंगलाथुमाडोम :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्दमान जल प्रागंण में एक चीनी नोका घुस आई थी जिसे उसके कर्मचारियों सहित 25 दिसम्बर, 1969 को पकड़ा गया था;

(ख) यदि हां, तो इस घटना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) अन्दमान द्वीप के तट पर अधिक सतर्कता बरतने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) अन्दमान व निकोबार द्वीपसमूह में स्थिति की आवश्यकताओं के अनुसार गश्त निरंतर लगाई जा रही है।

Advance Payment of Salary to Central Government Employees Consequent of Floods in U.P.

1817. **Shri Chandrika Prasad :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Government of Uttar Pradesh have treated the last devastating flood which occurred in the eastern Districts of Uttar Pradesh as a natural calamity ;

(b) whether it is also a fact that the Central Govornment employees were not paid salary in advance so that they could adopt some relief measures ; and

(c) if so, the reaction of Government there to ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri K. S. Ramaswamy) : (a) Yer, Sir.

(b) and (c). The extent of damage did not warrant the area being declared as having been affected by a natural calamity for the purpose of grant of advance to Central Govern-ment employees under the General Financial Rules. The Government of Uttar Pradesh Pradesh have also not sanctioned any advance to their employees. The Government employees also were eligible for the relief measures sanctioned by the State Government.

राज्य के आन्तरिक मामलों में दखल देने के बारे में पश्चिम बंगाल के उप-मुख्य मंत्री का आरोप

1818. **श्री ज्योतिर्मय बसु :**
श्री चन्द्रिका प्रसाद :
श्री एन० शिवप्पा :
श्री बे० कृ० दास चौधरी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान पश्चिम बंगाल राज्य की सरकारी पत्रिका "West Bengal" (वैस्ट बंगाल) के नवीनतम संस्करण में प्रकाशित श्री ज्योति बसु, उप-मुख्य मंत्री पश्चिम बंगाल के पत्र की ओर दिलाया गया है जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि वह राज्य सरकार के आन्तरिक मामलों में हस्ताक्षेप करते हैं;

(ख) क्या उस पत्र में श्री ज्योति बसु ने उस पर पश्चिम बंगाल राज्य के मामलों में अनावश्यक और अनुचित हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया है ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप मंत्री : (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) जी हाँ, श्रीमान ।

(ख) और (ग) 27 फरवरी, 1970 को दिये गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं० 849 के उत्तर की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है ।

पूर्वी पाकिस्तान द्वारा बामनगोला पर गोलाबारी

1819. **श्री गार्डिलगन गौड़ :**
श्री प० ला० बारूपाल :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 20 दिसम्बर, 1969 को पूर्वी पाकिस्तान द्वारा भारतीय प्रदेश माल्दा जिले में बामनगोला नामक स्थान पर गोलाबारी की गई थी;

(ख) क्या इस मामले में कोई जांच की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) तथा (ग). उपयुक्त स्तरों पर पाकिस्तान को कड़े विरोध-पत्र भेजे गए थे । दोनों ओर के सीमा अधिकारियों की भी बैठक हुई जिसके बाद उस क्षेत्र में कोई गोलाबारी नहीं हुई; कड़ी निगरानी रखी जा रही है ।

गांधी दर्शन सम्बन्धी स्मारिका

1820. **श्री भगवान दास :** **श्री ज्योतिर्मय बसु :**
श्री मुहम्मद इस्माइल : **श्री देवेन सेन :**

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "नागरिक समिति" नामक एक समिति ने गांधी दर्शन सम्बन्धी एक शताब्दी स्मारिका प्रकाशित की है;

(ख) यदि हां, तो इस समिति के पदाधिकारियों का ब्यौरा क्या है तथा सरकार का इससे क्या सम्बन्ध है;

(ग) इस स्मारिका के प्रकाशन के लिए सरकार ने क्या वित्तीय सहायता दी है ;

(घ) क्या विज्ञापन तथा दृष्य प्रचार निदेशालय का एक अधिकारी इस स्मारिका के कार्य के लिए सम्पर्क प्रभारी था और उसने सम्पादकीय तथा विज्ञापन सामग्री पढ़ी थी और यदि हां, तो गांधी दर्शन सम्बन्धी स्मारिका में यह प्रथम लेख कैसे रखा गया कि 'बिड़ला भवन में गांधी जी का निधन उनके परस्पर सम्बन्धों का परिचायक हैं" ; और

(ङ) क्या इस स्मारिका का सम्पादन तथा प्रकाशन वस्तुतः बिड़ला के नियंत्रणाधीन दैनिक समाचारपत्र '**हिन्दुस्तान टाइम्स**" के कार्यालय के किसी प्रतिनिधि द्वारा किया गया था ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० बी० के० आर० वी० राव) : (क) जी, हां ।

(ख) समिति के पदाधिकारियों के विषय में सूचना एकत्र की जा रही है तथा प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जाएगी । सरकार का समिति से कोई सम्बन्ध नहीं था ।

(ग) जी, कुछ नहीं ।

(घ) जी, नहीं ।

(ङ) ऐसा समझा जाता है कि स्मारिका के सम्पादन के लिए नागरिक समिति ने श्री रशीद तालिब की सहायता मांगी थी और उसने ऐसा अपने निजी तौर पर किया, न कि **हिन्दुस्तान टाइम्स** के कर्मचारी की हैसियत से ।

हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी, नई दिल्ली के कर्मचारियों के विरुद्ध मामले

1821. **श्री जार्ज फरनेन्डीज़** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी जंगपुरा, नई दिल्ली के कर्मचारियों के विरुद्ध दिनांक, 2 जुलाई, 1964 की घटना से सम्बन्धित मामले वापस ले लिए गये हैं;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार इन मामलों को वापस लेने के बारे में विचार करेगी; और

(ग) यदि नही, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) (क) जी नहीं, श्रीमान ।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

(ग) चूंकि ये कर्मचारी तथाकथित हिन्सा और आगजनी के कार्यों में अन्तस्ति थे, अतः कानून अपनी कार्यवाही करेगा ।

विश्वविद्यालयों के प्रांगणों में युवक संगठन

1822. **श्री सीता राम केसरी :**
श्री क० प्र० सिंह देव :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न विश्वविद्यालयों के प्रांगणों में कार्य करने वाले युवक तथा अन्य संगठन साम्प्रदायिक तनाव में वृद्धि कर रहे हैं;

(ख) क्या सरकार इन संगठनों के कार्यों की जांच करने के सम्बन्ध में विचार कर रही है;

(ग) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या उपाय किये हैं; और

(घ) यदि इसके उपर्युक्त भाग (ख) का उत्तर नकारात्मक है, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) से (घ). सूचना एकत्रित की जा रही है ।

R.B.I. Middle School Sarojni Nagar, New Delhi

1823. **Shri Bansh Narain Singh :**
Shri Ram Swarup Vidyarthi :

Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) the total area, in square feet, covered by the R.B.I. Middle School, Sarojni Nagar, New Delhi and also the total number of students studying therein ;

(b) whether it is a fact that there is neither any laboratory nor any library in the said school and the children have to sit on the ground for want of desks and proper accommodation ;

(c) whether it is also a fact that the children faint due to suffocation during summer season because of congestion ;

(d) if so, whether Government propose to look into all these facts in respect of the said school and take it over or merge it with some other school ; and

(e) if not, the other measures proposed to be adopted by Government for the safety of the children ?

The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan) : (a) (i) Total area covered by R.B.I. school — 2,700 sq. ft.

(ii) Number of students on roll — 315.

(b) The school has a small library with 532 books. No separate laboratory is generally provided in Middle schools.

The children have to sit on the ground for want of desks and proper accommodation.

(c) In August, 1969 one student fainted, but it cannot be said whether it occured due to suffocation.

(d) The matter is under the consideration of the Department of Education, Delhi Administration, Delhi and wing to the existence of these deficiencies the school has been asked to fulfil the conditions stated in the letter of recognition. Provisional recognition may also be withdrawn by the Delhi Administration, if the school does not come up to the required standard.

(e) Does not arise.

Activities of Y M.C.A. And Christian Agency for Social Action

1824. **Shri Ram Charan :** Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether some social woorkers of Delhi have made complaints last year about the anti-national activities of the Y.M.C.A. and Christian Agency for Social Action ; and

(b) if so, Government's reaction thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b). According to information furnished by the Delhi Administration, in October, 1969 a complaint was received alleging that some persons connected with the Christian Agency for Social Action were indulging in antinational activities. These allegations were inquired into but were not substantiated. No complaint against Y.M.C.A. has come to notice.

Suit by Deputy Chief Minister of West Bengal

1825. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Deputy Home Minister of West Bengal has filed a suit for 10 lakhs of rupees against his unlawful detention ;

(b) whether it is also a fact that Shri Basu had been arrested under the Defence of India Rules, 1962 ;

(c) if so, the duration of his detention ;

(d) whether the Central Government have also been made a party in the case ; and

(e) if not, the names of the persons he has impleaded in this case ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Shri Jyoti Basu the present Deputy Chief Minister West Bengal has filed a suit in the High Court of Calcutta claiming compensation of Rupees 2 lakhs for his alleged illegal detention under Rule 30 of Defence of India Rules, 1962.

(b) and (c). According to information received from the Government of West Bengal, Shri Basu was in detention from 21st November. 1962 to 19th December, 1963 and from 29th July 1965 to 14th March, 1966.

(d) Yes, Sir.

(e) Does not arise.

Sacrifice of a Boy Near Godhra in Gujarat

1826. **Shri Om Prakash Tyagi :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a 10 year old boy was sacrificed recently at the alter of a goddess in Belagpur near Godhra (Gujarat) ; and

(b) if so, the action taken by Government to prevent the recurrence of such incidents ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri K. S. Ramaswamy) : (a) and (b). Facts are being ascertained from the State Government.

बंगला भाषा में गांधी वचनावली का प्रकाशन

1827. **श्री देवेन सेन :** क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गाँधी शताब्दी समिति टेंडर मंगाये बिना ही बंगला भाषा में गांधी वचनावली प्रकाशित कर रही है ; और

(ख) क्या यह भी सच है कि कलकत्ता स्थित खादी और ग्रामीण उद्योग आयोग के निदेशक से सम्बन्धित एक फर्म को इसके प्रकाशन का कार्य सौंपा गया है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी, नहीं । यह प्रकाशन राष्ट्रीय गांधी शताब्दी समिति का नहीं है ।

(ख) सरकार को जानकारी नहीं है ।

भारत की शासन पद्धति के स्वरूप के बारे में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैग्डे के विचार

1828. **श्री मुरासोली मारन :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 27 दिसम्बर, 1969 को बंगलौर में एक सम्मेलन का उद्घाटन करते समय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के० एस० हैंग्डे ने भारत की वर्तमान शासन पद्धति के स्वरूप के बारे में आलोचनात्मक विचार व्यक्त किये थे और कहा था कि इसमें पूर्ण परिवर्तन की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) सरकार ने बंगलौर में 27 दिसम्बर, 1969 को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री जस्टिस के० एस० हैंग्डे के प्रथम अखिल भारतीय वकील परिषद् के उद्घाटन-भाषण की केवल प्रेस रिपोर्ट देखी हैं ।

बताया जाता है कि उन्होंने अन्य बातों के साथ-साथ राष्ट्रपति की तथा प्रजातंत्र के संसदीय स्वरूपों के सापेक्ष गुणावगुण का उल्लेख किया था ।

(ग) उनके द्वारा व्यक्त किए गए विचार केवल उन्हीं के व्यक्तिगत मत हो सकते हैं ।

संघ राज्य क्षेत्रों के उप-राज्यपालों के वेतन में वृद्धि

1829. **श्री ई० के० नायनार** : **श्री सत्य नारायण सिंह** :
श्री नम्बियार : **श्री के० रमानी** :

क्या **गृह-कार्य** मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या यह सच है कि सरकार ने संघ राज्य क्षेत्रों के उप राज्यपालों का वेतन 3,000 रु० से बढ़ाकर 3500 रुपये करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या यह भी सच है कि जिन व्यक्तियों के पास इस पद के लिये आवश्यक अर्हताएं हैं, वे वेतन के कारण इस पद को ग्रहण करने के इच्छुक नहीं हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). प्रशासकों के रूप म उपयुक्त व वरिष्ठ व्यक्तियों का चयन करने के लिए छांटने के क्षेत्र का विस्तार करने की दृष्टि से उप-राज्यपालों के वेतन को 3,000 रु० प्रतिमाह से बढ़ाकर 3,500 रु० प्रतिमाह कर दिया गया। यह कहना सही नहीं है कि उपयुक्त व्यक्ति संशोधित दरों पर पद ग्रहण करने के इच्छुक नहीं है ।

मनीपुर में सरकारी कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते में वृद्धि

1830. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते में हाल में की गई वृद्धि मनीपुर सरकार के कर्मचारियों पर भी लागू की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या बढ़ा हुआ मंहगाई भत्ता उनको भी उसी तारीख से मिलेगा जिससे आसाम के कर्मचारियों को स्वत: मिला है ; और

(ग) यदि उपर्युक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक है, तो इसके क्या कारण है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). आसाम के नमूने पर 1 सितम्बर, 1969 से 749 रुपये तक प्रतिमाह वेतन पाने वाले मनीपुर सरकार के कर्मचारियों को 20 रुपये मासिक तदर्थ महंगाई भत्ता देने के लिए मनीपुर सरकार के प्रस्ताव की जांच की जा रही है ।

मंत्रियों द्वारा भारत तथा विदेशों की यात्राओं पर खर्च में कटौती

1831. **श्री वे० कु० दास चौधरी** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मंत्रियों द्वारा देश में तथा विदेशों की यात्रा पर फिजूल खर्चा को कम करने पर विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) तथा (ख). मंत्रियों द्वारा दौरे तब ही किये जाते हैं जब वे उनकी सरकारी ड्यूटियों के निष्पादन के सम्बन्ध में आवश्यक होते हैं। इस सम्बन्ध में अनुदेश पहले से ही विद्यमान हैं कि मंत्रियों के दौरों के खर्च न्यूनतम रखे जायें।

Bench of Rajasthan High Court at Jaipur

1832. **Shri Brij Raj Singh** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a delegation consisting of 5 members of the Jaipur Bar Association met him on the 1st February, 1970 in New Delhi with a demand for setting up a Bench of the Rajasthan High Court at Jaipur ; and

(b) if so, the details of the action proposed to be taken in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) A delegation of the Jaipur Bar Association met the Home Minister on 29th September, 1969 at Jaipur and not on 1st February, 1970.

(b) The Bench of the Rajasthan High Court at Jaipur was abolished in 1958 on the recommendation of the Rajasthan Capital Enquiry Committee. There is no change in the circumstances to reconsider the decision.

जिला अकार्ट (तमिलनाडु) में अंतर्जातीय दंगों में मारे गये हरिजन

1833. **श्री चं० चु० देसाई** :
श्री पीलु मोदी :
श्री धी० ना० देव :
श्री जे० मुहम्मद इमाम :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 18 जनवरी, 1970 के 'सण्डे स्टैंड्र्ड" में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि 17 जनवरी को तमिलनाडु के आरकट जिले में अन्तर्जातीय दंगे में अनेक हरिजन मारे गए थे; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस जघन्य घटना के बारे में कोई जांच कराई है और यदि अभियुक्तों के विरुद्ध कोई कार्रवाई की गई है, तो वे क्या हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) राज्य सरकार से तथ्य मालूम किये जा रहे हैं।

कार्मिक संघों को अनिवार्य मान्यता देने के बारे में पश्चिम बंगाल तथा केरल सरकार के विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति

1834. **श्री उमानाथ :**
श्री अ० कु० गोपालन :
श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री के० एम० अब्राहम :
श्री देवेन सेन :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रपति ने पश्चिम बंगाल तथा केरल की सरकारों के कार्मिक संघों को अनिवार्य मान्यता देने के विधेयकों पर अपना अनुमोदन नहीं दिया है ;

(ख) यदि हां, तो बिलम्ब के क्या कारण हैं ;

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार को इस सम्बन्ध में इन दोनों राज्य सरकारों से कोई विरोध पत्र प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) तथा (ख). मजदूर संघ (पश्चिम बंगाल) (संशोधन) विधेयक, 1969 जो राष्ट्रपति की अनुमति के लिए प्राप्त हुआ था, और केरल मजदूर संघों की मान्यता अध्यादेश, 1969 भी इसकी उद्घोषणा से पहले राष्ट्रपति के पूर्वानुदेशों के लिए प्राप्त हुआ था, की जांच की जा रही है । पहुंच में विस्तृत समानता सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय श्रम आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखकर दोनों विधायी उपायों के उपबन्धों पर सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है । शीघ्र ही एक निर्णय किये जाने की आशा है ।

(ग) तथा (घ). पश्चिम बंगाल सरकार से कुछ स्मरण पत्र प्राप्त हुए हैं । निर्णय शीघ्र किया जा रहा है ।

Use of Regional Languages and Hindi in High Courts

1835. **Shri Shiv Kumar Shastri :**
Shri Atam Das :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have allowed the use of regional languages in High Courts ; and

(b) if so, the number of States which have started using regional languages in High Courts and the number out of them, of those which have decided to use Hindi in their High Courts ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Article 348 (2) of the Constitution read with Section 7 of the Official Language Act 1963 provides that the Governor of a State may, with consent of the President authorise the use of Hindi, or any other language used for any official purposes of the State, in proceedings in the High Court.

(b) Only in the Allahabad High Court the use of Hindi has been permitted under Article 348 (2) of the Constitution for agruments in Civil and Criminal cases. The use of Hindi for affidavits to be filed and in statements and documents to be included in Paper Books for use in proceedings before the High Court of Judicature at Allahabad has also been authorised subject to the following conditions :

(1) that affidavits, statements and documents in Hindi should specifically be ordered to be translated in English if a Bench so desires ; and

(2) if any extract from pleadings, statements and documents etc. in Hindi is included in a judgement an English translation thereof should follow.

केन्द्र-राज्य विवादों को हल करने के बारे में अन्तर-राज्य परिषद् के अधिकार देने के लिए संविधान में संशोधन

1836. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार केन्द्र-राज्य विवादों को हल करने के लिए अन्तर-राज्य परिषद् को अधिकार देने के सम्बन्ध में, संविधान में संशोधन करने के प्रश्न पर विचार कर रही है जिससे ऐसे मामलों को राजनीति से दूर रखा जा सके;

(ख) क्या ऐसी मांग की गई है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क), (ख) और (ग). जी नहीं, श्रीमान । फिर भी, संविधान के अनुच्छेद 263 के अन्तर्गत एक अन्तर्राज्य परिषद् की स्थापना के बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशें विचाराधीन हैं ।

Retired Government Officers in Private Companies

1837. **Shri Bansh Narain Singh :**
Shri Ram Swarup Vidyarthi :

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) the total number of those Class I officers who retired from the various Ministeries and offices of the Government of India during the last three years ;

(b) the number out of them of those who retired voluntarily ;

(c) the number out of them of those who sought permission for taking up jobs in Birlas', Tatas', Modis', Mafatlals' and in other companies and concerns and the number thereof who were granted permission ; and

(d) the names of those officers who were granted such permission, the various companies in which they are employed and the amount of salaries they are receiving ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (d). The information is being collected and will be laid on the Table of the House as soon as possible.

भगवान महावीर के निर्वाण का 2500 वां दिवस समारोह

1838. **श्री अब्दुल गनी डार** : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रधान मंत्री ने भगवान महावीर के निर्वाण के 2500वें दिवस समारोह के लिए गठित की जाने वाली समिति की अध्यक्षता करना स्वीकार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस समारोह को सफल बनाने के लिए सब सम्भव सेवाओं की व्यवस्था सरकार करेगी ; और

(ग) क्या यह भी सच है कि इस समारोह को सफल बनाने के लिये प्रधान मंत्री ने राज्य सरकारों से इस समिति को सहयोग देने तथा बड़े पैमाने पर साधन जुटाने की अपील की है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० बी० के० आर० वी० राव) : (क) से (ग). इस बात पर अभी तक विचार किया जा रहा है कि भगवान महावीर के निर्वाण का 2500 वां दिवस समारोहों में भारत सरकार किस रूप में भाग लेगी ।

प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों पर कार्यवाही

1839. **श्री सीताराम केसरी** : **श्री रघुवीर सिंह शास्त्री** :
श्री हिम्मतसिंहका :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले तीन वर्षों से भी अधिक समय से प्रशासनिक सुधार आयोग ने बहुत सी सिफारिशें की हैं ;

(ख) उनमें से कितनी सिफारिशों पर अब तक विचार किया गया है और उन्हें स्वीकार किया गया है ; और

(ग) आयोग के कब तक कार्य करते रहने की सम्भावना है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) 190 (5 आंशिक समेत) सिफारिशों की प्रक्रिया की गई है और उनमें से 170 (पांच आंशिक समेत) तरमीम के साथ या बगैर, स्वीकृत कर ली गई हैं अथवा उपयुक्त स्तर पर ध्यान में रखने के लिए नोट कर ली गई है ।

(ग) आयोग के अध्यक्ष ने सरकार से निवेदन किया है कि आयोग को 1970-71 में लगभग चार महीने कार्य करने की अनुमति दी जाय । मामले पर सरकार विचार कर रही है ।

राज्यपालों द्वारा केन्द्रीय नीति की आलोचना

1840. **श्री क० प्र० सिंह देव** :
श्री श्रीचन्द गोयल :

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान तमिल नाडु, मैसूर, पश्चिमी बंगाल और पंजाब में नये

सत्रों का आरम्भ करते समय वहां के राज्यपालों अभिभाषणों की ओर दिलाया गया है जिनमें राज्य के प्रति केन्द्र की नीति की आलोचना की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) सरकार ने पंजाब, तमिल नाडु और पश्चिम बंगाल के राज्यपालों द्वारा किये गये अभिभाषणों के मूल पाठ देखे हैं। मैसूर के राज्यपाल के अभिभाषण का मूल पाठ अभी प्राप्त होना है।

(ख) सरकार ऐसे अभिभाषणों में निहित सभी विचारों को स्वीकार नहीं करती है।

पूर्वी पाकिस्तान में मणिपुरी युवकों को प्रशिक्षण

1841. **श्री क० प्र० सिंह देव :**
श्री गाडिलिंगन गौड :

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ ऐसे दस्तावेज़ बरामद हुए हैं जिनमें पाकिस्तान ने उग्रवादी मणिपुरी युवकों को विध्वसंकारी कार्यवाहियों के लिए सैन्य प्रशिक्षण देने के सम्बन्ध में मणिपुर सरकार को आश्वासन दिया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि प्रशिक्षण लेने के लिए हाल ही में युवकों का एक जत्था आसाम के कछार जिले के रास्ते से सीमा पार कर पूर्वी पाकिस्तान चला गया है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या उपाय किए हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) ऐसे कोई दस्तावेज़ बरामद नहीं किये गए हैं।

(ख) बताया जाता है कि कुछ व्यक्ति चोरी छिपे सीमा पार कर पाकिस्तान चले गए हैं।

(ग) सीमा पर अवैध आवागमन को रोकने के लिए गैर-कानूनी तत्वों की गति-विधियों पर लगातार निगरानी रखी जाती है।

कलकत्ता में जर्मना के कौंसल-जनरल की पत्नी का तंग किया जाना

1842. **श्री श्रीचन्द गोयल :**
श्रीमती इला पालचौधरी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जर्मनी संघीय गणराज्य के कोंसल-जनरल की पत्नी को कलकत्ता में उपद्रवी भीड़ द्वारा तंग किया गया था ; और

(ख) दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) कलकत्ता पुलिस ने एक मामला दर्ज किया है और जांच-पड़ताल की जा रही है।

प्रधान मन्त्री के दौरे के समय इम्फाल में पुलिस द्वारा गोली चलाना

1843. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मणिपुर के राजनैतिक दलों और संगठनों के प्रधान मंत्री को ज्ञापन भेजे हैं जिनमें 23 दिसम्बर, 1969 को उनके इम्फाल दौरे के समय पुलिस द्वारा इम्फाल पोलो ग्राउंड में गोली चलाए जाने के बारे में न्यायिक जांच कराने का अनुरोध किया गया है; और

यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) लोक सभा में 5 दिसम्बर, 1969 को तारांकित प्रश्न संख्या 444 तथा अतारांकित प्रश्न संख्या 2837 के दिये गए उत्तर की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। संगत परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए दंगों के लिए किसी जांच आयोग को नियुक्त करने का कोई विचार नहीं है।

पश्चिमी बंगाल में नि:शुल्क शिक्षा के लिए केन्द्रीय राज सहायता

1844. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के शिक्षा मन्त्री श्री सत्य प्रिय राय ने प्रधान मंत्री को एक पत्र लिखकर पांच करोड़ रुपयों की केन्द्रीय राज सहायता मांगी है ताकि राज्य सरकार सम्पूर्ण राज्य में आठवीं कक्षा तक नि:शुल्क शिक्षा देने की अपनी योजना को कार्यान्वित कर सके ;

(ख) यदि हां, तो उस पत्र का पाठ क्या है ; और

(ग) यदि सरकार ने उस पर कार्यवाही की है तो उसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). मामले की जांच की जा रही है और राज्य सरकार से प्राप्त पत्र को प्रकाशित करना जनहित में नहीं है।

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए पी० टी० ओ०

1845. **श्री न० रा० देवघरे** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को दो वर्ष में एक बार उपलब्ध वर्तमान अवकाश यात्रा रियायत के स्थान पर देश के किसी भाग में यात्रा करने के लिए रेलवे कर्मचारियों की भांति पी० टी० ओ० देने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो दो श्रेणियों के सरकारी कर्मचारियों के बीच भेदभाव किए जाने के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) जी नहां, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) अवकाश यात्रा रियायत की वर्तमान योजना उदारीकरण है जो संयुक्त सलाहकार व्यवस्था की राष्ट्रीय परिषद् में कर्मचारी पक्ष के प्रस्ताव पर विचार-विमर्श करने के बाद आरम्भ की गई थी और प्रशासनिक व्यय में कमी करने की आवश्यकता को देखते हुए योजना में फिलहाल किसी परिवर्तन करने का विचार नहीं है ।

Demand for Appointment on Another Enquiry Committee for going into the Causes of death of Netaji Subhash Chandra Bose

1845. **Shri Yashwant Singh Kushwah :**
Shri Vishwa Nath Pandey :

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a demand has been made to Government for appointing another Enquiry Committee to go into the cause of death of Netaji Subhash Chandra Bose ; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Yes, Sir.

(b) The matter is under consideration of the Government.

भारत के विभिन्न राज्यों में साम्यवादी दल द्वारा भूमि हथियार लेना

1847. **श्री गु० च० नायक :**
श्री रा० रा० सिंह देव :
श्री महेन्द्र माझी :
श्री मीठा लाल माना :
श्री सी० मुत्तु स्वामी :
श्री एन० शिवप्पा :
श्री घी० ना० देव :
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 1 जनवरी, 1970 के "इन्डियन एक्सप्रैस" में प्रकाशित एक समाचार की ओर दिलाया गया है कि भारतीय साम्यवादी दल के कार्यकर्ताओं ने देश के बहुत से राज्यों में खाली पड़ी तीन लाख एकड़ से अधिक भूमि को हथिया लिया है ;

(ख) क्या भूमि हथियाने के कार्यक्रम के कारण केरल राज्य में विभिन्न स्थानों पर गम्भीर दंगे हुए हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) और (ग). राज्य सरकार से तथ्य मालूम किए जा रहे हैं।

हड़तालों पर प्रतिबन्ध लगाने के बारे में संयुक्त परामर्श व्यवस्था के बारे में विधान

1848. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त परामर्श व्यवस्था द्वारा हड़तालों पर प्रतिबन्ध लगाये जाने के किसी विधान का केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के संगठनों ने विरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) सरकार को संयुक्त परामर्श व्यवस्था द्वारा हड़तालों पर प्रतिबन्ध लगाये जाने के प्रस्तावित विधान का केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के संगठनों द्वारा कोई विरोध किए जाने के बारे में कोई जानकारी नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Unemployment Amongst Scientists

1850. **Shri Shiv Kumar Shastri :**
Shri Atam Das :

Will the Minister of Education and Youth Services be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a large number of Scientists are unemployed at present ; and

(b) if so, the total number of such unemployed persons and the steps being taken by Government to provide them with employment ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) and (b). The Total number of unemployed Scientists in the country is not known. However, according to the information available in the National Register of the Council of Scientific and Industrial Research, where registration is voluntary, 43 Doctorate holders and 38 M.Sc. level scientists are currently reported as unemployed.

The various steps taken by the C.S.I.R. to assist scientific and technical personnel in finding employment are as under :

1. A monthly "Technical Manpower Bulletin" is published giving particulars of persons who are available for employment. About 3,000 copies of the bulletin are distributed free to the various employing organisations to facilitate utilisation of such persons.
2. Suitable candidates are recommended in response to requirments notified to the CSIR by employers and recruiting bodies.
3. The CSIR also scrutinises advertisements appearing in important newspapers and makes recommendation of registrants with appropriate qualifications for consideration against these advertisements.
4. By temporary placement of qualified scientists, technologists, engineers and doctors especially those returning from abroad in the Scientists' Pool.

माल्पे पत्तन के विकास के लिए युगोस्लाविया से पेशकश

1851. **श्री लोबो प्रभु** : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माल्पे पत्तन के विकास के लिए यूगोस्लाविया से पेशकश प्राप्त हुई थी ;

(ख) उस पर केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) राज्य सरकार द्वारा उस पर कार्यवाही को शीघ्र पूरा करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(घ) परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है और वह कब तक पूरी हो जाएगी ?

संसद्कार्य विभाग और नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) से (घ). छोटे पत्तनों का विकास को कार्यकारी उत्तरदायित्व संबंधित राज्य सरकारों का है। सूचना मैसूर सरकार से एकत्रित की जा रही और उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

विशिष्ट व्यक्तियों की सूची में सम्मिलित लोगों की श्रेणियां

1852. **श्री समर गुह** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विशिष्ट व्यक्तियों की सूची में किस-किस श्रेणी के लोग सम्मिलित किए जाते हैं ;

(ख) इन व्यक्तियों की श्रेणियों का चयन किस आधार पर किया जाता है ;

(ग) क्या विभिन्न विश्वविद्यालयों के उपकुलपति, राष्ट्रीय स्तर के प्रोफेसर, विभिन्न वैज्ञानिक, चिकित्सीय इन्जीनियरिंग, कला तथा अन्य इसी प्रकार के संस्थानों के निदेशक, अवकाश प्राप्त प्रोफेसर, अन्य प्रमुख शिक्षाविद् और अखिल भारतीय सांस्कृतिक एवं धार्मिक संस्थाओं के प्रधान विशिष्ट व्यक्तियों की सूची में सम्मिलित किए जाते हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) से (घ). विशिष्ट व्यक्तियों की ऐसी कोई सूची नहीं है और ऐसे वर्गीकरण के लिए कोई आधार निर्धारित किए गए हैं। फिर भी, राजकीय उत्सवों में आमंत्रित विशिष्ट व्यक्तियों की पूर्वता, पूर्वता-अधिपत्र में दी गई है जो अधिकांशत: राज्य के विभिन्न अंगों के राजकीय अधिकारियों तक जैसे, राज्यों के अध्यक्षों, केन्द्र तथा राज्यों के मंत्रियों, संसद तथा विधान सभाओं के पीठासीन, अधिकारियों, सर्वोच्च न्यायालय व न्यायालय के न्यायाधीशों, संसद सदस्यों तथा वरिष्ठ असैनिक और सैनिक अधिकारियों तक सीमित है। फिर भी, उपकुलपतियों इत्यादि को जिसका अधिपत्र में उल्लेख नहीं है, राजकीय उत्सवों में सार्वजनिक जीवन में उनकी स्थिति के अनुसार उपयुक्त स्थान दिए जाते हैं।

अन्दमान तथा निकोबार द्वीपों में विशेष वेतन

1853. **श्री के० एम० अब्राहम :** **श्री गणेश घोष :**
श्री क० अनिरुद्धन : **श्री के० रमानी :**

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण अन्दमान में कुल कितने सरकारी कर्मचारी भर्ती किए गए थे और उनमें से कितने कर्मचारियों को मध्य तथा उत्तरी अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह में काम पर लगाया गया था ;

(ख) क्या यह सच है कि अन्दमान तथा निकोबार द्वीपों के विभिन्न भागों में दिये जाने वाले विशेष वेतन में अन्तर है ; यदि हां, तो कर्मचारियों से इस भेद-भाव के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार इस भेद-भाव को समाप्त करने पर विचार करेगी, यदि हाँ तो यह भेद-भाव कब तक समाप्त कर दिया जायेगा ; और

(घ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) जी हाँ, श्रीमान्। फिर भी, 4 जून, 1969 से विशेष वेतन के स्थान पर विशेष भत्ता कर दिया गया है। चूंकि विशेष भत्ते की दरें भिन्न-भिन्न क्षेत्रों की अपेक्षाकृत दूरी के अनुसार अलग-अलग हैं, अतः कोई भेदभाव नहीं है।

(ग) और (घ). प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

31-12-1969 को अन्दमान तथा निकोबार प्रशासन के कुल कर्मचारियों की संख्या, जिन्हें दक्षिण अन्दमान में भर्ती किया गया तथा अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह के अन्य भागों में नियुक्त किया गया, इस प्रकार है :

(i) मध्य अन्दमान में नियुक्त व्यक्ति : 354

(ii) उत्तर अन्दमान में नियुक्त व्यक्ति : 349

(iii) लिटिल अन्दमान में नियुक्त व्यक्ति : 6 तथा

(iv) निकोबार में नियुक्त व्यक्ति : 338

अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह में सरकारी कर्मचारियों को विशेष वेतन।

1854. **श्री के० एस० अब्राहम :** **श्री क० अनिरुद्धन :**
श्री अ० कु० गोपालन : **श्री नम्बियार :**

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह में स्थानीय रूप से भर्ती

किये गये उन सभी सरकारी कर्मचारियों को, जिनकी ऊंचे पदों पर पनोन्नति हो जाती है, विशेष वेतन देना बन्द कर दिया गया है ;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सरकार उन सभी स्थानीय कर्मचारियों को अन्दमान विशेष वेतन देने के बारे में पुनः विचार करेगी जो 22 जनवरी, 1951 से पहले सेवा में आये थे ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). 'अन्दमान विशेष वेतन' जो 1 दिसम्बर, 1948 से स्वीकृत किया गया था, का उद्देश्य इस द्वीपसमूह में सेवा के लिए मुख्य भूमि से कर्मचारी प्राप्त करने के लिए एक प्रोत्साहन के रूप में था। चूंकि इस 'विशेष वेतन' की स्वीकृति देने वाला मूल आदेश इस सम्बन्ध में असंदिग्ध नहीं था इसलिए स्थानीय रूप से भर्ती किये गये व्यक्तियों को, जो इसे पाने के हकदार नहीं थे, गलती से यह 'विशेष वेतन' पाने दिया गया। तथापि, 22 जनवरी, 1951 से सही स्थिति स्पष्ट की गई और स्थानीय रूप से भर्ती किये गये व्यक्तियों को यह 'विशेष वेतन' दिया जाना बन्द कर दिया गया। स्थानीय रूप से भर्ती किये गये उन व्यक्तियों के जो 22 जनवरी, 1951 से पहले सेवा में थे, और 'अन्दमान विशेष वेतन' पा रहे थे, वेतन में कमी को दूर करने की दृष्टि से यह व्यवस्था की गई कि जब तक वे उसी पद पर बने रहेंगे वे 'अन्दमान विशेष वेतन' पाते रहेंगे और पदोन्नति होने पर निचले पद में उनको मिल रहे 'अन्दमान विशेष वेतन' की हानि के कारण उनके वेतन में कमी की, यदि कोई हो, वैयक्तिक वेतन देकर, जो भविष्य की वेतन वृत्तियों में खपा लिया खायेगा, रक्षा की जाएगी।

(ग) जी नहीं, श्रीमान्।

राज्य सरकारों द्वारा पोषक सड़कों के लिए की गई व्यवस्था

1855. **श्री लोबो प्रभु** : क्या नौवहन तथा परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि जैसा कि चौथी पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में प्रस्तावित है, राज्य सरकारों ने सड़कों पर खर्च होने वाली अपनी धन राशि का एक चौथाई भाग पोषक सड़कों पर खर्च करने की व्यवस्था की है ;

(ख) यदि हाँ, तो मैसूर राज्य के लिए इस बारे में क्या व्यवस्था की है ;

(ग) सरकार द्वारा उन गाँवों का सर्वेक्षण न कराने के क्या कारण हैं जो वर्षाकाल में अलग-अलग हो जाते हैं और राज्य सरकारों से चौथी योजना में आवश्यक पुलों और पुलियों के निर्माण के लिए व्यवस्था करने के लिए आग्रह न करने का क्या कारण है ; और

(घ) यदि राज्य सरकारें चौथी योजना के प्रारूप में प्रस्तावित अनुपात में पोषक सड़कों पर खर्च नहीं करती हैं, तो सरकार द्वारा अपने ब्लाक अनुदान में कमी न करने के क्या कारण हैं ?

संसद्-कार्य और नौवहन तथा परिवहन मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) और (ख). अपेक्षित सूचना राज्य सरकारों से एकत्रित की जा रही हैं और उपलब्ध होने पर उसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

(ग) प्रश्न में उल्लिखित पोषक सड़कें स्थानीय सड़कें हैं। अतः संबंधित राज्य सरकारें इन सड़कों से सम्बन्धित सारे मामलों के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी हैं। बरसात में विभिन्न गाँवों के सर्वेक्षण कराने और चौथी योजना में आवश्यक पुलों और पुलियों की व्यवस्था करने की आवश्यक कार्यवाही अपने-अपने राज्यों को करना है।

(घ) चौथी योजना में राज्य योजनाओं को केन्द्रीय सहायता ब्लाक ऋणों और ब्लाक अनुदानों के रूप में होगी। चूँकि ग्रामीण सड़कों के लिए कोई सहायता निर्धारित नहीं की जायेगी अतः केन्द्रीय सहायता को कम करना सम्भव नहीं होगा यदि राज्य सरकारें चौथी योजना के प्रारूप में सुझाये गये अनुपात में ग्रामीण सड़कों पर व्यय करने में असफल हो जाती हैं।

मंगलौर स्थित सूरतकल क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज में सेप्टिक टैंकों के निःस्राव के कारण गन्दगी

1856. **श्री लोबो प्रभु** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें मंगलौर (मैसूर) स्थित सूरतकल क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज में सैप्टिक टैंकों के निःस्राव के कारण आसपास के गांवों में होने वाली गन्दगी के बारे में पता है ;

(ख) क्या निकासी व्यवस्था में सुधार के लिये कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और यदि हाँ, तो उनकी स्वीकृति में बिलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या पानी की कमी से इसका उपयोग कम होता है और पानी की सप्लाई बढ़ाने के लिए क्या प्रस्ताव किये गये हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख). कालेज की रिपोर्ट के अनुसार, कालेज कैम्पस के सेप्टिक टैंकों के निःस्राव के बारे में कोई शिकायतें नहीं मिली हैं। निःस्राव को नालियों में एडेलन से पहले, उसे साफ कर लिया जाता है।

(ग) सेप्टिक टैंकों की कार्यक्षमता में सुधार करने के लिए तथा अन्य प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार ने कालेज को अतिरिक्त पानी की सप्लाई की एक योजना मंजूर की है, जिसकी अनुमानित लागत 9.5 लाख रुपये होगी।

दक्षिण कनारा जिले में पुलों के लिये व्यवस्था

1857. **श्री लोबो प्रभु** : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना में देश में और विशेषकर मैसूर राज्य में पोषक सड़कों के निर्माण के लिए क्या उपबन्ध किया गया है ;

(ख) क्या दक्षिण कनारा जिले के उन गाँवों के लिए पुलों की व्यवस्था भी इसमें सम्मिलित है, जो वर्षाकाल में अलग-अलग हो जाते हैं ;

(ग) दक्षिण कनारा जिले के ऐसे गांवों में निमज्जक पुल बनाने पर क्या अनुमानित राशि व्यय होगी ; और

(घ) यदि आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, तो क्या ऐसे पुल बनाये जाने के लिए सर्वेक्षण किया जायेगा, ताकि दक्षिण कनारा जिले के उन गांवों में संचार का साधन उपलब्ध हो सके, वहां पर भारी वर्षा होती है और उसी पर बहुत अधिक पुल-विहीन नदियाँ और चश्में हैं ?

संसद्-कार्य और नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) से (घ). अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और उसे यथा समय सभा पटल पर रख दिया जायेगा ।

Law and Order Situation in West Bengal

1858. **Shri Raghuvir Singh Shastri** : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether the Chief Minister of West Bengal met him in the Second week of February, 1970 and discussed the law and order situation in the State ;

(b) if so, the details of talks held with him ; and

(c) the suggestions or advice given to the Chief Minister for the improvement of Law and Order situation in West Bengal ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Yes Sir.

(b) and (c). The Chief Minister of West Bengal apprised the Home Minister of the general situation in the State. The Home Minister expressed his anxiety over the deteriorating law and order situation in West Bengal. Public order being a State subject, there was no question of giving the Chief Minister any advice. The Home Minister, however, assured him that co-operation and assistance as may be required by the State Government, to improve the situation, would be rendered by the Central Government.

Inter-University Board of India and Ceylon

*1859. **Shri Raghuvir Singh Shastri** : **Shri Shiva Chandra Jha** :
Shri Om Prakash Tyagi :

Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that an Annual meeting of the Inter-University Board of India and Ceylon was held in Madurai in the first week of February, 1970 ;

(b) if so, the subjects discussed and the conclusions reached therein ; and

(c) the reaction of Government thereto ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) Yes, Sir.

(b) A list of the items discussed in the meeting is enclosed. [*Placed in Library. See* No. LT—2759/70]

(c) The proccedings of the meeting are yet to be received by the Government ; the Board is finalizing them.

अंदमान तथा निकोबार द्वीप समूह में सरकारी कर्मचारियों को विशेष प्रतिकर भत्ता

1890. **श्री पं० गोपालन :** **श्री पी० पी० एस्थोस :**
श्रीमती सुशीला गोपालन : **श्री सी० के० चक्रपाणि :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अंदमान तथा निकोबार द्वीप-समूह में सरकारी कर्मचारियों को वेतन का कितने प्रतिशत विशेष प्रतिकर भत्ता दिया जाता है ;

(ख) क्या यह सच है कि वहां पर यह विशेष प्रतिकर भत्ता उन कर्मचारियों **को नहीं** दिया जाता जो स्थानीय होते हैं, यदि हाँ, तो इसका क्या कारण है ;

(ग) क्या भर्ती किये गये सभी स्थानीय लोगों को भी वही भत्ता दिये जाने **के प्रश्न पर** सरकार विचार करेगी ; यदि हां, तो कब से ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). अंदमान तथा निकोबार प्रशासन के अधीन काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों को विशेष प्रतिकर भत्ता के नाम से कोई भत्ता मंजूर नहीं किया गया है। तथापि, 'प्रतिकर भत्ता' तथा विशेष भत्ता' मंजूर किया है। स्थानीय रूप से भर्ती किए गए कर्मचारियों को उन्हीं दरों पर प्रतिकर भत्ता दिया गया है जिन पर मुख्य भूमि के भर्ती किए गए कर्मचारियों को दिया जाता हैं। तथापि, स्थानीय रूप से भर्ती किए गए कर्मचारी उन दरों पर विशेष भत्ता प्राप्त करने के हकदार नहीं हैं जिन पर यह मुख्य भूमि के भर्ती किए गए। प्रतिनियुक्ति किए गए कर्मचारियों को मिलता है। मूख्य भूमि के भर्ती किए गए। प्रतिनियुक्ति किए गए कर्मचारियों के लिए यह विशेष भत्ता इसलिए है कि यह द्वीपों ने नौकरी करने के लिए मुख्य भूमि से कर्मचारी प्राप्त करने के लिए आकर्षण या प्रोत्साहन रहे। किन्तु दक्षिण अंदमान में भर्ती किए गए स्थानीय कर्मचारियों की अंदमान व निकोबार द्वीप समूह के अन्य क्षेत्रों में तैनात करने पर मामूली कम दरों पर विशेष भत्ता दिया गया है। अंदमान व निकोबार प्रशासन में काम करने वाले कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों को जिन दरों पर 'प्रतिकर भत्ता' तथा 'विशेष भत्ता' मिलता है, उसका विवरण संलग्न है। [**ग्रन्थालय में रखा गया देखिए** संख्या एल० टी०—2760/70]

(ग) और (घ). अंदमान व निकोबार द्वीपसमूह के किसी स्थान पर भर्ती किए जाने वाले तथा किसी अन्य क्षेत्र में तैनात किए जाने वाले स्थानीय भर्ती वाले कर्मचारियों को 'विशेष भत्ता' देने के प्रस्ताव की जांच की जा रही हैं।

अखिल भारतीय आधार पर पाठ्य पुस्तकों के बारे में सुझाव

1861. **श्री प० गोपालन :** **श्री सत्यनारायण सिंह :**
श्री पी० राममूर्ति : **श्री पी० पी एस्थोस :**

क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान अखिल भारतीय स्कूल पाठ्य पुस्तक सम्मेलन के इस सुझाव

की ओर दिलाया गया है कि 70 प्रतिशत पाठ्य पुस्तकें अखिल भारतीय आधार पर प्रकाशित की जायें ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर वी० राव) : (क) और (ख). अखिल भारतीय आधार पर 70 प्रतिशत पाठ्य पुस्तकें बनाने का कोई विशेष सुझाव सम्मेलन में नहीं दिया। राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् के द्वारा किये गये अवलोकन से पता चला था कि विभिन्न राज्यों में लगभग 70 प्रतिशत स्कूल पाठ्यक्रम एक जैसा है।

सम्मेलन ने यह सिफ़ारिश की थी रा० शि० अ० और प्र० परिषद् राज्य स्तर की शिक्षा एजेंसियों की सक्रिय सहायता के साथ पूरे स्कूल स्तर पर, सभी अनिवार्य विषयों में एक जैसे और पाठ्यक्रम का विकास किया जाय और यह कि भविष्य में भी रा० शि० अ० और प्र० परिषद् द्वारा विकास की जाने वाली पाठ्य पुस्तकें तथा अध्ययन की दूसरी सामग्री भी इसी समान पाठ्यक्रम पर आधारित होनी चाहिए।

रा० शि० अ० और प्र० परिषद् इन सिफारिशों को लागू करने के उपायों का निरीक्षण कर रहा है।

नये विश्वविद्यालयों की स्थापना

1862. **श्री एस० एम० कृष्ण :**
श्री चन्द्रशेखर सिंह :

क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में नये विश्वविद्यालय स्थापित करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो आगामी तीन वर्षों में नये विश्वविद्यालय किन-किन राज्यों में स्थापित किये जायेंगे ; और

(ग) इस कार्य के लिए कितने धन की व्यवस्था की गई है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख). नये विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा भेजे गये निम्नलिखित प्रस्तावों पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के परामर्श से विचार किया जा रहा है :

(1) पुरी (उड़ीसा) में संस्कृत विश्वविद्यालय।

(2) भोपाल (मध्य प्रदेश) में विश्वविद्यालय।

(3) भाव नगर (गुजरात) में विश्वविद्यालय।

उत्तरी क्षेत्र के पहाड़ी भागों में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के बारे में एक प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

विश्वविद्यालय स्थापित करने के निम्न प्रस्ताव स्वीकार कर लिये गये हैं :

(1) हिमाचल प्रदेश में बहु-संकाय विश्वविद्यालय ।

(2) नैनीताल (उत्तर प्रदेश) में कुमाऊं विश्वविद्यालय ।

(3) गुजरात में कृषि विश्वविद्यालय ।

(4) बिहार में कृषि विश्वविद्यालय ।

इनके अतिरिक्त तमिलनाडु और केरल में कृषि विश्वविद्यालय स्थापित करने के प्रस्तावों पर खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय विचार कर रहा है तथा इन विश्वविद्यालयों के आगामी तीन वर्षों में स्थापित हो जाने की सम्भावना है ।

(ग) शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय नये विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए राज्य सरकारों को सहायता नहीं देता है । ऐसे विश्वविद्यालयों को स्वीकृत योजनाओं के लिए सहायता विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सभी विश्वविद्यालयों पर लागू व्यवस्था के अनुसार दी जाती है ।

तथापि खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में चौथी पंचवर्षीय योजना में कृषि विश्वविद्यालयों (वर्तमान तथा नये, दोनों) में चुनी मदों के विकास के 21.25 करोड़ रुपये का नियतन किया है किन्तु प्रत्येक राज्य को इन विश्वविद्यालयों को अधिकतम 2,00 करोड़ रुपये मिलेंगे ।

भारत में खगोलीय टेलेस्कोप का लगाया जाना

1863. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में खगोलीय प्रयोजनों के लिए एक बड़ा टेलेस्कोप लगाया जाने वाला है ; और

(ख) यदि हां, तो कब और कहां ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) और (ख). हैदराबाद, नैनीताल तथा कोडाइकनाल में एक मीटर एपरचर रेंज में तीन बड़े टेलेस्कोप लगाये गये हैं अथवा लगाये जा रहे हैं ।

भारतीय राष्ट्रीय खगोल समिति ने सिफारिश की है कि खगोल विज्ञान में राष्ट्रीय अनुसन्धान सुविधा के लिए तीन से चार मीटर तक रेंज में एक अधिक बड़ा टेलेस्कोप लगाया जाये । एक उप-समिति यह टेलेस्कोप लगाने के लिए उपयुक्त स्थान के प्रश्न पर तथा इसके बारे में अन्य तकनीकी विवरणों पर विचार कर रहा है ।

केन्द्रीय सचिवालय लिपिकीय सेवा (अपर डिवीजन ग्रेड) परीक्षा का विरोध

1864. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सचिवालय लिपिकीय सेवा (अपर डिवीजन ग्रेड) परीक्षा

के प्रश्न को जैसा कि संयुक्त सलाहकार व्यवस्था की योजना में निहित है मंत्रिमंडल की उप समिति को निर्दिष्ट न करने में सरकार के निर्णय के विरोध में कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने 5 दिसम्बर, 1969 को नई दिल्ली में उद्योग भवन उद्यान पर भूख हड़ताल की थी ;

(ख) क्या यह भी सच है कि संसद् सदस्यों का एक प्रतिनिधि मण्डल 8 दिसम्बर, 1969 को केन्द्रीय गृह-मंत्री से मिला था और उन्होंने प्रतिनिधिमण्डल को यह आश्वासन दिया था कि जैसा कि संयुक्त सलाहकार तथा अनिवार्य मध्यस्थ निर्णय की योजना में निहित है वह इस मामले को मंत्रिमण्डल की उप-समिति के पास भेजेंगे ;

(ग) क्या यह सच है कि संसद् सदस्यों के प्रतिनिधिमण्डल को दिये गये इस आश्वासन के परिणामस्वरूप केन्द्रीय सरकार लिपिक संघ ने जैसा कि संयुक्त सलाहकार व्यवस्था में निहित है इस मामले को मंत्रिमण्डल की उप-समिति को सौंपने के लिए सरकार से दोबारा अभ्यावेदन किया है ;

(घ) यदि हां, तो सरकार ने क्या निर्णय किया है ; और

(ङ) यदि उपर्युक्त भाग (घ) का उत्तर नाकारात्मक है, तो क्या यह संयुक्त सलाहकार व्यवस्था करार का जिसमें स्पष्ट तथा बिना किसी शर्त के यह उपबन्ध है कि ऐसे मामलों को मंत्रिमण्डल की उपसमिति को सौंपा जायेगा, तथा संसद्-सदस्यों को दिये गए आश्वासन का उल्लंघन नहीं है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) केन्द्रीय सरकार लिपिकीय संघ ने 3 दिसम्बर, 1969 को सूचित किया था कि उन्होंने सरकार का ध्यान केन्द्रीय सचिवालय लिपिकीय सेवा (अपर डिवीजन ग्रेड) परीक्षा को समाप्त करने के बारे में अपनी मांग की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करने तथा उसे स्वीकार कराने के उद्देश्य से उस तिथि से 6 दिन की अवधि के लिए भूख हड़ताल करने का निर्णय किया था ।

(ख) से (ङ). कर्मचारी पक्ष के कुछ प्रतिनिधियों ने 3 दिसम्बर, 1969 को संयुक्त सलाहाकार व्यवस्था की कार्यविधि के अनुसार मंत्रिमण्डल की उप-समिति को अपर डिवीजन ग्रेड परीक्षा निर्दिष्ट करने के सम्बन्ध में गृह मंत्री से भेंट की थी । इसी सम्बन्ध में कुछ संसद् सदस्य भी गृह-मंत्री से मिले थे । उन्हें सूचित किया गया कि केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा के अपर डिवीजन ग्रेड में पदोन्नति के लिए विभागीय परीक्षा जो 10 और 12 दिसम्बर, 1969 को संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ले गई है, समाप्त नहीं की जा सकी, अतः कर्मचारियों को संयुक्त सलाह-कार व्यवस्था की सामान्य प्रक्रिया का अनुकरण करना चाहिए, अर्थात् वे इस मामले को नये सिरे से विभागीय परिषद् में उठा सकते हैं क्योंकि परिषद् में इस मद पर असहमति हो जाने के बाद एक वर्ष व्यतीत हो गया है और विभागीय परिषद् में सहमति प्राप्त न हो सकने की दशा में मामले को मंत्रियों की समिति को सौंपने पर कोई आपत्ति नहीं होगी । अतः विभागीय परिषद् में कर्मचारी वर्ग के प्रतिनिधि इस मामले को विभागीय परिषद् में उठाने के लिए स्वतन्त्र हैं और तत्पश्चात् संयुक्त सलाहकार व्यवस्था योजना के नियम तथा परिपाटी के अनुसार मामले की प्रक्रिया की जा सकती है । केन्द्रीय सरकार लिपिकय संघ तथा संसद् सदस्य को भी जिन्होंने इस मामले के बारे में गृह मंत्री को लिखा था, उपरोक्त स्थिति से हाल में अवगत करा दिया गया है ।

इंडियन एसोसिएशन फार दी कल्टीवेशन आफ साइंस, कलकत्ता के कर्मचारियों द्वारा वेतनक्रमों के पुनरीक्षण हेतु आन्दोलन

1865. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन एसोसिएशन फार दि कल्टीवेशन आफ साइन्स, कलकत्ता के कर्मचारी अपने वेतन क्रमों के पुनरीक्षण के लिए काफी समय से आन्दोलन कर रहे हैं ;

(ख) क्या एसोसिएशन की परिषद् ने 1967 में कर्मचारियों के वेतनक्रमों में परिवर्तन के लिए सरकार को एक प्रस्ताव पेश किया था ;

(ग) क्या इन कर्मचारियों की सेवा की शर्तों की जांच करने के लिए 1968 में सरकार ने एक पुनर्विलोकन समिति गठित की थी ;

(घ) यदि हां, तो क्या पुनर्विलोकन समिति ने सरकार को अपनी सिफारिशें भेज दी हैं ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इतनी अधिक देरी के क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) और (ख). इण्डियन एसोसिएशन फार दि कल्टीवेशन आफ साइन्स, कलकत्ता शिक्षक वर्ग, यथा प्राफेसरों, रीडरों तथा लेक्चररों के वेतनमानों में संशोधन कर दिया गया है तथा उन्हें कलकत्ता विश्व विद्यालय के उपर्युक्त वर्ग के कर्मचारियों के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्वीकृत वेतनमानों के बराबर कर दिया गया है। इस एसोसिएशन के शेष कर्मचारियों के वेतनमान वर्ष 1962 में उसी आधार पर संशोधित किये गये थे जिस प्रकार वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के इसी श्रेणी के वेतनमान दूसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार संशोधित किये गये थे।

इस एसोसिएशन के गैर-शिक्षक वर्ग के कर्मचारियों ने वर्ष 1967 में मांग की थी कि उन्हें वेतन मान तथा भत्ते दिये जायें जो वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् में उनकर श्रेणी के कर्मचारियों को मिलते हैं। चूँकि इस एसोसिएशन के पदों तथा वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के पदों को बराबर मानना संभव नहीं था, अतः केन्द्रीय सरकार उनकी मांग को नहीं मान सकी। इस एसोसिशन के कर्मचारियों ने अब अनुरोध किया है कि उन्हें कलकत्ता विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के लिए स्वीकृत वेतनमान और भत्ते दिये जाये। इस मामले पर विचार किया जा रहा है।

(ग) से (ङ) कर्मचारियों की कार्य करने की परिस्थितियों समेत इस संस्था के सभी कार्य-कलापों का पुनरीक्षण करने के लिए एक समिति नियुक्त की गई है। इस समिति ने जून 1969 में अपना कार्य आरम्भ कर दिया था और इस प्रतिवेदन अप्रैल, 1970 के अन्त तक मिल जाने की संभावना है।

केन्द्रीय सड़क परिवहन प्रशिक्षण तथा अनुसंधान संस्थान की स्थापना

1866. **डा० सुशीला नैयर :** **श्रीमती सावित्री श्याम :**
श्री यमुना प्रसाद मंडल :

क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में केन्द्रीय सड़क परिवहन प्रशिक्षण तथा अनुसंधान संस्थान की स्थापना का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो वह कहां स्थापित किया जायेगा ;

(ग) उक्त संस्थान में प्रवेश के लिये क्या आधार अपनाने का निर्णय किया गया है ;

(घ) उक्त संस्थान कब से काम करना शुरू कर देगा ; और

(ङ) उस पर कितना खर्च आयेगा ?

संसद् कार्य, और नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) राज्य सड़क परिवहन उपक्रम संघ ने एक केन्द्रीय सड़क परिवहन प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान पहले ही स्थापित किया हुआ है ।

(ख) पूना के पास भोसारी ।

(ग) इस संस्थान के पाठ्यक्रमों में संस्थान का निदेशक राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों द्वारा मनोनीत व्यक्तियों में से प्रवेश देता है । जब कभी मांग बढ़ेगी, सीटें सदस्य उपक्रमों को उनके बेड़े के आधार पर आवंटित की जाएंगी ।

(घ) इस संस्थान ने न्यूनतम पैमाने पर 1967 में महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम पूना के वर्कशाप में काम शुरू किया । यातायात अधिकारियों और इन्जीनियरों के लिए तीन मास की पुनश्चर्या सितम्बर 1967 में शुरू की गई । अन्य पाठ्यक्रमों के 1971 के शुरू में जब संस्थान की इमारत के तैयार होने की संभावना है प्रारम्भ होने की आशा है ।

(ङ) संस्थान की मास्टर योजना में प्रतिवर्ष 49.75 लाख रुपये का अनावर्ती और 3.5 लाख रुपये का आवर्ती व्यय होगा संपूर्ण व्यय के राज्य सड़क परिवहन उपक्रम संघ और सरकार द्वारा बराबर बराबर पूरा जाने का प्रस्ताव है ।

Appointmeot of Senior Hindi Translators in Ministries

1867. **Shri Bansh Narain Singh :** **Shri Narayan Swaroop Sharma :**
Shri Ram Swarup Vidyarthi :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government are aware of the fact that the posts of senior Hindi Translators were created and are being created in different Ministries ;

(b) if so, whether it is also a fact that appointments against these posts are being made by the various Ministries arbitrarily and Hindi Assistants were not or will not be promoted direct to these posts ;

(c) whether Government proposed to appoint Hindi Assistants on the posts so created or to be created in future following the centralisation of services again after November, 1969 ; and

(d) if not, whether Government have adopted a policy to accord priority to those persons who are new to translation work or have been doing translation job on *ad hoc* basis for some time past over Hindi Assistants who are appointed through the Union Public Service Commission ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (d). Posts of Senior Hindi Translators are isolated posts created by the different Ministries with reference to their requirements. These posts do not form part of any organised service controlled by the Home Ministry. Appointments to the posts of Senior Hindi Translators are made by the different Ministries themselves in accordance with the relevent recruitment rules framed for the purpose. It is open to the different Ministries concerned to consider the Hindi Assistants along with others while making appointment to the posts of Senior Hindi Translators. The posts of Hindi Assistants as well as Hindi Translators do not form part of the Central Secretariat Services and therefore the provisions for making promotions within the prescribed seniority zones for the decentralised grades of the Central Secretariat Services do not apply to the isolated posts of Hindi Assistants and Hindi Translators.

पत्राचार-पाठ्यक्रम कालिजों को दिल्ली विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किये जाने के विरुद्ध विद्यार्थियों तथा अध्यापकों की मांग

1868. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पत्राचार पाठ्यक्रम स्कूल के विद्यार्थियों और अध्यापकों ने सरकार को भेजे गये अपने ज्ञापन में सुझाव दिया है कि उक्त स्कूल को दिल्ली विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कर इसका गठन एक स्वतन्त्र संगठन के रूप में नहीं करना चाहिये ;

(ख) क्या यह भी सच है कि ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया है कि स्कूल को असम्बद्ध किये जाने से स्कूल द्वारा जारी किये जाने वाले प्रमाणपत्र का महत्व कम हो जायेगा और विद्यार्थियों द्वारा नौकरी प्राप्त करने के मामले में इसे कम महत्व की दृष्टि से देखा जायेगा ; और

(ग) यदि हां, तो क्या विद्यार्थियों और अध्यापकों के अनुरोध पर विचार किया गया है और यदि हां, तो इस मामले में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (प्रो० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख). सरकार ने इस विषय पर दो ज्ञापनों की प्रतियां प्राप्त की हैं—जिसमें एक दिल्ली विश्वविद्यालय पत्राचार पाठ्यक्रम छात्र संघ द्वारा पत्राचार पाठ्यक्रम एवं जारी शिक्षा स्कूल ने शासी निकाय के अध्यक्ष को लिखी गई थी और दूसरी पत्राचार पाठ्यक्रम एवं जारी शिक्षा के अध्यपकों द्वारा दिल्ली विम्वविद्यालय के कुलपति को प्रस्तुत की गई थी।

(ग) इस मामले पर इस समय दिल्ली विश्वविद्यालय का कार्यकारी वर्ग विचार कर रहा है।

कलकत्ता पत्तन से लाभ उठाने वाले लोगों पर अधिभार का लगाया जाना

1869. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता पत्तन से लाभ उठाने वाले लोगों पर पत्तन प्रभार का $33\frac{1}{3}$ प्रतिशत तक अधिमार लगाया जायेगा ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि पिछले दस वर्षों में पत्तन प्रभार बढ़ रहे हैं और उपरोक्त भाग (क) में उल्लिखित प्रभार से यातायात पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संसद्-कार्य और नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) से (ग). कलकत्ता में पत्तन प्रभार को पिछले वर्षों में समय समय पर यातायात में गिरावट और व्यय में वृद्धि के कारण बढ़ाना पड़ा। सभी मौकों पर जब पत्तन प्रभार बढ़ाये गये थे तब वृद्धि आयात व्यापार और अन्य सेवाओं तक सीमित रखी गयी जबकि निर्यात माल को छोड़ दिया गया था। पत्तन की सतत वित्तीय कठिनाइयों के कारण कलकत्ता पत्तन आयुक्तों ने कलकत्ता पत्तन से होकर जाने वाले निर्यात माल पर पत्तन प्रभार पर $33\frac{1}{3}$ प्रतिशत का अधिभार लगाने का प्रस्ताव किया है। यह प्रस्ताव विचाराधीन है और निर्णय लेने के पहले सभी संगत बातों पर विचार किया जायेगा।

दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा दिल्ली में दिल्ली परिवहन सेवा सम्बन्धी कालेज विद्यार्थियों का आवश्यकताओं सम्बन्धी प्रतिवेदन का प्रकाशित किया जाना

1870. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विश्वविद्यालय ने राजधानी के कालिज विद्यार्थियों के लिये दिल्ली परिवहन सेवा की मांग के बारे में एक रिपोर्ट प्रकाशित की है ;

(ख) यदि हां, तो रिपोर्ट में क्या क्या मुख्य मांगें हैं ; और

(ग) क्या उन पर विचार किया गया है और यदि हां, तो दिल्ली परिवहन ने क्रियान्वित के लिये किन-किन प्रस्तावों को स्वीकार किया है ?

संसद् कार्य और नौवहन तथा परिवहन मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी, हां, दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रो० दत्ता चौधरी की दिल्ली विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के परिवहन आवश्यकताओं पर अन्तरिम रिपोर्ट निकल चुकी है।

(ख) अन्तरिम रिपोर्ट में दिये गये सुझाव निम्न प्रकार हैं :

1. दिल्ली परिवहन उपक्रम के कुछ मौजूदा सेवाओं का पुनः मार्गीकरण और पुनः अभिसूचन ।

2. कालेजों के खोलने के समय का आगे बढ़ाने की संभावना ताकि व्यस्ततम समय में दिल्ली परिवहन उपक्रम बसों पर से दबाव कम हो सके ।

3. अभिसूचित समय पर दिल्ली परिवहन उपक्रम बसों को नियमित चलाना ।

4. विद्यार्थियों के पासों के दरों में कमी और उनके जारी और जांच करने की विधि का सरलीकरण ।

(ग) 1. कालेज समय में बदलाव संबंधी मामला विश्वविद्यालय प्राधिकारियों के विचाराधीन है । डी० टी० यू० के महाप्रबन्धक के अनुसार उपक्रम अपने अनुसूची में उपयुक्त परिवर्तन करेंगे ताकि कालेज समय के अनुसार समय की व्यवस्था की जा सके ।

2. मार्गों का सर्वेक्षण प्रगति पर है ।

3. उपक्रम का कालेजों को मिलाने वाले मार्गों पर अच्छे वाहनों को चलाने का प्रस्ताव हैं ताकि उसमें समय पाबन्दी आ जाये ।

4. पासों की दर के संशोधन के लिये कुछ प्रस्ताव डी०टी०यू० अधिकारियों और विश्वविद्यालय के अधिकारियों के बीच विचार विमर्श के दौरान विचार किये गये । विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने इन प्रस्तावों पर विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया उपक्रम को अभी सूचित नहीं की है ।

एयर इंडिया द्वारा भव्य होटलों का निर्माण

1871. **श्री भगवान दास :** **श्री वि० कु० मोडक :**
श्री ज्योतिर्मय बसु :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एयर इंडिया तीन भव्य होटलों का निर्माण कर रही है, दो बम्बई में और एक दिल्ली में ;

(ख) यदि हां, तो उनके निर्माण पर कितना खर्च होने का अनुमान है और ये होटल कब तक बन कर तैयार हो जाएंगे ;

(ग) क्या इसी प्रकार के एक होटल का कलकत्ते में निर्माण करने की कोई योजना है और यदि हां, तो उसका निर्माण कब किया जायेगा ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). एयर इंडिया की कुल 4 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से जुहू में एक होटल और सांताक्रूज हवाई अड्डे पर एक ट्रांजिट होटल बनाने की योजनाएं है। उन्हें अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

(ग) और (घ). एयर इंडिया की कलकत्ता में होटल बनाने की कोई योजनाएं नहीं है। भारत पर्यटन विकास निगम का दमदम में ऐ विमान क्षेत्रीय होटल बनाने का प्रस्ताव है।

भारतीय सर्वेक्षण विभाग में ड्राफ्ट्समैनों के वेतनमानों में असमानता

1872. **श्री ज्योतिर्मय बसु :**
श्री अब्दुल गनी दार :

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सर्वेक्षण विभाग के दिल्ली कार्यालय में कार्य करने वाले ग्रेड एक और दो के ड्राफ्ट्समैनों कें वेतनमानों में असमानता है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस असमानता को दूर करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) और (ख). भारतीय सर्वेक्षण विभाग में ग्रेड II के ड्राफ्ट्समैनों के निर्धारित वेतनमान नीचे दिये गये हैं।

ग्रेड I रु० 180-10-290 द० रो०-15-380

ग्रेड II रु० 205-7-240-8-280

चूंकि ग्रेड I के ड्राफ्ट्समैन ग्रेड II के ड्राफ्ट्समैनों से ऊँचे हैं, स्वीकृत निम्नतम वेतनमानों में असंगति स्पष्ट है चूँकि पदोन्नतियां ग्रेड II से ग्रेड I में की जाती है तथा सम्बन्धित व्यक्ति द्वारा ग्रेड II में लिये गये वेतन के अनुसार ही वेतन के अनुसार ही वेतन निश्चित किया जाता है, इस असंगति से उन पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा जिनकी पदोन्नति ग्रेड II से ग्रेड I में हुई थी।

भारतीय सर्वेक्षण विभाग में काम करने वाले ड्राफ्ट्समैनों की पदोन्नति सम्बन्धी नियम

1873. **श्री ज्योतिर्मय बसु :**
श्री अब्दुल गनी दार :

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय सर्वेक्षण विभाग नई दिल्ली के कार्यालय में कार्य करने वाले विभिन्न ग्रेडों के ड्राफ्ट्समैनों की पदान्नति सम्बन्धी नियमों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या यह सच है कि डिवीजन एक में ग्रेड सीधे पदोन्नत किये जाने वाले सीनियर ड्राफ्ट्समैनों को उन जूनियर ड्राफ्ट्समैनों से कम वेतन मिलता है जो पहले ग्रेड दो में पदोन्नत किये जाते हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस भेदभाव को दूर करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) भर्ती सम्बन्धी नियमों की मुख्य बातें निम्न विवरण में दिखाई गई हैं।

विवरण

भारतीय सर्वेक्षण विभाग में पदों का वर्गीकरण इस प्रकार किया गया है :

डिविजन दो ड्राफ्ट्समैन		डिविजन एक ड्राफ्ट्समैन	
ग्रेड पांच	110-3-131-4-155 द० रो० 4-175-5-180 रुपये	ग्रेड एक	180-10-290 द० रो० 15-380 रुपये
ग्रेड चार	110-4-150-द० रो० 4-170-5-180-द० रो०-5-255 रुपये		335-15-425 रुपये के सलेक्शन ग्रेड के साथ
ग्रेड तीन	150-5-175-6-205-द० रो०-7-240 रुपये		
ग्रेड दो	205-7-240-8-240 रुपये		

5. डिवीजन दो में ग्रेड दो ड्राफ्ट्मैनों की पदोन्नति के लिये 1968 में व्यवसाय परीक्षाओं की व्यवस्था की गई थी जिन्हें 1 जनवरी, 1969 को कार्यरूप दिया गया। व्यवसाय परीक्षाएं आरम्भ करने से पहले ग्रेड तीन से ग्रेड दो ड्राफ्ट्समैनों की पदोन्नति के लिये यह नियम था :

> "ग्रेड दो : इस ग्रेड में चयन से पदोन्नति होती है। यह अनिवार्य शर्त है कि व्यक्ति को उस व्यवसाय में अत्यधिक दक्ष होना चाहिए। डिविजन एक के पदों के लिए चुने गये कर्मचारियों, जिनके लिये पद रिक्त नहीं है, के मामलों पर भी इस ग्रेड में पदोन्नति के लिये विचार किया जायेगा।"

6. भारतीय सर्वेक्षण विभाग के डिविजन एक में एक ग्रेड एक ड्राफ्ट्समैन के पदों पर नियुक्ति डिविजन दो में टोपोग्राफीकल कर्मचारियों में से ड्राफ्ट्समैन व्यवसाय वाले कर्मचारियों में से चयन करके की जाती है।

(ख) और (ग). वर्तमान भर्ती नियमों के अनुसार डिविजन एक में ड्राफ्ट्समैन ग्रेड एक पदों पर नियुक्ति उस विभाग के डिविजन दो में ड्राफ्ट्समैन व्यवसाय वाले कर्मचारियों में से चयन करके की जाती है। तीसरी पंचवर्षीय योजना में विभाग के विस्तार को ध्यान में रखते हुए डिविजन एक में अतिरिक्त ड्राफ्ट्समैन ग्रेड एक की नियुक्तियां डिविजन दो ड्राफ्ट्समैनों

2. डिविजन दो में आरम्भ में 120 रुपये के समग्र मासिक वेतन पर टोपो प्रशिक्षणार्थी श्रेणी "बी" के रूप में भर्ती किया जाता है।

3. सफलता पूर्वक प्रशिक्षण पूरा कर लेने पर जब टोपो प्रशिक्षणार्थी नियमित कर्मचारी के रूप में रख लिये जाने योग समझा जाता है, तो उसे डिविजन दो में ड्राफ्ट्समैन ग्रेड में वर्गीकृत किया जाता है।

4. ग्रेड चार से ग्रेड तीन में पदोन्नति निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार प्रतिवर्ष ली जाने वाली व्यवसाय परीक्षा के परिणाम को देखते हुए कर्मचारियों की योग्यता के आधार पर की जाती है। इसी प्रकार की प्रक्रिया डिविजन दो में ग्रेड चार से ग्रेड तीन और ग्रेड तीन से ग्रेड दो के ड्राफ्ट्समैनों की पदोन्नति के सम्बन्ध में अपनाई जाती है। व्यवसाय परीक्षा के अतिरिक्त कर्मचारियों को अगले ऊँचे ग्रेड में पदोन्नति के लिये सम्बन्धित ग्रेडों में निम्न सेवा पूरी करनी होती हैं :

ग्रेड पांच	3 वर्ष	(कालोचितता के उपाय के रूप में 29 जून, 1965 से अस्थायी रूप से एक वर्ष कम कर दी गई है)
ग्रेड चार	5 वर्ष	(कालोचितता के उपाय के रूप में 29 जून, 1965 से अस्थायी रूप से 3 वर्ष कम कर दी गई है)
ग्रेड तीन	7 वर्ष	(कालोचितता के उपाय के रूप में 29 जून, 1965 से अस्थायी रूप में 2 वर्ष कम कर दी गई है)

में से की गई थी। चूंकि डिविजन दो में विभिन्न ग्रेडों के ड्राफ्ट्समैन है और इन विभिन्न ग्रेडों में योग्य व्यक्तियों में से चयन करके ग्रेड एक के ड्राफ्ट्समैन पदोन्नत किये गये थे, उनका वेतन ड्राफ्ट्समैन ग्रेड एक में निश्चित करने में कुछ अन्तर रह गया है। अन्तर के इन मामलों पर विचार किया जा रहा है। भविष्य में इस प्रकार का अन्तर न होने देने की दृष्टि से भर्ती नियमों मे संशोधन करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ?

कलकत्ता में नाविकों के लिए सेवा की सुरक्षा

1874. **श्री गणेश घोष :** **श्री मुहम्मद इस्माइल :**
श्री ज्योतिर्मय बसु : **श्री भगवान दास :**

क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि हाल ही में कलकत्ता में नाविकों के लिए रोजगार के अवसर बहुत कम हो गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(क) कलकत्ता में नाविकों के लिए सेवा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संसद् कार्य और नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) अभी पिछले कुछ दिनों में कलकत्ता में नाविकों के रोजगार में कोई कमी नहीं आई है। 1968, 1969 और 1970 के 1 जनवरी को उपलब्ध नौकरियों की संख्या क्रम से 7641, 7670 और 7680 थी।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

इंजीनियरिंग कालेजों तथा पोलिटेक्नीक संस्थाओं में मिले जुले पाठ्यक्रम की अग्रिम परियोजना

1875. **श्री विश्वनाथ मेनन :** **श्री सत्यनारायण सिंह :**
श्री ज्योतिर्मय बसु : **श्रीमती सुशीला गोपालन :**

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में इंजीनियरिंग कालेजों या पोलिटेक्नीक संस्थाओं में यूनाइटेड किंगडम की तरह मिले-जुले पाठ्यक्रम की प्रायोगिक परियोजना प्रारम्भ की जायेगी ; और

(ख) यदि हां, तो मिला जुला पाठ्यक्रम चालू करने के मुख्य कारण क्या हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (घ). उद्योग के सहयोग से दस पोलिटेक्नीका द्वारा परीक्षण के तौर पर सैंडविच पाठ्यक्रमों को पहले ही लागू कर दिया गया है। अन्य पोलिटेक्नीक संस्थाओं तथा इंजीनियरी कालेजों में जहां उद्योग का सहयोग प्राप्त है, सैंडविच पाठ्यक्रमों की योजना को व्यापक बनाने का विचार है। सैंडविच पाठ्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य उद्योग के लिए अपेक्षित इंजीनियरों तथा तकनीशियनों को सही ढंग से प्रशिक्षण देने के लिए इंजीनियरी के सैद्धान्तिक ज्ञान को वास्तविक व्यावहारिक अनुभव के साथ जोड़ना है।

रायल नेपाल एयरलाइन्स के विमान की दुर्घटना के बारे में जांच

1876. **श्री रा० रा० सिंह देव :** **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**
श्री य० अ० प्रसाद :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 25 जनवरी, 1970 को पालम हवाई अड्डे के निकट रायल नेपाल एयरलाइंस के फोकर विमान की दुर्घटना के मामले की जाँच करने के लिए सरकार ने जांच आयोग नियुक्त किया है ;

(ख) यदि हां तो इस जांच आयोग के निर्देश पद क्या हैं ; और

(ग) सरकार को प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया जायेगा ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). 25 जनवरी, 1970 को दिल्ली के समीप रायल नेपाल एयर लाइन्स कार्पोरेशन के फोकर फ्रैंडशिप विमान की दुर्घटना से सम्बन्धित परिस्थितियों की जांच करने के लिए सरकार ने विमान नियमों, 1937, के नियम 74 के अनुसार एक जांच समिति नियुक्त की है। इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचनाओं की एक प्रति संलग्न है। [**ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये** संख्या एल० टी०-2761/70]

(ग) जांच अभी चल रही है।

इलैक्ट्रानिक्स के क्षेत्र में विदेशों में काम कर रहे भारतीय वैज्ञानिक तथा इंजीनियर

1877. **श्री मयावन :** **श्री नारायणन :**
श्री दण्डपाणि : **श्री सामिनाथन :**
श्री नि० रां० लास्कर : **श्री चेंगलराया नायडू :**

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इलेक्ट्रानिक्स के क्षेत्र में विदेशों में काम कर रहे प्रतीभाशाली भारतीय वैज्ञानिकों तथा इंजीनियरों को भारत वापस लाने के एक प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है ;

(ख) क्या सरकार ने कोई सर्वेक्षण किया है कि विभिन्न देशों में ऐसे कितने वैज्ञानिक तथा इंजीनियर काम कर रहे हैं ;

(ग) यदि हां, तो सरकार का उन्हें क्या प्रोत्साहन देने का विचार है ; और

(घ) उनमें से कितने भारत आने तथा यहां काम करने के लिए राजी हो गये हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) वैज्ञानिकों के तथा इंजीनियरों के लिए अलग से कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) राष्ट्रीय वैज्ञानिक तथा तकनीकी कर्मचारीगण रजिस्टर के भारतीय विदेश खण्ड में स्वैच्छिक रजिस्ट्रेशन के अलावा कोई अलग सर्वेक्षण नहीं किया गया है ।

(ग) भारतीय वैज्ञानिकों तथा इंजीनियरों को वापस बुलाने के लिए दिये गये प्रोत्साहन संलग्न विवरण में दिये गये हैं ।

(घ) इलैक्ट्रानिक्स में योग्यता प्राप्त बहुत से व्यक्ति भारत वापस आ गये हैं । पूल में नियुक्ति के लिये अन्यों के नामों पर भी विचार किया जायेगा । यह एक लगातार चलती रहने वाली प्रक्रिया है इसलिए किसी विशेष संख्या का उल्लेख करना कठिन है ।

विवरण

(क) वैज्ञानिकों तथा तकनीकी कर्मचारियों का भारत वापसी को सुविधाजनक बनाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये हैं ।

(i) विदेशों से वापस लौटने पर, सुयोग्य भारतीय वैज्ञानिकों तथा टैकनोलिर्जिस्टों को अस्थाई नौकरी दिलाने की व्यवस्था करने के लिये एक वैज्ञानिक पूल का निर्माण ।

(ii) अनुमोदित वैज्ञानिक संस्थाओं में अधिसंख्य पदों का निर्माण जिनके लिये विदेशों में कार्य तथा अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों की अस्थाई नियुक्ति तुरन्त की जा सकती है ।

(iii) संघ लोक सेवा आयोग तथा बहुत से राज्य लोक सेवा आयोग उन भारतीय वैज्ञानिकों तथा टैकनालिजिस्टों को जिनके विवरण राष्ट्रीय रजिस्टर में अंकित होते हैं, उनके द्वारा विज्ञापित सभी पदों के लिये "वैयक्तित्व सम्पर्क" के रूप में उम्मीदवार मानने के लिए सहमत हो गये हैं। संघ लोक सेवा आयोग ने भारत में पदरों के लिए भारतीय वैज्ञानिकों तथा टैकनोलिजिस्टों का विदेशों में इन्टरव्यू लेने की व्यवस्थाएं भी कर ली हैं।

(iv) विदेशों में भारतीय वैज्ञानिकों तथा टेक्नोलिजिस्टों के नाम दर्ज करने के लिये तथा उनके नामों की सभी मंत्रालयों, भारत सरकार के विभागों, राज्य सरकारों संघ तथा राज्य लोक सेवा आयोगों, विश्वविद्यालयों, लोक क्षेत्र उद्योगों तथा वृहत प्राइवेट क्षेत्र प्रतिष्ठानों में भेजने के लिये वैज्ञानिक तथा तकनीकी कर्मचारियों के राष्ट्रीय रजिस्टर के एक विशिष्ट अनुभाग का अनुरक्षण। ऐसे कर्मचारियों के नाम मासिक तकनीकी जन-शक्ति बुलेटिन (सी० एस० आई० आर०) में प्रकाशित किये जाते हैं, जो कि सारे भारत में लगभग 3,000 संस्थाओं को निःशुल्क बांटी जाती है।

(v) उन वैज्ञानिकों को यात्री अनुदान देने की व्यवस्था जो कि भारत में अनुसंधान संस्थान में चुने जाने पर उन संस्थानों में कम से कम तीन वर्षों तक काम करने को तैयार होंगे।

(ख) वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के लिए नौकरी की सुविधा में सुधार लाने के लिये जो कुछ उपाय किये गये, वे नीचे दिये गये हैं :—

(1) वैज्ञानिकों को योग्यता पर पदोन्नति तथा योग्यता पदोन्नति योजना के अन्तर्गत अग्रिम वेतन वृद्धि दी जाती है।

(2) वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक से ऊपर वैज्ञानिक 'सी' के स्तर तक (700 से 1250 रु०) अगले ऊंचे पद के लिये पांच वर्षों के एक बार वैज्ञानिकों की योग्यता आंकी जाती है।

(3) देश में वैज्ञानिक प्रतिभा को प्रोत्साहन देने के लिये राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं संस्थानें और अनुसंधान संस्थानों तथा विश्वविद्यालयों के बाहर भी शिक्षा वृत्तियां दी जाती हैं।

(4) वैज्ञानिकों को अनुसंधान के लिये सहायता-अनुदान देना।

(5) विश्वविद्यालयों की चौथी योजना की विकास सम्बन्धी आवश्यकताओं के मूल्यांकन के फलस्वरूप, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विभिन्न विशिष्टाओं। विश्वविद्यालय विभागों में वरिष्ठ कर्मचारियों के पद निर्मित करने के वास्ते सहायता देने के लिये सहमत हो गया है। प्रयोगशाला के और विकास तथा विशिष्ट उपस्कर की खरीद समेत अन्य सुविधाओं के लिये भी व्यवस्था की गई है। इस प्रकार, अपेक्षित

योग्यताएं रखने वाले विद्वानों और वैज्ञानिकों के लिये विभिन्न क्षेत्रों में उच्च कार्य अनुसंधान के लिये अवसर उपलब्ध किये जा रहे हैं।

(6) विशिष्ट क्षेत्रों में उच्च अध्ययन केन्द्रों के रूप में कार्य करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सावधानी से चुने गए विश्वविद्यालयों/विश्वविद्यालयों के विभागों का विशेष सहायता प्रदान कर रहा है। इसका उद्देश्य उच्च अध्ययन और अनुसन्धान के लिये उपयुक्त परिस्थितियों और सुविधाओं की व्यवस्था करना और केन्द्रों में कार्य करने के लिये योग्य व्यक्तियों को आकर्षित करना है ;

(7) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों और कालेजों के अध्यापकों के वेतनमानों में भी सुधार किया है जिनसे उच्च योग्यता प्राप्त व्यक्तियों के आकर्षित होने तथा वहां बने रहने की सम्भावना है।

(8) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, शिक्षण व्यवसाय के प्रति उच्च बौद्धिक योग्यता वाले पुरुषों और स्त्रियों को काफी अनुपात में आकर्षित करने के महत्व पर निरन्तर बल देता रहा है। विश्वविद्यालयों और कालेजों में अध्यापकों में वेतनमान सुधारने के अलावा, शिक्षण व्यवसाय में अनिवार्य सुविधाओं तथा प्रेरणाओं की व्यवस्था करने के प्रयत्न किये गये हैं। अनुसंधान तथा विद्धतापूर्ण कार्य, अध्यापकों के विनिमय, देश में उच्च अध्ययन में अनुसंधान के केन्द्रों का दौरा करने के लिये यात्रा अनुदानों के लिये और विदेशों में अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेने के लिये, स्टाफ क्वार्टरों और अध्यापकों के छात्रावास आदि के निर्माण के लिये वित्तीय सहायता दी जा रही है।

राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में निम्न प्राथमिकता प्राप्त सड़कों का निर्माण

1878. **श्री मयावन :**
श्री सामिनाथन :
श्री दण्डपाणि :
श्री चेंगलराया नायडू :
श्री जे० के० चौधरी :
श्री वि० नरसिम्हा राव :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री रा० कृ० बिड़ला :
श्री नारायणन :

क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार चालू वर्ष में राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में निम्न प्राथमिकता प्राप्त सड़कें बनाने के लिये सहमत हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो उन पर कुल कितनी राशि खर्च होगी ; और

(ग) इस योजना में कौन-कौन से क्षेत्र आयेंगे और क्या इस योजना से दुर्भिक्षग्रस्त क्षेत्रों को भी कोई लाभ होगा ?

संसद्-कार्य और नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) संभवतय माननीय सदस्य उन सड़कों का उल्लेख कर रहे जिन्हें वित्तीय कठिनाई के कारण से तुलना में निम्न प्राथमिकता दी गई। इन सड़कों में से कुछ पर कार्य अब शुरू कर दिया गया है।

(ख) निर्माण के कुल लागत का अनुमान 517.57 लाख रुपये है।

(ग) राजस्थान में गंगानगर, बारमेर, जैसलमेर और बीकानेर जिले।

हिन्दुस्तान शिपयार्ड के विकास का एकीकृत कार्यक्रम

1879. **श्री मयावन :** **श्री सामिनाथन :**
श्री दण्डपाणि : **श्री चेंगलराया नायडू :**
श्री नि० रं० लास्कर : **श्री बे० कृ० दास चौधरी :**
श्री नारायणन :

क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के समन्वित विकास के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर कुल कितना खर्च होगा और उक्त राशि किस प्रकार से खर्च की जायेगी ; और

(ग) विकास कार्य कब शुरू होगा और कब समाप्त होगा ?

संसद्-कार्य और नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) और (ख). जी, हां। सरकार ने 966.27 लाख रुपये के अनुमानित लागत पर हिन्दुस्तान शिपयार्ड के लिये एक समेकित विकास कार्यक्रम अनुमोदित किया है। विकास कार्यक्रम में निम्नलिखित कार्य शामिल है :

	लाख रुपयों में
(1) हर दुकान में अतिरिक्त 'वे' की व्यवस्था, प्लेट वेन्डिम रालस कोल्ड प्रेम बेन्डिग मशीन, हाइड्रालिक प्रेस इत्यादि, जैसी कुछ प्रशीनों की खरीद।	200.80
(2) पूर्वविरचित 'वे' का विस्तार, एक अतिरिक्त 'वे' का निर्माण 45 टन ईम्रोटी क्रेने लेना, विद्युत शक्ति विलरण इत्यादि	71.95
(3) स्थापन घाटों तथा निर्माण गोदियों पर अतिरिक्त क्रेनों की व्यवस्था	204.00
(4) जेट्टियों को सशक्त करना, फ्रिटिंग आउट ह्वार्फ में अतिरिक्त क्रेनों की व्यवस्था	133.00
(5) (क) आधुनिक उपस्कर की व्यवस्था, मशीन-दुकानों में पुरानी मशीनों, इत्यादि का प्रतिस्थापन	118.82
(ख) कांटीन, अमला क्वार्टर, इत्यादि, जैसी सुविधायें	37.70
कुल	**766.271**

(ग) समेकित विकास कार्यक्रम के कुछ मद पहले मंजूर किये गये और इन मदों पर तथा उन मदों पर जो अब मंजूर हुए हैं पर कार्य प्रगति पर है। सप्लायरों द्वारा मशीनों के समय पर सुपुर्द किये जाने के अधीन, विकास कार्यक्रम के मार्च 1973 के अन्त तक अर्थात चौथी पंच वर्षीय योजना काल के भीतर पूरा होने की संभावना है।

एयर इंडिया रीजन के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

1880. **श्री मयावन :** **श्री नारायणन :**
श्री दण्डपाणि : **श्री सामिनाथन :**
श्री नि० रं० लास्कर : **श्री चेंगलराया नायडू**

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एयर कारपोरेशन कर्मचारी संघ, एयर इंडिया रीजन ने वर्ष 1969 के दिसम्बर मास के अन्तिम सप्ताह में अपनी मांग के समर्थन में 'नियमानुसार काम करो' आन्दोलन शुरू किया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या बाद में उन्होंने अनिश्चित काल के लिये हड़ताल भी की थी ;

(ग) यदि हां, तो उनकी प्रमुख मांगें क्या हैं ; और

(घ) इस हड़ताल के परिणामस्वरूप कुल कितनी हानि हुई ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) एयर कारपोरेशन कर्मचारी संघ (एयर इंडिया क्षेत्र) की दिल्ली शाखा ने 27 दिसम्बर, 1969 से 'नियमानुसार-कार्य' करना प्रारम्भ किया। उनकी मुख्य मांग उनके साप्ताहिक कार्य के घंटों में कटौती करने की थी। पालम पर एक कैन्टीन, वर्दी की सप्लाई, विश्राम कक्ष आदि, से संबंधित कुछ अन्य मांगे भी थीं। प्रबन्धक वर्ग तथा यूनियन के बीच एक समझौता हो गया और 'नियमानुसार-कार्य करने' के निवेश को 31-12-1969 को वापिस ले लिया गया।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) कोई नहीं।

एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कालेज हैदराबाद की परामर्श सेवा का उपयोग

1881. **श्री दण्डपाणि :** **श्री नारायणन :**
श्री मयावन : **श्री सामिनाथन :**
श्री नि० रं० लास्कर : **श्री चेंगलराया नायडू :**

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोई राज्य सरकारें प्रबन्ध सम्बन्धी समस्याओं के बारे में विशेषज्ञों की सलाह के लिये हैदराबाद स्थित एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कालेज आँफ इण्डिया की परामर्श सेवा का उपयोग कर रही हैं ;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितने राज्यों ने उसकी सेवाओं का उपयोग किया है ;

(ग) अन्य राज्यों को भी उसकी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(घ) यह कालेज अन्य क्या-क्या कार्य करता है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख) . चार राज्य सरकारें हैदराबाद स्थित स्टाफ कालेज की परामर्श सेवा का उपयोग कर रही हैं ।

(ग) अन्य राज्यों को जब कभी इस कालेज की आवश्यकता होगी उन्हें ये सेवाएं उपलब्ध कर दी जायेंगी ।

(घ) इस कालेज के मुख्य कार्य ये हैं : संगठन के सिद्धान्तों और तरीकों, प्रशासन तथा नागरिक जीवन में नेतृत्व में वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारियों के लिये तीन महीने का पाठ्यक्रम का आयोजन प्रबन्ध के विभिन्न क्रियाशील क्षेत्रों में अल्पकालिक निष्पादक विकास कार्यक्रमों का आयोजन तथा प्रबन्ध में व्यावहारिक अनुसन्धान करना है ।

अखिल भारतीय स्कूल पाठ्य-पुस्तक सम्मेलन

1882. **श्री दण्डपाणि** : **श्री नारायणन** :
श्री मयावन : **श्री सामिनाथन** :
श्री नि० रं० लास्कर : **श्री चेंगलराया नायडू** :

क्या **शिक्षा तथा युवक-सेवा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् ने 15 जनवरी, 1970 को नई दिल्ली में अखिल भारतीय स्कूल पाठ्य-पुस्तक सम्मेलन आयोजित किया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्मेलन में सभी राज्यों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था ;

(ग) उसमें किन-किन विषयों पर विचार विमर्श किया गया था ;

(घ) क्या प्रतिनिधियों ने आधुनिक विचारधारा के अनुरूप अधिक अच्छी पाठ्य पुस्तकें प्रकाशित करने का सुझाव दिया था ; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार ने इस सुझाव को कहां तक स्वीकार किया है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव०) : (क) जी हां । यह 15 और 16 जनवरी, 1970 को हुई थी ।

(ख) असम, केरल और तमिलनाडु राज्यों तथा हिमाचल प्रदेश के संघीय क्षेत्र को छोड़कर, सभी राज्यों के प्रतिनिधियों ने, इसमें भाग लिया था ।

(ग) सम्मेलन की कार्यसूची की प्रति संलग्न है ।

(घ) और (ङ). इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य, पाठ्य-पुस्तकों को मुद्रण और वितरण से सम्बन्धित तकनीकी और प्रशासकीय पहलुओं पर विचार करना था। सम्मेलन में, पाठ्य-पुस्तकों की कोटि सुधारने के लिए कुछ सुझाव, दिए गए थे। भारत सरकार राज्य सरकारों, रा० शि० अनु० परि० और राज्यों में पाठ्य-पुस्तक उत्पादन के लिए कार्यभारी स्वायत्ताशासी निकायों द्वारा सम्मेलन की सिफारिशों पर विचार किया जाना है।

विवरण

कार्य-सूची

1. निम्नलिखित बातों को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए, पाठ्यपुस्तकों के उत्पादन तथा मुद्रण से संबंधित प्रशासनीय तथा संगठनात्मक प्रश्नों पर विचार विनिमय :
   (i) विभिन्न राज्यों में मुद्रण की समता और क्षेत्रीय छापेखानों का प्रयोग
   (ii) पाठ्य-पुस्तकों के उत्पादन की किस्म में सुधार
   (iii) उत्पादन की किस्म के सुधर जाने पर, मूल्य नियंत्रण के उपाय
   (iv) विभिन्न राज्यों में पाठ्य-पुस्तक कार्यक्रमों के लिए संगठनात्मक गठन।
2. स्कूली पाठ्यपुस्तकों के मुद्रण के लिए आवश्यक कागज का केन्द्र द्वारा आसादन और संग्रहण की संभावना पर विचार विनिमय।
3. क्षेत्रीय भाषाओं में शैली की नियम-पुस्तिकाएं(मैनयुअल) तैयार करने की आवश्यकता और संभाव्यता पर विचार विनिमय।
4. निम्नलिखिन बातों को विशेष रूप से ध्यान रखते हुए, पाठ्यपुस्तकों के वितरण से संबंधित प्रतिक्रियाओं और समस्याओं पर विचार विनिमय :
   (i) उपयुक्त माध्यमों द्वारा राष्ट्रीयकृत पाठ्यपुस्तकों के वितरण की समस्या।
   (ii) किसी राज्य के विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यकताओं का अनुमान लगाने, क्षेत्रवार संग्रहण, सूचीवद्ध मुद्रण पर बिक्री सुनिश्चित करने आदि से संबंधित समस्याएं।
   (iii) जरूरतमंद छात्रों को मुफ्त पुस्तकें देने की समस्या।
5. प्रत्येक राज्य के अन्य संख्यक भाषाई समूहों का उनकी मातृभाषा में ही विभिन्न विषयों को पाठ्यपुस्तकें देने की समस्या पर विचार विनिमय।
6. राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् द्वारा विभिन्न स्कूली विषयों में तैयार की गई पाठ्यपुस्तकों, अध्यापक पुस्तिकाओं तथा छात्र कार्य-पुस्तकों का सर्वोत्तम प्रयोग के लिए उपाय और साधनों पर बिचार-विनिमय।
7. राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान में विकसित की जा रही पाठ संबंधी सामग्री के राष्ट्रीय केन्द्र के इस्तेमाल पर विचार-विनिमय।
8. राज्य स्तर पर कार्य जो संभालने के लिए आवश्यक, कार्यप्रणाली और समय-समय पर स्कूली पाठ्यपुस्तकों के मूल्यांकन की प्रक्रियाओं पर विचार निनिमय।

Beating and Burning of Harijans

1883. **Shri Nathu Ram Ahirwar** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government have received information that in several places of the country there have been incidents of beating up and burning alive of Harijans during the past six months ;

(b) if so, the names of places and States where these incidents occurred ;

(c) the action taken by the State Governments in this connection ; and

(d) whether the Centre has received a report in this connection and, if so, the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (d). Information from Andhra Pradesh, Assam, Bihar, Gujarat, Kerala, Madhya Pradesh, Tamil Nadu, Maharashtra, Orissa, Rajasthan, Uttar Pradesh, West Bengal, Haryana and Delhi is awaited.

Other States and Union Territories have reported that no such incident took place.

गुजरात में बन्दरगाहों का विकास

1884. **श्री सु० कु० तापड़िया** : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात के 36 बन्दरगाहों में से अधिकतर ऐसे हैं जिन पर तत्काल ध्यान दिया जाना चाहिए और उन में बिजली, टग्स बजेरों और पत्तन-रेलवे की व्यवस्था करने के लिए सहायता दी जानी चाहिए ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन बन्दरगाहों से रेंग निकालने के लिए इस आणविक युग में भी टोकरियां काम में लाई जाती है ; और

(ग) क्या देश के लिए विदेशी मुद्रा कमाने वाले इन बन्दरगाहों की दशा सुधारने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?

संसद्-कार्य और नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) छोटे पत्तनों के विकास के लिये कार्यकारी उत्तरदायित्व संबंधित राज्य सरकारों का है । गुजरात सरकार ने सूचना दी है कि गुजरात के पत्तन जैसे आवश्यक है, विद्युत पूर्ति, नावें, बजरें और रेलवे जैसी सुविधाओं से पहले ही सुसज्जित हैं । यातायात आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये आवश्यक अतिरिक्त कार्य किये जा रहे हैं ।

(ख) यह सही नहीं है कि गुजरात राज्य में पत्तन में निकर्षण केवल टोकरियां से किया जा रहा है । पत्तन विभाग के पास अलग-अलग किस्म के पहले ही 9 निकर्षक हैं और इन पत्तनों पर निकर्षण के लिये 2 अतिरिक्त निकर्षकों के लिये आदेश दिये जा चुके हैं । कुछ मामलों में डाक बेसिन और घाट के पास जहां निकर्षक आसानी से काम नहीं कर सकते हैं हाथ से निकर्षण का कार्य किया जाता है ।

(ग) राज्य सरकार ने पत्तन विकास कार्यों अर्थात् नावों बजरों, क्रेनों की खरीद, गोदाम, शेडों घाटों का निर्माण इत्यादि के लिये राज्य की चौथी पंचवर्षीय योजना में 5 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। भारत सरकार ने 6.92 करोड़ रुपये की राशि भी आवंटित की है जो चौथी योजना काल में राज्य सरकार को पोरबंदर के सक मौसम के पत्तन के तौर पर विकास के लिये दीर्घ कालीन ऋण के रूप में दी जाने वाली है।

यूनेस्को द्वारा मंदिरों के नवीकरण

1885. **श्री सु० कु० तापड़िया** : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यूनेस्को की भारत में मंदिरों के नवीकरण पर काफी धन खर्च करने की योजना है ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ मंदिरों के चयन का मापदण्ड क्या है और राजस्थान के कितने मंदिरों का नवीकरण किया जायेगा ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी नहीं। यूनेस्को की सहायता नाम मात्र की है और अल्पकालिक अवधि के लिये विदेशी विशेषज्ञों की सेवाओं और भारत में उपलब्ध न होने वाले विशिष्ट उपस्कर और सामग्री तक सीमित है। 1966 से 1968 तक के तीन वर्षों में यूनेस्को द्वारा सलाहकार के रूप में दो विदेशी विशेषज्ञों की सेवाएं और श्रीरंगम स्थित श्री रंगानाथ स्वामी मंदिर के परिक्षरण के लिये 12,000 डालर के मूल्य के उपस्कर और सामग्री उपलब्ध की गई थी। रामेश्वरम स्थित रामानाथ स्वामी मंदिर के लिये भी 1969-70 के दो वर्षों में इसी प्रकार की सहायता दिये जाने की सम्भावना है।

(ख) सभी राज्य सरकारों और संघीय क्षेत्रों से मंदिरों सहित प्राचीन स्मारकों आदि के पुनरुद्धार और परिरक्षण हेतु यूनेस्को की सहायता के लिये प्रस्ताव भेजने का अनुरोध किया गया है। ऐसे प्राचीन स्मारकों और मंदिरों को प्राथमिकता दी जायेगी जो सांस्कृतिक पर्यटन के केन्द्र बन सकते हों और जिनके जीर्णोद्धार तथा परिरक्षण के लिये विदेशी विशेषज्ञों की सेवाओं तथा भारत में उपलब्ध न होने वाले उपस्कर अथवा सामग्री की आवश्यकता हो। जीर्णोद्धार आदि पर रुपये में होने वाले खर्च को भारत वहन करेगा। इस परियोजना के अधीन, राजस्थान सरकार से, किसी भी मंदिर के जीर्णोद्धार के लिये अभी तक कोई भी प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

Cultural and Moral Development of Youths

1886. **Shri Onkarlal Bohra** : Will the Minister of Education and Youth Services be pleased to state :

(a) the activities of the Bureau of Youth Services since its constitution and various measures adopted in order to solve the problems of youths ;

(b) whether any schemes have been formulated for seeking cooperation of youths in cultural and moral development ; and

(c) whether his Ministry is chalking out any programme to send youths abroad with the object of national integration and international goodwill and, if so, the outlines thereof ?

The Minister of Education and Youth Service (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) to (c). After this Ministry was re-designated as the Ministry of Education and Youth Services in February, 1969, the following new programmes have been initiated :

(a) Programmes relating to National Service and National Sports Organisation,

(b) Assistance to voluntary organisations working in the field of youth services,

(c) Schemes relating to holding of inter-state comps,

(d) Establishment of Student Service Institutes (Nanak Bhawans).

2. In addition to this, this Ministry has prepared a comprehensive programme for non-student youth which is under active consideration.

3. Besides, this Ministry is continuing the following programmes which were initiated before this Ministry was re-designated as the Ministry of Education and Youth Services :

(i) Promotion of Scouting and Guiding.

(ii) Planning Forum.

(iii) Development of games and sports.

(iv) Promotion of Mountaineering.

4. The comprehensive scheme for non-student youth which is under active consideration envisages programmes which will provide opportunities for self-expression, self-development and cultural attainments.

5. It will be evident that implementation of the above schemes will help to build character, improve discipline, inculcate a faith in the dignity of manual labour and develop a sense of social responsibility among the youth which in turn will lead to moral development.

6. There is no separate proposal for sending youth abroad excepting through the various foreign scholarship programmes or for participation in international sports events.

Discontentment Prevailing in Universities

*1887. **Shri Onkarlal Bohra** : Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) the steps taken so far by his Ministry to enquire into the causes of discontentment prevailing in the Universities and the results thereof ; and

(b) whether Government propose to appoint a high level study group of Members of Parliament in this respect ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) The causes of student unrest have been examined by the various Committees of the University Grants Commission and the Education Commission.

The University Grants Commission has appointed an Advisory Committee of senior educationists to examine problems related to student unrest in general and is encouraging systematic studies on various aspects of this problem by social scientists. It is expected that these empirical studies student behaviour, when completed, will behelpful in understanding different aspects of this problem and in planning measures necessary to deal with them.

Apart from these studies, the U.G.C. is providing grants to Universities and/ colleges to improve various facilities and amenities for students.

As regards improvement of conditions of teachers, a number of measures have been taken to improve their service conditions and professional competancy and to provide physical facilities for them.

The question of improving the administration/management of Universities is being examined by Committees on Governance of Universities and Colleges set up by the University Grants Commission.

(b) No, Sir.

Progressive use of Hindi in Government Offices

1888. **Shri Onkarlal Bohra** : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state the effective steps taken so far by his Ministry in regard to the Development of Hindi, the Official Language, to ensure the Progressive use of Hindi in the Central Government Offices ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : The Commission for Scientific and Technical Terminology of the Ministry of Education and Youth Services have brought out a glossary of administrative terms. Similarly the Official Language (Legislative) Commission of the Ministry of Law have finalised a glossary of about 10,000 legal terms and have also brought out a compendium of drafting clauses and expressions in Hindi. Hindi translation of non-statutory manuals and procedural literature is being provided by the Central Hindi Directorate of the Ministry of Education and Youth Services while that of Central Acts and Statutory rules etc. is provided by the Official Language (Ligislative) Commission. Progress made in this regard is contained in the Annual Assessment Report 1968-69 on the programme for accelerating the spread and development of Hindi and its progressive use for various official purposes of the Union, laid on the Table of the House on 29-8-1969.

Use of Hindi in Non-Hindi Speaking Areas

1889. **Shri Onkarlal Bohra** : Will the Minister of Education and Youth Services be pleased to state :

(a) the extent of co-operation being received from the various State Governments to propagate the use of Hindi in non-Hindi speaking areas ; and

(b) whether there has been any change in the attitude of the Governments of Tamil Nadu and West Bengal regarding language policy ?

The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan) : (a) This Ministry is implementing two Centrally Sponsored Schemes, *viz.*, Appointment of Hindi Teachers and Establishment of Hindi Teachers' Training Colleges in the non-Hindi speaking States in collaboration with the States concerned. From 1968 onwards, the Government of Tamil Nadu has not availed of any assistance under these two

Schemes. The other non-Hindi speaking States, *viz*, Assam, Andhra Pradesh, Gujarat, Mysore, Maharashtra, Nagaland, Kerala, Orissa and West Bengal are availing of financial assistance under these Schemes. The Government of Punjab had informed this Ministry that both Punjabi and Hindi being obligatory at the school stage, they do not require any financial assistance under these two Schemes. The Government of Jammu and Kashmir also has not so far availed of any assistance under these Schemes.

The Governments of non-Hindi speaking States are also being associated for giving grants to Voluntary Hindi Organisations for the propagation of Hindi in the non-Hindi speaking areas and also in connection with the grant of scholarships to students for study of Hindi at the post-Matric level. Applications for financial assistance under these Schemes have to be routed through the State Governments concerned. Since 1968, the Government of Tamil Nadu has not been associating itself with these Schemes also. However, that Government is not opposed to the availing of financial assistance from the Central Government by the Voluntary Hindi Organisations functioning in that State and also by the students for study of Hindi at the post Matric level. All other non-Hindi speaking States are fully cooperating in the implementation of these Schemes.

(b) The Government of Tamil Nadu had decided in January, 1968 to eliminate the study of Hindi from the school curriculum. This position continues till to-day. Regarding West Bengal, as has been stated in part (a) above the Government of that State is continuing its co-operation in the programme.

Mileage to be Covered by Government and Private Buses During Fourth Plan Period

1890. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of Shipping and Transport be pleased to state the mileage which would be covered by the Government buses and private buses, respectively, during the Fourth Plan period ?

The Deputy Minister in the Department of Parliamentary Affairs and in the Ministry of Shipping and Transport (Shri Iqbal Singh) : The information required is being collected from the State Governments and Union Administrations and will be laid on the table of the Sabha, when received.

आसाम में हवाई अड्डों का विस्तार

1891. **श्री विश्वनारायण शास्त्री** : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम के हवाई अड्डों, विशेषकर गोहाटी हवाई अड्डे के विस्तार तथा सुधार सम्बन्धी कोई योजना है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) गोहाटी विमान-क्षेत्र पर टर्मीनल भवन के विस्तार की योजनाएं पहले ही तैयार की जा चुकी है और उनकी जांच की जा रही है । चौथी पंचवर्षीय योजना में जोरहाट और तेजपुर में 'सिविल' एन्कलेवों के विकास के लिये भी व्यवस्था की जा चुकी है । बारापानी (शिलौंग) में एक विमान-क्षेत्र के निर्माण का प्रश्न विचाराधीन है ।

विदेशों से लौटे वैज्ञानिकों को रोजगार दिलाने में विलम्ब

1893. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :**
श्री हेम बरुआ :

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जब तक कि एक ओर सरकार वैज्ञानिकों से छोड़कर अन्य देशों में न जाने का अनुरोध कर रही है, दूसरी ओर विदेशों से वापिस आये भारतीय वैज्ञानिकों को कोई उपयुक्त नौकरी मिलने से पहले काफी समय तक 'पूल आफिसर्स' के रूप में प्रतीक्षा करनी पड़ती हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि 'पूल' में प्रतीक्षा की अवधि बढ़ गई है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा प्रतीक्षा की अवधि कम करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) तथा (ख). जी नहीं । वैज्ञानिक पूल में पूल अधिकारियों के रूप में पिछले तीन वर्षों में प्रतीक्षा की अवधि नीचे दी गई है ।

1967	14.2	माह
1968	11.7	माह
1969	10.2	माह

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Promotion of Hindi Assistants

1894. **Shri Bansh Narain Singh :**
Shri Ram Swarup Vidyarthi :

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that after the decentralisation of the Central Secretariat Service, some Ministries and Departments had promoted the Hindi Assistants to the posts created in the respective Ministries and the Departments ;

(b) if so, whether the interests of the Hindi Assistants would be looked after when the Central Secretariat Services have again been centralised and whether those senior Hindi Assistants who have not been promoted would be promoted as has been done by Government in case of other services after the 26th November, 1969 ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (c). Posts of Hindi Assistants are isolated ex-crade posts created by different Ministries according to their needs. They do not form part of the decentralised grades of the Central Secretariat Services and hence the question of Hindi Assistants being promoted to higher posts in the decentralised grades of the Central Secretariat Services does not arise. The instructions issued by Government in November, 1969 relate to the decentralised grades of the Central Secretariat Services only and not to the isolated posts of

Hindi Assistants. Information in regard to Hindi Assistants appointed to higher posts by the different Midisteries is not available in this Ministry. It will be collected and laid on the table of the House.

Promotion of Hindi Assistants and Hindi Translators

1895. **Shri Bansh Narain Singh :**
Shri Ram Swarup Vidyarthi :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the total number of such Hindi Assistants at present as were appointed on the basis of examination held by the Union Public Service Commission in 1959 and have not been given any promotion so far ;

(b) the number out of those Hindi Assistants and Hindi Translators in the grade of Rs. 210-425 recruited on ad hoc basis who were appointed as Senior Hindi Assistants and Hindi Officers ; and

(c) the reasons for not providing any opportunity of promotion to the Hindi Assistants appointed on the basis of the Union Public Service Commission Examination ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (c). Posts of Hindi Assistants, Senior Hindi Translators and Hindi Officers are all isolated ex-cadre posts created by different Ministries themselves in accordance with their requirements These posts do not form part of any organised service controlled by the Home Ministry. It is open to the Ministeries concerned to make appointments to the grades of Senior Hindi Translators and Hindi Officers with reference to the relevant recruitment rules framed for the purpose. It is also open to them to consider the qualified Hiddi Assistants of the 1959 Union Public Service Commission Examination alongwith others for recruitment to the higher posts. Information in regard to the number of qualified Hindi Assistants of the 1959 Examination who have not got any promotion so far and that in regard to the *ad hoc* Hindi Assistants and Hindi Translators who were appointed to the posts of Senior Hindi Translators and Hindi Officers is not available in this Ministry. It will be collected and laid on the Table of the house.

Posts of Hindi Translators in Ministries

1896. **Shri Ram Swarup Vidyarthi :** **Shri Narayan Swaroop Sharma :**
Shri Bansh Narain Singh :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the posts of Hindi Translators are being created in the various Ministries in the pay scale of Rs. 210-425 and, if so, the total number of posts created so far and the number of persons appointed against them ;

(b) whether lower pay scales for those who undertake difficult and arduous task of translation as compared to those given to Assistants have been fixed because of the Government policy to encourage English in every way while giving Hindi a very low status ;

(c) if not, whether Government propose to keep the posts of Hindi Translators in the pay scale of Rs. 210-530 and appoint persons against them through the U. P. S. C. ; and

(d) if not, the measures proposed to be adopted to ensure the appointment of persons against the said posts impartially by the Administrative Officers of the respective Ministries ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) The required information is not available in this Ministry. It will be collected and placed on the table of the House.

(b) to (d). Posts of Hindi Translators are isolated ex-cadre posts not forming part of any regularly constituted service, and are created by the different Ministeries themselves according to their requirements. The number of Hindi Translators and the pay scales for them are decided by the Ministries themselves in consultation with the Ministry of Finance only with due regard to the duties, responsibilities and workload. Actual appointments to these isolated ex-cadre posts are also made by the Ministries themselves in accordance with the relevant recruitment rules framed for the purpose. The question of centralised appointments to these posts of Hindi Translators which are only class III posts through the U. P. S. C. does not arise.

Senior Hindi Translators

1897. **Shri Ram Swarup Vidyarthi : Shri Narayan Swaroop Sharma : Shri Bansh Narain Singh :**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the names of various Ministries and offices of Government of India where posts of Senior Hindi Translators have been created and the number of those posts out of them on which Hindi Assistants have been appointed through the U. P. S. C. and the number of those posts on which appointments have been made by the Ministries and officers concerned themselves on *ad hoc* basis ;

(b) whether Government are aware of the fact that Hindi Assistants have been deprived of even this opportunity of promotion as a result of appointment of new persons instead of such Hindi Assistants as have been serving for the last 10 years and do not have any other chance of promotion ; and

(c) if not, whether it is proposed to appoint the Hindi Assistants of other Ministries on these posts in place of persons already appointed as senior Hindi Translators on *ad hoc* basis.

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (c). Posts of Senior Hindi Translators do not form part of any organised service controlled by the Home Ministry. These posts are created by the different Ministries themselves according to their requirements. Appointments to these posts are also made by the Ministries concerned in accordance with the provisions of the relevant recruitment rules farmed for the purpose. It is open to them to consider Hindi Assistants along with others while making such appointments. Information required in part (a) of the question is not available in the Ministry. It will be collected and placed on the table of the House.

Enforcement of National Education Policy in Regard to Schools Run by Inter State Board of Anglo-Indian Education

1898. **Shri Ram Swarup Vidyarthi : Shri Bansh Narain Singh :**

Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether his attention has been drawn to the statements made by him and Mr. Frank Anthony as published at page 8 of the Hindustan times dated the 2nd September, 1969;

(b) if so, the steps taken by Government to enforce the National Education Policy in all the 260 schools being run all over the country by the Inter-State Board of Anglo-Indian Education and to ensure that they are kept open for common people and prescribe the same syllabus for them as is in force in the schools to under the Central Higher Secondary Board ;

(c) whether Government propose to allow such privileged schools to continue so that only the privileged class would be able to secure employment to high posts as against the common people ;

(d) if not, whether after making special arrangement for the teaching of English to Anglo-Indians in the above 260 schools, it is proposed to introduce regional languages as medium of instruction for the remaining children ; and

(e) if not, whether it is proposed to withdraw the recognition of the said schools ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) Yes, Sir.

(b) to (e). In view of the provision in Article 30 of the constitution of India giving a right to all minorities to establish and administer educational institutions of their choice, it will not be possible to enforce the principles enunciated in the National Policy Resolution on all schools. The syllabus and the medium of instruction for the schools controlled by Inter-State Board of Anglo-Indian Education cannot be prescribed by Government. There are adequate educational opportunities available through the Government and aided schools in the country for the citizens of this country to acquire education and secure employment. The Government of India have a scheme of merit scholarships for poor students to enable them to study in public schools. As regards recognition of the schools, the matter is entirely within the purview of the State Governments.

Key Board of Hindi Typewriter

1899. **Shri Ram Swarup Vidyarthi :**
Shri Bansh Narain Singh :

Will the Minister of Education and Youth Services be pleased to refer to the replies given to Unstarred Questions Nos. 4683, 4684 and 4685 on the 19th December, 1969 regarding the key board of the Hindi Typewriter and state :

(a) the reasons for giving replies to Unstarred Question Nos, 4684 and 4685 on the 19th December, 1969 in connection with the Key Board as approved in January, 1969, whereas the reply given to Unstarred Question No. 4683 on that date related to the Key Board as approved in 1964 ;

(b) whether the reasons for mixing up the issue of the use of that Key Board in Offices, which has not yet come in use, are to shield those persons who are responsible for the shortcomings in the Key-Board as approved in 1964 and thereby giving wrong information in the matter ;

(c) whether the requisite information in respect of Unstarred Question Nos. 4684 and 4685 answered on the 19th December, 1969 would now be given with reference to the Key Board as approved in 1964 ; and

(d) whether two fresh persons can achieve equal speed on Model No. 18 Standard and on the model as approved in 1964 by practising for an equal specified period ?

The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan) : (a) Unstarred Question Nos. 4684 and 4685 referred to the New Key-

board. So far as the Government is concerned, the new keyboard is the one, which was announced in 1969. Both these questions were therefore, replied accordingly. Unstarred Question No. 4683 related to the Competition in Hindi Typewriting being organised by the Kendriya Sachivalaya Hindi Parishad. As the Machines based on the Key-board announced in 1 69 have not yet come in the market, the Parishad could only have a Machine based on the 1964 Key-board as the latest machine. Unstarred Question No. 4683 was replied accordingly on the basis of the 1964 Key board

(b) No, Sir.

(c) Yes Sir. Copies of the requisite reply have already been sent to the Lok Sabha Secretariat has desired by Shri Shiv Charan Lal, M. P., who had put Unstarred Question No. 4683, 4684 and 4685. Copies of the replies sent to him are enclosed.

(d) This is a matter of practice. The speed can every from man to man even on the same typewriter machine. The Key-board approved in 1964 has been further modified in 1969. This Question will, therefore, arise only after machines built on the basis of 1969 Key-board are available and have been used for some time.

Key Board of Hindi Typewriter Machine

(a) whether it is a fact that letters coming in use very often have been provided in the second row from the top instead of their being in the second row from the bottom in Hindi Typewriter Machine with new key board ;

(b) if so, whether the letters used very often are half ones and there is every likelihood of their being read wrongly such as खाली is read as खाली

(c) whether full stop (.) and comma (,) have been provided at the corner of the top row and it takes double the time to type them ;

(d) whether it is a fact that stencil is not cut clearly on the Hindi Typewriter Machine with new Key Board ; and

(e) the names and qualifications of the Chairman and Members of the Committee which gave suggestions for the new key-Board ?

Answer

(a) No, Sir. Letters of frequent use have been kept in the second row from the bottom as well as from the toy. This ensures speed also.

(b) No, Sir. Half letters have been provided in the upper shift, as they are not so frequently used. Letter स is full the 2nd row from the bottom and the letter ख when made full by adding matra ृ gives a clear shape of ख without any confusion with स

(c) No, Sir. The full-stop is the third key from the left in the top row and not in the corner. Similarly, the comma (,) has been kept in the lower shift of the top row as the sixth key from the left. This is expected to increase speed.

(d) Yes, Sir. Some complaints regarding the unsatisfactory cutting of stencils on the typewriters manufactured on the basis of the key-board announced in 1964 were received and the manufactures have been directed to remedy this defect while manufacturing the machines on the basis of the key board announced in 1969.

(e) As regards the names of the Committee which approved the keyboard in 1964, it may be stated that the Ministry of Education appointed a Committee in 1955 consisting of the following, to evolve a suitable keyboard for the Hindi Typewriter :—

1. Shri S. M. Agarwal, Deputy Director (General), Posts and Telegraphs.
2. Shri A. C. Sen, Controller of Printing and Stationery.
3. Dr. Yaduvanshi, Special Officer, (Hindi), Ministry of Education.

This Committee submitted its Report in 1957 in which it suggested a keyboard for the Hindi Typewriter. Later on, this keyboard was modified in 1960 based on the reforms in the Devanagari script as recommended by the Education Ministers' Conference held in 1959 which was convened by the Uttar Pradesh Gevernment. The modified keyboard was again discussed in a meeting in 1961 with the representatives of the typewriter manufacturing concerns. After examining the suggestions of the typewriter manufacturing concerns, a revised and finalised keyboard was announced by the Government of India in 1962. The Government of Maharashtra had also prepared a keyboard for the Marathi Typewriter using the Devanagari script. As this keyboard was different from the keyboard finalised by the Government of India and it was not considered desirable that there should be different keyboards for the same script, a Conference was held in New Delhi between the representatives of the Government of India and the Government of Maharashtra in 1963. In pursuance of the decision at the said Conference, the finalised keyboard was announced in 1964.

Shortcomings in the Hindi Typewriter Machines

(a) whether it is a fact that the following shortcomings are found in the Hindi Typewriter Machines with new keyboard ;

(i) a confusion is created because the half-letters appear in the upper line in the new keyboard whereas each such half-letter appears in the lower line in the old keyboard ;

(ii) no provision has been made for द्ध and द्ब in the new keyboard and letter द् is used in place of them ;

(iii) difficulty is experienced while typing र् and ् because they appear at two different places in the new keyboard ;

(iv) the type impression of old keyboards is very clear whereas the type impression of new keyboards is so close that carbon copices are not very clear ; and

(v) the very shape of Devnagari script has been changed by this new typewriter ; and

(b) if so, the purpose of introducing this new keyboard ?

Answer

(a) (i) No, Sir. This is a question of practice and no confusion should normly arise after the typists have gained sufficient practice on machines with the new keyboard.

(ii) No, Sir. Joint letters like द्ध and द्व were not provided even in the keyboard finalised in 1962 in view of the limited number of keys and to make the typewriter useful also for Marathi. The sign of Halant is used to join two letters and was provided in the upper shift of key No. 9 in the 1962 keyboard and retains the same position in 1964 keyboard.

(iii) No, Sir. Had ि and ी been provided on the same key, one would have been on the upper shift and the other on the lower shift, thus impeding the speed.

(iv) Some complaints regarding the type impression on carbon copies being not very clear were received. The manufacturers have been directed to remedy this defect.

(v) No basic changes have been made in the shape of the Devanagari characters excepting those recommended by the Education Ministers Conference held in 1959.

(b) The new keyboard has been adopted to ensure better typing speed and the manufacturers have been requested to ensure that there are no mechanical defects in alignment etc.

Confirmation of Teachers of Andaman and Nicobar Islands

1900. **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri Bansh Narain Singh :

Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state -

(a) the number of male and female teachers, separately, working at present in the Higher Secondary Schools and Degree Colleges in the Andaman and Nicobar Islands ;

(b) the minimum and maximum periods fixed by Government for making the teachers permanent ;

(c) the number of male and female teachers, separately, who have been working in the said Schools and Colleges at present and have completed more than four years of service at the same place and post and are still temporary ;

(d) the reasons for not making them permanent even after the expiry of the period fixed for the purpose ;

(e) the action taken or proposed to be taken by Government in regard to making them permanent ; and

(f) the time by which teachers would be made permanent ?

The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan) : (a) to (f). The necessary information is being collected from the Andamans Administration and will be laid on the table of the Sabha as early as possible.

मैथिली भाषा जनता की जनगणना

1901. **श्री शिव चन्द्र झा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैथिली भाषी लोगों की गत जनगणना सम्बध आँकड़ों के बारे में मतभेद होने के कारण बिहार में फिर से उनकी जनगणना करवाने का सरकार का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो कब ; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) जी नहीं, श्रीमान ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) किसी तथा कथित मतभेद के कारण व्यक्तियों के किसी वर्ग की विशेष जनगणना नहीं की जाती है । प्रत्येक दशाब्दी के प्रथम वर्ष में भारत में नियमित रूप से दशवार्षिक जनगणनाएं की जाती हैं । 1 मार्च, 1971 को संदर्भ तिथि लेकर आगामी जनगणना 1971 में की जाएगी । इन जनगणना में प्रत्येक व्यक्ति से पूछे जाने वाले प्रश्नों में से एक प्रश्न **'मातृ-भाषा'** के बारे में होगा ।

Arrest of Pakistani Students Hailing from Sialkot

1902. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that two Pakistani students from Sialkot were arrested recently for spying and large quantities of Pakistani arms and documents were recovered from them ;

(b) if so, the details of articles recovered from them ; and

(c) the nature of action taken against them ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (c). Two Pakistan nationals were apprehended recently in the Kathua district of Jammu and Kashmir State, with explosives in their possession. The matter is under investigation and it would not be in the puplic interest to disclose details.

Contesting of General Elections by Ex-Rulers on Privy Purses Issue

1903. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of Home Affair be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the ex-Rulers had taken a decision in Bhopal in the month of February 1970 that they would contest the next General Elections as a separate group on the issue of privy purses ; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Government have seen press reports in this connection.

(b) There is no bar to Rulers of former Indian States contesting Elections.

केन्द्रीय सरकार के पदों पर भर्ती के लिये नियमों में ढील

1904. **श्री राम किशन गुप्त** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने केन्द्रीय सरकार के पदों पर भर्ती सम्बन्धी नियमों में ढील दी है ; जिसके परिणामस्वरूप साम्यवादियों से सम्बन्ध रखने वाले उम्मीदवारों के विरुद्ध भेद-भाव की सरकार की नीति में परिवर्तन हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). केन्द्रीय सेवाओं में नियुक्ति के लिये उम्मीदवारों की उपयुक्तता निर्धारण करने के आधार बताने वाला एक विवरण (प्रतिलिपि संलग्न) 16-2-1968 को 22 नवम्बर, 1967 को तारांकित प्रश्न संख्या 190 के संदर्भ में एक पूरक प्रश्न के उत्तर में दिये गये आश्वासन की पूर्ति में रखा गया था। उसके पश्चात् और कोई अनुदेश जारी नहीं किये गये हैं। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये** संख्या एल० टी० 2762/70]

हरियाणा से दिल्ली में चोरी छिपे शराब का आना

1905. **श्री राम किशन गुप्त** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हरियाणा दिल्ली सीमा तस्कर व्यापारियों का अड्डा बन गया है और हरियाणा के विभिन्न स्थानों से दिल्ली में चोरी छिपे शराब से लदी हुई कम से कम 40 कारें प्रतिदिन आती हैं ; और

(ख) यदि हां, तो सीमा पार से हो रहें तस्कर व्यापार को रोकने के क्या उपाय किये गये हैं या करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) 1969 और जनवरी, 1970 के दौरान दिल्ली-हरियाणा सीमाओं पर दिल्ली में चोरी छिपे शराब लाने के लिए 14 कारें/टैंकियां पकड़ी गई। अतः यह कहना सही नहीं है कि सीमा तस्करी का अड्डा बन गया है।

(ख) दिल्ली-हरियाणा सीमाओं के साथ-साथ पुलिस की कड़ी गश्त की जाती है। प्रवेश के महत्वशील स्थानों पर "नाकाबन्दी" का भी प्रबन्ध किया जाता है और कुख्यात चोरी छिपे लाने वालों पर कड़ी निगाह रखी जाती है।

राष्ट्रीय एकता समितियों के लिये समन्वय समिति

1906. **श्री राम किशन गुप्त** : क्या **गृह कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विभिन्न स्तरों पर राष्ट्रीय एकता समितियों के कार्यकरण की जांच करने के लिये एक समन्वय समिति गठित करने के प्रस्ताव के बारे में क्या प्रगति हुई है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : सरकार ने विश्व-विद्यालयों तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से सम्बन्ध राष्ट्रीय एकता समितियों के लिये एक समन्वय समिति स्थापित की है। इस समिति की बैठक शीघ्र बुलाई जायेगी।

नेपाल के शिक्षा मंत्री की भारत यात्रा

1907. **श्री रा० कृ० बिड़ला** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेपाल के शिक्षा, विधि तथा न्याय मंत्री, श्री वासुदेव प्रसाद ढूंगन, ने नेपाली विज्ञान-अध्यापकों के प्रशिक्षण तथा नेपाल में एक संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना के लिये सहायता प्राप्त करने के बारे में हाल हीं में उनसे भेट की थी ;

(ख) यदि हाँ, तो इस विचार-विमर्श में अन्य कौन सी मदें शामिल थी ; और

(ग) नेपाल के मंत्री को क्या आश्वासन दिये गये हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) से (ग). राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद में नेपाली विज्ञान शिक्षकों के प्रशिक्षण, हिन्दी-नेपाली तथा नेपाली-हिन्दी कोषों का संकलन तथा नेपाली संस्कृत विश्वविद्यालय-समिति द्वारा वाराणसी व दरभंगा के दोनों संस्कृत विश्वविद्यालयों के दौरे और तिरुपति तथा दिल्ली स्थित दोनों केन्द्रीय संस्कृत संस्थाओं सम्बन्धी मामलों पर चर्चा की गयी थी ।

सहायता के लिए कोई विशिष्ट अनुरोध नहीं किए गए । फिर भी, जब कभी यदि ऐसे अनुरोध किए गए, तो भारत सरकार उन पर बहुत सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी ।

राज्यों में केन्द्रीय सरकार की सम्पत्ति को क्षति

1908. **श्री रा० कृ० बिड़ला** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जब भी किसी विवादग्रस्त मामले पर केन्द्रीय सरकार का निर्णय किसी राज्य के पक्ष में नहीं होता, तो उस राज्य में वहां के लोग वहां की राज्य सरकार की सहायता से या उसके बिना ही, रेलवे, डाक घरों, बैंकों आदि केन्द्रीय सम्पति को अपने आक्रमण का निशाना बनाते हैं ;

(ख) यदि हां, तो पिछले दो वर्षों में प्रत्येक राज्य में कितने अवसरों पर केन्द्रीय सम्पति को क्षति पहुँचाई गई ;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार किसी विवादग्रस्त मामले पर निर्णय के परिणामस्वरूप केन्द्र की सम्पत्ति की रक्षा के लिये राज्यों द्वारा अनुकरणीय कुछ सिद्धान्त निर्धारित करने का विचार कर रही है ; और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) क्या इस बारे में केन्द्र के निर्णय की घोषणा करने से काफी पहले राज्य सरकारों को भी विश्वास में लिया जाता है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्क) : (क) और (ख). सूचनाऐं एकत्रित की जा रही हैं ।

(ग) केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को उस दशा में अतिरिक्त सेनाओं के जरिए सभी सहायता देने का आश्वासन दिया है जब उन्हें संविधान के अंतर्गत अपने कर्तव्यों के निष्पादन में साधनों की कमी के कारण कोई कठिनाई होती है ।

(घ) जहां कहीं किसी दंगे की संभावना होती है वहाँ सम्बन्धित राज्य सरकारों को यथोचित रूप में सूचित किया जाता है ।

संसद् सदस्यों की विदेश यात्राएं

1909. **श्री प्रेम चन्द वर्मा :** **श्री मृत्युंजय प्रसाद :**
श्री महाराज सिंह भारती :

क्या **संसद्-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दोनों सभाओं के उन संसद् सदस्यों के नाम क्या हैं जो 15 मार्च, 1967 से 15 फरवरी, 1970 के बीच की अवधि में सरकार की ओर से विदेशों की यात्रा पर गये ;

(ख) उनमें से कितने संसद् सदस्य अन्य देशों से निमंत्रण मिलने पर गये, कितने सद्भावना मिशनों पर गये और कितने विमान उद्घाटन उड़ान अथवा ऐसे ही अन्य अवसरों पर विदेश गये ;

(ग) भारत सरकार ने इन यात्राओं पर कितना धन व्यय किया है और प्रत्येक सदस्य को कितनी-कितनी विदेशी मुद्रा दी गई है ;

(घ) किन-किन सदस्यों ने किन-किन देशों की यात्रा की और वे सदस्य उन देशों में कितने समय तक रहे ;

(ङ) विदेशों को गये सदस्य किन-किन राजनैतिक दलों से संबंधित थे ; और

(च) विदेशों को गये उक्त सदस्यों के नामों की सिफारिश किस-किस ने की ?

संसद्-कार्य और नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघु रामैया) : (क) से (च). मांगी गई जानकारी अविलम्ब उपलब्ध नहीं है और इसको इकट्ठा करने में जो समय तथा परिश्रम लगेगा वह प्रायः इससे प्राप्त होने वाले परिणामों के बराबर नहीं होगा ।

Disturbances in Gaughati on Republic-Day, 1968

1910. **Shri Om Prakash Tyagi** : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that it has now been confirmed that foreign *conspirators* had a hand in the disturbances which occurred in Gauhati on the Republic-Day, 1968 ;

(b) whether it is also a fact that the Sen Enquiry Commission has reported that the disturbances were preplanned : and

(c) if so, the steps taken by Government to check such disturbances ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) There is no definite evidence with the Government of India to indicate ihe involvement of any foreign elements in the disturbances in and around Gauhati which occured on the Republic-Day, 1968 ;

(b) and (c). The report of the Sen Enquiry Commission on Gaubati Disturbances is still under consideration of the Assam Government.

Demand for more Administrative and Financial Powers for Centrally Administered Areas

1911. **Shri Om Prakash Tyagi :** **Shri J. Sundar Lal :**
Shri P. M. Sayeed : **Shri Narayan Swaroop Sharma ;**
Shri Ram Swarup Vidyarthi :

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a fervent demand has been made in a recent Conference of the Chief Ministers and Administrators of the Centrally Administered areas that more

administrative and financial powers should be given to the Centrally administered areas ; and

(b) if so, the reaction of Government thereto and the action taken in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b). The Conference of the Chief Ministers and Administrators of the Centrally Administered areas was held in New Delhi on the 21st May, 1969 to obtain their views on the recommendations of the Administrative Reforms Commission and its Study Team on the Union Territories and NEFA. The views expressed regarding grant of more administrative and financial powers to the Union Territories have been taken into considering while examining the recommendations of A. R. C. and its Study Team. Those recommendations are still being examined.

क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, श्रीनगर, के छात्रों द्वारा राष्ट्र ध्वज का अपमान

1912. **श्री ओम प्रकाश त्यागी :**
श्री भा० सुन्दर लाल :
श्री नारायण स्वरूप शर्मा :

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डाक्टर जाकिर हुसैन के निधन की सूचना सुन कर क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, श्रीनगर में राष्ट्रध्वज नीचे गिरा दिया गया था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि राष्ट्रवादी छात्रों ने भूख-हड़ताल करके इस राष्ट्र-विरोधी कार्यवाही पर विरोध प्रकट किया था ;

(ग) क्या यह भी सच है कि क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज के प्रिंसिपल पर राष्ट्रध्वज के अपमान की इस कार्यवाही में सहपराधिता का आरोप लगाया गया है ;

(घ) क्या क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज में इस प्रकार की यह पहली घटना नहीं है ; और

(ङ) यदि हां, तो दोषी प्रिंसिपल के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ; और भविष्य में वहां ऐसी घटनाओं की पुनरावृति रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) से (घ). जम्मू और काश्मीर सरकार ने सूचना दी है कि 3 मई, 1969 को, जब डा० जाकिर हुसैन के निधन का समाचार मिला तो क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, श्रीनगर के प्रिंसिपल ने कालेज के भवन पर राष्ट्रध्वज को आधा झुका कर लहरा दिया। 7 मई को विद्यार्थियों के एक वर्ग ने माँग की कि इस ध्वज को हटा दिया जाय क्योंकि डा० जाकिर हुसैन को दफनाने की रस्म पूरी हो चुकी थी। प्रिंसिपल ने यह सोचकर कि राष्ट्रध्वज का अपमान न हो जाये, उसने उस ध्वज को वहां से हटाकर सुरक्षित रख लिया। इसके तत्काल बाद ही विद्यार्थियों के एक दूसरे वर्ग ने ध्वज के हटाने में विरोध प्रकट किया तथा यह मांग की कि इसे फिर से फहराया जाये। पुलिस का संरक्षण प्राप्त करने के बाद प्रिंसिपल ने झंडे को फिर फहराया। इस पर भी कुछ विद्यार्थियों ने भूख-हड़ताल की, जोकि बाद में जम्मू व काश्मीर सरकार के एक मंत्री के हस्तक्षप करने पर वापिस ले

ली गई। विद्यार्थी मुख्य-मंत्री से भी मिले थे। इस कालेज में इस प्रकार की कोई घटना पहले कभी नहीं हुई।

(ङ) जैसा कि ऊपर कहा गया है, प्रिंसिपल की किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं मिली और इसलिये उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई करने का प्रश्न नहीं उठा। सरकार इस मामले में सतर्क है तथा आवश्यकता पड़ने पर समुचित कार्रवाई की जायेगी।

दिल्ली में पत्राचार पाठ्यक्रम के लिये दूसरा प्रांगण तथा पृथक विश्वविद्यालय

1913. **श्री कंवर लाल गुप्त :**

श्री वि० नरसिम्हा राव :

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण दिल्ली में किसी स्थान पर दिल्ली विश्वविद्यालय का दूसरा प्रांगण खोलने का सरकार का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो उनके कब तक तैयार हो जाने की आशा है ;

(ग) क्या दिल्ली में एक दूसरा विश्वविद्यालय खोलने का सरकार का विचार है ;

(घ) यदि नहीं, तो ये समझते हुए कि इनकी संख्या 40,000 से अधिक है, इसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) इस बात को ओर देखते हुए कि दिल्ली के विद्यार्थियों की संख्या प्रति वर्ष बढ़ रही है उन्हें उचित शिक्षा देने की सरकार की क्या योजना है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख). दिल्ली विश्वविद्यालय का दूसरा कैंपस खोलने का प्रस्ताव दिल्ली विश्वविद्यालय तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विचाराधीन है।

(ग) जी नहीं।

(घ) और (ङ). दाखिले की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने का प्रश्न देखने से ही दिल्ली विश्वविद्यालय तथा दिल्ली प्रशासन के ध्यान में है।

Guru Tegh Bahadur Memorial in Delhi

1914. **Shri Kanwar Lal Gupta :** Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether Government have received representations to the effect that Government should give a grant of Rs. 40 lakhs for the Guru Tegh Bahadur Memorial being built in Delhi ;

(b) if so, the details thereof and the action taken by Government thereon ;

(c) whether it is a fact that Government did not charge any amount from the Nehru Memorial Trust for the Teen Murti House and handed over the said House to them free of cost ; and

(d) if so, the action being taken by Government in respect of the Guru Tegh Bahadur Memorial ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) to (d). Shri Kanwar Lal Gupta had made a request, that the Gurdwara Prabandhak Committee is constructing the Guru Tegh Bahadur Memorial at a cost of Rs. 1 crore and that a grant of Rs. 30-40 lakhs may be given to them by the Ministry of Education and Youth Services. He had also requested that an amount of Rs. 17.50 lakhs realised by the Delhi Administration from the Gurdwara Prabandhak Committee, Sisganj towards the cost of the land where the Guru Tegh Bahadur Memorial is being built may be refunded. The matter is under examination.

राजस्थान और काश्मीर में पाकिस्तानी जासूसों की गिरफ्तारी

1915. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले दो वर्षों में जम्मू तथा काश्मीर और राजस्थान से कुछ पाकिस्तानी जासूस पकड़े गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो कितने और उनसे बरामद हथियारों तथा दस्तावेजों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) उपरोक्त दो राज्यों के सीमावर्ती क्षेत्रों से इन जासूसों की घुसपैठ रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(घ) इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों से प्राप्त पत्रों का ब्यौरा क्या है और जासूसी की इन गतिविधियों के बारे से केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) से (घ). सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

विभिन्न भारतीय भाषाओं में पाठ्य पुस्तकों का अनुवाद कराने के लिए राज्य सरकारों को अनुदान

1916. **श्री रवि राय** : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने राज्यों के लिऐ विभिन्न भारतीय भाषाओं में पाठ्य पुस्तकों के अनुवाद करने हेतु कुछ धनराशि नियत की है ;

(ख) यदि हां, तो कितने राज्यों ने इस बारे में काम आरम्भ कर दिया है ; और

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य को कितनी-कितनी धनराशि दी गई है तथा इस बारे में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) से (ग). विवरण संलग्न है । [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०-2763/70]

उर्दू के बारे में प्रधान मन्त्री को ज्ञापन

1917. **श्री बे० कृ० दास चौधरी :**
श्री मुहम्मद शरीफ :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विभिन्न भाषाओं के लेखकों, कवियों तथा विद्वानों की ओर से उर्दू के दर्जे के बारे में प्रधान मन्त्री को 29 दिसम्बर, 1959 को बम्बई में आयोजित अखिल भारतीय उर्दू सम्मेलन में एक ज्ञापन पेश किया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार की नीति 14 जुलाई, 1958 के भाषा सम्बन्धी वक्तव्य में समाविष्ट है । उसकी एक प्रति संलग्न है । जुलाई 1957 में, उर्दू भाषी लोगों की काफी जन-संख्या वाले राज्यों के मुख्य मन्त्रियों से उर्दू के सम्बन्ध में सरकार द्वारा दिये गये इन आश्वासनों के पूर्ण तथा प्रभावशाली कार्यान्वयन के लिए उपयुक्त उपाय करने का अनुरोध किया गया था । भाषाजात अल्प संख्यकों के आयुक्त अन्य भाषाजात अल्प संख्यकों के मामलों की तरह उर्दू भाषी लोगों को दिये गये संरक्षणों के सम्बन्ध में सभी शिकायतों की जांच करते है । [ग्रन्थालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०-2764/70]

दिल्ली आने वाले पर्यटकों के लिए निवास शिविर

1918. **श्री बे० कृ० दासचौधरी** : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राजधानी में उन पर्यटकों के लिए निवास शिविर स्थापित करने का है जो दिल्ली में अपनी कारों द्वारा आते हैं तथा होटलों में नहीं ठहरना चाहते ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

निवारक निरोध अधिनियम की समाप्ति पर नजर बन्द व्यक्तियों की रिहाई

1919. **श्री बे० कृ० दास चौधरी** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें निवारक निरोध अधिनियम की समाप्ति के बाद किसी राज्य सरकार ने रिहा नहीं किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा उन व्यक्तियों को रिहा करने के क्या कारण है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). राज्य सरकारों द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार आंध्र प्रदेश में 23, मध्य प्रदेश में 3 तथा महाराष्ट्र में 8 व्यक्तियों को छोड़कर सभी को जो नज़रबंद थे, निवारक निरोध अधिनियम के समाप्ति पर रिहा कर दिया गया। इन व्यक्तियों को सार्वजनिक व्यवस्था के प्रतिकूल गतिविधियों में अन्तर्ग्रस्त होने से रोकने के लिए नज़रबंद किया गया था तथा इस कारण नज़रबन्दी को संबन्धित निवारक निरोध अध्यादेशों के संगत उपबंधों के अनुसार जारी रखा गया। उड़ीसा में 3 व्यक्तियों को नये सिरे से उड़ीसा निवारक निरोध अध्यादेश लागू होने पर सार्वजनिक व्यवस्था के प्रतिकूल किसी रीति में कार्य करने से रोकने के इरादे से नज़रबंद किया गया।

Strengthening of Intelligence Department

1920. **Shri Shiv Kumar Shastri :**
Shri Atam Das :

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that view of the recent communal disturbances, Government have arrived at the conclusion that the Intelligence Department needs to be further strengthened and kept more vigilant ; and

(b) if so, the decisions taken by Government in this regard and whether the present strength of the said Department would be augmented ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b). In pursuance of the recommendations of the National Integration Council, State Governments were advised to strengthen their intelligence organisations with a view to maintain a close and continuous watch on activities likely to be prejudicial to the maintenance of communal harmony and peace. State Governments have reviewed the existing arrangements and wherever necessary, have also strengthened their intelligence organisations. A similar review has also been made at the Central level and suitable arrangements have been made.

Increase in Number of Hippies in India

1921. **Shri Shiv Kumar Shastri :** **Shri N. Shivappa :**
Shri Sitaram Kesri : **Shri S. R. Damani :**
Shri Virendrakumar Shah : **Shri Atam Das :**

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) the number and names of foreign tourists and hippies who were arrested from June, 1968 to December, 1969, under the Excise and Arms Acts, for possessing contraband narcotics, drugs and arms and committing immoral acts ;

(b) the result of the cases filed against the arrested persons ;

(c) whether it is a fact the nuisance of Hippies is increasing ;

(d) whether it is also a fact that the liberty which these people enjoy in this country on account of slackness of the administration is much more than in other countries ;

(e) whether it is further a fact that a majority of Hippies have been found involved in smuggling of a number of contraband goods and their undignified way of living is leaving a very bad effect on Indian youths ; and

(f) if so, the action being taken by Government to check their influx into India ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b). Presumably, the term "Hippies" refers to vagarant foreign nationals who do not conform to the normally accepted standards of dress etc. The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

(c) No separate statistics in respect of such foreigners have been kept. There have been no reports to suggest that their number in India has been increasing noticeably.

(d) There is no reason to believe that this is a fact.

(e) and (f). Some such foreigners have come to notice for certain unlawful activities like illicit possession of drugs, etc. and suitablte action under the appropriate law has been taken against them. Where appropriate they can also be made to leave the country under the law relating to foreigners. According to the information available, their way of life has not had a significant influence on the Indian youth.

Setting up of Hotels by India Tourism Development Corporation

1922. **Shri Shiv Kumar Shastri :**
Shri S. S. Kothari :

Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Indian Tourism Development Corporation propose to set up several hotels in various parts of the country ; and

(b) if so, the names of places where the new hotels would be set up, the revenue likely to accure therefrom and whether Government would ensure in advance that the said new hotels do not run into loss like the public sector hotels in Delhi ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) a hotel is under construction at Bangalore and feasibility studies are in hand for hotel projects at Kovalam, Srinagar, Gulmarg, Dum Dum, Jaipur and Aurangabad. It is not possible to estimate the revenue that is likely to accure from the projects at this stage.

It is not correct to say that all public sector hotels in Delhi have been operating at a loss. The Ashoka Hotel has in fact been making profits steadily for the last 10 years.

Car Nicobar Non-Gazetted Officers' Association

1923. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that on the 31st December, 1969 the Car Nicobar Non-Gazetted Government Officers' Association have submitted to him a four point proposal ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) Government's reaction thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (c). No such representation dated the 31st December, 1969 appears to have been received from the Car Nicobar Non-Gazetted Government Officers' Association However, a

communication dated the 1st January, 1970, listing four demands which were stated to have been voiced at a mass rally of Government employees, was received from the Long Island branch of the Non-Gazetted Government Officers' Association, Andaman and Nicobar Islands. These four demands and the Government's reaction thereto are indicated in the statement attached. [*Placed in Library. See* No. LT-2765/70.]

Recommendations made in Seventh Whips' Conference held in Madras

1924. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of **Parliamentary Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government have considered the recommendations made at the Seventh Whips' Conference held in Madras in September last ;

(b) if so, the decisions taken thereon ; and

(c) if not, the time by which they are proposed to be considered ?

The Minister of Parliamentary Affairs and Shipping and Transport (Shri Raghu Ramaiah) : (a) to (c). The recommendations of the Seventh All India Whips' Conference are under consideration of the Central Government. So far as States/Union Territories are concerned, these recommendations have been forwarded to the Chief Ministers and the Presiding Officers for appropriate action. It is likely to take some time before the action on these recommendations is finalised.

धोखादेही तथा सापराध विश्वास भंग के मामले

1925. **श्री मुहम्मद शरीफ :**
श्री बे० कु० दासचौधरी :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1969 में धोखादेही तथा सापराध विश्वास-भंग के कितने मामले दर्ज किये गये तथा राज्य वार कितनी बार छापा मारा गया ; और

(ख) भविष्य में ऐसे मामलों से निपटाने के लिए सरकार ने क्या विशेष कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) बिहार जम्मू व काश्मीर, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल राज्य सरकारों को छोड़कर राज्य सरकारों । संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त सूचना अनुलग्नक "क" में दी गई है ।

शेष राज्यों के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त होने पर सदन के पटल पर रख दी जायेगी ।

(ख) पुलिस राज्य सूची का विषय है और राज्य सरकार । संघ राज्य क्षेत्र ऐसे मामलों से निपटने के लिए आवश्यक कदम उठाते हैं । धोखादेही तथा सापराध विश्वास-भंग पर कार्यवाही करने के लिए राज्य सरकारों । संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उठाये गये कदमों के बारे में सूचना का विवरण अनुलग्नक "ख" में दी गई है [ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी०-2766/70]

ईरान के विश्वविद्यालयों में हिन्दी तथा उर्दू का अध्ययन

1926. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने ईरान सरकार को ईरान के विश्वविद्यालयों में हिन्दी तथा उर्दू के अध्ययन के लिए केंद्र स्थापित करके फारसी के अध्ययन में भारतीयों की रुचि पैदा करने का अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है, तथा इस सम्बन्ध में ईरान सरकार की क्या प्रतिक्रिया हुई है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) और (ख). जी हां । फारसी भाषा के विकास पर 26 दिसम्बर, 1969 को हुई सेमिनार में केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने यह सुझाव दिया था कि ईरान की सरकार से ईरान के विश्वविद्यालयों में हिन्दी तथा उर्दू के अध्ययन के लिए सुविधाएं प्रदान करने का अनुरोध किया जाए । उस संगोष्ठी में जब यह सुझाव दिया गया था उस समय ईरान के राजदूत उपस्थित थे । तब यह ईरान सरकार पर निर्भर है कि वे सुझावों पर विचार करें ।

Civil Services (Conduct) Rules, 1964

1928. **Shri Molahu Prashad** : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether a copy of the Hindi version of the Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964, which lays down the code of conduct for Government employees would be laid on the Table of the House ;

(b) if so, when ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (c). A copy each of Hindi version of the Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964 and amendments issued thereto from time to time are laid on the Table of the House.

धार्मिक पुस्तकों से पाठ पढ़ाये जाने का प्रभाव

1929. **श्री मोलहू प्रसाद** : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री धार्मिक पुस्तकों के पाठ पढ़ाये जाने के बारे में 28 नवम्बर, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1968 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद से धार्मिक पुस्तकों के पाठों का छात्रों पर पड़ने वाले प्रभाव का पता लगाने के लिए कहा है और क्या इसे लाभप्रद पाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस मूल्यांकन में और आगे क्या प्रगति हुई है ; और

(ग) इस बारे मे प्रतिवेदन के कब तक प्राप्त होने की संभावना है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के आर० वी० राव) : (क), से (ग). धार्मिक पुस्तकों के पाठों के प्रभाव की व्यवहार्यता की राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् ने जांच की थी । हांलाकि परिषद् ने सामाजिक अध्ययन, इतिहास और भाषा सहित स्कूल पाठ्य-पुस्तकों के मूल्यांकन के लिए नियमों तथा क्रियाविधियों का विकास किया है, केवल धार्मिक विचारों के पाठों के प्रभाव को अलग करना संभव नहीं समझा गया है । ऐसे पाठों का दूसरे पाठों के साथ मूल्यांकन दिया जायेगा । अगले शैक्षणिक वर्ष के दौरान रा० शि० अ० और प्र० परिषद् ने कुछ नमूने की पाठ्य पुस्तकों का मूल्यांकन करने की योजना बनाई है ।

Conversion of Reserved Posts into General Posts

*1930. **Shri Molahu Prashad** : Will the Minister of Education and Youth Services be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1966 on the 28th November, 1969 regarding the conversion of reserved posts into general posts and state :

(a) whether the requisite information has since been collected ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) if not, the reasons for the delay ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) Yes, Sir.

(b) A statement containing the details is attached.

(c) Does not arise.

STATEMENT

20 cases for converting reserved posts into general posts were referred to the Ministry of Home Affairs during the year 1968-69, and were got dereserved. 13 cases were referred by this Ministry and 7 cases were referred direct by the Survey of India, Dehradun, a subordinate office of the Ministry which has been permitted by Ministry of Home Affairs to make reference regarding deservation direct to them instead of through this Ministry. Details of the cases are as under :

Ministry of Education and Youth Services (Proper)

Five posts of L. D. C's. (Gr. II of CSCS) and six posts of Stenographers (Gr. II of CSSS).

Subordinate Officers.

(i) *National Museum, New Delhi.*

One post of Keeper (Central Asian Antiquities). One post of Deputy Keeper (Numismatics and Epigraphy).

(ii) *Survey of India, Dehradun :*

One post of Junior Technical Assistant/Instrument Assistant in the Goedetic and Research Branch.

Two posts of Topo Trainees Type 'A' in the Southern Circle.

Two posts of M. T. Drivers (one in the Southern and the other in the North-Western Circles).

The posts of Topo Trainees Type 'B' in the North-Western Circle.

In addition, one reserved post of Herbarium Assistant (Class III) in the Botanical Survey of India was converted into a general post during 1968-69 without referring it to the Ministry of Home Affairs during that year through oversight. Ex-post facto approval of that Ministry has since been obtained.

Promotion in Education Department of Delhi Administration, Delhi, in the Reserved Quota for Scheduled Castes and Scheduled Tribes

1931. **Shri Molahu Prashad :** Will the Minister of Education and Youth Services be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1965 on the 28th November, 1969 regarding the promotion in Education Department of Delhi Administration, Delhi in the reserved quota for Scheduled Castes and Scheduled Tribes and state :

(a) whether the requisite information has since been collected ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) if not, the reasons for the delay ?

The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c). The instructions contained in the Ministry of Home Affairs letter No. 1/12/67-Ests (c) dated 11-7-1968 are kept in view, while making promotions to the posts of Principals, Vice-Principals, Assistant Education Officers, Science Adviser and Science Consultant. No Quota is, however, fixed for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the above-quoted instructious for promotions to Class I and II posts.

As regards promotions to the posts of Post-Graduate Teachers and Trained Graduate Teachers, no promotions have been made on regular basis after the receipt of Ministry of Home Affairs instructions dated 11-7-1968. Only *ad-hoc* promotions have been made on the basis of seniority. Two Scheduled Castes candidates have been promoted on *ad-hoc* basis to the posts of Post-Graduate Teachers (Male) and one as Post-Graduate Teacher (Female).

दिल्ली में सरकारी क्षेत्र के एकीकरण के बाद कर्मचारियों की सेवा-शर्तों में सुधार

1932. **श्री म० ला० सोंधी :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अशोक, रणजीत, जनपथ तथा लोधी इन चार होटलों को भारत पर्यटन विकास निगम के साथ मिला दिया जायेगा ;

(ख) होटल कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा तथा उनकी सेवा शर्तों में सुधार सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ;

(ग) होटलों के प्रबंध को कुशल तथा कम खर्चीला बनाने के लिए भारत पर्यटन विकास निगम के निर्णायकों में पर्याप्त विशेषज्ञ सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ;

(घ) अत्यधिक संख्या में अधिकारियों की भर्ती के दोष से बचते हुए वृहत-स्तरीय प्रबंध का लाभ उठाने के लिए क्या उपाय किये गये हैं ;

(ङ) क्या भारत पर्यटन विकास निगम को अलग-अलग होटलों द्वारा चलाई गई परियोजनाओं, जैसे अशोक होटल द्वारा चलाई गई "रिवोल्विंग टावर" परियोजना, जिनके बारे में धनराशि के दुर्विनियोजन के गम्भीर आरोप हैं, की जांच कराने के निर्देश दिये जायेंगे ; और

(च) क्या भारत पर्यटन विकास निगम को, नई एकीकरण व्यवस्था के अधीन अशोक होटल की रिवोल्विंग टावर परियोजना को पुनः चलाने के लिये निदेश दिये जायेंगे ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) एकीकरण के बाद भी होटल कर्मचारी उन्हीं सेवा शर्तों द्वारा शासित किये जायेंगे जिन शर्तों पर उन्हें अशोक होटल्स लिमिटेड और जनपथ होटल्स लिमिटेड ने नियुक्त किया था । दोनों कम्पनियों द्वारा 'वेज बोर्ड' की सिफारिशों का क्रियान्वियन किया जा चुका है और कर्मचारियों की सेवा शर्तें संतोषजनक हैं ।

(ग) और (घ). इन मामलों पर निगम ध्यानपूर्वक गौर कर रहा है ।

(ङ) और (च). जी, नहीं ।

खोसला आयोग की सिफारिशों की क्रियान्विति

1933. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत की राजधानी में पुलिस की (एक) सेवा-शर्तों (दो) आवास (तीन) शिक्षा-सुविधाओं (चार) प्रशिक्षण तथा (पांच) पदोन्नतियों के सम्बन्ध में दिल्ली पुलिस आयोग (खोसला आयोग) की सिफारिशों की क्रियान्विति में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) आमतौर पर दिल्ली में और विशेषकर नई दिल्ली में पुलिस के जनता के साथ सम्बन्ध सुधारने के लिए क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) गत वर्ष तथा उसके पिछले वर्ष दिल्ली पुलिस प्रशासन के अधीन विभिन्न जिलों में खुद पुलिस अधीक्षकों की देख-रेख में 'स्पैशल रिपोर्ट' के कितने मामले तैयार किये गये; और

(घ) जांच अधिकारी के विरुद्ध पक्षपात अथवा भ्रष्टाचार के आरोपों के बारे में पुलिस अधीक्षक द्वारा स्वतन्त्र जांच किये जाने के लिए गत वर्ष दिल्ली में प्रत्येक अधीक्षक के अधीन जिन मामलों की जांच के लिए विशेष कर्मचारी नियुक्त किए गए थे उनकी संख्या कितनी है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). सूचना संलग्न अनुलग्नक में दी जाती है ।

(ग)

वर्ष	मामले
1968	772
1969	785

(घ)

उत्तर जिला	51
केन्द्रीय जिला	21
दक्षिण जिला	22
(जिसमें साल के बड़े भाग के लिए नई दिल्ली जिला शामिल है)	
पुलिस लाइन	3
अन्य	शून्य

विवरण

क (1) सेवा की शर्तें : राजधानी भत्ता, धुलाई भत्ता, सहायक उप-निरीक्षकों और उनसे नीचे के अधिकारियों को साइकिल भत्ता, कांस्टेबलों को सदाचार भत्ता, मैट्रिक पास कांस्टेबलों को पांच अग्रिम वेतन वृद्धियां और घुड़सवार पुलिस कर्मचारियों को अश्वारोही भत्ता जैसी रियायतें स्वीकृत की गई हैं । विशेष वेतन की मात्रा में संशोधन कर दिया गया है तथा कुछ और वर्गों को भी देना आरम्भ कर दिया है । कॉंस्टेबलों के लिए आयु सीमा 21 वर्ष और उप-निरीक्षकों के लिए 20 से 24 वर्ष के बीच निर्धारित की गई है जबकि कांस्टेबलों के लिए 25 वर्ष और उप-निरीक्षकों के लिए 18 और 25 वर्ष के बीच थी ।

क (2) आवास : दिल्ली पुलिस के उच्च तथा निम्न अधिकारियों को अभी तक 32 प्रतिशत पारिवारिक आवास और 85 प्रतिशत बैरक आवास दे दिये गये हैं ।

क (3) **शिक्षा सम्बन्धी सुविधाएं** : शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ति, बच्चो के शिक्षा भत्ते की सुविधाएं दिल्ली पुलिस को दे दी गई है । पुलिस कर्मचारियों के शिक्षा स्तर को विकसित करने हेतु आगे अध्ययन करने के लिए शिक्षा सलाहकार और शिक्षा सहायकों के पद स्वीकृत किये गये हैं ।

क (4) प्रशिक्षण : दिल्ली पुलिस के विभिन्न पदों के प्रारम्भिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों और पुनश्चर्या प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में संशोधन किया गया है और दिल्ली में एक पुलिस प्रशिक्षण स्कूल स्थापित किया है । इस समय पुलिस रंगरूटों का प्रशिक्षण और कांस्टेबलों के लिए पुनश्चर्या प्रशिक्षण पुलिस प्रशिक्षण स्कूल, महरौली में चलाये जा रहे हैं ।

क (5) पदोन्नतियां : दिल्ली पुलिस में पदोन्नतियाँ संशोधित नियमों के अनुसार की जाती हैं ।

(ख) : लोक सम्पर्क अधिकारी नियुक्त किया गया है। महत्वपूर्ण सूचना के प्रचार के लिए आकाशवाणी के माध्यम का प्रयोग किया जाता है। जनता के लिए, जो पुलिस थानों में रिपोर्ट करने के लिए आती है, थानों में नये फर्नीचर की व्यवस्था कर दी गई है और जनता को प्रोत्साहित करने तथा रिपोर्ट करने वाले लोगों के स्वत: आकर्षण के लिए रिपोर्ट कमरों को नया रूप दे दिया गया है। यह सुनिश्चित करने के लिए आकस्मिक जाच-पड़ताल की जाती है कि मामलों की शीघ्र तथा नि:शुल्क दर्ज करने की व्यवस्था है। जनता की सेवा में अविलम्ब उपस्थित होने के लिए प्रत्येक थाने में एक अधिकारी दिन-रात ड्यूटी पर रहता है। शिक्षा संस्थानों में सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के अनुपालन सम्बन्धी लेक्चरों के प्रबन्ध कर दिये गये हैं। चलती-फिरती यातायात शिक्षा गाड़ियों के माध्यम से सड़कों पर चलने वालों को उसी स्थान पर शिक्षा दी जाती है और उनकी त्रुटियां उन्हें बताई जाती हैं; ओरिजिनल रोड पुलिस थाने में नागरिकों के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध बनाने के लिए एक युवक व्यायामशाला खोली गई है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि पुलिस सहायता के लिए पब्लिक कालों पर तत्काल ध्यान दिया जाय उपयुक्त यातायात सुविधाओं समेत एक सुसज्जित नियन्त्रण कक्ष की स्थापना की गई है। नई दिल्ली में 2500 से भी अधिक बच्चों को यातायात प्रशिक्षण पार्क में व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाता है। दो पुलिस चौकियां, एक नार्थ एवेन्यू और दूसरी साउथ एवेन्यू में, संसद सदस्यों और उस क्षेत्र के अन्य निवासियों की शिकायतें सुनने के लिए स्थापित की गई हैं। अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट के कार्यालय में प्रतिमाह लोक सम्पर्क, सभाएं की जाती हैं, जहां पुलिस अधिकारियों, महानगर पार्षदों और इन क्षेत्रों के प्रतिष्ठित व्यक्तियों के बीच विचार विमर्श किये जाते हैं।

अशोक होटल, नई दिल्ली में रिवाल्विग टावर परियोजना की आलोचना

1934. **श्री म० ला० सोंधी :**

श्री वीरेन्द्रकुमार शाह :

क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान स्टेट्समैन में छपे इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि अशोक होटल, नई दिल्ली की रिवाल्विग रेस्तरां परियोजना से शुरू से ही सम्बद्ध विशेषज्ञों की यह राय है कि सरकार वे वस्तुत: इस पर लाखों रुपये व्यर्थ खर्च कर दिये हैं;

(ख) क्या उस टावर की बुनियाद को न केवल गहरा बल्कि उतना ही चौड़ा जितना कि रेस्तरां बनाना था, रखना तकनीकी दृष्टि से आवश्यक था;

(ग) क्या स्टोर करने की निम्न कोटि की सुविधायें होने के कारण जापान से आयात की गयी रिवाल्विग मशीन कुछ खराब हो गई है; और

(घ) क्या सरकार परियोजना के नमूने, ढेके तथा क्रियान्विति पर हुए धन के कथित अपव्यय तथा परियोजना के पूरा न होने के बारे में उच्च स्तरीय जांच करायेगी ?

पर्यटन तथा नागर असैनिक उड्डयन विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) मुझे बताया गया है कि ऐसा डिजाइन के विचार से और भूमि की प्रकृति के दृष्टिकोण से किया गया था।

(ग) और (घ) जी, नहीं।

Introduction of Basic Education System and Compulsory Military Training

1935. **Shri Yashwant Singh Kushwah :** Will the Minister of Education and Youth Services be pleased to state :

(a) whether Government have considered the question of introducing basic education system in order to make the educated youth self-reliant and also introducing compulsory military training keeping national security in view ; and

(b) if so, the nature of decision taken ?

The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan) : (a) and (b). Basic education was introduced in many schools in the country over 20 years back The Education Commission appointed by the Government of India in 1964 considered the question and had recommended re-orientation of the basic education programme to the need of a society that has to be transformed with the help of science and technology In this context, it recommended the introduction of work experience at the school stage. The Government of India have recommended this approach to the State Governments. While re-organising the curriculum, many State Governments have incorporated work experience in it.

As regards compulsory military training to students, Government have decided that military training should be given to students of colleges under the N. C. C. Scheme. The question whether the training under the N. C. C. should be compulsory or optional is to be decided by each university.

उत्तर प्रदेश में सड़कों और पुलों का निर्माण

1936. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या नौवहन तथा परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1968-69 में उत्तर प्रदेश सरकार को, राज्य में सड़कों और पुलों के निर्माण के लिए कुल कितनी राशि आवंटित की गई;

(ख) राज्य द्वारा वह राशि किस प्रकार खर्च की गई थी; और

(ग) उसी प्रयोजन के लिये 1969-70 में राज्य को कितनी राशि देने का प्रस्ताव है ?

संसद-कार्य और नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और निर्माण के लिए 1968-69 में उत्तर प्रदेश सरकार को 154.93 लाख रुपये की राशि आवंटित की गई (105.27 लाख रुपये सामान्य कार्यों के लिए और 49.66 लाख रुपये पार्श्ववर्ती सड़क कार्यों के लिये)। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता प्राप्त केन्द्रीय प्रायोजित योजना स्कीमों जैसे पार्श्ववर्ती सड़क (राज्य का भाग) अन्तर्राज्यीय या आर्थिक महत्व की राज्य सड़कों और ग्रामीण सड़कों के लिए 285.9 लाख रुपये कुल भुगतान मंजूर किया गया था केन्द्रीय सड़क निधि से धन दिये जाने वाले सड़क विकास कार्यों पर व्यय के लिये 41.79 लाख रु० का अनुदान भी दिया गया।

(ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और यथा समय उसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

(ग) केवल राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण और विकास के लिये 1969-70 में उत्तर प्रदेश सरकार को आवंटन के लिए 180.78 लाख रुपये की राशि निर्धारित की गई है। 1969-70 में केन्द्रीय सड़क निधि से 44.00 लाख रुपये का अनुदान देने का प्रस्ताव है।

उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजपथों की कुल मील दूरी

1937. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या नौवहन तथा परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1969 को उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजपथों की कुल मील दूरी कितनी थी ;

(ख) उन राजपथों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या अन्य सड़कों को उन राष्ट्रीय राजपथों के अन्तर्गत शामिल करने के बारे में कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

संसद-कार्य और नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) 1455 मील।

(ख) अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) चूंकि मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्ग पद्धति के विस्तार का सार प्रश्न साधनों की उपलब्धता की, और राष्ट्रीय राजमार्ग पद्धति में सड़कों को शामिल करने के लिए बरण करने की कसौटी की दृष्टि से विचाराधीन है अतः इस समय किसी सड़क की स्थिति के बारे में बताना संभव नहीं है।

विवरण

क्रम सं०	राष्ट्रीय राजमार्ग	राष्ट्रीय राजमार्गों का वर्णन
1	2	3
	2	दिल्ली, मथुरा, आगरा, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, मोहानिया, वरही और कलकत्ता को मिलाने वाला राजमार्ग।
	3	आगरा, ग्वालियर, शिवपुरी, इंदौर, धूलिया नासिक, थाना और बम्बई को मिलाने वाला राजमार्ग।

1	2	3
3—	7	क्रम सं० 1 में उल्लिखित राजमार्ग से वाराणसी के पास के संगम से प्रारम्भ होने वाला और मंगावन, रेवा, जबलपुर, लखनाडोन, नागपुर, हैदराबाद, कुरनूल, बंगलौर, कृष्णगिरी, सलीम, डिंडीगल, मदुराई और कमोरिन अंतरीफ को मिलाने वाला राजमार्ग ।
4—	11	आगरा, भरतपुर, जयपुर और बीकानेर को मिलाने वाला राजमार्ग ।
5—	24	दिल्ली, मुरादाबाद, बरेली और शिवपुरी को मिलाने वाला राजमार्ग ।
6—	25	लखनऊ, कानपुर, झांसी और शिवपुरी को मिलाने वाला राजमार्ग ।
7—	26	झांसी और लखनाडोन को मिलाने वाला राजमार्ग ।
8—	27	क्रम संख्या 3 में उल्लिखित राजमार्ग को मंगवान के पास इलाहाबाद से मिलाने वाला राजमार्ग ।
9—	28	राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 31 (वरही-पांडू) से बरोनी के पास के अपने संगम से प्रारम्भ होने वाला और मुजफ्फरपुर, पिपरा, गोरखपुर और लखनऊ को मिलाने वाला राजमार्ग ।
10—	29	गोरखपुर, गाजीपुर और वाराणसी को मिलाने वाला राजमार्ग ।

केन्द्रीय सड़क निधि में से उत्तर प्रदेश को सड़क विकास योजनाओं के लिये दिया गया अनुदान

1938. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या नौवहन तथा परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1968-69 में उत्तर प्रदेश को सड़क विकास योजनाओं के लिये केन्द्रीय सड़क निधि में से कितनी राशि का अनुदान दिया गया; और

(ख) उस राज्य को 1969-70 में कितनी राशि देने का प्रस्ताव है ?

संसद-कार्य और नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह) (क) 41.79 लाख रुपये ।

(ख) 44.00 लाख रुपये ।

केन्द्रीय तथा राज्य के क्षेत्रों को निधियों का आवंटन

1939. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** क्या **पर्यटन** तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय क्षेत्र तथा राज्य क्षेत्र को आवंटित राशियों का कितने-कितने प्रतिशत 1969-70 में पर्यटन के विकास के लिए खर्च किया गया;

(ख) उपरोक्त अवधि में प्रत्येक क्षेत्र द्वारा देश के पर्यटकों के लिए कितनी राशि व्यय की गई;

(ग) उपरोक्त अवधि में राज्य सहायता के रूप में राज्यों को कितनी राशि मंजूर की गई; और

(घ) उपरोक्त अवधि में गैर-सरकारी होटलों और जलपान गृहों को केन्द्रीय क्षेत्र की निधि से कुल कितनी राशि के ऋण और राज्य सहायता दिये गये ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क)

(i) केन्द्रीय क्षेत्र — 1969-70 के पुनरोक्षित प्राक्कलनों के अनुसार 48 प्रतिशत

(ii) राज्य क्षेत्र — सूचना एकत्रित की जा रही है ।

(ख) विदेशी तथा देशीय पर्यटकों से सम्बन्धित स्कीमों से लिए पृथक-पृथक व्यय की मात्रा निर्धारण करना सम्भव नहीं है ।

(ग) कुछ नहीं, क्योंकि चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान भाग ii स्कीमों को समाप्त कर दिया गया है ।

(घ) (i) उपदान — 27,000 रुपये

(ii) ऋण — कुछ नहीं ।

परन्तु कुल मिलाकर 248.59 लाख रुपये के ऋण स्वीकृत किये जा चुके हैं । पर्यटन विभाग द्वारा चालू साल में 60 लाख रुपये ऋण के रूप में वितरण किये जाने की आशा है बशर्ते कि प्रार्थी कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करते हों ।

Running of D.T.U. Buses for College and School Students

1940. **Shri Narain Swaroop Sharma :** Will the Minister of Shipping and Transport be pleased to state :

(a) whether the attention of Government has been drawn to the news-item published in the newspapers dated the 10th September, 1969 regarding the clashes between the students and D.T.U. Staff in Delhi on the 9th September, 1969 ;

(b) if so, whether Government propose to run some D.T.U. buses for students only or to given some buses to all the ordinary schools and colleges in Delhi on contract as is done in the case of Public Schools ; and

(c) if not, the reasons for the discrimination being observed by way of giving the additional facility to the students of Public Schools and some other schools of this type ?

The Deputy Minister in the Department of Parliamentary Affairs and in the Ministry of Shipping and Transport (Shri Iqbal Singh) : (a) Yes.

(b) and (c). According to the General Manager, Delhi Transport Undertaking, some special services for university students are being operated by the Undertaking. Besides, a number of schools have hired buses of the Undertaking at Rs. 1.25 per kilometer. The Undertaking is also willing to consider requests from other schools and colleges for hiring of buses.

Conversions to Christianity

1941. **Shri Narayan Swaroop Sharma :** Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) the number of persons belonging to the different religions who were *canverted* by Christian Missionaries through various means, State-wise, in the year ending 31st March, 1969 ;

(b) the number of foreign Missionaries in India on the 31st March, 1969 with the names of places where they have been staying ; and

(c) the amount received by the said Christian Missionaries in the year ending 31st March, 1969 from foreign countries along with the names of the countries or individuals from whom received ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Except the Madhya Pradesh Dharma Swatantrya Adhiniyam, 1968, which came into force on the 20th October, 1968, there is no law for intimation or registration of conversions from one religion to another. The information asked for is, therefore, not available.

(b) A statement showing, state-wise the number of registered foreign (including Commonwealth) Missionaries in India as on 1st January, 1969, is placed on the Table of the House.

(c) No separate account is maintained of the funds received from abroad by Christian

Missionaries. Collection of such information will involve time and labour which will not be commensurate with the results.

STATEMENT

S. No.	State	Number	
		Other than Commonwealth Missionaries	Commonwealth Missionaries
1	2	3	4
1.	Andhra Pradesh	297	212
2.	Assam	167	95
3.	Bihar	360	181
4.	Gujarat	180	25
5.	Haryana	2	21
6.	Jammu and Kashmir	6	22
7.	Kerala	167	37
8.	Madhya Pradesh	212	103
9.	Madras	655	400
10.	Maharashtra	498	398
11.	Mysore	273	240
12.	Nagaland	4	1
13.	Orissa	105	61
14.	Punjab	71	84
15.	Rajasthan	38	17
16.	Uttar Pradesh	291	269
17.	West Bengal	222	317
18.	Andaman and Nicobar Islands	1	—
19.	Chandigarh	2	8
20.	Dadra and Nagar Haveli	—	—
21.	Delhi	59	90
22.	Goa, Daman & Diu	20	31
23.	Himachal Pradesh	5	37
24.	L. M. & A. Island	—	—
25.	Manipur	NIL	—
26.	Pondicherry	28	1
27.	Tripura	—	13
	Total	3,663	2,663

Abolition of Social Evils Among Students

1942. **Shri Narayan Swaroop Sharma : Shri Bal Raj Madhok : Shri J. Sunder Lal :**

Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether Government have formulated some scheme by which boy and girl students could take interest in abolishing social evils like casteism, provincialism, untouchability and communalism for the economic and social progress of the country ;

(b) if so, the details thereof :

(c) whether the educationists and the representatives of students unions were also consulted at the time of formulating the said scheme :

(b) if so, the manner in which they were consulated ; and

(e) if not the reasons therefor ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) to (c). 1. In the first meeting of the Educationists and Student Leaders which was held on 16th and 17th January, 1970 a recommendation was made that National Integration Samitis be set up in all university campuses and to the extent possible in all affiliated colleges whose principal task would be eradication of communalism and regionalism from the academic life.

2. A sub-committee consisting of representatives of University Grants Commission, Student Leaders and Educationists is drawing up details of the programme.

3. This Ministry are very implementing a programme of holding Inter-State Camps of students leaders for promotion of national integration.

"लाइफ इन लिबरेटेड विलेजिज" नामक लेख

1943. **डा० कर्णी सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 6 जनवरी, 1970 के **'हिन्दुस्तान टाइम्स'** के पृष्ठ 6 पर प्रकाशित **'लाइफ इन लिबरेटेड विलेजिज'** के शीर्षक की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो यह समाचार कहां तक ठीक है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार हाल में उग्रवादियों ने पुरुलिया, वीरभूमि 24 परगना, नादिया, जलपाइगुड़ी, पश्चिमी दीनाजपुर, दार्जिलिंग तथा मिदनापुर जिलों के कुछ भागों में अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं । मिदनापुर जिले में उनकी गतिविधियां गोपीबल्लमपुर तथा देबरा थाने के क्षेत्रों तक सीमित हैं जहां उन्होंने कुछ जोतदारों की हत्याएं की हैं और उनकी सम्पत्तियों को लूटा है । हमने राज्य सरकार से 6 जनवरी, 1970 के **हिन्दुस्तान टाइम्स** में प्रकाशित लेख पर अभी विचार भेजने का अनुरोध किया है । उनका उत्तर अभी आना है ।

Mid-day Meals to Children in Madhya Pradesh

1944. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether the programme of providing mid-day meals to the children under the aid received from CARE started by his Ministry in 1962-63 has been further extended to Madhya Pradesh ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry af Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan) : (a) and (b). The mid-day meals programme for schools and introduced in Madhya Pradesh in 1966-67. It has been in operation since then. During the current year, the number of school children fed under this scheme is three lakhs per day. The programme entails feeding for 200 days in a year. In addition about 4 lakhs of pre-school children and women are also fed with food received from CARE.

(c) Does not arise.

Pre-Historic Implements Found at Ramgarh (Madhya Pradesh)

1945. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of Education and Youth Services be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a number of implements belonging to the Pre-stone age have been found at Ramgarh in West Nimad District in Madhya Pradesh ; and

(b) if so, the details thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Youth Services (Shrimati Jahanara Jaipal Singh) : (a) The Government is not aware of the discovery of any pre-historic implements belonging to pre-stone age at Ramgarh.

(b) Does not arise.

Construction of Roads for Development of Rural Areas in Madhya Pradesh

*1946. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of Shipping and Transport be pleased to state :

(a) the incentive given to Madhya Pradesh by the Central Government to construct roads for the development of rural areas ;

(b) whether it is a fact that Madhya Pradesh has been given lesser incentive as compared to other States ;

(c) if so, the reasons therefor ; and

(d) if not, the details regarding the incentive given ?

The Deputy Minister in the Department of Parliamentary Affairs and in the Ministry of Shipping and Transport (Shri Iqbal Singh) : (a) to (d). Rural Roads fall primarily within the sphere of State activities and all matters pertaining to them are the responsibility of State Govt. of Madhya Pradesh in so far as that State is concerned. The Fourth Five Year Plan does not provide for any specifc incentive to be given to States by the Central Government for constructing these roads.

हवाई अड्डों पर प्रशुल्क मुक्त दुकानें

1947. **श्री हेम राज** : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन हवाई अड्डों पर प्रशुल्क मुक्त दुकानें खोली गई हैं;

(ख) इन में से किन-किन दुकानों पर स्थानीय नगर निगमों द्वारा आबकारी कानून लागू किये गये हैं और किन दुकानों पर ये कानून लागू नहीं किये जा रहे हैं।

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास हवाई अड्डों पर शुल्क-मुक्त दुकानें स्थापित की जा चुकी हैं।

(ख) बम्बई और कलकत्ता हवाई अड्डों पर इन दुकानों को सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा स्थानीय उत्पादन-शुल्क नियमों (एक्साइजलाज) से छूट प्रदान कर दी गई है। जहां तक मद्रास और दिल्ली के हवाई अड्डों की दुकानों का सम्बन्ध है मामले पर सम्बन्धित राज्य सरकारों के साथ बातचीत चल रही है।

गैर-सरकारी असैनिक विमान कम्पनियों के विमान सेवा मार्गों को सरकार द्वारा अपने हाथों में लिया जाना

1948. **श्री क० अनिरुद्धन :**
श्री वि० कु० मोडक :
श्री के० रमानी :
श्री मुहम्मद इस्माइल :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार, गैर-सरकारी असैनिक विमान कम्पनियों के विमान मार्गों को अपने हाथ में लेने के एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार प्रस्ताव को क्रियान्वित करने के लिए और समय सीमा निर्धारित करने का है ;

(ग) क्या गैर-सरकारी कम्पनियों के विमान मार्गों पर विमान चलाने के लिए सरकार एक और निगम बनाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) कोई भी प्राईवेट सिविल विमान कम्पनी इस समय किसी भी अनुसूचित हवाई परिवहन सेवा का परिचालन नहीं कर रही है। परन्तु, कुछ प्राइवेट कम्पनियां ऐसे स्थानों के बीच अनुसूचित सेवाओं का परिचालन कर रही हैं जहां इन्डियन एयरलाइंस द्वारा परिचालन नहीं किया जाता। ऐसे मार्गों को सरकारी अधिकार में लेने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

रिहायशी पब्लिक स्कूलों में दाखिले के लिए योग्यता छात्रवृति परीक्षा

1949. **श्री ई० के० नायनार :**
श्रीमती सुशीला गोपालन:
श्री के० रमानी :
श्री पी० पी० एस्थोस :

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सितम्बर, 1969 में रिहायशी पब्लिक स्कूलों में दाखिले के लिये योग्यता छात्रवृति परीक्षा में राज्य-वार तथा आयु-वर्ग-वार कुल कितने उम्मीदवार बैठे ;

(ख) राज्य-वार तथा आयु-वर्ग-वार कितने उम्मीदवार छात्रवृति के हकदार घोषित किए गए ;

(ग) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिये कोई कार्यवाही की है कि इंटरव्यु तथा योग्यता छात्रवृति परीक्षा में देख-रेख का स्तर देश भर में एक जैसा ही हो ;

(घ) यदि हां, तो कब और उसका ब्यौरा क्या है ;

(ङ) क्या चुने गये उम्मीदवारों की संख्या के मामले में विभिन्न राज्यों के बीच विषमता की ओर सरकार का ध्यान गया है ; और

(च) यदि हां, तो इस विषमता को दूर करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) और (ख). सूचना संलग्न विवरण में दी गई है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०—2767/70**]

(ग) जी हां।

(घ) से (च). 1961 में, जब से यह योजना परिशोधित रूप में शुरू की गई, इसमें पूर्ण एकरूपता ला दी गई है।

वर्तमान योजना में अंतिम परीक्षा में बैठने के लिये निर्धारित संख्या में परीक्षार्थियों की सिफारिशों के लिये प्राथमिक प्रवरण प्रत्येक राज्य/संघ क्षेत्रों की सरकारों द्वारा किया जाता, इस संख्या का सभी राज्यों/संघ क्षेत्रों के लिये एकरूपता के आधार पर निर्धारण किया जाता है। अंतिम प्रवरण केन्द्रीय सरकार द्वारा, एक जैसे प्रश्न पत्र (एक क्षेत्रीय भाषा के प्रश्न पत्र को छोड़ कर), उत्तर पुस्तकों को एक जैसा मूल्यांकन तथा वैसे ही राज्य शिक्षा सचिव अथवा शिक्षा निदेशक अथवा उसके नामजद का अध्यक्ष बना कर तथा एक मनोवैज्ञानिक और केन्द्रीय सरकार द्वारा मनोनीत एक साक्षात्कार समिति द्वारा, किया जाता है।

परीक्षा परिणाम को तैयार करने तथा अंतिम तालिकाबद्ध करने का कार्य भी केन्द्रीय होता है।

भारत के सभी निम्न आय वर्ग के प्रतिभा वाले विद्यार्थियों को चाहे वे किसी भी भाग के क्यों न हों उत्तम स्कूली सुविधायें प्रधान करने की यह राष्ट्रीय योजना है, इसका अंतिम निर्णय अखिल भारतीय आधार पर राज्य सरकारों की एजेन्सियों द्वारा बिल्कुल योग्यता को देखकर किया जाता है। यही इसका उद्देश्य है जिसका लक्ष्य बनाकर यह योजना क्रियान्वित की जा रही है।

पब्लिक स्कूलों में प्रवेश के लिये योग्यता छात्रवृत्तियों की संख्या में वृद्धि

1950. **श्री ई० के० नायनार :**
श्रीमती सुशीला गोपालन :
श्री वि० कु० मोडक :
श्री सी० के० चक्रपाणि :

क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को, पब्लिक स्कूलों में प्रवेश करने के लिए योग्यता छात्रवृत्तियों की

संख्या में वृद्धि करने के लिये कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) क्या सरकार योग्यता छात्रवृत्तियों की संख्या बढ़ाने की वांछनीयता पर विचार कर रही है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी हां, इस वर्ष के जनवरी मास में एक अभ्यावेदन मिला था ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

मनीपुर, हिमाचल प्रदेश दिल्ली तथा त्रिपुरा को राज्य का दर्जा देने की मांग

1951. **श्री ई० के० नायनार :**
श्री रघुबीर सिंह शास्त्री :
श्री एम० मेघचन्द्र :
श्री बे० कृ० दासचौधरी :
श्री किरित बिक्रम देव बर्मन :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनवरी के तीसरे सप्ताह में मनीपुर प्रादेशिक कांग्रेस समिति ने एक महीने के अन्दर मनीपुर को राज्य का दर्जा देने की मांग करते हुये उनके मंत्रालय में एक "अंतिम चेतावनी" (अल्टीमेटम) दी है ;

(ख) यदि हां, तो मनीपुर प्रादेशिक कांग्रेस समिति की मांग के बारे में केन्द्रीय सरकार का रवैया क्या है ;

(ग) क्या संघ राज्य क्षेत्रों के संसद् सदस्यों ने भी हिमाचल प्रदेश, दिल्ली तथा त्रिपुरा को पूरे राज्य का दर्जा देने की मांग की है ; और

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जनवरी के अंत में मनीपुर प्रदेश कांग्रेस समिति से एक ज्ञापन प्राप्त हुआ जिसमें केन्द्रीय सरकार से मनीपुर को राज्य का दर्जा तत्काल प्रदान करने के लिए अपनी स्वीकृति देने की घोषणा करने का अनुरोध किया गया था ।

(ख) और (ग). एक विवरण संलग्न है ।

(घ) सरकार ने इस सम्बन्ध में समाचार देखा है ।

विवरण

(ख) और (घ). जहां तक हिमाचल प्रदेश का सम्बन्ध है, इस वित्तीय स्थिति का अध्ययन किया जा रहा है । इस मामले पर हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंत्री के साथ नवम्बर, 1969 में विचार विमर्श हुआ था किन्तु किसी निर्णय पर पहुँचने से पहले और आगे विचार विमर्श आवश्यक होगा ।

मनीपुर तथा त्रिपुरा के लिए राज्य के दर्जे की मांग पर तभी विचार किया जा सकता है जब इन संघ राज्य क्षेत्रों के वित्तीय साधन अपने प्रशासनिक व्यय को पूरा करने के लिये पर्याप्त रूप से विकसित हो जाय। इस समय ये संघ राज्य क्षेत्र अपने योजनेतर राजस्व व्यय को पूरा करने के लिये भी काफ़ी हद तक केन्द्रीय सहायता पर निर्भर करते हैं।

दिल्ली को सन् 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के समय संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया था और देश की राजधानी के रूप में इसकी विशेष स्थिति के कारण इसको केन्द्र शासित क्षेत्र के रूप में रक्खा गया।

मनीपुर के एक गांव में अग्निकांड

1952. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 25 जनवरी, 1970 की रात को मनीपुर में 'माओ सब-डिवीजन के' मारम खुमाड ग्राम के सारे घर आग लग जाने के कारण नष्ट हो गये थे ;

(ख) यदि हां, तो आग लग जाने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या ग्रामवासियों ने सहायता के लिये मनीपुर सरकार को आवेदन पत्र भेजा है ; और

(घ) यदि हां, तो उससे प्रभावित व्यक्तियों को तथा जिनके मकान पूर्णतः नष्ट हो गये थे उनको क्या सहायता दी गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (घ). मनीपुर सरकार ने सूचित किया है कि 25 जनवरी, 1970 की रात को मनीपुर के माओ सब-डिवीजन के ग्राम "मारम खुमाड" में भीषण आग से 14 व्यक्तियों के घर नष्ट हो गये थे। मनीपुर सरकार प्रभावित व्यक्तियों को मुफ्त नगद सहायता देने के प्रश्न पर विचार कर रही है।

मनीपुर गांव के चौकीदार के वेतन में वृद्धि

1953. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मनीपुर संघ राज्य-क्षेत्र में ग्राम चौकीदारों के वेतन का पुनरीक्षण करने के मामले को अंतिम रूप दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो पुनरीक्षित वेतन कितना है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसे अंतिम रूप कब तक दिया जायेगा ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). ग्राम चौकीदार के अंशकालिक पद को 80-1-90-2-100-2, 50-3-130 रुपये के वेतनमान में पूर्णकालिक पद में बदलने के लिये अब आदेश जारी कर दिए गये हैं, देखिये गृह मंत्रालय का पत्र संख्या 8/3/69 एच० एम० टी० दिनांक 5 फरवरी, 1970 [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये** एल० टी० संख्या—2768/70]

मनीपुर के लिये खेलकूद 'स्टेडियम' का निर्माण

1954. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मनीपुर में एक खेल कूद स्टेडियम के निर्माण के लिए आवश्यक राशि मंजूर कर दी है ।

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि नियत की गई है तथा स्टेडियम का स्वरूप क्या है ;

(ग) क्या उसका निर्माण-कार्य आरम्भ कर दिया गया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी नहीं । (ख) से (घ). प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होते ।

सरकारी उपक्रमों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों की भर्ती संबंधित उच्च शक्ति प्राप्त समिति का प्रतिवेदन

1955. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी उपक्रमों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों की भर्ती करने वाले कार्यक्रम के पुनरीक्षण के लिये उनकी अध्यक्षता में नियुक्त उच्च शक्ति प्राप्त समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) उक्त समिति से कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अपेक्षा नहीं की गई है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों के लिये विदेशों में शिक्षा ग्रहण करने हेतु छात्रवृत्तियां

1956. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1968-69 में सरकार ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों द्वारा विदेशों में शिक्षा ग्रहण किये जाने हेतु छात्रवृत्तियां देने पर कितनी राशि व्यय की है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन) 4,16,712.50 रुपये ।

(चार लाख सोलह हजार, सात सौ बारह रुपये, पचास पैसे)

Effect of Lapse of Preventive Detention Act in States

1957. **Shri Prakash Vir Shastri :**
Shrimati Sharda Mukerjee :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether there are some States which have not enacted laws for the Preventive Detention and, if so, what is the effect of the detenues released in those States on the situation prevailing in those States ; and

(b) whether the situation is likely to deteriorate further as a result thereof in some border States ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b). States of Bihar, Gujarat, Haryana, Kerala, Tamil Nadu, Mysore, Nagaland, Punjab, Rajasthan, Uttar Pradesh and West Bengal have not, so far, enacted fresh legislation for Preventive Detention. Situation arising out of the lapse of the Preventive Detention Act is being carefully watched and utmost vigilance if being maintained.

Detection of Transmitters in Hyderabad

1958. **Shri Prakash Vir Shastri** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that certain transmitters were detected in Hyderabad some time back which had been sold out by certain Government Departments after declaring them unserviceable ;

(b) if so, whether mystery behind the deal has been revealed ; and

(c) the dates on which and the persons to whom these transmitters were sold and the number thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c). The Regional Research Laboratory at Hyderabad obtained one radio tronsmitter telephone, one radio modulator transmitter and two Becon trans receivers from National Physical Laboratory, New Delhi in 1963 for its use. They were disposed of in an auction on 25.11.1968. One Shri B. Chiranjivi purchased the above equipment and in turn sold them to M/s Lokula Kusumaiah and Brothers, Secunderabad on 26.11. 1968.

Propagation and Development of Hindi

1959. **Shri Prakash Vir Shastri** . Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether some more funds have been allotted in the Fourth Plan for the propagation and progress on Hindi ;

(b) if so, whether any scheme has been formulated as to the manner in which those funds would be spent ; and

(c) if so, the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan) : (a) to (c). A total allocation of Rs. 890 lakhs has been approved for the implementation of schemes for the propagation and development in Hindi in the Fourth Five Year Plan. A statement, showing the names of the Schemes together with the outlay approved for each scheme, is attached. [*Placed in Library. See* No. LT-2769/70].

Enquiry in Irregularities in C.S.I.R.

1960. **Shri Prakash Vir Shastri** : Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Committee appointed by Government to look into the irregularities prevailing in the Council of Scientific and Industrial Research has since finalised its report ;

(b) if so, the time by which the full report of the Committee would be laid on the Table of the House ;

(c) whether it is also a fact that efforts are being made to get some portions of the said report deleted and altered or to make them brief ; and

(d) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) Part-I of the Report has been submitted to the President, C.S.I.R. on 27.2.70.

(b) Part-I of the Report will be laid on the Table of the House very soon.

(c) The Government have no knowledge.

(d) Does not arise.

Presentation of Original Texts of Bills and Acts in Hindi in Parliament

1961. **Shri Prakash Vir Shastri** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the further progress made in regard to the presentation of original texts of Bills and Acts in Hindi in Parliament ;

(b) whether there are certain other hurdles in the way in addition to capacity of the Government Press for timely printing and availability of efficient staff for drafting Bills in Hindi ; and

(c) if so, the action being taken to remove these hurdles ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) To start with, it has been decided to informally operate on the basis that section 5(2) of the Official Languages Act has been enforced. The position will be reviewed after the current Budget Session of Parliament to decide as to when this section should be formally enforced. It is only after sufficient experience has been gained in complying with the requirements of this section that the question of providing for legislation being enacted both in Hindi and English can be further considered.

(b) and (c). Yes, Sir. A statement is annexed.

STATEMENT

(1) Authoritative Hindi translation of most of the Central Acts and Rules is not available. It would be anomalous if the amending Bill is introduced in Hindi of an Act of which no authorised translation in Hindi has been published.

Upto the end of February, 1970, the Official Language (Legislative) Commission had completed Hindi translation of 148 Central Acts. The Commission is working on an annual programme basis and it will take 3-4 years to bring out authorised Hindi translation of all the remaining Central Acts.

(2) Adequate stock of legal expressions in Hindi to convey complex ideas in the form of Bills is not available in finalised form. Therefore, if Parliament, were to start legislating in Hindi, in addition to English, then if subsequently the Official Language (Legislative) Commission adopt a different word or expression to convey a particular meaning, it would require amendment to the Hindi version of the Acts on each such occasion.

The Hindi equivalents of English terms and expressions occuring in the Hindi texts of Central Acts settled by the Official Language (Legislative) Commission upto the end of 1969 have been consolidated and a Glossary so prepared has been revised and is to be published shortly. A compendium of drafting clauses and expressions in Hindi has been published. Further work in this direction is still to be done and this will also take some time.

(3) As Hindi drafting is not yet in vogue, in spite of the care of the Draftsman in preparing the Hindi version of any Bill, the meaning that may be assigned by the court in interpreting a particular provision in the Hindi version of the Act may be different from the one assigned by the Court to the corresponding provision in the Englisn version. In such a situation, it may well nigh be impossible to resolve the conflict, unless it is provided by law that the text in a particular language will be the authoritative version.

Arrangements are being made to provide skills in original drafting of Bills in Hindi and accuracy in Hindi translation by imparting training to Draftsman and Translators. For this a scheme is being worked out. In due course of time Hindi legal terminology to be used in almost all the important Central Acts will be fairly well settled. The possibility of conflict in interpretting the texts of a law in two different languages would be considerably reduced by having skilled and trained draftsman, giving finality to the glossary and having uniform drafting clauses for Hindi legal drafting. Advantage may also be taken of the practice followed in the countries using more than one language in legislation.

प्रादेशिक इंजीनियरी कालेज दुर्गापुर के छात्रों को सुविधायें देने के लिये नियत की गई धन राशि का दुर्विनियोग

1962. **श्री सीता राम केसरी** : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रादेशिक इंजीनियरी कालेज, दुर्गापुर के छात्रों को कुछ सुविधायें देने के लिये धन राशि नियत की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस उद्देश्य के लिये नियत धन राशि का इस्तेमाल कर लिया गया है और उसे अन्य प्रयोजनों पर खर्च किया गया है ;

(ग) क्या छात्रों तथा कर्मचारियों में असंतोष का एक कारण इस राशि का दुर्विनियोग किया जाता है ;

(घ) क्या कर्मचारी संघ ने कालेज के मामलों की जांच कराने की मांग की है ;

(ङ) क्या कालेज द्वारा रखे गये छात्रों के 'मैस' के लेखों का न तो छात्रों को दिखाया जाता है और न ही कालेज के लेखा परीक्षकों द्वारा उनकी वर्षवार जांच पड़ताल की जाती है ; और

(च) यदि हां, तो सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार पश्चिम बँगाल सरकार ने हाल ही में कालेज को, खेल के मैदान बनाने के लिये 10,000 रुपया स्वीकृत किया है ।

(ख) और (ग). राज्य सरकार के अनुदान के दुर्विनियोग और छात्रों तथा कर्मचारियों में, इस कारण से असंतोष के बारे में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है ।

(घ) ऐसा पता चला है कि कर्मचारी संघ ने, कालेज के मामलों की जांच की मांग की है ।

(ङ) कालेज का मैस, छात्रों द्वारा चलाया जाता है और उसके हिसाब किताब का रख रखाव तथा जांच छात्र मैस समिति द्वारा किया जाता है ।

(च) उपर्युक्त (ङ) में उल्लिखित स्थिति के कारण, प्रश्न नहीं उठता ।

प्रादेशिक इंजीनियरी कालेज, दुर्गापुर के 'मैस' कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

1963. **श्री सीता राम केसरी** : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि होस्टल के 'मैस' कर्मचारियों द्वारा की गई हड़ताल के कारण प्रादेशिक इंजीनियरी कालेज, दुर्गापुर बन्द कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो कब से ;

(ग) इसके परिणामस्वरूप कितने छात्रों पर प्रभाव पड़ा है ;

(घ) कितने मैस कर्मचारियों ने काम बन्द कर दिया है ; और

(ङ) पुनः सामान्य स्थिति बनाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है और वर्तमान स्थिति क्या है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख). जी हां ।

हड़ताल के कारण, कालेज 8-1-1970 से 14-2-1970 तक बन्द रहा था ।

(ग) लगभग 1050 छात्रों पर प्रभाव पड़ा ।

(घ) लगभग 149 व्यक्तियों ने ।

(ङ) मांगों के बारे में समझौते होने के फलस्वरूप कर्मचारियों ने हड़ताल वापिस ली थी और कालेज 15-2-1970 से फिर खुल गया है ।

चौथी कक्षा के बाद शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की प्रतिशतता में कमी

1964. **श्री सीता राम केसरी** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पांचवी श्रेणी तक शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की प्रतिशतता में कमी आई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उन कारणों की जांच की है जिसके कारण विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ती है ;

(ग) तीन वर्षों में कितने प्रतिशत विद्यार्थियों ने चौथी श्रेणी पास करने के बाद अपनी पढ़ाई छोड़ दी ; और

(घ) सरकार का समूचे देश में एक निश्चित स्तर तक अनिवार्य शिक्षा लागू करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) और (ग). सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है और एकत्र की जा रही है ।

(ख) जी हां । राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् ने प्राथमिक स्कूलों में होने वाली व्यर्थता और निश्चलता के सम्बन्ध में कुछ अध्ययन किया है । छोड़ने का प्रमुख कारण सामाजिक तथा आर्थिक पिछड़ापन पाया गया है।

(घ) शिक्षा एक राज्य-विषय है । बहुत सी राज्य सरकारों ने अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के लिए अधिनियम बनाएं हैं । देश की विद्यमान सामाजिक तथा आर्थिक परिस्थितियों में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा को लागू करना कठिन है । इसकी वजाय राज्य सरकारों द्वारा दोपहर के भोजन की योजना जैसी प्रेरक व्यवस्था करने तथा समझाने बुझाने के जरिए समुचित उपस्थिति को सुनिश्चित करने के प्रयत्न किए जा रहे हैं ।

तेलंगाना क्षेत्र को अधिक स्वायत्तता

1965. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र के बारे में वांचू समिति और भार्गव समिति की सिफारिशों को कहां तक कार्यान्वित किया गया है ;

(ख) क्या सरकार का विचार तेलंगाना क्षेत्र को अधिक स्वायत्तता देने का है ; और

(ग) यदि हाँ, तो इसका स्वरूप क्या होगा ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). वांचू समिति द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसरण में सरकार ने 'तेलंगाना क्षेत्र में राज्य सरकार के अधीन अधीनस्थ सेवाओं तथा पदों के लिए नियुक्तियां करने में अपनाये जाने वाली नियुक्ति की विधियों तथा सिद्धांतों' को क्षेत्रीय समिति के अधिकार क्षेत्र में लाने का निश्चय किया है । तेलंगाना क्षेत्र में राज्य सरकार, अर्ध सरकारी संस्थानों, सांविधिक प्राधिकरणों और निगमित निकायों के अधीन

तेलंगाना के लोगों के लिए उपयुक्त नियोजन अवसर प्राप्त करने के लिए उपायों का सुझाव देने हेतु समिति को शक्तियां भी दी जायेंगी। समिति को इस सिफारिश पर कि तेलंगाना में अधीनस्थ सेवाओं में भरती को विकेन्द्रीकृत कर दिया जाय, क्षेत्रीय समिति के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है। आयाधिक्य के बारे में भार्गव समिति की सिफारिश मान ली गई है और चालू योजना अवधि के दौरान तेलंगाना क्षेत्र के त्वरित विकास के लिए उपायों की व्यवस्था की जा रही है। इन मामलों और क्षेत्रीय समिति की शक्तियां बढ़ाने के सम्बन्ध में सरकार के निर्णय 18 फरवरी, 1970 को जारी की गई प्रेस-विज्ञप्ति में घोषित किये गये थे।

Limit on Number of Students in One Class

1966. **Shri Candrika Prasad :** Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that with a view to removing unemployment among educated youths, some States have implemented the scheme that there should not be more than 30 students in one class ; and

(b) if so, whether the Central Government propose to recommend the implementation of the said scheme in each State ?

The Minister of State in the Ministry of Education and and Youth Services (Shri Bhakt Darshan) : (a) The Government is not aware of any such scheme.

(b) Does not arise. It may, however, he explained that due to financial stringency, States are not able to create additional posts required even for a teacher-pupil ratio of 1 : 40 in primary and secondary schools.

सीमा सुरक्षा दल द्वारा चीनी राष्ट्रिकों की गिरफ्तारी

1967. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दो चीनी राष्ट्रिकों को, जिनके बारे में कहा गया है कि वे सीमा पार करके पूर्वी पाकिस्तान से पश्चिम बंगाल में आ गये थे, सीमा सुरक्षा दल द्वारा 17 जनवरी, 1970 को बशिरहाट (पश्चिम बंगाल) के निकट घोजाडंगा में गिरफ्तार किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). भारत (कलकत्ता) में पंजीकृत चीनी मूल के दो व्यक्ति, जो पहले चोरी-छिपे पूर्वी पाकिस्तान को चले गये थे, पूर्वी पाकिस्तान से भारत में वैध यात्रा दस्तावेजों बगैर प्रवेश करते समय घोजाडंगा, थाना बशीरहाट, पश्चिम बंगाल में 7 जनवरी, 1970 को (न कि 17 जनवरी, 1970 को) गिरफ्तार किये गये थे।

(ग) कानून के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

सेना के एक जनरल को मिजो पहाड़ी जिले में आयुक्त के पद पर नियुक्त करना

1968. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ख) क्या यह सच है कि सरकार ने आसाम के मिजो पहाड़ी जिले में, जहां प्रायः गड़बड़ी

होती रहती है वर्तमान असैनिक अधिकारी के स्थान पर सेना के एक सक्रिय जनरल को नियुक्त करने का निर्णय किया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि सामान्य काल में असैनिक प्रशासन का कार्यभार सेना के एक सक्रिय अधिकारी को सौंपना भारत के इतिहास में पहला उदाहरण है ;

(ग) क्या भारत सरकार से इस मामले में परामर्श किया गया था ; और

(घ) यदि हां, तो इसकी क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं, श्रीमान्,

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठता ।

समुद्र पार व्यापार में भारतीय नौवहन का हिस्सा

1969. **श्रीमती इला पालचौधरी** : **श्री ज्योतिर्मय बसु** :

श्री मुहम्मद शरीफ :

क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्व के कुल माल बहन में भारतीय नौवहन का हिस्सा, जो 1966 तक के वर्षों में तेजी से बढ़कर 1.05 प्रतिशत हो गया था, जुलाई, 1969 में लगभग स्थिर अर्थात् 1.06 प्रतिशत था ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि भारत का केवल 18 प्रतिशत समुद्र-पार व्यापार इस समय अपने जहाजों से होता है, हालांकि दस लाख जी०आर०टी० से अधिक नौवहन टन भार वाले प्रथम 23 देशों में भारत का स्थान 17वां है ; और

(घ) यदि हां, तो भारत के समुद्रपार व्यापार में भारतीय नौवहन का हिस्सा बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

संसद-कार्य विभाग और नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) अनुमान है कि माल (वहन कैरिज आफ कार्गो से तात्पर्य नौ टन भार शिपिंग टनेज) से है। यदि ऐसा है तो इस भार का उत्तर स्वीकारात्मक है ।

(ख) प्रतिशत के इतना कम होने का कारण यह है कि स्पष्टतः भारत के नौ टन भार में बहुत वृद्धि हुई है परन्तु विश्व का कुल टन भार में भी बड़ी शीघ्रता से वृद्धि हुई है । उदाहरण के लिए, 1959 में भारतीय टन भार 10.13 लाख जी०आर०टी० जो कुल मिलाकर 124.935 मीलियन जी०आर०टी० विश्व टन भार का 0.6 प्रतिशत था । दस वर्ष की अवधि में भारतीय टनभार बढ़कर दूना हो गया और अब 22.79 लाख जी०आर०टी० है । परन्तु वह कुल विश्व टनभार, जो बढ़कर 211.66 मीलियन जी०आर०टी० हो गया है, का अभी केवल 1 प्रतिशत है । भारतीय टनभार के विस्तार की गति और तेज संभव नहीं हो पाई है क्योंकि साधनों की और विशेष रूप से विदेशी मुद्रा की कमी है ।

(ग) जी हां। 1968-69 में भारत का समुद्र भार गामी व्यापार का लगभग 18.29 प्रतिशत भारतीय जहाजों द्वारा ले जाया गया।

(घ) भारतीय जहाजों द्वारा भारत से समुद्र पार के व्यापार का और अधिक भाग ले जा सकने के लिए किया गया सबसे महत्वपूर्ण उपाय भारत के समुद्र पार गामी नौ टन भार का विस्तार करना है। इस अर्जन की गति संतोषजनक रही और तीसरी योजना के आरम्भ में 1-4-1961 को जो समुद्र पार गामी टन भार 5.65 लाख जी०आर०टी० था वह अब 19.75 लाख जी०आर०टी० है। इस दिशा में सरकार द्वारा किये गये कुछ अन्य उपाय नीचे दिये जा रहे हैं :—

(1) विदेशी लाइनर सम्मेलनों और दर समझौतों में प्रविष्ट होने में भारतीय जहाजी कम्पनियों की सहायता करना।

(2) विदेशी देशों अर्थात् यू०एस०एस०आर०, पोलैन्ड, यू०ए०आर० और जी०डी०आर० के साथ द्विपक्षीय जहाजी समझौते करना।

(3) भारतीय जहाजों को सरकारी माल और सरकारी निमंत्रण का माल प्राप्त करने में सहायता देना।

(4) भारतीय जहाजी कम्पनियों को नये जहाजी मार्गों में प्रविष्ट करने के लिए प्रोत्साहित करना।

प्रकाशनों को एयर इंडिया द्वारा परिवहन/सेवा ठेके दिया जाना

1970. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में किन प्रकाशनों को एयर इंडिया द्वारा परिवहन/सेवा ठेके दिये गये थे ;

(ख) ऐसा ठेका दिये जाने की शर्तें क्या हैं ; और

(ग) इनमें से प्रत्येक पत्रिका अथवा स्मारिका को कितनी बार ठेके प्राप्त हुए ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ग). अपेक्षित सूचना दिखाने वाला एक विवरण संलग्न है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये** संख्या एल०टी०—2770/70]

(ख) किसी प्रकाशन के साथ परिवहन/सेवा सम्बधी ठेका करने से पूर्व एयर-इंडिया द्वारा निम्न बातों को ध्यान में रखा जाता है :—

(i) प्रकाशनों में विज्ञापन से कार्पोरेशन को कितना वाणिज्यिक लाभ प्राप्त होगा।

(ii) प्रकाशक और/अथवा प्रकाशनों के न्यासधारी (ट्रस्टीज) एयर-इंडिया के लिए कितना संभावित यातायात उत्पन्न करने में समर्थ हैं।

(iii) क्योंकि एयर-इंडिया ललित कलाओं की उन्नत्ति में अत्यधिक रुचि रखता है, अतः इन कलाओं के प्रोत्साहन में अभिरुचि रखने वाले प्रकाशनों में भी विज्ञापन-स्थान लिये जाते हैं।

कार निकोबार के सार्वजनिक कार्य यूनियन से प्राप्त अभ्यावेदन

1971. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कार निकोबार के सार्वजनिक कार्य यूनियन से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जो कि स्थानीय अधिकारियों द्वारा सरकारी कर्मचारियों की सेवाओं तथा सरकारी वाहनों के दुरुपयोग करने के बारे में है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) अंदमान निकोबार प्रशासन ने अभ्यावेदन में निहित आरोपों की जांच कराई थी। जांच अधिकारी ने पाया कि आरोप साबित नहीं हुए।

उपाधि प्राप्तकर्ताओं के विरुद्ध जांच

1972. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पद्म विभूषण, पद्म भूषण तथा पद्मश्री जैसी उपाधियों के प्राप्त कर्ताओं के विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो/विशेष पुलिस संस्थान द्वारा कोई जांच/छानबीन की जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो उन व्यक्तियों के नाम क्या हैं और जांच के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार ऐसे व्यक्तियों से ये उपाधियां वापस लेने के बारे में विचार कर रही है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठता।

मरम्मत की गई बैटरियों का कैरेवेल विमानों में प्रयोग

1973. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सान्ताक्रुज के इण्डियन एयरलाइन्स के मुख्य निरीक्षक ने कैरेवेल विमानों में मरम्मत गई बैटरियों के प्रयोग की अनुमति के लिए कभी 1966 में वैमानिक-निरीक्षण नियंत्रक, बम्बई, को अभ्यावेदन दिया था ;

(ख) यदि हां, तो वैमानिक निरीक्षण नियंत्रक को दिये गये अभ्यावेदन का स्वरूप क्या है ;

(ग) क्या नियंत्रक द्वारा मरम्मत की गई बैटरियों का कैरेवेल विमानों में प्रयोग करने की अनुमति दी गई थी ; और

(घ) क्या मरम्मत की गई किसी बैटरी का कैरावेल विमान में उपयोग किया गया था ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) 1966 मई में इंडियन एयरलाइन्स, बम्बई, के स्थानापन्न मुख्य इंजीनियर ने वैमानिक निरीक्षण नियंत्रक, बम्बई, से कारवेल विमानों में मरम्मत की गई (खिलेमड) बैटरियों के प्रयोग के लिए अनुमति मांगी।

(ख) उनका सुझाव बैटरियों को 'डिस्टिल्ड वाटर' द्वारा धोने के पश्चात उन्हें पुनः चार्ज करने की प्रक्रिया द्वारा 'रिक्लेम' करने का था।

(ग) वैमानिक-निरीक्षण नियंत्रक, बम्बई, द्वारा उन्हें सशर्त अनुमति प्रदान की गई, और फिर से चार्ज की गई बैटरियों के तीन सेटों का परीक्षण के तौर पर जमीन पर रहते हुए विमान इंजन को चालू करने के लिए प्रयोग किया गया। ये परीक्षण असफल रहे और आगे के प्रयोग त्याग दिये गये क्योंकि विमान में 'पावर की असफलता से विमान की सुरक्षा भयंकर खतरे में पड़ सकती है।

(घ) जी नहीं।

भारत में विदेशी एयरलाइनों द्वारा जम्बो जैट विमान सेवा का लागू किया जाना

1974. **श्री स० चं० सामन्त** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्य देशों अथवा एयरलाइनों से, जिन्होंने अपनी वाणिज्यिक विमान सेवाओं में जम्बो जैट विमान सेवा आरम्भ करने का निर्णय किया है, कोई करार किये गये हैं ;

(ख) जम्बो जैट विमान सेवा के प्रयोजक प्रत्येक देश अथवा एयरलाइन के बारे में भारत से बाहर उड़ानों की शर्तें क्या हैं ;

(ग) क्या भारत में विभिन्न हवाई अड्डों का विस्तार करने, उनके फिर से बनाने तथा उनमें अन्य प्रबन्ध करने पर होने वाले खर्च का कोई अंश विदेशी एयरलाइनों अथवा सरकार द्वारा सेवा आरम्भ करने पर उनके द्वारा किया जायेगा ; और

(घ) यदि नहीं, तो जब तक भारत यह सेवा आरम्भ नहीं करता है, तब तक यदि कोई आय हुई, तो उसमें भारत का कितना भाग होगा ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). जिन देशों की हवाई कम्पनियां भारत से होकर परिचालन करती हैं उन सब देशों के साथ हवाई करार/व्यवस्थायें की गई हैं। क्योंकि ये सब पारस्परिक आधार पर हैं, इनकी शर्तें प्रत्येक देश के साथ पृथक-पृथक हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

प्रधान मंत्री के किसी राज्य के दौरे से पूर्व उसके मुख्य मंत्री से परामर्श

1975. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या गृह कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री ने सार्वजनिक रूप से यह कहा था कि हाल में अधिकांश अवसरों पर प्रधान मंत्री की उत्तर प्रदेश की यात्रा को अन्तिम रूप देने से पूर्व उनसे परामर्श नहीं किया गया था ;

(ख) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर 'हां' तो क्या उनके वक्तव्य सच हैं ;

(ग) क्या यह एक सामान्य प्रथा है कि राज्य के मुख्य मंत्री से प्रधान मंत्री के उनके राज्य के यात्रा कार्यक्रम को अन्तिम रूप देने से पूर्व परामर्श किया जाये ; और

(घ) यदि उपरोक्त भाग (ख) और (ग) के उत्तर 'हां' हों तो प्रधान मंत्री के उनके राज्य में यात्रा कार्यक्रमों को अन्तिम रूप देने से पूर्व उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री से परामर्श न किये जाने के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) सरकार ने इस सम्बन्ध में समाचार देखे हैं ।

(ख) यद्यपि उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्य मंत्री से प्रधान मंत्री के यात्रा कार्यक्रमों को अन्तिम रूप देने से पहले इस प्रकार का परामर्श नहीं किया गया था फिर भी, यात्रा कार्यक्रमों की सूचना उन्हें समय से बहुत पहले दी गई थी ।

(ग) और (घ). यदि राज्य का मुख्य मंत्री प्रधान मंत्री को राज्य से सम्बन्धित किसी समारोह में आमंत्रित करता है अथवा मुख्य मंत्री राज्य में आने के लिए प्रधान संत्री को आमंत्रित करता है तो यात्रा-कार्यक्रमों को अंतिम रूप देने से पहले राज्य के मुख्य मंत्री से परामर्श करने की सामान्य प्रथा है । जब दौरा पार्टी या गैर-सरकारी उद्देश्य के लिए होता है तो मुख्य मंत्री अथवा राज्य सरकार को सामान्यत: सूचित किया जाता है और यात्रा कार्यक्रमों को अंतिम रूप देने से पहले उनसे परामर्श नहीं किया जाता है ।

संसद् के सत्र का सप्ताह के आरम्भ के बजाय सप्ताह के अन्त में प्रारम्भ होना

1976. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या संसद्-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पहले, संसद् का प्रत्येक सत्र सप्ताह के आरम्भ में प्रारम्भ होता रहा है और न कि सप्ताह के अन्त में जैसा कि वर्तमान सत्र प्रारम्भ हुआ है ;

(ख) क्या उन्हें पता है कि चालू सत्र आरम्भ होने की तिथि में परिवर्तन कर दिये जाने के कारण संसद् सदस्य सत्र के आरम्भ होने के दिन राष्ट्रपति का अभिभाषण सुनने के बाद शुक्रवार और शनिवार (21 तथा 22 फरवरी) के लिये दैनिक भत्ते के हकदार होंगे तथा इस का अर्थ सरकारी कोष से 70,000 रुपये खर्च करना होगा ; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) और (ख) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो सरकार पर इस खर्च का जिस को बचाया जा सकता था भार लादे जाने के क्या कारण हैं ?

संसद्-कार्य और नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघु रामैया) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). भाग (क) के उपर्युक्त उत्तर को ध्यान में रखते हुए, इनका प्रश्न ही नहीं उठता।

भारतीय असैनिक अधिकारियों को सरकार की विचारधारा के अनुकूल करना

1977. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :**
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 16 जनवरी, 1970 के "इकानामिक टाइम्स" में "दि सिविल सर्वेंट" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित हुए इस सम्पादकीय की ओर दियाया गया है जिसमें कुछ वरिष्ठ केन्द्रीय मंत्रियों के उन वक्तव्यों का उल्लेख किया गया है जिन में उन्होंने यह मत प्रकट किया है कि भारतीय असैनिक अधिकारियों तथा सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं के प्रभारी अधिकारियों को वर्तमान की तरह तटस्थ रहने की बजाये एक विचारधारा से सम्बद्ध होना चाहिए ;

(ख) क्या यह इस विषय पर सरकार के मत का परिचायक है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उक्त विचार सम्बन्ध में सरकार का क्या मत है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) से (ग). उक्त सम्पादकीय की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है। सम्पादकीय में असैनिक अधिकारियों की भूमिका के सम्बन्ध में खाद्य, कृषि, सहकारिता तथा सामुदायिक विकास मंत्री श्री जगजीवन राम तथा प्रधान मंत्री के वक्तव्यों पर, जैसा कि समाचारपत्रों में बताया गया था, कुछ टीका-टिप्पणी की गई है। 28 दिसम्बर, 1969 को बम्बई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 73वें पूर्ण अधिवेशन में अपना अध्यक्षीय भाषण देते हुए श्री जगजीवन राम ने अन्य बातों के साथ-साथ प्रजातंत्र, समाजवाद तथा धर्मनिरपेक्षता के आदर्श, जो भारत के संविधान में एक प्रतिष्ठापित आदर्श हैं, के लिए वचनवद्ध असैनिक सेवा की आवश्यकता पर बल दिया। जहां तक प्रधान मंत्री के वक्तव्य का सम्बन्ध है, प्रधान मंत्री इंजीनियर संस्थान, कलकत्ता के स्वर्ण जयन्ती समारोह में 5 फरवरी 1970 को अपने अभिभाषण में मामले का अब स्पष्टीकरण दे चुकी हैं। जो इस प्रकार है :—

> "अभी हाल में मेरे इस कथन का कि हमें वचनबद्ध सरकारी कर्मचारियों की आवश्यकता है शायद जान बूझ कर उल्टा अर्थ निकाला गया कि मैं चाहती हूं कि असैनिक कर्मचारियों को मेरा अथवा मेरी राजनैतिक विचारधारा का समर्थन करना चाहिए। इसके विपरीत, मैं नहीं चाहती कि असैनिक कर्मचारी राजनीति के अनुरूप या उसके पराधीन हों। उनका काम स्पष्ट सलाह देना है किन्तु, उनको राज्य के उन उद्देश्यों के प्रति जो संसद् द्वारा अनुमोदित किये गये हैं, वचनबद्धता महसूस करनी चाहिए। उनको उन कार्यक्रमों में निष्कपट विश्वास होना चाहिए जिनका वे संचालन करते हैं।

ऐसा अधिकारी जिसका धर्म निरपेक्षता में सक्रिय विश्वास नहीं है वह साम्प्रदायिक समस्या से नहीं निबट सकता। हम सब को देश के विकास के प्रति वचनबद्ध होना चाहिए तथा हम सब में अपने सभी व्यक्तियों के कल्याण में व्यक्तिगत रूप से अन्तर्ग्रस्त होने की भावना होनी चाहिए।"

दिल्ली परिवहन उपक्रम के मामलों का प्रबन्ध करने के लिए सांविधिक निकाय

1978. **श्री गाडिलिंगन गौड़** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में दिल्ली परिवहन उपक्रमों के मामलों का प्रबन्ध करने के लिए एक सांविधिक निकाय नियुक्त करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और यह निकाय कब कार्य आरम्भ कर देगा ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

शान्ति सेना का बनाया जाना

1979. **श्री गाडिलिंगन गौड़** : क्या **गृह कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री जय प्रकाश नारायण ने हाल में सुझाव दिया है कि साम्प्रदायिकता का मुकाबला करने तथा जनता के साथ होने वाले अन्याय को रोकने के लिए एक विशाल "शान्ति सेना" बनाई जाये ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) सरकार ने इस सम्बन्ध में समाचार रिपोर्टें देखी हैं।

(ख) सरकार साम्प्रदायिकता का सामना करने तथा राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के सभी उपायों का स्वागत करती है।

नागपुर बन्द

1980. **श्री गाडिलिंगन गौड** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पृथक विदर्भ राज्य की मांग पर सरकार का ध्यान केन्द्रित करने के लिए 17 नवम्बर, 1969 को नागपुर बन्द के लिए महा विदर्भ राज्य संघर्ष समिति के आवाहन पर नागपुर में सभी दुकानें, कारोबारी संस्थान तथा अधिकांश शैक्षणिक संस्थायें बन्द रही थीं ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : सरकार को एक पृथक विदर्भ राज्य के समर्थन ने 17 नवम्बर, 1969 को महा विदर्भ राज्य संघर्ष समिति द्वारा आयोजित नागपुर बन्द के बारे में जानकारी है।

(ख) इस प्रश्न पर कि क्या विदर्भ का एक पृथक राज्य बनाया जाय अथवा महाराष्ट्र का एक भाग रहे, राज्यों के पुनर्गठन के समय केन्द्रीय सरकार तथा संसद् द्वारा सावधानी से विचार किया गया था और विदर्भ को पहले बम्बई के संयुक्त राज्य में तथा बाद में महाराष्ट्र राज्य में सम्मिलित करके इस मामले को अन्तिम रूप से निपटा दिया गया था। सरकार इस प्रश्न को पुनः नहीं खोलना चाहती।

नई दिल्ली में सरकारी कालोनियों में समाज सदनों का दुरुपयोग

1982. **श्री बलराज मधोक** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय के उप-सचिव (कल्याण) द्वारा मनोनीत दिल्ली में विभिन्न सरकारी बस्तियों में गृह-कल्याण केन्द्रों के अधीन समाज सदनों के प्रभारी लोगों द्वारा रात के समय उन सदनों का जुआ खेलने तथा मदिरा पीने के लिए प्रयोग किया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो इस विषय में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ताकि भविष्य में समाज सदनों का ऐसे प्रयोजनों के लिये प्रयोग न किया जा सके ;

(ग) गृह कल्याण केन्द्र के अधीन विभिन्न समाज सदनों के चौकीदारों को 60 रुपये और 100 रुपये के बीच मासिक मानदेय देने तथा उन्हें चतुर्थ श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों वाले नियमित वेतन तथा भत्ते न देने के क्या कारण हैं जबकि वे गत 10 वर्षों से निरन्तर कार्य कर रहे हैं और उन्हें 24 घंटे का नौकर माना जाता है ; और

(घ) इन चौकीदारों की आर्थिक दशा को सुधारने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है जिससे वे इन समाज सदनों में कोई बुरे कार्य होने देने के लिये प्रलोभन में न पड़ने पायें ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी : (क) जी नहीं, श्रीमान्। समाज सदनों का प्रयोग टेलीवीज़न केन्द्र, पुस्तकालय तथा वाचनालय, व्यायामशाला, बच्चों के लिए शिशुगृह, नर्सरी स्कूल, सिलाई कक्षा, संगीत कक्षा, घर के अन्दर खेले जाने वाले खेलों, केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों जैसी सुविधाएं प्रदान करने के लिए किया जाता है। समाज सदनों का प्रयोग जुआ खेलने तथा मदिरा पीने के लिए नहीं किया जाता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ). चौकीदार 60 रुपये और 100 रुपये के बीच मासिक मानदेय प्राप्त करते हैं। उन्हें निःशुल्क आवास तथा शीतकालीन व ग्रीष्मकालीन वर्दियां दी जाती हैं। उन्हें एसोसिएशनों द्वारा सौंपे गये कार्य, जैसे कुर्सियां लगाने, दरियां बिछाने और सभाओं, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, इत्यादि में सहायता करने, इत्यादि के लिए पारिश्रमिक भी प्राप्त करने दिया जाता है। यद्यपि, एक चौकीदार की पहरा व निगरानी ड्यूटी सभी 24 घंटे की होती है तथापि, वास्तव में उसे सदन में होने वाले कार्यक्रमों के सम्बन्ध में काम करने के लिए सीमित घंटों के लिए बुलाया जाता है। चौकीदारों के मानदेय में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कल्याण संघ

1983. **श्री बलराज मधोक** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सेक्टर दो रामकृष्णपुरम नई दिल्ली के चतुर्थ श्रेणी सरकारी कर्मचारी कल्याण संघ के पदाधिकारियों के चुनाव के बारे में कोई विवाद है जो अप्रैल, 1969 से विवादग्रस्त है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि गत वर्ष के पदाधिकारियों से कार्यभार लेने के लिये नव-निर्वाचित पदाधिकारियों ने न्यायालय में मुकदमा किया है और यदि हां, तो अप्रैल,1969 के पश्चात् इन 10 महीनों की अवधि में भी उक्त विवाद को हल करने के लिये कल्याण विभाग द्वारा कोई रूचि न ली जाने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि नव-निर्वाचित पदाधिकारियों तथा सेक्टर दो के अनेक निवासियों ने पुराने पदाधिकारियों द्वारा धन के गबन के बारे में अनेक शिकायतें तथा अभ्यावेदन भेजे हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उनके मंत्रालय को अब तक प्राप्त हुई शिकायतों तथा अभ्यावेदनों का ब्यौरा क्या है और उन पर सरकार का शीघ्र क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) विवाद के पक्षों में से एक पक्ष ने वर्तमान पदाधिकारियों को स्वयं को पदाधिकारियों के रूप में प्रस्तुत करने से रोकने तथा उनसे कार्यभार लेने के लिए न्यायालय में एक मुकदमा दायर किया है । यह कहना सही नहीं है कि विवाद को हल करने में इस मंत्रालय ने कोई रूचि नहीं ली । इस कालोनी के निवासियों के कल्याण के हित में लड़ने वाले पक्षों में समझौता कराने के लिए सतत प्रयास किये जा रहे हैं ।

(ग) और (घ) . कालोनी के अनेक निवासियों द्वारा हस्ताक्षरित एक संयुक्त अभ्यावेदन समेत कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ पदाधिकारियों द्वारा धन के गबन करने के आरोप लगाए गये हैं । लगाये गये आरोपों और उन पर टिप्पणियों का एक विवरण संलग्न है । इस ऐसोसिएशन द्वारा निर्धारित प्रोफार्मों में वाउचरों तथा अन्य दस्तावेजों द्वारा समर्थित लेखा-जोखा इस मंत्रालय में संवीक्षा के लिए भेजा गया था । इस लेखे-जोखे की भेजे गए वाउचरों तथा तन्य ब्यौरों के सन्दर्भ में जांच की गई थी और पता चला कि गबन के आरोपों में कोई तथ्य नहीं हैं । [**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये** संख्या एल० टी०—2771/70]

दिल्ली के कालेजों में राष्ट्रीय छात्र सेना दल के स्थान पर राष्ट्रीय सेवा योजना का आरम्भ किया जना

1984. **श्री बलराज मधोक** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के कालेजों में राष्ट्रीय छात्र सेना दल के स्थान पर राष्ट्रीय सेवा योजना आरम्भ की गई है ; और

(ख) यदि हाँ, तो छात्रों की इस योजना के प्रति अब तक कैसे रूचि रही है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) राष्ट्रीय सेवा योजना मूलत: डिग्री पाठ्यक्रम के पहले दो वर्षों में शिक्षा पा रहे युवक छात्रों के लिये राष्ट्रीय छात्र सेवा दल के विकल्प के रूप में आरम्भ करने के उद्देश्य से बनाई गई थी। संसाधनों की कमी के कारण इस कार्यक्रम को स्वैच्छिक तथा चयनात्मक आधार पर क्रियान्वित करने का निर्णय किया गया है। राष्ट्रीय छात्र दल योजना, जो पहले से चल रही है, जारी रहेगी।

राष्ट्रीय सेवा योजना दिल्ली विश्वविद्यालय सहित 40 विश्वविद्यालय में डिग्री कक्षाओं के पहले दो वर्षों के छात्रों के लिये अक्तूबर, 1969 से आरम्भ की गई है।

(ख) छात्रों ने इसमें आशाजनक उत्साह दिखाया है।

पंजाब विश्वविद्यालय तथा अलीगढ़ विश्वविद्यालय की टीमों के मैच के समय दर्शकों तथा गैर-मुस्लिम विद्यार्थियों पर आक्रमण

1985. **श्री बलराज मधोक** : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब विश्वविद्यालय तथा अलीगढ़ विश्वविद्यालय की टीमों के मैच के समय अलीगढ़ विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने ड्यूटी दण्डनायक सहित दर्शकों तथा गैर-मुस्लिम विद्यार्थियों पर घातक शस्त्रों के साथ आक्रमण किया था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि अलीगढ़ विश्वविद्यालय में इस प्रकार की यह पहली घटना नहीं है ; और

(ग) यदि हां, तो अलीगढ़ विश्वविद्यालय को सुधारने और वहां पर ऐसी साम्प्रदायिक तथा भारत-विरोधी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) से (ग).राज्य सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और विवरण सभा पटल पर यथा शीघ्र रख दिया जाएगा।

सरकारी कामकाज के लिए हिन्दी का प्रयोग

1986. **श्री बेणी शंकर शर्मा** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दी को राजभाषा घोषित किये जाने के पश्चात् सरकारी कामकाज हिन्दी में करने में कोई प्रगति हुई है ;

(ख) कितने प्रतिशत सरकारी कामकाज हिन्दी में हो रहा है ; और

(ग) समस्त कार्य हिन्दी में ही हो इसके लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान्। 1968-69 में इस सम्बन्ध में की गई प्रगति का वर्णन वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट में किया गया है जिसे 29 अगस्त, 1969 को सदन के पटल पर रखा गया था।

(ख) अलग-अलग फाइलों को देखकर अपेक्षित सूचना एकत्रित करने में जो समय तथा श्रम लगेगा वह प्राप्त होने वाले परिणामों के अनुरूप नहीं होगा।

(ग) तथा-संशोधित राजभाषा अधिनियम में बिना किसी समय-सीमा के संघ के सरकारी प्रयोजनों के लिए हिन्दी के अतिरिक्त अंग्रेजी भाषा के प्रयोग की अनुमति है।

मुख्य मंत्रियों के अधिकार

1987. **श्री बेणी शंकर शर्मा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री और गृह-कार्य मंत्री के बीच उन पत्रों के आदान-प्रदान की ओर दिलाया गया है जो मुख्य मंत्री के अधिकारों सम्बन्धी विवाद के बारे में था ;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) इस मामले को सुलझाने के लिये तथा इसको पुनः घटित होने से रोकने के लिए क्या कार्यवाही की जायेगी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क), (ख) और (ग). सरकार ने इस सम्बन्ध में केवल प्रेस रिपोर्ट देखी हैं।

सेनाओं का गठन

1988. **श्री बेणी शंकर शर्मा** :

श्रीमती शारदा मुकर्जी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश के विभिन्न भागों में कार्य कर रही विभिन्न सेनाओं के नाम क्या हैं ;

(ख) उनके लक्ष्य तथा उद्देश्य क्या हैं ; और

(ग) उनकी गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है और उनके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क), (ख) और (ग). सभी राज्य सरकारों से सूचना एकत्रित की जा रही है।

भारतीय राजपथों के बारे में संयुक्तराष्ट्र की एशिया तथा सुदूरपूर्व एशियाई राजपथ समन्वय समिति की टिप्पणी

1989. **श्री बेणी शंकर शर्मा** : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशिया तथा सुदूर पूर्व के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक आयोग की एशियाई

राजपथ समन्वय समिति ने नवम्बर, 1969 में नई दिल्ली में हुए अपने पाँचवे अधिवेशन में कहा कि भारतीय राजपथों की अच्छी व्यवस्था करने की आवश्यकता है ;

(ख) यदि हां, तो इस टिप्पणी पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या इनको सुधारने हेतु किसी कार्यवाही की सिफारिश की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संसद्-कार्य और नौवहन तथा परिवहन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठते ।

संगीत तथा अन्य क्षेत्रों में प्रतिभाशाली युवक कलाकारों को छात्रवृत्तियां

1990. **श्री वेणी शंकर शर्मा** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या युवकों में संगीत प्रतिभा का पता चलाने और उनको छात्रवृत्तियां देने का कार्यक्रम बनाने का वह विचार कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय किया गया है ।

(ग) क्या इस तरह की छात्रवृत्तियां अन्य क्षेत्रों में भी में दी जा रही है ; और

(घ) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) से (घ). संगीत समेत, विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में युवक कार्यकर्ताओं को यह मंत्रालय प्रत्येक वर्ष 250 रुपये प्रति माह की 25 छात्रवृत्तियाँ प्रदान करता है और प्रत्येक छात्रवृत्ति दो वर्ष की अवधि के लिए होती है । समाचार पत्रों में विज्ञापन के माध्यम से आवेदन पत्र आमन्त्रित किये जाते हैं और प्रत्येक सांस्कृतिक क्षेत्र से सम्बन्धित विषय समीतियों की सहायता से चयन किया जाता है, जो प्रत्येक प्रार्थी के उसके विशिष्ट क्षेत्र के कार्य को ध्यान में रखती है । अन्तिम चयन केन्द्रीय चयन समिति की सहायता से किया जाता है ।

गैर-सरकारी क्षेत्र के उड्डयन संचालकों को गैर प्राथमिकता वाले मार्गों पर पूरक सेवायें सौंपने का प्रस्ताव

1991. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार औद्योगिक नीति संकल्प के अनुसार गैर-सरकारी क्षेत्र के उड्डयन संचालकों की पूरक सेवाएं और गैर-प्राथमिकता वाले मार्ग ठेके पर देने का है ताकि इंडियन एयर लाइन्स अपना ध्यान देश के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों और उन दूरस्थ क्षेत्रों पर केन्द्रित कर सकें जो अपने माल के लिए बाजार से वंचित हैं और वे सरकारी क्षेत्रों के संसाधनों

पर भार डाले बिना बड़े बड़े प्रशासनिक औद्योगिक और सांस्कृतिक केन्द्रों से सम्बन्ध स्थापित करके लाभ उठा सकें।

(ख) यदि हां, तो इस बारे में यदि कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं, तो वे क्या हैं ; और

(ग) क्या गत तीन महीनों में गैर-सरकारी क्षेत्रों को ऐसे मार्ग ठेके पर देने का कोई निर्णय लिया गया है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग). अभिप्रेत यह है कि जिन यात्री मार्गों पर इस समय इंडियन एयर लाइन्स द्वारा परिचालन किया जा रहा है, उन मार्गों पर कारपोरेशन द्वारा ही परिचालन जारीर खा जाये। जहां तक अन्य मार्गों का सम्बंध है, प्राइवेट हवाई कम्पनियों को उन पर परिचालन करने की अनुमति दे दी जाये बशर्ते कि वे एयरक्राफ्ट नियमों में निर्धारित आवश्यक शर्तों को पूरा करती हों तथा इण्डियन एयर-लाइन्स स्वयं उन मार्गों पर परिचालन करने की स्थिति में न हों।

एक भारतीय फर्म द्वारा लंका में एक पंच-तारक (फाइव स्टार) होटल का निर्माण

1992. **श्री मणिभाई जे० पटेल** : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक भारतीय फर्म लंका में एक पंच-तारक (फाइव स्टार) होटल का निर्माण कर रही है ;

(ख) क्या इस प्रकार के सहयोग के लिए सरकार से स्वीकृति लेना आवश्यक है और यदि हां, तो क्या इस मामले में स्वीकृति दे दी गई है ; और

(ग) भारत सरकार ऐसी स्वीकृति किन आधारों पर देती है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग). ओबेराय होटल्स प्राइवेट लिमिटेड ने को-आपरेटिव होल सेल एस्टेबलिशमेंट, कोलम्बो, जो कि श्री लंका सरकार का एक सांविधिक निगम है, के साथ कोलम्बो में एक पाश्चात्य पद्धति के होटल के निर्माण/परिचालन में तकनीकी सहायता देने के सम्बन्ध में किये गये अपने करार के बारे में सरकार से अनुमति मांगी थी। क्योंकि इस व्यवस्था से देश विदेशी मुद्रा का अर्जन करेगा, करार का इस शर्त के साथ अनुमोदन कर दिया गया है कि ओबेराय होटल्स द्वारा श्री लंका में अर्जित राशि को भारत में लाने की आज्ञा होगी।

भारत में वरिष्ठ पदों पर फ्रांसीसी व्यक्तियों को लगाने की एयर फ्रांस की नीति

1993. **श्रीमणि भाई जे० पटेल** : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एयर फ्रांस ने भारत में ऐसी नीति आरम्भ की है, जिसके अन्तर्गत भारत में सभी वरिष्ठ पदों पर केवल फ्रांसीसी राष्ट्रजन ही नियुक्त किये जायेंगे ;

(ख) क्या उक्त नीति के अनुसार उनके सभी वरिष्ठ भारतीय अधिकारियों को समय से पहले ही सेवा निवृत्ति होने को बाध्य किया गया है ; और

(ग) विदेशी व्यापारी उद्यमों में भारतीय राष्ट्रजनों की नियुक्ति के बारे में सरकार की घोषित नीति को ध्यान में रखते हुए, एयर फ्रांस की भारतीय राष्ट्रजनों के स्थान पर फ्रांसीसी राष्ट्रजन नियुक्त करने की नीति को अमल को रुकवाने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) ऐसा कोई मामला सरकार के नोटिस में नहीं आया था ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

मैसूर-महाराष्ट्र सीमा विवाद

1994. **श्री मधु लिमये** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार मैसूर-महाराष्ट्र सीमा विवाद पर निर्णय करने में इस कारण विलम्ब कर रही है कि प्रधान मंत्री ने तो गृह-कार्य मंत्री को शक्तिशाली बनाना चाहती हैं और न ही मैसूर में अपने गुट को अप्रसन्न करना चाहती हैं ;

(ख) यदि नहीं, तो निर्णय करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस सम्बन्ध में शीघ्र निर्णय करने का है जिससे ऐसी खराब स्थिति पैदा न हो जाये जैसी चंडीगढ़ के मामले में सन्त जैसे व्यक्तियों के अनशन और आत्मदाह की धमकियों से पैदा हो गई थी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). मैसूर-महाराष्ट्र सीमा विवाद काफी समय से सरकार के विचाराधीन है । इस विवाद का मान्य हल ढूंढने के अनेक प्रयत्न सफल नहीं हुए । प्रश्नों में लगाये गए आक्षेप पूर्णतया निराधार हैं । सरकार के इस समस्या का एक संतोषजनक हल ढूंढने के प्रयत्न जारी हैं । 2 मार्च, 1970 को इस सदन में एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के उत्तर में मेरे द्वारा किए गये वक्तव्य की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है ।

सैक्शन आफिसरों के लिये संघ लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षा

1995. **श्री मधु लिमये** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान उन परीक्षार्थियों की शिकायतों पर बार-बार दिलाया गया है जिन्होंने वर्ष 1959 में सेक्शन आफिसरों के पदों के लिये संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई अर्हता प्रदान करने वाली परीक्षा पास की थी ;

(ख) क्या सरकार ने अब इस बात को स्वीकार कर लिया है कि यह धारणा कि यह परीक्षा अर्हता प्रदान करने वाली थी, न्यायसंगत है ; और

(ग) यदि हा, तो अग्रेतर परीक्षाएं लेने और उनमें सफल होने वाले परीक्षार्थियों को नियुक्त करने से पहले वर्ष 1959 की परीक्षा में सफल हुए सभी परीक्षार्थियों को नियुक्त करने के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हाँ, श्रीमान् ।

(ख) और (ग). सरकार ने केवल यह स्वीकार किया है कुछ औचित्य के साथ इस पर जोर दिया जा सकता है कि परीक्षा का प्रतियोगितात्मक स्वरूप उम्मीदवारों के लिये पर्याप्त रूप से स्पष्ट नहीं था अत: उम्मीदवारों की इस धारणा को कि परीक्षा अर्हता प्रदान करने वाली परीक्षा थी, पूर्णतया गलत नहीं कहा जा सकता है । अत: सरकार द्वारा यह निर्णय किया गया कि यह न्यायोचित होगा यदि 1959 और 1960 दोनों परीक्षाओं के केवल ऐसे 'शेष बचे' उम्मीदवारों को, जिन्होंने 55 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त किये थे, 1-10-1962 से आरम्भ होने वाले पांच वर्षों की अवधि में भावी रिक्तियों में खपाया जा सके । 55 प्रतिशत अंकों की सीमा पूर्वानुमानित रिक्तियों की स्थिति तथा सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षाओं के माध्यम से पदोन्नति के लिए अवसरों से भविष्य में परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों को वंचित न करने पर ध्यान देते हुये निर्धारित की गई थी ।

राज्यों में साम्प्रदायिक दंगों की रोकथाम

1996. **श्री मधु लिमये** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिसम्बर, 1969 में संसद् के सत्र के स्थगित होने के बाद मध्य प्रदेश में भिलाई में और देश के अन्य भागों में साम्प्रदायिक दंगों की पुनरावृत्ति हुई हैं ;

(ख) क्या गुजरात की भीषण घटनाओं को ध्यान में रखते हुए गृह-कार्य मंत्रालय ने साम्प्रदायिक दंगों को रोकने के लिये राज्य सरकारों को कोई हिदायतें दी हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान् । भिलाई की घटनाओं के बारे में तथ्य लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 870 दिनाँक 27 फरवरी, 1970 के उत्तर में बता दिये गये हैं ।

(ख) और (ग). प्रधान मंत्री तथा गृह मंत्री ने 26 सितम्बर, 1969 को कुछ राज्यों के मुख्य मंत्रियों के साथ, जो उस दिन दिल्ली में उपस्थित थे, (1) साम्प्रदायिक वैमनस्य या तनाव को होने से रोकने या (2) तनाव या दंगों के अविर्भाव से दृढ़ता से निपटाने और (3) साप्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा देने के लिए साम्प्रदायिक गतिविधियों से निपटाने के लिये प्रशासनिक तथा अन्य उपायों पर विचार विमर्श किया । प्रधान मंत्री ने 28 सितम्बर, 1969 को सभी मुख्य मंत्रियों को विचार विमर्श के परिणामों से अवगत कराने तथा किसी साम्प्रदायिक दंगे को अधिक फैलने से रोकने के लिये तुरन्त तथा कारगर कार्यवाही द्वारा उनका सहयोग प्राप्त करने के लिये लिखा ।

राजस्थान विश्वविद्यालय तथा उससे सम्बद्ध कालेजों के अस्थायी अध्यापक

1997. **श्री मधु लिमये :** क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया है कि राजस्थान विश्वविद्यालय तथा उसके सम्बद्ध कालेजों में अध्यापकों को अस्थाई रूप से नियुक्त किया जाता है। और वह स्थाईकरण योग्य न हो जायें इसलिये उन्हें प्रति नये शिक्षा वर्ष के आरम्भ में सेवा से हटा दिया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसी गलत प्रथा राजस्थान के अन्य विश्वविद्यालयों और कालिजों में चल रही है ;

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार का विचार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का ध्यान इन कुप्रथाओं की ओर आकर्षित करने और उससे यह अनुरोध करने का है कि वह राजस्थान विश्वविद्यालय तथा सम्बद्ध कालेजों को, जो आयोग से अनुदान प्राप्त करते है, ऐसा न करने को कहे ; और

(घ) देश के अन्य राज्यों में विश्वविद्यालयों में ऐसी कुप्रथाओं को रोकने हेतु और क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी राव) : (क) और (ख). जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

इंडियन एयरलाइंस कारपोरेशन के सेवा निवृत विमान चालक के बारे में पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री का वक्तव्य

1998. **श्री मधु लिमये :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको 23 जुलाई, 1969 को राज्य सभा में इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के एक सेवानिवृत विमान चालक के बारे में उनके द्वारा दिए गए वकतव्य के सम्बन्ध में एक संसद् सदस्य से कोई पत्र तथा टिप्पणी प्राप्त हुई हैं ; और

(ख) इस सम्बन्ध में वास्तविक स्थिति क्या है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां। जिस माननीय सदस्य ने यह प्रश्न पूछा है उन्होंने स्वयं 27 नवम्बर, 1969 को इस बारे में मुझे लिखा था, और मैंने ठीक ठीक स्थिति का स्पष्टी करण करते हुए 18 दिसम्बर को उन्हें उत्तर भेज दिया था।

(ख) जैसा कि 17 दिसम्बर, 1969 को राज्य सभा में दिये गये मेरे विवरण में उल्लेख किया गया है, इंडियर एयरलाइंस के कैप्टेन आर० पी० हुइलगोल को 4 अप्रैल, 1969 से निम्न प्रकार की छुट्टियाँ मंजूर की गई थी :—

विशेषाधिकार छुट्टी	193 दिन
बीमारी की छुट्टी	55 दिन
बीमारी की विशेष छुट्टी	180 दिन
विशेषाधिकार छुट्टी जो कि बीमारी तथा विशेष छुट्टियों पर मिलेगी	21 दिन
आकस्मिक छुट्टी	9 दिन
कुल	458 दिन

जब वे छुट्टी पर चले गए तो केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने कैप्टन हुइलगोल का श्री जे० पी० कोजोरक द्वारा दी गई बताई गई घूस के आरोप की छानबीन की। इन छानबीन के परिणामस्वरूप, इन दोनों व्यक्तियों के विरुद्ध दिल्ली के स्पेशल जज की अदालत में आरोप पत्र (चार्जशीट) दायर कर दिये गये हैं।

इन आपराधिक कार्यवाहियों के कारण इंडियन एयरलाइंस ने कैप्टेन हुइलगोल की छुट्टी से संबंधित अपने आदेश को रद्द कर दिया है और उन्हें 23 दिसम्बर, 1969 से विलंबित (सस्पैंड) कर दिया गया है। कारपोरेशन द्वारा उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाइयां कर दी गई हैं।

पर्यटकों के लिये अधिक सुविधाओं की व्यवस्था

1999. **श्री हेमराज** : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री पर्यटकों को अधिक सुविधाएं देने के सुझाव के बारे में 25 जुलाई, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 867 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'ट्रैवल ऐजेंट्स एसोसिएसन' की सिफारिशों पर विचार कर लिया गया है ; और

(ख) उनमें से किन शिफारिशों को स्वीकार किया गया है और कार्यान्वित किया गया है और उनका पर्यटक यातायात पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). सरकार द्वारा स्वीकार किये गये संकल्पों तथा उनके क्रियान्वयन में हुई प्रगति को दिखाने वाला एक विवरण संलग्न है। [**ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये** संख्या एल० टी० 2772/70]

पंजाब के पुनर्गठन के फलस्वरूप कर्मचारियों का पुनः बंटवारा

2000. **श्री हेमराज** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब के पुनर्गठन के फलस्वरूप विभिन्न विभागों के कर्मचारियों का पुनः बंटवारा करने का काम पूरा कर लिया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो उन विभागों के नाम तथा संख्या कितनी हैं जहां अभी यह कार्य करना बाकि है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) चार विभाग, अर्थात् :—

(1) राज्य के मेडीकल कालेजों में काम करने वाले प्रोफेसर,

(2) स्नातकोत्तर संस्थान, चण्डीगढ़,

(3) मुद्रण तथा लेखन-सामग्री विभाग, तथा

(4) वास्तुकला विभाग ।

मछलियों को डिब्बों में बन्द करने में अस्वच्छता

2001. **श्री बाबूराव पटेल** : **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास एवं नगर विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या यह सच है कि 8 जनवरी, 1970 को त्रिचूर में सरकार द्वारा प्रायोजित एक पोषाहार खाद्य कार्यक्रम के अंतर्गत दी गई डिब्बों में बन्द मछली खाने के कारण 60 व्यक्तियों को, जिनमें बच्चे भी थे, अस्पताल ले जाना पड़ा था क्योंकि उनमें विषाक्त भोजन खाने के लक्षण थे, जैसे उल्टी और दस्त आना ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और यथासमय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

रिफार्मर हाइड्रोजन कम्प्रैशर खराब होने से कोचीन शोधनशाला बन्द होना

2002. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक रिफार्मर हाइड्रोजन कम्प्रैशर खराब हो जाने से कोचीन शोधनशाला 21 अक्तूबर, 1969 से बन्द पड़ी है ; यदि हां, तो कम्प्रैशर खराब होने के कारण क्या हैं ;

(ख) इस खराबी के कारण उत्पादन में रुपये तथा माल की मात्रा में कितनी कमी हुई है ; और

(ग) कम्प्रैसर की मरम्मत करने पर कितना खर्च आयेगा ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) यान्त्रिक खराबी के कारण कुछ टरबाइन ब्लैडस को हानि पहुंचाने से कोचीन शोधनशाला 26 अक्तूबर, से 30 अक्तूबर तक अंशत: बन्द रही। मध्यवर्त्ती उत्पाद टैंक के पूरे भर जाने से, छीज (युल्लेज) समस्या के कारण शोधनशाला 31 अक्तूबर से 7 नवम्बर तक पूर्णतया बन्द रही।

(ख) 60,905 मैट्रीक टन कच्चा तेल, जिसका मूल्य 55, 25,000 रुपये था, साफ नहीं किया गया। इस कारण कोचीन शोधनशाला लि० को लगभग 3,20,000 रुपये की हानि हुई।

(ग) कम्प्रैशर पर मरम्मत की लागत 2,65,000 रुपये थी।

गर्भ निरोधक गोली के प्रयोग पर रोक

2004. **श्री बाबूराव पटेल :**
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को महाराष्ट्र के स्त्री रोग दो विख्यात डाक्टरों, डा० वी० एन० शिरोडकर और डा० वी० एन पुरंदरे के मतों की जानकारी है जिसमें उन्होंने कहा है कि दीर्घकाल तक गर्भ निरोधक गोली का प्रयोग करना निस्संदेह अवांछनीय है ; यदि हां, तो उनकी क्या प्रतिक्रिया है ;

(ख) क्या सरकार का ध्यान डा० वी० एन० पुरंदरे के उस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है जिसमें उन्होंने स्त्रीमदजन की कम मात्रा वाली गोलियों के कार्यक्रम को न अपनाने के लिये सरकार की अलोचना करते हुए कहा है "कि सरकार अच्छी बात की ओर तभी ध्यान देती है जब वह धोखा खा लेती है," यदि हां, तो इस गोली के प्रयोग पर रोक लगाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(ग) क्या सरकार ने ब्रिटेन की दवाइयों से बचाव सम्बन्धी डनलप समिति की रिपोर्ट का अध्ययन किया है जिसमें अधिक स्त्रीमदजन वाली गोलियों के प्रयोग की निन्दा की गई है, यदि हां, तो उसकी प्रतिक्रिया क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० श्रीपति चन्द्रशेखर) : (क) जी हां।

(ख) जी हां। विभिन्न वर्गों की महिलाओं में खानेवाली गर्भ-निरोधक गोली की स्वीकार्यता और कारगरता जांचने के लिए खाने वाली गर्भ निरोधक गोली का प्रारम्भिक परियोजना कार्यक्रम शुरू किया गया है। किसी महिला को खाने वाली गर्भ निरोधक गोली का सेवन कराने से पहले डाक्टर उस महिला की पूरी तरह से शारीरिक और प्रयोगशाला सम्बन्धी आवश्यक जांच

पड़ताल कर लेता है। ये गोलियां केवल डाक्टरी देख भाल में ही दी जाती हैं सरकार गर्भ-निरोधक गोली कार्यक्रम की प्रगति के प्रति सजग है। फिर भी अभी तक इस तरीकों को हमारे सामान्य परिवार नियोजन कार्यक्रम में स्वीकारा और अपनाया नहीं गया है और इसलिये इस अवस्था पर इसके प्रयोग पर रोक लगाने का प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) ब्रिटेन की दवाइयों से बचाव सम्बन्धी डनलप समिति की सम्पूर्ण रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। हालांकि समिति द्वारा जारी किया गया निर्देश-पत्र प्राप्त हो चुका है। समिति की शिफारिशों को दृष्टि में रखते हुये भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् और भारत सरकार उन गर्भ निरोधक गोलियों के प्रयोग पर रोक लगाने के लिये विचार कर रही है जिनमें 'एस्ट्रोजन' की मात्रा 75 माइक्रोग्राम या उससे अधिक है।

Urban and Rural Water Supply Scheme in Madhya Pradesh

2005. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) the number and names of Urban and rural water supply schemes received from the Government of Madhya Pradesh during 1968-69 and 1969-70 ; and

(b) the amounts of loans and grants sanctioned to the Government of Madhya Pradesh during the said years for water supply and sewage disposal schemes under National Water Supply and Sewage Disposal Programme ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) The required information is given in the annexure. [*Placed in Library. See* No. LT-2773/70.]

(b) Under the National Water Supply and Sanitation Programme, the Government of Madhya Pradesh was given a loan of Rs. 143.80 lakhs and grant-in-aid of Rs. 9.60 lakhs during 1968-69. From 1969-70 onwards, the Central assistance is given to the States in the form of block loans and block grants on the Plan as a whole without reference to any particular scheme/programme/head of development.

Circular issued by Reserve Bank of India Regarding Credit Facilities to Small Enterpreneurs

2006. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Reserve Bank of India has issued a circular to the nationalised banks asking them to provide credit facilities to all the small enterpreneurs and industrialists and powerloom and handloom industries ;

(b) if so, whether the nationalized banks' in Madhya Pradesh have taken any action in accordance with the said circular ; and

(c) if so, the complete details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) to (c). Following the nationalisation of the 14 major banks, the Governor of the Reserve Bank of India convened a conference of the Custodians of these banks in August, 1969. At the meeting, it was agreed that the question of enlarging credit facilities to the self-employed, small artisans, small businessmen and the like should be examined and the types of schemes which could be taken should be prepared quickly by the nationalised banks. Accordingly

various schemes for financial assistance to the hither to neglected sectors such as small industry, retailers, artisans, professionals and self-employed persons have been prepared by nationalised banks. A statement giving particulars of the schemes brought out by the nationalised banks is attached. These schemes are in operation in Madhya Pradesh as in any other State. No circular as such was issued by the Reserve Bank. [*Placed in Library. See* No. LT-2774/70.]

Pending Income Tax Cases in Madhya Pradesh

2007. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) the number of Income-tax cases pending for disposal in Madhya Pradesh for the last three years ;

(b) whether it is a fact that the number of undisposed cases of Income-tax and the amount of arrears thereof has been increasing every year ; and

(c) if so, the action being taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) The number of Income-tax cases pending for disposal in the Commissioner's charge of Madhya Pradesh, Nagpur, is as under :

Year ending	No. of cases pending
1966-67	1,22,577
1967-68	1,23,470
1968-69	46,659

(b) The number of pending cases at the end of 1968 69 has gone down as compared to the number at the end of 1967-68. It is therefore not correct to say that the number of undisposed cases of Income-tax has been increasing.

It is not possible to estimate the amount of arrears involved in these pending assessments with reasonable accuracy. As however the number of undisposed cases has gone down at the end of 1968-69 as compared to the number at the end of 1967-68, it can be reasonably presumed that the amount of arrears involved would also have gone down.

(c) Does not arise.

Loan Facilities to Handloom and Powerloom Weavers by Nationalised Banks in Madhya Pradesh

2008. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some of the nationalised banks propose to provide loan facilities to the handloom and powerloom weavers as also to the handloom and powerloom Weaver's Co-operative Societies in East Nemar region of Madhya Pradesh ;

(b) if so, the names of the said banks and the extent of loan facilities to be provided by them ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) to (c). Information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

Nationalised Banks in Burhampur City of Madhya Pradesh

2009. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) the number of nationalised banks in Burhampur city of Madhya Pradesh ;

(b) the number of new branches of these banks proposed to be opened in Burhampur in 1970 ;

(c) whether any nationalised bank has given loans to Handloom and Powerloom weavers ; and

(d) if so, the amount of the loan given and also the criteria adopted for giving the loan ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) An office each of three nationalised banks is functioning in Burhampur, Madhya Pradesh.

(b) There is no proposal at present from any nationalised banks for opening a new office at Burhampur.

(c) and (d). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिये राज्यों को अनुदान

2010. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1969-70 में परिवार कार्यक्रम के लिये प्रत्येक राज्य सरकार को कितना अनुदान दिया गया ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० श्रीपति चन्द्र शेखर) : प्रत्येक वर्ष के शुरू में राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता आबंटन कर दिया जाता है। इन आंबटनों के आधार पर स्वीकृत योजनाओं के खर्च को पूरा करने के लिए मासिक अग्रिम धन राशियां दी जाती हैं। राज्य सरकारों से उनकी आवश्यकताओं के पूर्वानुमान प्राप्त होने पर वित्तीय वर्ष के अंत में सहाययानुदानों की अदायगी की स्वीकृति दी जाती है। इसके अलावा गत वर्षों में स्वीकृत अस्थायी सहाय्यानुदानों के साथ संमजन करने के लिए बकाया अदायगियों की भी स्वीकृति दी जाती है।

वर्ष 1969-70 में अब तक स्वीकृत किये गये आंबटन और बकाया आदायगियों का राज्यवार विवरण संलग्न है।

विवरण

(रुपये लाखों में)

	केन्द्रीय सहायता के अस्थायी आवंटन (1969-70)	बकाया अदायगी के रूप में स्वीकृत सहाय्यानुदान (1969-70)
1. आंध्र प्रदेश	290.65	—
2. असम	56.74	—
3. बिहार	227.87	—

1	2	3
4. गुजरात	198.40	—
5. हरियाणा	80.78	7.03
6. जम्मू व कश्मीर	35.95	—
7. केरल	206.88	—
8. मध्य प्रदेश	252.04	—
9. तमिल नाडु	199.02	—
10. महाराष्ट्र	322.40	—
11. मैसूर	194.60	—
12. उड़ीसा	211.32	—
13. पंजाब	143.23	1.25
14. राजस्थान	167.75	—
15. उत्तर प्रदेश	672.94	—
16. पश्चिम बंगाल	280.61	10.28

लक्ष्मीबाई नगर फ्लैट निवासी कल्याण संघ, नई दिल्ली की शिकायत

2011. **श्री म० ला० सोंधी : स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बागबानी विभाग द्वारा लानों की तथा वहां पर जल रोकने के बारे में उचित देखभाल न करने, उप-मार्गों की मरम्मत न करने और बाड़ की देखभाल न करने के बारे में लक्ष्मीबाई नगर (ई० टाइप फ्लैट) निवासी कल्याण संघ, नई दिल्ली ने बार-बार शिकायत की है ;

(ख) क्या इस संघ ने फ्लैटों में पावर पुआंइटों की व्यवस्था करने के लिये भी कहा है ;

(ग) क्या इस संघ ने मुंडेरों, पेशाबघरों, ऊंचे चूल्हों, चिमनियों को हवादार बनाने, खिड़कियों पर पर्दों, पहली मंजिल पर बरामदे में जाफरियों, जल-मीटरों के स्थानान्तरण, खिड़कियों पर जालियों की व्यवस्था करने आदि के बारे में कुछ अत्यावश्यक कार्य करने के लिये भी अनुरोध किया है ;

(घ) क्या यह संघ बच्चों के लिये उचित सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिये भी काफी समय से आग्रह कर रहा है ; और

लक्ष्मी नगर के ई० तथा एफ० टाइप के फ्लैटों के निवासियों के लिए उचित सुविधायें देने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) लक्ष्मीबाई नगर (ई टाईप फ्लैट्स) रेज़ीडेन्ट्स वेलफेयर एसोसिएशन ने लान, बाड़, आदि की देख-रेख के बारे में शिकायतें भेजी हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) जी, हां।

(घ) जी, हां।

(ङ) मांगी गई सुविधाओं में से निम्न की व्यवस्था कर दी गई है :—

लानों में नियमित रूप से पानी दिया जाता है और बाड़ की कांट-छांट की जाती है। चू रहे नलकों पर तुरन्त ध्यान दिया जाता है।

टाईप II और III क्वार्टरों की खिड़कियों पर शेड की व्यवस्था कर दी गई है। 'ई टाईप के 756 क्वार्टरों में ऊंचे चूल्हों (स्टेण्डिग चूल्हे) की व्यवस्था और टाईप IV के 756 क्वार्टरों और टाईप 'एफ' के 24 क्वार्टरों के किचनों में रोशनी सम्बन्धी कार्यों की पहले ही स्वीकृति दे दी गई है।

पावर पाइंट के बारे में अनुरोध प्राप्त होने पर, व्यक्तिगत मामलों में गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाता है।

नई दिल्ली में मैस भवनों तथा उनके क्वार्टरों का रखरखाव

2012. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली क्षेत्र में मैसों के भवनों और साथ के क्वार्टरों के रखरखाव के लिये राशि नियत करने के बुनियादी नियम क्या हैं ;

(ख) गत वर्ष नई दिल्ली में प्रत्येक मैस तथा साथ के क्वार्टरों की मरम्मत तथा रखरखाव पर कितनी राशि व्यय की गई ; और

(ग) क्या कुछ रिहायशी क्वार्टरों में रहने की स्थिति बहुत खराब हो गई है और क्या उनमें अविलम्ब सुधार करने के लिये विशेष धनराशि मंजूर की जायेगी ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) भवनों की देख-रेख, जिसमें मैस-भवनों और उनके नौकरों के क्वार्टर भी शामिल हैं, के लिये निधियों का आवंटन निम्न आधार पर किया जाता है :—

(i) भवन का टाइप

(ii) लागत पूंजी

(iii) निर्माण का वर्ष।

(ख) 7 मैस हैं और 1,011 नौकरों के क्वार्टर उनसे सम्बद्ध हैं। 1968-69 के वर्ष के दौरान उनकी देख-रेख तथा मरम्मत, आदि पर हुए व्यय का एक विवरण सभा पटल पर रख दिया है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—2775/7०]

(ग) जी, नहीं। कोटा हाउस को छोड़ कर अन्य सभी बैरकों का निर्माण 1942-43 के वर्ष के दौरान युद्ध-काल में हुआ था। इन अस्थाई संरचनाओं में अतिरिक्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिये गये ऋणों की वसूली

2013. **श्री न० कु० सांधी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकृत बैंकों के ऋणों अथवा उनकी किस्तों की वसूली के बारे में सरकार का अनुभव क्या है ; और

(ख) क्या वसूली में बहुत गम्भीर अनियमितताएं पाई गई हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). संभवतः माननीय सदस्य का संकेत उन ऋणों की ओर है जिन्हें राष्ट्रीयकृत बैंकों के अब तक उपेक्षित रहने वाले क्षेत्रों के लिये मंजूर किये हैं। बैंकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे, अब तक उपेक्षित क्षेत्रों को पहले की अपेक्षा अधिक मात्रा में ऋण संबंधी सहायता देते समय स्वस्थ बैंकिंग सिद्धान्तों को ध्यान में रखेंगे और दिये जाने वाले ऋणों की रकमों की सुरक्षा की भी सुनिश्चित व्यवस्था करेंगे। बैंकों के लिए यह भी जरूरी है कि वे अन्य बातों के साथ साथ ऋण लेने वालों की ईमानदारी, उनकी शोधन क्षमता, योजना की व्यवहार्यता आदि के बारे में अपनी तस्सली करें। सरकार को, अभी तक, ऋण न चुकाने के किसी गंभीर मामले की सूचना नहीं मिली है।

इलैक्ट्रो माइक्रोस्कोप परीक्षणों द्वारा रक्त कैंसर पृथक्करण का अध्ययन

2014. **श्री ए० श्रीधरण** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास एवं नगर विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई कैंसर अनुसंधान संस्थान में कैंसर अनुसंधान विद्वान इलैक्ट्रिक माइक्रोस्कोप प्रयोगों द्वारा रक्त कैंसर पृथक्करण के बारे में अध्ययन कर रहे हैं ;

(ख) क्या सरकार ने भी इस बारे में इस संस्थान के कुछ सुझावों का अध्ययन किया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

गुजरांवाला गृह-निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड, दिल्ली द्वारा अपने सदस्यों को प्लाटों का नियतन

2016. **श्री रामजी राम :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरांवाला गृह-निर्माण सहकारी समिति, दिल्ली के इच्छुक खरीदार सदस्यों के लिये प्लाटों का नियतन कर दिया गया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि 167 वर्ग गज के प्लाटों के नियतन के लिये दो बार पर्चियां डाली गयीं थीं और यदि हां, तो कब, कहां और किस के अधीक्षण में ;

(ग) क्या समिति ने नियमों के अनुसार पर्चियां डालने की जानकारी सदस्यों को समय पर दी थी और यदि हां, तो पूर्व सूचना कितने दिन पहले देनी होती है और समिति ने नियतन के लिये पूर्व सूचनायें कब-कब दी थीं ;

(घ) 167 वर्ग गज के प्लाटों के लिये दो बार पर्चियां डालने के क्या कारण थे ; और

(ङ) क्या पर्चियां डालने के बारे में सम्बन्धित अधिकारी से कोई शिकायत/ अभ्यावेदन किया गया है और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) सभी पात्र सदस्यों को प्लाट आवंटित कर दिए गए हैं।

(ख) जी, हां। 167 वर्ग गज़ के प्लाटों के आवंटन के लिए पर्चियां दो बार अर्थात् 18 अगस्त, 1968 तथा 9 अगस्त, 1969 को, समिति की भूमि के स्थान पर दिल्ली प्रशासन के सहकारी विभाग तथा भूमि और बिल्डिंग विभाग प्रत्येक के प्रतिनिधियों की देख रेख में निकाली गई।

(ग) जी, हाँ। दिल्ली प्रशासन के भूमि तथा बिल्डिंग विभाग द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार, पर्ची द्वारा प्लाटों के आवंटन के लिए समिति को अपने सदस्यों को 30 दिन का नोटिस देना अपेक्षित था। समिति द्वारा 18 अगस्त, 1968 और 9 अगस्त, 1969 को पर्चियां निकालने के लिए क्रमश: 17 जुलाई, 1968 और 9 जुलाई, 1969 को नोटिस जारी किए गये थे।

(घ) पहली लाटरी में, 167 वर्ग गज़ के प्लाटों के लिए सभी पात्र सदस्यों को शामिल किया गया। जिन सदस्यों ने इस आकार के प्लाटों से लिए सहमति बाद में दी और जो दिल्ली प्रशासन द्वारा दी जाने वाली अतिरिक्त भूमि में से बड़े आकार के प्लाटों की प्रतीक्षा नहीं करना चाहते थे, उन्हें शामिल करने के लिए समिति का पुनरीक्षित ले-आऊट अनुमोदित होने के बाद, 167 वर्ग गज़ के प्लाटों की दूसरी पर्ची निकाली गई।

(ङ) दिल्ली प्रशासन को कुछ सदस्यों से कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं, जो उन्हें स्थिति स्पष्ट किए जाने के बाद वापस ले ली गई।

गुजरांवाला गृह-निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड, दिल्ली

2017. **श्री रामजी राम** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री 12 मई, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9188 के उत्तर में सभा पटल पर रखे गये विवरण के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लेखा परीक्षा से गुजरांवाला गृह-निर्माण सहकारी समिति के अब तक का वार्षिक लाभ अथवा हानि कितना मालूम हुआ है ;

(ख) क्या, उस समिति के रिकार्ड में जो 1,06,643.04 रुपये सन्दिग्ध दिखाये गये हैं, उसको देखते हुए सरकार ने समिति द्वारा गुलाबी बाग वाली भूमि के विक्रय के मामले में कोई लेखा परीक्षा जांच की है ताकि सदस्यों के हितों की रक्षा की जा सके । और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) सरकार ने गुलाबी बाग वाली भूमि के लिए समिति को कितनी क्षति पूर्ति देना नियत किया है और यह समिति कितनी शुद्ध हानि वहन करेगी ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) एक विवरण संलग्न है ।

(ख) तथा (ग). समिति के अनुसार, उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में एक अपील फ़ाईल की है, जिसमें ये दोनों बातें उठाई गई हैं । क्योंकि मामला न्यायाधीन है, मामले पर फ़िलहाल कुछ कहना उचित नहीं होगा ।

विवरण

वर्षानुसार लाभ तथा हानि दी गई हैं, जैसी कि गुजरांवाला कोआप्रेटिव हाऊस बिल्डिंग सोसाइटी लिमिटेड की सम्बंधित परीक्षित रिपोर्टों में दिखाई गई है ।

वर्ष	लाभ	हानि
	रुपये	रुपये
1958-59	4,304.00	—
1959-60	6,954.61	—
1960-61	2,815.50	—
1961-62	1,571.76	—
1962-63	52,480.63	—
1963-64	—	21.04
1964-65	26,077.98	—
1965-66	—	5,600.98
1966-67	15,683.74	—
1967-68 (पुनरीक्षित रिपोर्टानुसार)	—	48,928.04

गुजरांवाला गृह-निर्माण सहकारी समिति, दिल्ली

2018. **श्री रामजी राम :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री गुजरांवाला गृह-निर्माण सहकारी समिति के दिल्ली के बारे में 31 मार्च, 1969 के तारांकित प्रश्न संख्या 810 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फलों/लकड़ी तथा पेड़ों से अब तक हुई कुल कितनी आय के लाभ अथवा विकास खाते में जमा किया गया है ;

(ख) जमा धन आदि से अब तक वर्ष-वार कुल कितना ब्याज समिति को प्राप्त हुआ है ; और

(ग) भूमि की वास्तविक लागत क्या है तथा प्रति वर्ग गज विकास व्यय कितना है और सदस्यों को थोड़े-थोड़े करके प्लाट अलाट करने के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है ।

(ग) समिति द्वारा रिहायशी प्लाटों की निकाली गई वास्तविक प्रीमियम की राशि लगभग 18-00 रुपये प्रति वर्ग गज है । प्रति वर्ग गज विकास की सही लागत का पता तभी लगेगा जब समिति अपने लेखों में अन्तिम रूप से समायोजन कर लेगी । तथापि, समिति ने प्लाटों के क्षेत्र के विकास की लागत और बिजली प्रभारों आदि के लिए प्रारंभिक रूप से लगभग 14-00 रुपये प्रति वर्ग गज वसूल किया है । ले-आउट प्लान के पुनरीक्षित हो जाने के कारण, समिति ने सदस्यों को प्लाटों का आवंटन दो बार लाटरियों के माध्यम से किया था।

विवरण

वर्ष	समिति द्वारा फल, लकड़ी, पेड़ों, आदि की बिक्री से वसूल की गई राशि का ब्यौरा				समिति द्वारा लिये गये ब्याज का ब्यौरा	
	(क)		(ख)		ब्याज	टिप्पणी
	फल, आदि की बिक्री	टिप्पणी	लकड़ी, पेड़ों, आदि की बिक्री	टिप्पणी		
1	2	3	4	5	6	7
57-58	कुछ नहीं	—	कुछ नहीं	—	2,445.26	लाभ और हानि लेखे के नाम जमा हुआ
58-59	—	—	—	—	5,23 1.71	—वही—

1	2	3	4	5	6	7
59-60	16,379.00	लाभ और हानि लेखे में जमा हुआ	—	—	1,277.60	—वही—
60-61	11,987.25	—वही—	—	—	2,309.16	—वही—
61-62	5,650.00	—वही—	4,000.00	भूमि खाते जमा	6,313.73	—वही—
62-63	9,373.00	—वही—	47,330.00	—वही—	10,109.95	—वही—
63-64	6,000.00	—वही—	—	—	9,408.59	—वही—
64-65	4,225.00	—वही—	—	—	38,687.74	—वही—
65-66	1,500.00	—वही—	37,001.00	विकास निधि खाते जमा	28,177.96	—वही—
66-67	4,825.00 (घास)	बिकास निधि खाते जमा	कुछ नहीं	कुछ नहीं	37,781.34	—वही—
67-68	2,000.00	—वही—	कुछ नहीं	कुछ नहीं	61,710.81	—वही—

सरकारी तेल शोधनशालाओं में स्नेहक तेल का उत्पादन

2019. **श्री य० अ० प्रसाद :**

श्री रामचन्द्र वीरप्पा :

क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी क्षेत्र की तेल शोधनशालाओं में स्नेहक तेल का उत्पादन आरम्भ हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका वार्षिक उत्पादन कितना होगा और इससे कितनी विदेशी मुद्रा की बचत होगी ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी हां । बरौनी शोधनशाला ने नवम्बर, 1967 और मद्रास शोधनशाला ने जनवरी 1970 में स्नेहक तेलों का उत्पादन शुरु किया ।

(ख) बरौनी शोधनशाला और मद्रास शोधनशाला का पूर्ण क्षमता पर, प्रतिवर्ष उत्पादन क्रमश: 46,000 मीटरी टन और 200,000 मीटरी टन होगा ; जिसके परिणाम स्वरूप लगभग 15 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की बचत होने की सम्भावना है ।

हीराकुड (उड़ीसा) में महानदी के समीप हीरों की चटटाने पाई जाना

2020. **श्री य० अ० प्रसाद :**
श्री रामचन्द्र वीरप्पा :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हीराकुड (उड़ीसा) से महानदी के निकट हीरों के निक्षेपों वाली चट्टानों का पता चला है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव):

(क) भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था ने सूचित किया है कि उन्होंने ऐसे किसी निक्षेप का पता नहीं लगाया है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

सहकारी समितियों को 'सामूहिक आवास' के लिए भूमि

2021. **श्री रामचन्द्र वीरप्पा :**
श्री चेंगलराया नायडू :

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने उन सहकारी समितियों को भूमि देने का निश्चय किया है जो सामूहिक आवास आधार पर फ्लेटों का निर्माण करने को तैयार है ;

(ख) यदि हां, तो उन समितियों की स्थिति क्या है जिनको शाहदरा क्षेत्र में भूमि दी गई है और इस भूमि का अधिकार उन समितियों को कब दिया जायेगा ;

(ग) इस समय पंजीकरण के लिए कितने आवेदन पत्र पड़े हैं ;

(घ) उन समितियों को कब तक भूमि दी जायेगी जिन्होंने वर्ष 1961 से पूर्व आवेदन किया था ; और

(ङ) क्या यह भी सच है कि महाराष्ट्र तथा गुजरात राज्यों ने सामूहिक आवास योजना को विस्तृत रूप से कार्यान्वित किया है और यदि हां, तो अन्य राज्यों में भी क्या प्रगति हुई है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) उन सहकारी आवास समितियों को भूमि आवंटन करने के लिए पंजीकृत करने का निर्णय किया गया है जो सामूहिक आवास के आधार पर निर्माण करेंगी ।

(ख) भाग (क) में उल्लिखित निर्णय से वे समितियां प्रभावित नहीं होंगी जिन्हें भूमि आवंटित कर दी गई है या जिनकी भूमि की मांग दिल्ली प्रशासन के पास पहले से ही पंजीकृत है। समितियों को शाहदरा क्षेत्र में भूमि का दखल अर्जन की कार्यवाहियों को अन्तिम रूप दिये जाने पर दे दिया जायेगा।

(ग) सूचना एकत्रित की जा रही है तथा यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(घ) कोई समय-सीमा नहीं बताई जा सकती।

(ङ) सूचना एकत्रित की जा रही है तथा यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी।

राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के तकनीकी विभाग के कार्य

2022. **श्री एस० एम० कृष्ण** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मन्त्री राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के तकनीकी विभाग के संगठनात्मक ढांचे तथा विकास सम्बन्धी विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव) : अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण संलग्न है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—2776/70]**

खनन समस्याओं के बारे में भारतीय खान विभाग द्वारा किया गया अनुसन्धान

2023. **डा० सुशीला नैयर :**
श्री यमुना प्रसाद मंडल :

क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय खान विभाग का एक कर्त्तव्य यह भी है कि वह केन्द्रीय खनन अनुसन्धान केन्द्र के सहयोग में खनन सम्बन्धी विशेष समस्याओं के बारे में अनुसन्धान करें ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में विभाग द्वारा अब तक किये गये ठोस अनुसंधान कार्य तथा खनिज उत्पादों का औद्योगिक उपयोग करने के लिए किए गए अनुसंधान के बारे में की गई समीक्षा का विवरण सभा-पटल पर रखा जायेगा ; और

(ग) केन्द्रीय खनन अनुसंधान केन्द्र के साथ सहयोग की शर्तें क्या हैं ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी, हाँ।

(ख) भारतीय खान ब्यूरो ने प्राकृतिक रूप में मिलने वाली अयस्को/खनिजों को औद्योगिक उपयोग के उपयुक्त बनाने के लिए कई अयस्क प्रसाधन तथा खनिज परिष्करण प्रयोग किये इस संबंध में महत्वपूर्ण उदाहरण नीचे दिए गए हैं :

(क) खेतड़ी, कोलिडान, अकवाली, राखा, सिक्किम, दरिबा तथा इन्गलधाल आदि से ताबा अयस्क ;

(ख) महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश की खानों से मैंगनीज अयस्क ।

(ग) गोआ से लौह अयस्क सूक्ष्म ।

(घ) उत्तर प्रदेश, राजस्थान तथा बिहार से फास्फेट्स ।

(ङ) राजस्थान तथा कोलार से बोल्फ्रेमाइट तथा शीलाइट (टंगस्टेन अयस्क) ।

(च) उड़ीसा तथा मैसूर से क्रोमाइट ।

(छ) सेलम से मेग्नेसाइट ।

(ज) कन्गेर घाटी (मध्य प्रदेश) तथा जम्मू कश्मीर से चूना पत्थर ।

(झ) केरल से ग्रेफाइट ।

औद्योगिक उपयोग के लिए इन परिष्करण परीक्षणों के अतिरिक्त निम्नलिखित के संबंध में भी कार्य किया गया ।

(1) निर्यात विशिष्टियों की पूर्ति के लिए वैलाडिला लौह अयस्क पर पीसने तथा छानने (क्रशिंग तथा स्क्रीनिंग) परीक्षण ; (2) ऐस्बेस्टास सीमेंट उत्पादों में उपयोग के लिए ऐस्बेस्टास का वर्गीकरण ; (3) विभिन्न उद्योगों में चीनी मिट्टी की उपयुक्तता का निर्धारण करने के लिए उसका स्क्रीन विश्लेषण तथा वर्गीकरण ; (4) बेराइटीज की पेषनीयता पर परीक्षण तथा उसके रंग को सुधारना ; (5) लौह अयस्क सूक्ष्मों का पैलेटाइजेशन ।

जहां तक विशेष खनन समस्याओं पर कार्य का संबंध है ब्यूरो इस समय निम्नलिखित समस्याओं के विषय में कार्य कर रहा है :

(1) अभ्रक खानों में आंशिक भराई के दौरान ठोस स्तम्बों के स्थान पर कंक्रीट चटाइयों का उपयोग ;

(2) अभ्रक खानों में आंशिक भराई के दौरान कूपकों, झुकावों और विजिज के सम्पोषण के लिये अपेक्षित स्तम्बों का परिमाप ;

(3) अभ्रक खानों में संवहन तथा भराई पर प्रयोग ।

जबकि अभ्रक खानों में संवहन तथा भराई पर प्रयोग के संबंध में कार्य खान—मालिकों की सहायता के साथ स्वयं ब्यूरो द्वारा किया जा रहा है, निम्नलिखित समस्याओं के संबंध में कार्य के लिए क्योंकि प्रयोगशाला अध्ययन तथा उपकरणों का प्रयोग अपेक्षित है अतः यह कार्य सहयोग तथा सहायता के लिये केन्द्रीय खनन अनुसंधान संस्था को निर्देशित किया गया है, (1) अभ्रक खानों में आंशिक भराई के दौरान ठोस स्तम्बों के स्थान पर कंक्रीट चटाईयों का प्रयोग ; और (2) पुलिबेन्डला ताल्लुक में भूमिगत खानों से ऐस्बेस्टास के अधिकतम उत्पादन के लिए निखनन कक्षों का परिमाप तथा आकार ।

(ग) क्योंकि समस्याएं परिवर्ती प्रकृति की हैं अतः सहयोग की कोई नियत शर्तें नहीं हैं ।

खनन की तकनीक और तरीकों सम्बन्धी प्रकाशनों की कमी

2024. **श्री एस० एम० कृष्ण** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खान तथा धातु विभाग खानों में प्रयोग में लाये जाने वाले विभिन्न प्रकार के उपकरणों के कार्य, उनकी उपयुक्तता, सुधार, खनन तथा खोज के तरीकों तथा तकनीक सबंधी प्रकाशनों की कमी को पूरा करने तथा गुण-प्रकार नियंत्रण के उपायों को अपनाने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ।

(ख) क्या कोई प्रकाशन प्रकाशित किया जा चुका है ; और

(ग) यदि हाँ, तो उनके नाम क्या हैं ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) भारतीय खान ब्यूरो पिछले कुछ समय से विभिन्न खनिजों पर, जो हमारी अर्थ-व्यवस्था के लिए तत्काल महत्व के हैं, विनिबन्ध तैयार करने पर ध्यान दे रहा है । इन विनिबन्धों में अन्य विषयों के साथ-साथ समन्वेषण के तकनीकों तथा पद्धतियों, खनन, परिष्करण, अनुकल्पों परीक्षण तथा वर्गीकरण के संबंध में सुविस्तृत विवेचन होता है । इन विनिबन्धों के अतिरिक्त ब्यूरो के "भारतीय खनिज वर्ष पुस्तक" नामक प्रकाशन में समन्वेषण तथा विकास, परिष्करण तथा अनुसंधान, खानों का मशीनीकरण तथा खनन में प्रवृत्तियों आदि के विषय में भी पर्याप्त सामग्री होती है । खनन क्षेत्र में प्रयोग में लाई जा रही मशीनरी तथा उपकरणों के संबंध में ब्यौरे भी इसी प्रकाशन में सम्मिलित किये जाते हैं ।

(ख) जी, हां ।

(ग) (1) भारतीय खनिज वर्ष पुस्तक (वार्षिक)

(2) खनिज आँकड़े तथा समस्याएं, संख्या 1— एस्बेस्टॉस

(3) खनिज आंकड़े तथा समस्याएं, संख्या 2— चीनी मिट्टी

(4) भारत में अपार धातु ।

खान तथा धातु परियोजनाओं के लिए विदेशी तकनीकी जानकारी

2025. **श्री यमुना प्रसाद मंडल** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों में खान तथा धातु से संबंधित उन परियोजनाओं के नाम क्या हैं जिनकी स्थापना में गत तीन पंचवर्षीय योजनाओं की अवधि में विदेशी तकनीकी विशेषज्ञों की पारिश्रमिक पर नियुक्त करना पड़ा था ;

(ख) प्रत्येक परियोजना के लिए उक्त अवधि में इस तरह के परामर्श के लिए कितना धन दिया गया था ; और

(ग) प्रत्येक परियोजना की लागत कितनी-कितनी है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री *जगन्नाथ* राव) : (क), (ख) और (ग). सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

दिल्ली नगर निगम द्वारा श्यामा प्रसाद मुकर्जी कालोनी का लिया जाना

2026. **श्री प० ला० बारुपाल :**

श्री लीलाधर कटकी :

क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास एवं नगर विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है दिल्ली विकास अस्थायी प्राधिकरण (दिल्ली विकास प्राधिकरण) ने वर्ष 1957 में नई दिल्ली में तिलक नगर के निकट श्यामा प्रसाद मुखर्जी पार्क नाम की बस्ती के प्लान की अपनी स्वीकृति दे दी थी ;

(ख) यदि हां, तो इस बस्ती में जब तक सड़क और नालियों का निर्माण न किये जाने के क्या कारण हैं ;

(ग) दिल्ली नगर निगम द्वारा इस विकसित क्षेत्र की सेवायें अपने हाथ में न लिये जाने के क्या कारण हैं, जबकि इसकी स्वीकृति दी जा चुकी हैं और यहाँ के निवासी नगर निगम को गृह कर आदि दे रहे हैं ;

(घ) क्या यह सच है कि इस बस्ती को कल्याण संस्था गत चार वर्षो से निगम को ज्ञापन आदि देती जा रही है परन्तु दिल्ली नगर निगम ने अब तक इस पर कोई भी कार्यवाही नहीं की है : और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन, और आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) इस कालोनी के नक्शे को भूतपूर्व दिल्ली विकास (अस्थायी) प्राधिकार ने मार्च 1957 में मंजूर किया था।

(ख) और (ग). 1957 के अन्त में दिल्ली विकास (अस्थायी) प्राधिकार समाप्त हो गया और इस क्षेत्र का नियंत्रण दिल्ली नगर निगम को सौंप दिया गया। दिल्ली नगर निगम ने बतलाया है कि मंज़ूर किये गये नक्शे के अनुरूप सेवाओं ओर सड़कों की व्यवस्था कोलोनाइजर को करनी थी। क्योंकि कोलोनाइजर ने सेवाओं और सड़कों की व्यवस्था विहित मानकों के अनुसार नहीं की है, इसलिए दिल्ली नगर निगम इन्हें अपने हाथ में लेने में समर्थ नहीं हो सका।

(घ) और (ङ). दिल्ली नगर निगम ने बतलाया है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी पार्क के निवासियों के कल्याण संघ से कुछ अध्यावेदन इस आशय के मिले थे कि निगम इन कालोनी

की सेवाओं को अपने हाथ में ले ले। निगम अधिकारियों ने मौके पर जाकर इन सेवाओं के सम्बन्ध में जाँच और इन सेवाओं में वर्तमान कमियों की लागत का अनुमान लगाने का कार्य शुरू कर दिया है।

Firms Dealing in Kerosene Oil in the Name of M/s. Radhakrishan Vimal-Kumar

2027. **Shri Molahu Prashad :** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 864 on the 24th February, 1969, and state :

(a) whether the requisite information regarding the names and addresses of the firms dealing in kerosene oil operating in the name of M/s. Radhakrishan Vimalkumar stating the dates when they got licences and the names, designations and addresses of the local civil authorities who gave them licences has since been collected ;

(b) if so, the full details in this regard ; and

(c) if not, the reasons for such inordinate delay ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri D. R. Chavan) : (a) to (c). In the Unstarred Question No. 864 dated 24-2-1969, the information desired pertained to the names and addresses of the firms dealing in kerosene oil in the name of M/s. Radhakrishan Vimal Kumar and the dates on which licences were issued to this firm by the local civil officers. This information has since been obtained and is given below :

Name of the Firm	Location	Date of issue of agency licence
M/s. Radha Krishan Vimal Kumar	Sikandrabad	3-2-1966
	Varanasi	3-3-1963
	Azamgarh	8-2-1966
	Jaunpur	18-2-1963
	Sultanpur	August, 1964
	Ghazipur	16-1-1963
	Gosainganj	5-1-1963
	Tanda	5-1-1963
	Robertsganj	18-1-1963
	Ahraura	13-2-1967
	Kasia	3-3-1964
	Ghaziabad	9-2-1967
	Gorakhpur	11-1-1963
	Ghughli	5-2-1963
	Padrauna	3-1-1963
	Khalilabad	1-1-1966
	Basti	1-1-1966
	New Delhi (Paharganj)	14-1-1965
	Delhi (Khari Baoli)	5-8-1965
	Delhi (Shakurbasti)	10-6-1968
	Faizabad	4-11-1965
	Aligarh	7-3-1967
	Akbarpur	6-2-1967
	Shahjahanpur	26-4-1957
	Calcutta	23-3-1966
	Howrah	18-4-1966
	Shibpur	18-4-1966

The labour involved in the collection and tabulation of the voluminous information relating to the names, designations and addresses of the local civil authorities who issued these licences will not be commensurate with the results sought to be obtained.

मारीशस के उर्वरक निगम के साथ भारत का सहयोग

2028. **श्री क० मि० मधुकर :**
श्री भोगेन्द्र सिंह :
श्री जगेश्वर यादव :
श्री सरजू पांडे :
श्री चन्द्रशेखर सिंह :

क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत मारीशस उर्वरक निगम के साथ सहयोग करने के लिए सहमत हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसकी शर्तें क्या हैं ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

चोरी छिपे लाये गए हीरों को जब्त किये जाने के बारे में जांच

2029. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उस व्यक्ति द्वारा किये गये रहस्योद्घाटन के बारे में की गई जांच का क्या निष्कर्ष निकला है, जिसको बम्बई हवाई अड्डे के सीमा शुल्क अधिकारियों ने पकड़ा था तथा जिसके पास से हीरे मिले थे और जिससे 30 जनवरी, 1969 को पूछताछ की गई थी ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की गई हैं अथवा करने का विचार है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (ग). सिंगापुर से आये एक यात्री को 30 जनवरी 1969 को बम्बई हवाई अड्डे पर पकड़ा गया और उसके पास सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा लगभग 7400 रुपये मूल्य के हीरे और करीब 6060 रुपये का अन्य सामान पकड़ा गया । इस मामले का न्यायनिर्णय किया जा चुका है और पकड़े गये हीरों को, सीमाशुल्क अधिनियम के अधीन जब्त किया गया है । अन्य सामान भी जब्त किया गया है लेकिन 6000 रुपये के जुर्माने की अदायगी करके उसे छुड़ाने का विकल्प दिया गया है । इस यात्री पर 7500 रुपये का व्यक्तिगत दण्ड भी लगाया गया है ।

विदेशी मुद्रा विनिमय विनियमन अधिनियम के अधीन कार्यवाही शुरू करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय द्वारा एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है ।

दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की सप्लाई और जल निकासी व्यवस्था में सुधार करने के लिए अनुदान

2030. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास एवं नगर विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की सप्लाई और जल निकासी व्यवस्था में सुधार करने के लिए सरकार ने अन्य राज्यों को जो अनुदान दिये हैं वे दिल्ली को अभी तक नहीं दिये गये हैं;

(ख) क्या दिल्ली नगर निगम के जल तथा जल निकासी विभाग ने इस सम्बन्ध में सरकार को कोई अभ्यावेदन भेजा है;

(ग) क्या सरकार को पता है कि दिल्ली नगर निगम के जल तथा जल निकासी विभाग में दिल्ली के आस पास के ग्रामों को नलों के माध्यम से पानी सप्लाई करने के लिये 350 लाख रु० की लागत की योजना तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार का विचार संघ राज्य क्षेत्र में ग्रामीण जनता को सहायता देने के लिए आधी धनराशि अनुदान के रूप में देने का है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) :(क) भारत सरकार राष्ट्रीय जलपूर्ति एवं सफाई कार्यक्रम के अन्तर्गत दिल्ली नगर निगम को उनकी जलपूर्ति एवं मल निष्कासन योजनाओं के लिए ऋण दे रही है। 1959 में दिल्ली नगर निगम को उनके ग्राम जलपूर्ति एवं सफाई योजनाओं के लिये एक लाख रुपये का अनुदान भी दिया गया था।

(ख) दिल्ली नगर निगम ने अपनी ग्राम जलपूर्ति योजनाओं के लिए राष्ट्रीय जलपूर्ति एवं सफाई कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुदान देने के लिए भारत सरकार से अनुरोध किया है।

(ग) और (घ). सूचना परिशिष्ट में दी गई है।

(ङ) दिल्ली नगर निगम को उनकी ग्राम जलपूर्ति योजनाओं के लिए राष्ट्रीय जलपूर्ति एवं सफाई कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुदान देने के प्रश्न पर योजना आयोग के साथ परामर्श करके विचार किया जा रहा है।

विवरण

दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में ग्राम जल पूर्ति की व्यवस्था के बारे में दिल्ली नगर निगम के जलपूर्ति एवं मल निष्कासन उपक्रम ने निम्नलिखित सूचना भेजी है :—

योजना	गांवों की संख्या	जन संख्या (1961 जन गणनानुसार)	अनुमानित लागत
1. बेगांव जहां जलपूर्ति योजनायें प्रगति पर हैं तथा 1971-72 तक पूर्ण हो जाने की सम्भावना है।	19	28,335	28.00 लाख

1	2	3	4
2. वे गांव जिनके लिए शहरी क्षेत्र से नलों द्वारा जल पूर्ति का विस्तार करके पीने के पानी की व्यवस्था की जानी है।	5	5,820	3.50 लाख
3. वे गांव जिनके लिये सफल सिद्ध हुए ट्रायल बोरों के परिणामों के आधार पर नलकूपों के माध्यम से जलपूर्ति की व्यवस्था की जा सकती है।	13	23,082	23.00 लाख
4. शाहदरा तथा महरोली खण्डों के गांव जोकि मोठे क्षेत्रों के निकट स्थित हैं।	58	54,930	82.40 लाख
5. नजफगढ़ शहर के आस पास के गांव जिनके लिये एक योजना तैयार की गई है।	57	57,894	97.00 लाख
6. खंजवाला तथा अलीपुर खण्डों के गांव जिनके लिए एक योजना तैयार की जा रही है।	50	88,120	132.18 लाख

राजस्थान तथा तमिलनाडु में अकालग्रस्त क्षेत्रों के लिए केन्द्रीय सहायता

2031. **श्री अदिचन :** **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :**

श्री हिम्मतसिंहका :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान, तमिलनाडु तथा देश के अन्य राज्यों में कितने क्षेत्र तथा जनसंख्या पर अकाल तथा सूखे का प्रभाव पड़ा है;

(ख) 1969 में बाढ़/अकाल/सूखे से पीड़ित प्रत्येक राज्य को धन के रूप में कितने केन्द्रीय सहायता दी गई;

(ग) क्या अकालग्रस्त विभिन्न राज्यों को दी गई केन्द्रीय सहायता में भारी अन्तर रहा है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसा किन कारणों से किया गया है ?

पूर्ति मंत्री और वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री र० के० खाडिलकर) : (क) और (ख). एक विवरण सभा की मेज पर रख दिया गया है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०—2777/70**]

(ग) और (घ). दुर्भिक्ष सहित प्राकृतिक विपत्तियों से सम्बन्धित राहत-कार्य पर होने वाले

खर्च के लिये केन्द्रीय सहायता उन केन्द्रीय दलों की सिफारिशों के आधार पर दी जाती है जो सम्बद्ध राज्य सरकारों के अनुरोध पर प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के लिए भेजे जाते हैं। केन्द्रीय दल अपनी सिफारशें देते समय अन्य बातों के साथ-साथ इन बातों को भी ध्यान में रखते हैं। राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तावित राहत-कार्यक्रमों का अनुमानित व्यय, प्राकृतिक विपत्ति से हुई हानि, प्रभावित जनसंख्या, फसलों, इमारतों और सम्पत्ति को हुई हानि, राहत के प्रयोजन के लिए किस प्रकार के कार्य करना आवश्यक है, राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति, आदि। चूंकि अन्तिम रूप से दी गयी सहायता बहुत सी बातों पर निर्भर होती है, इसलिए विभिन्न राज्यों को इस सम्बन्ध में दी गई रकम की आपस में तुलना नहीं की जा सकती।

मोहन सिंह प्लेस, नई दिल्ली के व्यापारियों से स्थायी पुनर्वास के अधिकारों के लिए अभ्यावेदन

2032. **श्री म० ला० सोंधी :**
श्री देवेन सेन :

क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास एवं नगर विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें मोहन सिंह प्लेस, नई दिल्ली के व्यापारियों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) क्या सरकार व्यापारियों को उनकी दुकानों के स्वामित्व के अधिकार प्रदान करके स्थायी पुनर्वास अधिकार देने के बारे में विचार करेगी ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी, हां।

(ख) नई दिल्ली नगरपालिका ने बतलाया है कि मोहन सिंह प्लेस पर नगरपालिका का स्वामित्व है और उन्हें इस मामले में अभी निर्णय लेना है। तथापि सामान्यतया वे मार्केटों के जिनमें मोहन सिंह प्लेस का मार्केट भी सम्मिलित है, स्वामित्व के अधिकारी का छोड़ने के पक्ष में नहीं हैं।

डेनमार्क के शिष्टमंडल की भारत यात्रा

2033. **श्री वि० नरसिंहा राव** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सांस्कृतिक कार्य और तकनीकी सहयोग मंत्री के नेतृत्व में डेनमार्क के एक शिष्ट-मंडल ने हाल ही में भारत का दौरा किया था ?

(ख) यदि हां, तो शिष्टमंडल से क्या विचार-विमर्श किया गया था; और

(ग) क्या निर्णय लिये गये तथा कौन-कौन से करार किये गये थे ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). यह बातचीत सामान्य रूप से अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सहायता खासकर डेनमार्क द्वारा भारत को दिये जाने वाले ऋणों तथा देश में, डेनमार्क के तकनीकी सहयोग से चलायी जाने वाली प्रायोजनाओं की प्रगति से सम्बद्ध विषयों पर हुई थी ।

इस बातचीत में न तो कोई खास निर्णय किया गया था और न ही कोई करार ।

Research on Age of Earth

2034. **Shri Bansh Narain Singh :**
Shri Ram Swarup Vidyarthi :

Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state :

(a) whether the attention of Government has been drawn to the statement made by the Russian Scientist Prof. Oprin as published at page 7 of the daily *Hindustan* dated the 10th January, 1968, that the age of earth is about 500 crore years and two hundred crore years might have passed when life started on it :

(b) whether Government are aware that according to Hindu concept, the age of each is two hundred crore years ; and

(c) if so, whether Government propose to conduct research on this fact ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri Jagannath Rao) : (a) Yes, Sir.

(b) It is understood that according to some ancient Indian literature, the age of the earth is about 1950 million years.

(c) It is reported that geochronological research is in progress in a number of laboratories in the world including India.

Revolvers brought by a Delhi Magistrate from U. K.

2035. **Shri Yashpal Singh :** **Shri Ram Charan :**
Shri Arjun Singh Bhadoria :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that one Sub-divisional Magistrate, Delhi brought with him four revolvers (two in his own name and two in the name of his wife) from U. K. in 1969, whereas he had got possession of licences for only two revolvers ;

(b) whether it is also a fact that a fine of Rs. 2,000/- was imposed upon the said Magistrate for bringing two additional revolvers whereas a fine of more than Rs. 2,000/- was being imposed on other persons committing such offences ;

(c) whether it is also a fact that the said official had also brought two revolvers (one in his own name and other in the name of his son) from U. K. in 1967 ; and

(d) if so, the action taken against the said official and the reasons for which the Customs authorities granted him special exemption from the payment of excise duty ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) No, Sir. In the year 1969 no sub-Divisional Magistrate imported any arms. However, an ex-Honorary Magistrate of Delhi and his wife imported two revolvers each, as part of their baggage. All the four revolvers were covered by valid possession licences.

(b) Two of the four revolvers were not covered by a valid Customs Clearance Permit granted by Chief Controller of Imports. A fine of Rs. 2,000/- was imposed besides collecting the Customs duty leviable thereon.

(c) The said ex-Honorary Magistrate and his wife had imported two revolvers as part

of their baggage in the year 1967. These revolvers were released against their free allowance under the Non-tourist Baggage Rules, on production of valid possession licences.

(d) No special exemption from payment of duty was granted. The action already taken has been indicated above. The question whether any further action is necessary is being examined.

केप्रोलेक्टम परियोजना सहित गुजरात के पैट्रो-रसायन उद्योग समूह के चालू करने में विलम्ब

2036. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :**
श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :

क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान केप्रोलेक्टम परियोजना सहित प्रस्तावित बड़ौदा पैट्रो-रसायन उद्योग समूह की कार्यान्विति में विलम्ब की सम्भावना के बारे में 5 जनवरी, 1970 के 'फाइनैंशियल एक्सप्रेस' में प्रकाशित गुजरात औद्योगिक विकास निगम के सदस्य, डा० ठाकुर भाई पटेल के विचारों की ओर दिलाया गया है ।

(ख) क्या उक्त परियोजना इस कारण संकट में है क्योंकि गुजरात में कुओं से कच्चे तेल के उपलब्धता के बारे में समय-समय पर तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा लगाये गये गलत अनुमान के कारण गुजरात तेल शोधक कारखाने के विस्तार कार्य के पूरा होने सम्बन्धी निर्धारित तिथि में परिवर्तन न होता रहता है;

(ग) क्या अंकलेश्वर से कच्चे तेल की सप्लाई 1975-76 से कम हो जायेगी और उत्तरी गुजरात तेल क्षेत्रों से भी 1973-74 से तेल की कम सप्लाई होगी; और

(घ) क्या आगामी कुछ वर्षों में गुजरात का आर्थिक विकास प्रस्तावित पैट्रो-रसायन उद्योग समूह से सम्बन्धित है और इसमें होने वाले बिलम्ब का उस पर बहुत हानिकारक प्रभाव होगा और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं । उत्तरी गुजरात तेल-क्षेत्रों में, पानी के कटाव तथा मोम कोयले के कण और रेत द्वारा कंठरोध होने के कारण उत्पादन की दर में कमी हुई है । क्षितिज, खासकर कलौल क्षेत्रों में, उतने अच्छे नहीं है जितनी की पहले आशा की जाती थी । भण्डारों के तथा सर्वोत्तम उत्पादन दरों के निर्धारण का पूरा प्रश्न एक सलाहकार फर्म को निर्दिष्ट किये जाने का सुझाव है। अंकलेश्वर तेल क्षेत्रों में कच्चे तेल की उत्पादन दर में कोई प्रतिकूल विकास नहीं हुआ है । गुजरात तेल शोधक के विस्तार की शक्यता पर भी अध्ययन किया जा रहा है । तेलशोधकों के लिये कच्चे तेल की आवश्यकताओं की पूर्ति, यदि आवश्यक हुई तो, विभिन्न तरीकों से की जायेगी । केप्रोलेक्टम परियोजना सहित, पैट्रो-रसायन उद्योग समूह प्रोग्राम के अनुसार प्रगति कर रहा है ।

(ग) जी हां ।

(घ) जी हां। किन्तु गुजरात पैट्रो-रसायन उद्योग समूह की कार्यान्विति में गम्भीर बिलम्ब की उम्मेद नहीं है।

विदेशी कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण

2037. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राजनीतिक दलों ने विदेशी कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण करने की मांग की है; और यदि हां, तो कौन-कौन से दलों ने यह मांग की है;

(ख) इस मांग के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). सरकार को पता है कि कुछ राजनीतिक दलों की राय विदेशी कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण कर दिये जाने के पक्ष में है। सरकार का मत है कि विदेशी अथवा भारतीय किसी भी उपक्रम का राष्ट्रीयकरण किये जाने का फैसला अर्थ-व्यवस्था की आवश्यकताओं और राष्ट्रीय हितों को देखते हुए किया जाना चाहिये।

कम्पनियों को दिये गये ऋणों का साम्य पूंजी अंशों में परिवर्तन

2038. **श्री न० कु० सोंधी** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विस्तार दत्त जांच समिति की औद्योगिक लाइसेंसों के बारे में इस आशय की सिफारिश को स्वीकार करने का नहीं है कि सरकारी वित्तीय संस्थाओं द्वारा कम्पनियों को दिये गये ऋणों को उनकी कम्पनियों की साम्य पूंजी में बदल दिया जाये; और

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या कारण है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). सरकारी क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं के सम्बन्ध में औद्योगिक लाइसेंस नीति विषयक जांच समिति की सिफारिशों के सम्बन्ध में सरकार ने, पहले ही से अपने नीति सम्बन्धी निर्णयों की घोषणा कर दी है। सरकारी क्षेत्र की वित्तीय संस्थाएं, वित्तीय सहायता के अपने प्रबन्धों के रूप में, भविष्य में दिये गये ऋणों और जारी किये गये ऋण-पत्रों के पूरे के पूरे या कुछ भाग को, एक निर्दिष्ट अवधि के अन्दर-अन्दर, सामान्य शेयरों में परिवर्तित कर सकेंगी। जहां तक पहले दिये गये ऋणों और ऋण-पत्रों का संबन्ध है सम्बद्ध वित्तीय संस्थाएं, अपनी इच्छानुसार समय पर न लौटायी गयी राशियों को परिवर्तन करने के सम्बन्ध में बात-चीत कर सकेंगी।

कर अपवंचन के अनुमान

2039. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **वित्त** मंत्री 23 फरवरी, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 14 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न विशेषज्ञ संगठनों तथा व्यक्तियों पर प्रति वर्ष कर अपवंचन के समय-समय पर लगाये गये अनुमान क्या हैं; और

(ख) इस सम्बन्ध में अमरीकी विशेषज्ञों को भी आमंत्रित करने के क्या कारण थे ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) कर अपवंचन के विस्तार को आंकना संभव नहीं है। सन् 1956 में प्रोफेसर कालडोर ने केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा दिये गये राष्ट्रीय आय के कुछ अस्थायी आंकड़ों के आधार पर अपवंचन के विस्तार का अनुमान लगाने का प्रयास किया था। उन्होंने कर निर्धारण वर्ष 1953-54 के लिये 200 से 300 करोड़ रुपये के बीच कर अपवंचन का अनुमान लगाया है। परन्तु उसने यह स्पष्ट कर दिया कि उसके आंकड़े केवल अस्थायी हैं और उनका निर्वचन बड़ी सावधानी से किया जाना चाहिए। त्यागी समिति का, जिसने अपनी रिपोर्ट 1959 में पेश की थी, मत था कि कर अपवंचन का विस्तार यद्यपि है तो बहुत तथापि उतना नहीं है जितना प्रोफेसर कालडोर ने बताया है।

(ख) अमरीकी दल ने आय और निगमित करों से सम्बन्धित भारतीय कर-कानूनों और कार्य विधियों में खामियों की जांच करने, करों के अपवंचन और करों से बचाव को रोकने तथा कर-निर्धारण सम्बन्धी कार्यविधि को सरल बनाने और करों को तेजी से वसूल करने के हेतु उपायों की सिफारिश करने की दृष्टि से भारतीय कर-कानूनों और कार्यविधियों का अध्ययन किया। उसने कर अपवंचन के विस्तार का अनुमान नहीं लगाया।

High Prices of Non-Ferrous Metals Affecting Industries

2040. **Shri Rghu Vir Singh Shastri** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the prices of non-ferrous metals have gone very high during the last few months as a result of which the production of various industries using non-ferrous metals is being adversely affected ; and

(b) if so, the reasons therefor and the action taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri Jagannath Rao) : (a) and (b). Except aluminium and Cadmium, and to some extent zinc and copper, the requirements of all the non-ferrous metals are being met by imports. The prices of imported metals are generally determined by the London Metal Exchange prices. In the recent months there have been sharp increases in the international market prices for several non-ferrous metals. These metals find their use in non-ferrous semis and alloys industries which in turn turn feed various other industries. The price increase will have not only a direct effect on the price of the end products but also adversly affect the quantitatives availability within the foreign exchange allocations made. To the extent feasible foreign exchange at the enhaunced C.I.F. values of the various metals is being released, so that the effect of the increase in the world prices of non-ferrous metals is partially mitigated in so far as the availability is concerned.

केन्द्रीय सरकार और पंजाब नेशनल बैंक द्वारा मैसर्स आसाम सिलिमेनाइट्स को दिये गये ऋण

2041. **श्री अब्दुल गनी दार** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार तथा पंजाब नेशनल बैंक ने मैसर्स आसाम सिलिमेनाइट्स तथा मैसर्स एग्रिन्ड फेब्रिकेशन्स लिमिटेड को करोड़ों रुपये का ऋण दिया है;

(ख) यदि हां, तो इन राशियों में से कितनी राशि वापस नहीं आ सकती; और

(ग) क्या यह सच है कि रिजर्व बैंक, पंजाब नेशनल बैंक तथा केन्द्रीय सरकार को इस बात का पूरा पता था कि वे नियम तथा विनियमों के खिलाफ ऋण दे रहे हैं और यदि हां, तो इसके लिये जिम्मेदार अधिकारियों के नाम क्या हैं और उनके विरुद्ध यदि कोई कार्यवाही की गयी है, तो क्या ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (ग). सूचना इकट्ठी की जा रही है और उसे सभा की मेज पर रख दिया जायगा ।

कोचीन उर्वरक परियोजना में काम देने के लिए एस० एस०/एल० सी० परीक्षा पास बेदखल व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

2042. **श्री पी० पी० एस्थोस :** **श्री विश्वनाथ मेनन :**
श्रीमती सुशीला गोपालन : **श्री के० एम० अब्राहम :**

क्या **पैट्रोलियन** तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात से सहमत हो गई है कि बेदखल किये जाने वालों में से उन सभी व्यक्तियों को जिन्होंने एस० एस० एल० सी० परीक्षा उत्तीर्ण की है अथवा एस० एस० एल० सी० स्टैंडर्ड तक अध्ययन किया है, एक प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए चुना जायेगा जिसकी अवधि तीन वर्ष होगी और उन्हें इसके अन्तर्गत कोचीन उर्वरक परियोजना में लाभप्रद काम प्राप्त करने के योग्य बनाया जायेगा :

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस वायदे को पूरा करेगी; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता ।

पिछड़े वर्गों को सहायता देने के लिए राज्यों में वित्त निगम स्थापित करना

2043. **श्री यमुना प्रसाद मंडल :** **डा० सुशीला नैयर :**
श्रीमती सावित्री श्याम :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में निर्बल तथा पिछड़े वर्गों को सहायता देने के लिए राज्यों में पृथक वित्त निगम स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1970-71 में किन-किन राज्यों में ऐसे निगम स्थापित किये जाने की संभावना है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (ग). कमजोर और पिछड़ी श्रेणियों के लोगों को सहायता देने के लिए राज्यों में अलग-अलग वित्त निगमों की स्थापना करने के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन नहीं है और न ही ऐसे निगम की स्थापना करने के लिए किसी राज्य न केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है।

80 प्रतिशत बैंक अब सरकारी क्षेत्र में है। देश के विभिन्न भागों में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की लगभग 7000 शाखायें हैं और इनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। बैंकों के लिए, राज्य सरकारों की सहायता से, जहां आवश्यक हो, कमजोर और पिछड़ी श्रेणियों के लोगों के आर्थिक दृष्टि से सक्षम, उत्पादनशील उद्यमों के लिए सहायता देना संभव हो सकेगा।

देश के लगभग प्रत्येक जिले के लिए, रिजर्व बक ने किसी एक मुख्य भारतीय बैंक को नेता बैंक नामित किया है। ये नेता बैंक, उन्हें सौंपे गये जिलों में, आर्थिक सम्भावनाओं और आवश्यकताओं का सर्वेक्षण करेंगे जिसमें कमजोर और पिछड़ी श्रेणियों के लोगों की आवश्यकताएं शामिल हैं। बैंकों से यह अपेक्षा की जाती है कि इन श्रेणियों के लोगों की आवश्यकताओं का निर्धारण करते समय और ऋण देने की उपयुक्त योजनायें तैयार करते समय, बैंक, राज्य सरकारों के सम्बद्ध अभिकरणों और सहकारी बैंकव्यवस्था से निकट सम्पर्क बनाकर कार्य करेंगे।

Preservation and Development of Mica Ore for World Market

2044. **Shri Shri Chand Goyal** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state whether it is a fact that adequate attention has not been paid to the preservation and development of mica ore to make its prices competitive in the World Market ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri Jagannath Rao) : No, Sir. Due attention is being paid to the preservation and development of mica Ore in India so as to make its prices competitive in the World market.

मध्य प्रदेश में नाइलोन धागे के कारखाने की स्थापना

2045. **श्री यमुना प्रसाद मण्डल :** **डा० सुशीला नायर :**
श्रीमती सावित्री श्याम :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1970-71 में मध्य प्रदेश में नाइलोन धागे का एक कारखाना स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो उसे कहां स्थापित किया जायेगा ;

(ग) क्या इस कारखाने के लिए कोई विदेशी सहायता प्राप्त की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी हां, गैर सरकारी क्षेत्र में।

(ख) मध्य प्रदेश में उज्जैन नामक स्थान पर ।

(ग) जी हां ।

(घ) अमेरिका के मैसर्स केमटेक्स इंक के साथ तकनीकी तथा वित्तीय सहयोग है । मैसर्स केमटेक्स ने जानकारी एवं इंजीनियरी सेवाओं सहित 265 लाख रुपये के मूल्य के संयंत्र तथा कल पुर्जों का आयात करना है । प्राप्त मशीनों के मूल्य पर 5 प्रतिशत की फीस पर उन्हें भारतीय कम्पनी को देशीय उपकरण प्राप्त करने में भी सहायता देनी है । उन्हें भारतीय कम्पनी के सामान्य शेयरों में विदेशी मुद्रा के रूप में 60 लाख रुपया लगाना है ।

भारत को उर्वरकों की आवश्यकताओं का अध्ययन करने के लिए पश्चिम जर्मन रिकन्स्ट्रक्शन लोन कारपोरेशन के प्रतिनिधि मण्डल का भारत आना

2046. **श्री वि० नरसिम्हा राव :**
श्री चन्द्र शेखर सिंह :
श्री नीतिराज सिंह चौधरी :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की उर्वरक सम्बंधी आवश्यकताओं का अध्ययन करने के लिए पश्चिम जर्मन रिकन्स्ट्रक्शन लोन कारपोरेशन का एक प्रतिनिधि मंडल हाल में भारत आया था ;

(ख) यदि हां, तो उसके साथ क्या विचार विमर्श किया गया था ; और

(ग) क्या निर्णय तथा करार किये गये ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) से (ग). पश्चिम जर्मन के एफ डबल्यु मिशन नामक एक दल ने गत जनबरी में भारत का दौरा किया और विभिन्न प्राधिकारियों से बातचीत की । यह मिशन तथ्य मालूम करने तथा पश्चिम जर्मनी कैपिटल ऐड से कुछ उर्वरक परियोजना । परियोजनाओं के लिए अर्थ व्यवस्था की संभावनाओं का अध्ययन करने के लिए आया था । मिशन पश्चिम जर्मन के प्राधिकारियों को रिपोर्ट देगा जिनकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा की जा रही है ।

डेरा इस्माइल खां कोआपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसायटी लिमिटेड, दिल्ली को आवंटित भूमि का विकास

2047. **श्री लीलाधर कटकी :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री डेरा इस्माइल खां कोआपरेटिव सोसाइटी द्वारा भूमि के विकास के बारे में 28 जुलाई, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1009 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूमि के विकास की अब क्या स्थिति है और क्या सरकार समझती है कि इस समिति को दी गई भूमि का विकास नियत तारीख अर्थात् 13 मार्च, 1970 तक हो जायेगा ; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार कोई अन्तिम तारीख निश्चित करने का

है जब यह समिति (एक) भूमि को पूर्णतया विकसित कर ले तथा (दो) प्लाट अंशधारियों को दे देगी ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) समिति ने एक पुनरीक्षित ले आउट प्लान दिल्ली विकास प्राधिकरण को प्रस्तुत किया है। जिसकी स्वीकृति अभी दी जानी है। अतएव, समिति नियत तारीख, अर्थात् 13 मार्च, 1970 तक भूमि का विकास पूरा नहीं कर सकेगी।

(ख) ले आउट प्लान स्वीकृति हो जाने के बाद प्रश्न पर विचार किया जायेगा।

चौथी योजना के लिए विदेशी सहायता

2048. **श्री शिव चन्द्र झा** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सम्पूर्ण चौथी योजना के लिए अपेक्षित कुल विदेशी सहायता के आंकड़ों को अन्तिम रूप दे दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है, विशेष रूप से सरकार को किन स्रोतों से विदेशी सहायता प्राप्त होने की आशा है और उसकी शर्तें क्या होंगी।

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). चौथी आयोजना को अन्तिम रूप देने के सम्बन्ध में साधनों के संशोधित अनुमान जिसमें विदेशी सहायता भी शामिल है, और आयोजन सम्बन्धी अन्य ब्यौरा तैयार किया जा रहा है जो यथा समय संसद सदस्यों को उपलब्ध कर दिया जायेगा।

दक्षिण अफ्रीका को चलचित्रों का अवैध निर्यात

2049. **श्री सणिभाई जे० पटेल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रवर्तन निदेशालय ने फरवरी, 1970 के प्रथम सप्ताह में, एक कम्पनी के प्रमुख को दक्षिण अफ्रीका को चलचित्रों के अवैध निर्यात के आरोप में गिरफ्तार किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस मामले का तथा उस सम्बन्ध में पकड़े गये चलचित्रों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उक्त गिरफ्तारी के पश्चात् सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (ग). विदेशी मुद्रा विनिमय विनियमन अधिनियम के प्रथम दृष्ट्या उल्लंघन के आरोप में मेसर्स यू० एस० एक्सपोर्ट कारपोरेशन हांककांग के मालिक को प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों द्वारा 2 फरवरी 1970 को गिरफ्तार किया था क्योंकि इस कम्पनी ने, हांगकांग और कुछ अन्य स्वीकृत क्षेत्रों में प्रदर्शन के लिए भारत से कुछ हिन्दी और तमिल चलचित्रों का आयात किया था, और जिनके बारे में यह विश्वास है कि उन्हें बाद में दक्षिण अफ्रीका में प्रदर्शन के लिए भेज दिया गया।

गिरफ्तार किये गये व्यक्ति को, प्रेसीडेन्सी मैजिस्ट्रेट ने जमानत पर छोड़ दिया था। इस मामले में आगे जांच पड़ताल जारी है और इस समय अन्य ब्यौरा बताना जांच-पड़ताल के हित में नहीं होगा।

Alleged Shelter to the Striking Delhi Sweepers' Leader by a Central Minister

2050. **Shri K. P. Singh Deo :**
Shri Ram Gopal Shalwale :

Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether attention of Government has been drawn to a report appearing in "Statesman" dated the 3rd February, 1970 regarding allegation made at the meeting of the Metropolitan Council that a Central Minister had given shelter to the striking sweepers' leader, even though there was warrant of arrest against him ;

(b) if so, whether Government have inquired into the facts of the case ; and

(c) if so, the result thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c). In a meeting of 30th January held in the office of the Minister of Health to discuss the strike of sweepers, the Mayor, Deputy Mayor and Chief Executive Councillor and others were present and it was agreed that the Labour Commissioner and the Deputy Commissioner, Delhi Municipal Corporation will be sent for to enable the Health Minister to find out whether the agreement was complied with. It was also understood that if the Sangh agreed to withdraw the strike on the assurance that after the strike was withdrawn, the Health Minister will decide whether and what extent the agreement was complied with, such a settlement would be aeceptable to them. It was in pursuance of this agreement that the Health Minister saw the sweepers and their leader. If there was a warrant the attention of Health Minister should have been drawn and he should not have been asked to see the sweepers and their leader. It is entirely wrong to say that the Minister knew that the Delhi Police were after the arrest of the leader. In fact, in pursuance of the talk the Union Health Secretary wrote to the Municipal Commissioner on 31.1.1970, requesting him to show the accompanying tentative draft of the agreement to the Mayor of Delhi.

STATEMENT

Delhi Pradesh Balmiki Mazdoor Sangh (Regd.) would call off the strike on the understanding that the matter would be looked into on the lines of the tentative agreement embodied in the accompanying draft.

It is the contention of the Municipal Corporation that the terms of settlement of July 24, 1969 arrived at with the Delhi Pradesh Balmiki Mazdoor Sangh (Regd.) have been implemented. Matters which were agreed to be referred to the Standing Csmmittee of the Corporation and the Conciliation Board have been submitted to them.

The Representatives of the Sangh do not accept the above contention and urge that the position may be verified through some independent agency.

Consequently, the representatives of the Corporation and of the Sangh, do hereby agree that the matter be enquired into by a nominee of the Government of India. They further agree that recommendations made by such nominee would be binding on them and that they would carry out the same forthwith. The nominee would also consider the question of non-victimisation of strikers as also the question of how the absence of employees

during the strike period is to be treated. Both the parties agree to abide by his findings in this respect also.

डेनमार्क से सहायता

2051. **श्री जी० वाई कृष्णन्** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डेनमार्क के मन्त्री ने, जिन्होंने जनवरी के दूसरे सप्ताह में भारत की यात्रा की थी, कहा था कि डेनमार्क द्वारा भारत को दी जाने वाली सहायता में वृद्धि की जाएगी ;

(ख) क्या करार के अनुसार ऋण की अदायगी में कोई विलम्ब हुआ है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं सेठी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

ग्रीन फील्ड कालोनी के कालोनाइजरों के विरुद्ध शिकायत

2052. **श्री कार्तिक उमरांव** : **श्री अ० कु० किस्कु** :
श्री श्रीचन्द गोयल : **श्री कंवरलाल गुप्त** :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मन्त्री 22 जनवरी, 1970 को ग्रीन फील्ड कालोनी, मथुरा रोड, नई दिल्ली, के एस० ओ० एस० चिल्ड्रन विलेज (बाल गांव) में गई थीं ;

(ख) यदि हां, तो वे किसके निमन्त्रण पर वहां गईं थीं ;

(ग) ए० ओ० एस० चिल्ड्रन विलेज के नाम जो भूमि है उसका क्षेत्रफल कितना है और इसको किसने तथा किन शर्तों पर दिया है ;

(घ) क्या सरकार को पता है कि ग्रीन फील्ड कालोनी के कालोनाइजरों के विरुद्ध उस कालोनी के, जहां वे गई थीं, भूखण्ड मालिकों ने शिकायतें की थीं ; और

(ङ) यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी, हां ।

(ख) एस० ओ० एम० चिल्ड्रन (किन्डरडरफर) आफ इण्डिया, के अध्यक्ष, श्रीमती तारा अली बेग ।

(ग) इन मामलों पर, सरकार के पास कोई सूचना नहीं है ।

(घ) 1968-69 में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं ।

(ङ) शिकायतें हरियाना सरकार को, जिसके अधिकार क्षेत्र में कालोनी पड़ती है, आवश्यक कार्यवाही के लिये भेज दी गई थीं ।

केरल में प्रतिरक्षा लेखा कार्यालय

2053. **श्री पी० विश्वम्भरन्** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में प्रतिरक्षा लेखा कार्यालय की कोई शाखा है और यदि हां, तो उसका नाम क्या है और वह वहां पर है ; और

(ख) यदि केरल में कोई बड़ा प्रतिरक्षा लेखा कार्यालय नहीं है तो क्या सरकार वहां पर एक कार्यालय खोलने का विचार करेगी ?

पूर्ति मंत्री और वित्त मंत्रायल में राज्य मंत्री (श्री र० के० खाडिलकर) : (क) जी हां । कार्यालयों के नाम तथा जहां पर वे कार्यालय स्थापित हैं उन स्थानों के नाम नीचे दिये गये हैं :

1. स्थानीय लेखा परीक्षा कार्यालय, त्रिवेन्द्रम् ।
2. यूनिट लेखाकार, गैरिज़न इन्जीनियर का कार्यालय, त्रिवेन्द्रम् ।
3. पेन्शन पे मास्टर ,त्रिवेन्द्रम् ।
4. नौसेना स्थानीय लेखा परीक्षा कार्यालय, कोचीन ।
5. यूनिट लेखाकार, गैरिज़न इन्जीनियर के कार्यालय (2), कोचीन ।
6. वेतन लेखा कार्यालय, रक्षा सुरक्षा कोर कन्नानोर ।

(ख) उपर भाग (क) के उत्तर को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता ।

Non-Payment of Pay Contribution Toward Public Debts of Undivided India

2054. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Pakistan has not so far paid its contribution in respect of public debts due from undivided India ;

(b) the total extent thereof payable by Pakistan and its value in terms of Indian currency ;

(c) the rate of interest on the said loans and the total amount thereof at present ;

(d) whether it is a fact that Government have paid the said debt loan ; and

(e) if so, the reasons for its payment and the action taken by Government for its recovery ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) The partition arrangements envisaged that the public debt of undivided India (about Rs. 1660 crores) would be serviced by the Government of India, The liability on this account along with other liabilities and assets of the undivided Government of India, was to be taken into account in computing the partition debt of Pakistan to India. In the absence of any agreement in regard to the amount of the partitions debt, no payment on this account has yet been made by Pakistan to India.

(b) For reasons explained in (a) above Pakistan's share of undivided India's public debt was not to be separately determined.

(c) Undivided India's loans carried interest at rates varying from 2¼ per cent per annum to 4½ per cent per annum. The amount of loans still to be redeemed is Rs. 388 crores approximately

(d) and (e). As explained in (a) above, the public debt liability of undivided India is that of the Government of India. However, as the amount of partition debt has not been settled, the Government of India are not servicing the preparation public debt in respect of securities enfaced for payment at treasuries in Pakistan.

Promotion in the Fire Services of Central Government

2055. **Shri P. C. Adichan :** Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the fireman working in the Fire Service units looking after the Central Government Offices, etc. in New Delhi have not been promoted so far to the post of the Fire Jamadars on the basis of seniority ;

(b) whether it is also a fact that his Ministry had long ago given permission to promote them as Fire Jamadars on the basis of seniority ; and

(c) if so, the reasons for not promoting them as Fire Jamadars uptill now ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) So far as Fire Units under the control of C.P.W.D. are concerned, there was only one vacant post of Fireman Jamadar attached to the Fire Unit at Parliament House. Orders have been issued for filling up this post by promotion of a Fireman on the basis of seniority according to the Recruitment Rules.

(b) Recruitment Rules for the post of Fire Jamadar already provide for filling up this post by promotion of Firemen with at least 10 years experience, and permission of the Ministry is not necessary for filling up the post according to the provisions in the Recruitment Rules.

(c) The Post of Fire Jamadar attached to the Parliament House Unit could be filled only after the full strength of Firemen attached to the unit was in position and the seniority list of Firemen in the Northern Zone had been compiled,

मंहगाई भत्ते का जीवन निर्वाह सूचकांक के साथ जोड़ा जाना

2056. **श्री वासुदेवन नायर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार जीवन निर्वाह सूचकांक के साथ मंहगाई भत्ते को जोड़ने के मामले के पुनरीक्षण पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या नीति अपनाना चाहती है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). जी, नहीं, केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता मंजूर करने की वर्तमान नीति में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

गुजरात राज्य को सहायता

2057. **श्री श्रीचन्द गोयल :**
श्री सोमचन्द सोलंकी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा सूखे तथा अकाल की स्थिति का सामना करने के लिये गुजरात को अनुदान की कितनी राशि दी गयी है ;

(ख) राज्य सरकार द्वारा कितनी राशि की अभी भी मांग की जा रही है ; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पूर्ति मंत्री और वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री र० के० खाडिलकर) : (क) गुजरात का दौरा करने वाले एक केन्द्रीय दल की सिफारिशों के आधार पर, भारत सरकार ने केन्द्रीय सहायता के प्रयोजन के लिए, चालू वित्तीय वर्ष में अभाव की स्थिति में किये जाने वाले राहत-कार्यों पर किये जाने वाले खर्च के लिए 18.10 करोड़ रुपये की उच्चतम सीमा स्वीकार की है ।

(ख) और (ग). राज्य सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में अभाव की स्थिति में अपने द्वारा किये जाने वाने वाले राहत-कार्यों पर 35 करोड़ रुपया खर्च होने का अनुमान लगाया है । एक केन्द्रीय दल शीघ्र ही गुजरात का दौरा करने जाने वाला है ताकि वह वहां की स्थिति की जांच कर सके और धन सम्बन्धी आवश्यकताओं को आंक सके । दल अपनी सिफारिशें करते समय अन्य बातों के साथ-साथ अभाव-स्थिति सम्बन्धी राहत-कार्यों पर होने वाले खर्च के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा लगाये गये अनुमानों को भी ध्यान में रखेगा ।

विषाक्त 'आर्जीमोन' अपमिश्रित खाद्य तेलों से बीमारियों का होना

2058. **श्री बाबूराव पटेल :** क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास एवं नगर विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्वास्थ्य सेवा महा निदेशक की विशेषज्ञ समिति के एक सदस्य श्री सोहराव ए० ई० हकीम ने 13 जनवरी, 1970 को बम्बई में एक वक्तव्य दिया था कि राज्यविवेचन परिक्षणों से यह पता चला है कि विषाक्त (आर्जीमोन) युक्त खाद्य तेलों से कैंसर, अन्धता तथा हृदय रोग की बीमारियां हो जाती हैं और मृत्यु भी हो जाती है और यही कारण है कि गुजरातियों में जो कि खाद्य तेलों से पकाये गये पदार्थ अधिक मात्रा में खाते हैं, कैंसर की बीमारी अधिक है ;

(ख) खाद्य तेलों के विषाक्त आर्जीमोन के अपमिश्रण को रोकने के लिये सरकार द्वारा क्या व्यावहारिक कार्यवाही की गई है ;

(ग) क्या यह सच है कि आर्जीमोन जंगली पौधों की तरह खेत की मेड़ पर उग आते हैं और उनके बीज प्रायः सरसों के बीजों में मिल जाते हैं ; और

(क) यदि हां, तो कृषकों को आर्जीमोन बीजों की विषाक्तता से अवगत कराने के लिये क्या उपाय किये गये हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) सरकार के ध्यान में ऐसा कोई वक्तव्य नहीं आया है।

(ख) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 में सरसों के तेल के लिये निर्धारित मानकों में यह विहित है कि उसमें आर्जीमोन तेल के परीक्षण नेगेटिव होनी चाहिए। राज्य स्वास्थ्य अधिकारी स्थानीय निकाय बाजारों से खाद्य तेलों के नमूने लेते हैं और लोक विश्लेषक उनका वह देखने के लिये परीक्षण करते हैं कि उनमें किसी प्रकार कोई नुकसानदायक चीजें या अन्य कोई पदार्थ तो नहीं मिलाया गया है।

(ग) जी हां।

(घ) राज्य सरकार को अनुदेश दे दिये गये हैं कि वे आर्जीमोन बीजों की विषाक्तता के बारे में लोगों को अधिक से अधिक जानकारी दें।

काश्मीर में चरस की खेती

2059. **श्री एन० शिवप्पा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि "भंग" से तैयार किये जाने वाले स्वापक पदार्थ, चरस, का उत्पादन, जो कि अब तक काश्मीर घाटी के केवल नदी-तट वाले गाँवों तथा जंगलों तक ही सीमित था, अब सारी घाटी में ही होना आरम्भ हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). मांगी गयी सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा की मेज पर रख दी जायगी।

सोना तथा अन्य माल की तस्करी

2060. **श्री क० प्र० सिंह देव :**
श्री नाथू राम अहिरवार :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में तस्कर व्यापार के सम्बन्ध में 29 जनवरी, 1970 के "इकोनामिक टाइम्स" प्रकाशित समाचार की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) 1 नवम्बर, 1969 से 31 जनवरी, 1970 तक कुल कितने मूल्य का सोना तथा अन्य माल पकड़ा गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी हां।

(ख) भारत में तस्कर आयात-निर्यात की समस्या पर सरकार का ध्यान सतत रूप से लगा हुआ है। तस्कर व्यापार को रोकने के लिये सारे देश में सुदृढ़ उपाय किये जा रहे हैं। समुद्रतटीय क्षेत्रों में अधिक निगरानी रखी जा रही है जिसमें नियमित रूप से गुप्त सूचना इकट्ठी

करने, कर्मचारियों को सुनियोजित ढंग से तैनात करने आदि की सहायता ली जा रही है। चोरी छिपे रूप में लाई गई वस्तुओं का पता लगाने के कार्य को सुविधाजनक बनाने के लिये सीमा शुल्क अधिनियम 1962 में संशोधन भी किया गया है।

(ग) 1 नवम्बर 1969 से 31 जनवरी 1970 की अवधि में सीमा-शुल्क प्राधिकारियों द्वारा पकड़े गये सोने और अन्य वस्तुओं का मूल्य निम्नलिखित था :

सोना	214 लाख रुपये (अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा दर पर)
अन्य वस्तुयें	491 लाख रुपये

पंजाब नेशनल बैंक लिमिटेड में सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद

2061. **श्री अब्दुल गनी दार** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दो वर्ष पूर्व सरकार को, पंजाब नेशनल बैंक लिमिटेड में सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद में 75 लाख रु० के गोलमाल के संबंध में केन्द्रीय जांच विभाग की रिपोर्ट प्राप्त हुई थी जिसमें सरकार से अनुरोध किया गया है कि वह पंजाब नेशनल बैंक के संबंधित निदेशकों या अधिकारियों के विरुद्ध मामला दर्ज कराने की अनुमति दे ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने केन्द्रीय जांच विभाग को कानून के अनुसार कार्यवाही करने की अनुमति दी थी ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क), (ख) और (ग) . केन्द्रीय जांच कार्यालय (सी० बी० आई०) द्वारा राजस्थान और उत्तर प्रदेश के जमींदारी उन्मूलन मुआवजा बाण्डों के लेन देनों के संबंध में की गयी जांच-पड़ताल के आधार पर, पंजाब नेशनल बैंक के दो भूतपूर्व अधिकारियों तथा स्टाक और शेयरों के तीन दलालों के खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 120ख और 409 के अन्तर्गत, 17 जून, 1968 को, दिल्ली के प्रथम श्रेणी (फर्स्ट क्लास) के मजिस्ट्रेट के न्यायालय में मुकदमे दायर किये गये थे। केन्द्रीय जांच कार्यालय ने सरकारी प्रतिभूतियों के संबंध में किसी अन्य लेनदेन के बारे में जांच नहीं की थी।

विभिन्न बैंकों के निदेशकों के विरुद्ध जांच

2062. **श्री अब्दुल गनी दार** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को, संसद के विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों तथा नेताओं द्वारा 14 अप्रैल, 1969 को तत्कालीन राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया गया ज्ञापनपत्र प्राप्त हो गया है जिसमें विभिन्न बैंकों के निदेशकों तथा रिजर्व बैंक तथा वित्त मंत्रालय के संबंधित अधिकारियों की वदनीयत के विरुद्ध न्यायिक जांच कराने के लिए प्रार्थना की गई थी; यदि हां, तो 31 जनवरी, 1970 तक इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई थी ; और

(ख) यदि अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). संभवतः इस प्रश्न

का सम्बन्ध, राष्ट्रपति के नाम भेजे गये एक संसद सदस्य के 19 अप्रैल, 1969 के उस पत्र से है जिसके साथ 14 अप्रैल, 1969 का एक ज्ञापन भी भेजा गया था, जिस पर 20 अन्य संसद सदस्यों के हस्ताक्षर थे और जिनमें पंजाब नेशनल बैंक द्वारा कुछ प्रतिभूतियां खरीदी जाने के सम्बन्ध में रिजर्व बैंक के कुछ अधिकारियों द्वारा अपने अधिकारों का दुरुपयोग किये जाने के बारे में अदालती जांच की मांग की गई थी। केन्द्रीय जांच कार्यालय ने, जिसने पंजाब नेशनल बैंक के कर्मचारियों के खिलाफ लगाये गये अभियोगों की जांच पड़ताल की थी, इस मामले में रिजर्व बैंक के किसी अधिकारी को दोषी नहीं पाया और तदनुसार 19 जुलाई, 1969 को इस आशय का उत्तर उक्त सदस्य महोदय को भेज दिया गया था।

सेवा निवृत्त होने वाले एक सिविल इंजीनियर को भारत अल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड के अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक के पद पर नियुक्त करना

2063. **श्री अदिचन :**

श्री दे० वि० सिंह :

क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रशासनिक सुधार आयोग ने सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी अपने प्रतिवेदन में यह सिफारिश की है कि इन उपक्रमों के उच्च पदों पर व्यक्तियों को पांच वर्ष की लम्बी अवधि के आधार पर रखा जाना चाहिए ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि भारत एल्यूमीनियम कम्पनी लिमिटेड के अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक के पद पर त्रिवेणी स्ट्रकल्चरल्स लिमिटेड के निदेशक एक सिविल इंजीनियर को जो कि एक अतिव्यस्कता के निकट पहुंचने के कारण सेवा निवृत्ति पाने वाले हैं, नियुक्त किया गया है अथवा किया जा रहा है, यदि हां, तो किन परिस्थितियों में ; और

(ग) क्या यह भी सच है कि ऊपर भाग (ख) में निर्दिष्ट व्यक्ति के लिये सरकारी उपक्रम में अनुसूची बी की नियुक्तियों के लिए उम्मीदवारों के चयन से सम्बन्धित "पैनल" ने सिफारिश नहीं की थी, यदि हां, तो उक्त 'पैनल' द्वारा जिन व्यक्तियों के लिए सिफारिश को गई थी उनकी उपेक्षा किये जाने के क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). भारत एल्यूमिनियम कम्पनी के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक के पद पर नियुक्ति के लिए कई अधिकारियों की उपयुक्तता पर विचार करने के पश्चात् त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड (औद्योगिक विकास निगम के अधीन सरकारी क्षेत्र का एक उपक्रम) के वर्तमान प्रबन्ध निदेशक, श्री पी० पी० दानी को इस पद पर नियुक्त किये जाने के सम्बन्ध में विचार किया जा रहा है। इस विषय में सरकारी क्षेत्र की प्रायोजनाओं में उनके कई वर्षों के अनुभव तथा कार्य निष्पादन को ध्यान में लिया जा रहा है वह अप्रैल, 1970 को 59 वर्ष के हो जायेंगे और डाक्टरी रूप से स्वस्थ पाये जाने पर उन्हें तीन वर्ष के अवधि के लिए नियुक्त किये जाने का विचार है।

इस अधिकारी का नाम सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में सर्वोच्च प्रबन्ध पदों पर प्रशासकीय नियुक्ति के लिये सूची 'ख' में सम्मिलित है।

Profits Earned by Planning and Development Division of Sindri Fertilizers

2064. **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Planning and Development Division of Sindri Fertilizers is earning annually lakhs of rupees as profit ; and

(b) if so, the scheme formulated to enable it to export goods along with meeting all the needs of the country ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri D. R. Chavan) : (a) The Planning and Development of Division of Fertilizer Corporation of India are mainly responsible for the design and engineering of the Fertilizer factories being established by the Corporation. It will not be strictly correct to view the annual account of the Planning and Development Division in terms of profit or loss. However, during the year 1968-69, there was an excess of income over expenditure to the extent of Rs. 13.47 lakhs, without taking into account the services rendered by the Division to the various units of the Corporation.

(b) The services of the Planning and Development Division are mainly intended to meet the recquirements of the fertilizer plants established/being established by the Fertilizer Corporation of India. However, the Planning and Development Division have secured an export order for catalysts developed by their own know-how.

Loss in Production at Nangal Fertilizer Factory due to Inadequate Supply of Electricity

2065. **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state :

(a) the extent to which the production of fertilizer has reduced in the Nangal Fertilizer Factory as a result of supply of less quantity of eleetricity to the said factory during the last three years : and

(b) the arrangements made by Government to ensure that full quantity of electricity is supplied to the said factory in future ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri D. R. Chavan) : (a) The loss of production suffered by Nangal Unit due to power cuts imposed by Bhakra Management Board during the last three years is given below :

Year	Loss as %age of normal production
1966-67	6.5
1967-68	0.25
1968-69	5.1

(b) Nangal gets its supply of power from Bhakra Hydro electric Power Station managed by Bhakra Management Board. Government have impressed upon the Board that the cut should be Limited to the minimum and should be resorted to only in unavoidable circumstances in the case of Fertilizer Factory. There is no other alternate source of supply for making up the shortfall of the power due to cuts made by Bhakra Hydro-Electric Power Station.

Loss Incurred by Sindri Fertilizer Factory during Last Year

2066. **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Sindri Fertilizer Factory incurred a loos last year even though there has been an increase in the production ; and

(b) if so, the steps being taken by Government to improve the situation ?

The Ministry of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri D. R. Chavan) : (a) Yes. The Sindri Unit of Fertilizer Corporation of India Ltd. suffered a loss of Rs 12.77 lakhs during 1968-69 though production in that year was marginally higher than in 1967-68.

(b) The loos occurred mainly on account of increase in cost of raw materials like gypsm and coal. The Fertilizer Corporation of India Ltd. have taken steps like installation of a Naptha Gasification unit and Sindri Rationalisation Scheme with a view to improving the overall economics of production at Sindri.

मनीपुर लोक निर्माण विभाग में कार्य भारित कर्मचारियों की संख्या

2067. **श्री एम० मेघचन्द्र :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर लोक निर्माण विभाग में, दो विद्युत डिवीजनों सहित कार्यभारित कर्मचारियों की डिवीजनवार कुल संख्या कितनी है ;

(ख) उक्त कार्यभारित कर्मचारियों के मंजूरशुदा वर्तमान स्थाई पदों की संख्या कितनी है ;

(ग) उक्त स्थायी पदों पर अस्थाई कार्यभारित कर्मचारियों को किस आधार पर स्थायी किया जाता है ; और

(घ) क्या सरकार का विचार उन अस्थाई कार्यभारित कर्मचारियों को स्थायी करने के लिए जिन्होंने मनीपुर लोक निर्माण विभाग में कम से कम तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली है स्थायी पदों की संख्या में वृद्धि करने का है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन तथा निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) 1,573 । डिवीजनवार ब्यौरा अनुलग्नक में दिया गया है ।

(ख) 422 पद ।

(ग) कार्य-प्रभारित स्टाफ की पुष्टि वरिष्ठता तथा उपयुक्तता के आधार पर की जायेगी ।

(घ) जी, नहीं ।

विवरण

मनीपुर लोक निर्माण विभाग के कार्य-प्रभारित स्टाफ का डिवीजन वार व्यौरा ।

1.	हाईवेज नार्थ डिवीजन	114
2.	हाईवेज साउथ डिवीजन	54
3.	इम्फल बिल्डिंग्ज डिवीजन	92
4.	स्टोर/वर्कशाप डिवीजन	70
5.	इरिगेशन डिवीजन	81
6.	इम्फल ईस्ट डिवीजन	91
7.	इम्फल वेस्ट डिवीजन	115
8.	उखरूल डिवीजन	166
9.	चूराचान्दपुर डिवीजन	244
10.	जिरीबाम डिवीजन	58
11.	बिजली डिवीजन	289
12.	बिजली परियोजना	199
	जोड़	1,573

मनीपुर के अस्पतालों तथा औषधालयों के लिए डाक्टरी तथा चिकित्सा कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि

2068. **श्री एम० मेघचन्द्र : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर सरकार ने उनके मंत्रालय से मनीपुर के अस्पतालों तथा औषधालयों के लिए डाक्टरी तथा चिकित्सा कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि करने का अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो मनीपुर सरकार ने क्या अनुरोध किया है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार सामान्य अस्पताल, मनीपुर के लिए विशेषज्ञ डाक्टरी, जिसमें शल्य चिकित्सा विशेषज्ञ शामिल है, की संख्या में भी वृद्धि करने का है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (ग). सितम्बर 1969 में, निम्नलिखित पदों के सृजन के लिए एक प्रस्ताव मणिपुर सरकार से प्राप्त हुआ था :—

जनरल अस्पताल लम्फेलपेट

600-40-1000-कु० रो०-50-1300 रुपये के वेतनमान से रोग-वैज्ञानिक	1

350-25-500-30-590-कु० रो०-30-830-35-900 रुपये
के वेतनमान में जीव-रसायनज्ञ 1

350-25-500-30-590-कु० रो०-30-830-35-900 रुपये
के वेतनमान में कैज्यूल्टी अधिकारी/रजिस्ट्रार/हाऊस सर्जन 4

महिला अस्पताल इम्फाल

600-40-1000-कु० रो०-50-1300 रुपये
के वेतनमान में विसंज्ञक 1

450-30-660-कु० रो०-40-1100-कु० रो-50-1250 रु०
के वेतनमान में कनिष्ट रोग-वैज्ञानिक 1

350-25-500-30-590-कु० रो०-30-830-35-900 रु०
के वेतनमान में कैज्यूल्टी अधिकारी/रजिस्ट्रार/हाऊस सर्जन 9

दिसम्बर, 1969 में भारत सरकार ने निम्नलिखित पदों के सृजन की मंजूरी दी है :—

जनरल अस्पताल लम्फेलपेट

600-40-1000-कु० रे,०-50-1300 रु० के वेतनमान में
तथा वेतन के 50 प्रतिशत के हिसाब से नांन-प्रैक्टिसिंग
भत्ता जो कि 600 रु० प्रतिमाह से अधिक न हो
रोग-वैज्ञानिक एक

महिला अस्पताल इम्फाल

600-40-1000-कु० रो०-80-1300 रुपये के
वेतनमान में तथा वेतन के 50 प्रतिशत के हिसाब से
नॉन-प्रैक्टिसिंग भत्ता जो कि 600 रु० प्रतिमाह से
अधिक न हो विसंज्ञक एक

450-30-660-कु० रो०-40-1100-50-1250 रु०
के वेतनमान में तथा वेतन के 50 प्रतिशत के हिसाब से
नॉन-प्रैक्टिसिंग भत्ता जो कि 600 रु० प्रतिमाह से
अधिक न हो कनिष्ट रोग-वैज्ञानिक एक

जहां तक जीव-रसायनज्ञ तथा कैज्यूल्टी अधिकारियों के पदों का सम्बन्ध है मणिपुर सरकार को यह सलाह दी गई थी कि वह अपनी प्रायोजित शक्तियों के अन्तर्गत इन पदों के सृजन हेतु विचार करें। रजिस्ट्रारों तथा हाऊस सर्जनों के पदों के बारे में उन्हें सलाह दी गई कि ये पद सावधिक पद हैं जो केवल शिक्षण संस्थाओं के लिए है। चूंकि जनरल अस्पताल, लम्फेलपट तथा महिला अस्पताल, इम्फाल शिक्षण संस्थायें नहीं हैं अतः इन पदों के सर्जन करने का प्रश्न ही नहीं उठता। शल्य क्रिया विशेषज्ञ के एक अतिरिक्त पद के सर्जन करने का कोई विचार नहीं है।

मनीपुर के लिए चौथी पंचवर्षीय योजना में नया मैडिकल कालेज स्थापित करना

2069. **श्री एम० मेघचन्द्र : क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या मनीपुर में एक मैडिकल कालिज खोलने की मनीपुर की मांग पर विचार किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन, निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) तथा (ख). मणिपुर में मैडिकल कालेज खोलने के प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार किया गया परन्तु चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में उसे सम्मिलित करने के लिए स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि जनसंख्या के आधार पर मणिपुर में मैडिकल कालेज नहीं खोला जा सकता । वैसे मणिपुर के विद्यार्थियों को विभिन्न राज्यों के मैडिकल कालेजों में प्रतिवर्ष कुछ सीटें दे दी जाती हैं ।

मनीपुर में मानसिक रोग अस्पताल खोलना

2070. **श्री एम० मेघचन्द्र : क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर में मानसिक रोग अस्पताल खोलने का प्रस्ताव स्थगित कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या यह सच है कि इस कार्य के लिए वर्ष 1967-68 में ही धन नियत कर दिया गया था ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन, और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (ग). मणिपुर प्रशासन ने 1966-71 के अपने प्रस्तावों में इम्फाल में 50 पलंगों वाले एक मानसिक अस्पताल की स्थापना के लिए दस लाख रुपये का तथा 1967-69 के वार्षिक योजना में 5 लाख रुपये का परिव्यय रखा था । प्रशासन को यह सलाह दी गई कि वे पृथक मानसिक अस्पताल खोलने के बजाय मनोविकार क्लिनिक की स्थापना करने के प्रश्न पर विचार करें । चौथी पंचवर्षीय योजना (1969-74) में मानसिक स्वास्थ्य के लिए मार्ग दर्शी परियोजना—जिलों में मनोविकार क्लिनिकों तथा शैक्षिक अस्पतालों की स्थापना करने की एक योजना केन्द्र पुनरोनिधानित योजना के रूप में चलाने के बारे में केन्द्रीय सरकार विचार कर रही है । इस योजना के अन्तर्गत मणिपुर प्रशासन की आवश्यकता पर विचार किया जायेगा ।

नीदरलैंड से ऋण

2071. **श्री मयावन :** **श्री गाडिलिंगन गौड :**
श्री नि० रं० लास्कर : **श्री सामिनाथन :**
श्री चेंगलराया नायडू : **श्री दण्डपाणि :**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नीदरलैंड भारत को उसके विकास कार्यक्रम के लिए 4.8 करोड़ का ऋण देने को सहमत हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस ऋण का किन योजनाओं में इस्तेमाल करने का सरकार का विचार है ; और

(ग) इस ऋण की शर्तें क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). जी, हां। नीदरलैंड सरकार के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किये गये हैं जिसके अन्तर्गत नीदरलैंड सरकार 8.29 करोड़ रुपये का एक ऋण देगी। यह ऋण किसी खास प्रायोजना या योजना से सम्बद्ध नहीं है बल्कि इसका उपयोग, मशीनों के हिस्सों, कच्चे माल, मशीनों के फालतू पुर्जों तथा पूँजीगत उपकरणों के आयात के लिए किया जायेगा। यह आयात, देश की लाइसैंस विषयक समूची नीति के अनुरूप ही किया जायेगा।

(ग) ऋण पर $2\frac{1}{2}$ प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज लगेगा और इसकी अदायगी 30 वर्ष की अवधि में की जानी है जिसमें प्रारम्भ के 8 वर्षों की रियायती अवधि भी शामिल है जिसमें मूलधन की कोई किस्त वापस नहीं की जायेगी।

निर्माण तथा आवास मन्त्रालय सहकारी आवास निर्माण समिति, दिल्ली

2072. **श्री राम चरण** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्माण तथा आवास मंत्रालय सहकारी आवास निर्माण समिति, दिल्ली ने दिल्ली प्रशासन को भूमि की कीमत के रूप में 20 लाख रुपयों से अधिक की राशि अदा की थी;

(ख) क्या यह भी सच है कि यह राशि एक वर्ष पूर्व दी गई थी लेकिन अभी तक समिति को भूमि अलाट नहीं की गई और जमा कराये गये धन पर ब्याज भी नहीं दिया जा रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो भूमि अलाट न करने और ब्याज न दिये जाने के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (ग). समिति द्वारा विभिन्न तारीखों पर, 19.36 लाख रुपये की राशि अदा की गई ; अन्तिम अदायगी 25 अप्रैल, 1968 को की गई।

अर्जन की कार्यवाही को अन्तिम रूप देने में देरी होने के कारण समिति को अभी तक भूमि का दखल नहीं दिया जा सका।

दिल्ली में "बड़े पैमाने पर विकास और निपटान" की योजना के अन्तर्गत, समितियों के लिये (भूमि के) अर्जन की लागत अदा करने के लिए समितियों से वसूल की गई राशि भूमि अर्जन कलेक्टर के पास पहले ही दे दी जाती है। इस योजना में ब्याज की अदायगी की कोई व्यवस्था नहीं है।

सीमावर्ती क्षेत्रों में मलेरिया के उन्मूलन हेतु एक समान तरीके का अपनाया जाना

2073. **श्री मयावन :** **श्री दण्डपाणि :**
श्री चेंगलराया नायडू :

क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 6 जनवरी, 1970 को कलकत्ता में हुए 8वें बर्मा, भारत, पाकिस्तान मलेरिया समन्वय सम्मेलन में इन तीनों देशों के सीमावर्ती क्षेत्रों में मलेरिया के उन्मूलन हेतु एक ही जैसे तरीके से कार्य करने की सिफारिश की गई है ;

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन में और क्या सुझाव दिये गये ; और

(ग) इन सुझावों को कहां तक स्वीकार किया गया है तथा क्रियान्वित किया गया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) बर्मा-भारत और भारत-पश्चिम सीमान्तों पर कार्य संचालन के वर्तमान समान पैटर्न को जारी रखने का सुझाव दिया गया। बर्मा-पूर्वी पाकिस्तान सीमान्त के संबंध में बर्मा से यह अनुरोध किया गया था कि वह अपने छिड़काव के एक मात्र दौर का समय इस प्रकार निर्धारित करे ताकि वह पूर्वी पाकिस्तान द्वारा किये जाने वाले छिड़काव के पहले दौर से जो मार्च और अपैल में किया जाता है मेल खा जाय। जहां तक भारत-पूर्व पाकिस्तान सीमान्तों का संबंध है, दोनों ओर छिड़काव क्रमों की अवधि तथा कीटनाशकों के छिड़काव की मात्रा में भिन्नता है। यह स्वीकार किया गया था कि 1970-71 में दोनों देश मात्रा तथा छिड़काव के वर्तमान स्वरूप को जारी रखेंगे और इसके अलावा परस्पर सहमति से निश्चित अवधि में तीन बार छिड़काव के लिए सीमान्त के साथ-साथ प्रयोगात्मक आधार पर कुछ छोटे क्षेत्रों को छांट लेंगे तथा आगामी वर्षों में एक समान स्वरूप अपनाने के लिये इनके परिणामों का मूल्यांकन करेंगे।

(ख) सूचना का आदान प्रदान छिड़काव के लिए कीटनाशकों की मात्रायें, छिड़काव चक्र, नक्शों का एक समान पैमाना, वार्षिक रक्त परीक्षण दर में सुधार तथा पैसिव मामलों का पता लगाना और शहरी मलेरिया जैसे तकनीकी विषयों पर छः प्रस्ताव पारित हुए। सम्मेलन ने एक प्रस्ताव और भी पारित किया जिसमें प्रतिवर्ष विशेषकर नवम्बर के महीने में एक अन्तर्देशीय मीटिंग करने के महत्व पर जोर दिया। पारित प्रस्तावों की एक प्रति संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०-2778/70]

(ग) जनवरी 1970 में हाल ही में एक मीटिंग कलकत्ता में हुई। सम्मेलन के तकनीकी

सदस्यों ने इन प्रस्तावों को स्वीकार किया और उन्हें अपनी अपनी सरकारों के अनुमोदनार्थ उनके पास भेज दिया।

कुष्ठ रोग सम्बन्धी विचार गोष्ठी

2074. **श्री मयावन :** **श्री चेंगलराया नायडू :**
श्री दण्डपाणि :

क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास एवं नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 12 से 31 जनवरी, 1970 तक कुष्ट रोग सम्बन्धी **एक विचार** गोष्ठी हुई थी जिस में दक्षिण पूर्व एशिया के कई देशों के कुष्ठ रोग चिकित्सकों **ने भाग** लिया **था** ;

(ख) यदि हां, **तो** गोष्ठी में किन-किन पर विचार विमर्श किया गया ;

(ग) क्या संसार में एक करोड़ 19 लाख व्यक्ति कुष्ट रोग से पीड़ित हैं ; **और**

(घ) भारत में कुष्ठ रोगियों की कुल संख्या कितनी है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां। विचार गोष्ठी 13 से 30 जनवरी, 1970 तक हुई।

(ख) जिन विषयों पर विचार किया गया वे इस प्रकार हैं :—

(1) कुष्ठ का वर्गीकरण

(2) महामारी विज्ञान

(3) उपचार

(4) नियन्त्रण के सामान्य तरीके

(5) प्रशिक्षण कार्यक्रम

(6) स्वैच्छिक संगठनों का योग

(7) रासाय रोग रोधन

(8) मूल्यांकन सिद्धांत

(9) भारत में कुष्ठ सम्बन्धी रिकार्ड रखना और सूचना देना

(10) रोग निरापद शास्त्र

(11) भौतिक चिकित्सा

(12) कुष्ठ कार्यों का समेकन

(13) भारत में अस्पतालों की भूमिका और

(14) चिकित्सा संस्थानों में कुष्ठ

(ग) संसार में लगभग एक करोड़ दस लाख कुष्ठ रोगी हैं ।

(घ) भारत में कुष्ठ रोगियों की अनुमानित संख्या 20.50 लाख है ।

पश्चिम जर्मनी से ऋण

2075. **श्री मयावन :** **श्री सामिनाथन :**
श्री नि० रं० लास्कर : **श्री रा० रा० सिंह देव :**
श्री चेंगलराया नायडू :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1969-70 में पश्चिम जर्मनी द्वारा भारत को कुल कितना ऋण दिया जायेगा ;

(ख) क्या हाल में फ्रंकफर्ट में भारत को ऋण देने के पांच करारों पर हस्ताक्षर हुए हैं ;

(ग) सरकार कहां तक इन ऋणों का इस्तेमाल कर सकेगी ; और

(घ) ऋणों की शर्तें क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जर्मनी की मुद्रा में 47.34 करोड़ रुपया ।

(ख) जी, हां ।

(ग) ऋण की रकमों को पूरा पूरा इस्तेमाल किये जाने की आशा है ।

(घ) 1969-70 की सहायता से संबंधित ऋण, सिवाय उस एक ऋण के जिसका संबंध ऋण-राहत से है, आठ वर्षों की रिया ती अवधि सहित तीस वर्षों में चुकाये जाने हैं और उनके व्याज की दर 2½ प्रतिशत वार्षिक है । ऋण-राहत की राशि, तीन वर्षों की रियायती अवधि सहित दस वर्षों में चुकायी जाती है और इस पर 3 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज लगेगा ।

चेरूप्पा (केरल) में लौह अयस्क के निक्षेपों के लिए सर्वेक्षण

2077. **श्रीमती सुशीला गोपालन :** **श्री सी० के० चक्रपाणि :**
श्री अ० कु० गोपालन : **श्री ई० के० नायनार :**

क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग ने चेरूप्पा जिला, कोजीकोड केरल, में लोह अयस्क के निक्षेपों का सर्वेक्षण पूरा कर लिया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसकी उप-पत्तियां क्या हैं तथा सरकार ने उन पर क्या निर्णय किया है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था ने इस निक्षेप का क्षेत्रीय अन्वेषण पूरा कर लिया है ।

(ख) अन्वेषणों के दौरान एकत्र की गई आधार सामग्री का संसाधन किया जा रहा है ।

विभिन्न गृह-निर्माण योजनाओं के लिए राज्यों को ऋण

2078. **श्री भगवान दास :** **श्री वि० कु० मोडक :**
श्री ज्योतिर्मय बसु :

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में तथा उसके बाद विभिन्न गृह-निर्माण योजनाओं के लिए राज्य-वार वास्तव में कितनी राशि वितरित की गई ;

(ख) उक्त अवधि में प्रत्येक राज्य द्वारा कितने मकान बनाये जाने की योजना है ; और

(ग) वास्तव में कितने मकानों का निर्माण किया गया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (ग). तृतीय पंचवर्षीय योजना के आरम्भ से लेकर 1968-69 तक राज्यों द्वारा ली गई केन्द्रीय सहायता तथा निर्माण, आवास और नगर-विकास विभाग द्वारा बनाई गई विभिन्न सामाजिक आवास योजनाओं के अन्तर्गत, इस अवधि में स्वीकृत हुए तथा पूरे किए गए मकानों के बारे में अपेक्षित सूचना, संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

तृतीय पंचवर्षीय योजना तथा 1966-67, 1967-68 और 1968-1969 के वर्ष में सामाजिक आवास योजनाओं के बारे में वास्तविक तथा वित्तीय प्रगति।

राज्य का नाम	स्वीकृत हुए मकानों की संख्या	पूरे हुए मकानों की संख्या	ली गई केन्द्रीय सहायता
			(लाख रुपयों में)
आन्ध्र प्रदेश	19,427	15,419	373.86
असम	1,747	1,331	79.43
बिहार	9,434	12,439	470.24
गुजरात	24,891	17,928	669.71
हरियाणा	1,176	901	3.27
जम्मू और कश्मीर	2,756	1,997	165.01
केरल	11,838	10,446	204.56
मध्य प्रदेश	17,058	14,425	410.40
महाराष्ट्र	62,756	54,335	1,833.41

1	2	3	4
मैसूर	25,587	18,188	524.85
नांगालैंड	1,137	1,137	18.59
उड़ीसा	9,394	8,271	191.70
पंजाब	3,994	5,646	166.67
राजस्थान	10,382	9,175	182.27
उत्तर प्रदेश	17,990	14,980	699.74
तमिल नाडु	34,297	24,738	961.89
पश्चिमी बंगाल	30,802	26,604	1,235.05

नोट :—ऊपर के आंकड़े, अब तक राज्य सरकारों से प्राप्त सामयिक प्रगति रिपोर्टों पर आधारित हैं ।

Setting up of Security Press

2079. **Shri Shiv Kumar Shastri :**
Shri Atam Das :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that out of the five places visited by the Survey Committee appointed in connection with the setting up of Security Press, four are located in Madhya Pradesh ;

(b) whether it is also a fact that the said press is likely to cost Rs. 12 crores ; and

(c) if so, the special factors taken into consideration in regard to the setting up of the said press and whether a decision to set up the same in Madhya Pradesh has been taken and if so, the location thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) Yes Sir.

(b) The new Bank Note Press is estimated to cost about Rs. 12.5 crores including interest on deferred payments in respect of machinery to be imported.

(c) It has been decided to locate the new Press in Dewas in Madya Pradesh. The factors taken into consideration in selecting this location are :

(i) reasonable nearness to the Security Paper Mill at Hoshangabad ;

(ii) access to the main broad gauge railway routes ;

(iii) facilities for security :

(iv) requisite elevation from the sea-level :

(v) a level of existing industrial development just sufficient to obviate problems of initial labour supply ; and

(vi) availability of land, water and power.

Increase in Deposits After Bank Nationalisation

2080. **Shri Shiv Kumar Shastri :**
Shri Atam Das :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there has been an increase in the deposits after bank nationalisation :

(b) whether it is also a fact that the State Bank of India has decided to open a Branch in each town with a population of ten thousand ;

(c) whether it is also a fact that the local banks would be empowered to sanction loans ; and

(d) whether it is also a fact that the said banks would make available funds for small industries and projects ; and if so, the details thereof ?

The Ministry of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) Yes, Sir. The aggregate deposits of all scheduled commercial banks (excluding inter-bank deposits) increased from about Rs. 4656 crores on 18th July, 1969, to about Rs. 4929 crores on January, 30, 1970, *i.e.* by Rs. 273 crores. Deposits of the 14 nationalised banks increased from Rs. 2626 crores to Rs. 2787 crores *i.e.* by Rs. 161 crores during the same period.

(b) The Government is not aware of any such decision. However, under the branch expansion programme formulated by the Reserve Bank in December last, all the unbanked "towns" as defined in the last census and unbanked treasury and sub-treasury centres in the country will be covered by the net work of commercial banks branches (mostly public sector banks) before the end 1970. Under this programme, the State Bank of India and its subsidiaries are expected to open about 350 branches at such centres in the course of the year, 1970.

(c) Yes, Sir. Powers have been delegated to the local managers of the bank offices to sanction loans up to specified amounts.

(d) Yes, Sir. The nationalised banks have been advised to meet in an increasing measure the credit needs of the neglected sectors which include small industrial units. These banks have announced schemes for providing finance to small industry as also the other neglected sectors such as farmers, road transport operators, small traders, etc. The extent of financial assistance available under the various schemes framed by the banks for lending to small industrial units is briefly indicated below :

Purpose	Extent of advances
Working capital for inventory, etc.	Actual need of the unit subject to a maximum of 75% of the cost, with exceptions in suitable cases.
Machinery and other fixed assets.	Rs. 50,000 to Rs. 2 lakhs.

प्रतिजीवाणु परियोजना, ऋषिकेष, का उत्पादन

2081. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**

श्री वासुदेवन नायर :

क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रतिजीवाणु परियोजना, ऋषिकेश में कुल कितने मूल्य का उत्पादन हुआ है ; और

(ख) क्या वर्तमान संयंत्र का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) संयंत्र के चालू होने की तारीख से लेकर जनवरी, 1970 तक बल्क में तथा फार्मलेशन्स में एण्टीबायोटिक्स के उत्पादन का कुल मूल्य 236.10 लाख रुपये है ।

(ख) जी नहीं, किन्तु उत्पाद मिश्रण के विविधिकरण पर विचार किया जा रहा है ।

Branches of Banks set up in Bihar Sharif, District Patna, Bihar and Applicants for Loans

2082. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the city of Bihar Sharif in District Patna (Bihar) is an important marketing centre of Potato ;

(b) if so, the names of Banks which set up their branches there ;

(c) the number of middle businessmen, technicians, farmers and labourers separately who have applied for loans since the date of nationalisation of banks and the number of those out of them who were given loans ;

(d) whether attention of Government has been drawn to the statement of local Legislator Shri Vijay Kumar Yadav that the banking authorities show reluctance in supplying prescribed forms to the persons desirous of taking loans ; and

(e) if so, the action proposed to be taken by Government to ensure that the persons seeking loan facility get loans early ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) Yes, Sir.

(b) There is a branch each of State Bank of India and Central Bank at Bihar Sharif.

(c) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

(d) and (e). Government is not aware of any such statement. However, enquiries will be made if any specific instance is brought to the notice of the Government.

अशोधित तेल का आयात

2083. **श्री रामावतार शास्त्री :**

श्री योगेन्द्र शर्मा :

क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत हर वर्ष 100 करोड़ रुपये के अशोधित तेल का आयात करता है और इसका आयात बिल धीरे-धीरे बढ़ रहा है ;

(ख) क्या अशोधित तेल के बारे में किसी दूसरे देश से हमारे पक्ष में अच्छी शर्तों का कोई अन्य प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (ग) पाँच तटवर्ती शोधनशालाओं में अन्य देशों से कच्चे तेल का आयात किया जाता है। आयात बिल 1965 के 40.4 करोड़ रुपयों से बढ़कर 1969 में 94.6 करोड़ रुपये हो गया है पैट्रोलियम उत्पादों की बढ़ी हुई मांग के फलस्वरूप, देश की शोधन क्षमता में वृद्धि होने के कारण ऐसा है।

(ख) और (ग). कच्चे तेल की कुछ पेशकशें प्राप्त हुई हैं। भारतीय तेल निगम मौजूदा अथवा प्रस्तावित शोधनशालाओं में शोधन के लिये तेल की तकनीकी उपयुक्तता पर अध्ययन कर रहा है।

हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी सम्बन्धी तकनीकी समिति का प्रतिवेदन

2084. **श्री गणेश घोष :** **श्री मुहम्मद इस्माइल :**
श्री के० रमानी : **श्री ई० के० नायनार :**

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी के निर्माण में घटिया **सीमेंट का** इस्तेमाल किया गया था जिसके कारण वह इमारत गिर गई है ;

(ख) क्या तकनीकी समिति ने इमारत के गिरने के कारणों की जांच की थी ; **और**

(ग) क्या तकनीकी समिति के प्रतिवेदनों तथा उसकी कार्यवाहियों के पूर्ण वृतान्त को सभा पटल पर रखा जायेगा ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (ग). हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी द्वारा अक्तूबर, 1967 में संगम पार्क में बनाये गये 32 क्वार्टरों के एक ब्लाक का संरचना-कार्य (फ्रेम-वर्क) गिर गया था किन्तु निर्माण में घटिया सीमेंट का प्रयोग उसका कारण नहीं था। एक तकनीकी कमेटी इस परिणाम पर पहुंची है कि ब्लाक के गिरने का प्रमुख कारण हवा थी। उन्होंने आगे यह भी रिपोर्ट दी थी कि यह भी संभव है कि हवा के कारण ब्लाक के अन्तिम कक्ष में स्थित डेरिक के जंजीर की तारों (गाई वायर) में से एक आश्रय (एंकरेज) के स्थान पर अथवा डेरिक से इसके सम्बन्ध के एक स्थान पर टूट गई जिससे डेरिक गिर गया। नीचे गिरता हुआ डेरिक सम्भवतः ब्लाक के कुछ भागों से टकराया जिससे ढांचा पूरी तरह गिर गया।

ऐसी दुर्घटनाओं से बचाव के लिए, समिति ने निम्न सिफ़ारिशें कीं :—

(1) निर्माण में प्रयुक्त बीम और कालमों के बीच सिंगल पिन जाइंट के बदले में और अधिक सुदृढ़ जाइंट लगाना चाहिये।

(2) निर्माण के अनुक्रम की आयोजना इस प्रकार करनी चाहिए कि निर्माण के दौरान ढांचे की मजबूती सुनिश्चित रहे। ऐसा करने के लिये यह सिफ़ारिश की गई है कि डेरिकों के स्थान पर टावर क्रेनों का प्रयोग किया जाना चाहिए। जब तक क्रेनें उपलब्ध नहीं होतीं, निर्माण के दौरान अस्थाई ब्रेसिंग्ज़ जायनिंग कालमों का प्रयोग किया जाना चाहिए। इसके इलावा, बकाया दो मंजिलों का निर्माण कार्य आरम्भ किए जाने से पूर्व, पहली दोनों मंजिलों का ढांचा तथा क्रास-दीवारें पूरी की जानी चाहिएं।

(3) फ्रेम का डिज़ाइन दृढ़ता की उस सीमा के अनुसार होना चाहिए, जिसके प्रयुक्त जोड़ की पद्धति विशेष द्वारा जोड़ों में प्राप्त होने की संभावना है।

(4) क्योंकि फैक्टरी में उत्पादित कंक्रीट की बहुत अधिक दृढ़ता अपेक्षित है, अतः यह आवश्यक है कि क्वालिटी नियंत्रण की उचित पद्धतियां आरम्भ की जाएं

ताकि उद्दिष्ट दृढ़ता वास्तव में प्राप्त हो सके और सारे उत्पादन में उसे बनाए रखा जाए।

(5) प्रतिदिन के कार्य के अन्त में, स्थान के इंजीनियर का यह उत्तरदायित्व होना चाहिए कि वह इस बात का ध्यान रखें कि कार्य को ऐसी अवस्था में न छोड़ा जाए, जिससे ढांचा अस्थिर बना रहे।

ऊपर दी गई सूचना को ध्यान में रखते हुए, सरकार तकनीकी समिति की रिपोर्ट और उसकी कार्यवाहियों को सभा पटल पर रखना आवश्यक नहीं समझती।

राज्य व्यापार निगम द्वारा सरकारी उद्यम ब्यूरो को दिया गया ज्ञापन

2085. **श्री भजहरि महतो :**
श्री स० चं० सामन्त :
डा० प० मण्डल :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम के अधिकारियों द्वारा कार्मिक प्रबन्ध नीति के बारे में निदेशक मण्डल को प्रस्तुत किये गये ज्ञापन की प्रति सरकारी उद्यम ब्यूरो को प्राप्त हो गई है ;

(ख) क्या राज्य व्यापार निगम बोर्ड ने इस महत्वपूर्ण ज्ञापन की प्रति सरकारी उद्यम ब्यूरो तथा वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय को भेजी है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या इस ज्ञापन और उसके उत्तर की प्रति सभा पटल पर रखने का सरकार का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). राज्य व्यापार निगम के अधिकारियों ने सरकारी उद्यम कार्यालय को, कर्मचारी प्रबन्ध नीति सम्बन्धी ऐसे किसी ज्ञापन की कोई प्रति नहीं भेजी, जो उन्होंने अपने निदेशक मंडल को पेश किया हो। राज्य व्यापार निगम के निदेशक मंडल ने भी, ऐसे किसी ज्ञापन की कोई प्रति सरकारी उद्यम कार्यालय अथवा विदेश व्यापार मंत्रालय के पास नहीं भेजी है।

(ग) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

पूंजी निवेश की प्रणाली में परिवर्तन

2086. **श्री वेणी शंकर शर्मा :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिजर्व बैंक के गवर्नर ने दिसम्बर में ऐसोशियेटिड चैम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री के स्वर्ण-जयन्ती सम्मेलन में बोलते हुए सरकार से पूंजी निवेश की प्रणाली में परिवर्तन करने का अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या परिवर्तन करने का सुझाव दिया गया है तथा इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) इस बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने निवेश की प्रणाली में इस प्रकार के परिवर्तन की वकालत नहीं की थी । उन के तर्क में इस बात पर जोर दिया गया था कि 'मुद्रा-स्फीति' के बिना विकास करने के लिये यह जरूरी है कि निवेश इस प्रकार से किया जाये जिस से इस बात की सुनिश्चित व्यवस्था की जा सके कि ऐसी वस्तुएं काफी मात्रा में उपलब्ध हों जिनके मूल्यों का स्थामित्व के लिए विशेष महत्व है ।

(ख) और (ग). ये सवाल पैदा ही नहीं होते ।

मलेरिया महामारी

2087. **श्री जी० वाई० कृष्णन्** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास एवं विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1968-69 में मैसूर राज्य में कितने व्यक्तियों के मलेरिया हुआ ;

(ख) क्या गत तीन वर्षों में समूचे देश में और विशेषतया मैसूर राज्य में मलेरिया का प्रकोप बढ़ा है ; और

(ग) यदि हां, तो इसकी रोकथाम के लिये सरकार ने क्या नवीन उपाय किये हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री व० सू० मूर्ति) : (क) मैसूर राज्य में वर्ष 1968 और 1969 में क्रमशः कुल 1029 और 1496 व्यक्तियों को मलेरिया हुआ ।

(ख) जी हां । गत दो वर्षों में मैसूर राज्य में मलेरिया के प्रकोप में मामूली की वृद्धि हुई । केवल 6 एकक मुख्य रूप से प्रभावित हुए ।

(ग) मलेरिया के प्रकोप को रोकथाम के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए :—

(1) इस कार्यक्रम को फिर से चरणवार बांटा गया है ।

(2) चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि में राष्ट्रीय मलेरिया उनमूलन कार्यक्रम को आक्रमण तथा समेकन अवस्था में शतप्रतिशत केन्द्रीय सहायता देकर एक केन्द्रीय पुरोनिधानित योजना बना दिया गया है ।

(3) रख रखाव अवस्था वाले क्षेत्रों में, सतर्कता कार्यों के लिये बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ाने के लिये अतिरिक्त कर्मचारियों पर होने वाले आपरेशनल खर्च के लिये शतप्रतिशत केन्द्रीय सहायता देकर उसे भी केन्द्रीय पुरोनिधानित बना दिया गया है ।

(4) कीटनाशकों तथा मलेरिया निरोधी औषधियों आदि के पर्याप्त भंडार की व्यवस्था करने के लिए उपाय किये गये हैं ।

(5) घुमन्त् व्यक्तियों तथा निरन्तर संचरण को इसके अन्तर्गत लाने के लिए विभिन्न राज्यों में कीटनाशक और महामारी विज्ञान संबंधी जांच कार्य तीव्र किया गया है।

(6) जिन क्षेत्रों में रोगवाहक मच्छरों में पतिरोधक शक्ति के बढ़ जाने के कारण डी० डी० टी० तथा बी० एच० सी० को अप्रभावकारी पाया गया है उन्हें चिन्हित कर उनमें इनके बदले दूसरे कीटनाशकों का परिक्षण तथा प्रयोग किया जा रहा है ।

(7) ए-स्टेफेन्सो की समस्याओं वाले शहरी क्षेत्रों में लार्वा निरोधी कार्यों को मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत लाया जा रहा है ।

दिल्ली में अनधिकृत बस्तियों का भविष्य

2088. **श्री जी० वाई० कृष्णन :**
श्री भरत सिंह चौहान :

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में कुल कितनी अनधिकृत बस्तियां हैं ;

(ख) क्या इन बस्तियों के भविष्य के बारे में कोई अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ;

(ग) क्या अनधिकृत बस्तियों को विनियमित करने के लिए दिल्ली बृहद् योजना में परिवर्तन करने का विचार है ; और

(घ) यदि हाँ, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) 1 फरवरी, 1967 को किए गए सर्वेक्षण के अनुसार, 101 ।

(ख) इन क्षेत्रों के सम्बन्ध में मास्टर प्लान की आवश्यकताओं पर उचित ध्यान देते हुए, जहां तक संभव हो, उस सीमा तक उनके नियमितीकरण पर विचार करने का निर्णय किया गया है । परन्तु पहले इन बस्तियों की समस्त भूमि को अर्जित किया जायेगा और इसके पश्चात् भवन बनाने योग्य स्थानों को अनुमोदित नक्शे के अनुसार पट्टे पर दे दिया जायेगा ।

(ग) तथा (घ). इन बस्तियों के नियमितीकरण के नक्शों के तैयार करने में, क्या ग्रीन बेल्ट क्षेत्रों में कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता है, इस प्रश्न का अध्ययन अगर आवश्यकता हुई तो किया जायेगा ।

हीरा खनन के लिए गैर-सरकारी उद्यमियों के साथ राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का सहयोग

2089. **श्री न० कु० सौंधी :** क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय खनिज विकास निगम अध्यक्ष ने यह कहा है कि हीरा

खनन के लिए किन्ही गैर-सरकारी उद्यमियों के साथ काम करने के बारे में निगम को कोई आपत्ति नहीं है ; और

(ख) क्या सरकार की नीति हीरा खनन उद्योग में गैर-सरकारी उद्यमियों को प्रवेश देने की अनुमति देने की है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड के अध्यक्ष ने बताया है कि इस प्रश्न के भाग (क) में उन पर आरोपित वक्तव्य तथ्यतः ठीक नही है ।

(ख) जी नही । हीरो का खनन औद्योगिक नीति संकल्प, 1956 की अनुसूचि 'क' में सम्मिलित है और इस रूप में इसका भविष्य में विकास एक मात्र सरकार का दायित्व है ।

भारत में विदेशी बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बारे में अमरीका को प्रधान मन्त्री द्वारा दिया गया आश्वासन

2090. **श्री न० कु० सांघी** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रधान मन्त्री ने अमरीका तथा अन्य देशों को गत जून में आश्वासन दिया था कि भारत में चल रहे विदेशी बैंकों की शाखाओं का राष्ट्रीयकरण नहीं किया जायेगा और यदि हाँ तो ऐसा आश्वासन देने की क्या आवश्यकता थी ; और

(ख) क्या सरकार को विदित है कि ब्रिटेन के बैंक, जिनकी भारत में शाखायें हैं, बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बारे में उच्चतम न्यायालय के निर्णय से चिन्तित हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, नहीं । न ही ऐसा कोई आश्वासन मांगा गया था और न ही कोई दिया गया है ।

(ख) उच्चतम न्यायालय के फैसले से ब्रिटेन के बैंकों पर पड़ने वाले कथित प्रभाव की सूचना सरकार को नहीं दी गई है ।

आय-कर निर्धारण

2091. **श्री पी० पी० एस्थोस** : **श्री विश्वनाथ मेनन** :
श्री ज्योतिर्मय बसु : **श्री प० गोपालन** :

क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वेतन आय तथ्य गैर-वेतन और व्यापारिक आय वर्गों में कर-निर्धारण वर्ष 1966-67, 1967-68 और 1968-69 में आरम्भ किये गये और कर-निर्धारण किये गये साधनों से राज्य-वार आँकड़े क्या हैं ;

(ख) इन उल्लिखित वर्षों में प्रत्येक श्रेणी के अन्तर्गत कितना आय-कर लगाया गया और कितना आय-कर वसूल किया गया ;

(ग) इन वर्षों में प्रत्येक राज्य में इन श्रेणियों में कितने मामलों में आयकर निर्धारण किया जाना शेष है और आय-कर की राशि कितनी है ;

(घ) इस अवधि में उनके विरुद्ध तथा गैर-वेतन वाली आय-कर लगाया गया कितना आय-कर बकाया है और प्रत्येक बर्ष में ऐसे मामलों की संख्या कितनी हैं ; और

(ङ) आय-कर की बकाया राशि वसूल करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) आयकर-विभाग नें आँकड़ों को आयकर-आयुक्तों के अधिकार क्षेत्रवार रखा जाता है तथा राज्य-वार नहीं रखा जाता। इसके अलावा, वेतन-जन्य वेतन-भिन्न तथा व्यापार से हुई आय के मामलों के लिए अलग-अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं है। किन्तु, 1966-67, 1967-68 तथा 1968-89 के दौरान निपटान के लिये पड़े नथा पूरे किये गये आयकर-निर्धारणों के अधिकार क्षेत्रवार ब्यौरे, अनुबन्ध क, ख तथा ग के कालम (2) तथा (3) में दिये गये हैं। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये** संख्या एल० टी०—2779/70]

(ख) (करोड़ रुपयों में)

(i) निर्धारित की गई आय-कर की कुल रकम	534.05	579.11	677.60
(ii) कुल वसूलियां, जिनमें बकाया मांग, अग्रिम-कर आदि से हुई वसूलियां शामिल है।	637.43	635.95	673.23

(ग) वर्ष 1966-67, 1967-68 तथा 1968-69 के अन्त में, आयकर-आयुक्त के अधिकार-क्षेत्रवार अनिर्णीत कर निर्धारणों के आंकड़े अनुबंध क, ख, तथा ग के कालद (4) में दिये गये हैं। ग्रस्त कर की रकम का यथोचित रूप से सही-सही अनुमान लगाना सम्भव नहीं है।

(घ) सम्भवत: माननीय सदस्य बकाया आय-कर के बारे में जानना चाहते हैं ?

कर-निर्धारण वर्ष 1966-67, 1967-68 तथा 1968-69 के अन्त में आयकर की बकाया रकम नीचे दिये अनुसार थी :

वर्ष	आयकर की बकाया रकम
1966-67	320.87 करोड़ रुपये
1967-68	374.52 करोड़ रुपये
1968-69	435.49 करोड़ रुपये

उपर्युक्त बकाया सम्बन्धी मांग की रकम में ग्रस्त मामलों की संख्या उपलब्ध नहीं है।

(ङ) आयकर की बकाया रकमों की वसूली के लिए निम्नलिखित विशिष्ट उपाय किये गये हैं :

(i) वसूली के कार्य को अपने हाथ में लेना जो अब तक राज्य सरकारों के अधिकारियों द्वारा किया जाता था।

दिल्ली, आन्ध्र-प्रदेश, गुजरात तथा राजस्थान के आयकर आयुक्तों के अधिकार क्षेत्रों में वसूली कार्य को पूरी तरह अपने हाथ में ले लिया गया है।

पश्चिम बंगाल, मद्रास, मैसूर, उत्तर प्रदेश, बम्बई तथा पूना के आयकर-आयुक्तों के अधिकार श्रेत्र में वसूली-कार्य को आंशिक रूप से हाथ में ले लिया गया।

बाकी के अधिकार-क्षेत्रों में भी वसूली-कार्य को यथा सम्भव शीघ्र ही अपने हाथ में लेने की कोशिश की जा रही है।

(ii) बकाया मांग की वसूली पर सूक्ष्म प्रशासनिक निगरानी।

(iii) कर्त्तव्य के अनुसार कार्य-विभाजन की योजना में और आगे सुधार करना, जिसके अन्तर्गत कर संग्रह का कार्य रेन्ज के एक अथवा एक से अधिक आयकर अधिकारियों का विशेष कार्य बना दिया गया है।

(iv) निरीक्षण निदेशक (अनुसंधान, सांख्यिकी तथा प्रकाशन) द्वारा 5 लाख रुपये से ऊपर बकाया सम्बन्धी मांग के मामलों की समीक्षा।

(v) जिन मामलों में आयकर की बकाया रकमें वसूल होनी बाकी है, उनमें उचित कार्यवाही करने की जिम्मेदारी विशिष्ट अधिकारियों पर, इस प्रकार रखी गयी है :

निरीक्षी सहायक आयकर-आयुक्त	—	1 लाख रुपये से कम की बकाया के मामले।
आयकर-आयुक्त	—	1 लाख रुपये तथा 5 लाख रुपये के बीच की बकाया के मामले
निरीक्षक निदेशक (अनुसंधान सांख्यिकी तथा प्रकाशन)	—	5 लाख रुपये तथा 25 लाख रुपये के बीच की बकाया के मामले।
बोर्ड	—	25 लाख रुपये से ऊपर की बकाया के मामले।

(vi) कम्पनी सम्बन्धी सभी मामलों के सम्बन्ध में बकाया-विवरण-पत्र रखना और गैर कम्पनी सम्बन्धी मामलों में निर्धारित आय 20,000 रु० से ऊपर होने पर बकाया विवरण-पत्र रखना।

(vii) आयकर-आयुक्तों के अधिकार क्षेत्रों में आयकर की बकाया रकमों की वसूली का कार्य शीघ्रता से करने के लिए विशेष वसूली एककों का निर्माण।

(viii) 1 अक्तूबर, 1967 से, विलम्ब से की जाने वाली अदायगियों के मामले में ब्याज की दर को 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 9 प्रतिशत कर दिया गया है।

(ix) विभाग द्वारा रेखाँकित चैकों का स्वीकार किया जाना तथा इस निमित्त आयकर कार्यालयों में अदायगी लेने के लिए विशेष काउन्टरों का खोजा जाना।

(x) उन निर्धारितियों के नामों को प्रकाशित करना जिन्होंने किन्हीं निर्धारित सीमाओं से ऊपर करों की अदायगी नहीं की है।

(xi) पूरे देश भर में "बकाया की वसूली करने के पखवाड़े" मनाये जा रहे हैं। इस अवधि में विचाराधीन समायोजनों/संशोधनों को पूरा करने, अपीलीय आदेशों को कार्यान्वित करने यथा निर्धारितियों से बकाया मांगों की शुद्ध रकमों की वसूली करने पर विशेष जोर दिया जायेगा।

(vii) कर-निर्धारणों तथा करों की बकाया के इकट्ठा होने से आरम्भ समस्याओं को सुलझाने के लिए विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति।

कोयला मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को राष्ट्रीय कोयला विकास निगम द्वारा लागू न किया जाना

2092. **श्री मुहम्मद इस्माइल :**
श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री वि० कु० मोडक :

क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जैसा कि राष्ट्रीय कोयला संगठन (भारत सरकार) कर्मचारी संघ ने 7 नवम्बर, 1969 को कहा है कि राष्ट्रीय कोयला विकास निगम ने जो कि उनके मन्त्रालय के अधीन एक सरकारी क्षेत्र का उपक्रम है, कोयला मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को पूर्ण रूप से लागू नहीं किया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि संघ ने प्रबन्धकों तथा श्रमायुक्त का ध्यान कोयला मजूरी बोर्ड की सिफारिशों के प्रत्येक मामले के सन्दर्भ में अक्रियान्विति, अनियमितताये, विषमता तथा भेद-भाव के अनेक मामलों की ओर दिलाया ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) उनका मन्त्रालय इसके लिए यदि कोई कार्यवाही कर रहा है तो क्या कि प्रबन्धक भविष्य में कोयला मजूरी बोर्ड की सभी सिफारिशों को लागू करें तथा हड़ताल न होने पाये ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी नहीं। राष्ट्रीय कोयला विकास निगम ने सरकार द्वारा स्वीकृत रूप में कोयला उद्योग पर वेतन मण्डल की सिफारिशों को पूर्णतया लागू कर दिया है।

(ख) राष्ट्रीय कोयला संस्था कर्मचारी संघ ने कुछ मामले राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के प्रबन्धकों तथा प्रादेशिक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), धनबाद के ध्यान में लाये हैं, जिनमें अकार्यान्वयन, अनियमितता, असमानता आदि के आरोप थे।

(ग) राष्ट्रीय कोयला संस्था कर्मचारी संघ द्वारा बताये गये विषय मुख्यत: वेतन मंडल की सिफारिशें जिस रूप में सरकार द्वारा स्वीकार की गई है, उनकी सीमा से बाहर हैं और वेतन मंडल की सिफारिशें जिस रूप में सरकार ने स्वीकार की है उन पर पर्याप्त सुधार के रूप में हैं।

(घ) जैसा कि ऊपर बताया गया है, कोयला वेतन मण्डल की सिफारिशें, जिस रूप में

सरकार ने स्वीकार की है, राष्ट्रीय कोयला विकास निगम द्वारा पूर्णतः कार्यान्वित कर दी गई है और हड़ताल की कोई आशंका नहीं है।

भारत की विदेशी आस्तियां

2093. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 जनवरी, 1970 तक भारत की विदेशी आस्तियों की बकाया धनराशि से घट कर 128.53 करोड रुपये रह जाने (25.99 करोड़ रुपये कम हो जाने) के क्या कारण हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति में सुधार करने के लिए क्या उपाय किये हैं ; और

(ग) एक मास पश्चात, अर्थात् 28 फरवरी, 1970 को इस सम्बन्ध में स्थिति **क्या थी ?**

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (ग). सम्भवतः माननीय सदस्य का संकेत भारतीय रिजर्व बैंक के बैंकिंग विभाग के खातों में जमा रकमों के आंकड़ों की ओर है जो 30 जनवरी, 1970 को 128.54 करोड़ रुपये रह गयी थी जबकि एक सप्ताह पूर्व यह रकम 154.53 करोड़ रुपये थी। इसके अलावा, इन्हीं तारीखों को रिजर्व बैंक के निगम विभाग में 281.42 करोड़ रुपये की विदेशी प्रभूतियां भी जमा थीं। 23 जनवरी, 1970 को विदेशों में रिजर्व बैंक की जमा रकम कुल मिलाकर 435.95 करोड़ रुपया थी जब कि 30 जनवरी, 1970 को यह रकम 409.96 करोड़ रुपया थी। यह कमी मुख्यतः इसी अवधि में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि को की गई 37.17 करोड़ रुपये (495 लाख डालर) की वापसी अदायगी के कारण हुई। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि को की गई यह अदायगी 1969-70 के दौरान निधि को 125.25 करोड़ रुपये (1670 लाख डालर) की की जाने वाली कुल अदायगी का एक भाग है। फरवरी के अन्त में भारतीय रिजर्व बैंक का विदेशों में लगभग 417.6 करोड़ रुपया जमा था जब कि चालू वर्ष के प्रारम्भ में यह रकम 314.2 करोड़ रुपया थी अर्थात् इसमें 103.4 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है।

भारत को अमरीकी सहायता में कमी

2094. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान समाचारपत्रों में हाल में छपे इस आशय के समाचारों की ओर दिलाया गया है कि 30 जनवरी, 1970 को समाप्त होने वाले अमरीकी राजकोषीय वर्ष में भारत को अमरीकी विकास सहायता 20 करोड़ डालर से अधिक मिलने की संभावना नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो भारत ने अमरीकी से अनुमानतः कितनी राशि मांगी थी ; और

(ग) अमरीकी सहायता की राशि में कथित कमी के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (ग). यद्यपि इस प्रकार की कुछ खबरें समाचार-पत्रों में छपी हैं परन्तु 1969-70 के लिए भारत को मिलने वाली सहायता की निश्चित राशि के सम्बन्ध में संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रशासन से कोई संकेत नहीं मिला। फिर भी, अनुमान है कि सहायता की रकम उतनी ही होगी जितनी 1968-69 में थी।

Funds for the Constrnction of Two-Roomed Quarters for Class IV Employees

2095. **Shri Nihal Singh** : Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) the amount of funds provided in the Budget for 1970-71 for the construction of two-roomed quarters for class IV employees ; and

(b) the number of quarters proposed to be constructed and the reactions thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) Budgetary allotment of funds for the construction of quarters for Government employees is normally not made category-wise. However, an amount of Rs. 448.94 lakhs has been proposed in the Budget of 1970-71 for General Pool quarters for Government employees including class IV staff.

(b) The number of two-roomed quarters for Class IV employees proposed to be constructed during 1970-71 is as follows :

Delhi	200
Calcutta	80
Madras	84
Chandigarh	80

Funds available being limited it is not possible to take up construction of question this type on a larger scale.

सरकार की वित्तीय नीति पर मिस्टर जान हिक्स के विचार

2096. **श्री पाशाभाई पटेल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार का ध्यान भारत सरकार की वित्तीय नीतियों पर बोलते हुए प्रसिद्ध ब्रिटिश अर्थ शास्त्री मिस्टर जान हिक्स के वक्तव्य की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि उन्होंने इस नीति में कुछ कमियों का भी उल्लेख किया था ; और

(ग) यदि हां, तो क्या इसके परिणाम स्वरूप सरकार ने अपनी गलत नीतियों में सुधार करने की कोई कार्यवाही की है ;

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, हां ।

(ख) प्रोफेसर हिक्स ने मुख्यतः मुद्रा विषयक नीति के सामान्य उद्देश्यों से सम्बन्धित सैद्धान्तिक पहलुओं पर वक्तव्य दिया था और उन्होंने भारत की सरकारी नीति पर कोई विशेष रूप से टीका-टिप्पणी नहीं की थी ।

(ग) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

औद्योगिक आवास योजना

2097. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश में, विशेषतया कानपुर में औद्योगिक आवास

योजना के अन्तर्गत बनाये गये गृहों के आवंटन के नियमों में संशोधन किया जा रहा है ताकि गैर-सरकारी अथवा सरकारी क्षेत्र के कारखानों में काम कर रहे किसी मजदूर का नाम भी गृह के आवंटन के लिए शामिल किया जा सके ;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसा संशोधन कर दिया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस विलम्ब के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) तथा (ख). जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

मन्त्रालय में केन्द्रीय सचिवालय क्लर्क सेवा के कर्मचारी

2098. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मन्त्रालय में केन्द्रीय सचिवालय क्लर्क सेवा के श्रेणीवार कुल कितने लोवर डिवीजन क्लर्क और अपर डिवीजन क्लर्क हैं ;

(ख) उनमें से श्रेणीवार कितने अस्थायी हैं और कितने स्थायी हैं और अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी न किये जाने के क्या कारण हैं ;

(ग) श्रेणीवार ऐसे कितने स्थायी पद हैं, जिन्हें तीन वर्ष से अधिक समय हो गया है ; और

(घ) अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी करने तथा तीन वर्ष से अधिक समय से चले आ रहे 80 अस्थायी पदों को स्थायी बनाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) लोवर डिवीजन क्लर्क — 98; अपर डिवीजन क्लर्क — 38

	अस्थायी	स्थायी
(ख) लोबर डिवीजन क्लर्कों की संख्या	50	48
अपर डिवीजन क्लर्कों की संख्या	37	1

अस्थायी कर्मचारी गण स्थायी नहीं किये जा सकते क्योंकि लोअर और अपर डिवीजन क्लर्कों के कुछ स्थायी पद, उन लोगों द्वारा रोके गये हैं, जो उच्च पदों पर स्थापन्न हैं । अस्थायी कर्मचारियों को केवल तब स्थायी किया जा सकता है जब स्थापन्न लोग उच्च पदों पर स्थायी हो जायेंगे और उनका स्थायी लोवर पदों पर पूर्वाधिकार समाप्त हो जायेगा ।

(ग) लोवर डिवीजन क्लर्क.....शून्य/अपर डिवीजन क्लर्क.....शून्य

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

भारतीय तेल निगम को हिन्द गैलवेनाइजिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी द्वारा आयात की गई इस्पात की 18 गैज की चादरों की सप्लाई

2099. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री 11 अगस्त, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2446 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय तेल निगम द्वारा हिन्द गैलवैनाइजिंग एन्ड इंजीनियरिंग कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड को आयात किये गये 18 गैज के 600 टन इस्पात की सप्लाई के विरुद्ध हिन्द गैलवेनाईजिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड द्वारा भारतीय तेल निगम को 20 गैज के 11 ढोल दिये जाने का कब पता चला ;

(ख) भारतीय तेल निगम द्वारा हिन्द गैलवेनाइजिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड को आयात किये गये 18 गैज के 600 टन इस्पात की सप्लाई के विरुद्ध 20 गेज के 11 ढोलों के पता चलने से पूर्व हिन्द गैलवेनाइजिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड द्वारा भारतीय तेल निगम को कितने ढोल सप्लाई किये गये थे ;

(ग) यह कैसे सुनिश्चित किया गया है कि हिन्द गैलवेनाईजिंग ऐण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी ने 20 गेज के 11 ढोलों का पता लगने से पहले भी भारतीय तेल निगम को 20 गेज के ढोल सप्लाई नहीं किये थे ?

(घ) क्या सरकार द्वारा आरम्भ की गई जाँच पूरी हो गई है ; और

(ङ) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) 12 अप्रैल, 1969 ।

(ख) 7,116 बैरलज़ ।

(ग) कलकत्ता में इण्डियन आयल ब्लैंडिंग लि० के ब्लेंडिंग प्लांट पर जांच और निरीक्षण के स्थापित पद्धतियों के अनुसार 20 गेज चादर से बने हुए किसी ढोल की पहचान ढोलों के भरने के समय हो जाती है । इन पद्धतियों के अनुसार, पूर्व-निर्धारित वजन के आधार पर भराई की जाती है ; जिसके फलस्वरूप भरने के बाद बैरल के उपरि हिस्से में निश्चित स्थान खाली रह जाता है । यदि पतली गेज चादर से बने ढोल इस्तेमाल हुए हैं, तो भरने वाला व्यक्ति उन्हें पहचान लेगा क्योंकि भरने के बाद बैरल के उपरि हिस्से में छोड़ा गया स्थान कम हो जायेगा ।

(घ) और (ङ) इस मामले में 20 गेज की इस्पात चादरों से बने हुए केवल 11 ढोल सप्लाई किये गये हैं । 11 ढोलों को बनाने के लिए एक तिहाई मीटरी टन से कम इस्पात चादर की जरूरत होगी । सांविधिक नियन्त्रण न होने के कारण उत्पादन के गोदाम से इस्पात-प्राप्त करने तथा उत्पादक के पास लम्बित आदेशों पर पिछले अप्राथमिक आर्डर पर माल देने के लिए कोई परमिट या कोटा प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती है । इस बात को ध्यान में रखते हुए, इस मामले में आगे और कोई जांच करने की आवश्यकता नहीं दीखती है ।

जम्मू तथा काश्मीर राज्य में गंधक और सुहागे के भण्डारों का पता लगाना

2100. **श्री नन्द कुमार सोमानी :** क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जम्मू तथा काश्मीर में गंधक और सुहागे के विशाल भण्डार पाये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो वाणिज्यिक आधार पर उन्हें निकालने का क्या कार्यक्रम है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) और (ख). लद्दाख की पूगा घाटी में गंधक तथा सोहागे के पाये जाने के सम्बन्ध में काफी समय से जानकारी है । भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था द्वारा व्यचन के द्वारा अन्वेषण प्रगति पर है । इन प्राप्ति स्थलों के व्यवसायिक उपयोग का प्रश्न अन्वेषणों को पूरा कर लिये जाने के उपरान्त ही उत्पन्न होगा ।

Income tax on Contribution to A.I.C.C.

210I. **Shri Ram Swarup Vidyarthi :**
Shri Bansh Narain Singh :

Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether his attention has been drawn to a report appearing in the daily 'Hindustan' dated the 3rd January, 1970 to the effect that a sum of Rs. 10 lakhs has been spent on Bombay Section of the ruling Congress ;

(b) if so, the names of private companies and industrialists who contributed towards this expenditure and amount of such contribution by each of them and the benefits given to them therefor ;

(c) the names of companies in India who offered services and goods for the said Session free of charge and the details of services and goods so offered ; and

(d) whether Government do not recover Income-tax on those amounts which are spent by private Companies towards such Sessions and if so, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) to (c). While Government have seen the press report referred to by the Hon'ble Members, they are not aware it, and to what extent, companies or industrialists made contributions or provided services or goods. However, the Hon'ble Members will note that in that very report there is a reference to a statement made by the General Secretary of the Maharashtra Congress Committee that firms which used to give liberal donations for Congress sessions had refused to make any contribution and that it was the general public which came forward to help. Several lakhs of rupees were collected through the sale of coupons of value ranging from Re. 1 to Rs. 100.

(d) No, Sir. Contributions to political parties are not exempt from income-tax.

Inquiry into the Assets of Income Tax Officers

2102 **Shri Ram Swarup Vidyarthi :**
Shri Bansh Narain Singh :

Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether Government propose to conduct an enquiry into the monthly expenses,

expenditure on the marriages of sons and daughters, educational expenses and the property earned by the Income-tax Officers during their term of office ; and

(b) whether Government are aware that most of the Income-Tax Commissioners take appointments on big salaries with big industrialists ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) No, Sir. Such a step would be discriminative in nature in respect of a particular service and would not be in the interest of administration. Moreover Government have adequate powers under the Central Civil Service (Conduct) Rules, 1964 to enquire into ways and means in which a civil servant has acquired moveable and immoveable property, in case of suspicion.

(b) Under the Civil Service Regulations retired Govermment servants are required to take permission from Government before accepting any commercial employment within a period of two years of their retirement. So far no Commissioner of Income-tax has asked for any such permission within the stipulated period, though one or two officers have taken up employment in the Public Sector Undertakings.

Measure to Remove Filth from the Vacant Plots Near Brigadier Hoshiar Singh Road, Sarojini Nagar, New Delhi

2103. **Shri Ram Swarup Vidyarthi :**
Shri Bansh Narain Singh :

Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2192 on the 1st December, 1969 and state :

(a) the strength of scavengers as sanctioned and their duties ;

(b) the steps taken recently by Government to ensure that the vacant plot near Brigadier Hoshiar Singh Road, Sarojini Nagar New Delhi is not made filty by the people residing in the adjoining camp till the latrines are not construcred there ;

(c) whether it is proposed to construct at that place any park, library, halls for accommodating marriage parties or any other community hall with a view to ensure that filth is not spread by the squatters living in the near by parking place of trucks, shop-keepers, the inhabitants in Central Division Godown No. 1 and 2, passers-by and the thelawals besides the residents of the adjoining camp ; and

(d) if not, the action proposed to be taken for removing filth from the said area permanently ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) The New Delhi Muncipal Committee has deployed 2 sweepers to look after the sanitation of the area.

(b) No other steps have been taken by the Government recently.

(c) According to the draft zonal plan, the area is shown for warehousing and storage depots and part green.

(d) The matter will be examined.

नई दिल्ली नगर पालिका के औषधालयों के लिए घटिया दवाइयां खरीदना

2104. **श्री सु० कृ० तापड़िया** : क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण आवास एवं नगर विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली नगर पालिका में अपने औषधालयों के लिए अनुमोदित फर्मों से घटिया दवाइयां खरीदी है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच की गई है तथा यदि हां तो उसके निष्कर्ष क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी नहीं ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों तथा अन्य अधिकारियों को प्रशिक्षण के लिए आर्थिक विषय विभाग में भेजना

2105. **डा० प० मंडल :**

श्री स० चं० सामन्त :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैदेशिक कार्य मन्त्रालय के भारतीय विदेश सेवा के कुछ अधिकारियों और कुछ अन्य अधिकारियों को प्रशिक्षण के लिए आर्थिक विषय विभाग में भेजा गया है ;

(ख) यदि हां, तो वित्त मन्त्रालय में प्रशिक्षण प्राप्त कर चुकने वाले तथा/अथवा प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे विदेश सेवा अधिकारियों के नाम क्या हैं ; और

(ग) क्या वित्त मन्त्रालय विदेश कार्यालय के आर्थिक डिवीजन के प्रसार में पर्याप्त सहायता कर रहा है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). जी, हां । सर्वश्री प्रकाश शाह और ललित मान सिंह, जो दोनों भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं, इस समय अर्थ विभाग में प्रशिक्षण के लिए नियुक्त है ।

(ग) विदेश मन्त्रालय के अर्थ विभाग के कर्मचारियों की संख्या में पिछले वर्ष वृद्धि की गयी थी । इस प्रभाग के सामान्य कार्य-संचालन में वित्त मंत्रालय द्वारा सभी आवश्यक सहयोग और सहायता दी जा रही है ।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में प्रतिनियुक्त व्यक्ति

2106. **डा० प० मंडल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा अन्य संवर्गों के कितने अधिकारियों ने अपने संवर्गों से त्यागपत्र देने के बाद सरकारी उपक्रमों में रोजगार करते रहने की इच्छा व्यक्त की है ;

(ख) क्या सरकार का विचार इन अधिकारियों की सूची सभापटल पर रखने का है तथा उन्हें प्रतिकर स्वरूप सरकारी उपक्रमों द्वारा क्या अतिरिक्त प्रलोभन दिये गये हैं ;

(ग) क्या ऐसे संवर्ग अधिकारियों की सूची भी सभापटल पर रखने का सरकार का विचार है, जिन्होंने सरकारी उपक्रमों में काम करते रहने से इन्कार कर दिया है ; और

(घ) क्या सरकार प्रतिनियुक्त व्यक्तियों के बारे में अपने पहले निर्णय पर पुनर्विचार कर रही हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) सरकारी उद्यमों में प्रतिनियुक्त, स्थायी सिविल सेवा के अधिकारियों को सरकारी उपक्रमों में स्थाई रूप से खप जाने या अपने मूल संवर्गों में वापस चले जाने के विकल्पों में से एक विकल्प अपनाने की जो छूट दी गई है उसके प्रयोग की समय सीमा को, 2500-3000 रुपये या उससे अधिक ऊंचे वेतन-मान वाले अधिकारियों के मामलों में, बढ़ा कर 28-2-1971 तक या उस तारीख से लेकर छः महीने तक, इनमें से जो भी पहले हो तब तक, कर दिया गया हैं, जिस तारीख को सरकारी उद्यमों में उन अधिकारियों के खपाये जाने की शर्तों को अंतिम रूप दिया गया हो। 2500-3000 रुपये से कम के वेतन-मान वाले अधिकारियों के मामले में, यह समय-सीमा 29-2-1972 या उनकी प्रतिनियुक्ति की निर्धारित तारीख में से जो भी पहले हो उस तारीख को (लेकिन 28-2-1971 से पहले नहीं) या उस तारीख के 6 महीने बाद समाप्त हो जाती है, जिस तारीख को सरकारी उद्यम कार्यालयों में उन अधिकारियों के खपाये जाने की शर्तों को अंतिम रूप दिया गया हो। इसलिये अभी इतनी जल्दी यह नहीं जाना जा सकता कि प्रतिनियुक्त व्यक्ति क्या फैसला करेंगे। फ़िर भी, विभिन्न सेवाओं के एक दर्जन से अधिक व्यक्ति अपने आप को स्थाई रूप से खपाये जाने की इच्छा प्रकट कर चुके हैं।

(ख) सभा की मेज पर उन अधिकारियों की सूची रखने का कोई विचार नहीं है जिन्होंने सरकारी उद्यमों में सेवा करने के पक्ष में अपनी राय जाहिर की है। जो अधिकारी सरकारी उद्यमों में स्थाई रूप से सेवा करना पसन्द करेंगे, उन्हें सरकारी उद्यमों में अपने वेतन के अलावा, सरकार में की गई अपनी सेवा के उपलक्ष्य में अर्जित पेंशन उपदान प्राप्त करने का भी अधिकार होगा। इसके अतिरिक्त, वे अपनी अर्जित छुट्टी और भविष्य निधि में किये गये अंशदानों को, उपक्रमों के सेवाकाल में अर्जित छुट्टी तथा भविष्य निधि सम्बन्धी अंशदानों के साथ मिला सकेंगे और अपरी पेंशन को भी राशिकृत करा सकेंगे।

(ग) स्थाई सरकारी सेवाओं के अधिकारियों को उनकी इच्छा के विरुद्ध सरकारी उद्यमों में नौकरी करने के लिये बाध्य करने का कोई प्रश्न ही नहीं हैं।

(घ) जी नहीं।

लूबे इंडिया लिमिटेड के एक प्रैस सम्मेलन में गैर-सरकारी क्षेत्र के विदेशी सहयोग कर्ताओं द्वारा सरकार की कथित आलोचना

2107. **डा० प० मंडल** : **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लूबे इंडिया बोर्ड में सरकार के निदेशक ने अभी हाल में नई दिल्ली में आयोजित हुए प्रैस सम्मेलन में भाग लिया था जहां गैर-सरकारी क्षेत्र के विदेशी सहयोग कर्ताओं ने सरकार की आलोचना की थी ;

(ख) क्या मंत्रालय के सूचना विभाग ने इस प्रैस सम्मेलन के बारे में जिसमें मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने भी भाषण किये थे, अंधेरे में रखा गया ;

(ग) क्या संयुक्त क्षेत्र के दूसरे उपक्रम आयल इंडिया के जन-सम्पर्क विभाग को भी विदेशी गैर सरकारी क्षेत्र के हितों की हिमायत करने की आदत है ; और

(घ) क्या सरकार संयुक्त क्षेत्र के उपक्रमों के जन-सम्पर्क कार्य का भार अपने मंत्रालय के अधीन रखेगी ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) लूबे इंडिया लि० के वित्त निदेशक (बोर्ड में भारत सरकार के नामित) प्रैस सम्मेलत में उपस्थित थे, किन्तु वहां पर गैर सरकारी क्षेत्र के विदेशी सहयोगी ने सरकार की कोई आलोचना नहीं की थी ।

(ख) सम्मेलन में मंत्रालय के प्रतिनिधि उपस्थित नहीं थे ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) गैर-सरकारी क्षेत्र में कम्पनियों के जन-सम्पर्क कार्य के उत्तरदायित्व को लेने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है ।

मंडी हाउस और सिकन्दरा रोड़ हटमेंट्स, और नई दिल्ली के अलाटियों को बारी-पूर्व आवंटन सम्बन्धी पुनर्विलोकन समिति

2108. **श्री डा० प० मंडल : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बेकार घोषित की गई मंडी हाउस और सिकन्दरा रोड मैस हटमैंट्स, नई दिल्ली के सभी बारी-पूर्व अलाटियों को वैकल्पिक आवास दे दिया गया है ;

(ख) क्या बारी-पूर्व आवंटन के अधिकारी तथा अनधिकारी व्यक्तियों के मामलों संबंधी पुनर्विलोकन समिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है ;

(ग) यदि हाँ, तो पुनर्विलोकन समिति की सिफारिशों पर सरकार ने क्या निर्णय किये हैं ; और

(घ) क्या सरकार ऐसे मामलों की सूची सभा पटल पर रखेगी, जिसमें जनवरी, 1969 से फरवरी, 1970 के बीच नया अथवा वैकल्पिक आवास दिया गया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) मंडी हाउस के मामले में 26 आवंटियों में से 24 का, और सिकन्दरा रोड हटमैंट के मामले में 30 आवंटियों में से 11 को वैकल्पिक वास आवंटित कर दिया गया है । मंडी हाउस के दो और सिकन्दरा रोड हटमेंटस के 15 आवंटी वैकल्पिक वास की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जबकि सिकन्दरा रोड के 4 आवंटियों के मामलों में आवंटन रद्द कर दिये गये हैं । सरवेंट क्वार्टरों के 60 आवंटियों में से 55 आवंटियों को आवंटन कर दिये गये हैं किन्तु 49 ने स्वीकार कर लिया है और 6 ने स्वीकार नहीं किया है ।

(ख) और (ग). चिकित्सा कारणों पर बिना बारी के आधार पर वास के आवंटन/तबदीली के स्वीकृत उन सभी मामलों, जिन में आवंटन नहीं किया जा सका है और यह जांच करने के लिये कि क्या बीमारी का कारण अब भी मौजूद है, के पुनरीक्षण करने के लिये एक विशेश समिति स्थापित की गई थी। समिति ने 517 मामलों में से 166 का पुनरीक्षण किया है और 92 मामलों में आवंटन का अनुमोदन किया है तथा 74 मामलों को अस्वीकार किया है। शेष 351 मामले अभी पुनरीक्षाधीन हैं।

(घ) जनवरी, 1969 और फरवरी, 1970 के बीच सामान्य मूल वास से दिल्ली/नई दिल्ली में जिन मामलों में वैकल्पिक आवास की व्यवस्था की गई है अथवा जिनमें तदर्थ आधार पर आवंटन किया गया है, उन मामलों की संख्या का एक विवरण संलग्न है।

विवरण

वैकल्पिक वास		तदर्थ आधार पर किये गये नये आवंटन			
मंडी हाउस और सिकन्दरा रोड हटमैंट्स (जिनमें सर्वेन्ट्स क्वार्टर शामिल हैं) के दखलकारों को तदर्थ आधार पर उपलब्ध किये गये वैकल्पिक वास के मामलों की संख्या	उन मामलों की संख्या जिन में क्वार्टरों के दखलकारों को जिन्हें गिराने कि या अन्य उद्देश्यों के लिए आवश्यकता थी वैकल्पिक वास की व्यवस्था की गई	चिकत्सा कारणों पर	सामान्य पूल वास के दखल में सेवा निवत/ स्वर्गवासी सरकारी कर्मचारियों के निकट संबंधियों को	मंत्रियों/उप-मंत्रियों/लोक सभा के अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष, राज्य सभा के अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष, योजना आयोग के सदस्यों और सर्वोच्च न्या-यालय के न्यायधीशों के वैयक्तिक स्टाफ को	विशेष मामलों के तौर पर जैसे दूसरे पूल-वास को खाली करना, सरकारी हित में या सहानुभूति कारणों के आधार पर तदर्थ आवंटन
1	2	3	4	5	6
84	84	83	207	49	67

भारत के निर्यात के वित-पोषण के लिये अमरीकी कम्पनी

2109. **श्री ज्योतिर्मय बसु :**

श्री स० चं० सामन्त :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई के "इकनामक टाइम्स" द्वारा अपने 13 जनवरी, 1970 के अंक में "एक्सपोर्ट फाइनेन्स यू० एस० बैंक ग्रुप स्कीम" (निर्यात वित्तपोषण-अमरीकी बैंक दल की योजना) शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो "विग टिकट" अथवा अधिक लागत वाली वस्तुओं के निर्यात के वित्त पोषण के लिये 40 अमरीकी बैंकरों के एक दल द्वारा 100 करोड़ डालर की पूंजी से एक गैर-सरकारी कम्पनी स्थापित करने के प्रस्ताव के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) क्या सरकार इस बात से सहमत है कि एकाधिकार प्राप्त अमरीकी व्यापारियों द्वारा अधिक लागत वाली वस्तुओं के निर्यात के वित्तपोषण के लिये प्रस्तावित इस गैर-सरकारी अमरीकी कम्पनी को अल्पविकसित देशों की पिछड़ी अर्थ-व्यवस्था पर अपना और अधिक प्रभुत्व जमाने के साधन के रूप में प्रयोग किया जायेगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, हां। "द इकनोमिक टाइम्स" में प्रकाशित समाचार में एक अमरीकी कम्पनी का उल्लेख किया गया है जो संयुक्त राज्य अमरीका से किये जाने वाले निर्यात की वित्त-व्यवस्था करने के लिए स्थापित की जायेगी।

(ख) और (ग). जहां तक सरकार का सम्बन्ध है, वस्तुओं का आयात उतनी ही मात्रा में करने की अनुमति दी जायगी जितनी आवश्यकता हो और उन्हीं वस्तुओं का आयात करने दिया जायगा जिनका निर्माण देश में नहीं किया जाता और ऐसा करते समय आयात की लागत और उसके वित्तपोषण के साधनों जैसी बातों का ख्याल रखा जायगा।

अमरीका में मण्डी का भारत की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव

2110. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान अमरीका तथा ब्रिटेन के प्रमुख समाचारपत्रों में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि अमरीका में मन्दी आरम्भ हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो इस मंडी के बारे में सरकार का क्या अनुमान है और भारत की अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है ;

(ग) क्या सरकार इस बात से सहमत है कि अमरीका में मन्दी का हमारी अर्थ-व्यवस्था पर बुरा असर पड़ने की सम्भावना है विशेष रूप से इस बात को ध्यान में रखते हुये कि भारत के आयात और निर्यात में अमरीका का भाग क्रमशः 45 और 21 प्रतिशत है और हमारा देश ऋणों, अनुदानों और माल तथा सेवाओं के लिए अमरीका पर बहुत अधिक निर्भर हैं ; और

(घ) यदि हां, तो यदि सरकार इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही कर रही है तो वह क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) सरकार को, इस सम्बन्ध में ससाचार-पत्रों और पत्रकाओं में, हाल ही में, प्रकाशित टिप्पणियों और समाचारों की जानकारी है ।

(ख) और (ग). अमरीका की अर्थ-व्यवस्था में हाल में उत्पन्न प्रवृत्तियों पर सावधानी से नजर रखी जा रही है और इस समय भारतीय अर्थ-व्यवस्था पर, इसकी कोई विशेष प्रतिक्रिया होने की सम्भवना दिखायी नहीं देती ।

(घ) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

बिना नाम वाली पौलिसियों के चुने हुये रेंजों के लिए प्रीमियम दरें

2111. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम ने बिना लाभ वाली जीवन पौलिसियों के चुने हुए रेंजों के लिए प्रीमियम दरों की कटौती कर दी है ;

(ख) क्या औसतन 5 प्रतिशत की कटौती 1 फरवरी, 1970 से लागू हो गई है ;

(ग) यदि ऊपर भाग (क) और (ख) के उत्तर स्वीकारात्मक हों तो, क्या जीवन बीमा निगम द्वारा जारी किये गये उक्त निर्देशों की प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी ;

(घ) या चालू कुल 1.37 करोड़ पौलिसियों में से केवल 7 लाख बिना नाम वाली पौलिसियों को इस प्रीमियम कटौती से लाभ होगा ; और

(ङ) क्या यह भी सच है कि इस कटौती के अंतर्गत जीवन बीमा निगम द्वारा जारी की गई बिना लाभ वाली बीमा पौलिसियों की 13 श्रेणियों में से 8 श्रेणियां आ जाती हैं ; और यदि हां, तो सभी 13 श्रेणियों की इस कटौती के अंतर्गत क्यों नहीं शामिल किया गया है ?

पूर्ति मंत्री और वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री र० के० खाडिलकर) : (क) और (ख). निगम ने 1 फरवरी, 1970 को अथवा उसके बाद जिन प्रस्तावों को स्वीकार किया अथवा जोखिम की जिम्मेदारी ली उनके सम्बन्ध में बीमा की कुछ लाभ-रहित योजनाओं के अंतर्गत किस्तों की दरों में कमी की । अनुमान है कि किस्तों में इस कटौती से उन योजनाओं के अंतर्गत कुल किस्तों के 5% से अधिक की एकन्दर कटौती होगी, जिन पर कटौती लागू होती है ।

(ग) निगम के केन्द्रीय कार्यालय द्वारा जारी किये गये परिपत्र की एक प्रति संलग्न है । [**ग्रन्थालय में रखी गई । देखिये** संख्या एल० टी०–2780/70]

(घ) घटी दरों का लाभ 1.2.70 से पूर्व जारी की गई पौलिसियों पर लागू नहीं होता ।

(ङ) 14 लाभ-रहित योजनाओं में से 8 योजनाओं पर यह घटौती लागू होती है ।

प्रीमियम दरों की जीवनांकिक जांच से पता चला कि बीमा की 14 योजनाओं में से 6 योजनाओं में कटौती को उचित नहीं ठहराया जा सकता ।

'लूप' के कारण गर्भपात तथा कैंसर

2112. **श्री एन० शिवप्पा** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन, और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने मामलों में लूप के कारण गर्भपात हुआ है ;

(ख) क्या कुछ समाचार पत्रों में छपे इस आशय के समाचार सच हैं कि लूप के कारण कैंसर हो गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (डा० श्रीपति चन्द शेखर) : (क) लूप पहनाने का मुख्य उद्देश्य गर्भ को रोकना है । यदि कोई स्त्री पहले ही गर्भवती है तो उसे लूप नहीं पहनाया जाएगा । फिर भी, यदि किसी महिला को गर्भधारण की आरम्भिक अवस्था में ही लूप पहना दिया जाये तो गर्भपात होने की सम्भावना रहती है । लूप पहनने के कारण गर्भपात होने के मामलों के बारे में सरकार के पास कोइ सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

शेयर तथा ऋण-पत्र धारियों को राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा अग्रिम धनराशि

2113. **श्री मधु लिमये** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के रिजर्व बैंक ने शेयर तथा ऋण-पत्र धारियों को अग्रिम धनराशि देने के बारे में राष्ट्रीकृत बैंकों को कोई निर्देश जारी किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो ये निर्देश क्या हैं ;

(ग) क्या स्ट्टेबाजी के द्वारा या अनुचित तरीकों से अविवेकी व्यक्तियों द्वारा औद्योगिक उपक्रमों को लेने से रोकने के बारे में कोई निदेश जारी किये गए हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो ऐसे निर्देश जारी न करने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). जी, हां । रिजर्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 35-क के अंतर्गत राष्ट्रीयकृत बैंकों के नाम इस आशय की हिदायतें जारी की हैं कि उन्हें, अन्य बातों के साथ-साथ संयुक्त पूंजी वाली कम्पनियों के शेयरों और ऋण-पत्रों को बन्धक रख कर ऋण या अग्रिम मंजूर करने या ऋण और अग्रिम की सीमा बढ़ाने या इस प्रकार की प्रतिभूतियों के सम्बन्ध में किसी एक ऋण-कर्ता

के लिए 5 लाख रुपये से अधिक ऋण या अग्रिम मंजूर करने से पहले रिजर्व बैंक की अनुमति लेनी होगी।

(ग) और (घ). भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को यह परामर्श भी दिया है कि शेयरों को बन्धक रख कर ऋण मंजूर करते समय उन्हें इस बात की सुनिश्चित व्यवस्था करनी चाहिये कि ऋणकर्ता इस प्रकार के अग्रिमों से न तो कम्पनियों के अधिकांश शेयर खरीद सकें और न ही वे इन अग्रिमों को इस तरह के अनुत्पादक कामों में लगा सकें।

गुजरात में कास्टिक सोडा क्लोरीन संयंत्र स्थापित करने में विलम्ब

2114. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको पता है कि गुजरात की जनता में यह प्रबल भावना है कि डाउन स्ट्रीम लाइसेंस देने में विलम्ब करने, नीति में आचानक परिवर्तन करने और किसी परियोजना के गैर-सरकारी क्षेत्र में रखने या न रखने का निर्णय कर पाने के कारण उपर्युक्त राज्य में पैट्रो-रसायन उद्योग समूह स्थापित किये जाने में बाधा पड़ रही है ;

(ख) क्या सरकारी क्षेत्र में एकीलोनिटिफलीमानोमर और संश्लिष्ट रबड़ बनाने वाली परियोजनाओं के सम्बन्ध में विदेशी सहयोगकर्ताओं के साथ कोई निश्चित करार नहीं किये गये हैं ;

(ग) क्या सरकार द्वारा कई बार अनुरोध किये जाने के बावजूद केन्द्रीय सरकार ने कास्टिक सोडा क्लोरीन संयंत्र स्थापित करने के बारे में अपना निर्णय नहीं बताया है ; और

(घ) यदि उपरोक्त भाग (क) से (ग) का उत्तर स्वीकारात्मक है तो निर्णय न किये जाने के क्या कारण हैं और इस सम्बन्ध में शीघ्र निर्णय करने के लिए की जाने वाली कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) इस किस्म का कोई विशिष्ट प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। गुजरात में पैट्रो-रसायन समूह की शीघ्र कार्यान्विति के लिए सरकार सदैव कदम उठाती। उठा रही है। स्टाइरीन पोलिस्टाइरीन, पोलिप्रोपाइलिन तथा हाई प्रैसर पोलिथीलीन डाउन स्ट्रीम यूनिट स्थापित करने संबंधित पार्टियों को जुलाई और सितम्बर, 1969 के बीच आशय पत्र जारी किये गये। एक केस में विदेशी सहयोग के प्रस्तावों की प्रतीक्षा की जा रही है। अन्य केसों में प्रस्ताव हाल ही में प्राप्त हुए हैं और उनपर कार्यवाही की जा रही है। एक्राइलोनिटराइल तथा सिन्थैटिक रबर की मूल परियोजनाएं सरकार की नीति के अनुसार सरकारी क्षेत्र में कार्यान्वित की जायेंगी। परियोजनाओं की प्रगति पर ध्यान रखने के लिए केन्द्रीय तथा राज्य सरकार के बीच घनिष्ट सम्पर्क बनाया गया है।

(ख) भारतीय पैट्रो-रसायन निगम लि० एकराइलोनिटराइल परियोजना के लिए विदेशी सहयोग के प्रस्तावों का मूल्यांकन कर रहा है ताकि एक उपयुक्त पेशकश का चयन हो सके। क्योंकि विशिष्ट किस्म की सिन्थैटिक रबर संभावित मांग और उनके निर्माण की संभाव्यता का

ज्ञान जरूरी है, पोलिमर निगम (कनाडा की क्रऊन कारपोरेशन) के साथ एक संभाव्य अध्ययन किया गया है। अध्ययन के परिणामों के शीघ्र मिल जाने की आशा है, और इसके पश्चात् जल्दी ही निर्णय लिया जायेगा।

(ग) कास्टिक सोडा। क्लोरीन के निर्माण के लिए गैर-सरकारी पार्टियों से हाल ही में प्राप्त दो आवेदन पत्रों पर विचार किया जा रहा है और उन प्रस्तावों पर निर्णय लेते समय राज्य सरकार के विचारों को ध्यान में रखा जायेगा।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

राज्यों को अकाल, सूखा तथा बाढ़ सहायता

2115. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने अकाल, सूखा तथा बाढ़ सहायता के लिए विभिन्न राज्यों को वर्ष 1967-68, 1968-69 तथा 1969-70 में कितनी कितनी सहायता दी ; और

(ख) उक्त सहायता की राशि किस आधार पर तथा किस तरह से निर्धारित की गई ?

पूर्ति मन्त्री और वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री र० के० खडिलकर) : (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये** संख्या एल० टी०–2781/70]

विभिन्न नामों की आंक्सीटैट्रासाइक्लीन के चिकित्सीय गुणों की जांच

2116. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या **स्वास्थ्य परिवार नियोजन, निर्माण, आवास एवं नगर विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आंक्सीटैट्रासाइक्लीन नामक व्यापक रूप से कारगर प्रति-जीवाणु औषधि भारत के बाजारों में विभिन्न नामों से बिक रही है और यदि हां, तो इसके भिन्न-भिन्न नाम क्या हैं ;

(ख) क्या उन्हें पता है कि अमरीका के फूड एण्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने अमरीका में आंक्सीटैट्रासाइक्लीन बनाने वाली आठ प्रमुख कम्पनियों से अपने उत्पाद अमरीका के बाजार से वापिस ले लेने के लिए कहा है क्योंकि उसमें कुछ तत्व चिकित्सा की दृष्टि से आपत्तिजनक पाये गए थे ;

(ग) क्या देश में विभिन्न नामों से बिकने वाली आंक्सीटैट्रासाइक्लीन औषधि की चिकित्सा उपयोगिता निश्चित करने के लिए उसी प्रकार का कोई परीक्षण भारत में किया गया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो वह क्या सभा को यह आश्वासन देंगे कि यह सुनिश्चित करने के लिए शीघ्र ही आवश्यक परीक्षण किया जायेगा कि गलत औषधियों के प्रयोग से रोगियों का रोग और न बढ़ जाये ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां। आंक्सीटैट्रासाइक्लीन से बनी अनेक औषधियां भारत के बाजारों में विभिन्न नामों से बेची जाती हैं और इस औषधि के व्यापक रूप में प्रयुक्त छापों (नामों) की एक सूची सभा पटल पर रख दी गई।

(ख) जी हां।

(ग) देश में बिक्री के लिए आयात की गई अथवा बनाई गई किसी भी औषधि को औषध एवं अंगराग अधिनियम के अनुसार विहित मानकों के अनुरूप होना चाहिये। आंक्सी-टैट्रासाइक्लीन के मानक भारतीय मेषज संहिता, 1966 में निर्धारित हैं।

अमरीका में जो परीक्षण किये गये हैं वे इस बात से सम्बन्धित हैं कि विभिन्न निर्माताओं द्वारा बनाई गई औषधियों में निहित आंक्सीटैट्रासाइक्लीन मनुष्यों के ब्लड स्ट्रीम लेवल में कहां तक विलय होता है। ये अध्ययन हाल ही की बात है और उन्हें अंतराष्ट्रीय मान्यता नहीं मिली है। ब्रिटेन तथा अन्य देशों में आंक्सीटैट्रासाइक्लीन की प्रभावकारिता के परीक्षण, जैसा कि उनकी मेषज संहिताओं में दिया गया है, उसी आधार पर दिये गये हैं जैसा भारतीय भेषज संहिता में दिया गया है। इसपर कोई कार्यवाही करने से पहले औधियों की क्लीनिकी प्रभावकारिता जाँचने की वैज्ञानिक ढंग से निर्धारित तथा अंतराष्ट्रीय स्तर पर मान्य विधियों की प्रतीक्षा की जानी चाहिए।

(घ) उपर्युक्त (ग) भाग को देखते हुये यह प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

आंक्सीटैट्रासाइक्लीन से बनी अनेक औषधियां भारत के बाजारों में विभिन्न नामों से बेची जाती हैं इस औषधि के व्यापक रूप में प्रयुक्त छापों (नामों की सूची नीचे दी गई है)।

नाम जिसके अंतर्गत औषधियां बेची जाती हैं।	निर्माताओं के नाम
1. टेरामाइसिन इंजेक्शन 2. टेरामाइसिन कैप्सूल्स 3. टेरामाइसिन प्रीमिक्स्ड पेडिएट्रिक ड्राप्स 4. टेरामाइसिन सोलुबुल टेबुलेट्स	मैसर्स पीफीज़र लिमि० बम्बई।
5. बायसाइक्लीन इंजेक्शन	मैसर्स गुजरात फार्मा तथा केमिकल वर्कस अहमदाबाद
6. एल्लामाइसिन कैप्सूल	मैसर्स ओरियण्ट फार्म प्रा० लिमि० मद्रास
7. आक्सीसाइक्लीन इंजेक्शन	मैसर्स धेराकम लेब्रो० बम्बई

8. वैरीमाइसिन इंजेक्शन	मैसर्स फेयरडिल कारपोरेशन प्रा० लिमि० बम्बई
9. लाइकाक्लीन ओ० इंजेक्शन	मैसर्स लाइका लेब्रोटेरीज, बम्बई

सब डिविजनों में नियुक्त ड्राफ्ट्समैनों के कार्य

2117. **श्री ए० डी० सोमसुन्दरम** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन, निर्माण, आवास एवं नगर विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के प्रत्येक सब-डिविजन में 110-180 रुपये के वेतन मान वाला एक ड्राफ्ट्समैन नियुक्त किया जाता है जिस में चार सैक्शनल अफसर कार्य करते हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि वे मुख्यतः सैक्शनल अफसरों द्वारा तैयार किये गए प्रक्कलनों आदि के अंकगणित सम्बन्धी हिसाब की जांच करता है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि ड्राफ्ट्समैन अपना एक चौथाई समय प्रत्येक सैक्शन अफसर द्वारा किये गये कार्य पर लगाता है ; और

(घ) यदि हां, तो प्रत्येक सैक्शनल अफसर को अधिभोक्ताओं से सम्पर्क स्थापित करने से लेकर तकनीकी ब्यौरा एकत्रित करने, प्राक्कलन तैयार करने, सामान प्राप्त करने, कोटेशन मांगने, कार्य का माप करने, बिल बनाने, और कार्य पूर्ति की रिपोर्ट देने आदि तक कितना समय लगता है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन, और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी, नहीं । केवल उस उप-प्रभाग में, जहां मुख्यतः देख-रेख का कार्य-भार होता है, 110-200 रुपये के वेतनमान में ड्राफ्ट्समैन को तैनात किया जाता है ।

(ख) 110-200 रुपये के वेतनमान के ड्राफ्ट्समैन की ड्यूटी का एक विवरण संलग्न है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) विभिन्न कार्यों पर लगने वाला समय अलग होता है । (इसका) अनुमान देना संभव नहीं होगा ।

विवरण

1. तैयार की गई ड्राइंग को ट्रेस करना ।
2. गणना की गणितिय जांच, परिणामों का ब्यौरा, आदि ।
3. ड्राइंग अभिलेखों, योजनाओं के मूल प्लानों, आदि की देख-रेख ।
4. सीधे अनुमानों, अतिरिक्त/स्थानापन्न मदों के विवरण की गणितिय जांच, परिवर्तन विवरण, कम दरों के विवरण, सर्वेक्षण रिपोर्ट आदि ।

5. टाइप की हुई सामग्री की जांच, एच० आई० टी० ज०, प्राक्कलन, अतिरिक्त । स्थानापन्न मदों का विवरण, परिवर्तन विवरण, सर्वेक्षण रिपोर्ट आदि ।

6. प्राक्कलन की नकल, विवरण, दरों आदि की समीक्षा ।

7 स्केचों से सरल ड्राइंग बनाना ।

8. सक्षम अधिकारी द्वारा दिया गया कोई अन्य कार्य ।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में सैक्शनल अफसरों को स्कूटर भत्ता

2118. **श्री एम० डी० सोमसुन्दरम्** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन, निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में काम करने वाले सैक्शनल अफसरों को स्कूटर भत्ता नहीं मिलता है और यदि नहीं तो संस्करण डिवीजनों में कार्य कर रहे ऐसे सैक्शनल अफसरों की संख्या कितनी है जिन्हें ऐसा भत्ता मिलता है तथा उनमें से कितने अधिकारियों के पास मोटर साइकिल/स्कूटर हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि सहायक इंजीनियरों को बाजार से छोटी छोटी चीजें खरीदनी होती हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उन सहायक इंजीनियरों तथा सहायक कार्यकारी इंजीनियरों की सीधी भर्ती से नियुक्ति की संख्या कितनी है जिन्हें गत तीन वर्षों में सामान खरीदने के लिए वास्तव में बाजार जाना पड़ा तथा जिन्होंने खुद नाप जोख की ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी, नहीं । यात्रा भत्ता अनुपूरक नियमों के नियम 25 के अन्तर्गत नियमित होता है । सभी सैक्शनल आफिसर्ज जो इनमें दी गई शर्तों को पूरा करते हैं सरकार द्वारा निर्धारित स्लेबों की दर पर यात्रा भत्ता (स्कूटर भत्ता) के लेने के पात्र होते हैं । यात्रा भत्ता लेने के लिए कुछ आवश्यक शर्तें हैं, जैसे मोटर साइकिल/स्कूटर का रखना, उसे सरकारी उद्देश्य से प्रयुक्त करना तथा कम से कम 201 किलो मीटर प्रतिमास चलाना है । ऐसे आवश्यक शर्तों का पालन कर रहे आठ सैक्शनल आफिसर यात्रा भत्ता ले रहे हैं । वे सभी मोटर साइकिल/स्कूटर रख रहे हैं ।

(ख) जी, हां, जब कभी आवश्यकता होती है ।

(ग) सूचना प्रस्तुत कर सकना सम्भव नहीं होगा, क्योंकि इस प्रकार के अभिलेख रखने की कोई आवश्यकता नहीं होती, जहां अधिकारी स्वयं बाजार गये हों ।

विषाक्त भोजन के कारण मौतें

2119. **गाडिलिंगन गौड** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री वह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 11 जनवरी, 1970 को भटिंडा जिले में मौसा में खीर खाने के बाद विषाक्त भोजन के कारण कितने व्यक्ति मरे ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कुछ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और कोई जांच की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) 11 जनवरी, 1970 को भटिण्डा के मंसा नामक स्थान में लगभग 19 व्यक्तियों की खीर खाने के पश्चात् विषाक्तता से मृत्यु हो गई ।

(ख) और (ग). कोई गिरफ्तारी नहीं की गयी। तथापि भटिण्डा के उपायुक्त ने मृत्यु के कारणों का पता लगाने के लिये मजिस्ट्रेट द्वारा जांच के आदेश दे दिये हैं।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में कार्यभारित कर्मचारियों पर नियंत्रण

2120. **श्री एस०डी० सोमसुन्दरम्** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक ओवरसियर (सैक्शनल अफसर) जो मुख्यत: तकनीकी कार्य के लिये उत्तरदायी होता है, के नियंत्रणाधीन 10 से 30 तक कार्यभारित कर्मचारी कार्य करते हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि ओवरसियर कार्यभारित कर्मचारियों पर प्रभावी रूप से नियंत्रण नहीं रख सकता क्योंकि उसे औजारों तथा इमारतों में लगे पंखों आदि उपकरणों के संरक्षक के रूप में तथा सामान देने तथा सामान देने की रसीदों को रखने के लिये स्टोर कीपर के रूप में लिखा पढ़ी का बहुत काम करना पड़ता है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि कार्य-भारित कर्मचारियों पर प्रभावी नियंत्रण रखा जा सके तथा काम की किस्म में सुधार किया जा सके, एक क्लर्क के अतिरिक्त, जिसे उन स्थानों में नियुक्त किया जायेगा जहां लिखा पढ़ी का बहुत अधिक काम है, एक स्टोर कीपर को भी नियुक्त करने के भी कुछ प्रस्ताव हैं, जिसका कार्य औजारों तथा उपकरणों की देखभाल तथा दैनिक प्रयोग के लिये सामान देना होगा ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या हैं तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी, हां, बागान खण्ड के मामले के सिवाय, जहां लगभग 45 कार्य-प्रभारित कर्मचारी एक सैक्शन आफिसर के अधीन कार्य करते हैं ।

(ख) जी, नहीं, सैक्शनल आफिसर अपनी ड्यूटियों का अनुपालन अपेक्षित सीमा तक कर रहे हैं तथा ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है जिससे यह मालूम हो कि वे कार्य-प्रभावित कर्मचारियों का भली प्रकार नियंत्रण करने में असमर्थ है ।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

(घ) टूल्स और प्लान्ट्स तथा अनुरक्षण कार्य के लिए आवश्यक सामग्री के, ग्रहण करने

तथा जारी करने के लिये, सैक्शनल आफिसरों की सहायता के लिये स्टोर कीपर और क्लर्कों की नियुक्ति आवश्यक नहीं समझी है ।

बिहार में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं खोलना

2121. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रिजर्व बैंक के गवर्नर, श्री एल० के० झा हाल ही में पटना गये थे और कृषि के लिये अधिक धन उपलब्ध करने हेतु उन्होंने बिहार सरकार के साथ बातचीत की थी, यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ; और

(ख) बिहार में और विशेषकर उत्तर बिहार में राष्ट्रीयकृत बैंकों की किन किन स्थानों पर शाखायें खोली जा रही हैं या खोलने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, हां । 2 फरवरी, 1970 को रिजर्व बैंक के गवर्नर ने पटना का दौरा किया था और बिहार के राज्यपाल तथा बिहार सरकार के अधिकारियों से बात-चीत की थीं । कृषि-वित्त के अलावा, राज्य के औद्योगिकरण तथा आधारभूत विकास के लिए वित्त व्यवस्था के सम्बन्ध में भी विचार-विमर्श हुआ ।

(ख) एक विवरण सभा की मेज पर रख दिया गया है । [**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये** संख्या एल० टी०—2782/70]

क्लोरो-टैट्रासाइक्लीन का पशुओं के आहार के रूप में प्रयोग

2122. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मन्त्री 8 दिसम्बर, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3178 के उत्तर के सम्बन्ध यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पशुओं को खिलाने के उपयोग के लिए क्लोरी-टैट्रासाइक्लीन के प्रयोग के बारे में इस बीच बाजार अध्ययन पूरा कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला और यदि नहीं, तो इसे पूरा करने के लिये क्या समय सीमा निर्धारित की गई हैं ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) और (ख). जी हां । अब तक के परिणाम उत्साह वर्द्धक नहीं है । पशुओं के चारे के रूप में उपयोग के लिये क्लोरोटैट्रासाक्लीन की खरीद के लिये केवल एक पार्टी ने कुछ दिलचस्पी दिखाई है । पेशकश पर कम्पनी विचार कर रही है ।

पैट्रोलियम तथा रसायन मंत्रालय द्वारा कोल गैसिफिकेशन प्लांट अपने नियंत्रण में लिया जाना

2123. **श्री रवि राय** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के शासी निकाय ने कोल गैसिफिकेशन प्लाँट को अपने नियंत्रण में लेने के लिए उनके मंत्रालय को सीधे पत्र लिखा है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या निर्णय किया है ; और

(ग) उसका ब्यौरा क्या है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) से (ग). वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने भारतीय उर्वरक निगम को हैदराबाद में उक्त परिषद की प्रादेशिक अनुसंधान प्रयोगशाला के कोल गैसीफिकेशन प्लांट को अपने नियंत्रण में लेने के लिए लिखा है। परिषद को सूचित किया गया है कि निगम को सारे प्लांट की आवश्यकता नहीं है ; परन्तु निगम को इसके आक्सीजन प्लांट, कम्प्रैशरों आदि जैसे कई सहायक मदों में, जो उसके सामान्य अनुसंधान और विकास कार्य कलापों के लिए इस्तेमाल किये जा सकते हैं, रूचि है।

पैट्रोलियम उत्पादों की मांग तथा उत्पादन

2124. **श्रीमती शारदा मुकर्जी** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1968-69 तथा 1969-70 में देश में पैट्रोलियम उत्पादों का कितना उत्पादन हुआ है और इन उत्पादों की मांग कितनी है ; और

(ख) यदि देश में होने वाले उत्पादन से मांग पूरी नहीं होती तो उत्पादन और मांग के बीच के अन्तर को पूरा करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) और (ख). पैट्रोलियम उत्पादों का उत्पादन तथा खपत निम्न प्रकार थी :

मीटरी टन

	1968-69	अप्रैल 69 से दिसम्बर, 1969 तक
उत्पादन	15,388,897	12,236,946
खपत	15,396,402	12,279,681

यद्यपि उपरोक्त आंकडों से लगता है कि उत्पादन और खपत करीब-करीब बराबर हैं, परन्तु नेफ्था में थोड़ी बेशियां थी और मिट्टी के तेल जैसे उत्पादों में कमी। बहुत थोड़ी आवश्यकताओं के कारण विमानन गैसोलीन आदि कुछ उत्पाद भारत में उत्पादित नहीं किये जाते हैं। फालतू उत्पादन का निर्यात किया जाता है और कम मात्रा में होने वाले उत्पादों का आयात किया जाता है।

भारतीय रुपये का अवमूल्यन

2125. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने रुपये का और अवमूल्यन करने के लिए सरकार पर दबाव डाले हैं;

(ख) यदि हां, तो गत छः महीनों में विश्व बैंकों तथा उससे सम्बद्ध निकायों की ऐसी कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). ये सवाल पैदा ही नहीं होते ।

जीवन बीमा निगम के ग्रामीण क्षेत्रों में बीमा सम्बन्धी व्यापार में वृद्धि

2126. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पहले के दो वर्षों के बीमा संबंधी व्यापार की तुलना में वर्ष 1969-70 में ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन बीमा निगम के बीमा व्यापार में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हाँ, तो दिसम्बर, 1969 के अन्त तक ग्रामीण क्षेत्रों में जारी की गई पालिसियों की संख्या और बीमा की गई राशि के सम्बन्ध में तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं ; और

(ग) इस वर्ष में भी जीवन बीमा निगम के व्यापार में वृद्धि न होने के क्या कारण हैं ?

पूर्ति मन्त्री और वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री र० के० खाडिलकर) : (क) जीवन बीमा निगम का लेखा वर्ष 31 मार्च को समाप्त होता है इसलिए इस समय यह बताना सम्भव नहीं है कि निगम द्वारा देहाती क्षेत्र में किये गये बीमा कार्य में वर्ष 1969-70 में कोई वृद्धि हुई है अथवा नहीं ।

(ख) चालू वर्ष में (30-9-1969 तक) और पिछले दो वर्षों की इसी अवधि में निगम द्वारा देहाती क्षेत्र में किये गये बीमा कार्य सम्बन्धी आंकड़े नीचे दिये गये हैं :

अवधि	पालिसिलों की संख्या	बीमे की रकम (करोड़ रुपयों में)
1-4-1967 से 30-9-1967 तक	1,63,938	72.6
1-4-1968 से 30-9-1968 तक	1,53,288	71.2
1-4-1969 से 30-9-1969 तक	1,35,351	68.8

(ग) जीवन बीमा निगम की राय में देहाती क्षेत्र में उसके द्वारा बीमा कार्य में वृद्धि नहीं कर पाने के कारण इस प्रकार हैं :

(i) मौसमी तथा अन्य कारणों से आय में कमी-बेशी ।

(ii) भू-बन्धक बैंकों द्वारा प्रस्तुत आकर्षक शर्तों के कारण बचत के लिए प्रतियोगिता और अल्प बचत संगठनों की ओर से प्रतियोगिता; तथा

(iii) कृषकों द्वारा अपनी बचत का बड़ा भाग भूमि सुधार में लगाना ।

बम्बई के नारंग ब्रदर्स की आयकर की बकाया धनराशि

2127. **श्री जार्ज फरनेन्डीज :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्री मानू नारंग तथा श्री रामू नारंग और बम्बई के मैसर्स नारंग ओवरसीज द्वारा गत पांच वर्षों के दौरान आयकर की कितनी धनराशि अदा की गई है;

(ख) क्या सरकार को मालूम है कि नारंग ब्रदर्स ने ऊँची कीमत देकर बम्बई गेरेज को खरीद लिया है; और

(ग) क्या नारंग ब्रदर्स की आय के साधनों का पता लगाने के लिए आय-कर विभाग द्वारा कोई जांच की गई है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जबकि श्री मानू नारंग ने पिछले पांच वर्षों में करों के रूप में 25,260 रुपये की अदायगी की है तथा श्री रामू नारंग ने 32,405 रुपयों की, मेसर्स नारंग ओवरसीज (प्राइवेट) लिमिटेड ने कोई कर अदा नहीं किया है, बल्कि हानियां ही दिखाई हैं।

(ख) तथा (ग). सरकार के ध्यान में ऐसी कोई जानकारी नहीं आई है। किन्तु जब कभी बड़े पैमाने पर कर अपवंचन की शिकायतें मिलती हैं, तो कर-निर्धारण की कार्यवाही के दौरान, जांच-पड़ताल हमेशा ही की जाती है।

मैसर्स कनारा इंजीनियरिंग कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड, बम्बई द्वारा आयकर की चोरी

2128. **श्री जार्ज फरनेन्डीज :** क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को लीला निवास बिलेज रोड। दहिसार वेस्ट, बम्बई 68 के श्री एल० डी० स्वामी की ओर से मैसर्स कनारा इंजीनियरिंग कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड, मजगांव, बम्बई-10 द्वारा कर की चोरी के मामलों के बारे में एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि प्रबन्धकों तथा आय-कर अधिकारियों के बीच सांठगांठ है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले में कोई कार्यवाही की है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (ग). जांच पड़ताल की गोपनीयता और मुखबिर की सुरक्षा की दृष्टि से यह जाहिर करना सम्भव नहीं है कि मुखबिर से कोई सूचना प्राप्त हुई है या नहीं और उक्त सूचना पर क्या कार्यवाही की गई। जिन मामलों में मुखबिर विभाग के अधिकारियों के विरुद्ध आरोप लगाते हैं उन मामलों में सावधानीपूर्वक जांच की जाती है और आवश्यक हो तो उनकी शिकायतों को दूर किया जाता है। लेकिन, यह पाया गया है कि मुखबिर लोग पुरस्कार सम्बन्धी अपने अत्यधिक दावों का समर्थन करने के लिए विभाग के अधिकारियों के विरुद्ध प्राय: निराधार आरोप लगा देते हैं।

दिल्ली में टी० बी० एसोसियेशन द्वारा सर्वेक्षण

2129. **श्री वासुदेवन नायर** : क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास एवं नगर विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली स्थित टी० बी० एसोसियेशन ने दिल्ली में तपेदिक के रोगियों तथा तपेदिक की चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाओं का सर्वेक्षण किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उनके क्या निष्कर्ष है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख). टी० बी० एसोसियेशन ने कोई सर्वेक्षण नहीं किया है । वैसे नई दिल्ली क्षय रोग केन्द्र ने भारत सरकार तथा भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की आर्थिक सहायता से दिल्ली जामा मस्जिद के ईर्द गिर्द के इलाकों में 30,000 की आबादी का देशान्तरीय सर्वेक्षण किया—प्रथम 1962 में, दूसरा 1964 में और तीसरा 1967 में तीनों सर्वेक्षणों के निष्कर्ष एक जैसे ही थे, अर्थात सर्वेक्षित आबादी में प्रति हजार 4 व्यक्तियों के थूक में फेफड़े की टी० बी० के चिन्ह थे । चौथा सर्वेक्षण फरवरी 1970 में ही पूरा हुआ है और इसके आंकड़ों का विश्लेषण किया जा रहा है ।

गृह-निर्माण योजनाओं की परीक्षा

2130. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में गृह-निर्माण सहकारी समितियों तथा मध्यम और निम्न आय वर्ग गृह निर्माण सहकारी समितियों सम्बन्धी योजनाओं की विस्तृत परीक्षा करने का सरकार का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Branches of Nationalised Bank opened in Urban and Rural Areas

2131. **Shri Nathu Ram Ahirwar** : Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) the total number of branches opned by the nationalised banks during the last three months ; and

(b) the number of branches opened in urban and rural areas separately ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) and (b). During the last three months *i.e.* November and December, 1969 and January, 1970, the nationalised banks have opened 163 new offices of which 87 were in rural areas (population upto 10,000), 38 in semi-urban areas (population between 10,000 and one lakh) and 38 in urban areas (population over one lakh).

Employment Provided to People by Nationalised Banks

2132. **Shri Nathu Ram Ahirwar** : Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether employment has been provided to the people by each bank following the nationalisation of 14 big banks ;

(b) the number, out of them, of the engineers possessing technical qualifications ; and

(c) the reasons for refusing employment to some persons ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) While the banks cannot, by themselves, provide employment to a large number of persons, the nationalised banks have formulated schemes for financing small industry, small farming, retailers, small transport operators, self-employed persons and the like. These afford employment opportunities to people in different walks of life.

(b) Information in the manner desired is not available.

(c) Normally, no entrepreneur having a viable scheme is refused finance by the nationalised banks.

Promotion of Lower Division Clerks to Upper Division in Sunouli-Pokhra Highways Construction Project

2133. **Shri Molahu Prashad** : Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 52 on the 17 November, 1969 regarding the promotion of lower division clerks in Sunouli-Pokhra Highways Construction Project and state :

(a) whether the requisite information has since been collected ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) if not, the reasons for the delay ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) Yes, Sir.

(b) Details of the information collected are given in the Annexure.

(c) Does not arise.

STATEMENT

Details of information relating to Unstarred Question No. 52 answered on 17th November, 1969

(a)	the number of Lower Division Clerks promoted as Upper Division Clerks under Sunouli-Pokhara Highway Construction Project ; and	(a)	8 India-based L.D.Cs. have been promoted as U.D.Cs.
(b)	the number of employees regularly absorbed in Central P.W.D. amongst the Indian nationals, who have shifted to Nepal in connection with construction of Sunouli-Pokhara Highway and the time by which the remaining employees would be absorbed after completion of construction work of the said highway ?	(b)	302 India-based employees working in the project belong to the regular cadres of the Central P.W.D. and will revert to their cadres on completion of the Project. The remaining are Nepal-based staff who are employed for the duration of the Project and, by the terms of the appointment, are retrenchable on completion of the Project. In view of this, the question of absorbing such staff in Central P.W.D. does not arise.

Members of Parliament and Ministers Visiting Foreign Countries

2134. **Shri Molahu Prashad** : Will the Minister of Finance be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1031 on the 24th November, 1969 and state :

(a) whether the requisite information has since been collected ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) if not, the reasons for the delay ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) (a) Yes, Sir.

(b) The requisite information is given in Annexures I and II. [*Placed in Library. See* No. LT- 2783/70]

(c) Does not arise.

Study of Industrial Problems by the National Council of Applied Research

2135. **Shri Molahu Prashad** : Will the Minister of Finance be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4788 on the 22nd December, 1969 and state :

(a) the industrial problems which have been studied and analysed so far by the National Council of Applied Economic Research ;

(b) whether any Union Ministry, Planning Commission or any State Government have asked the Council to conduct research on any project and if so, the details thereof ; and

(c) the reason for which only English has been adopted for issuing 67 publications brought out by the said Council upto December, 1969 and whether Government propose to bring out translated Hindi version of some important publications in near future and circulate them to the Members of Parliament who do not know English, and if not, the reasons thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) and (b). Lists of the Project studies made by the National Council of Applied Economic Research, subject-wise and sponsor-wise are given in annexures V and VI of the Annual Report of the Council for the year 1968-69. Copies of the Report have been supplied to the Library of Parliament.

(c) The Council is an autonomous body and brings out its reports and other publications in English only. There is no proposal at present to translate these publications into Hindi, as the reports are meant mainly for the use of the sponsoring authorities.

Income-Tax due from Khimji Punja and Co., Bombay

2136. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) the amount of Income-tax assessed in respect of Messrs Khimji Punja and Co, Bombay for the years 1966-67, 1967-68 and 1968-69 ; and

(b) the amount of Income-tax still outstanding against the said company and the steps being taken by Government to recover the said amount ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) No regular assessments have been finalised in the case of M/s Khimji Punja and Co., Bombay (firm) for the assessment years 1966-67, 1967-68 and 1968-69.

(b) The required information is given as below :—

Asstt. year	Amount of tax out-standing Rs.	Steps taken for recovery
1962-63	1.054	These taxes are disputed in appeal before the Apppellate Assistant Commissioner. Recovery of these taxes has been stayed till disposal of appeals.
1962-63	70 (u/s 221)	
1963-64	506	

Seizure of Gold from a Passenger in Hyderabad-Kurnool Bus

2137. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the authorities of Central Excise Department had seized sufficient quantity of gold from a passenger travelling by Hyderabad-Kurnool bus during the month of January, 1970 ;

(b) if so, the quantity of gold seized and the value thereof in Indian currency ; and

(c) whether the gold seized was Indian or foreign make and the action taken by Government against the person arrested in this regard ?

The Minisier of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) to (c). The officers of Central Excise Collectorate, Hyderabad seized on 17th January, 1970, fifty slabs of gold weighing 5.83 Kilograms with foreign markings from a passenger travelling by Hyderabad-Chittoor Express Bus. The value of the gold seized is Rs. 49,000/- at the international monetary rate and Rs. 1,05,000/- at the market rate in India. The passanger has been arrested and a complaint has been filed before the 1st Class Munsiff Magistrate, Kurnool.

Promotion of Sectional Officers to the Grade of Assistant Executive Engineers by Andaman and Nicobar Islands Administration

2138. **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri Bansh Narain Singh :

Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether Government would enquire into the fact that in the Islands of Andaman and Nicobar, the Administration has promoted some of the Sectional Officers to the post of Assistant Executive Engineers with little knowledge of engineering ;

(b) if so, the reasons therefor ;

(c) if not the number of such Sectional-Officers who were promoted during the year 1968 and 1969 and their qualifications ; and

(d) the steps being taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) No Sectional Officer has been promoted to post of Assistant Executive Engineer.

(b) Does not arise.

(c) Four Sectional Officers were promoted to the posts of Assistant Engineer during 1968 and 1969 in accordance with the Recruitment Rules framed by Government in consutlation with the Union Public Service Commission. Qualifications of two promoted in 1968 :

one Degree holder and the other non-diploma holder. In 1969 on Diploma holder and the other non-diploma holder were promoted.

(d) Non-diploma holders who are permanent Secrional Officers are also eligible for promotion to the post of Assistant Engineer in accordance with the Recruitment Rules.

Transfer of Doctors from Delhi to Andaman and Nicobar Islands

2139. **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri Bansh Narain Singh :

Will the Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some doctors have been transferred from Delhi to Andaman and Nicobar Islands ;

(b) if so, the number of those doctors who were transferred in 1969 ;

(c) the number of those doctors among them who have have joined duty in Andaman and Nicobar Islands and also of those who have yet to do so ; and

(d) the action proposed to be taken by Government in respect of those doctors who have not so far joined duty in Andaman and Nicobar Islands ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) Yes.

(b) Ten.

(c) 5 doctors have joined their duties in the Andaman and Nicobar Islands. Extension of time has been allowed in one case and orders regarding the transfer of the remaining 4 have been cancelled.

(d) Two of the four persons, who were offered appointments in the Andaman and Nicobar Island, were to be sent on promotion to higher grades. There promotions have been cancelled. The orders in respect of two officers have been cancelled in consultation with the Andaman and Nicobar Administration as they do not require their services at present.

ग्लोब फाइनेंस कम्पनी के विरुद्ध कार्यवाही

2140. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि ग्लोब फाइनेंस कम्पनी ने कई करोड़ रुपये की धनराशि प्राप्त करके सैकड़ों लोगों को धोखा दिया है;

(ख) कम्पनी के प्रवर्तक के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसी कम्पनियों के कार्य आरम्भ करने और उनके प्रसार पर रोक लगाने के लिए कोई कानून बनाने का है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). सम्भवत: माननीय सदस्य का संकेत ग्लोब फाइनेंशियर्स प्राइवेट लिमिटेड की ओर है जो गत दो तीन वर्षों से अपने खातेदारों को, उनकी जमा रकमें वापस करने में कठिनाई महसूस कर रही थी। उक्त कम्पनी की असन्तोषजनक वित्तीय स्थिति को देखते हुए, कम्पनी के ऋणदाताओं ने कम्पनी के कारबार का समापन किये जाने के उद्देश्य से न्यायालय में एक याचिका दायर की थी। दिल्ली के उच्च

न्यायालय ने, 17 जनवरी, 1970 को कम्पनी को यह आदेश दिया था कि वह अपना कारबार बन्द कर दे ।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 ज से 45 थ तक के अन्तर्गत रिजर्व बैंक को, गैर-बैंककारी संस्थाओं के पास जमा की रकमों को विनियमित करने के सम्बन्ध में हिदायतें जारी करने का अधिकार है । उपर्युक्त धाराओं द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए, रिजर्व बैंक ने ऐसी हिदायतें जारी की हैं जिनके अनुसार गैर-बैंककारी संस्थाओं द्वारा जमा के लिए स्वीकार की जाने वाली रकमों को अब सीमित कर दिया गया है । ये हिदायतें पहली जनवरी 1967 से लागू हुई थीं । इस सम्बन्ध में कोई और कानून बनाने की आवश्यकता नहीं समझी गयी । कम्पनी के पास से रकमें, हिदायतें जारी किये जाने से पहले ही जमा थीं ।

फर्टिलाइजर एण्ड कैमिकल्स (ट्रावनकौर) लिमिटेड में प्रचार-सहायकों की नियुक्ति

2141. **श्री पी० विश्वम्भरन :** क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1968 और 1969 में फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स (ट्रावनकौर) लिमिटेड में नियुक्त किये गये प्रचार-सहायकों के नाम और पते क्या हैं ;

(ख) प्रत्येक प्रचार-सहायकों की शैक्षिक योग्यतायें क्या-क्या हैं; और

(ग) क्या उक्त नियुक्तियों के लिए समाचार-पत्रों में विज्ञापन देकर आवेदन-पत्र आमंत्रित किये गये थे; और यदि हां, तो विज्ञापन किन-किन तारीखों को प्रकाशित किये गये थे और किन-किन समाचार-पत्रों में प्रकाशित किये गये थे ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) से (ग). सूचना इकट्ठी की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

ट्रावनकौर-कोचीन कैमिकल्स, अलवाये के कार्य में कथित हस्ताक्षेप

2142. **श्री पी० विश्वम्भरन :** क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री 1 दिसम्बर, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2151 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ट्रावनकौर-कोचीन कैमिकल्स, अलवाये के कार्य में फर्टिलाइजर एण्ड कैमिकल्स (ट्रावनकौर) लिमिटेड के प्रबन्ध निदेशक के हस्ताक्षेप के बारे में श्री के० के० रमन कुट्टी द्वारा की गई टिप्पणियों के बारे में कोई निर्णय किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त निर्णय का ब्यौरा क्या है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) और (ख). मामले के तथ्यों की जांच करने पर सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि उसे कोई कार्यवाही करने की आवश्वकता नहीं है ।

वर्ष 1969 के दौरान जीवन बीमा निगम द्वारा किया गया कारोबार

2143. **श्री वि० नरसिम्हा राव** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बर्ष 1969 में जीवन बीमा निगम ने कुल कितनी राशि का कारोबार किया ;

(ख) उक्त वर्ष में कितनी धनराशि का विदेशों में कारोबार किया ; और

(ग) निगम ने जोनवार कितनी धनराशि का कारोबार किया ?

पूर्ति मंत्री और वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री र० के० खाडिलकर) : (क) से (ग). वर्ष 1969 में जीवन बीमा निगम का (विदेशों में बीमा कार्य सहित) जीवन बीमा कार्य और विविध बीमा कार्य नीचे दिये अनुसार था :

जीवन बीमा कार्य	बीमे की रकम
क्षेत्र	(करोड़ रुपयों में)
उत्तरी	137.43
केन्द्रीय	134.38
पूर्वी	168.05
दक्षिणी	243.02
पश्चिमी	265.84
भारत में कुल	948.72
विदेशों में बीमा कार्य	9.24
कुल जोड़	957.96

विविध बीमा कार्य	प्रीमियम आय
क्षेत्र	(करोड़ रुपयों में)
उत्तरी	1.82
केन्द्रीय	1.19
पूर्वी	3.67
दक्षिणी	2.45
पश्चिमी	3.54
केन्द्रीय कार्यालय	5.76
जोड़	18.46

जीवन बीमा निगम द्वारा भारत से बाहर कोई विविध बीमा कार्य नहीं किया जाता है ।

Sale of Built Houses on Hire-Purchase Basis Persons belonging to Low Income Group

2144. **Shri Om Prakash Tyagi** : Will the Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development be pleased to state :

(a) whether Government propose to sell built houses on hire-purchase basis to the persons belonging to low-income group ;

(b) if so, the time by which the scheme in this regard is likely to be implemented and the criteria to be adopted in this regard ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) Yes, Sir, from amongst houses built or being built by the Delhi Development Authority.

(b) Houses are offered for sale as and when they are completed. Some honses are likely to be available for Disposal, shortly, in Wazirpur, Naraina and Pankha Road Residential Schemes. Only persons registered with the Delhi Development Authrity, in the Low Income Group, will be considered eligible for these houses.

(c) Does not arise.

विदेशी मुद्रा बोर्ड

2145. **श्री शिव चन्द्र झा** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में एक विदेशी मुद्रा बोर्ड का गठन किया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस बारे में और ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो बिदेशी मुद्रा सम्बन्धी मामलों का निपटारा करने के लिए इस समय क्या व्यवस्था है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) तथा (ख). "विदेशी-मुद्रा विनिमय सम्बन्धी मामलों पर कार्यवाही करने के लिये" सरकार द्वारा हाल में कोई "विदेशी-मुद्रा विनिमय बोर्ड" नहीं स्थापित किया गया है। केवल "विदेशी-मुद्रा विनिमय विनियमन अपीलीय बोर्ड" का हाल ही में पुनर्गठन किया गया है, जिसके लिए विदेशी-मुद्रा विनिमय विनियमन अधिनियम की धारा 23 ई में साँविधिक व्यवस्था हैं। अपीलीय बोर्ड के अध्यक्ष के सेवा-निवृत्त होने के कारण तथा एक सदस्य का दूसरे विभाग में स्थानान्तरण हो जाने पर त्याग-पत्र देने के कारण रिक्त हुए पदों को भरने की दृष्टि से इसे पुनर्गठित किया गया है।

(ग) इस सम्बन्ध में नीति का निर्धारण, वित्त मन्त्रालय के अर्थ विभाग द्वारा किया जाता है और भारत के रिजर्व बैंक तथा विदेशी मुद्रा विनिमय के प्राधिकृत व्यापारियों के जरिये उसका कार्यान्वयन किया जाता है।

आन्ध्र प्रदेश में पाई गई हीरे की नई खानें

2146. **श्री शिव चन्द्र झा** :

श्री यशपाल सिंह :

क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आन्ध्र प्रदेश में हाल ही में हीरे की कुछ नई खानों का पता लगा है ;

(ख) यदि हां, तो कहाँ तथा इन नई खानों में कितने तथा कितने मूल्य के हीरे होने का अनुमान है ;

(ग) खानों से निकाले गये इस समय कुल कितने तथा कितने मूल्य के हीरे हैं ;

(घ) पिछले तीन वर्षों में भारतीय हीरों से यदि कोई विदेशी मुद्रा अर्जित की गई है, तो प्रति वर्ष कितनी अर्जित की गई है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) और (ख). राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने क्रमशः जिला करनूल और अनन्तपुर के रामलकेता और वजराकरूर में हीरों के लिए एक प्रारम्भिक जांच आरम्भ की है। जांच वाले क्षेत्रों तथा हीरों के भण्डार के बारे में जाँच पूरी होने पर ही बताया जा सकता है।

(ग) जनवरी, 1970 के अन्त तक इन क्षेत्रों में से 388 हीरे पाये गये थे जिनका वजन लगभग 75 कैरट और मूल्य लगभग 22,500 रुपए था।

(घ) स्थानीय उत्पादन तथा भारत में आयात किये गये टुकड़ों से साफ करके बनाये गये हीरों सहित गत तीन वर्षों में भारत से हीरों के निर्यात के आंकड़े इस प्रकार है :

वर्ष	रुपये (लाखों से)
1966-67	1064.06
1967-68	1571.95
1968-69	2972.38

भारतीय हीरों के निर्यात के पृथक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

मीठा नीम के पत्तों में कैंसर निरोधक तत्व

2147. **श्री रा० कृ० बिड़ला** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में बम्बई में हुई भारत और रूस के वैज्ञानिकों की एक गोष्ठी में यह सुझाव दिया गया है कि मीठा नीम की पत्तियों जिन्हें साँभर तथा अन्य दक्षिण भारतीय भोज्य पदार्थों में डालकर उन्हें सुगन्धित किया जाता है, से निकाले जाने वाले रसायनों का यह पता लगाने के लिये विश्लेषण किया जाये कि क्या उसमें कैंसर निरोधक तत्व पाये जाते हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार उस गोष्ठी द्वारा किये गये सुझाव के अनुसार स्वयं इन पत्तों के सम्बन्ध में विश्लेषण करने का विचार कर रही है ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार 2 फरवरी, 1970 को हुई उक्त गोष्ठी के आयोजकों द्वारा किये गये अथवा किये जाने वाले विश्लेषण का पूरा ब्यौरा प्राप्त करने का विचार कर रही है ;

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) फरवरी 1970, में नई दिल्ली में हुई द्वितीय भारत रूस गोष्ठी में प्राकृतिक पदार्थों की रासायनिक क्रिया पर जिसमें भेषजकीय क्रिया भी सम्मिलित है, प्रस्तुत किये गये निबन्धों में मीठे नीम अथवा कैथनीम के पत्तों में कैंसर रोधी अथवा अन्य भेषजकीय क्रियाओं के बारे में कोई उल्लेख नहीं है ।

(ख) और (ग). केन्द्रीय औषध अनुसंधान संस्थान, लखनऊ में विभिन्न विभिन्न क्रियाओं को जानने के लिए जिनमें केन्सर निरोधी क्रिया भी सम्मिलित हैं अपने सामान्य परीक्षण कार्यक्रम के एक अंग के रूप में कैथनीम पादपों का परीक्षण किया । इस संस्थान ने बतलाया है कि जिन पशुओं पर इन पादपों (देहरादून में एकत्रित किये गये) से निकाले गये पादक तत्वों का प्रयोग किया गया उनमें कैंसर निरोधी कोई क्रिया नहीं पायी गयी ।

चूंकि कैथनीम पादपों के मादक तत्वों को हाल ही में पृथक किया गया है इसलिए उनके भेषजकीय क्रियाओं की जांच करने में कुछ समय लग सकता है ।

ग्रामीण जनता के लिये पीने के पानी की व्यवस्था

2148. **श्री रा० कृ० बिड़ला** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास एवं नगर विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश की ग्रामीण जनता के लिए पीने के पानी की व्यवस्था करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कोई विस्तृत योजना बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या वह योजना केन्द्रीय सरकार को एजेंसियों के माध्यम से क्रियान्वित की जायेगी अथवा राज्य सरकारों के माध्यम से ; और

(घ) प्रत्येक राज्य के संबंध में यदि 1970-71 के लिये कोई योजना बनाई गई है तो उसका ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख). भारत सरकार ने 1954-55 में शहरी तथा ग्राम दोनों क्षेत्रों के लिए "राष्ट्रीय जल पूर्ति एवं सफाई कार्यक्रम" नामक एक योजना चलाई थी और तब से यह निरन्तर चल रही है । ग्राम कार्यक्रम में भारत की ग्रामीण आबादी को पाइप जल पूर्ति योजनाओं के द्वारा पेय जल प्रदान करने की व्यवस्था है जिनके डिजाइन तैयार करने और जिन्हें कार्यान्वित करने के लिए काफी कुछ तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता है । सामुदायिक विकास कार्यक्रम, स्थानीय विकास कार्यक्रम (जिसे 1967-68 से कूप निर्माण कार्यक्रम नाम दिया गया है) और पिछड़े वर्ग सेक्टर के अन्तर्गत प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ से ही गांव में साधारण कुओं तथा हेन्ड पंपों की व्यवस्था करने की एक योजना क्रियान्वित की जा रही है ।

(ग) इन योजनाओं को राज्य सरकारें कार्यान्वित कर रही है ।

(घ) अलग-अलग ग्राम जल पूर्ति योजनाओं के लिए उनकी आवश्यकताओं तथा

प्राथमिकताओं को देखते हुए वार्षिक योजनाओं में व्यवस्था करना राज्यों का काम है। तथापि यह सुनिश्चित करने के लिए कि ग्राम जल पूर्ति के लिए की गई व्यवस्था का राज्य पूरा पूरा उपयोग करें, वार्षिक योजनाओं में अलग से धनराशि निर्धारित की जाती है ताकि इन्हें योजनाओं पर खर्च न किया जा सके।

बड़े अनुसूचित बैंकों की शाखायें

2149. **श्री रा० कृ० बिड़ला :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के रिजर्व बैंक ने जनवरी से जून 1969-70 तक की अवधि में देश में बड़े अनुसूचित बैंकों की शाखाएं खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया है ; और

(ख) यदि हां, तो अब तक कितनी शाखाएं खोली गई हैं तथा ये किन-किन क्षेत्रों में खोली गई हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, हां। भारतीय रिजर्व बैंक ने पिछले दिसम्बर में, 1970 की पहली छमाही में मुख्य अनुसूचित बैंकों के लिए शाखा-विस्तार का एक व्यापक कार्यक्रम बनाया था। इस कार्यक्रम के अधीन वर्ष की पहली छमाही में मुख्य बैंकों द्वारा 600 नयी शाखाएं खोली जायेंगी जिनमें से कम से कम 400 शाखाएं बैंक-रहित नगरों/केन्द्रों में खोली जायेंगी।

(ख) अब तक 203 शाखाएं खोली गयी हैं, जिनमें से 146 शाखाएं 10,000 तक की जनसंख्या वाले ग्रामीण क्षेत्रों में, 46 शाखाएं 10,000 से 1 लाख के बीच की जनसंख्या वाले अर्ध-शहरी क्षेत्रों में और 11 शाखाएं एक लाख से अधिक की जनसंख्या वाले शहरी क्षेत्रों में खोली गयी हैं। इन शाखाओं के स्थान के सम्बन्ध में राज्य-वार ब्यौरा सभा की मेज पर रख दिया गया है।

विवरण

फरवरी, 1970 के अन्त तक प्राप्त सूचना के आधार पर 1970 के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा, ग्रामीण, अर्ध शहरी और शहरी क्षेत्रों में खोली गयी शाखाओं की राज्य-वार संख्या का विवरण

खोली गई शाखाओं की संख्या

राज्य	ग्रामीण क्षेत्र	अर्ध-शहरी क्षेत्र	शहरी क्षेत्र	जोड़
	(1)	(2)	(3)	(4)
1. आन्ध्र प्रदेश	17	1	1	19
2. असम	2	1	—	3
3. बिहार	10	5	—	15
4. गुजरात	15	4	3	22

5. हरियाणा	2	1	—	3
6. जम्मू और कश्मीर	3	1	1	5
7. केरल	5	6	—	11
8. मध्य प्रदेश	8	2	—	10
9. महाराष्ट्र	6	2	2	10
10. मैसूर	16	2	—	18
11. उड़ीसा	—	1	—	1
12. पंजाब	14	3	—	17
13. राजस्थान	7	4	—	11
14. तमिलनाडु	9	4	2	15
15. उत्तर प्रदेश	16	2	2	10
16. पश्चिम बंगाल	14	7	—	21
17. संघीय राज्य क्षेत्र (गोआ)	2	—	—	2
	146	46	11	203

टिप्पणी : (1) ग्रामीण क्षेत्र—10,000 तक की जनसंख्या वाले स्थान

(2) अर्ध शहरी क्षेत्र—10,000 से एक लाख की जनसंख्या वाले स्थान

(3) शहरी क्षेत्र—एक लाख से अधिक की जनसंख्या वाले स्थान

दिल्ली में भूमि और आवास सम्बन्धी समस्याओं के बारे में डा० आशीश बोस द्वारा दिये गये सुझावों पर कार्यवाही

2150. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली की भूमि और आवास समस्याओं को हल करने के बारे में डा० आशीश बोस द्वारा दिये गये सुझावों के सम्बन्ध में सरकार ने अग्रेतर क्या कार्यवाही की है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इस मामले में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख). डाक्टर आशीश बोस द्वारा दिये गये सुझावों पर विचार किया गया है । मुख्य सिफारिशों पर सरकार के विचार, संलग्न विवरण में दिये गये हैं ।

विवरण

सिफारिशें	सरकार के विचार
1. लोगों के लिए आवास की व्यवस्था करने के आधारभूत उद्देश्य हेतु एक एकीकृत भूमि और आवास नीति बनानी चाहिये तथा भूमि और भवन से सम्बन्धित अनेक अभिकरणों को हटाने के लिए ।	1. दिल्ली में, मुख्यतः भूमि और आवास बस्तियों के विकास में लगी प्रमुख एजेन्सी दिल्ली विकास प्राधिकरण है ।
2. निधियों के सुगम प्रवाह की सुविधा के लिये, भूमि को उसके वास्तविक विकास करने से पहले, व्यक्तियों को बेच दी जाए और उसकी कीमत किश्तों में वसूल की जाए, जिससे एक आत्म निर्भर (सैल्फ-फीननसिंग) योजना स्वतः चल पड़े, जैसा कि प्रायः गैर सरकारी विकास कर्त्ताओं द्वारा किया जाता है ।	2. अब भूमि की लागत उसके वास्तविक विकास से पहले ही किश्तों में वसूल की जानी है ।
3. ऐसी भूमि तथा आवास कम्पनियों के बनाने में प्रोत्साहन दिया जाए जो ठीक व्यापारिक सिद्धान्तों के अनुसार कार्य कर सकें जिन्हें भूमि का आवंटन बिना हानि-लाभ के आधार पर, इस शर्त के साथ हो कि वे ब्लाक आवास और सीधे (वर्टीकल) भवन बनाएगी तथा उन्हें कुछ निर्धारित विशिष्टयों के अनुसार "नियंत्रित दर" पर मध्यम तथा निम्न आय वर्गों को वेचेगी । ऐसी स्थिति में, ऐसा विश्वास किया जाता है कि गैर सरकारी कम्पनियों भी इस क्षेत्र में काम करने के लिए आकृष्ट होंगी ।	3. यह दृष्टिकोण पाया गया कि गैर सरकारी भूमि और आवास कम्पनियों को प्रोत्साहन देने से समाज के निम्न आय वर्ग की आवास स्थिति में सुधार होने की संभावना नहीं है क्योंकि ऐसी कम्पनियां केवल उच्च श्रेणी के व्यक्तियों के लिये लाभकारी योजनाओं में ही केवल रुचि रखेगी ।

ऋण की अदायगी की अवधि में छूट

2151. **श्री क० मि० मधुकर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऋण की अदायगी, जिसमें विदेशी मुद्रा का व्यय अन्तर्ग्रस्त है, की अवधि बढ़ाने की घोषणा करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय के राय मंत्री (श्री प्र. चं. सेठी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

बैंकों द्वारा 2500 रुपये से अधिक धनराशि के प्रयोग किये गये चैकों का वापिस किया जाना

2152. **श्री लोबो प्रभु** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय राजस्व बोर्ड ने एक परिपत्र जारी किया है कि बैंक 2500 रुपये से अधिक धनराशि के प्रयोग किये गये चैक इस शर्त पर बापिस करेंगे कि उन्हें आठ वर्ष तक सुरक्षित रखा जायेगा ; और

(ख) आयकर के लिये आवश्यक इस कठिन प्रक्रिया को, पास बुक में यह प्रविष्टि करें कि उक्त भुगतान क्रास चैक द्वारा किये गये हैं, समाप्त न करने के क्या कारण है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, हां ।

(ख) बैंकिंग विभाग के साथ परामर्श करने के बाद, यह महसूस किया गया कि इस सम्बन्ध में अपनायी गई कार्य-प्रणाली अपेक्षाकृत अधिक सरल और सुस्पष्ट है ।

Grant of Exemption from Payment of Income Tax to 'Janhit Nidhi' Lucknow

2153. **Shri Prakash Vir Shastri** : Will the Minister of Finance be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3034 on the 8th December, 1969 and state :

(a) whether statement is being regularly sent to the concerned department by the 'Janhit Nidhi' which was exempted from the payment of Income-tax under Section 11 of Income Tax Act 1961, for charity purposes ;

(b) whether it is also a fact that the above Trust has given loans to some of the business organisations indirectly and the officials of these organisations are also the officials of the said Trust ; and

(c) the amount received by the Trust separately and also the details of the sources from which this amount was received during the last eight years and the amount thereof exempted from Income-tax ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) Yes, Sir.

(b) The Trust has given loans to one business organisation. The information whether the officials of this organisation are also the officials of this organisation are also the officials of the Trust is being collected and will be laid on the Table of the House as early as possible.

(c) A statement is enclosed. [*Placed in Library. See* No. LT—2784/70].

राज्यों के आवास मंत्रियों का सम्मेलन

2154. **श्री जे० के० चौधरी** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी, 1970 के महीने में हुए राज्यों के आवास तथा नगरीय विकास

मंत्रियो के सम्मेलन में निम्न आय वर्ग के लिये आवास व्यवस्था तथा गन्दी बस्तियों की सफाई को प्राथमिकता देने के बारे से विचार किया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय म राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख). जी, हां, सम्मेलन मुख्य रूप से आवास औ नगरीय विकास हेतु, इस उद्देश्य के लिए स्थापित किए जाने वाले आवास और नगरीय विकास वित्त निगम द्वारा संचालित होने के लिये एक आवर्तन निधि बनाने के प्रस्ताव पर विचार विनिमय करने के लिए बुलाया गया था। सम्मेलन ने सिफारिश की कि आवर्तन निधि के केन्द्रक को 1970-71 के वित्तीय वर्ष के दौरान स्थापित करना चाहिए। अन्य बातों के साथ, सम्मेलन ने यह भी सिफारिश की कि आवर्तन निधि से संचालित की जाने वाली परियोजनाओं को बनाते समय सरकारों को, गन्दी बस्ती में रहने वालों और अन्य निम्म आय वर्गों के लिए उचित ध्यान देना चाहिये।

Use of Hindi in Income Tax Department

2155. **Shri Kanwar Lal Gupta** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the number of Income-tax Officers in the Income-tax Office, Delhi who dectate their assessment order in Hindi ;

(b) the number of them who have Hindi typewriters and the number of Hindi Stenographers provided to them ;

(c) the number of Income-tax Officers who have asked for Hindi Typewriters and Hindi Stenographers and the time by which Government would provide them the said facilities ; and

(d) the steps taken during the last six months to ensure the propagation of Hindi in the Income-tax Office, Delhi ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) to (c). None, Sir.

(d) Regular arrangements have been made for teaching Hindi to Officers and members of the staff. Out of a total number of 100 officials required to receive training in Hindi at the beginning of the calendar year 1969, 33 officials were given training during the year 1969.

An officer of the rank of an Assistant Commissioner has been appointed as a Liasion Officer to ensure proper implementation of the orders for progressive use of Hindi.

Instructions have been issued to Officers to maintain the service books of Class IV Employees in Hindi. In some of the offices, leave orders in respect of Class IV officials are also being issued in Hindi.

Loans Given to Tangawalas, Rickshaw Pullers and Farmers by Nationalised Banks in Delhi

2156. **Shri Kanwar Lal Gupta** : Will the Minister of **Finance** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3873 on the 15th December, 1969 and state :

(a) the number of taxiwalas, tongawalas, rickshaw pullers and farmers who have been given loans by the nationalised banks in the last 6 months in Delhi and the amount thereof ;

(b) the amount of loans Government propose to give to the aforesaid classes in the next year and the rate of interest thereon ;

(c) whether Government would consider to reduce the rate of interest to be paid by the said classes ; and

(d) if not, the reasons thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) The number of borrowal accounts of taxiwalas, tongawalas, rickshaw pullers, and farmers who have been given loans by the Nationalised banks in the last six months (i. e. from August, 1969 to January, 1970) in Delhi and the amount of loans sanctioned to them are as under :

Type of borrowers	No. of borrowers	Aggregate amount of loans sanctioned (in lakhs of rupees)
(i) Taxiwalas	117	13.79
(ii) Tangawalas	—	—
(iii) Rickshaw-pullers	4	0.07
(iv) Farmers (Direct)	831	36.17
Total	952	50.03

(b) None of the nationalised banks have earmarked any fixed amount as such for advances to various categories of small borrowers. They have, however, been advised to meet the needs of neglected sectors in increasing measure. The rates of interest charged by the nationalised banks from farmers and other categories of small borrowers range from 8 to 9½ per cent.

(c) and (d). There is at present no proposal for reducing the rates of interest on such advances. The existing rates are not considered to be very high. The banks are expected to charge reasonable rates of interest on such advances consistent with their operational cost and the directives issued by the Reserve Bank from time to time.

आय-कर बकाया को बट्टे खाते में डालना

2157. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन व्यक्तियों के नाम तथा पते क्या है जिनका एक लाख रुपये से अधिक का आयकर गत दो वर्षों में बट्टे–खाते में डाला गया ;

(ख) प्रत्येक करदाता का कितना आय-कर बट्टे–खाते में डाला गया ;

(ग) उसे बट्टे–खाते में डालने के क्या कारण हैं ;

(घ) क्या यह सच हैं कि आय-कर का भुगतान करने से बचने के लिये अनेक कर-दाताओं ने अपनी आस्तियाँ बेनामी नामों में हस्तांतरित कर दी है ; और

(ङ) ऐसे हस्तातरणों को रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (ग). मांगी गयी सूचना अनुबन्ध में दी गयी है । [**ग्रन्थालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०—2785/70**]

(घ) तथा (ङ). कभी कभी कुछ कर-निर्धारिती आयकर की अदायगी से बचने के लिए अपनी परिसम्पत्तियां अन्तरित कर देते है । परन्तु, 6-10-1964 से आयकर अधिनियम में धारा 230 ए जोड़ कर सरकार ने कुछ मामलों में अचल सम्पत्ति के अन्तरण के पंजीकरण पर प्रतिबन्ध लगा दिये हैं । यह उपबन्ध निहायत कारगर सिद्ध हुआ है ।

Duty Hours of Fire Service Personnel Posted at Parliament House

2158. **Shri P. C. Adichan** : Will the Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Fire Service personnel posted at Parliament House are subjected to fourteen hours duty (from 6 p. m. to 8 a. m. next day) since January, 1969 ;

(b) whether it is a fact that the said personnel are not being paid any over-time allowance ;

(c) if so, whether Government are making arrangement to ensure that the said personnel are paid overtime allowance fram January, 1969 to date ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) The firemen at Parliament House work in two shifts i. e. from 8.00 A. M. to 6.00 P. M. and 6.00 P. M. to 8.00 A. M.

(b) and (d). Yes, Sir. Firemen being field staff, are not covered by the general orders of the Government regarding overtime allowance. However, the question of reducing their duty hours is under consideration.

(c) No, Sir.

Break-Up of Expenditure of Fire Services in Parliament House

2159. **Shri P. C. Adichan** : Will the Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development be pleased to state :

(a) the item-wise break-up of the amount of Rs. 15,000 spent on the Fire Servive in Parliament House ;

(b) whether it is a fact that many old equipments have been shown as new ones ; and

(c) whether Government propose to hold some high-level enquiry in this regard ; if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) The item-wise break-up of the sum of Rs. 14,687/- incurred on the purchase of the fire fighting equipment in the Parliament House is given in the attached statement. [*Placed in Library. See* No. LT—2786/70].

(b) No, Sir.

(c) Does nos arise.

औद्योगिक वित्त निगम द्वारा विभिन्न औद्योगिक संस्थाओं को दिया गया ऋण

2160. **श्री प्रेम चन्द वर्मा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना से लेकर अब तक विभिन्न औद्योगिक प्रतिष्ठानों

को कितने ऋण दिए गए, कितने ऋण सरकारी क्षेत्र के और कितने ऋण गैर सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों को दिये गये ;

(ख) कुल ऋण का राज्यवार और उद्योगवार बटवारा किस प्रकार किया गया ;

(ग) किन-किन औद्योगिक फर्मों को एक करोड़ रुपये अथवा उससे अधिक का ऋण दिया गया ; और

(घ) किन-किन फर्मों ने कितना-कितना ऋण, जिसकी अदायगी का समय हो गया है, वापस नहीं किया और उसमें से कितना धन वसूल न होने योग्य पाया गया और जिसे डूबी रकम घोषित कर दिया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना अर्थात् 1948 से लेकर 30 जून 1969 तक निगम द्वारा 391 कम्पनियों के लिए मंजूर किये गये ऋणों की कुल रकम (रद्द और वापस की गई रकमों का समायोजन करने के बाद) 243.03 करोड़ रुपया है जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

(करोड़ रुपये में)

	कम्पनियों की संख्या	स्वीकृत रकम	कम्पनियों की संख्या	वितरित रकम
1. गैर-सरकारी क्षेत्र में पब्लिक लिमिटेड कम्पनियां	303	174.27	265	155.04
2. औद्योगिक सहकारी संस्थाएं	85	64.14	67	51.54
3. वे कम्पनियाँ जिनमें केन्द्र/राज्य सरकारों के पास 50 प्रतिशत से अधिक शेयर हैं	3	4.62	3	4.62
	391	243.03	335	211.20

निगम द्वारा जिस वर्ष में जिन औद्योगिक कम्पनियों को ऋण और अन्य किस्म की वित्तीय सहायता मंजूर की गई है वह उस वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट में दी गई है। ये रिपोर्टें प्रति वर्ष संसद के सामने रखी जाती हैं।

(ख) उपर्युक्त ऋण सहायता के वितरण का राज्यवार और उद्योगवार ब्यौरा संलग्न विवरण 1(क) और 1(ख) में दिया गया है। [**ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये** संख्या एल० टी० 2787/70]

(ग) 65 कम्पनियां ऐसी हैं जिनको 30 जून 1969 तक निगम द्वारा एक करोड़ या इससे अधिक रकम के ऋण स्वीकृत किये गये हैं। इनमें से 8 एकक सहकारिता क्षेत्र के हैं, 56 गैर-सरकारी क्षेत्र के हैं और एक कम्पनी ऐसी है जिसकी सामान्य शेयर पूंजी में केन्द्र/राज्य सरकार के शेयर 50 प्रतिशत से अधिक हैं। स्वीकृत और वितरित ऋणों की रकमों सहित इन कम्पनियों के नाम संलग्न विवरण—II में दिये गये हैं।

(घ) 30 जून, 1969 को 273 औद्योगिक कम्पनियों के पास ऋणों की कुल बकाया रकम 147.55 करोड़ रुपये थी। इनमें से, 48 कम्पनियों ने मूलधन की किस्तों (256.51 लाख रुपये), ब्याज (311.67 लाख रुपये) की और निगम द्वारा प्रत्याभूत और शोधित आस्थगित अदायगियों की किस्तों (527.43 लाख रुपये) कुल मिलाकर 1095.61 लाख रुपये की रकम समय पर नहीं चुकाई थी। अधिकतर मामलों में चूक होने का कारण व्यापार की स्थिति का खराब होना था और अन्य कारण ऐसे थे जिनपर उद्यमकर्ता का अपना सीधा कोई नियन्त्रण नहीं था और ऐसा कोई मामला नहीं था जबकि जानबूझ कर निगम की बकाया अदायगियां न की गई हों। जिन कम्पनियों ने चूक की है, उनके विषय में चूक के कारणों का पर्याप्त स्पष्टीकरणों दिये बिना, उन कम्पनियों का नाम बताने से उद्यमकर्ताओं की ख्याति को अनुचित रूप से हानि पहुँचा सकती है। इसलिए सरकार इसको ठीक नहीं समझती कि उन औद्योगिक कम्पनियों का नाम जाहिर किया जाय जिन्होंने किसी खास समय पर चूक की है।

निगम ने, केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से 1961-62 के वर्ष तक अशोध्य ऋणों के निम्नलिखित 2 खातों में कुल ऋणों की 50.30 लाख रुपये की रकम को, बट्टे खाते डाला था :—

	लाख रुपयों में	बट्टे खाते डालने का लेखा वर्ष
1. शोदपुर ग्लास वर्कस लिमिटेड	49.44	30-6-57 को समाप्त होने वाला वर्ष
2. पंजाब वनस्पति ऐण्ड आयल मिल्स लिमिटेड	0.86	30-6-58 से 30-6-62 को समाप्त होने वाला वर्ष
	50.30	

1961-62 के वर्ष से, निगम के सामने कोई ऐसा अवसर नहीं आया है जबकि अशोध्य ऋण को बट्टे खाते डाला गया हो।

परन्तु हाल ही में एक बाकीदार औद्योगिक कम्पनी के मामले में, जिससे ऋण वसूल करने से सम्बन्धित कानूनी कार्रवाही पूरी हो गई है, निगम को आशंका है कि लगभग 9.37 लाख रुपये की रकम बट्टे खाते डालनी पड़ेगी।

दिल्ली, खरियान बस्ती क्षेत्र, नांगल में केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य सेवा का औषधालय

2161. **श्री बलराज मधोक : क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास एवं नगर विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में जेल मार्ग पर खरियान बस्ती क्षेत्र, नांगल में केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य सेवा का कोई औषधालय नही है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उस क्षेत्र में पांच हजार से अधिक केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी रहते हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि उन कर्मचारियों के लिये केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य सेवा के औषधालय वहां से लगभग तीन मील की दूरी पर दिल्ली छावनी में है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार उस क्षेत्र में केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य सेवा का एक औषधालय खोलने के बारे में विचार करेगी ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां, ।

(ख), (ग) और (घ) . इस क्षेत्र में रहने वाले सरकारी कर्मचारियों की कठिनाइयों को देखते हुए वहां एक औषधालय खोलने सम्बन्धी प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है ।

राम कृष्ण पुरम्, नई दिल्ली के क्वार्टरों में सुविधाओं की व्यवस्था

2162. **श्री बलराज मधोक** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राम कृष्ण पुरम, नई दिल्ली में क्वार्टरों की सैक्टरवार संख्या कितनी है ;

(ख) उनमें से सैक्टरवार अब तक कितने क्वार्टरों का नियतन कर दिया गया है ;

(ग) विभिन्न सैक्टरों के लिये क्या क्या नागरिक सुविधायें प्रदान की गई हैं ;

(घ) क्या यह सच है कि अधिकांश सैक्टरों में नागरिक सुविधाओं का सामान्य स्तर नई दिल्ली नगर पालिका और दिल्ली नगर निगम के अन्तर्गत आनेवाली अन्य पड़ौसी अन्य बस्तियों के स्तर से अभी नीचा है ; और

(ङ) यदि हां, तो रामाकृष्णपुरम में विभिन्न सैक्टरों में विकास कार्य आरम्भ करने तथा अन्य सुविधायें प्रदान करने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

राज्य मंत्री, स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) (क) सूचना निम्नलिखित है :

सैक्टर I	1270
सैक्टर II	1290
सैक्टर III	1140
सैक्टर IV	1348
सैक्टर V	1586
सैक्टर VII	1266
सैक्टर VIII	548
सैक्टर IX	624

सैक्टर	XII	640
सैक्टर	XIII	253

(ख) उनमें से सभी

(ग) सभी सैक्टरों में निम्नलिखित नागरिक सुविधाओं की व्यवस्था की गई है :—

(i) जल सप्लाई ।

(ii) भूमिगत नालियां ।

(iii) बारसाती पानी की खुली नालियां ।

(iv) सर्विस मार्ग ।

(v) मुख्य मार्ग ।

(घ) तथा (ङ) . जिन सुविधाओं की व्यवस्था की गई है, उन की तुलना सामान्यतः नई दिल्ली नगर पालिका और दिल्ली नगर निगम के अधीन पड़ौस में पड़ने वाली कालोनियों की उसी प्रकार की सुविधाओं से की जा सकती है । जिन मामलों में उन्हें घटिया पाया जाता है, उन्हें सामान्य स्तर तक लाने के उपाय, निधियों की उपलब्धता के अनुसार, किए जाते हैं ।

बैंकों में अनियमितताएं

2163. **श्री अब्दुल गनी दर** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के रिजर्व बैंक में ऐसे कितने बैंकों के विरूद्ध अपना प्रतिवेदन दिया है जिन्होंने गत तीन वर्षों में गलत कार्यों अनियमितताओं, गबन किये हैं और बोगस खाते रखे हैं तथा अपर्याप्त जमानतों पर ऋण दिये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उन बैंकों के नाम क्या हैं और प्रत्येक बैंक द्वारा किये गये ऐसे अनियमित कार्यों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) बैंकों का निरीक्षण करते समय या अन्यथा, रिजर्व बैंक के ध्यान में लगभग 40 ऐसे मामले आये हैं जिनमें उपर्युक्त प्रकार की अनियमितताएं होने का सन्देह है । उन मामलों में, जहां जांच करने पर कोई गम्भीर अनियमितता नहीं पायी गयी, आगे कोई कार्रवाई नहीं की गयी । अन्य मामलों में, जहां अग्रिमों का उपयोग अग्रिम देने के प्रयोजन से भिन्न प्रयोजनों के लिए किये जाने, पर्याप्त एहतिआत बरते बिना अग्रिम दिये जाने, अधिकारियों द्वारा अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने, कानून का उल्लंघन करने अथवा जाल-साजी और गबन किये जाने का पता चला, उपयुक्त सुधारात्मक कार्रवाई की गयी थी । इन अनियमितताओं के लिए जिम्मेदार कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासन की कार्रवाई करने के अलावा बैंकों को यह सलाह दी गयी कि वे अपनी नियंत्रण, लेखा-परीक्षा और निरीक्षण व्यवस्था की कमियों को दूर करने के लिए एहतियाती कदम उठाये ताकि भविष्य में ऐसी अनियमितताओं के होने को रोका जा सके ।

(ख) बैंकों के नाम बताना या इन कार्यों का ब्यौरा देना, जन-हित में नहीं होगा ।

कार्बनिक रासायनिक पदार्थों के उत्पादन के लिये जर्मनी के सहयोग से कारखाने की स्थापना

2164. **श्री मणि भाई जे० पटेल : क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कार्बनिक रासायनिक पदार्थों के उत्पादन के लिये जर्मनी के सहयोग से एक कारखाना स्थापित किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उसमें किन वस्तुओं का उत्पादन किया जायेगा विशेषकर इस ससय आयात किये जाने वाले मदों में से किन मदों का उत्पादन किया जायेगा ;

(ग) कारखाना किस स्थान पर लगाया जा रहा है और विदेशी मुद्रा सहित उस पर कुल कितनी लागत आयेगी ; और

(घ) कारखाने की निर्धारित क्षमता कितनी है और उसमें उत्पादन कब तक आरम्भ हो जायेगी ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) और (ख) . गुजरात राज्य में, पश्चिम जर्मनी के मैसर्स फ्राइड करुप्प केमिनले-जेनबाओं के सहयोग से एक संयंत्र, एरोमेटिक्स के उत्पादन के लिये स्थापित किया जा रहा है। परियोजना में आर्थी जाइलीन, जाइलीन मिश्रित तथा डीमेथाइल टेरिफलेथेट (डी० एम० टी०) का उत्पादन किया जायेगा ; इस समय डी एम टी, जो एक सिन्थैटिक फाइबर इन्टरमीडियेट है, का आयात किया जा रहा है।

(ग) और (घ) . संयंत्र गुजरात में कोयाली शोधनशाला के निकट लगाया जायेगा। परियोजना पर 28 करोड़ रुपये के कुछ पूंजी परिव्यय (पश्चिम जर्मन डी एम के हाल ही के पुनर्मूल्यन के फलस्वरूप हुये संशोधन शामिल न करते हुये) का अनुमान है। 7.16 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा लागत का अनुमान है। मदों की क्षमताएं निम्न प्रकार होंगी :

आर्थी जाइलीन	21,000 मीटरी टन प्रतिवर्ष
मिश्रित जाइलीन	2,500 मीटरी टन प्रतिवर्ष
डीमेथाइल टेरिफथेलेट (डी एमटी)	24,000 मीटरी टन प्रतिवर्ष

संयंत्र में उत्पादन 1972 के प्रारम्भ में शुरू होने की आशा है।

दिल्ली में अस्पताल और नर्सिग होमों में काम कर रहे कर्मचारियों के लिये नियम-विनियम और आचरण संहिता

2165. **श्री किकर सिंह : श्री देवेन सेन :**
श्री द० रा० परमार : श्री रामचन्द्र के० अमीन :
श्री अब्दुल गनी दार ;

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास एवं नगर विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अस्पतालों और नर्सिग होमों के लिए यह आवश्यक है कि वे

अपने कर्मचारियों के लिए नियम-विनियम और आचरण संहिता बनायें तथा किसी कर्मचारी के विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही उनके अधीन ही की जाती है ;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली में कितने अस्पताल तथा नर्सिंग होम हैं जिन्होंने यह नियम नहीं बनाये हैं ;

(ग) ऐसे अस्पतालों और नर्सिग होमों के नाम जिन्होंने अपने कर्मचारियों को नियम आदि उपलब्ध नहीं कराए अथवा प्रचालित नहीं किए ; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री व० सू० मूर्ति) : (क) केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण आचार एवं अपील) नियम, 1965 दिल्ली के सरकारी अस्पतालों के कर्मचारियों पर लागू होते हैं। इस बारे में प्राइवेट अस्पतालों तथा नर्सिग होमों के कर्मचारियों के लिए सरकार ने कोई नियम नहीं बनाये हैं।

(ख), (ग) और (घ) ये प्रश्न नहीं उठते।

दिल्ली में अस्पताल के कर्मचारियों को क्वार्टरों का आवंटन

2166. **श्री चन्द्रिका प्रसाद :** **श्री ओंकारलाल बेरवा :**
श्री गुणानन्द ठाकुर : **श्री स० कुण्डू :**

क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास एवं नगर विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली के अस्पतालों को 'अनिवार्य सेवा' घोषित किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) कितने अस्पताल और नर्सिग होमों ने अपने तीसरी और चौथी श्रेणी के कर्मचारियों को क्वाटर दिए हैं ; उन कर्मचारियों के नाम क्या हैं जिन्हें क्वाटर दिए गये हैं ;

(घ) उक्त वर्गों के कितने कर्मचारियों को क्वाटर नहीं दिये गये हैं और उसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) भविष्य में ऐसे अस्पतालों के प्रबन्धकों ने कर्मचारियों को क्वाटर देने की क्या योजना बनाई है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख). 10 अप्रैल 1969 को सरकार ने अनिवार्य सेवा व्यवस्था अधिनियम 1968 की धारा 2 उप-धारा 1 के खण्ड (क) के उप-खण्ड (IX) के अधीन दो अधिसूचनाएं जारी कीं जिनमें दिल्ली में चिकित्सा व्यवस्था एवं उपचार सम्बन्धी तथा अस्पतालों, औषधालयों नर्सिग होमों अथवा अन्य चिकित्सा संस्थानों से सम्बन्धित सेवाओं को 'अनिवार्य सेवाएं' घोषित किया गया तथा अनिवार्य सेवा व्यवस्था अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा 1 के अधीन इन सेवाओं में से किसी भी सेवा में हड़ताल करने पर रोक लगाने के

बारे में भी आदेश जारी किये गये। ये अधिसूचनाएं अब निष्प्रभावी हो गये हैं। ऐसा इस लिए करना पड़ा कि सरकार का विचार था कि इन सेवाओं में हड़ताल से लोगों को बहुत बड़ी कठिनाई होगी।

(ग) और (घ) . सफदरगंज अस्पताल, विलिंग्डन अस्पताल तथा लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज एवं अस्पताल के सम्बन्ध में सूचना संलग्न विवरण में दी गई है। अन्य अस्पतालों तथा अस्पतालों तथा नर्सिंग होमों के बारे में तुरन्त सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ङ) दिल्ली में आमतौर से आवास की कमी है। तथापि सफदरजंग अस्पताल के लिए एक नर्स-होस्टल के निर्माण कराने का विचार है। विलिंग्डन अस्पताल के विभिन्न अनिवार्य वर्गों के कर्मचारियों के लिए क्वाटरों के बनवाने का एक प्रस्ताव पर भी सरकार विचार कर रही है। अन्य अस्पतालों के बारे में सूचना तुरन्त उपलब्ध नहीं है।

विवरण

तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के जिन कर्मचारियों को आवास दे दिया गया है तथा जिनको नहीं दिया गया है, उनकी संख्या इस प्रकार है :

क्र० सं०	संस्थान का नाम	उन कर्मचारियों की संख्या जिन्हें आवास दे दिया गया है।		उन कर्मचारियों की संख्या जिनको आवास नही दिया गया है।	
		तृतीय श्रेणी	चतुर्थ श्रेणी	तृतीय श्रेणी	चतुर्थ श्रेणी
1.	सफदरजंग अस्पताल	156	131	846	902
2.	विलिंग्डन अस्पताल	112	40	218	526
3.	लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज तथा अस्पताल	32	185	135	276

दिल्ली के अस्पतालों और नर्सिंग होमों के कर्मचारियों के वेतन मानों का पुनरीक्षण

2167. **श्री रामावतार शास्त्री :** **श्री स० कुण्डू :**
श्री ए० श्रीधरण : **श्री प्र० न० सोलंकी :**

क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास एवं नगर विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के संघ राज्य-क्षेत्र में कई अस्पताल और नर्सिंग होम हैं जो केन्द्रीय सरकार अथवा दिल्ली प्रशासन, अथवा दिल्ली नगर निगम, अथवा नई दिल्ली नगर पालिका अथवा गैर-सरकारी संस्थाओं और संगठनों द्वारा संचालित हैं जिनमें तीसरी और चौथी श्रेणी के कर्मचारियों के पृथक-पृथक वेतनमान हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार वर्तमान वेतनमानों का अध्ययन करने और उनका पुनरीक्षण करने के

लिए वेतन आयोग नियुक्त करने पर विचार करेगी, क्योंकि कर्मचारियों के कर्तव्य लगभग एक समान हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क), (ख), (ग) और (घ). यद्यपि दिल्ली में सरकारी अस्पतालों के तीसरी तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के वेतनमानों में एक रूपता है, तथापि कहीं-कहीं कोई भिन्नताएं हो सकती हैं जिन पर भारत सरकार द्वारा गठित किये जाने वाले तीसरे वेतन आयोग द्वारा विचार किया जा सकता है। दिल्ली नगर निगम और नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा चलाये जा रहे अस्पतालों के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी। प्राइवेट अस्पतालों तथा नर्सिंग होमों के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है तथा यदि इनमें असमानताएं हों भी तो भी भारत सरकार का इस मामले में हस्तक्षेप करने का कोई विचार नहीं है।

D. D. A. Expert's Visit to Calcutta

2168. **Shri Raghuvir Singh Shastri** : Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Development** be pleased to state :

(a) whether a team of experts of Delhi Development Authority visited Calcutta in February, 1970 for studying a project for construction of houess at lower cost ;

(b) if so, the salient points of their report ; and

(c) the details of the schemes formulated by Government for construction of houses at lower cost ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) Yes Sir.

(b) and (c). The West Bengal Government have taken up the construction of low cost houses using standard prestressed concrete walls and roof panels, as an experimental measure. It is claimed that by this method costs can be economised upto about 25% as compared with the conventional method. The Delhi Development Authority have also adopted this type of construction on a trial basis.

चौथी योजना के दौरान पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के उत्पादन का कार्यक्रम

2169. **श्री हेमराज** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के उत्पादन के लिए कोई कार्यक्रम बनाया गया है ;

(ख) इसके लिए कितने तकनीकी व्यक्तियों की आवश्यकता होगी ; कितने उपलब्ध हैं और यदि कोई कमी है तो कितने व्यक्तियों की कमी होगी ; और

(ग) परिस्थिति का सामना करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) सारी कम्पनियों का उत्पादन लक्ष्य, लगभग 38 मिलियन मीटरी टन अशोधित तेल और 8000 मिलियन घन मीटर गैस का है ।

(ख) अपेक्षित तकनीकी व्यक्तियों की संख्या 24,555, उपलब्ध तकनीकी व्यक्तियों की संख्या 21,055, तकनीकी की कमी—3,500

(ग) प्रभाजीकृत भर्ती और विभिन्न स्तरों पर क्रमबद्ध प्रशिक्षण का कार्य शुरू किया गया है ।

करों की बकाया राशि

2170. **श्री हेमराज** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 जनवरी, 1970 को सम्पत्ति कर, व्यय कर तथा उपहार कर की कुल कितनी राशि बकाया थी ;

(ख) उनमें कितने मामले एक वर्ष, दो वर्ष, तीन वर्ष, चार वर्ष तथा पांच वर्ष पुराने हैं और कितने पांच वर्ष से भी अधिक पुराने हैं ; और

(ग) उस राशि की वसूली के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) घन-कर, व्यय-कर तथा दान-कर की बकाया सम्बन्धी सूचना, जैसी कि वह 31 जनबरी 1970 की थी, तत्काल उपलब्ध नहीं है और यह इकट्ठी की जा रही है । लेकिन 31 दिसम्बर 1969 को जो बकाया थी, वह नीचे दी गई है :

	(आंकड़े करोड़ रुपयों में)
घन-कर	5.65
व्यय-कर	0.27
दान-कर	1.07

(ख) तथा (ग). मांगी गयी सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है । वह इकट्ठी की जा रही है और यथा सम्भव शीघ्र ही सदन की मेज पर रख दी जायेगी ।

हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश की काली तथा हरी चाय का स्तर

2171. **श्री हेमराज** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री 4 अगस्त, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1970 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश की काली तथा हरी चाय का स्तर निर्धारित करने के बारे में भारतीय मानक संस्था की सिफारिशें प्राप्त हो गई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उसकी एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) अभी नहीं ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

कोचीन उर्वरक परियोजना का विस्तार कार्यक्रम

2172. **श्री क० अनिरुद्धन** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान** तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोचीन उर्वरक परियोजना के विस्तार कार्यकम क्या हैं ; और

(ख) क्या इसके लिए विदेशी मुद्रा मांगी गई है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) और (ख). विस्तार कार्यक्रम में एन० पी० (N. P.) और एन० पी० के० (N. P. K.) के उर्वरकों में बदले जाने वाले, प्रतिवर्ष 1,37,000 मीटरी टन पी० ओ० क उत्पादन निहित है । परियीजना विश्व बैंक की सहायता के लिए प्रस्तुत की गई है ।

विदेशी मुद्रा अपीलीय न्यायाधिकरण

2173. **श्री क० अनिरुद्धन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी मुद्रा विनिमय अपीलीय न्यायाधिकरण स्थापित करने का प्रस्ताव है ।

(ख) यदि हां, तो इस न्यायाधिकरण के कार्य क्या होंगे ; और

(ग) विदेशी मुद्रा उल्लंघनों के मामले में इस न्यायाधिकरण का क्षेत्राधिकार क्या होगा ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) विदेशी मुद्रा विनिमय विनियमन अधिनियम, 1947 की धारा 23 ई० में 'विदेशी मुद्रा विनिमय विनियमन अपीलीय बोर्ड' नाम के एम अपीलीय बोर्ड के गठन की व्यवस्था है । इस प्रकार का एक अपीलीय बोर्ड पहले ही विद्यमान है ।

(ख) तथा (ग). ऊपर उल्लिखित अपीलीय बोर्ड का कार्य, प्रवर्तन निदेशक द्वारा विदेशी मुद्रा विनिमय विनियमन अधिनियम की धारा 23 के अन्तर्गत दिये गये आदेशों के खिलाफ अपीलें सुनना है । निदेशक के ऐसे आदेशों का सम्बन्ध विदेशी मुद्रा विनिमय विनियमन अधिनियम की धारा 4,5,9,10,12(2), 18, 18ए तथा 18बी के उपबन्धों के उल्लंघनों से हो सकता है और परिणामतः ऐसे उल्लंघनों के सम्बन्ध में निदेशक द्वारा विभागीय न्यायनिर्णय की कार्यवाही किये जाने की स्थिति में उपर्युक्त उपबन्धों के उल्लंघन के मामले बोर्ड के अपीलीय अधिकार-क्षेत्र में आते हैं ।

Prime Minister's Statement at Kota (Rajasthan) Regarding Setting up a Fertilizer Factory in Private Sector

2174. **Shri Deven Sen** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that during her recent visit to Kota (Rajasthan), the Prime Minister had stated that Government would soon set up a Fertilizer Factory with Japanese collaboration in Private sector ;

(b) if so, the production capacity of the proposed factory and the expenditure to be incurred thereon and the time by which the said factory would start functioning ; and

(c) whether Government propose to set up or would consider to set up such factories in the backward areas of Uttar Pradesh and Bihar ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri D. R. Chavan) : (a) No.

(b) Does not arise.

(c) There is no proposal to set up fertilizer factories with Japanese collaboration. In Bihar, a fertilizer factory at Sindri is already in production and the one at Barauni is under construction. In Uttar Pradesh, a fertilizer factory at Gorakhpur is already in production and another one at Kanpur has gone into production recently.

सरकारी कर्मचारियों को पारी से बाहर क्वाटर का नियतन

2175. **श्री न० रा० देवघरे** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1969 में कितने कर्मचारियों को पारी से बाहर सरकारी क्वाटरों का नियतन किया गया ; और

(ख) दिल्ली में सरकारी कर्मचारियों को पारी से बाहर क्वाटर का नियतन करने संबंधी सरकार की वर्ष 1970 की नीति क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) दिल्ली/नई दिल्ली में सामान्य पूल से चिकित्सा कारणों पर 64 तदर्थ आवंटन किए गए ।

(ख) चिकित्सा कारणों पर बगैर बारी के आधार पर सामान्य पूल वास के आवंटन के लिए आवेदन लेने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है, और वर्तमान प्रतिबन्ध 31-3-1970 तक है, जब स्थिति का पुन: अवलोकन किया जायेगा ।

परिवार नियोजन अभियान के कारण जन्म दर में कमी

2176. **श्री न० रा० देवघरे** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) परिवार नियोजन अभियान के फलस्वरूप 1969 में भारत का जन्म दर कितना घटा है ;

(ख) पिछले तीन वर्षों के जन्म और मृत्यु दर क्या है ; और

(ग) देश के नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार नियोजन को लोकप्रिय बनाने के लिए सरकार कौन से नवीनतम उपाय, नए नारे और गर्भ-निरोधक अपना रही है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० श्रीपति चन्द्रशेखर) : (क) देश में जन्म दर पर कार्यक्रम का उल्लेखनीय प्रभाव पड़ने की इतनी जल्दी आशा नहीं की जा सकती है। कार्यक्रम को अपनाने वालों की कुल संख्या में वर्ष प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है।

(ख) महा पंजीयक द्वारा तैयार किये गये आंकड़ों के अनुसार 1966-70 के पांच वर्षों में जन्म और मृत्यु दर हजार जनसंख्या पीछे क्रमश: 38.6 और 14 रही है।

(ग) लघु परिबार के आदर्श को अपनाने के लिए लोगों को प्रेरित करने के वास्ते विशिष्ट कदम उठाये गये हैं। नगरों और गांवों में परिवार नियोजन संदेश को फैलाने के लिए संसार के सभी उपलब्ध और स भव साधनों की सहायता ली जाती है जैसे—प्रेस, रेडियो, फिल्मों, सिनेमा स्लाइडें, प्रदर्शिनी, छपी हुई शिक्षा सम्बन्धी सामग्री का बड़े पैमाने पर प्रेषण, बस-बोर्ड होर्डिंग भीति चित्र आदि का प्रदर्शन तथा परम्परागत और साँस्कृतिक प्रचार साधनों का उपयोग जैसे—स्थानीय गीत एवं नाटक मंडली, कठपुतली मंडली आदि। कार्यक्रम में 'अगला बच्चा अभी नहीं, तीन के बाद कभी नहीं।' जैसे नये नारों को शुरू किया गया है। इसके अलावा निम्नलिखित विभिन्न विशेष योजनाओं के जरिये भी कार्यक्रम को तेज किया जा रहा है :

(1) उन अस्पतालों में जहाँ प्रसव के अधिक मामले होते हैं, प्रश्नोत्तर कार्यक्रम शुरू करना।

(2) देश के अधिक घनी आबादी वाले कुछ जिलों को अधिक सुविधाएं प्रदान करना।

(3) चुने हुए विशाल प्रशासनिक एकाँशों में सघन कार्यक्रमों का आयोजन करना।

(4) निरोध के प्रयोग के लिए विस्तृत रूप से प्रचार करना और दुकानों, डाकघरों तथा परिवार नियोजन के केन्द्रों और उपकेन्द्रों के जरिये निरोध तत्काल उपलब्ध करना।

(5) प्रयोग तथा प्रदर्शन के आधार पर खाने वाली गोलियों की परियोजनाओं को चलाना।

(6) स्वदेशी चिकित्सा पद्धति के चिकित्सकों को शामिल करना और परिवार नियोजन के लिए देशी औषधियों आदि के अनुसंधान कार्य को प्रोत्साहन देना।

विदेशी सहायता

2177. **श्री न० रा० देवघरे** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार के पास 31 दिसम्बर, 1969 को विभिन्न देशों से विकास कार्य के लिए कितने आश्वासन थे और सहायता की राशियां क्या हैं ; और

(ख) विदेशी सहायता पर निर्भरता कम करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा किये जाने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) सभा की मेज पर एक विवरण रख दिया गया है ।

(ख) चौथी आयोजना में कृषि उत्पादन में वृद्धि करने और औद्योगिक उत्पादन के लिए मौजूदा सुविधाओं का अधिकतम उपयोग करने पर जो बल दिया गया और निर्यात-संवर्धन और आयात-प्रतिस्थापन पर जो जोर दिया गया है उसका उद्देश्य विदेश सहायता पर निर्भर रहने में कमी करना है ।

विवरण

जहां तक 1969-70 का सम्बन्ध है, 1 अप्रैल से 31 दिसम्बर, 1969 तक 327.25 करोड़ रुपये की राशि की विदेशी सहायता के सम्बन्ध में करार किये गये, जिनका ब्यौरा इस प्रकार है :

देश/संस्था का नाम	रकम (लाख डालरों में)
1. आस्ट्रिया	15.8
2. बेल्जियम	30.0
3. कनाडा	628.9
4. पश्चिमी जर्मनी	674.3
5. इटली	233.5
6. नीदरलैंड	6.0
7. जापान	195.6
8. ब्रिटेन	912.0
9. संयुक्त राज्य अमेरिका	287.3
10. अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक	555.0
11. अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ	825.0
	4363.4(327.25 करोड़ रुपये)

2. 31 दिसम्बर, 1969 को और सहायता प्राप्त होने के संकेत उपलब्ध थे और उनके आधार पर 31 दिसम्बर, 1969 के बाद ये करार किये गये हैं :

देश/संस्था का नाम	राशि (दस लाख डालरों में)	तारीख
1. नीदरलैंड	112.0	10-1-1970

1	2	3
2. संयुक्त राज्य अमेरिका (निर्यात आयात बैंक)	180.0	4-2-1970
3. अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ	350.0	9-2-1970
4. ब्रिटेन	216.0	11-2-1970
5. जापान	254.4	3-3-1970
	1112.4 (83.43 करोड़ रुपये)	

3. 31 दिसम्बर, 1969 को 1969-70 के लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस और अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से और सहायता प्राप्त होने के संकेत उपलब्ध हो रहे थे। अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका से प्राप्त होने वाली सहायता की रकम अभी तय की जानी है। जहां तक फ्रांस का सम्बन्ध है, 300 लाख डालर (22.5 करोड़ रुपये) की विदेशी सहायता प्राप्त होने की सम्भावना है।

आय-कर विभाग में कार्यभार

2178. **श्री एस० आर० दामानी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष के पहले नौ महीनों में कितने नये कर-दाताओं के नाम दर्ज किये गये तथा ये आंकड़े गत तीन वर्षों के तत्सम्बन्धी आंकड़ों की तुलना में कितने कम अथवा अधिक हैं ;

(ख) क्या इस वर्ष आयकर विभाग में कर्मचारी बढ़ाये गये हैं और यदि हां, तो किस रीति से ;

(ग) श्रेणी दो के आय-कर अधिकारियों, श्रेणी एक के आय-कर अधिकारियों तथा सहायक आय-कर आयुक्त के कार्यभार के लिये क्या सिद्धान्त निर्धारित किये गये हैं ;

(घ) क्या उनके द्वारा किया जा रहा कार्य निर्धारित सिद्धान्तों के अनुरूप है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) वित्तीय वर्ष 1966-67, 1967-68, 1968-69 तथा 1969-70 के पहले नौ महीनों में दर्ज किये गये निर्धारितियों से सम्बन्धित तुलनात्मक आंकड़े नीचे दिये हैं :—

वर्ष	वर्ष के पहले नौ महीनों में अर्थात् 1 अप्रैल से 31 दिसम्बर तक शामिल किये गये निर्धारितियों की संख्या
1966-67	1,38,721
1967-68	1,13,829
1968-69	1,55,932
1969-70	2,47,670

(ख) चालू वर्ष के दौरान आयकर विभाग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों की संख्या उनकी 31 मार्च 1969 की संख्या की तुलना में क्रमश: 52 तथा 2059 और बढ़ गई हैं।

(ग) आयकर अधिकारियों के लिए प्रतिवर्ष मानक इकाइयों के हिसाब से नीचे दिये अनुसार कार्य-प्रतिमान निर्धारित किये गये हैं :—

आयकर अधिकारी, श्रेणी—ii

(1) पांच वर्ष से अधिक का सेवाकाल — 250 तथा 300 मानक इकाइयों के बीच

(2) 2 वर्ष से अधिक लेकिन 5 वर्ष से अनधिक सेवाकाल — 200 तथा 250 मानक इकाइयों के बीच

(3) 2 वर्ष अथवा उससे कम सेवाकाल — 150 तथा 200 मानक इकाइयों के बीच

आयकर अधिकारी, श्रेणी—i

(1) आयकर अधिकारी के रूप में 8 वर्ष से अधिक का सेवाकाल — 300 तथा 350 मानक इकाइयों के बीच

(2) 8 वर्ष से अधिक लेकिन 8 वर्ष से अनधिक सेवाकाल — 250 तथा 300 मानक इकाइयों के बीच

(3) 2 वर्ष से अधिक लेकिन 5 वर्ष से अनधिक सेवाकाल — 200 तथा 250 मानक इकाइयों के बीच

(4) 2 वर्ष अथवा उससे कम सेवाकाल — 100 तथा 150 मानक इकाइयों के बीच

चूंकि आयकर अधिकारियों को आय-कर, दान-कर तथा धन-कर से संबंधित अनेक प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं इसलिए उनके द्वारा किये गये कार्य को मापने के लिए मानक इकाई के नाम से एक समान साधन निकाल लिया गया है। किसी कर निर्धारण के संबंध में मानक इकाई पूर्ववर्ती तीन वर्षों में आय-कर/धन-कर के लिए निर्धारित की गई निश्चित आय/शुद्ध धन के अनुसार निश्चित की जाती है। विविध कार्य के बारे में इकाई का मानक सम्बद्ध कार्य के परिणाम के अनुसार निश्चित किया जाता है।

अपीलीय सहायक आयुक्तों के कार्य-प्रतिमान

सरकार ने अपीलीय सहायक आयुक्तों द्वारा अपीलों का फैसला किये जाने के बारे में कोई कार्य प्रतिमान निर्धारित नहीं किये हैं। फिर भी अपीलों के स्वरूप और सम्बद्ध कार्य के परिमाण को देखते हुए अपीलों का फैसला करने के संबंध में प्रत्येक अपीलीय सहायक आयुक्त के लिए निरीक्षण निदेशक/आयकर आयुक्त द्वारा समय समय पर कुछ लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं।

निरीक्षी सहायक आयुक्तों के कार्य प्रतिमान

निरीक्षी सहायक आयुक्त प्रशासनिक तथा सांविधिक एवं गैर-सांविधिक तकनीकी कार्यों

का निष्पादन करता हैं और इसलिए निरीक्षी सहायक आयुक्तों के कार्यभार के सम्बन्ध में कोई कार्य-निर्धारित नहीं किये गये हैं।

(घ) यदि पूर्णरूप से विचार किया जाय तो अधिकारियों द्वारा किया गया वास्तविक कार्य निर्धारित कार्यप्रतिमानों के अनुसार है।

(ङ) यह प्रश्न नहीं उठता।

Medical College in Bundelkhand (Madhya Pradesh)

2179. **Shri Nihal Singh :** Will the Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there is no medical college in Bundelkhand in Madhya Pradesh and that this area has been much ignored ; and

(b) if so, the action being taken by the Central Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) and (b). There are seven Revenue Divisions in Madhya Pradesh and each Division except Bilaspur has a medical college. The medical college at Rewa and Gwalior cover the Bundelkhand area of the State. There is also a medical college at Jhansi in the Bundelkhand area of Uttar Pradesh.

उर्वरक संयंत्रों के बदले में ईरानी अशोधित तेल के अपने हिस्से को इटली को बेचने का भारत का प्रस्ताव

2180. **श्री क० प्र० सिंह देव :** क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उर्वरक संयंत्रों के बदले में ईरान के तटीय समुद्र से निकाले जाने वाले अशोधित तेल का अपना हिस्सा इटली को बेचने का सरकार का विचार है ;

(ख) क्या इस बारे में इटली के साथ कोई करार हुआ है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और इस करार से भारत को कितना लाभ होने की संभावना है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री द० रा० चव्हाण) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

खनन उद्योग में संयुक्त-क्षेत्र उपक्रम स्थापित करना

2181. **श्री अ० प्र० सिंह देव :** क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में खनन उद्योग में संयुक्त क्षेत्र-उपक्रम स्थापित करने का है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रस्ताव को अन्तिम रूप दे दिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और इसके परिणामस्वरूप देश में खनन उद्योग का कहां तक विकास होने की संभावना है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) औद्योगिक लाइसेंस नीति जांच समिति की रिपोर्ट में जैसा सुझाया गया हैं संयुक्त क्षेत्र उपक्रमों की परिकल्पना सरकार द्वारा सिद्धांत रूप से बहुत हाल ही में स्वीकार की गई है । विस्तृत निर्देशों की रूपरेखा अभी निर्धारित की जानी है । अतः इस अवस्था पर खनन उद्योग में संयुक्त-क्षेत्र-उपक्रमों की पद्धति लागू करने के लिए प्रश्न पर विचार करने का अभी समय नहीं आया ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Memorandum Submitted by Rajasthan Teachers' Federation for Single Pay Commission for Central and State Government Employees

2182. **Shri Brij Raj Singh :**
Shri Nihal Singh :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Rajasthan Teachers' Federation has submitted a Memorandum to the Prime Minister demanding that the scope of terms of reference of the Pay Commission being appointed in connection with the revision of pay scales of the Central Government employees should be widened so as to include the State Government employees also in it ;

(b) whether Government would take a favourable decision thereon, in view of the same economic conditions of the Central and State Governments as also the similar difficulties being faced by them as a result of the spiralling of prices ; and

(c) the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) to (c). No such memorandum appears to have been received. However, in so far as the question of pay structure of State Government employees is concerned, this is a matter entirely for the concerned State Government to look into, having regard to its budgetary resources and other relevant considerations. In fact, several State Governments had recently set up Pay Commissions for revision of the pay structure of their employees. Accordingly the question of widening the scope of the new Pay Commission to be set up by the Government of India for Central Government employees to cover State Government employees do not arise.

Private Capital Investment in Fertilizer Plants

2185. **Shri Yashpal Singh** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state :

(a) whether Government have agreed to accept the private Capital investment in setting up fertilizer plants by changing their policy ;

(b) if so, the terms and conditions thereof ; and

(c) whether the above decision is likely to have any effect on a big factory to be set up by Tatas in Gujarat ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri D. R Chavan) : (a) Under the existing policy investment of private capital in fertilizer industry is allowed. There has been no change in the policy.

(b) and (c). Do not arise.

दिल्ली के पालम हवाई अड्डे पर तस्करी के सामान का पकड़ा जाना

2186. **श्री रामचन्द वीरप्पा :**

श्री य० अ० प्रसाद :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सीमा शुल्क अधिकारियों ने 10 फरवरी, 1970 को पालम हवाई अड्डे पर बड़ी मात्रा में ट्रांसमीटरों के पुर्जे और फिल्में पकड़ी थी ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). 10 फरवरी 1970 को सीमा-शुल्क कर्मचारियों ने पालम हवाई अड्डे पर दो सूटकेस पकड़े, जिनमें से एक में 20,000 ट्रांजिस्टर (रेडियो के पुर्जे) और दूसरे में 171 अश्लील फिल्में थीं। पकड़े गये माल का मूल्य लगभग 1 लाख रुपये है। ये वस्तुएं हांगकांग से भेजी गई थीं और इनके साथ कोई यात्री नहीं था। एयरलाइंस ने रिपोर्ट दी कि यह सामान लादने-उतारने की गलती से आ गया है। आगे जांच-पड़ताल जारी है ।

राजस्थान के सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिए संयुक्त राष्ट्र बाल आपात निधि द्वारा विटामिन के कैपसूलों की सप्लाई

2187. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में तुरन्त सहायता हेतु संयुक्त राष्ट्र बाल आपात निधि ने हाल में विटामिन के कैप्सूल सप्लाई किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो विटामिन के कैपसूल कुल कितने मूल्य के है ;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(घ) क्या देश के अन्य सूखाग्रस्त क्षेत्रों को भी उतनी मात्रा में विटामिन केपसूल वितरित किये जायेंगे ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी, हां ।

(ख) लगभग 2,25,000 रुपये ।

(ग) उन्हें सधन्यवाद स्वीकार किया गया ।

(घ) किसी अन्य राज्य सरकार से ऐसी प्रार्थना किये जाने पर इस प्रश्न पर गुण-दोष के आधार पर विचार किया जायेगा।

Shortage of Oil for Manufacturing Soap

2188. **Shri Shri Gopal Saboo** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state :

(a) the quantity of oil, to be used for manufacturing soap imported during the last three years ;

(b) the quantity of the said oil proposed to be imported this year and the next year 1970-71 ;

(c) whether it is a fact that there is continuous shortage of the oil which is used for soap manufacture in the country and the soap manufactures and the soap industries have been facing difficulities ; and

(d) whether efforts have been made to find out the indigenous alternatives ; if so the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri D. R. Chavan) : (a) to (c). A statement is laid on the Table of the House. Vegetable oil produced in the country is used for human consumption and industrial purposes including manufacture of soap. There is, therefore, no question of shortage of oil which is used for soap manufacture alone. If the entire oil requirement of the soap industry is met indigenously, there will be corresponding reduction in the availability of oil for edible purposes. Production of coconut oil being insufficient to meet the requirement of the country both for edible and industrial purposes, some imports have had to be arranged. Imported tallow, a cheaper substitute for oil is preferred by soap manufactures on price consideration, and no reports of the soap industry facing difficulities in regard to availability of indigenous oils have been received.

(d) There is no cheaper indigenous substitute for tallow, import of which is arranged with a view to ensure that unduly large quantities of edible oils are not diverted for soap manufacture. It has however, been impressed upon the soap industry that they should find out ways and means for increasing the production of non edible oils which could be used in the soap manufacture not only from the point of view of saving foreign exchange by reduced imports of tallow but also for releasing more edible oil for human consumption.

STATEMENT

Statement showing quantity of oil used in the manufacture of soap imported/to be imported during the year 1966-67 to 1968-69/1969-70 and 1970-71.

(in tonnes)

Name of Article	Quantity imported/to be imported.				
	1966-67	1967-68	1968-69	1969-70 (April—September, 1969).	1970-71
1. Tallow	12,953	1,27,395	73,439	80,174	1,20,000 (approx.)
2. Palm Oil	12,329	6,448	760	294	—
3. Copra* (for coconut oil).	13,800	11,900	7,100	4,900	8,600

*On the basis of allocation of 48% of the total imports of Copra for the soap industry.

दिल्ली के सिनेमाओं के करधार्य मूल्य के सम्बन्ध में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच

2190. **श्री पी० विश्वम्भरन :**
श्री ए० श्रीधरन :
श्री श्रीनिवास मिश्र :

क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस समय केन्दीय जांच ब्यूरो दिल्ली में सिनेमाओं के करधार्य मूल्य के सम्बन्ध में जांच कर रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो जांच किस स्तर पर हो रही है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख). दिल्ली के सिनेमाओं के करधार्य मूल्य के निर्धारण के सम्बन्ध में केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने चार आरोपों के सम्बन्ध में जांच कार्य पूरा कर लिया है। दो मामलों में संबंधित अधिकारियों को रिपोर्ट भेज दी गई हैं और अन्य दो मामलों में रिपोर्ट शीघ्र ही भेज दी जायेगी।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा प्रगतिशील ढंग से कार्य किये जाने के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त

2191. **श्री क० लकप्पा :**
श्री ए० श्रीधरन :
श्री पी० विश्वम्भरन :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में राष्ट्रीयकृत बैंकों की समन्वय समिति की बैठक हुई थी ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन बैंकों द्वारा प्रगतिशील ढंग से कार्य किये जाने के लिए कोई मार्गदर्शी सिद्धान्त निश्चित किये गये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, हां। सरकारी क्षेत्र के बैंकों की समन्वय समिति की, जो परस्पर हितों के मामलों पर चर्चा करने का एक मंच है, 1 नवम्बर 1969 और 13 जनवरी को दो बैठकें हुई थी।

(ख) और (ग). इन दो बैठकों में जो मुख्य फैसले किये गये थे उनका सम्बन्ध, संगठन और कार्य प्रणाली से सम्बन्धित सामान्य समस्याओं से निपटने के लिए एक अन्तर-बैंक सेवा कार्यालय (इंटर बैंक सर्विस ब्यूरो) की स्थापना, अन्तर बैंक निकासी प्रबन्धकों के बारे में एक उपयुक्त प्रक्रिया तैयार करने के लिए अध्ययन दल की नियुक्ति करने, सरकारी क्षेत्र के बीच अनुचित प्रतियोगिता को रोकने के उपाय ढूँढ़ने, मुख्य ऋणकर्त्ताओं के सम्बन्ध में अपेक्षाकृत अधिक कड़ा वित्तीय अनुशानन लागू करने, सरकारी क्षेत्र के कुछ प्रमुख लेखों और ऋणों के ब्याज की दरों की कसौटियों की जांच करने के लिए एक अध्ययन दल की स्थापना करने, बैंक नेतृत्व, योजना के

अन्तर्गत सर्वेक्षण करने का तरीका तैयार करने, धार्मिक और पूर्व संस्थाओं की जमा रकमों के ब्याज की दर निर्धारित करने और अन्य ऐसे मामलों से था।

विदेशों में काम कर रहे राष्ट्रीयकृत बैंकों को हिदायत

2192. **श्री मंगलाथुमाडम :** **श्री स० कुण्डू :**
श्री लखन लाल कपूर : **श्री मोहन स्वरूप :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशों में स्थित राष्ट्रीयकृत भारतीय बैंकों को देश के कानून के अनुरूप कार्य करने के लिए उपयुक्त हिदायतें जारी की हैं ;

(ख) यदि हां, तो कितने बैंक इन हिदायतों का पालन करने के लिये सहमत हो गये हैं ; और

(ग) विदेशों में स्थित कितनी शाखायें बन्द हो गई हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). जी, हां। सम्बद्ध बैंकों द्वारा उन देशों की, जहां वे काम कर रहे हैं, अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए कदम उठाए गये हैं/उठाये जा रहे हैं। यूगांडा में, दो राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाओं को, जो वहां कार्य कर रही थीं, उस देश के कानून पर पूरा उतरने के लिये, स्थानीय रूप से निगमित सहायक बैंकों के रूप में बदल दिया गया है। जहां तक मलयेशिया का सम्बन्ध हैं, वहां के कानून का पूरा-पूरा पालन करने के लिए, इन बैंकों की शाखाओं का पुनर्गठन करने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है।

(ग) किसी बैंक ने भारत से बाहर स्थित अपना कोई कार्यालय बन्द नहीं किया है, सिवाय इससे कि एक राष्ट्रीयकृत बैंक की जो शाखा अदन में काम कर रही थी उसे, उस देश में सारे बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो जाने के परिणामस्वरूप, दक्षिण यमन की सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों के अधिकारियों द्वारा आस्तियों की घोषणा

2193. **श्री मंगलाथुमाडम :** **श्री लखन लाल कपूर :**
श्री श्रीनिवास मिश्र : **श्री ए० श्रीधरन :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीयकृत बैंकों के अधिकारियों को उस कानून के अन्तर्गत लाने का है जिसके अन्तर्गत उसके लिए अपनी तथा अपने परिवार के सदस्यों की पूरी आस्तियों के बारे में तुरन्त घोषणा करना अनिवार्य होगा ;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसा आदेश जारी कर दिया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) अध्यादेश की धारा 19 (2)

के अन्तर्गत राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक मण्डलों को विनियम बनाने के जो अधिकार दिये गये हैं उनके अन्तर्गत बनाये जाने वाले आचरण-नियमों के भाग के रूप में राष्ट्रीयकृत बैंकों के अधिकारियों की यह जिम्मेदारी होगी कि वे अपनी और अपने परिवार के सदस्यों की सारी परिसम्पत्तियों का ब्यौरा दें। अध्यादेश के स्थान पर संसद् द्वारा पारित अधिनियम के लागू हो जाने के बाद, इन नये बैंकों के निदेशक मंडल विनियम बनाने के प्रश्न को हाथ में लेंगे।

(ख) और (ग). इस बात को देखते हुए कि बैंकिंग समवाय (उपक्रमों का अभिग्रहण और अन्तरण) अधिनियम, 1969 (1969 के 22वें अधिनियम) की वैधता का प्रश्न न्यायालय के विचाराधीन था, उक्त अधिनियम के सम्बद्ध उपबन्धों के अन्तर्गत कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी।

कर्मचारियों को दिये गये उपदान पर आयकर

2194. **श्री मंगलाथुमाडम :**
श्री मोहन स्वरूप :
श्री लखन लाल कपूर :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्रमिकों तथा कर्मचारियों को दिये जाने वाले उपदान पर कर लगाने के सम्बन्ध में आय-कर अधिनियम भिन्न-भिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न है ;

(ख) यदि हां, तो किन किन राज्यों में उपदान पर कर लगाया जाता है ; और

(ग) क्या सरकार का उपदान पर लगाये गये करों से एकत्रित की गई राशि को सम्बन्धित कर्मचारियों को लौटाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, नहीं। आय-कर अधिनियम सभी राज्यों पर एक समान रूप से लागू होता है।

(ख) और (ग). आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (10) के अधीन केन्द्रीय सरकार के संशोधित पेन्शन नियमों अथवा किसी राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकरण या सांविधिक निगम की इसी प्रकार की किसी योजना के अन्तर्गत प्राप्त कोई मृत्यु एवं सेवा निवृत्ति उपदान तथा रक्षा-सेवाओं के कर्मचारियों पर लागू होने वाली नयी पेन्शन संहिता के अन्तर्गत 1 जून, 1953 के बाद प्राप्त सेवा निवृत्ति उपदान भी आयकर से पूर्णतया मुक्त है। अन्य प्रकार के किसी उपदान के मामले में, पूरी की गई सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए अधिक से अधिक आधे महीने के वेतन की रकम, जिसका हिसाब उपदान दिये जाने के वर्ष के पूर्ववर्ती तीन वर्षों के औसत वेतन के आधार पर लगाया गया हो, आय-कर से मुक्त है, लेकिन यह रकम 24,000 रु० अथवा इस प्रकार लगाये गये हिसाब के अनुसार 15 महीने के वेतन से, इनमें से जो भी कम हो, अधिक नहीं होगी। लेकिन इन सीमाओं से ऊपर उपदान के रूप में प्राप्त रकम आय-कर लगाये जाने योग्य है यद्यपि अधिनियम की धारा 89 के अधीन दी जा सकने वाली कोई भी राहत तो मिलेगी ही। यह स्थिति सभी राज्यों पर लागू होती है।

धारा 89 के अधीन दी जाने वाली राहत को छोड़कर जैसा कि ऊपर बताया गया है,

संबंधित कर्मचारियों से उपदान पर करों के रूप में वसूल की गई रकम को वापस करने का कोई विचार नहीं है।

तामिलनाडू के कावेरी बेसिन में तेल की खोज

2195. **श्री अम्बाजागन** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तामिलनाडू के कावेरी बेसिन में तेल की खोज के सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) प्रायोगिक बोरिंग के लिए किन-किन स्थानों का चयन किया गया था ; और

(ग) किये गये खोज-कार्य के परिणाम-स्वरूप वहां कितना तेल प्राप्त होने का अनुमान है?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) धरातल भूगर्भीय मानचित्रण और गुरूत्व एवं चुम्बकीय सर्वेक्षण पूरे हो गये हैं। काफी मात्रा में भूकम्पीय सर्वेक्षण किया गया हैं और वे जारी हैं। 1967 से विद्युतीय पूर्वेक्षण कार्य चालू है।

उप-धरातलीय भूगर्भीय जानकारी प्राप्त करने के लिए, 10 संरचनात्मकुओं के अतिरिक्त 9 ऊथले छिद्र खोदे गये हैं और तेल तथा गैस की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए 10 गहरे अन्वेषी कुएं खोदे गये हैं।

(ख) करैकल, नागापट्टिनम, थिएथुरैपुण्डी, तिल्पुण्डी और मदनम क्षेत्रों में गहरे अन्वेषी कुएं खोदे गये हैं।

यह आयोजन है कि दक्षिण-प्रारकट जिले में चिदाम्बरम् नामक स्थान पर एक गहरा कुआं और थानजवुर जिले में सलीयमनगलय नामक स्थान पर दूसरा कुआं खोदा जाएगा।

(ग) इन किसी कुओं में अभी व्यापारिक महत्व का तेल या गैस का कोई भण्डार नहीं पाया गया है।

बैंक की प्रत्येक शाखा से संलग्न गोदाम

2196. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकृत बैंकों के इस निर्णय को ध्यान में रखते हुए कि वे लघु उद्योगों, छोटे व्यापारियों और कृषकों के लिए वित्त की व्यवस्था करेंगे क्या सरकार का उपरोक्त बैंकों की प्रत्येक शाखा के लिए गोदाम की व्यवस्था करने का विचार है जिससे ये लोग माल, व्यापारिक वस्तुओं या कृषि उत्पादों की प्रतिभूति के आधार पर अग्रिम धन ले सकें ; और

(ख) यदि नहीं, तो उपरोक्त उद्देश्य किस प्रकार प्राप्त किया जायेगा ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). जमानत के रूप में पेश किये गये सामान को दृष्टिबन्धक या गिरवी के रूप में रखा जा सकता है। दृष्टिबन्धक

रखा गया सामान, ऋणकर्त्ताओं की हिफाजत में ही रहता है और इसके बारे में वे बैंक के प्रति जिम्मेदार होते हैं। केवल गिरवी रखे गये सामान को, गोदामों में अलग से रखने की जरूरत होती है। जब बैंकों के पास अपने गोदाम नहीं होते, तो वे आम तौर पर यह करते हैं कि गिरवी रखे गये सामान को रखने के लिये पट्टे पर अथवा किराये पर गोदाम ले लेते हैं। इसके अलावा, महत्वपूर्ण उत्पादन तथा विपणन केन्द्रों में, केन्द्रीय तथा राज्यीय संग्रहण निगमों के गोदामों में भी स्थान उपलब्ध होता है। इन परिस्थितियों में, सरकार का राष्ट्रीयकृत बैंकों की प्रत्येक शाखा के साथ गोदाम संलग्न करने का कोई विचार नहीं है।

Pollution of Ganga Water at Monghyr

2197. **Shri Mrityunjay Prasad** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state :

(a) whether Ganges water near Kashtharni-ghat in Monghyr City had again become polluted from oil-refuse ;

(b) if so, where from and how so much oil was found therein and the person responsible for this ; and

(c) the steps being taken to check its recurrence in future ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri D. R. Chavan) : (a) No.

(b) and (c). Do not arise.

आयातित भेषजों का देसी औषधियों में परिवर्तन

2198. **श्री सोमचन्द सोलंकी** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों से आयात किये जाने वाले किन-किन भेषजों को देशी औषधियों में परिवर्तित किया जाता है ;

(ख) डक्सट्रोज पाउडर वी० पी० एनहाईड्रोजन का अन्य देशों से आयात कर उसका 'इनफ्यूसन सोल्यूशन" में परिवर्तित क्यों किया जाता है ; और

(ग) देश में यह कार्य करने वाले एकाधिकार-प्राप्त अभिकरण कौन कौन से हैं ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) उन भेषजों के नाम, जिनका निर्बंध और प्रतिबंधित आधारों पर आयात करने की अनुमति है और जिन्हें फार्मास्यूटिकल्स फार्मुलेशन्स में परिवर्तन किया जाता है, इम्पोर्ट ट्रेड कन्ट्रोल पालिसी बुक की सूची संख्या I तथा III में दिये गये हैं।

(ख) क्योंकि अभी तक इसका देशीय उत्पादन देश की आवश्यकतायें पूरी करने के लिए पर्याप्त नहीं है ;

(ग) इस बारे में किसी एकाधिकार प्राप्त अधिकरण का सरकार को पता नहीं है। ट्रांसफ्यूजन साल्यूशन बनाने के कई यूनिट हैं।

नामरूप उर्वरक कारखाने का विस्तार तथा उसमें उत्पादन

2199. **श्री विश्व नारायण शास्त्री** : क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नामरूप उर्वरक कारखाने का हाल में विस्तार किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो इस कारखाने में उत्पादन क्षमता कितनी है ;

(ग) उसमें कितनी प्राकृतिक गैस का उपयोग किया जाता है और क्या यूरिया तथा 'अमोनिया' का उत्पादन करने हेतु इसका उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जायेगा ; और

(घ) क्या उपलब्ध फालतू प्राकृतिक गैस का उपयोग मैसर्स आयल इण्डिया लिमिटेड के लिए करने हेतु सरकार की कोई योजना है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) और (ख). नामरूप उर्वरक कारखाने की विस्तार योजना को कार्यान्वित किया जा रहा है। योजना के मुकम्मल हो जाने पर मौजूदा कारखाने की 45,000 मीटरी टन नाइट्रोजन क्षमता के अतिरिक्त कारखाने में 1,51,800 मीटरी टन नाइट्रोजन के उत्पादन की क्षमता होगी।

(ग) मूल नामरूप उर्वरक कारखाने में प्रतिदिन 8 मिलियन घन फुट प्राकृतिक गैस इस्तेमाल की जाती है और मुकम्मल हो जाने पर विस्तार परियोजना में, प्रतिदिन 25 मिलियन घन फुट प्राकृतिक गैस प्रयोग की जायेगी।

(घ) आयल इण्डिया लिमिटेड के तेल क्षेत्रों से बेची जाने वाली प्राकृतिक गैस, नामरूप उर्वरक कारखाने को शामिल करते हुए आसाम में विभिन्न उपभोक्ताओं के लिए नियत की गई है। उर्वरक कारखाने की कुल प्रत्याशित जरूरतें पूरी करने के पश्चात् कोई फालतू गैस उपलब्ध होने की आशा नहीं है।

सरकारी उपक्रमों में भर्ती सम्बन्धी नीति

2200. **श्री अचल सिंह** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी उपक्रमों में विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों, विशेषकर इंजीनियरों, की भर्ती के सम्बन्ध में आधारभूत नीति क्या है और केन्द्रीय सरकार के विभागों में अपनाई गई नीति से इस नीति में अन्तर क्यों रखा गया है ;

(ख) क्या इन उपक्रमों में कार्य कर रहे अधिकारियों को सरकारी सेवा के अन्तर्गत माना जाता है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि स्वायत्तशासी निकायों के नाम पर चेयरमैन अपनी इच्छानुसार भर्ती करते हैं और इस सम्बन्ध में कोई निश्चित नीति नहीं है ; और

(घ) यदि हां, तो इस स्थिति के सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) सरकारी उद्यमों के निदेशक-मंडल बोर्ड के अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक/सदस्यों और सम्बद्ध एककों के महा-प्रबन्धकों के पदों से

भिन्न, जिनकी नियुक्ति का अधिकार सरकार को है, इंजीनियरों सहित सभी पदों पर नियुक्तियां करने के लिए भर्ती सम्बन्धी नियम बनाने के लिए सक्षम है। ये नियम, इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा बनाये गये सामान्य सिद्धांतों और उद्यमों की विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर बनाये जाते हैं। चूँकि सरकारी उद्यमों की आवश्यकताएं सरकारी विभागों की आवश्यकताओं से भिन्न होती है, इसलिए सरकारी उद्यमों के लिए यह आवश्यक नहीं होता कि वे केन्द्रीय सरकार के अधीन पदों के लिए बनाये गये भर्ती-नियमों का अनुसरण करें।

(ख) जी, नहीं। सरकारी उद्यम स्वायत्तशासी निकाय हैं और वे अपने अधिकारियों की नियुक्ति करने के लिए सक्षम हैं। अतः सरकारी उद्यमों के अधिकारी, सिवाय उन अधिकारियों के जो सरकारी सेवाओं से प्रतिनियुक्ति पर जाते हैं सरकारी कर्मचारी नहीं होते।

(ग) भर्ती-नियमों में सामान्यतः विधिवत् रूप से बनायी गयी चुनाव करने वाली समितियों द्वारा चुनाव किये जाने की व्यवस्था होती है जिनकी सिफारिश नियुक्ति-अधिकारी के सम्मुख प्रस्तुत की जाती हैं। ऐसे मामलों में जहां, नियुक्ति के अधिकार, अध्यक्ष या प्रबन्ध-निदेशक या विभागाध्यक्ष को, जैसी स्थिति हो, सौंपे गये हों, चुनाव समिति की सिफारिश, भर्ती करने के लिए प्राधिकृत सक्षम अधिकारी के सम्मुख प्रस्तुत कर दी जाती हैं। जैसा कि पहले बताया जा चुका है चुनाव-बोर्डों को, सम्बद्ध उद्यम द्वारा भर्ती के लिए बनाये गये नियमों के अनुसार कार्य करना होता है और इस सम्बन्ध में किसी की इच्छानुसार भर्ती किये जाने की अधिक गुंजाइश नहीं है।

(घ) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

अध्यक्ष महोदय: ध्यानाकर्षण प्रस्ताव।

डा० मैत्रेयी बसु (दार्जिलिंग) : मैंने आपका ध्यान मुझे किये गये गुमनाम टेलीफोन की ओर दिलाया था, जिसमें डी० एम० के० के संशोधन के पक्ष में मत देने के विरुद्ध मुझे धमकी दी गई थी और आपने इसकी अनुमति नहीं दी है।

श्री उमानाथ (पुदुकोटै) : हम सभा में मत देने के लिये स्वतंत्र हैं। यदि सभा में अपने आचरण के लिये उन्हें धमकी दी जाती हैं, तो यह एक गम्भीर मामला है। डरा-धमका कर हमारी स्वतन्त्रता को कुचला जा रहा है। अध्यक्ष महोदय को पुनःविचार करना चाहिए ताकि सरकार वक्तव्य दे सके और आगे जांच की जा सके।

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) : We are free to vote on a bill seeking amendment of the constitution. It is a serious matter if a Member is threatened like this as the hon. lady Member just pointed out. There can be no dispute on this point. I will, therefore, request you kindly to ask the hon. Minister to enuqire into the matter so that Mombers may function here independently and express their views freely.

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : It is a serious matter, which should be enquired into.

Mr. Speaker : Dr. Maitreyee Basu may kindly see me in my Chamber and explain the matter.

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : गृह-कार्य मंत्री इस बात पर ध्यान देने की कृपा करेंगे ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

पाकिस्तान में हिन्दू मन्दिरों तथा सिख गुरुद्वारों पर कथित अत्याचार

Shri Shiv Chandra Jha (Madhubani) : I rise on a point of order. The way this call attention has been framed is likely to generate communal feelings. On a previous occasion you had disallowed my call attention notice regarding the property of Sardhana Catholic Church on this very ground.

अध्यक्ष महोदय : मैंने इस पर ध्यान पूर्वक विचार करके इसकी अनुमति दी है ।

श्री बे० कु० दास चौधरी (कूच बिहार) : मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर वैदेशिक-कार्य मन्त्री का ध्यान दिलाता हूँ और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वे इस बारे में एक वक्तव्य दें :

> "पूर्वी पाकिस्तान में चटगांव जिले में चन्द्रनाथ पहाड़ियों में स्थित हिन्दू मन्दिरों और पश्चिमी पाकिस्तान में सिख गुरुद्वारों पर पाकिस्तान के सैनिकों द्वारा किये जा रहे अत्याचार ।"

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : सरकार को हाल ही में उप हाई कमीशन, ढाका से यह खबर मिली है कि पूर्व पाकिस्तान के चटगांव जिले में सुप्रसिद्ध हिन्दू तीर्थ स्थल, चन्द्रनाथ हिल पर पाकिस्तान के प्राधिकारियों ने कब्जा कर लिया है । सरकार ने अखबारों में ऐसी खबरें भी देखी है कि इस स्थान का सैनिक उद्देश्यों से इस्तेमाल किया जा रहा है ।

सरकार के लिए यह बड़े खेद की बात है कि भारत और पाकिस्तान की सरकार के बीच समझौतों के बावजूद पाकिस्तान में गुरुद्वारों और मंदिरों की दशा निन्दनीय है और उनके अपवित्रीकरण की घटनाएं भी अक्सर होती ही रहती है । खासतौर से चन्द्रनाथ हिल के मामले में अभी हमारे पास इस बात की पक्की खबर नहीं है कि इस धर्म-स्थान का इस्तेमाल सैनिक उद्देश्यों से वास्तव में किया जा रहा है या नहीं ।

सरकार को अभी तक इस बात की कोई सूचना नहीं मिली है कि पाकिस्तान के सैनिक कर्मचारियों ने इस हिन्दू मन्दिर पर अथवा पश्चिम पाकिस्तान में गुरुद्वारों पर अत्याचार किए हैं या नहीं । सरकार इस बारे में और पूछताछ कर रही है और 1950 के नेहरु लियाकत समझौते के, और धर्म-स्थलों का सम्मान करने के सर्वत्र मान्य सिद्धान्त के इस घोर उल्लंघन के खिलाफ विरोध प्रकट कर रही है ।

श्री बे० कु० दास चौधरी : मंत्री महोदय ने कहा है कि उनके पास पूर्ण ब्यौरा नहीं है और वह यह नहीं कह सकते कि चन्द्रनाथ पहाड़ी मन्दिर पाकिस्तानी सेना के अधिकार में है ।

4 मार्च को युगान्तर समाचार पत्र में फोटो प्रकाशित हुए थे जिनसे स्पष्ट रूप से पता चलता है कि हिन्दुओं का यह पवित्र मन्दिर पाकिस्तानी सेना के अधिकार में हैं। इसे 6 मार्च तक विभिन्न समाचार पत्रों में अनेक शर्मनाक घटनाओं का ब्यौरा छपा है। और 4 मार्च के युगान्तर में समाचार छपे हैं कि चिटगांव जिले में चन्द्रनाथ पहाड़ियों के आकाम लगभग 12 मंदिर जैसे बीरूपाक्षमा, उनकुकी शिव-बाड़ी, शम्भूनाथ, पातालपुरी, सहस्रधारा, मन्दाकिनी, जसनाथ, भैरव, सीता, व्यास कुन्ड, सीता कुण्ड, गया कुण्ड आदि सैनिक तैयारी के लिए अड्डे बनाने के लिए सेना द्वारा ले लिये गये हैं।

अत्याचारों के बारे में भी मैं 3 और 5 मार्च के युगान्तर का उल्लेख करूँगा। यह न केवल हिन्दू मन्दिरों को अपवित्र करने का प्रश्न है गत कुछ महीनों में हत्याओं, अपहरण और डकैतियों के अनेक मामले हुए हैं। 1 फरवरी को खुलना जिले में दो व्यक्तियों दीपक पाल और प्रदीप कुमार वैद्य की हत्या कर दी गई थी और अनेक व्यक्तियों को घायल कर दिया गया था। चिट्टगांव जिले में भी दवाइयों के एक व्यापारी श्री निरंजन डे को मार दिया गया था और उनकी सम्पत्ति लूट ली गई। 5 मार्च को 'पेट्रियाट' समाचारपत्र में बताया गया कि पाकिस्तानी अधिकारी लगभग 200 गुरुद्वारों विशेषकर डेरा साहिब और ननकाना साहिब में की देखभाल करने वाले सेवादारों पर पाकिस्तान छोड़कर चले जाने के लिये दबाव डाल रहे हैं। इसके विपरीत हुगली जिले में फुरफुरा शरीफ में वार्षिक उर्स में भाग लेने के लिए पूर्वी पाकिस्तान से आये हुए 24 तीर्थयात्रियों के नेता ने कहा है कि वे राज्य सरकार द्वारा उनके लिए किये गये प्रबन्धों से संतुष्ट हैं।

हम सभी इस भावना का आदर करते हैं कि पाकिस्तान से आने वाले मुसलिम यात्रियों का उचित स्वागत होना चाहिये किन्तु पाकिस्तान में हिन्दुओं पर योजनाबद्ध तरीके से जो अमानवीय अत्याचार किये जा रहे हैं उनको ध्यान में रखते हुए मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूँ कि क्या पाकिस्तान में भारतीय उच्चायुक्त तथा उपउच्चायुक्त ने हिन्दु मन्दिरों और सिख गुरुद्वारों की मर्यादाओं का उल्लंघन—पूर्वी पाकिस्तान में चन्द्रनाथ पहाड़ी तथा पश्चिम पाकिस्तान में डेरा साहेब और ननकाना साहेब—होने के सम्बन्ध में कोई विस्तृत रिपोर्ट भेजी है। यदि नहीं, तो क्या वैदेशिककार्य मंत्रालय भारतीय उच्चायुक्त तथा उप-उच्चायुक्त से इसके लिए पूछ-ताछ करेगा ?

मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि क्या 2 से 6 मार्च तक के देश के विभिन्न समाचार पत्रों में नृशंस हत्याओं तथा सम्पत्ति को लूटे जाने के सम्बन्ध में छपे समाचार सही हैं ? यदि वे सत्य हैं तो मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में हिन्दुओं के पूजनीय स्थानों तथा सिखों के गुरुद्वारों और अल्पसंख्यक वर्ग के धार्मिक विचारों और भावनाओं के सम्मान को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या उपाय किये हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि यदि पाकिस्तान अल्प संख्यक वर्ग के साथ इसी प्रकार का व्यवहार करता रहा जैसा कि वह अब कर रहा है तो क्या सरकार बदले की कार्यवाही करने पर विचार करेगी ?

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूँ कि विभाजन के समय जवाहरलाल नेहरू जैसे महान नेताओं ने पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों को अनेक आश्वासन तथा वचन दिये थे, क्या सरकार अब अपने उत्तरदायित्व को पूरा करेगी और पाकिस्तान सरकार के दमन चक्र द्वारा जिन व्यक्तियों को वहां से बलपूर्वक निकाला जा रहा है क्या सरकार उनकी क्षतिपूर्ति करने और पुर्नवास की समस्या

सुलझाने के लिए कोई उपाय करेगी ? यदि ऐसा नहीं किया गया तो सरकार को जान लेना चाहिये कि भारत के लोग इन अत्याचारों को सहन नहीं करेंगे और फिर बदले की कार्यवाही करके ही वे संतुष्ट होंगे तथा सरकार पर राजनीतिक विश्वासघात का आरोप लगाया जायेगा।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : माननीय सदस्य ने समाचार पत्रों में छपे जिन समाचारों के बारे में कहा है, भारत सरकार को उन सब की जानकारी है। यह समाचार चिंताजनक है। जैसा कि मैंने अपने मुख्य वक्तव्य में कहा है, हम अभी उप-उच्चयुक्त की रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं। **(अन्तर्बाधा)** मैं इस बात से सहमत हूँ कि प्रतिवेदन भेजने में उप-उच्चायुक्त ने विलम्ब किया है जैसा मैंने पहले कहा है हम पाकिस्तान के उच्चायुक्त से भी इस सम्बन्ध में बात कर रहे हैं और विरोध प्रकट भी किया जा रहा है।

पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर किये जाने वाले अत्याचारों के सम्बंध में सभा में पहले भी कई बार चर्चा की गयी है। यह भी सच है कि कभी पूर्वी पाकिस्तान में और कभी पश्चिम पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों को बहुत कटिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, इसलिये स्वाभाविक है कि वे अपने को असुरक्षित समझ रहे हैं। इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में सैनिकों द्वारा मन्दिर की मर्यादा का उल्लंघन करने की बात कही गयी है। हमें इस सम्बन्ध में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। माननीय सदस्य ने कहा है बदले की कार्यवाही करने का प्रश्न उठाया है। मेरा यह निवेदन है कि सभ्य बर्ताव के लिए भारत का सम्मान किया जाता है, हमारी अपनी संस्कृति है। क्या हमें भी वही जंगलीपन दिखाना चाहिए।

श्री बे० कु० दास चौधरी : आपने मेरे अन्तिम प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। जिन लोगों को पाकिस्तान से बलपूर्वक निकाला जा रहा है उनकी क्षतिपूर्ति करने तथा उनको पुनर्वास के लिए क्या सरकार अपने उत्तरदायित्व को पूरा करेंगी ?

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : यह एक बिल्कुल अलग प्रश्न है। यहां इसका कोई सम्बन्ध नहीं। **(अन्तर्बाधा)**

श्री समर गुह : मंत्री महोदय के वक्तव्य के अन्तिम भाग को देखकर मैं आश्चर्यचकित रह गया हूं। सदस्य महोदय ने यह नहीं कहा था कि भारत में रहने वाले अल्पसंख्यक वर्ग के साथ असभ्य व्यवहार किया जाये। वे तो हमारे अपने ही अंग हैं। मंत्री महोदय ने ऐसी तुलना क्यों की।

दूसरे, मैं मंत्री महोदय से स्पष्ट जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार पाकिस्तान में अपने राजनयिक मिशन द्वारा पूरा विवरण प्राप्त करेगी। पाकिस्तान में आजकल निर्वाचन अभियान चल रहा है और असाम्प्रदायिक राष्ट्रीय दलों द्वारा पूर्वी पाकिस्तान के लिए पूर्ण स्वायत्तता तथा पाकिस्तान के शेष भाग के लिये बंगला देश कहने की मांग की जा रही है और वहां की सरकार अल्पसंख्यकों पर सैनिकों की सहायता से घोर अत्याचार करने का अभियान प्रारम्भ कर रखा है। मंत्री महोदय ने कहा है कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं कि मंदिर को अपवित्र किया गया है अथवा नहीं। सरकार तो निद्रा-निमग्न है, उसे कुछ भी पता नहीं। चिटगांव के चकमा क्षेत्र में चकमा कुल जनसंख्या का 13 प्रतिशत थी। आज वहां बुद्धों तथा हिन्दुओं के सभी मंदिरों पर

पाकिस्तानी ने अधिकार जमाया हुआ है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि क्या यह सब सत्य है।

मैं जानना चाहता हूँ कि क्या यह सच है कि जैसौर, खुलना, चिटगांव तथा अन्य सीमावर्त क्षेत्रों में सैनिक शिविर बनाये गए हैं और प्रायः सभी स्थानों से अल्पसंख्यक वर्ग को निकाल दिया गया है। मुझे सूचना प्राप्त हुई है कि अल्पसंख्यक वर्ग के सैकड़ों व्यक्तियों को बन्दी बनाकर उन्हें यातनायें दी जा रही हैं, पिछले तीन महीनों से उन्हें पार-पत्र देना बन्द कर दिया गया है। इसके विपरीत पाकिस्तान के सैकड़ों मुसलिम यात्रियों को 'उर्स' के अवसर पर भारत भ्रमण के लिए पार-पत्र दिये जाते हैं और उनकी सम्पत्ति की संभाल की जाती है।

शत्रु की सम्पत्ति के नाम पर सैकड़ों हिन्दुओं की सम्पत्ति को जब्त किया जा रहा है। हमारे देश में साम्प्रदायिक शक्तियों को दबाने और साम्प्रदायिक सद्भावना बनाये रखने को हम पुनीत कार्य समझते हैं किन्तु बाहर पाकिस्तान द्वारा हो-हल्ला मचाया जा रहा है कि भारत धर्मान्धों का देश है, यहां अल्पसंख्यकों की हत्याएं की जा रही हैं। सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय विचारों को अपने अनुकूल बनाने के लिए क्या उपाय किए हैं ?

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : सभा को सब कुछ पता है कि पूर्वी पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर क्या क्या अत्याचार किये जा रहे हैं। सरकार के विचार भी इस विषय में स्पष्ट हैं। हमने पाकिस्तान से कड़ा विरोध भी प्रकट किया है किन्तु पाकिस्तान सरकार पर इसका कुछ प्रभाव नहीं पड़ता।

श्री रंगा : क्या आपने इस प्रश्न को संयुक्त राष्ट्र संघ में उठाया है।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : हमने सोवियत रूस सहित सभी मित्र देशों को इस सम्बन्ध में बता दिया है। पाकिस्तान इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय करारों का उल्लंघन कर रहा है। मुझे समझ नहीं आती कि हम इससे अधिक क्या कर सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में हमें जो अनुभव हुआ है उसके सम्बन्ध में आप जानते ही हैं। वहां जाने का कोई लाभ नहीं होगा। हमारी नीति यह है कि हम पाकिस्तान से आपसी तौर पर सभी विवादों को सुलझा लें। **(अन्तर्बाधा)**

श्री समर गुह : क्या आप बता सकते हैं कि जनमत जागृत करने के लिए आप ने क्या प्रभावकारी उपाय किये हैं ?

अध्यक्ष महोदय : आपके प्रश्न संगत होते हैं, किन्तु जब भी आपके प्रश्न स्वीकार किये जाते हैं तो मुझे पहला विचार यही आता है कि आपको किस प्रकार सम्भाला जाये। कृपया प्रश्न पर ही रहिये।

श्री समर गुह : क्या मेरा प्रश्न असंगत है ?

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : किसी भी अन्य देश के साथ हमने इस प्रश्न विशेष पर अलग से बातचीत नहीं की है किन्तु भारत—पाक सम्बन्धों के बारे में गतिविधियों से हम अन्य देशों को राजनयिक माध्यमों से अवगत रखते हैं।

श्री बलराज मधोक : क्या आपने कोई इस प्रकार की पुस्तिका प्रकाशित की है जिसमें यह बताया गया हो कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार किये जाते हैं.....(**अन्तर्बाधाएं**)

अध्यक्ष महोदय : बीच में प्रश्न करने का भी कोई ढंग होना चाहिए ।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : One agreement about the sacred places, worship places and shrines was entered into between India and Pakistan in 1953 and the another agreement was concluded in 1955, which is known as Pant-Mirza Agreement. In one agreement it was provided that Pakistan Government as well as the Government of India will preserve and maintain the temples, gurdwaras, Mosques and other worship places in their countries and will give facilities to the pilgrims to go there. There was a clause in Pant-Mirza Agreement which provided that a Committee would be appointed on permanent basis to see such places in both the countries. According to my information the Pakistan Government has either destroyed 95 per cent of Gurdwaras, Temples and Arya Samaj Temples or utilizing at least some of them for military purposes and distillaries are working in some of them. Pakistan Government does not look after such sacred places. In this respect the behaviour of Pakistan's Government is uncivilized and barbarous. I would like to know whether our Govenment has at any time made any assessment about the Temples and Gurdwaras destroyed in Pakistan. if so the number of shrines so destroyed. If Government of India can raise the question Al-Aksa Mosque in U.N. and this House can unanimouslv pass a resotlution. can they not raise the question of the Temples and Gurdwaras destroyed in Pakistan in Security Council in order to create international opinion. They should distribute such literature as may be helpful to serve this purpose.

Shri Surendra Pal Singh : It is a fact that there have been agreements in this respeet in 1953 and 1955 according to which Pakistan as well as India took responsibility to preserve and maintain such shrines.

It is true but still the condition of holy places and shrines—is very bad and this is due to ill-maintenance arrangements. Only a few very important places are a little bit attended otherwise all these places are totally ignored. We have lodged protests a number of times and have also informed the neighbouring countries about it but of avail. As regards raising this issue in the Security Council. I do not think there can be any advantage out of it. It can be possible only when both of us come to certain mutual agreement in this regard. As regards the figures showing the total number of Gurdwaras and Temples, I have got only the names of a few Gurdwaras and not of all the Gurdwaras.

Besides, we have been making the people aware of the condition of these holy places through certain pamplets etc.

A Committee was set in 1955 after a conference of the Home Ministers of the both countries and its first meeting was held in 1958. Later on no meeting could be held owing to the dilatory tactics of Pakistan and also owing to our conflict with that country in 1965.

श्रीमती इला पालचौधरी (कृषनगर) : मन्त्री महोदय के इस वक्तव्य से मुझे वस्तुत: बड़ा आश्चर्य हुआ है इस विषय को सुरक्षा परिषद् अथवा संयुक्त राष्ट्रसंघ में आने से कोई लाभ न होगा । यदि हमारे पास वहां के मन्दिरों आदि के प्रति किये गये दुर्व्यवहार, अत्याचार आदि की सूची है तो उस विषय को सुरक्षा परिषद या संयुक्त राष्ट्र संघ में क्यों नहीं उठाया जा सकता। दूसरे, मैं जानना चाहूँगी कि उपरोक्त समिति की बैठक बुलाने के लिए प्रयत्न क्यों नहीं किये गये । तीसरे, क्या मंत्री महोदय को यह मालूम है कि चन्द्रनाथ पहाड़ी पर स्थित हिन्दू मन्दिरों तथा विशेषतया शिव मन्दिर पर बड़े अत्याचार किये गये हैं तथा उनके नीचे तहखाने बना कर वहां

घातक हथियार तथा गोला-बारूद आदि का संग्रह किया गया है और उनके नीचे से भारतीय सीमा तक भूमिगत सड़कों का निर्माण किया गया है । उन्हीं मन्दिरों के नीचे सैनिक अड्डे स्थापित किये गये हैं । क्या सरकार के पास इस संबंध में समुचित जानकारी है तथा यदि नहीं, तो क्या यह जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न किया गया है ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : मैं ने पहले ही निवेदन किया है कि हम इसके बारे में जांच कर रहे हैं । मेरे लिए यह बताना तो कठिन है कि वस्तुतः पाकिस्तान कहां क्या क्या कर रहा है। जहां तक सुरक्षा परिषद या संयुक्त राष्ट्र संघ में इस विषय को उठाने का प्रश्न है उसे मैं कह चुका हूं सरकार समझती है कि उससे कोई लाभ प्रद परिणाम नहीं निकलेंगे । ज्यादा से ज्यादा मैं यह कह सकता हूँ कि मेरा मन्त्रालय इस बारे में और आगे विचार कर सकता है ?

सभा-पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

दिल्ली विकास प्राधिकरण के बारे में लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन का "शुद्धि पत्र"

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० श्रीपति चन्द्र शेखर) : मैं दिल्ली विकास प्राधिकरण के वर्ष 1967-68 के लेख पर लेख-परीक्षा प्रतिवेदन के जो 17 नवम्बर, 1969 के सभा पटल पर रखा गया था "शुद्धि पत्र" की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं । [**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये** संख्या एल० टी० 2747/70]

फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड के कार्य के बारे में सरकार द्वारा समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619–क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(एक) फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स, ट्रावनकोर लिमिटेड के वर्ष 1968-69 के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) फर्टिलाइज़र्स एण्ड कैमिकल्स, ट्रावनकोर लिमिटेड का वर्ष 1968-69 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महा लेखा परीक्षक की टिपणियां ।[**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये** संख्या एल० टी० 2748/70]

भारत अल्यूमिनियम कम्पनी के बारे में सरकार द्वारा समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव): मैं कम्पनी अधिनियम, 1956, की धारा 619-क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों

(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(एक) भारत अल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड, नई दिल्ली, के वर्ष 1968-69 के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) भारत अल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड, नई दिल्ली, का वर्ष 1968-69 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखपरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रण महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां । [**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये** संख्या एल० टी० 2749/70]

आयकर अधिनियम तथा सीमा शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

पूर्ति मन्त्री और वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री र० के० खाडिलकर) : श्री प्र० चं० सेठी की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

(1) आयकर अधिनियम, 1961, की धारा 296 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) आय-कर (संशोधन) नियम, 1970, जो दिनांक 12 जनवरी, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 152 में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) आय-कर (दूसरा संशोधन) नियम, 1970, जो दिनांक 23 फरवरी, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 719 में प्रकाशित हुए थे । [**ग्रन्थालय मे रखे गये । देखिये** संख्या एल० टी० 2750/70]

(2) आयकर अधिनियम, 1961, की धारा 280 वाई के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या एस० ओ० 718 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 23 फरवरी, 1970 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(3) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत, अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 288 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 14 फरवरी, 1970 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन । [**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये** संख्या एल० टी० 2751/70]

राष्ट्रपति की ओर से सन्देश

MESSAGE FROM THE PRESIDENT

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को यह सूचना देनी है कि मुझे राष्ट्रपति की ओर से दिनांक 5 मार्च, 1970 का निम्नलिखित सन्देश प्राप्त हुआ है :—

"मैंने 20 फरवरी, 1970 को एक साथ समवेत संसद् की दोनों सभाओं के समक्ष जो अभिभाषण दिया था, उससे प्रति लोक-सभा के सदस्यों द्वारा व्यक्त किये गये धन्यवाद को मैं सहर्ष स्वीकार करता हूँ ।"

अनुदानों की अनुपूरक माँगे (मणिपुर)
SUPPLEMENTING DEMAND FOR GRANTS (MANIPUR)

पूर्ति मंत्री तथा वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री र० के० खाडिलकर) : श्री प्र० चं० सेठी की ओर से मणिपुर संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में वर्ष 1969-70 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों का एक विवरण पेश करता हूं :—

समिति के चुनाव के बारे में प्रस्ताव
MOTION REG: ELECTION TO COMMITTEE

श्री बसुमतारी (कोकरा आर) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :—

"कि यह सभा राज्य-सभा से सिफारिश करनी है कि राज्य-सभा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति में, श्री बी० डी० खोबरगड़े द्वारा त्याग-पत्र दिये जाने के कारण रिक्त हुए स्थान पर, एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति के अनुसार राज्य सभा का एक सदस्य निर्वाचित करे और राज्य-सभा द्वारा इस प्रकार निर्वाचित किये गये सदस्य का नाम इस सभा को बताये ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि यह सभा राज्य-सभा से सिफारिश करनी है कि राज्य-सभा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति में, श्री बी० डी० खोबरगड़े द्वारा त्याग पत्र दिये जाने के कारण रिक्त हुए स्थान पर, एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति के अनुसार राज्य-सभा का एक सदस्य निर्वाचित करे और राज्य सभा द्वारा इस प्रकार निर्वाचित किये गये सदस्य का नाम इस सभा को बताये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

कार्य मंत्रणा समिति के 45वें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव
MOTION REG : FORTY-FIFTH REPORT OF THE BUSINESS ADVISING COMMITTEE

संसद्-कार्य नौवहन तथा परिवहन मन्त्री (श्री रघु रामैया) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :—

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के 45वें प्रतिवेदन से, जो 5 मार्च, 1970 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के 45वें प्रतिवेदन से, जो 5 मार्च, 1970 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

हरियाणा और पंजाब कृषि विश्वविद्यालय विधेयक

HARYANA AND PUNJAB AGRICULTURAL UNIVERSITY BILL

खाद्य तथा कृषि, सामुदायिक विकास तथा सरकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि पंजाब कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1961, द्वारा गठित पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के स्थान पर दो स्वतंत्र कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना और उन स्वतंत्र कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना के परिणामी अथवा तत्सम्बन्धी विषयों की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाय।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

Shri Shiv Chandra Jha (Madhubani) : On a point of order, I oppose the introduction of this Bill. This Bill does not contain the recommendation of the President as required under Article 117(A) of the constitution.

अध्यक्ष महोदय : इस विधेयक के अन्तर्गत भारत की संचित निधि से कोई खर्च नहीं होगा अतः इसमें राष्ट्रपति की सिफारिश की आवश्यकता नहीं है । आप बैठ जाईये । प्रश्न यह है :

"कि पंजाब कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1961, द्वारा गठित पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के स्थान पर दो स्वतंत्र कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना और उन स्वतंत्र कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना के परिणामी अथवा तत्सम्बन्धी विषयों की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : मैं प्रस्ताव पुरःस्थापित करता हूं ।

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : श्री जगजीवन राम की ओर से मैं लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 71(1) के अन्तर्गत, हरियाणा और पंजाब विश्वविद्यालय अध्यादेश, 1970, द्वारा तत्काल विधान बनाये जाने के कारणों के व्याख्यात्मक विवरण की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं [**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये** संख्या एल० टी० 2752/70]

रेलवे बजट—सामान्य चर्चा—जारी

RAILWAY BUDGET-GENERAL DISCUSSION—*Contd.*

अध्यक्ष महोदय : रेलवे आय व्ययक पर सामान्य चर्चा के लिये अभी 5 घण्टे और 35 मिनट और शेष हैं । मुझे आशा है मंत्री महोदय कल मध्याह्न भोजन काल के बाद उत्तर देंगे ।

श्री अशोक मेहता ने यह आपत्ति की है कि पिछली बार हमने मध्याह्न भोजन काल के

दौरान मतदान किया । इस बारे में कार्य मंत्रणा समिति ने भी विचार किया । मुझे नहीं मालूम कि इस बारे में पहले से कोई परम्परा चली आ रही है अथवा नहीं । परन्तु यदि सभा चाहती है तो इस बारे में सामान्य प्रक्रिया का अनुसरण किया जायेगा । मैंने यह मतदान सभा की सहमति से कराया था । यदि हम मध्याह्न भोजन काल से पूर्व मतदान आरम्भ करे और वह पूरा न हो तो यह कार्यवाही जारी रह सकती है, बीच में इसे नहीं रोका जा सकता।

अब रेलवे बजट पर सामान्य चर्चा जारी रहेगी । सायं 6-30 बजे आधे घण्टे की एक चर्चा भी है ।

Shri Baswant (Bhiwandi) : It is true that the income of the Railway can be increased only by increasing freights and fares but we should stop wastage in this Department. Rs. 1.55 crores have been allocated for compensation. In regard to compensation certain Railway employees have maintained convinance with different firms sending goods through Railways. For instance, at Bombay Port, the diesel, petrol or kerosene oil is loaded less than the capacity of the wagon and when the train reaches the yard, the seal is removed ; and then the claims for compensation are made. For this very purpose you have allotted a sum of Rs. 1.55 crores.

My second point relates to the theft of iron. Old rails are replaced by new ones after every ten or fifteen years and old material is auctioned by the Railway and with this starts the theft. The persons who have furnaces, purchase this national and after melting it convert into slabs. They purchase this material in a bit less quantity but while taking away their purchase, they steal away a lot the rest also. And thus the Railway are put to heavy loss. In order to avoid all that, the Railways should not sell this material and they should themselves met it and prepare sealed slabs or balls. This procedure can save a lot of wastage and loss in the Railways.

In his, budget speech the hon. Minister has stated that the traffic and sub-urban routes is on heavy increase and huge capital investments will have to be made to cope with this heavy traffic and more than Rs 40 crores have been allocated in the Fourth Five Year Plan for providing necessary facilities in this regard. But the former Railway Minister had given a different view in 1965. He had said that the matter relating to the sub-urban traffic and the rest of the traffic has to be looked separately since the former one is limited to the neighbourhood of big cities, and its getting increased and also by centralising it during the peak hours, many problem would arise which would require a particular category of running staff.

Now if we look into the distribution of coaches, we find that less coaches are provided where traffic is more and where there is comparatively less traffic the Railway provide more coaches. Similarly, more coaches are provided on the routes on which more incidents of asaults, dacoity and loot occur whereas the other routes are not deemed entitled to such a provision. During the last 3 years, the Bombay Sub-urban routes could only 43 coaches which are inadequate even to replace the old coaches. I appeal to the hon. Minister to supply more coaches to Bombay because people there do not find room ever to stand.

As regards decreasing the traffic in Bombay, I have a few suggestions to make. We may think about constructing a four-mile Sela-Nava underground Railway. Secondly, a ten mile underground or over-head railway can also be constructed from Bombay and Church Gate to Kurla and Mahim. Thirdly you can replace boggies in sub-urban trains by running trains having 12 ordinary boggies. This suggestions can be implemented immediately. This would need only new coaches. Several platforms are capabale of handling 12 boggie trains without any difficulty. This would certain make rapid improvement in sub-urban traffic within less expenditure.

Exchange of wagons on Central and Western Railways is done at Dadar. This station receives 600 trains daily. Bandra Goods Yard of Western Railway and Kurla

Goods Yard of Central Railways are always over-crowded and the demurrage in this regards amounts to lakhs of rupees. A survey was made for Diva-Basin, Diva-Birar and Diva-Vangaon, The Chief Minister of Maharashtra have recommended the constructions of Diva-Tarapur line since it will a multipurpose project.

Tarapur is an important place in India, which should be connected with both the lines. Keeping in view the importance of Tarapur, the suggestion of the Maharashtra Government, for the construction of Tarapur line should be undertaken on priority basis.

People are demanding the construction of Koukan line since the last 30 years and therefore, it is requested that its construction work should be expedited.

Bombay-Poona rail special should be closed, because it is carrving a very small number of passengers and in its place a few more boggies should be added to the Poona Express.

Shri Lakhan Lal Kapoor (Kishanganj) : It was earlier announced that the participants in the 19th September, 1968 strike will not have break in their service, but in their absence from duty their juniors were promoted. They should be confirmed according to their seniority otherwise it will be injustice towards them.

Secondly the Court cases finding against some employees who participated in the strike snould be withdrawn and the relatives of the persons killed as a results of police firing should be duly compensated and if there is any qualified member in the family, he should be given employment.

The case of casual labourers should be given due consideration and they should be paid according to the scales prescribed by the Central Pay Commission. Apart from this there is no arrangement for the promotion of Class III and IV employees. They are where they were. Many assurances were given but they were not fulfilled at all. That is why there is great discontentment among them. Their case should be looked into.

इसके पश्चात् लोक-सभा मध्याह्न भोजन के लिए दो बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok-Sabha then adjourned for Lunch till Fourtten of the Clock.

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक-सभा दो बजकर पाँच मिनट पर पुनः समवेत हुई ।

The Lok-Sabha re-assembled after Lunch at Five Minutes Past Fourteen of the Clock.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]
[Mr. Dy. Speaker *in the Chai*]

विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में

RE: QUESTION OF PRIVILEGE

Shri Shashi Bhushan (Khargone) : I have given notice of Privilege Motion. The House did not sit on Friday due to 'Shivratri' but it approved in the Hindustan that Parliament will sit on Saturday the 'Navbharat Times' contained the news that there will be session on Sunday.

उपाध्यक्ष महोदय : हमारे सम्मुख जो विषय इस समय है इसका उससे कोई सम्बन्ध नहीं है ।

Shri Shashi Bhushan : I was about to go out but came here on Sunday, but there was no session that day. That news was given by 'Samachar Bharati'. As such action should be taken against 'Samachar Bharati', for supplying wrong news.

उपाध्यक्ष महोदय : वह कृपया इस सम्बन्ध में लिखित सूचना दें ।

Shri Shashi Bbushan : I have already given notice.

उपाध्यक्ष महोदय : जब आपने सूचना दे दी है तो अध्यक्ष महोदय इस पर विचार करेंगे ।

रेलवे बजट–सामान्य चर्चा–जारी

RAILWAY BUDGET—GENERAL DISCUSSION—*Contd.*

Shri Lakhan Lal Kapoor : I was saying that we are doing great injustice to class III and class IV employees. The fact is that these persons are being retrenched while the posts of class I officers are being increase. Even the posts falling vacant due to retirement are not being filled up and the result is that the posts are lying vacant and educated young men are rotting without any employment. Eleven Secundrabad victims should be given employment again as others have been reinstated.

Essential services Maintenance Act should be repealed and an ordinary law should be put into force.

So far as automotion is concerned it was decided in the Indian Labour Conference on 18th July, 1968 to set up a sub-committee to give suggestions about its implementation. But even without having the report of the sub-committee Eastern Railway introduced Computers. On this the Secretary, Indian Railway Men's Federation expressed his anger, but the introduction of Computers was not stopped.

While setting up an Enquiry Committee it should be noted that relatives of officers etc. should not be appointed its chairman so as to avoid partiality.

Many Light Railways are still running under private enterprise. They should be taken over by the Government.

Barauni-Katihar light railway should be charged into Broad Gauge and New Bogai-Gohati line should be extended. Jalpaiguri-Siliguri-Darjeeling line which was washed away in 1968 Cyclon should be restored.

Railway line in Domohani Chandrabanda area adversely affected due to floods has not been restored so far. 65 passenger and express trains pass through Katihar, the biggest meter gauge station of Eastern India, but nothing has been done for improvement of this station. On that section Kishanganj is sub-divisional Headquarter and junction of meter gauge and broad gauge too, but there is neither any waiting room, nor any other facility of drinking water etc. Government should take action to provide these facilities.

Same is the case of bridges. There is no over-bridge on the national highway No. 31, wherefrom military and important goods like jute pass. Movement of traffic is hampered for hours together due to the closure of the gates.

There are thousands of private caterers in addition to the Departmental catering facility, but good served in both the places is always dirty. The food provided is not according to the charges. There is no measure to check theft of food even at the biggest railway station *e.g.* Lucknow, Allahabad and Kanpur, Corruption is prevalent from top to bottom. We ourselves had the sad experience of testing such a dirty food.

Railway Protection Force and officers work in collusion with the civilian police. Goods worth lacs of rupees are stolen from biggest workshop at Jamalpur. Same in the case with Diesel Engine factories at Lucknow, Gorakhpur and Varansi. Public goods are stolen from goods train and Railway Deptt. has to make good the loss. These are main contributing factors of loss to Railways. You should have metropolitan police on the

pattern obtaining in London. Educated persons should be recruited and given training and be posted at big station.

No new work is being given to Jamalpur workshop. Now Railways are introducing Dieselisation and Electronics in their Deptt., but that workshop is still engaged in the repair of steam engines. Additional capacity of the workshop may be utilised in the manufacture of Cranes, Diesel Engines, Tanks, Motors and Tractors parts. At one time there were 22 thousand workers, now there are only 12 thousand workers.

Corruption in rampant in Railway Deptt. and Railway Board is the centre of corruption. If Government wants to bring about socialism in the country, it should do away with, Railway Board and instead make a Railway Corporation – a body comprising of Railway workers. The only there would be improvement in the working of this biggest public undertaking and there would be no need of increasing fares and freights.

श्री अ० कु० किस्कु (झाड़ग्राम) : रियायतें देने के लिए मैं रेल मन्त्री को बधाई देता हूँ। परन्तु उन्होंने समस्या का मूलरूप हमारे सामने प्रस्तुत किया है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्र के विशालतम सरकारी उपक्रम की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होनी चाहिए और वह कम लागत तथा अधिकतम क्षमता के साथ मनुष्यों और माल को ढोने के अत्यधिक महत्वपूर्ण आर्थिक और सामाजिक कार्य को पूरा कर सके। समस्या के दो पहलू हैं : रेलवे की सुदृढ़ आर्थिक स्थिति और दूसरा रेलमंत्री की इस बारे में चिन्ता। हम रेल मंत्री के उपर्युक्त विचार से सहमत हैं कि रेलवे की, जो कि राष्ट्र की 4000 करोड़ रुपये की लागत की सबसे बड़ी उपक्रम है। आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो और कम लागत में मनुष्यों और माल को ढोया जा सके।

मंत्री जी की चिन्ता का विषय यह है कि अनुमानित अतिरिक्त राजस्व में 13 करोड़ रु० की कमी होगी और वास्तविक घाटा 15 करोड़ रु० और बढ़ जायेगा। पहले का जमा 110.48 करोड़ रु० का सारा अवशेष धन रेलवे बोर्ड ने पहले ही समाप्त कर दिया है। सामान्य बजट का 55.93 करोड़ रुपया भी रेलवे पर खर्च किया गया है। रेलों के विस्तार, सेवाओं और सुविधाओं को बढ़ाने की भी जरूरत है। योजना के अन्तिम तीन वर्षों में, सामान्य संचालन में व्यय पर कमी करने के बावजूद 200 करोड़ रुपयों का संग्रह करना है।

रेलवे बोर्ड के कार्यों की समीक्षा की जानी चाहिए। रेलवे (द्वितीय संशोधन) विधेयक पर चर्चा के दौरान यह बताया गया था कि 10 से 15 करोड़ रुपये का घाटा बिना टिकट यात्रा के कारण था। चोरी, बरबादी की रोकथाम होनी चाहिए।

वांचू समिति की रिपोर्ट के अनुसार 1957-62 के दौरान गम्भीर दुर्घटनाओं की संख्या 74 थी जो 1963-68 के दौरान बढ़कर 79 हो गई। उसी प्रकार मृतकों और घायलों की संख्या 312 और 1802 से बढ़कर क्रमशः 739 और 2271 हो गई। 16.5 लाख रुपये की सम्पत्ति का नुकसान बढ़कर 15 लाख रुपए का हो गया रेलगाड़ियों की टक्करों अथवा गाड़ी के पटरी से उतरने के लगभग 70.7% मामले रेल कर्मचारियों की असावधानी की वजह से हुए।

अन्त में मुझे यह कहना है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिमजाति के आयुक्त ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति के व्यक्तियों की रेलवे में भर्ती की पूर्ण उपेक्षा की है। रेलवे बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार, अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति के क्रमशः 244 और 160 उम्मीदवार मांगे गये थे और उनमें से क्रमशः केवल 75 और 35 की ही रेल

सेवा आयोग ने सिफारिश की। यदि रेल सेवा आयोग और रेल प्रशासन दोनों के द्वारा भर्ती किये गये अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति के उम्मीदवारों की तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी पदों पर भर्ती को हिसाब में लें, तो उनकी संख्या क्रमश: 3,168 के कुल कोटे में से 1,616 और 3,025 में से 416 ही है।

इस कमी का कारण यह बताया जाता है कि अपेक्षित योग्यता वाले उम्मीदवार उपलब्ध नहीं थे। रेल मन्त्री शिक्षा मन्त्री को अर्हता प्राप्त उम्मीदवार उपलब्ध करने के लिए कहें।

मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि यदि अर्हता प्राप्त व्यक्ति न मिलें तो बिना अर्हता प्राप्त व्यक्तियों को ही ले लिया जाये तथा उन्हें प्रशिक्षित किया जाये।

रेलवे के श्रमिकों को देश में घूमने का अवसर दिया जाए ताकि उन्हें ज्ञात हो सके कि भारत के विकास में उनका कितना योगदान। है प्रत्येक योजना में ऐसे लोगों की समूहों के रूप में देश के प्रत्येक भाग में जाने का प्रबन्ध किया जाना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं रेल मन्त्री द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

श्री इन्द्रजीत गुप्ता : रेल-मंत्री ने जो कलाबाजी खाई है उसके लिए वे बधाई के पात्र हैं या सहानुभूति के, नहीं कहा जा सकता। जहां तक किराये की बढ़ातरी के शिकार आम लोगों का प्रश्न है यह कलाबाजी सफल है, परन्तु सरकार के लिए नहीं।

मैं सरकार को चेतावनी देता हूँ कि यह अत्यधिक गैर-जिम्मेदारी का उदाहरण है।

सरकार यह जानते हुए भी कि रेलवे बजट सदन में पेश होना है और उस पर विचार-विमर्श होना है, रेल-मंत्री नियुक्त नहीं कर रही है। यह सरकार की अदूरदर्शिता है। सरकार ने रेलवे बोर्ड को यात्री भाड़े पर सोचने तथा बजट बनाने के लिए कहा है। रेलवे बोर्ड योजना के सामाजिक लक्ष्य से अनभिज्ञ हैं। आखिरी समय में रेल-मंत्री को लाया गया जिसको इन विकृतियों एवं कलाबाजियों का सामना करना पड़ेगा। मैं सरकार को चेतावनी देता हूं कि वह भविष्य से ऐसी गैर-जिम्मेदार कार्रवाई न करे।

सदन में प्राप्त लिखित विवरण तथा रेल-मंत्री द्वारा प्रकट विचारों से जो धुंधली तस्वीर हमारे सामने आती है, वह रेलवे बिल की है। यह कहना पर्याप्त नहीं कि कार्य कुशलता बढ़ाकर, राजस्व की कमी को रोककर एवं परिहार्य व्यय को समाप्त करके रेलवे में सुधार किया जा सकता है वरंच सदन के सदस्यों का पूर्ण विश्वास प्राप्त करने के लिए और भी कदम उठाने होंगे।

किराया बढ़ाने की योजना का पुनर्परीक्षण होना चाहिए क्योंकि इससे रेलवे की वित्त व्यवस्था को कोई अंतर नहीं पड़ेगा।

सामान्य राजस्व के अंशदान की परिपाटी को हम चलाते आ रहे हैं, वर्तमान परिपाटी समिति को भी उसको मानना चाहिए। सरकार एक मुख्य विनियोजन है। यदि वह समझती है अमुक उपक्रम राजस्व में पूर्णत: अंशदान नहीं दे रहा तो हमें उसे शीघ्र बदल देना चाहिए। अगर सामान्य राजस्व के अंशदान के लिए रेलवे के पास 150 करोड़ से 160 करोड़ के बीच राशि है तो इस परिपाटी समिति को चाहिए कि इस प्रतिशतता को कम कर दे। यदि यह सम्भव नहीं तो अनिवार्य राजस्व तो समाप्त नहीं करना चाहिए।

प्रशासनिक सुधार समिति आयोग ने रेलवे प्रशासन के सम्बन्ध में जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है उसमें केवल विचार मात्र प्रकट किया गया है कि ह्रास की आवश्यक धन-राशि एवं आरक्षित निधि को सामान्य राजस्व के रूप में न रखकर अनिवार्य राजस्व के रूप में रखना चाहिए।

उन्होंने यह भी सुझाव दिया है कि 'मुख्य-कार्य' जैसे रेल की क्षमता बढ़ाने या लाइनों के पुनः प्रतिरूपण के लिए लाभांश की अदायगी का विलम्ब-काल पांच वर्ष कर देना चाहिए। उनके अनुसार 'मुख्य-कार्य' वह कार्य है जिसकी लागत एक करोड़ है। सरकार यह प्रबन्ध कर सकती है।

प्राक्कलन समिति तथा लोक-लेखा समिति ने परिहार्य-व्यय का लेखा-जोखा दिया है परन्तु मंत्री ने उसके बारे में कुछ नहीं कहा। उदाहरणार्थ कलकत्ता उपनगरीय क्षेत्र के रेल-पथ पर डी० सी० को बदल कर ए० सी० लगाने में 7½ करोड़ व्यय किया गया है। मितव्ययता को दृष्टि में रखते हुए केन्द्रित रेलवे विद्युतीकरण संगठन का विकेन्द्रीकरण किया गया था परन्तु उससे लाभ न होकर रेलवे बोर्ड मुख्यालय, आर० डी० ए० ओ० लखनऊ तथा अन्य जोनल रेलवे के संस्थापन का विस्तार ही हुआ है और व्यय बढ़ा है।

वसूल न की गई यातायात आय के आंकड़े प्रतिवर्ष ऊंचे चढ़ते गए हैं। 1964-65 में 31.03 करोड़ राशि थी तो 1968-69 में यह राशि 31.03 करोड़ तक चली गई। बिरला तथा अन्य उद्योगपतियों ने लाखों रुपयों का बिल अदा नहीं किया है और रेलवे ने भी उस धन राशि को वसूल करने का प्रयत्न नहीं किया।

भण्डारों के संगठन में भी बहुत दोष हैं। जहां कहीं भी भ्रष्टाचार हैं वहां आपका ध्यान अवश्य जाना चाहिए।

कोयले और इस्पात की जो दरें बढ़ी हैं, इन्हें किसने बढ़ाया है। कोयले की खानों के मालिकों ने धमकी दी थी कि यदि कोयले की दरें न बढ़ाई गई तो वे कोयले का वितरण बन्द कर देंगे। कई रेलों को इसी कारण बन्द भी रखना पड़ा तो भी सरकार ने इन मालिकों के विरुद्ध कोई अध्यादेश जारी नहीं किया जैसा कि कर्मचारियों की हड़ताल पर किया गया था। अन्त में सरकार हार मानकर कोयले की दर वृद्धि के लिए सहमत हो गई। इस्पात की दरें भी सरकार ने टाटा बन्धुओं के दबाव के कारण बढ़ायीं हैं।

जहां तक रेलवे की कार्य व्यवस्था का प्रश्न है मालडिब्बों का उपयोग पहले की अपेक्षा कम हुआ है। परिचालन की दृष्टि से एक माल के डिब्बे की प्रतिदिन गति जो 1960-61 में 76.9 थी वह सन् 68-69 में घटकर 72.7 रह गई है। पश्चिमी रेलवे में एक माल डिब्बे की प्रतिदिन गति सन् 1962-63 में 126.3 थी जो घटकर सन् 1968-69 में 89.7 रह गई है। जहां तक कर्मचारियों का प्रश्न है, मैं कहना चाहता हूं कि सन् 1950-51 में प्रति एक हजार माल डब्बों पर 8.2 कर्मचारी कार्य करते थे जिनकी संख्या 1968-69 में घटकर 5.6 रह गई। इसका तात्पर्य यह हुआ कि कार्य अधिक है और कर्मचारी कम हैं।

यह सत्य है कि ऊंचे दर के भाड़े वाली वस्तुओं का यातायात सड़क परिवहन से होता है और कम दर के भाड़े वाली वस्तुओं का यातायात रेल द्वारा। परन्तु ऐसा क्यों ? प्रशासन सुधार आयोग ने इसके लिए निम्न कारण बताये हैं प्रथम रेलों की घटिया यातायात सेवा, द्वितीय, दावों का देर से निपटारा, तृतीय धीमी गति, चौथे, चोरी होना पांचवें डब्बों का अन्य मार्गों पर चले जाना, छटवें रेल डिब्बों का गुम हो जाना। यदि ऐसा होता रहेगा तो रेल यातायात सड़क परिवहन की अपेक्षाकृत कम ही होगा। मेरा विचार है कि सड़क परिवहन तथा रेलवे की कार्यप्रणाली में कोई समन्वय नहीं हैं, दोनों में समन्वय होना चाहिए। ऐसे प्रदेशों में जहां रेल लाइनों की सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं, रेलने को अपनी सड़क परिवहन सेवायें आरम्भ करनी चाहिए। मेरे विचार से रेल विभाग को इस विषय पर नई दृष्टि से विचार करना चाहिए।

इस विषय पर एक बात और कहना चाहता हूँ वह यह है कि मेंने अलाभप्रद लाइनों संबंधी जांच समिति का प्रतिवेदन पढ़ा है, यह पूर्णतया अवास्तविक है और इसे रद्द कर देना चाहिए। कम से कम इसकी जांच अवश्य की जानी चाहिए। मेरा तात्पर्य यह नहीं कि सभी रेल लाइनें बन्द कर दी जायें साथ ही मैं यह भी नहीं कहता कि कोई भी लाइन बन्द न की जाय।

एक माननीय सदस्य : क्या आपका तात्पर्य है कि इसे समाप्त कर दिया जाय ?

श्री इन्द्रजीत गुप्ता : कोई भी समाप्त नहीं की जानी चाहिए ; संभवतया माननीय सदस्य मेरा तात्पर्य नहीं समझे हैं। मेरा तात्पर्य है कि सस्ते वैकल्पिक परिवहन साधन व्यवहार में लाये जायें।

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री रोहन लाल चतुर्वेदी) : मैं गुप्ता जी को सूचित करना चाहता हूँ कि सदन में तत्कालीन रेलवे मंत्री ने घोषणा की थी कि कोई भी अलाभप्रद लाइन समाप्त नहीं की जायेगी। इसके पश्चात् समिति बनाई गई और इस घोषणा को आधार मानकर समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। तो भी कुछ ऐसी लाइनों की ओर हमें ध्यान दिलाया जिन्हें बन्द कर देना चाहिए।

श्री इन्द्रजीत गुप्ता : हो सकता है मैंने आपका प्रतिवेदन न समझा हो, परन्तु मैं यह प्रस्तावित करूंगा कि ऐसी लाइनों की दुबारा जांच कराते समय यह ध्यान रखा जाय कि सस्ते वैकल्पिक परिवहन साधन व्यवहार में लाये जायेंगे। लोक स्वार्थ और औद्योगिक गतिविधियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

अब मैं मितव्ययिता तथा इंधन के उचित उपयोग के प्रश्न पर आता हूँ। अनेक वर्कशापों (कार्यशालाओं) में कार्य की पुनरावृत्ति होती है। जहां तक संभव हो इसे समाप्त किया जाय। समस्त रेल कार्यक्षेत्र एक बड़ी लाइन से सम्बद्ध होना चाहिए अन्यथा अनेक प्रकार की लाइनें बनाने में व्यर्थ व्यय होगा।

इसके साथ मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि रेलवे-शोध संगठन को शक्तिशाली बनाया जाय और उसकी उपलब्धियों पर यथोचित पुरस्कार दिया जाये।

अन्त में मैं कर्मचारियों की समस्याओं के विषय में यह कहना चाहता हूं कि हमारे रेलवे

मंत्री श्री नन्दा जी हैं जो 1957 में श्रम मंत्री भी रह चुके हैं और जिन्होंने न्यूनतम आवश्यकता पर आधारित वेतन का सिद्धांत बनाया था, वह कहां तक रेल कर्मचारियों की समस्याओं को दूर कर पाते हैं। यह ध्यान रखने का विषय है कि केन्द्रीय कर्मचारियों में 50 प्रतिशत रेलवे कर्मचारी हैं अतः रेलवे कर्मचारियों की समस्याओं के विषय में जो नीति अपनाई जायेगी उससे समस्त केन्द्र के कर्मचारी प्रभावित होंगे। हमारे मंत्री महोदय जानते हैं कि रेलवे कर्मचारियों की मासिक आय 141.00 रु० प्रतिमाह है जबकि एच०ई०सी० तथा भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स के कर्मचारियों को मासिक आय 200.00 प्रतिमाह है। देखना यह है कि रेलवे मंत्री कर्मचारियों की समस्याओं को कहां तक निपटा पाते हैं।

जहां तक 1968 की हड़ताल से सम्बन्धित मुकदमों को वापस लेने का प्रश्न है, केन्द्र सरकार यह कहकर चल देती है कि यह राज्य सरकारों का विषय है।

मैं जानता हूं कि ऐसे अधिकांश मामले रेलवे अधिकारियों की शिकायतों के आधार पर आरम्भ हुए हैं। अतः नई स्थिति में जब कि सरकार भी कुछ खास कदम उठाने के लिये बाध्य हो गई है, मैं प्रार्थना करूंगा कि वे, रेलवे अधिकारियों द्वारा मूल शिकायतों पर अनावश्यक रूप से ध्यान न दें।

अब उन कर्मचारियों को नौकरी में पुनः लगाने का प्रश्न है जो रेल संस्थापन संहिता के नियम 148 और 149 के अधीन निकाल दिये गये थे; सन् 1969 के पश्चात् कई सौ ऐसे लोग देश भर में हैं। मेरा यह कहने का तात्पर्य यह है कि उच्चतम न्यायालय ने अगस्त, सन् 1969 में मोतीराम डाका के मामले में स्पष्ट कहा कि ऐसे सभी लोग पूरे लाभों के साथ नौकरी पर पुनः लगाये जाने चाहिए। इसके लिए कोई समय सीमा नहीं है फ़िर भी सोचने वाली बात यह है कि निर्णय होने पर भी वे सैकड़ों लोग अभी तक वापस नहीं लिये गये हैं।

अब तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को वैयक्तिक वेतन देने के प्रस्ताव का प्रश्न है, जो कि अपने अधिकतम वेतनमान पर स्थिर हैं। उनको व्यक्तिगत वेतन उनकी एक वार्षिक वृद्धि के बराबर दी जानी चाहिए। किन्तु इसका कुछ भी अर्थ न होगा क्योंकि कुछ लोगों को तो केवल दो या तीन रुपये ही मिलेंगे। उन्होंने कहा कि तीसरी श्रेणी के कर्मचारियों का वेतनमान 500 रुपये से ऊपर हैं उनको 30 रुपये दिये जायेंगे, जबकि इस श्रेणी में अधिकतम वार्षिक वृद्धि केवल 25 रुपये है। मुझे कोई आपत्ति नहीं कि आप उनको 30 रुपये दीजिये मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूँ कि इन पदों को ऊंचे ग्रेड में लाने या पदोन्नति करने के लिए यह ठीक प्रस्ताव नहीं है। फिर भी यदि आप व्यक्तिगत वेतन पर जोर दे ही रहे हैं तो मैं प्रार्थना करूंगा कि उन लोगों को जो गत पांच वर्षों से अपने अधिकतम वेतनमान पर स्थिर हैं एक वार्षिक वृद्धि का पांच गुना दिया जाय। प्रशासनिक सुधार आयोग ने भी इस बात की अभिसंशा की है कि पदोन्नति का कोटा 40 प्रतिशत तक बढ़ा दिया जाना चाहिए।

नैमित्तिक श्रमिकों की संख्या लाखों में है जो कि न केवल निर्माण कार्य ही कर रहे हैं बल्कि अन्य स्थाई कर्मचारियों की तरह कार्य कर रहे हैं, किन्तु उनका वेतन दर बहुत ही कम है। मुझे आशा है कि भूतपूर्व श्रम मंत्री इस पर ध्यान देंगे।

जहाँ तक स्वचालित यंत्रों के प्रयोग का प्रश्न है जहां पर सिगनलिंग, केबिनों के लिए अच्छे उपकरण और यात्रियों की सुरक्षा के लिए इनकी आवश्यकता है वहां इनका प्रयोग किया जाये। तथापि देश में भीषण बेरोजगारी की समस्या को मध्यनजर रखते हुए जहां हम इनके प्रयोग को स्थगित कर सकते हैं वहां स्थगित कर देंगे। अतः इन रेलवे मुख्य कार्यालयों में फिलहाल कमप्यूटरों के प्रयोग को भी रोका जा सकता है, यह कहना निरर्थक होगा कि किसी की छंटनी नहीं हो सकती। यदि यह नहीं होगा तो लोग अतिरिक्त घोषित कर दिये जायेंगे और फिर उनको कुछ शर्तों पर ऐसे पत्र दिए जायेंगे कि वे स्वीकार नहीं करेंगे, फलस्वरूप उनको निकाल दिया जायेगा।

जहां तक रेल मार्गों की देखरेख के लिए विभिन्न स्वचालित यंत्रों के प्रयोग का प्रश्न है उसके बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि किसी भी बड़ी रेल दुर्घटना की जांच ने यह नहीं कहा कि दुर्घटना का कारण गैंगमैनों का ठीक कार्य न करना है। उनका बहुत अच्छा काम है यदि आवश्यक हो तो उनकी संख्या बढ़ाई जा सकती है और उचित पर्यवेक्षण दिया जा सकता है। यदि दक्षिण-पूर्वी रेलवे में स्वचालित यंत्रों का प्रयोग किया जायेगा तो 40 प्रतिशत गैंगमैन बेरोजगार हो जायेंगे।

यह अच्छी बात है कि संघों को पुनः मान्यता मिल गई। सितम्बर 1968 की हड़ताल में दक्षिण-पूर्व रेल के महा प्रबन्धक ने अपने स्टाफ में एक छपा हुआ परिपत्र जारी किया जिसमें संघों को "व्यावसायिक बुराई का नाम दिया गया। संघों के प्रति इस प्रकार की प्रवृत्ति अनुचित है। यदि एक तरफ से उचित व्यवहार हो तो दूसरी ओर से भी अच्छा व्यवहार होगा, किन्तु इससे विपरीत हो रहा है। मैं एक मान्यता प्राप्त संघ का प्रधान हूँ किन्तु देखता हूं कि किसी भी समस्या पर पहले बातचीत नहीं होती और फलस्वरूप झगड़ा होता है। उदाहरण के लिए भाप से डीजल तथा डीजल से बिजली के इंजन बनाये जा रहे हैं जिनके कारण हजारों समस्याएं पैदा हो रही हैं, परन्तु हमें पहले से विदित नहीं कराया गया कि वे इस तरह करना चाहते हैं। इसका अर्थ तो यह हुआ कि संघों को मान्यता केवल कागज के रूप में मिली है न कि स्वाधिकार।

अन्त में मैं दो बातों का उल्लेख करूंगा कि रेल बजट के पृष्ठ 22 पर, छपे सरकुलर रेलवे, कलकत्ता को अनिश्चित काल तक के लिए बन्द करने के बारे में पहली बार सुन रहा हूँ।

बजट भाषण में कहा गया है कि "कलकत्ता में परिवहन विकास के लिए एक कोने से दूसरे कोने तक परिवहन की व्यवस्था की जानी है।"

डम-डम से प्रिनसेप स्ट्रीट तक परिवहन व्यवस्था से ही समस्या का हल नहीं हो सकता, मुझे शंका है कि मूल योजना छोड़ी जा रही है जिससे कलकत्ता में कुछ वर्षों तक परिवहन अव्यवस्था बनी रहेगी।

अन्त में मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान व्यय की दूसरी मद पर आकर्षित करना चाहता हूं जिसके बिना भी काम चल सकता था विभागीकरण परियोजना जो कि उत्तर-पूर्वी सीमा रेलवे पर लागू की गई है वे अन्तर्गत अलीपुर द्वार में खंडीय मुख्यालय बनाया जायेगा। मैं प्रार्थना करूंगा कि वे पुनः इस मामले पर ध्यान दें। लाखों रुपये इमारतों, कार्यालय इमारत, स्टाफ के लिए आवास, अधिकारियों के बंगलों पर नई जलपाइगुरी और सीलीगुड़ी में व्यय हो

रहे हैं। फिर क्यों न इस परियोजना को समाप्त किया जा रहा है और अलीपुर द्वार में ही क्यों खंडीय मुख्य कार्यालय बनाया जा रहा है।

मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे इस मामले वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विचार करें देखें ताकि लाखों रुपयों का निरर्थक प्रयोग न हो। साथ ही फराका पुल को भी मध्यनजर रखते हुए नई जलपाइगुरी को खंडीय मुख्य कार्यालय बनायें नाकि अलीपुर द्वार को।

Shri Ram Shekhar Prasad Singh (Chapra) : Mr. Speaker I listened the man who spoke before me. Two things from his speech are actually approvable. The introduction of Divisional System in North Frontier Railway is not beneficial to maximum people. He said that it would have been more beneficial to all, if the Divisional office were in Jalpaiguri instead of Alipur Dwar. I agree that the work of Divisional System has been done without keeping in view the saving of money, maximum benefit to the people and profit to Railway. This system of Division was already existing in all the Railways. During the Britishers in India such system was existing Sonepur was a District but when Divisional System was introduced, no attention was paid to Sonepur. You said that now buildings will be constructed at Alipur Dwar, similarly if Divisional Headquarter is set in Samastipur the same problem will also come up there. Construction of New Buildings, quarters for staff etc. will be constructed. Besides this you will have to acquire land for this pupose and the whole work will be tarted from the very beginning.

A Divisional headquarter has been set up at Samastipur. New set up is not needed of when a Divisional Office has set up at New Jalpaiguri as stated just now but if a Divisional Office is set up at Sonepur hundreds of officers in Grade 3 and 4 can be put on some work and the hundreds of acres or land accquired by railways can be utilized.

I would like to point out that the Divisional system was introduced for the convenience or passengers and in order to facilitate smooth transport of goods and to benefit the staff but on going through the figures you will find that since the new divisional headquarter has been set up, no train in Sonepur-Range arrives in time. Unless you control the system with an operational view also, it can not function properly.

Out of the four Divisional systems three are in Uttar Pradesh where N.E. Railway covers 3000 kilo meters and one Divisional System could easily be set up at Sonepur in Bihar where 2000 kilometers are covered by N.E. Railway. I do not mean to suggest the shifting of Division office set up at Samastipur but if you suggest setting up of a Divisional Office at Sonepur, it will smoothen the pace of work and thousands of houses lying vacant these can be utilized.

There are four divisions of N.E. Kailway in Assam and the State Government has demanded a fifty division. In a reply to Shri D. N. Tiwari the Railways stated :

> "The Government of Assam has been informed that the setting up of a divisional headquarters at Rangia (Assam) would be considered only when the traffic position in that area justifies it."

It seems you are agreeable to set up a fifth division at Rangia. I do not think it to be a bad proposition from the point of view of expenditure if a divisional headquarter is set at Sonepur.

Bihar is divided in two parts *viz.* North and South, Three Zonal Railways *viz.* Eastern, Northern and South Eastern are operating in South Bihar and in North Bihar only N.E. Railway is running. There is no industry there and people depend mainly on Railways for employment and inspite of the existence of four Znnal Railways there is no Central Office of Railways in Bihar.

There is no office of Public Service Commission and inspite of repeated requests no attention is given to this.

After an announcement by the hon. Deputy Minister a De-Lux Train was routed through Patna which runs once in a week. I request you to make it weekly and if you go through the passenger waiting-list, you would be convinced of the justification of the demand.

Six months back the use of the dining-car attached to the De-Lux has been restricted to first class passengers only. I would appeal that all the passengers should have free access to the dining car. Orders should be issued accordingly to the railway officers.

I would like to bring to notice of the hon. Minister that the Reservation Chart for 3 Tier and 2 Tier 3rd-class compartments at New Delhi and Delhi stations is written in such an illegible hand that the passengers can not read their names and the Coach-Attendent arrives just in the nick of the departure time of the train. Consequently passengers who wish to get reservation for inoccupied seats can not avail this facility. This leads to corruption. I wish that the Railway authorities may kindly be directed regarding this difficulty and suitable measures be adopted to provide facilities to the passengers for identifying their respective seats, who have got reservation in 2 Tier and 3 Tier III class compartments and for other passengers who want reservation for the vacated seats. I hope the hon. Minister will pay attention to it and try to remove the difficulty being faced by passengers in case or 2 Tier and 3 Tier III class compartments.

It is appreciable that a train from Dinapur to Lucknow has been introduced. There should be no objection to its being called a Nagaland Express.

Shri Gunanand Thakur (Saharsa) : Mr. Deputy-Speaker, hon. Nandaji has introduced the Railway Budget. First he proposed to increase the fare and on second thought withdrew the proposal in a highly dramatical fashion. The hon. Minister has been a labour leader. He talks of socialism also. He has not only betrayed himself but also the entire society.

Railways were nationalised first in the country. There is talk of nationalisation on the one hand and Private Sector on the other. If the functioning of the nationalised railways bear any example, it can will be realised as to what whould be the fate of any sphere of activity after nationalisation. Because the management continues to function on that very old pattern. Air-conditioned coaches and Saloons etc. which were used to be provided in the time of the Britishers are still there and the common people have not been benefitted.

An amount of Rs. 13 crores has been for gone by Shri Nanda by withdrawal of the proposals. He is of the view that the people would be able to travel in the III class and get the platform ticket for 20 Paise. No increase would be effected in the fares. About two thousand saloons for officers in various railways are still running today. If these saloons are replaced by coaches, it would not a profit of Rupees Twenty-five crores and there would be no need for increasing the tax. Inspite of your being a socialist and Gandhian there saloons, in which the British officers used to travel are still in operation.

The railway employees arrested in connection with the strike on September 19 should be released and the suspended employees should be taken back in service. The hon. Minister may kindly give an assurance that all cases against these employees would be withdrawn and there would be no break in their services.

I will also like to refer to the construction of new railway lines. The ganges divides Bihar into North and South. North Bihar is a border area connecting Nepal, Pakistan and Bengal and from the strategic point of view this is a very important region You know well the mismanagement of railways in North Bihar. I belong to Saharasa and the mileage or railway lines there is the lowest. I have been agitations this point in the House for the last three years but to no avail. Dr. Ram Subhag Singh, who was the State Minister for Railways, inaugrated Pratapganj-Sopul line but the railway line from Tharmitha to Mapriyai only has so far been constructed.

This region needs to be developed. Some work has been taken by *Bharat Sewak Samaj* under the patronage or Shri Nandaji and they have done some useful work of Kosi. We have faced troubles for twenty-five to thiry years when the Kosi Dam was under construction Now when we talk of the betterment of railway management, no attention is paid to it. Jute is also grown there. A narrow-gauge line was proposed from Vatnah to Bhimnagar when the Kosi Plan was prepared. This distance is about 22 kilometres. Railway line is there. Bridges are there and land land has been accquired. It is agreed that the Kosi Plan may be handed over to the Railways but the Railway Department is not agreeable to it whenever I raise this question, it is said that the Defence Ministry and Bihar Cabinet are being consulated in the matter It is mockery of nationalisation Railways and Shri Nanda should try to improve the situation.

Sonepur is a strategic point. With a view to link it with the capital, it is necessary that a Road-Cum-Rail Bridge like the one at Mokamet may be constructed on the Ganges.

A Survey have been under taken for a narrow-gauge railway line from Hasanpur to Sakari in Darbhanga District several times but it is not known what happened to the survey report Shri Kedar Paswan, M.P. representing that area announced to go on hunger-strike and stage a *Dharna*. People have been demanding a railway line from Jhanjharpur to Khatauna but nothing has been done in the matter so far.

Kosi area can be developed if Nirmalli is connected with Bhakhatiyal by a railway line. The Kosi divides Saharsa and Darbhanga and the only way is through the Kursella bridge. They will be joined together by this line.

North Bihar has been neglected by the Railways. I have received numerous telegrams and letters from Jogbani situated at the Nepal-Border drawing the attention to the pitiable railway facilities in the region.

There is erosion by the Ganges near Mansi station but no attention is being paid to check it. There are four or five bridges on the river Kosi between Mansi and Kapadia which require repair very urgently. But nothing is being done in this regard.

The hon. Minister says Government have to increase the fare and freight in order to provide facilities to passengers. In this connection I would like to say that if the working of the Railway and the resources are tapped properly the Government need not resort to the increase in freight and fare. Samariaghat is an important place where lakhs of people go every year to take bath in Ganga. But they have to get down at Samaria station which is at a distance of four miles. If a halt is provided at Samariaghat, it would greatly benefit these people.

There is a long standing demand for a line from Sumari Bakhtiarpur to Biharigani *via* Sonvarsa so that area may be developed. The hon. Minister may sympathetically consider this suggestion.

Saloons, air-conditioned and first class compartment in trains should be abolished.

Shri G. S. Mishra (Chhindwara) : I would like to say something about Uneconomic Branch Line Committee. This Committee have examined the northern section of Satpura line on the South-Eastern Railway. It has been recommended by the Committee that the northern section of the line which covers 660 kilometres, should be converted from metre gauge into broad gauge. The passenger traffic on the section is enough, but it is incurring a loss of Rs. 2.27 crores per year. It is because operational cost on metre/gauge is much higher as compared to that on the broad gauge. Theeefore it is necessary that the steps are taken to convert the Satpura line into broad gauge so that it cannot only meet the traffic requirements but also yield profits.

An increase of five per cent in the freight rate for manganese has been proposed. The price of maganese in the world market has already gone down with the result that we are finding it difficult to export our manganese. The proposed increase will have an adverse affect on its export.

श्री बे० कृ० दासचौधरी (कूच बिहार) : उपाध्यक्ष महोदय, रेलवे की वित्त व्यवस्था को समझना बहुत कठिन है । रेलवे मन्त्री द्वारा प्रतिवर्ष रेलवे बजट प्रस्तुत किये जाने पर हम उसके आंकड़ों में यह देखते हैं कि भाड़े और किराये में वृद्धि की गई है। यह कुछ राहत की बात है कि सदस्यों के अनुरोध पर अन्ततः रेलवे मन्त्री महोदय यह मान गये हैं कि तीसरी श्रेणी का किराया नहीं बढ़ाया जायेगा । किन्तु मैं यह कहना चाहता हूं कि रेलवे की कुल आय के अनुपात में कार्य संचालन व्यय उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है, इस वर्ष के बजट में यह कुल आय का 84 प्रतिशत दिखाया गया है जब कि 1960-61 में यह 78.4 प्रतिशत था ।

[श्री क० ना० तिवारी पीठासीन हुए ।
Shri K. N. Tiwary *in the Chair.*]

मैं समझता हूं कि रेलवे की आय के अनुपात में उसका कार्य संचालन व्यय कम किये जाने की काफी गुंजाइश है । यह व्यय 1950 की दशाब्दी में लगभग 75 प्रतिशत था और मेरा अनुरोध है कि मंत्री महोदय इस बात पर विचार करें कि क्या यह व्यय 1950 की दशाब्दी के स्तर पर लाया जा सकता है ।

वर्ष 1960-61 में कुल लगी हुई पूंजी 1521 करोड़ रुपये थी जो गत वर्ष 3,116 करोड़ रुपये थी और इस वर्ष 3,200 करोड़ रुपये अथवा इससे अधिक हो सकती है । इससे यह पता लगता है कि रेलवे के विभिन्न कार्यों पर उत्तरोत्तर अधिक राशि लगाई जा रही है । किन्तु हमें यह देखना है कि रेलवे द्वारा किये जाने वाले विनियोजन पर लाभ कितना होता है । वर्ष 1961-62 से 1968-69 की अवधि में 105 प्रतिशत विनियोजन किया गया और इस वर्ष इसमें और अधिक वृद्धि होने की सम्भावना है जब कि लाभ का प्रतिशत केवल 40-50 ही है । अतः हम देखते हैं कि रेलवे द्वारा जितनी ही अधिक पूँजी लगाई जा रही है लाभ का प्रतिशत उतना ही घटता जा रहा है । अतः मन्त्री महोदय को इस मामले में गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिए ।

रेलवे बोर्ड के कार्यों के बारे में अनेक माननीय सदस्यों ने बहुत कुछ कहा है और अनेक सुझाव दिये हैं किन्तु ऐसा लगता है कि रेलवे बोंर्ड उनकी ओर कोई ध्यान नहीं देगा । माननीय सदस्यों ने मन्त्री महोदय से अनुरोध किया है कि रेलवे बोर्ड के सदस्यों की संख्या कम की जाये यदि आवश्यक हो तो बोर्ड को ही समाप्त कर दिया जाये किन्तु रेलवे बोर्ड का विस्तार किया जा रहा है जो कि प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों के विरुद्ध है क्योंकि आयोग की सिफारिशों के अनुसार अध्यक्ष सहित बोर्ड के छः से अधिक सदस्य नहीं होने चाहिए ।

सभा पटल पर रखे गये रेलवे मंत्रालय के प्रतिवेदन के अनुसार रेलवे सम्पत्ति का 15-16 प्रतिशत कम किया गया है । क्या रेलवे के लिए यह सम्भव नहीं है कि रेलवे सम्पत्ति का पूरी तरह उपयोग किया जाये जिससे हमें लगाई गई पूँजी के अनुपात में लाभ मिल सके ।

पिछले दिन एक माननीय सदस्य ने कहा था कि रेलवे के पास लगभग 900 सेलून हैं । माननीय सदस्यों द्वारा बार बार यह मांग की जा रही है कि इन सेलूनों को समाप्त किया जाना चाहिए किन्तु उनके सुझावों की ओर कतई ध्यान नहीं दिया जा रहा है ।

हमने अलाभप्रद रेल लाइनों सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन भी हमने देखा है । वर्ष 1968 में उत्तर बंगाल में दो लाइनों को बाढ़ के कारण क्षति पहुंची थी । यह मामला कई बार रेलवे

बोर्ड को भेजा गया है किन्तु कुछ रेलवे अधिकारी कहते हैं कि ये लाइनें अलाभप्रद हैं और इन पर विचार नहीं किया जा सकता है। उक्त समिति के प्रतिवेदन में इस बात का उल्लेख नहीं है कि ये दो लाइनें—पूर्वोत्तर सीमा रेलवे में जलपाई गुड़ी से हल्दी बाड़ी तथा लाटागुड़ी से दो मोहनी होती हुई चेगराबांधा—अलाभप्रद हैं। मैं समझता हूँ कि लाटागुड़ी और रामशी के बीच 5-6 किलोमीटर लम्बी एक लाइन अलाभप्रद है। उक्त शाखा लाइन के बारे में अनेक अभ्यावेदन तथा पत्र भेजे गये और इस सभा में कई बार चर्चा हो चुकी हैं। इस सम्बन्ध में 5 अगस्त, 1969 को पूछे गये एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह बताया गया था कि चूंकि बरसात का मौसम आरम्भ हो गया है इसलिए जलपाईगुड़ी और हल्दीबाड़ी के बीच रेल लाइन को पुनः चालू करने का काम बरसात के बाद ही आरम्भ किया जा सकता है और तब तक हमें सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय द्वारा नियुक्त तकनीकी समिति का प्रतिवेदन भी प्राप्त हो जायेगा जिससे हमें पूरी स्थिति के बारे में अधिक जानकारी मिल सकेगी।

बरसात का मौसम समाप्त हो गया और जाड़ों का मौसम भी समाप्त हो रहा है तथा शीघ्र गर्मी का मौसम आ जायेगा परन्तु रेलवे-मंत्रालय ने अभी तक इस लाइन को फिर से चालू क्यों नहीं किया? मैं उन्हें उनके शब्दों में ही उद्धृत करता हूं: "मैंने पहले से ही जलपाईगुड़ी जो जिला मुख्यालय है वहां से हल्दीबाड़ी तक आउट-ऐजेंसी खोलने के आदेश दे दिये हैं।" उत्तरी बंगाल में अक्तूबर 1968 में आई बाढ़ से क्षतिग्रस्त इस लाइन को ठीक क्यों नहीं किया जा रहा है? इस सभा में दिये गये आश्वासनों को ध्यान में रखते हुए रेल मंत्री महोदय को दो शाखा लाइनें तुरन्त बनाने के लिए निर्णय करना चाहिये।

इस सम्बन्ध में मैं एक बात यह कहना चाहूंगा कि 7 जनवरी 1970 को लगभग 1200-1300 व्यक्तियों ने रानी नगर स्टेशन पर एकत्रित होकर पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के उस सेक्शन पर चलने वाली गाड़ियों को रोका तथा हल्दीबाड़ी-जलपाईगुड़ी और लतागुड़ी-चेगराबांध लाइनों को पुनः चालू नहीं करने का विरोध किया था। मैं सभा का ध्यान रेलवे अधिकारियों के दुर्व्यवहार की ओर दिलाना चाहता हूँ कि स्थानीय अधिकारी जो एरिया अधिकारी के नाम से जाने जाते हैं देश के विभिन्न भागों के लोगों से रेलवे सम्बन्धी कठिनाइयों के बारे में पूछे नहीं जाते हैं जो कि उनको रेल-मंत्री तथा रेलवे बोर्ड की तरफ से लोगों से पूछनी चाहिए। रेलवे एरिया अधिकारी उनके अधीनस्थ कर्मचारियों को तंग करने में ही लगे रहते हैं और 20 जनवरी को मैं पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के महा प्रबन्धक श्री एम० टी० ली० से मिला तो मुझे ज्ञात हुआ कि यह ही एक ऐसा जोन हैं जिसमें महाप्रबन्धकों का 2,3 या 4 महीनों में स्थानान्तर किया जा रहा है। मैंने महा प्रबन्धक से कर्मचारियों की तकलीफें दूर करने को कहा और मुझे उन्होंने आश्वासन भी दिलाया परन्तु 3-4 दिन बाद ही जब मैं गत 28 जनवरी को उनसे मिला तो पता चला कि उनका स्थानान्तरण हो गया है। मैं गौहाटी और तिनसुकिया क्षेत्रों के एरिया अधिकारी से मिला। रेलवे बोर्ड द्वारा 1969-70 के लिए दिये गये निदेशों में स्पष्ट बताया गया है कि किसी भी कर्मचारी को जब तक कोई संकट की स्थिति न हो, स्थानान्तरण नहीं किया जाये परन्तु इस सब के बावजूद भी वे एरिया-अधिकारी आपके अधीनस्थ कर्मचारियों को स्थानान्तरित करके उन्हें अकारण ही तंग करते हैं। मुझे रेलवे कर्मचारियों से एक परिपत्र प्राप्त

हुआ जिसमें उन्होंने एरिया-अधिकारी द्वारा दी गई धमकियों का उल्लेख किया गया है और ऐसा लिखा गया है कि :

"हम जितना चाहें तुम्हें दंड देगें और तंग करेंगे चाहे तुम्हारा प्रधान अथवा श्री दासचौधरी तुम्हें बचाने आयें।" क्या ऐसा व्यवहार एक एरिया-अधिकारों को करना चाहिये। क्या ऐसा सम्बन्ध नियोजक और कर्मचारियों में ऐसे सम्बन्ध होने चाहिए? माननीय मंत्री जी इसका उत्तर दें कि भविष्य में चाहे कैसा भी कोई अधिकारी क्यों न हों कर्मचारी ऐसी अनुचित बातों को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे।

रेलवे में कुछ श्रेणी-वार एसोसियेशन है जिनमें से दो तो मान्यताप्राप्त बड़े संघ हैं—अखिल भारतीय रेलवेमैन संघ' तथा 'रेलवेमैन राष्ट्रीय संघ' इनके अलावा 35 श्रेणी-वार अन्य एसोसिएशन हैं, जैसे—'स्टेशन मास्टर एसोसिएशन', 'टिकट चेकिंग स्टाफ वेल्फेयर एसोसिएशन' आदि। रेलवे इन सब एसोसिएशनों को मान्यता प्रदान नहीं करती है तथा दोनों मान्यता प्राप्त एसोसिएशन श्रेणी-वार स्टाफ की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकने की हालत में नहीं है।

टिकट चेकिंग कर्मचारियों के बारे में मैं एक बात बताना चाहूंता हूँ कि टी०टी०ई० का अर्थ गाड़ी के साथ जाना होता है। यह सभी जानते हैं कि टिकट निरीक्षकों को गार्ड और ब्रेकमैनों की तरह संग चल कर्मचारियों में माने जाने के लिए बार बार अभ्यावेदन किये गये। सन् 1931 तक जब रेलवे अंग्रेजों के अधीन थी टिकट निरीक्षकों को संग चल कर्मचारी ही माना जाता था तथा परन्तु प्रथम महायुद्ध के पश्चात् 1930 में घोर आर्थिक मन्दी के कारण टिकट निरीक्षकों को दिये गये थे लाभ वापिस ले लिये गये थे परन्तु आज भी कुछ रेलवे के कुछ सेक्शनों में जैसे 'पूर्वोत्तर सीमा रेलवे' जो पुरानी 'आसाम-बंगाल रेलवे' थी में पुरानी 'ए' बी रेलवे' से लिए गये कर्मचारियों को संग चल कर्मचारी माना जाता है जब कि उनके जैसे ही कार्य कर रहे अन्य टिकट निरीक्षकों को नहीं माना जाता है। गत वर्ष मुझे इस मामले को सभा में उठाने का अवसर मिला था तथा मैंने माननीय मन्त्री जी से इस सम्बन्ध में विचार विमर्श किया था। तब से लेकर आज तक कई विधि विशेषज्ञों द्वारा अनेक निर्णय दिये गये और वर्ष 1947 में श्री राज्याध्यक्ष ने निर्णय दिये गये। आचार्य कृपालानी जी की अध्यक्षता में रेलवे भ्रष्टाचार जांच समिति द्वारा भी सिफारिशें की गई जिनमें टिकट निरीक्षकों को संग चल कर्मचारी माने जाने को कहा गया। मेरी समझ में नहीं आता कि रेल-मंत्रालय, जो कि अंग्रेज नौकर शाही के पदचिन्हों पर चलता है, इतने सुझावों के बावजूद भी इस मामले को तय क्यों नहीं कर पा रहा है।

अब मंत्रालय ने श्री मियाभाई की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की है। मैं मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि टिकट निरीक्षकों को संगचल कर्मचारी मानने का मामला समिति को सौंपा जाये। उन्हें गार्ड और ब्रेकमैनों के समान ही माना जाय।

जहां तक रेलवे में सेवा का सम्बन्ध है मैं अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों की रेलवे में नियुक्ति के सम्बन्ध में कहना चाहता हूँ कि एक रेलवे प्रतिवेदन के अनुसार इनके लिए स्थान आरक्षित हैं परन्तु नियुक्ति के लिए पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थी नहीं मिल पा रहे हैं—उत्तर सीमा रेलवे के कुछ अधिकारियों का कहना है :

"कि वर्ष 1958 के बाद महाप्रबन्धक के विशेष शक्तियों के अन्तर्गत इस कमी को दूर करने के लिए अनेक कार्य आरंभ किये गये परन्तु कुछ तो तकनीकी व्यक्ति न मिलने के कारण और कुछ मद (ए) में वर्णित परिस्थितियों के कारण इन कार्यों में सफलता न मिल सकी।"

"जब कभी भी रिक्त स्थानों की कमी को महाप्रबन्धक के अधिकार के अन्तर्गत विशेष नियुक्ति द्वारा पूरा करने के लिए आयुक्त, मान्यता-प्राप्त अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति संस्थाओं और विभिन्न काम दिलाऊ दफ्तरों से इस बारे में निवेदन किया गया कि अनुसूचित जातियों के योग्य व्यक्तियों को चयन के लिए आने के लिये कहा जाय तो आयुक्त एवं उपरोक्त संस्थाओं द्वारा प्राप्त उत्तर उत्साहवर्द्धक नहीं था।"

दूसरी तरफ जब हम अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जन जातियों के आयुक्त के प्रतिवेदन को देखते हैं तो पता चलता है कि नौकरी ढूंढने वाले हजारों स्नातक और अस्निातक बेकार हैं परन्तु सन् 1958 में महाप्रबन्धक को दिये गये नियुक्ति के विशेष अधिकार के बावजूद केवल 17 व्यक्तियों को उत्तर सीमा रेलवे में नियुक्ति के लिए सिफारिश किये जाने पर भी उन्हें नियुक्त नहीं किया गया। निम्न उद्धरण से पता चलेगा कि उनकी नियुक्ति क्यों नहीं हुई :

"यह बताया गया है कि अनुसूचित जनजाति के 17 योग्य अभ्यार्थियों के नामों को अनु-सचिवीय श्रेणी में नियुक्ति के लिए तालिका में रखा गया था परन्तु उपरोक्त कारणों के कारण अभी तक उन्हें नियुक्त नहीं किया जा सका। उन्हें यातायात विभाग में बाहर के पदों पर उसी वेतनमान (ट्रेंस क्लर्क्स) नियुक्त करके प्रस्ताव किया गया था और जो तालिका रद्द हो गई थी उसे फिर से चालू रखने के लिए बोर्ड से अनुमति मांगी गई थी परन्तु बोर्ड ने इसकी अनुमति नहीं दी। यह मामला फिर बोर्ड के सामने रखा जा रहा है।"

रेलवे बोर्ड ने प्रतिवेदन में अनुसूचित जाति के लोगों को नियुक्तियां देने के लिए हर संभव उपाय अपनाने के लिए कहा है। परन्तु जब कभी अवसर आता है तो महाप्रबन्धक कर देते हैं कि नई नियुक्तियों पर प्रतिबंध है जबकि संविधान में $12\frac{1}{2}$ प्रतिशत लोगों को नियुक्ति करने के उपबन्ध हैं। किन्तु केवल 5 प्रतिशत लोगों को ही नियुक्त किया गया है अतः मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इन जातियों के लोगों को नियुक्त करने के लिए समुचित उपाय किये जाये।

श्री जी० भा० कृपालानी (गुना) : रेलवे कार्य कुशलता और ईमानदारी के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। मैंने यहां देखा है कि संसद में सदस्यगण एवं मंत्रि-गण आम-प्रसाशन की अपेक्षा अपने अपने निर्वाचन-क्षेत्रों के बारे में अधिक चिन्तित हैं--मुझे तो मेरे निर्वाचन-क्षेत्र से पत्र मिल रहे हैं कि मैंने उनके लिए कुछ नहीं किया वे बिल्कुल ठीक कहते हैं—मैंने किसी निर्वाचन क्षेत्र या प्रदेश की अपेक्षा भारत के लिए कार्य किया है। मैं यह चाहता हूं कि वे मुझे गाली भरे। पत्र न मिले। मेरा निर्वाचन-क्षेत्र मध्य-प्रदेश के गुना जिले है। वहां पर कोई सड़क नहीं है तथा 24 घंटों में केवल एक गाड़ी चलती है। मेरे निर्वाचन-क्षेत्र के लोग यह चाहते हैं कि मंत्री महोदय एक निर्धारित गाड़ी बीना से गुना तक चलाने का प्रबन्ध कर दें। यदि आप उन्हें एक छोटी सी लाइन देने की कृपा कर देंगे जिससे उन्हें लाभ हो तो कम से कम मुझे ऐसे पत्र मिलने से छुटकारा मिल जायेगा। बस।

Shri Nathu Ram Ahirwar (Tikamgarh) : Mr. Chairman, Sir, I represent the most backward area of India, *viz*. Bundelkhand. In 1930 a survey was made of Lalitpur-Tikamgarh-Chhatarpur-Mahova Railway line, but to this day little precious has been done in that regard. That area is rich in Copper and Timber. But unfortunately no industry has been set up there. Unless a railway is laid there that area cannot develop.

In my Constituency there is one station Tewari on Jhansi-Manikpur line. The platform of this station is very low and many accidents have taken place on account of this. I had written to the hon. Minister in this regard in 19 8 also and he had accepted my suggestion then. But so far the platform has not been constructed. Last year 300 wagons were loaded from this station. So from the commercial angle also this is a very important station.

One reason why Railway suffers losses is, the commercial staff of the Railway do not behave properly with the businessmen. The undely harass them and force them to grease their palm Right from the despatch point to the destination point the Commercial staff exports money from the businessmen.

Apart from that, it is not always safe to send goods by the Railway. People prefer to send their consignments by road transport. Sometimes it takes months to reach their destination by the railway.

Certain scrap lines on the Jhansi-Manikpur section had been auctioned by the Railway authorities and the party was supposed to the goods on his own account, but the Railway went out of the way to help him and arranged for him free loading and transport facilities. This should be required into as it has resulted in huge losses to the Railway.

Then, uniform facilities should be made available to all categories of employees and no discrimination should be made with any category of employees. Again, great injustice is meted out to the employees belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes. The people belonging to the other Union at New Delhi Station wanted to harass a particular employee and they therefore got him transferred from there although the Divisional Officer was in his favour. Justice should be done to the Scheduled Caste and Scheduled Tribe employees.

Shri Shinkare (Panjim) : All the credit for the good things goes to the Minister while the discredit goes to the railway officials I wonder why the officials are to be blamed. When the overall responsibility of guidence is on that Minister. However I strongly feel that the Railway Board should be reorganised at least on an experimental basis. Now, the railway fare of suburban trains has been increased. But this increase in fare is uncalled for and has no relation to the conditions prevailing on the stations of metropolitan cities.

Marmagoa in Goa is a natural harbour and manganese ore and iron ore worth 40 crores of rupees are exported through this port every year. Recently a loan of Rs. 40 crores has been obtained from the World Bank for developing this port. But the development of the Port can yield benefits only when the hinterland is well connected with a network of railways. At present a substantial part of the manganese ore is not moved by the railway but other modes of transport. At present the Marmagoa port handles only one way traffic and as a result of this the mine owners are saddled with the double fare. The incoming ships do not bring anything on this port. Railway tracle should be laid from Marmagoa to Miraj and from Marmagoa to Hospet. The export of ores is very vital to our economy since it is a potential foreign exchange earner. Even from the angle of regional balance the two said lines are of imperative necessity.

There are a number railway stations in Goa where over-bridges are badly needed. As regards the sharing of expenditure, Goa is a Union Territory and all its expenditure will have to be met by the Centre. The people of Goa are very peaceful. They do not believe in agitational approach.

Shri Dauleshwar Meena (Udaipur) : The Railway Minister deserves congratulations for withdrawing the proposed increase of the III Class passenger fares.

His predecessor Dr. Ram Subhag Singh had introduced a train from Delhi to Udaipur which was given the name of Chetak Express. It is a pity that while the number of air-conditioned and first class coaches has been considerably increased, whereas only one-third class bogey has been added to this train with the result that passengers have to face great difficulty during their 22-hour journey. Two-three more bogies (III Class) should be added to this train without any further delay.

This train should be an Express train right upto Udaipur and not only upto Ajmer as at present. The timings of this train should also be changed. Instead of 11 O'clock, it should start from Delhi at 1 or 2 P.M. A dining car should also be attached to this train.

If the train running between Himmatnagar and Udaipur is extended upto Chittor, the rush of local passengers between Udaipur and Chittor will pass off at Chittor.

Chittor should be merged into the Ajmer Division instead of the Ratlam Division because at present this train is detained unnecessarily at Chittor and the passengers who intend to go to Marwar, they have to catch train for Marwar from Mavli and as a result of detention of this train at Chittor, they are not able to catch the train for Marwar and have to waste the whole day at Mavli.

A railway line from Doongarpur to Ratlam *via* Banswada should be opened. The survey of this line has already been completed. This area is rich in minerals and is being developed. The railways will be earning a lot by the opening of this line.

श्री दत्तात्रेय कुन्टे (कोलाबा) : थालघाट तथा बोरघाट के बीच नई घाट लाइन के सर्वेक्षण पर जोर देने की बजाय सरकार को वास्तव में बम्बई और मंगलौर के बीच इस रेलवे लाइन पर जोर देना चाहिए। बम्बई पत्तन के विकास के लिए नवशेवा में एक पत्तन बनाना जरूरी हो गया है। इस प्रस्तावित पत्तन का लाभ उठाने के लिए इसे बम्बई नगर तथा मुख्य भूमि से मिलाना बहुत जरूरी है। बम्बई-नवशेवा लाइन बम्बई से आरम्भ करके नवशेवा होते हुए मुख्य भूमि तक ले जायी जानी चाहिए और वहां से घाट के साथ-साथ दक्षिण की ओर ले जाई जानी चाहिए। इस तरह से यह बम्बई को नवशेवा, रत्नगिरी, मरमागोआ और मंगलौर से मिला देगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि केवल तकनीकी-आर्थिक सर्वेक्षण ही पर्याप्त नहीं है। बम्बई और मंगलौर के बीच रेलवे लाईन न होने के कारण अन्य रेलों द्वारा इस समय जो यातायात उठाया जा रहा है उसे भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। इस लाइन के निर्माण से थालघाट और बोरघाट के बीच तीसरे घाट की जरूरत नहीं पड़ेगी। अतः आप्टा मंगलौर रेलवे लाइन की बजाय नवशेवा-मंगलौर लाइन पर विचार किया जाना चाहिए और यह लाइन जहां तक सम्भव हो घाट से अधिक से अधिक सटी हुई होनी चाहिए ताकि उसका पूरा लाभ उठाया जा सके।

मन्त्री महोदय ने रेल व्यय में कमी करने की बजाय किराये-भाड़े में वृद्धि करना उचित समझा। उन्हें चाहिए था कि वह रेलवे के पूंजी व्यय में कमी करने की कोशिश करते। गत पाँच वर्षों में रेलवे के पूँजी व्यय में $33\frac{1}{3}$ प्रतिशत की वृद्धि हुई है। लोक लेखा समिति ने तीसरी योजना के कार्यकरण की जांच की थी समिति ने पता लगाया कि 1300 करोड़ से मूल व्यय की बजाय 1600 करोड़ रुपये व्यय हुआ—300 करोड़ रुपये अधिक—हालांकि वह व्यय जरूरी नहीं था।

देश में रेलवे लाइनों का विकास एक समान नहीं रहा है। कुछ भागों में रेलवे लाइन का

जाल बिछा दिया गया है जबकि कुछ अन्य क्षेत्रों में एक भी लाईन नहीं बिछाई गई है। इसलिए रेलवे बोर्ड को अपनी नीति में परिवर्तन करना होगा। माल-भाड़े की दरों में जो वृद्धि की गई है वह बहुत अधिक है और उससे बड़े नगरों के लोगों पर भार पड़ेगा। बड़े नगरों में सब्जियां, फल आदि 50 किलोमीटर की दूरी से आते हैं। भाड़े में वृद्धि से दैनिक आवश्यकता की इन वस्तुओं के दाम बढ़ जायेंगे। श्रमिक वर्गों के अपने संघ बने होते हैं और वे अधिक मंजूरी की माँग करेंगे। इससे उन चीजों के दाम बढ़ेंगे जो वे पैदा करते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि किराये तथा भाड़े में वृद्धि करने की बजाय व्यय में कमी करने की भरसक कोशिश की जानी चाहिए।

रेलवे में जो पूँजी लगी हुई है उससे घाटा हो रहा है। इसलिए उन्हें इस सभा में अपनी बुरी स्थिति पेश करने से पहले अपनी वित्तीय स्थिति सुधारने का प्रयत्न करना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं इन मांगों का विरोध करता हूं।

Shri M. A. Khan (Kasganj) : First of all I congratulate the Railway Minister for withdrawing the proposed increase in the third class passenger fares. The increase in freight will result in rise of prices of daily necessities of life. I do not blame the hon. Minister for this because the Railway Board experts are the real persons behind the preparation of the railway budget. These experts will have to change their outlook and dictatorial ways if they do not wish to invite the wrath of the common man. They can no longer afford to ignore the feelings of the common man. To make up the shortfall in revenues they simply suggest increase in fares and freights. Even a layman can do it. What is the use of keeping technical experts in the Railway Board then ? For proving their usefulness they will have to locate the shortcomings in this organisation which are responsible for these losses.

Corruption is rampant on the railways ; not so much in third class but more pronounced in the upper classes. Upper classes have been created sheerly for giving a handle to corruption. We cannot secure reservation for first class without bribing the staff. The seats that remain vacant will never be allotted to the genuine passengers, however hard they may try. It is so in Ghaziabad. One cannot get reservation without resorting to bibery. Others are refused on one pretext or the other.

The efficiency of Railways is diminishing day by day due to the fact that the money of railways is being misused and no means and ways are being evolved to curb this corruption. Trains do not move in time and actually there is no use of having a Railway Time-table. People cannot reach their destinations in time due to the inefficiency of the trains. May I know the reasons for the increasing inefficiency of the Railways when the Government are increasing the railway fares ? The officials of the Railway Department do not pay any heed to the difficulties and inconvenience of the passengers.

It is generally observed that at the places of transhipment the goods are placed in the go-downs and unless the owner of the goods greases the palm of the clerk concerned they are not allowed to be moved anywhere. This particular practice is followed at Hathras and Kanpur. The hon. Minister is also aware of this fact but I am sorry to state that he is unable to grapple with the bureaucracy going on in the Railway Department. But now the time has come when he will have to recognise the difficulties of the people and to meet their demands.

In connection with the reference made by the hon. Minister regarding the loss of Rs. 7.50 crore from the uneconomic Railway lines. I would like to know the time by which the report of the Committee, which was appointed to find out the ways by which these uneconomic railway lines could be made economic, will be examined by the Government. It cannot said justifiable to up-root those lines which are at present uneconomic. The

Government should find out certain ways by which these li es can be converted into economic ones because railway organisation is not merely a business organisation but it is meant for facilitate the people of the country and the Government cannot afford to ignore this aspect.

After a great deal of efforts made by the hon. Deputy-Minister the Etah-Barham line was constructed by the Government which is at present uneconomic. But if this line is connected with Kasganj which is the richest area of this region. I am sure this line can be made economic. A railway line of 21 miles is needed to be constructed and there is no alternative to convert the present line into economic one. I do not understand how much more time is needed by the Government to examine the report of the Committee.

Sir, Amapur-Kasgange road was completed about five years ago but a level-crossing near Amapur has not been provided as yet. The very purpose of the road has been lost in the want for the said level-crossing

I also invite the attention of the hon. Minister towards the deplorable plight of the Station Masters and Assistant Station Masters. The employees of this category have to undergo a training for the period of nine months which is comparatively much long to that of the trainings under gone by other so many categories.

Besides, the Station Masters and Assistant Station Masters are mostly posted at the road side due to the fact that there are a few big stations in the country. The employees of this category have to face so many dangers. There are so many cases in which their children are killed and their houses are ransocked. Apart from this they perform the duty of the booking clerk, goods clerk and ticket-checker single-handedly and even then their's is a low-paid category. They are paid only Rs. 200 per month and it is rather killing. At the same time do not believe in considering the difficulties of those agitate calmly and want to convey their grievances in peaceful manner. The problem faced by the employees of this category have been brought in the notice of the Government but no heed is paid towards it. So far as my knowledge is concerned, the hon. Minister gave an assurance to the employees of this category on the 9th December that he would consider their case. I would also like to inform the hon. Minister that the employees of this category observed relay fast all over India and they held a meeting in Delhi on the 20th December and passed a proposal to the effect that if the Government do not take any step to remove their grievance even after the observance of relay fast they will not attend their duties through out the country. But, as I am the president of the association of a Division, I requested them not to take such a drastic step. But I am afraid our Government do not believe in the peaceful agitations. Their grievances will be removed only when certain destructive activities will be perpetrated by this ignored class. Secondly, the Station Masters and Assistant Station Masters of the N. E. R. are not getting the same facilities which are provided for the employees of the same category employed in the other Railways. I request the hon. Minister that this anomaly should also be removed at an early date.

श्री रा० कृ० बिड़ला (झुंझनू) : सभापति महोदय ! रेलवे बजट पर बोलने से पूर्व मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मुझे भी इतना ही समय दिया जाय जितना मुझ से पहले बोलने वाले माननीय सदस्य को दिया गया है ।

श्री बरिमल घोष तथा डा० राम सुभग सिंह के पश्चात् अब एक अनुभवशील मंत्री श्री नन्दा ने इस मन्त्रालय की बागडोर सम्भाली है । आशा है अब इस मन्त्रालय की स्थिति सुदृढ़ हो जायेगी । मुझे इस बात पर भी हर्ष है कि उन्होंने प्रधान मन्त्री की इस मन्त्रालय का भार सम्भालने की सलाह को प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार किया है ।

साथ ही मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि वह इस मन्त्रालय को कम महत्वपूर्ण न समझें । इसका एक उदाहरण यह भी है कि इस मन्त्रालय के लिए पृथक बजट

बनता है। दूसरे देश की आर्थिक तथा औद्योगिक उन्नति रेलों पर ही आश्रित रहती है। यदि खाद्यान्न, कपड़ा तथा अन्य उपभोग-सामग्री उचित समय पर नहीं पहुँचती तो देश की जनता की कठिनाइयां और भी बढ़ जायेंगी। अतः यह मन्त्रालय अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

मुझे प्रसन्नता है कि श्री नन्दाजी ने तीसरे दर्जे तथा उपनगरीय किरायों तथा दुग्ध-उत्पाद और अनाज के भाड़े के सम्बन्ध में पुनरीक्षण करने का निर्णय किया है। उनसे मेरा निवेदन है कि वह सामान्य जनता के उपभोग में आने वाली वस्तुओं का उत्पादन करने वाले उद्योगों द्वारा प्रयोग में लाये जाने वाले कच्चे माल की ढुलाई-भाड़े में तथा निर्यात और रक्षा-उत्पादों के कच्चे माल की ढुलाई-भाड़े के बारे में भी यही दृष्टि और अपनाएं।

यदि रेलों के आवागमन में उन्नति हो जाय तो सभी को इस बात से प्रसन्नता होगी। किन्तु इतना अवश्य है कि रेलों में सुधार करने के लिए कुछ मौलिक परिवर्तन करने पड़ेंगे। फिर भी हमें आशा है कि रेल विभाग जो अब तक नहीं कर पाया अब श्री नन्दाजी के आने पर कर पाएगा। दूसरे अब तो रेलवे बोर्ड के चैयरमैन भी नये आ गये हैं तथा मैं समझता हूं यह बड़े योग्य और कार्यकुशल हैं। पहले सबसे बढ़ी कठिनाई यह थी कि रेलवे बोर्ड तथा सम्बन्ध मन्त्रालयों में पारस्परिक सहयोग नहीं था। किन्तु आशा है कि अब यह समस्या दूर हो जायेगी।

मैं रेलवे बोर्ड के चैयरमैन श्री गंगोली को कुछ सुझाव देना चाहता हूं और मुझे विश्वास है कि यदि उन्होंने इन सुझावों को स्वीकार किया तो रेलवे प्रशासन में अवश्य सुधार होगा।

मेरा पहला सुझाव है कि रेलवे बोर्ड द्वारा सभी कार्यों को अपने हाथ में नही रखना चाहिए। अभी तक छोटे-छोटे कार्यों के लिए भी रेलवे बोर्ड से आदेश जाते हैं। मेरा सुझाव है कि प्रबन्धकों को स्वतन्त्र रूप से कार्य करने की अनुमति मिलनी चाहिए तथा रेलवे बोर्ड का मुख्य कार्य प्रबन्धकों को मार्गदर्शन देने का होना चाहिए।

मेरा दूसरा सुझाव यह है कि विद्युत चालित रेलवे इंजनों की संख्या में वृद्धि करनी चाहिए क्योंकि उनसे अधिक कार्य लिया जा सकता है तथा वे लाभप्रद भी होंगे।

तीसरे, डीजल से चलने वाले रेलवे इंजनों का उपयोग विशेषकर गुजरात तथा राजस्थान में होना चाहिए क्योंकि कोयले से चलने वाले इंजन पर वहां अधिक व्यय होता है। और इसका कारण यह है कि यहां के लिए बिहार तथा बंगाल से कोयला लाना पड़ता है।

मैं माननीय संसद्-सदस्यों से भी निवेदन करना चाहता हूं कि वे बार-बार रेलवे बोर्ड के अधिकारियों पर भी कोई काम करने का दबाव न डालें। हम लोगों को केवल उन्हीं मामलों में रेलवे बोर्ड के चैयरमैन आदि से मिलना चाहिए जब कोई ऐसा मामला सामने आये जिसमें स्पष्टतः किसी व्यक्ति का अहित किया गया हो। इस सम्बन्ध में मैं वांचू समिति द्वारा किये गये सुझाव का उल्लेख करना चाहता हूं। समिति द्वारा किये गये सुझाव के अनुसार सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाना चाहिए जिसमें यह दिखाया जाय कि संसद सदस्यों ने रेलवे प्राधिकारियों से कितनी बार मुलाकात की।

चोरियों के सम्बन्ध में तो जितना कहा जाय इतना थोड़ा है। रेलवे के खुले डब्बों से नमक आदि की चोरी तो अत्यंत सामान्य सी बात हो गई है। प्रतिवर्ष हमारे देश में लाखों रुपयों

के मूल्य के सामान की चोरी होती है। अतः मैं माननीय मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि वह रेलों से चोरी के मामलों की ओर अधिक ध्यान दें।

सेत्री खनन परियोजना में लगभग 100 करोड़ रुपये की पूंजी है किन्तु आश्चर्य है कि रेलवे साइडिंग के बिना वहां से माल उतारने चढ़ाने की क्या व्यवस्था होगी। इस विषय में मैंने रेलवे बोर्ड को लिखा था तथा उसके चैयरमैन ने उत्तर में कहा है कि सरकार का इस परियोजना को डबला से जोड़ने का प्रस्ताव है। इस परियोजना से डबला लगभग 25 मील की दूरी पर है। खान सिंघाना में है तथा मुझे ज्ञात हुआ है कि रेलवे बोर्ड ने सिंघाना तथा चिरवा के बीच 25 मील लम्बी रेलवे लाइन बिछाने का पहले ही निर्णय कर लिया था। मुझे आश्चर्य है कि जब हमारा उद्देश्य 12 मील लम्बी रेलवे लाइन बिछाने से चल जाता है तो सरकार 25 मील लम्बी रेलवे लाइन क्यों बिछाना चाहती है। इसके अतिरिक्त डबला से सिंघाना तक की भूमि पहाड़ी है किन्तु चिरवा से सिंघाना तक की भूमि समतल है। अतः मेरा सुझाव है कि सरकार सिंघाना से डबला तक रेलवे लाइन न बिछाकर सिंघाना-चिरवा रेलवे लाइन बिछाये। इससे देश का हित होगा तथा धन भी कम लगेगा।

अंत में मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि पिलानी तक रेलवे लाइन अवश्य बिछाई जानी चाहिए क्योंकि यहां से देश के चारों कोनों से आने वाले लगभग 7000 विद्यार्थियों को शिक्षा प्राप्त होती है। यदि इस प्रश्न पर सभा का मत लिया जाय तो मुझे विश्वास है सभी माननीय सदस्य इसके पक्ष में मतदान देंगे।

अंत में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि रेल हमारी राष्ट्रीय सम्पत्ति है। अतः जो भी इनको किसी प्रकार की क्षति पहुंचाता है तो वह अन्याय करता है। हम सभी का यह कर्तव्य है कि हम अपने मतदाताओं को यह समझा दें कि रेलों को क्षति पहुँचाने से देश का अहित होता है। अतः किसी प्रकार की तोड़-फोड़ नहीं की जानी चाहिए।

डा० प० मंडल (विष्णुपुर) : श्रीमान्, मैं रेलवे मंत्री को बधाई देता हूं कि उन्होंने तीसरे दर्जे के यात्रियों पर बढ़ाये गये किराये-भार को वापस ले लिया है। लोगों ने बड़ी आशा की थी कि वे उन्हें बहुत अधिक राहत देंगे किन्तु श्री नंदा जी ने 1970-71 के लिए जो रेलवे-बजट पेश किया है, उससे मुझे निराशा हुई, क्योंकि उससे जन-सामान्य पर बढ़ाये गये भाड़े के परिणामस्वरूप भार बहुत अधिक बढ़ गया है। श्री नंदा जी बहुत बड़े समाजवादी हैं किन्तु उन्होंने जो बजट पेश किया हैं वह एकदम असमाजवादी है। अपने बजट-भाषण में उन्होंने कहा कि 98½ प्रतिशत यात्री तीसरे दर्जे के डिब्बों में सफर करते हैं और केवल 1½ प्रतिशत उच्च श्रेणी के डिब्बों में। रेलवे की आय में वृद्धि के लिए उन्होंने यह प्रस्ताव किया कि तीसरे दर्जे के यात्रियों के किराये में वृद्धि कर दी जाये किन्तु उन्होंने इन यात्रियों को सुविधाएं देने के बारे में बिल्कुल भी विचार नहीं किया। इन लोगों को खड़े होकर यात्रा करनी पड़ती है और बहुत अधिक भीड़ में यात्रा करनी पड़ती है। मंत्री महोदय ने खाद्य पदार्थों, दालों और दूध आदि पर भाड़े में की गई वृद्धि को वापस लेकर बहुत अच्छा कार्य किया है। किन्तु शेष वस्तुओं के भाड़े में तो वृद्धि ज्यों की त्यों बनी हुई है ; इसके परिणामस्वरूप भी जनसाधारण पर भार बढ़ा है, क्योंकि अन्य उपभोक्ता वस्तुओं के भाड़े में तो वृद्धि हो ही गई है।

जहां तक गार्डों के इस अधिकार का संबंध है कि वे लोगों को प्लेट-फार्म टिकट न मिलने के मामले में उस उद्देश्य के लिए प्रमाण-पत्र दें, मेरा यह सुझाव है कि ऐसी व्यवस्था उन स्टेशनों पर भी होनी चाहिए जहां एक ही खिड़की से सामान्य टिकट और प्लेटफार्म टिकट मिलते हैं तथा जहां टिकट-खिड़की गाड़ी आने से पांच मिनट पूर्व ही बंद हो जाती हैं। इस संबंध में संशोधित नियम शीघ्र ही जारी किये जायें। साथ ही रेलवे मंत्री से मैं यह अनुरोध करता हूं कि रेलवे में विभिन्न श्रेणियों में जितने पद अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिए सुरक्षित हैं, उन्हें भरा जाये।

अपने जिले के बारे में मेरा यह निवेदन है कि उसमें नई रेलवे लाइन बिछाकर रेलवे सुविधा बढ़ाई जाये। बी० डी० रेलवे छोटी लाइन को वहां से उखाड़ लिया जाये। इसे तारकेसर तक जोड़ दिया जाये। इसे बर्दवान तक मिलाया जा सकता है। यह लोगों के लिए बरदान सिद्ध होगा। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

Shri George Fernandes (Bombay South) : Sir, it is good that the Railway Minister has withdrawn the increase made in the fares for travel in 3rd class and in the freight charges of foodgrains, But I want to ask three questions from Shri Nanda. I would like to know whether this budget will add to the hardships of public ; whether it will give some relief and additional facilities to the poor passengers ; and whether it will in any way raise the living standard of 18 lakh railway employees. In my opinion as a result of this budget the burden on an ordinary man will increase, because the freight charges on eatables like vegetable, milk, egg, cigarette and bidi have increased.

Shri Nanda argued that the expenditure in railways has been increasing and so more money is required. It has been mentioned by the Railway Board in its report on Indian Railways that about 2,27,59,00,000 passengers used the railways during 1967-68 as against 223 crore passengers in 1968-69. I want to draw the attention to the fact that there has been decrease of 4 crore passengers during one year's period. India's population is increasing while the number of railway passengers in decreasing. May I know the reason of such a big decrease ? If the Minister will take trouble to reply my questions honestly, he will certainly come to know, the reasons of loss to railways, about which he mentioned in his speech. In last year's Report it has been also mentioned that an amount of ten crores of rupees was paid in form of compensation on account of parcels damaged or lost. I think an amount of 10 crore rupees is a very big amount. It means that pilferage on large scale is taking place in the name of goods and claims.

In the said Report there are a number of misleading statements. As regards settlement of claims it has been mentioned that average time taken in settlement of claims shown against items, 1, 2, 3 is 38.2 days. Against item No. 8 it has been shown as 30.83 days. But this is not the true position. Claims notices delivered by hand in the office of the Chief Commercial Superintendent (Claims Branch) are not even acknowledged for months together. It can easily be imagined if it takes several months only to acknowledge the receipt of the claim notices, how much time it will take to settle them. I received a letter from Shri R. P. Joshi, the Railway Claims Agent which contains a number of complaints about the settlement of claims. He says that our claims have been pending for several years. But the House is mislead by giving such figures as given above.

As regards the question of giving amenities to ordinary passengers, I would like to know the amenities Government propose to give to passengers. I am always taken aback when I hear about the demand for Rajdhani Expresses. For whom you want to introduce such trains. Will these Rajdhani Express trains help poor passengers in any way ? If Shri Nanda wants to be aware of the difficulties and hardships an ordinary passenger has to face. Then he will see that ladies compartments in the Bombay suburban trains have only one

door, which cause a lot of inconvenience to women passengers. Inspite of a number of representations nothing has been done in this regard.

In the last, I would like to say some words about railway employees. The Minister said that the employer-employee relations had been very encouraging. I would like to know how the Minister has come to this conclusion. From official figures it is clear that the number of officers is increasing while the number of employees of lower ranks is decreasing. What is this seheme : increase the number of officers and decrease the number of other employees.

As regards the reservation of posts for Scheduled Castes and Scheduled Tribes. I want to say that the quota of post reserved for them is not filled. It is said in the Report about it that sufficient number of candidates belonging to these Castes and Tribes are not available. This statement is wrong particularly in respect of class IV employees. Further I want to suggest that the practice of employing casual labour should be abolished. The recommendations of the Railway Licensed Porters Enquiry Committee should be accepted.

There has been a demand for providing the Bombay-Mangalore link—the Konkan line. Inspite of assurances given in this respect, nothing has been done. I would like to know the time-limit by which this demand will be met. With these words I conclude. Thank you.

Shri C. B. Gautam (Balaghat) : Mr. Chairman, there is Balaghat District in our area in Madhya Pradesh. This area is rich in Manganese ore and forest products. A railway line should be constructed from Katangi to Tirodi. There is a great need for reducing the freight rates in respect of manganese ore. The increase in freight charges will badly affect the trade of manganese and forest products. At present the Gondia Jabalpur, Nainpur-Nagpur and Gondia-Chanda lines are all narrow-gauge lines. They should be converted into broad-gauge in order to facilitate the transport of forest products, Timber and Manganese ore. There is no means of communication in Bastar District, which is very much rich in Manganese and timber. If a railway line is provided there it will greatly benefit the people and will also lead to development of Bastar area.

The distance between Gondia and Jabalpur is only 118 miles but the time taken to cover this distance is about 11 hours as there is no overbridge at Balaghat. Therefore an overbridge is urgently required at Balaghat and a memorandum to this effect has also been presented to the Hon. Minister concerned. In the absence of the bridge, the trains are running late and people have started travelling by buses.

There is a Railway line from Bailadilla to Vishakhapatnam. In case passenger trains are made to run in that region, this will provide extra facility region to the people of Scheduled Caste and Scheduled Tribe. I hope the Hon. Minister will look into it.

A proposal has been made to stand a copper-mine at Balaghat, therefore, a railway line Behar Tehsil is required to be constructed.

श्री नंजा गौडर (नीलगिरि) : माननीय मंत्री महोदय ने तृतीय श्रेणी के भाड़े तथा प्लेटफार्म टिकट की दरों मे जो वृद्धि की थी उसे वापस ले लिया है । इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि ये वृद्धि राजनैतिक कारणों से की गई थी । परन्तु फिर भी मैं इसके लिए मंत्री महोदय की सराहना करूंगा । इस सम्बन्ध में मैं मंत्री महोदय का ध्यान शीघ्रनाशी वस्तुओं के भाड़े की वृद्धि की ओर भी दिलाना चाहता हूँ और आशा करता हूँ कि वह इसको भी तुरन्त वापस ले लेंगे ।

इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि रेलवे में आवश्यकतानुसार कार्य-कुशलता नहीं है । इस विषय में जनता की आशायें समाप्त हो गई है । वांचू समिति ने भी भारतीय रेलवे को स्वायत्त वैधानिक निगम बनाने का सुझाव दिया है जैसा कि ब्रिटेन में है । ऐसा होने पर

राजकीय एकाधिकरण समाप्त हो जायगा क्योंकि इसी के कारण रेलवे को भारी हानि हो रही है। रेलवे में चोरी आदि की घटनायें रेल कर्मचारियों के निष्कर्ष होने के कारण होती हैं। यदि कर्मचारी सच्चे हों तो ऐसा ये चोरियां होनी ही एकदम बन्द हो जाये।

प्रधान मंत्री ने चाय का निर्यात बढ़ाने तथा विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए चाय का निर्यात-कर समाप्त करने की जो घोषणा की है, ये बड़ा ही अच्छा किया है परन्तु यह उद्देश्य तभी सफल हो सकता है जब चाय के भाड़े में की गई वृद्धि को भी समाप्त कर दिया जाय।

भारतीय रुई-मिल संघ की ओर से मुझे इस आशय का एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है, उसमें बताया गया है कि सूती-कपड़ा उद्योग में काम आने वाले कच्चे माल—जैसे रुई तथा रंग आदि अन्य रासायनिक पदार्थों की दरें पहले से ही बढ़ रही हैं और कपड़े की दरे स्थिर हैं। इसके अतिरिक्त सूती कपड़े पर भाड़े की दरें भी बढ़ायी गई हैं जिन्हें उनके लिए वहन करना बहुत कठिन होगा। अतः मेरा निवेदन है कि सूती कपड़े पर लगाये जाने वाले कर को कम करने के बाद में भी विचार किया जाना चाहिए।

रेलों में यात्रियों को शायिका सुविधा के विषय में मैं यह कहना चाहता हूं कि तृतीय श्रेणी में ये सुविधायें मेल तथा एक्सप्रेस रेलों के अतिरिक्त अन्य रेलों में भी दी जानी चाहियें। अनेक स्थानों पर पीने के लिए पानी तक नहीं मिल पाता है। पानी के लिए लोगों को लाइन में खड़े होना पड़ता है। इस कष्ट का शीघ्र निवारण किया जाना चाहिए तथा पर्याप्त पानी की व्यवस्था की जानी चाहिए।

दक्षिण रेलवे के मुख्य स्टेशनों जैसे मेंतुपलायम, कोयम्बतूर, इरोड जंकशन और कटपड़ी, पर विकलांग यात्रियों के लिए पहियों वाली कुर्सियों की व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे उनको स्टेशनों पर कोई असुविधा न हो।

मेरे मित्र श्री इन्द्रजीत गुप्ता ने अलाभप्रद रेलवे लाइनों का उल्लेख किया है उनके बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि जहाँ तक अलाभप्रद रेलवे लाइनों को समाप्त करने का प्रश्न है मैं बताना चाहता हूँ कि जनहित की लाइनें बनी रहनी चाहियें। नीलगिरी जैसा मनोरम पवर्तीय स्थल जो यात्रियों का आकर्षण केन्द्र तथा स्वास्थ्यप्रद स्थान भी है और जहां देश-विदेश के यात्री भ्रमणार्थ आते हैं, रेलवे लाइन से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। ऐसी लाइनों को लाभप्रद बनाने के लिए रेल उपमंत्री तथा उनकी समिति ने जो सुझाव दिये हैं उनको क्रियान्वित करने से ऐसी लाइनें लाभप्रद हो सकती हैं।

मेत्तुपलयम से उटकमंड तक कई महत्वपूर्ण रेल गाड़ियां बन्द कर दी गई हैं। उदाहरणार्थ रेल नं० 528 के बन्द हो जाने पर यात्रियों तथा छोटे व्यापारियों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। जो व्यापारी इस गाड़ी पर मछलियों को लादकर दूसरी जगह भेजते थे उनको कठिनाई हो गई है। गाड़ी के बंद हो जाने पर मछलियों का यहाँ से भेजा जाना कठिन हो गया है और उपभोक्ताओं को भी उनसे वंचित रहना पड़ता है। अलाभप्रद शाखा रेल लाइन समिति ने भी जानकारी दी है कि गाड़ियों के आने के जो समय निर्धारित है उनसे स्थानीय आवश्कतायें पूरी नहीं होती हैं।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Dy. Speaker *in the Chair*]

यह गाड़ी जनता एवं छोटे व्यापारियों की सुनिधाओं को देखते हुए फिर से चला देनी चाहिए।

उड़ीसा में दक्षिण-पूर्व रेलवे में बारनिल होकर बराजाम्दा तथा बोलानी खन्कन के बीच कोई सवारी गाड़ी नहीं है। मुझे बताया गया है कि ये एक खनिज क्षेत्र है तथा यहां जो लोहा मिलता है वह देश में पाये गये कुल लोहे का पचास प्रतिशत है। यहां की जनसंख्या भी 50,000 से ऊपर है। उस समय के रेलवे-उपमंत्री श्री परिमल घोष ने उस स्थान को देखकर सवारी-गाड़ी चलाने का वायदा किया था परन्तु उनके उप-मंत्री पद से हट जाने के बाद अब तक इस सम्बन्ध में कुछ नहीं किया गया हैं ? मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि कृपया इस पर विचार करें।

मैं बताना चाहता हूं कि रूरकेला का पारादीप पत्तन के बीच सीधा संबंध नहीं है और रेल गाड़ी को घूमकर जाना पड़ता है। मेरा अनुरोध है कि इन दो स्थानों के बीच सीधा सम्बन्ध बनाया जाना चाहिए जिससे ताकि दूरी कम हो सके।

नीलगिरि पर्वत रेलवे को भी उत्तर में मैसूर तक तथा पश्चिम में कालीकट तक बढ़ा दिया जाना चाहिए। इससे इस जिले के विकास में सहायता मिलेगी।

मैं माननीय मंत्री से प्रार्थना करता हूँ कि वे मेरी बातों पर विचार करें तथा शीघ्र कार्य-वाही करें।

**Sh. N. R. Patil (Bhir). Mr. Deputy Speaker, Sir I want to draw your attention towards the difficulties experienced by the people of Bhir and Usmanabead district in Maharashtra State.

There is no railway line near the Bhir and Usmanabad. There is much production of Sugar-cane, Cotton and Maize in this area but people have to face difficulties in the absence of railway facilities.

Extension of Railway lines in this area may result in enhancement of consumption of dairy goods since local consumption of the same is very little.

I demand that a broad-gauge line passing through Orangabad-Bhir-Usmanabad-Sholapur City may be constructed so that the area of Marathbada like Mandel can be developed. I have read that a proposal is under consideration to construct a broad-gauge railway line between Bombay and Ahmedabad *via* Balaghat. I request that the line be extended to Parli and be connected with broad-gauge line.

रेलवे-मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री रोहनलाल चतुर्वेदी) : उपाध्यक्ष महोदय, रेलवे में कुल 7551 राज-पत्रित अधिकारी हैं जिसमें से प्रशासन-विभाग में 636, सिविल इंजीनियरिंग में 1241, परिवहन तथा वाणिज्य विभाग में 790, मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग में 695, सिगनल तथा दूर संचार इंजीनियरिंग विभाग में 338, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग में 417, स्टोर-विभाग में 293, लेखा-विभाग में 413, रेलवे सुरक्षा-दल में 138, रेलवे बोर्ड तथा अन्य रेलवे

**मराठी में दिये गए भाषण के हिन्दी अनुवाद का संक्षिप्त अंग्रेजी रूपान्तर

** Summarised translated Version based on Hindi Translation of Speech delivered in Marathi.

कार्यालयों में 580 तथा चिकित्सा-विभाग में 2010 अधिकारी हैं। फिर भी मेरा नम्र निवेदन है कि यह संख्या कार्य-भार को देखते हुए पर्याप्त नहीं है।

भारतीय रेलों के लगभग 100 अस्पतालों तथा 550 स्वास्थ्य केन्द्रों में रेलवे कर्मचारियों तथा उनके परिवारों को नि:शुल्क चिकित्सा की व्यवस्था है। सन् 1968-69 में रेलवे ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के लिए प्रत्येक कर्मचारी पर लगभग 117.30 रुपये व्यय किए थे। जो कुल मिलाकर 10 करोड़ रुपये होते हैं।

रेलवे प्रशासन विभाग, दो इंटरमीडिएट कॉलेज, 48 उच्चतर माध्यमिक स्कूल, 33 माध्यमिक स्कूल एवं 660 प्राइमरी स्कूल चला रहा है। जिस पर लगभग 1.95 करोड़ रुपये व्यय आता है। इसके अतिरिक्त लगभग एक करोड़ रुपया रेलवे कर्मचारियों के बच्चों की फीस के सम्बन्ध में व्यय किया जाता है। इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि रेलवे प्रशासन अपने कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा के लिए पर्याप्त कार्यवाही कर रहा है। यह मांग की गई है कि और स्कूल खोले जाने चाहिये। मैं बताना चाहता हूं कि हम अपने कर्मचारियों को स्कूल खोलने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। उनको स्कूल खोलने के लिए किराये पर स्कूल-भवन देने तथा इसके लिये अनुदान देने की योजना बनाई जा रही हैं।

रेलवे में कुल 13.54 लाख कर्मचारी हैं। उनके लिए 1966-67 में 10,186, 1967-68 में 9023 तथा 1968-69 में 6320 क्वाटर बनाए गए। 31.3.1969 तक कुल 5,11,967 क्वाटर बनाए गए।

क्वाटरों के निर्माण में 1968-68 में 5.20 करोड़ रुपये तथा उनके सुधार में 85.19 लाख रुपये व्यय हुए। इसी प्रकार 1969-70 में 5.95 करोड़ रुपये निर्माण के लिए तथा 73.48 लाख रुपये उनके सुधार में व्यय हुए। इस समय 38 प्रतिशत रेलवे कर्मचारियों को क्वाटर मिले हुए है मैं बताना चाहता हूँ कि दुर्घटना जांच समिति ने सुझाव दिया है कि 50 प्रतिशत संगचल कर्मचारियों को क्वाटर निश्चित रूप से दिये जाने चाहिए। हमने इस सम्बन्ध में आवश्यक निदेश दे दिये हैं।

रेलवे कर्मचारियों को भी वही मंहगाई-भत्ता दिया जाता है जो केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को दिया जाता है। इस समय न्यूनतम वेतन 141 रु० तथा अधिकतम वेतन 3500 रु० है।

निचली श्रेणी के कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते के बार-बार बढ़ने से अधिकतम और निम्नतम वेतन का अनुपात 55 : 1 से घटकर 25 : 1 रह गया है।

1-8-1969 से यह आदेश जारी किये गये हैं कि श्रेणी एक व दो के अधिकारी चाहें वे सीधे चुनकर नियुक्त हुए हों अथवा पदोन्नति स वर्ग द्वारा—अब प्रथम श्रेणी या वर्ग पास के अधिकारी नहीं होंगे और वातानुकूलित श्रेणी में यात्रा करने पर उन्हें प्रथम श्रेणी और वातानुकूलित श्रेणी के किराए का पूरा अन्तर देना होगा।

रेलवे कर्मचारियों को पास देने की प्रथा बहुत पुरानी है। श्री लोबो प्रभु ने कहा है कि इस प्रथा को बिल्कुल समाप्त कर दिया जाये। परन्तु कार्मिक संघ इसके विरुद्ध है और हम भी

अनुभव करते हैं कि यह एकमात्र परिवर्तन केवल 1-8-69 से ही लागू होना चाहिए तथा कर्मचारियों जिनमें श्रेणी 3 और 4 के कर्मचारी भी हों, को पास की सुविधा दी जाती रहे।

नैमित्तिक श्रमिक किसी विशेष कार्य के लिए कार्य पर लगाए जाते हैं और उसके समाप्त होने पर भले ही उसमें 8 अथवा 9 साल लगें, वे काम से अलग कर दिए जाते हैं। रेलवे उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेती। हम इनकी समस्या पर अवश्य ही ध्यान करेंगे।

विभिन्न सदस्यों ने विभिन्न महानगरों जैसे दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास की परिवहन व्यवस्था के बारे में कहा है कि उसमें शीघ्रता से सुधार किया जाना चाहिए। इन नगरों की जनसंख्या के अत्यधिक बढ़ जाने के कारण भूगर्भीय और ऊपरी रेलें चलाना आवश्यक हो गया है। इस योजना के लिए अत्यधिक पूंजी की आवश्यकता है। कलकत्ता और बम्बई में अन्तर नगरीय/परिवहन की समस्या पिछले बीस साल से बनी हुई है तथा मद्रास और दिल्ली में भी यह पिछले कुछ सालों में विकट हो गई है। पूंजी तथा विशेष तकनीकी ज्ञान के अभाव में इस योजना को लागू करने में देरी हो रही है।

योजना आयोग ने 1965 में इन चारों नगरों की परिवहन समस्या का अध्ययन करने के लिए एक अध्ययन दल का गठन किया था। बम्बई का सर्वेक्षण राज्य सरकार के दल ने किया है और उस योजना के पूरा करने के लिए धन राशि निश्चित कर दी गई है।

दिल्ली की यातायात समस्या का अध्ययन केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान कर रहा है। वह अपना प्रतिवेदन 1970 तक दे देगा, इसके पश्चात एम० टी० टी० अपनी सिफारिशें देगा। तथा यातायात समस्या के अध्ययन के बाद रेलवे अपनी तकनीकी आर्थिक व्यावहारिकता का अध्ययन करेगी।

मद्रास की यातायात समस्याओं का अध्ययन तमिलनाडु सरकार का एक अध्ययन दल करेगा, जो 1970 तक समाप्त हो जायेगा तथा उसके बाद रेलवे का अध्ययन चालू होगा।

इस सब कार्य के लिए बजट में 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है तथा यह रुपया कैसे जुटाया जायेगा इसका निर्णय करना अभी बाकी है।

कलकत्ता के अन्तिम सर्वेक्षण का 20 प्रतिशत भाग पूरा हो चुका है। इसके अतिरिक्त दो अन्य लाइनों का सर्वेक्षण हम कर रहे हैं। दो उपनगरीय लाइनों के तकनीकी आर्थिक व्यावहारिक सर्वेक्षण का भी 20 प्रतिशत भाग पूरा हो चुका है।

बहुत सी बड़ी-बड़ी इमारतों के रास्ते में आने के कारण सियालदा-हावड़ा लाइन भूगर्भीय होगी तथा इसके तकनीकी-आर्थिक व्यावहारिकता सर्वेक्षण की बात हमारे सामने है।

यह सवाल उठाया गया है कि यद्यपि तकनीकी आर्थिक व्यावहारिकता सर्वेक्षण चल रहा पर कौन जानता है कि उपनगरीय लाइन योजना ढप्प न हो जाये। निस्संदेह महानगरों की यह एक कठिन समस्या है और इस पर कोई भी अन्तिम निर्णय पर्याप्त अध्ययन आदि के बाद ही लिया जा सकता है। पर इतना विश्वास मैं आपको दिला सकता हूं कि हमारी ओर से कोई कोताही नहीं होगी।

अन्तिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण के बाद कार्य को पूरा करने में चार साल लगेंगे तथा भूगर्भीय रेलवे लाइनों को बनाने में 8 से 10 साल तक लगेंगे ।

Shri Ramavatar Shastri (Patna) : Everybody knows about the acute shortage of housing accommodation in metropolitan cities like Calcutta, Bombay, Madras and Delhi. Quite a number of persons in these cities sleep on footpaths. Even in cities like Patna 50 thousand people are living in huts, but recently during Presidents Rule Governor's Advisors tried to uproot them.

I am not going to say anything about the villages because the hon. Minister himself admits the bad position of housing there. During the last 18 years much had been said to solve this problem of the big cities but nothing concrete had been done in this direction so far. The most effected people by the shortage of houses are Government Employees. The large number of poor people whose daily earnings too meagre also suffering due to housing shortage.

Government advances loans only to the persons who are in a position of repay. The poors cannot take loans on the conditions prescribed by the Government. Under such conditions Government should construct the houses and give them on rent. But the policy of the Government is only to help big persons.

You went to bring about capitalism in the country and not the socialism. The Government want to help the rich and not the poor. Big capitalists and high officers who have hoarded black money are constructing houses for making lakhs of rupees in the form of rent. I request you to do away with this practice of helping the rich.

My second point is concerning the improvement and clearance of slum areas of the cities. Patna perhaps in the district city of the country, having large slum areas. Government should give 100% grants-in-aid to the state Government to solve this problem.

Sir, now I want clear-cut replies to my following questions :—

(1) How many houses would be constructed in the Fouth Plan and how much money would be spent on their construction ?

(2) Does any foreign country want to assist in this project ; if so, what are the names of those countries and Government's reaction thereto ?

(3) Does the Government want to provide residential accommodation on rent to house-less people ; if not, what are the reasons ?

(4) Does Government propose to make legislation for industrialists to make provision of residential accommodation to the workers ?

(5) Does Government propose to put restriction on sale and purchase of land in the cities so that no body could purchase more than 500 sqaare feet of land.

(6) Does Government propose to nationalise big market in the cities e. g. Hyder market and Hathua market in Patna, if not, the reasons, therefor ?

Shri Beni Shanker Sharma (Banka) : In response to my question, the hon'ble Minister had said that vertical buildings would be constructed on the land of slum areas. My suggestion is to construct vertical buildings in the big lawns of bunglows of Ministers and high officers residing in Delhi, Bombay and Calcutta. As Shastriji has said earlier that people are investing their black money in the construction of buildings, but they are afraid of taxes being imposed upon them. I would request the hon'ble minister to grant moratorium to them so that buildings may be constructed rapidly. Taxes realised are not in proportion to the money invested in several five year plans.

Shri Rabi Ray (Puri) : Deputy Speaker, Sir, the Minister had himself informed the house that Rs. 33 crores would be required to solve the problem. I would also remind the hon'ble Minister that two years back, during President's rule in Bihar, nine acres of land

was earmarked to rehabilitate landless people. Later on it come to the notice of the non-Congress Government that the rich persons had built the houses on that land and Harihar Mahapatra Committee was appointed to go into the matter. What are the contents of the report ?

One and a half years back a delegation was sent to U. S. S. R. in the leadership of the speaker and there we saw that though half the city of Tashkent was completely destroyed due to an earth quake, but all the homeless people were provided with the houses within a very short period of 6 months. Would the Government make any such legislation as to provide house to every family comprising of five members and nationalise rest of the houses ? Would the Government also nationnlise land and vacant houses in cantonment areas in Bombay, Calcutta etc. to rehabilitate thousand of members people ?

The Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri K. K. Shah) : I am grateful to the members for raising there questions. It is entirly correct that meeting the shortage of housing both in rural and urban areas, Rs. 33,000/- crores will be required. We had started a scheme on experimental basis of raising more funds through auction of commercial areas and to help the poorer section of the society, but this can be possible only with the cooperatian of all the parties.

Shri Rabi Ray : We are ready to cooperate in a good work.

Shri K. K. Shah : Previously we gave 80 yards and invested one thousand Rupees for the construction of quarters which now has been increased to Rs. 1200/-. Now instead of 80 yards it has been reduced to 40 yards according to increase in demand. Those who were inelligible, a sum of Rs. 800/- was also spent for them. From where this money will come ? Whatever money I get, is spent for poors. We have a Housing Revolving Fund of Rupees two Hundred Crores, with which two or three room quarters will be constructed. You asked about the slum Area. I went to Calcutta and Bombay to see the slum Areas.

Shri Ramavtar Shastri ; Have you seen Patna also.

Shri Yogendra Sharma : Will you give priority to the IVth Grade Employees for the allotment of the quarters under construction ?

Shri K. K. Shah : I tell you, if we have mutual understanding, then cooperation may be given. You have also some interest in this job. How we got money from the Prime Minister will really be appriciated by you. When the Fourth Plan was about to complete, all the Housing Minister of States including some were assembled and decided to include Bengal, Orissa, Delhi, Kerala and Maharashtra in the plan. It was presumed that it will create inflation but we told that instead of inflation there will be deflation. There will be about Rupees Two Thousand Crores's income or so, from the food grains. Something should be done to save from this income. If no step is taken to utilise this income, there will be pressure on the Consumer goods. Housing is the only way to get money we ask a Government Servant to pay each instalment of Rs. 100/- for 20 years to have his own quarter, he will definitely agree to this. This was agreed to by the Prime Minister.

The population of Slum Areas will be transferred to Transit Camps and after dismantling the old houses new vertical construction will be done there and 1/5 of the population can be accommodate there. Rest 4/5th of the land will be sold and the money received from the sale will be utilised for the poors. Shops in the ground floor of these houses will be auctioned to the middle income group.

Shri Yogendra Sharma : These shops can be given to Middle Class but not to rich people.

Shri K. K. Shah : In Bombay there is Rent Control Act and a new Act called "Building repairs Cess" has also been introduced.

Shri S. M. Banerjee : When will the money, received in the form of Pagrri be spent ?

Shri K. K. Shah : Officially I have no proof, but unofficially we may allot him a two roomed house by charging Rs. 7000-8000 and he will not give money in the form of Pagrri.

Shri Ramavatar Shastri : Who gives Rs. 1000/- for Pagrri ? Only rich people.

Shri K. K. Shah : No, No. when applications were invited by Delhi Development Authority for two thousand houses, about 10 thousand applications were received from the middle class.

I thank you all for co-operation. We should face these difficulties unanimously. We have set in a scheme in Bombay.

उपाध्यक्ष महोदय : मैं मंत्री महोदय का ध्यान समय की ओर दिलाना चाहता हूं, कि सात बज चुके हैं ।

श्री के० के० शाह : मैं आपका का आभारी हूँ ।

Shri Shastri has put up a question.

चौथी योजना में कितने मकानों का निर्माण किया जायेगा ।

I want to let him know that 5,000 houses will be constructed with Rupees one crore.

Shri S. M. Banerjee : Try to increase it slightly.

Shri K. K. Shah : We have formed a committee and two-three system have been introduced, like Hollow blocks, Hollow beams etc. If we complete the construction within three months that will be actually revolving Fund. But for this purpose we shall have to adopt mordern methods and Mechanised Factory. As in Russia.

Secondly you said that how many countries with to help ? We will get help from all sides because World Bank showed interest in this case.

Shri Ramavatar Shastri : It is heard that World Bank has agreed to give Rupees 75 crores.

Shri K. K. Shah : This amount will not be sufficient to meet with. It should be Rs. 203 crores to Rs. 400 crores. If we can get more money for the lands of the houses of Ministers and Secretories, we are ready to live in flats. If everyone including Parliament Members cooperate this can be done.

Shri Ramavatar Shastri : We are ready.

श्री के० के० शाह : उपाध्यक्ष महोदय की महान कृपा हुई कि उन्होंने मुझे समय दिया, हम किरायों में सहायता देने का प्रयत्न करेंगे ।

Shri Ramavatar Shastri : What is the scheme for industrial labour and compulsory housing ?

Shri K. K. Shah : We asked for grant and loan for industrial labour but they did not agree to it. Now we are examining it to find out some legal way.

Shri S. M. Banerjee : Let it go to Supreme Court.

Shri K. K. Shah : I can not say any thing about the utilisation of black money for construction of the houses. But it is to be finalised soon.

श्री बेनी शंकर शर्मा : चाहे आप भीख मांगते हों, उधार लेते हों या चुराते हों, हमें मकान चाहिये ।

Shri Yogendra Sharma : They have no objection if we occupy their house. They say, *beg, borrow* or *steal*. Nobody will ask if we occupy the house of Birla.

Shri K. K. Shah : Whatever Shri Rabi Ray has said contains partyism, he should not have said so. All States have done that whether the represent any of the party. The money given by us has not been utilized. We go on saying—we try...

Shri Ramavatar Shastri : You yourself make the plan.

Shri K. K. Shah : Please arrange the consent of the Chief Minister of National Development Council.

Shri Ramavatar Shastri : We shall not go to sit there, you have to remain there.

Shri K. K. Shah : Right you are. They prepared within six months in Tashkent. It can be done only through machanised process. It can not be prepared in cantonment area. We shall do no work there.

At last I am grateful to you. It is a difficult task and we have received full co-operation from the States. If this co-operation continues it would increase from Rs. 200 crores to Rs. 1000 crores or Rs. 1200 crores and its utility would be for the poor not for the rich.

इसके पश्चात लोक-सभा मंगलवार, 10 मार्च, 1970/19 फाल्गुन, 1891 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok-Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday March 10, 1970/Phalguna 19, 1891 (Saka).

———

Printed at Akashdeep Printers, 20 Daryaganj, Delhi-6.